धर्मपाल समग्र लेखन

४

रमणीय वृक्ष
१८ वी शताब्दी मे भारतीय शिक्षा

धर्मपाल

अनुवाद

रजनीकान्त जोशी
कृष्णपालसिंह भदौरिया

धर्मपाल समग्र लेखन ४

रमणीय वृक्ष

१८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा

लेखक

धर्मपाल

सम्पादक

इन्दुमति काटदरे

अनुवाद

रजनीकान्त जोशी

कृष्णपालसिंह भदौरिया

प्रकाशक

पुनरुत्थान ट्रस्ट

४ वसुधरा सोसायटी आनन्दपार्क कांकरिया अहमदाबाद - ३८००२८

दूरभाष ०७९ - २५३२२६५५

मुद्रक

साधना मुद्रणालय ट्रस्ट

सिटी मिल कम्पाउण्ड कांकरिया मार्ग अहमदाबाद - ३८००२२

दूरभाष ०७९ - २५४६७७९०

मूल्य रु ३७५-००

प्रति

२ ०००

प्रकाशन तिथि

चैत्र शुक्ल १ वर्षप्रतिपदा युगाब्द ५१०९

२० मार्च [illegible]

अनुक्रमणिका

धर्मपाल समग्र लेखन

ग्रन्थ सूची

१ भारतीय चित्त मानस एव काल

२ १८ वीं शताब्दीमें भारतमें विज्ञान एवं तत्रज्ञान कतिपय समकालीन यूरोपीय वृत्तान्त
Indian Science and Technology in the Eighteenth Century Some Contemporary European Accounts

३ भारतीय परम्परामें असहयोग
Civil Disobedience in Indian Tradition

४ रमणीय वृक्ष १८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा
The Beautiful Tree Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century

५ पचायत राज एवं भारतीय राजनीति तत्र
Panchayat Raj and Indian Polity

६ भारत में गोहत्या का अंग्रेजी मूल
The British Origin of Cow slaughter in India

७ भारतकी लूट एव बदनामी १९ वीं शताब्दी की अंग्रेजों की जिहाद
Despoliation and Defaming of India
The Early Nineteenth Century of British crusade

८ गांधी को समझें
Understanding Gandhi

९ भारत की परम्परा
Essays in Tradition Recovery and Freedom

१० भारत का पुनर्बोध
Rediscovering India

मनोगत

गाधीजी के अगस्त १९४२ के अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन के कुछ समय पूर्व से ही मैं देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन से पूर्णरूप से प्रभावित हो चुका था। उस समय मैंने जीवन के बीस वर्ष पूरे किए थे। अगस्त १९४२ में हम दो चार मित्र जिनमें मित्र श्री जगदीश प्रसाद मित्तल प्रमुख थे उत्तरप्रदेश से भारत छोडो आन्दोलन' के लिए ही कांग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने मुम्बई गए। मैंने उससे पूर्व १९३० का लाहौर का कांग्रेस सम्मेलन देखा था परन्तु मुम्बई के सम्मेलन का स्वरूप और अपेक्षाएँ हमारे लिए एकदम नई थीं। सम्मेलन में हमें दर्शक के रूप में भाग लेने की अनुमति मिल गई। हमने वहाँ की सम्पूर्ण कार्यवाही देखी सभी भाषण सुने। ८ अगस्त की सायकाल का गाधीजी का सवा दो घण्टे का भाषण तो मुझे आज भी कुछ कुछ याद है। उन्होंने प्रथम डेढ घण्टा हिन्दी में भाषण दिया फिर पौन घण्टा अंग्रेजी में। सम्मेलन में ५० हजार से अधिक भीड़ थी। सभी उपस्थित लोगों से सभी भारतवासियों से तथा विश्व के सभी देशों से गाधीजी का मुख्य निवेदन तो यही था कि वे सभी भारत और अंग्रेजों के वार्तालाप में सहायक हों । हमारे जैसे अधिकाश लोगों ने उस समय विचार किया होगा कि आन्दोलन का प्रारम्भ तो कुछ समय बाद ही होगा।

परन्तु दूसरे ही दिन सवेरे ५-६ बजे से ही पूरे मुम्बई में हलचल शुरू हो गई। मुम्बई से बाहर जानेवाली रेलागाड़िया दोपहर के बाद तक बन्द रहीं। अंग्रेज और भारतीय पुलिस व्यापक रूप से लोगों की गिरफ्तारी करती रही। अन्तत ९ अगस्त को शाम तक हमें दिल्ली जाने के लिए गाड़ी मिल गई। परन्तु रास्ते भर हलचल थी और गिरफ्तारिया हो रही थीं। हममें से अधिकाश लोग अपनी अपनी जगह पहुँचकर अंग्रेजों भारत छोड़ो' आन्दोलन शुरू करनेवाले थे।

दिल्ली पहुँचकर मैं अन्य साथियों के साथ आसपास के क्षेत्रों में चल रहे आन्दोलन में जुड़ गया। कितने महीने तक इसी में ही सलग्न रहा। उस बीच अनेक गाँवों और कसबों में भी गया। वहाँ लोगों के घरों में रहा। वहीं से ही भारत के सामान्य जीवन

के साथ मेरा परिचय प्रारम्भ हुआ। दिसम्बर १९४२ में अनेक घनिष्ठ मित्रों ने सलाह दी की मुझे आन्दोलन के काम के लिए मुम्बई जाना चाहिए। इसलिए फरवरी १९४३ में मैं मुम्बई गया और वहाँ रहा। आन्दोलन का साहित्य लेकर वाराणसी और पटना भी गया। मुम्बई में गाधीजी के निकटस्थ स्वामी आनन्द ने मेरे रहने खाने की व्यवस्था की थी। वे अलग अलग लोगों से मेरा परिचय भी कराते थे। वस्तुत मेरा मुम्बई के साथ परिचय तो उनके कारण ही हुआ। मुम्बई में ही मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी से भी एक दो बार मिला। उसी प्रकार गिरिधारी कृपलानी से मिलना हुआ। उस समय मैं खादी का धोती कुर्ता पहनता था और स्वामी आनन्द आदि के आग्रह के बाद भी मैंने कभी पतलून आदि नहीं पहना।

मार्च १९४२ में मैं मुबई से दिल्ली और उत्तरप्रदेश गया। अप्रैल १९४३ में दिल्ली के चाँदनीचौक पुलिस थाने में मेरी गिरफ्तारी हुई और लगभग दो महीने अलगअलग थानों में रहा। वहाँ मेरी गहन पूछताछ हुई धमकाया भी गया। यद्यपि मारपीट नहीं हुई। जून १९४३ में मुझे सरकार के आदेशानुसार दिल्ली से निष्कासित किया गया। एकाध वर्ष बाद यह निष्कासन समाप्त हुआ।

लम्बे अरसे से मेरा मन गाँव में जाकर रहने और काम करने का था। मेरे एक पारिवारिक मित्र गोरखपुर जिले के एक हजार एकड़ जितने विशाल फार्म के मैनेजर थे। उन्होंने मुझे फार्म पर आकर रहने के लिए निमत्रण दिया। यह फार्म सुन्दर तो था परन्तु यह तो वहाँ रहनेवालों से कसकर परिश्रम कराने की जगह थी। गाँव जैसा सामूहिकता का वातावरण वहाँ नहीं होता था। वहाँ गाँव के लोगों से मिलने बात करने का अवसर भी नहीं मिलता था। परन्तु एक बात मैने देखी कि वहाँ लोग गरीब होने के बाद भी प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे।

एक वर्ष बाद जून अथवा जुलाई १९४४ में यह फार्म छोड़ कर मैं वापस आ गया। तत्काल ही मेरठ के मित्रों ने मुझे श्रीमती मीराबहन के पास जाने की सलाह दी। मीरा बहन रूड़की के निकट एक आश्रम स्थापित करने का विचार कर रही थीं। बात सुनकर मैंने पहले तो मना करने का प्रयास किया परन्तु मित्रों के आग्रह के कारण अक्टूबर १९४४ में मैं मीराबहन के पास गया। रूड़की से हरिद्वार की दिशा में सात-आठ मील दूर गाँव वालों ने मीरा बहन को आश्रम निर्माण के लिए जमीन दी थी। आश्रम हरिद्वार से बारह मील दूर था। आश्रम का नाम दिया गया किसान आश्रम'। यहीं से मेरा ग्रामजीवन और उसके रहनसहन के साथ परिचय शुरू हुआ। उनकी कुशलताएँ और अपने व्यवहार रहन सहन तथा उपाय सूझ निकालने की योग्यता मुझे यहीं जानने

को मिली। मैं तीन वर्ष किसान आश्रम में रहा। उसके बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वसन का कार्य चलता था उसमें सहयोग देने के लिए मैं दिल्ली गया। उस दौरान मेरा अनेक लोगों के साथ परिचय हुआ। उसमें मुख्य थीं कमलादेवी चट्टोपाध्याय और डॉ राममनोहर लोहिया। १९४७ से १९४९ के दौरान श्री रामस्वरूप श्री सीताराम गोयल श्री रामकृष्ण चाँदीवाले (उनके घर में मैं महीनों रहा) श्री नरेन्द्र दत्त श्रीमती स्वर्णा दत्त श्री लक्ष्मीचन्द जैन श्री रूपनारायण श्री एस के सक्सेना श्री ब्रजमोहन तूफान श्री अमरेश सेन श्री गोपालकृष्ण आदि के साथ भी मित्रता हुई।

दिल्ली में भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों ने कहा कि फिलिस्तीन के यहूदी इजरायल नामक छोटा देश बना रहे हैं। वहाँ सामूहिकता के आधार पर जीवन रचना के महत्त्वपूर्ण प्रयास हो रहे हैं। उन लोगों ने इतने आकर्षक ढग से उसका वर्णन किया कि मैंने इज़रायल जाकर यह देखकर आने का निर्णय किया। नवम्बर १९४९ में इजरायल जाने के लिए मैं इग्लैण्ड गया। वहाँ आठ-दस महीने रह कर नवम्बर-दिसम्बर में मैं पत्नी फिलिस के साथ इज़रायल तथा अन्य अनेक देशों में गया। इज़रायल के लोगों ने जो कर दिखाया था वह तो बहुत प्रशसनीय और श्रेष्ठ कार्य था परन्तु भारतीय ग्रामरचना और भारतीय व्यवस्थाओं में उस का बहुत उपयोग नहीं है ऐसा भी लगा।

जनवरी १९५० में मैं और फिलिस हृषीकेश के निकट निर्माणाधीन मीराबहन के पशुलोक' में पहुँच गये। वहाँ मीराबहनने मेरे अन्य मित्रों और सविशेष मार्क्सवादी मित्र जयप्रकाश शर्मा के साथ मिलकर एक नए छोटे गाँव की रचना की शुरुआत की थी। उसका नाम रखा गया 'बापूग्राम'। गाँव ५० घरों का था। उसमें सभी पहाड़ी और मैदानी जाति के लोग साथ रहेंगे ऐसा प्रयास किया था। यह भी ध्यान रखा गया कि लोग अत्यन्त गरीब हों। परतु उस के कारण गाँव की रचना का काम अधिक कठिन हो गया। गाँव के लोगों के कष्ट बढे। गाँव में ५०० एकड़ जमीन थी किन्तु अनेक जगली जानवर भी वहाँ घूमते थे। हाथी भी वहाँ आता-जाता रहता। इस लिए प्रारम्भ में खेती भी बहुत दुष्कर थी। खेती में कुछ बचता ही नहीं था। आज भी यह गाँव जैसे तैसे टिका हुआ है। १९५७ से गाँव के साथ मेरा सम्बन्ध ठीक-ठीक बढा। मैं विभिन्न पचायतों का अध्ययन करता था। इसलिए गाँव के लोगों की समझदारी और अपने प्रश्नों की ओर देखने और उसे हल करने का उनका दृष्टिकोण भलीभाँति ध्यान में आने लगा। इस बात का भी एहसास होने लगा कि अपने अधिकाश शहरी और समृद्ध लोग गाँव को जानते ही नहीं। राजस्थान आध्रप्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा आदि राज्यों में तो यह एहसास सविशेष हुआ। इस एहसास के कारण ही मैं १९६४-६५ में सन् १९०० के आसपास के अंग्रेजों

द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के अध्ययन की ओर मुड़ा।

लगभग १७५० से १८५० तक अंग्रेजों ने सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर इंग्लैण्ड में रहने वाले अपने अधिकारियों तथा परिचितों को लिखे पत्रों की संख्या शायद करोड़ों दस्तावेजों में होगी। उसमें ८० से ८५ प्रतिशत की प्रतिलिपिया भारत के कोलकता मद्रास मुम्बई दिल्ली लखनऊ आदि के अभिलेखागारों में भी हैं। लन्दन की ब्रिटिश इंडिया ऑफिस में और अन्य अनेक अभिलेखागारों में पाँच से सात प्रतिशत ऐसे भी दस्तावेज होंगे जो भारत में नहीं होंगे। उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके अध्ययन से अंग्रेजों ने भारत में क्या किया यह समझ में आता है। उस समय के इंग्लैण्ड के समाज और शासन तंत्र की यदि हमें जानकारी होगी तो अंग्रेजों ने भारत में जो किया उसे समझने में सहायता मिल सकती है।

१९५७ से ही जब मैं एवार्ड (Association of Voluntary Agencies for Rural Development [AVARD]) का मंत्री बना तब से ही अनेक प्रकार से सीखने का अवसर मिला और अनेक व्यक्तियों की अनेक प्रकार से सहायता भी मिली। उसमें मुख्य थे श्री अण्णासाहब सहस्रबुद्धे और श्री जयप्रकाश नारायण। नागपुर के श्री आर. के पाटिल ने भी १९५८ से १९८० तक इस काम में बहुत रुचि ली और अलग अलग ढंग से सहायता करते रहे। श्री आर के पाटिल पुराने आई सी एस थे योजना आयोग के सदस्य थे पूर्व मध्यप्रदेश के मंत्री थे और विनोबा जी के निकटवर्ती थे। १९७१ से गांधी शांति प्रतिष्ठान के मंत्री श्री राधाकृष्ण का सहयोग भी बहुत मूल्यवान था। इसी प्रकार गांधी विद्या संस्थान और पटना की अनुग्रह नारायण सिन्हा इन्स्टीटयूट का भी सहयोग मिला। डॉ डी एस कोठारी भी शुरू से ही उसमें रुचि लेते थे।

१९७१ में 'इंडियन सायन्स एण्ड टेक्नोलॉजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी' Indian Science and Technology in the Eighteenth Century और सिविल डिसओबिडियन्स इन इंडियन ट्रेडिशन' Civil Disobedience in Indian Tradition ऐसी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई। उनका विमोचन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉ दौलतसिंह कोठारी ने किया। पहले ही दिन से उस पुस्तक का परिचय करनेवाले प्रजा समाजवादी पक्ष के नेता और साहित्यकार श्री गंगाशरण सिन्हा विवेकानंद केन्द्र कन्याकुमारी के श्री एकनाथ रानडे और अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यूजिन ईर्शिक थे। ईर्शिक के मतानुसार सिविल डिसओबिडियन्स इन इंडियन ट्रेडिशन' मेरी सबसे उत्तम पुस्तक थी। श्री रामस्वरुप और श्री ए बी चटर्जी जो आई सी एस थे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के सचिव थे उनके मतानुसार 'इंडियन सायन्स एण्ड

टेक्नोलॉजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक थी। १९७१ से १९८५ के दौरान इन दोनों पुस्तकों का अनेक प्रकार से उल्लेख होता रहा। देशभर में इसका उल्लेख करनेवालों में मुख्य थे श्री जयप्रकाश नारायण श्री रामस्वरूप और राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के श्री एकनाथ रानडे प्रोफेसर राजेन्द्रसिंह और वर्तमान सरसघचालक श्री सुदर्शन जी।

अभी तक ये पुस्तकें मुख्य रूप से अग्रेजी में ही हैं। उसका एक विशेष कारण यह है कि उसमें समाविष्ट दस्तावेज सन् १८०० के आसपास अग्रेजों और अन्य यूरोपीय लोगों ने अग्रेजी में ही लिखे हैं। प्रारभ में ही यह सब हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा में प्रकाशित करना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन जब तक यह सब भारतीय भाषाओं में प्रकाशित नहीं होता तब तक सर्वसामान्य लोग दो सौ वर्ष पूर्व के भारत के विषय में न जान सकेंगे न समझ सकेंगे और न ही चर्चा कर सकेंगे।

इसलिए इन पुस्तकों का अब हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रकाशित हो रहा है यह बहुत प्रशसनीय कार्य है।[1]

मैं १९६६ तक अधिकाशत इग्लैण्ड और सविशेष लन्दन में रहा। उस समय भारत से सम्बन्धित वहाँ स्थित दस्तावेजों में से पाच अथवा दस प्रतिशत सामग्री का मैंने अवलोकन किया होगा। उनमें से कुछ मैंने ध्यान से देखे कुछ की हाथ से नकल उतार ली अनेकों की छायाप्रति बना ली। उस दौरान बीच बीच में भारत आकर कोलकता लखनऊ मुम्बई दिल्ली और चेन्नई के अभिलेखागारों में भी कुछ नए दस्तावेज देखे।

उन दस्तावेजों के आधार पर अभी गुजरात से प्रकाशित हो रही अधिकाश पुस्तकें तैयार की गई हैं। ये पुस्तकें जिस प्रकार सन् १८०० के समय के भारत से सम्बन्धित हैं उसी प्रकार १८८० से १९०३ के दौरान गोहत्या के विरोध में हुए आन्दोलन के और १८८० के बाद के दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई हैं। उनमें एकाध पुस्तक इग्लैण्ड और अमेरिका के समाज से भी सम्बन्धित है। इसकी सामग्री इग्लैण्ड में मिली है और यह पढी गई पुस्तकों के आधार पर तैयार की गई है।

१९६० से शुरू हुए इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य दो सौ वर्ष पूर्व के भारतीय समाज को समझना ही था। लेकिन मात्र जानना समझना पर्याप्त नहीं है। उसका इतना महत्त्व भी नहीं है। महत्त्व तो यह जानने समझने का है कि अंग्रेजों से पूर्व का स्वतत्र भारत जहाँ उसकी स्थानिक इकाइया अपनी अपनी दृष्टि और आवश्यकतानुसार अपना समाज चलाती थीं वह कैसा रहा होगा। अचानक १९६४-६५ में चेन्नई के एगमोर

अभिलेखागार में ऐसी सामग्री मुझे मिली और ऐसी ही सामग्री इग्लैण्ड में उससे भी सरलता से मिली। यदि मैं पोर्टुगल और हॉलेण्ड की भाषा जानता तो १६ वीं १७ वीं सदी मे वहाँ भी भारत के विषय में क्या लिखा गया है यह जान पाता। खोजने के बाद भी चालीस वर्ष पूर्व भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के वर्णन नहीं मिले।

हमें तो गत दो तीन हजार वर्ष के भारत और उसके समाज को समझने की आवश्यकता है। हम जब उस तरह से समझेंगे तभी भारतीय समाज की पारम्परिक व्यवस्थाओं तत्रों कुशलताओं और आज की अपनी आवश्यकताओं और अपनी क्षमता के अनुसार पुन स्थापना की रीति भी जान लेंगे और समझ लेंगे।

भारत बहुत विशाल देश है। चार पाँच हजार वर्षों में पड़ोसी देश - ब्रह्मदेश श्रीलका चीन जापान कोरिया मगोलिया इन्डोनेशिया वियतनाम कम्बोडिया मलेशिया अफगानिस्तान ईरान आदि के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। भारतीयों का स्वभाव और उनकी मान्यताएँ उन देशों के साथ बहुत मिलती जुलती हैं। सन् १५०० के बाद एशिया पर यूरोप का प्रभाव बढ़ा उसके बाद उन सभी पड़ोसी देशों के साथ की पारस्परिकता लगभग समाप्त हो गई है। उसे पुन स्थापित करना ज़रूरी है। इसी प्रकार यूरोप खासकर इग्लैण्ड और अमेरिका के साथ तीन सौ चार सौ वर्षों से जो सम्बन्ध बढ़े हैं उनका भी समझ बूझकर फिर से मूल्याकन करना जरूरी है। यह हमारे लिए और उनके लिए भी श्रेयस्कर होगा। देशों को बिना जरूरत से एक दूसरे के अधिक निकट लाना अथवा एक देश दूसरे देश की ओर ही देखता रहे यह भविष्य की दृष्टि से भी कष्टदायी साबित हो सकता है।

मकरसक्राति
१४ जनवरी २००५
पौष शुद ५ युगाब्द ५१०६

धर्मपाल
आश्रम प्रतिष्ठान
सेवाग्राम
जिला वर्धा (महाराष्ट्र)

१ यह प्रस्तावना गुजराती अनुवाद के लिये लिखी गई है। हिन्दी अनुवाद के लिये श्री धर्मपालजी की ही सूचना के अनुसार इसे यथावत् रखा है। मूल प्रस्तावना हिन्दी में ही है, गुजराती के लिये उसका अनुवाद किया गया था। सं

सम्पादकीय

१

सन् १९९२ के जनवरी मास में चैन्नई में विद्याभारती का प्रधानाचार्य सम्मेलन था। उस सम्मेलन में श्री धर्मपालजी पधारे थे। उस समय पहली बार The Beautiful Tree के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। दो वर्ष बाद कोईम्बतूर में यह पुस्तक खरीद की और पढी। पढकर आश्चर्य और आघात दोनों का अनुभव हुआ। आश्चर्य इस बात का कि हम इतने वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं तो भी इस पुस्तक में निरूपित तथ्यों की लेशमात्र जानकारी हमें नहीं है। आघात इस बात का कि शिक्षा विषयक स्थिति ऐसी दारुण है तो भी हम उस विषय में कुछ कर नहीं रहे हैं। जो चल रहा है उसे सह लेते हैं और उसे स्वीकृत बात ही मान लेते हैं ।

तभी से उस पुस्तक का प्रथम हिन्दी में और बाद में गुजराती में अनुवाद करके अनेकानेक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों तक उसे पहुँचाने का विचार मन में बैठ गया। परन्तु वर्ष के बाद वर्ष बीतते गये। प्रवास की निरन्तरता और अन्यान्य कार्यों में व्यस्तता के कारण मन में स्थित विचार को मूर्त स्वरूप दे पाने का अवसर नहीं आया। इस बीच विद्या भारती विदर्भ ने इसका सक्षिप्त मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। भारतीय चित्त मानस एव काल' भारत का स्वधर्म जैसी पुस्तिकायें भी पढने में आयीं। अनेक कार्यकर्ता भी इसका अनुवाद होना चाहिये ऐसी बात करते रहे। इस बीच पूजनीय हितरुचि विजय महाराजजी ने गोवा के 'द अदर इडिया बुक प्रेस' द्वारा प्रकाशित पाच पुस्तकों का सच दिया और पढने के लिये आग्रह भी किया। इन सभी बातों के निमित्त से अनुवाद भले ही नहीं हुआ परन्तु अनुवाद का विचार मन में जाग्रत ही रहा। उसका निरन्तर पोषण भी होता रहा। चार वर्ष पूर्व मुझे विद्याभारती की राष्ट्रीय विद्वत् परिषद के सयोजक का दायित्व मिला। तब मन में इस अनुवाद के विषय में निश्चय सा हुआ। उस विषय में कुछ ठोस बातें होने लगीं। अन्त में पुनरुत्थान ट्रस्ट इस अनुवाद का प्रकाशन करेगा ऐसा निश्चय युगाब्द ५१०६ की व्यास पूर्णिमा को हुआ। सर्व प्रथम तो यह अनुवाद

हिन्दी में ही होना था। उसके बाद हिन्दी एवं गुजराती दोनों भाषाओं में करने का विचार हुआ। परन्तु इस कार्य के व्याप को देखते हुए लगा कि दोनों कार्य एक साथ नहीं हो पायेंगे। एक के बाद एक करने पड़ेंगे।

साथ ही ऐसा भी लगा कि यह केवल प्रकाशन के लिये प्रकाशन अनुवाद के लिये अनुवाद तो है नहीं। इसका उपयोग विद्वज्जन करें और हमारे छात्रों तक इन बातों को पहुँचाने की कोई ठोस एवं व्यापक योजना बने इस हेतु से इस सामग्री का भारतीय भाषाओं में होना आवश्यक है। ऐसे ही कार्यों को यदि चालना देनी है तो प्रथम इसका क्षेत्र सीमित करके ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। इस दृष्टिसे प्रथम इसका गुजराती अनुवाद प्रकाशित करना ही अधिक उपयोगी लगा।

निर्णय हुआ और तैयारी प्रारम्भ हुई। सर्व प्रथम श्री धर्मपालजी की अनुमति आवश्यक थी। हम उन्हें जानते थे परन्तु वे हमें नहीं जानते थे। परन्तु हमारे कार्य हमारी योजना और हमारी तैयारी जब उन्होंने देखी तब उन्होंने अनुमति प्रदान की। साथ ही उन्होंने अपनी और पुस्तकों के विषय में भी बताया। इन सभी पुस्तकों के अनुवाद का सुझाव भी दिया।

हम फिर बैठे। फिर विचार हुआ। अन्त में निर्णय हुआ कि जब कर ही रहे हैं तो काम पूरा ही किया जाय।

इस प्रकार एक से पांच और पाच से ग्यारह पुस्तकों के अनुवाद की योजना आखिर बन गई।

योजना तो बन गई परन्तु आगे का काम बड़ा विस्तृत था। भिन्न भिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित मूल अंग्रेजी पुस्तकें प्राप्त करना उन्हें पढना उनमें से चयन करना अनुवादक निश्चित करना आदि समय लेनेवाला काम था। अनुवादक मिलते गये कई पक्के अनुवादक खिसकते गये अनेपक्षित रूप से नये मिलते गये और अन्त में पुस्तक और अनुवादकों की जोड़ी बनकर कार्य प्रारम्भ हुआ और सन २००५ और युगाब्द ५१०६ की वर्ष प्रतिपदा को कार्य सम्पन्न भी हो गया। १६ अप्रैल २००५ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक माननीय सुदर्शनजी एवं स्वयं श्री धर्मपालजी की उपस्थिति में तथा अनेपक्षित रूप से बड़ी सख्या में उपस्थित श्रोतासमूह के मध्य इन गुजराती पुस्तकों का लोकार्पण हुआ।

प्रकाशन के बाद भी इसे अच्छा प्रतिसाद मिला। विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों ग्रन्थालयों में एवं विद्वज्जनों तक इन पुस्तकों को पहुँचाने में हमें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। साथ ही साथ महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के अध्यापकों एवं

प्रधानाचार्यों के बीच इन पुस्तकों को लेकर गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ।

इसके बाद सभी ओर से हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का आग्रह बढने लगा। स्वय श्री धर्मपालजी भी इस कार्य के लिये प्रेरित करते रहे। अनेक वरिष्ठजन भी पूछताछ करते रहे। अन्त में इन ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन तय हुआ। गुजराती अनुवाद कार्य का अनुभव था इसलिये अनुवादक ढूँढने में इतनी कठिनाई नहीं हुई। सौभाग्य से अच्छे लोग सरलता से मिलते गये और कार्य सम्पन्न होता गया। आज यह आपके सामने है।

इस सघ में कुल दस पुस्तकें हैं। (१) भारतीय चित्त मानस एव काल (२) १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्रज्ञान (३) भरतीय परम्परा में असहयोग (४) रमणीय वृक्ष १८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा (५) पचायत राज एव भारतीय राजनीति तत्र (६) भारत में गोहत्या का अग्रेजी मूल (७) भारत की लूट एव बदनामी (८) गाधी को समझें (९) भारत की परम्परा एव (१०) भारत का पुनर्बोध। सर्व प्रथम पुस्तक १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्रज्ञान' १९७१ में प्रकाशित हुई थी और अन्तिम पुस्तक भारत का पुनर्बोध सन् २००३ में। इनके विषय में तैयारी तो सन् १९६० से ही प्रारम्भ हो गई थी। इस प्रकार यह ग्रथसमूह चालीस से भी अधिक वर्षों के निरन्तर अध्ययन एव अनुसन्धान का परिणाम है।

२

विश्व में प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। यह पहचान उसकी जीवनशैली परम्परा मान्यताओं दैनन्दिन व्यवहार आदि के द्वारा निर्मित होती है। उसे ही सस्कृति कहते हैं।

सामान्य रूप से विश्व में दो प्रकार की विचारशैली व्यवहारशैली दिखती हैं। एक शैली दूसरों को अपने जैसा बनाने की आकाक्षा रखती है। अपने जैसा ही बनाने के लिए यह जबर्दस्ती शोषण कत्लेआम आदि करने में भी हिचकिचाती नहीं यहा तक की ऐसा करने में दूसरा समाप्त हो जाय तो भी उसे परवाह नहीं। दूसरी शैली ऐसी है जो सभी के स्वत्व का समादर करती है उनके स्वत्व को बनाए रखने में सहायता करती है। ऐसा करने में दोनों एक दूसरे स प्रभावित होती हैं और सहज परिवर्तन होता रहता है फिर भी स्वत्व बना रहता है।

यह तो स्पष्ट है कि इन दोनों में से पहली यूरोपीय अथवा अमेरिकी शैली है तो दूसरी भारतीय। इन दोनों के लिए क्रमश पाश्चात्य' और 'प्राच्य' ऐसी अधिक व्यापक

सज्ञा का प्रयोग हम करते हैं।

यह तो सर्वविदित है कि भारतीय सास्कृति विश्व में अति प्राचीन है। केवल प्राचीन ही नहीं तो समृद्ध सुव्यवस्थित सुसस्कृत और विकसित भी है।

परन्तु आज से ५०० वर्ष पूर्व यूरोप ने विस्तार करना शुरू किया। समग्र विश्व में फैल जाने की उसको आकाक्षा थी। विश्व के अन्य देशों के साथ भारत भी उसका लक्ष्य था। इग्लैण्ड में ईस्ट इडिया कम्पनी बनी। वह भारत में आई। समुद्रतटीय प्रदेशों मे उसने अपने व्यापारिक केन्द्र बनाए। उन केन्द्रों को किले का नाम और रूप दिया उनमें सैन्य भी रखा धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ प्रदेश जीतने और अपने कब्जे में लेने का काम शुरू किया साथ ही साथ ईसाईकरण भी शुरू किया। सन् १८२० तक लगभग सम्पूर्ण भारत अग्रेजों के कब्जे में चला गया।

भारत को अपने जैसा बनाने के लिए अग्रेजो ने यहाँ की सभी व्यवस्थाओं- प्रशासकीय और शासकीय सामाजिक और सास्कृतिक आर्थिक और व्यावसायिक शैक्षणिक और नागरिक को तोडना शुरू किया। उन्होंने नए कायदे कानून बनाए नई व्यवस्थाएँ बनाई सरचनाओं का निर्माण किया नई सामग्री और नई पद्धति की रचना की और जबरदस्ती से उसका अमल भी किया। यह भी सच है कि उन्होंने भारत में आकर जो कुछ किया उसमें से अधिकाश तो इग्लैण्डमें अस्तित्व में था। इसके कारण भारत दरिद्र होता गया। भारत में वर्ग सघर्ष पैदा हुए। लोंगो का आत्मसम्मान और गौरव नष्ट हो गया। मौलिकता और सृजनशीलता कुठित हो गई मूल्यों का ह्रास हुआ। *मानवीयता का स्थान यात्रिकता ने लिया और सर्वत्र दीनता व्याप्त हो गई। लोग स्वामी के* स्थान पर दास बन गए। एक ऐसे विराट राक्षसी अमानुषी व्यवस्था के पुर्जे बन गये जिसे वे बिल्कुल मानते नहीं समझते नहीं और स्वीकार भी करते नहीं थे क्योंकि यह उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था।

भारत की शिक्षाव्यवस्था की उपेक्षा करते करते उसे नष्ट कर उसके स्थान पर यूरोपीय शिक्षा लागू करने प्रतिष्ठित करने का कार्य भारत को तोडने की प्रक्रिया में सिरमौर था। क्योंकि यूरोपीय शिक्षाप्राप्त लोगों के विचार मानस व्यवहार दृष्टिकोण सभी कुछ बदलने लगा। उसका परिणाम सर्वाधिक शोचनीय और घातक हुआ। हमें गुलामी रास आने लगी। दैन्य अखरना बन्द हो गया। अग्रेजों का दास बनने में ही हमें गौरव का अनुभव होने लगा। जो भी यूरोपीय है वह विकसित है आधुनिक है श्रेष्ठ है और जो भी अपना है वह निकृष्ट है हीन है और लज्जास्पद है गया बीता है ऐसा हमें लगने लगा। अपनी शिक्षण सस्थाओं में हम यही मानसिकता और यही विचार एक के

बाद एक आनेवाली पीढी को देते गए। इस गुलामी की मानसिकता के आगे अपनी विवेकशील और तेजस्वी बुद्धि भी दब गई। यूरोपीय या यूरोपीय जैसा बनना ही हमारी आकाक्षा बन गई। देश को वैसा ही बनाने का प्रयास हम करने लगे। अपनी सरचनाएँ पद्धतिया सस्थाएँ वैसी ही बन गईं।

गाधीजी १९१५ में दक्षिण अफ्रिका से भारत आए तब भारत ऐसा था। उन्होंने जनमानस को जगाया उसमें प्राण फूके उसकी भावनाओं को अपने वाणी और व्यवहार में अभिव्यक्त कर भारत के लिए योग्य हजारों वर्षों की परम्परा के अनुसार व्यवस्थाओं गतिविधियों और पद्धतियों को प्रतिष्ठित किया और भारत को फिर से भारत बनाने का प्रयास किया। स्वतत्रता के साथ साथ स्वराज को भी लाने के लिए वे जूझे।

परतु स्वतत्रता मात्र सत्ता का हस्तान्तरण (Transfer of Power) ही बन कर रह गया। उसके साथ स्वराज नहीं आया। सुराज्य की तो कल्पना भी नहीं कर सकते।

आज की अपनी सारी अनवस्था का मूल यह है। हम अपनी जीवनशैली चाहते ही नहीं हैं। स्वतत्र भारत में भी हम यूरोप अमेरिका की ओर मुँह लगाये बेठे हैं। यूरोप के अनुयायी बनना ही हमें अच्छा लगता है।

परन्तु, यह क्या समग्र भारत का सच है ? नहीं भारत की अस्सी प्रतिशत जनसख्या यूरोपीय विचार और शैली जानती भी नहीं और मानती भी नहीं है। उसका उसके साथ कुछ लेना देना भी नहीं है। उनके रीतिरिवाज मान्यताए पद्धतिया सब वैसी की वैसी ही हैं। केवल शिक्षित लोग उन्हें पिछड़े और अधविश्वासी कहकर आलोचना करते हैं उन्हें नीचा दिखाते हैं और अपने जैसा बनाना चाहते हैं। यही उनकी विकास और आधुनिकताकी कल्पना है।

भारत वस्तुत तो उन लोगों का बना हुआ है उन का है। परन्तु जो बीस प्रतिशत लोग हैं वे भारत पर शासन करते हैं। वे ही कायदे-कानून बनाते हैं और न्याय करते हैं वे ही उद्योग चलाते हैं और कर योजना करते हैं। वे ही पढाते हैं और नौकरी देते हैं वे ही खानपान वेशभूषा भाषा और कला अपनाते हैं (जो यूरोपीय हैं) और उनको विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिष्ठित करते हैं। यहाँ के अस्सी प्रतिशत लोगों को वे पराये मानते हैं बोझ मानते हैं उनमें सुधार लाना चाहते हैं और वे सुधरते नहीं इसलिए उनकी आलोचना करते हैं। वे लोग स्वय तो यूरोपीय जैसे बन ही गए हैं दूसरों को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। वे जैसे कि भारत को यूरोप के हाथों बेचना ही चाहते हैं जिन लोगों का भारत है वे तो उनकी गिनती में ही नहीं हैं।

इस परिस्थिति को हम यदि बदलना चाहते हैं तो हमें अध्ययन करना होगा -

स्वय का अपने इतिहास का और अपने समाज का। भारत को तोड़ने की प्रक्रिया को जानना और समझना पड़ेगा। भारत का भारतीयत्व क्या है किसमें है किस प्रकार बना हुआ है यह सब जानना और समझना पड़ेगा। मूल बातों को पहचानना होगा। देश के अस्सी प्रतिशत लोगों का स्वभाव उनकी आकाक्षाएँ उनकी व्यवहारशैली को जानना और समझना पड़ेगा। उनका मूल्याकन पश्चिमी मापदण्डों से नहीं अपितु अपने मापदण्डों से करना पड़ेगा। उसका रक्षण पोषण और सवर्धन कैसे हो यह देखना पड़ेगा। भारत के लोगों में साहस सम्मान आत्मगौरव जाग्रत करना पड़ेगा। भारत के पुनरुत्थान में उनकी बुद्धि भावना कर्तृत्वशक्ति और कुशलताओं का उपयोग कर उन्हें सच्चे अर्थ में सहभागी बनाना पड़ेगा। यह सब हमें पाश्चात्य प्रकार की युनिवर्सिटियों से नहीं अपितु सामान्य अशिक्षित' अर्धशिक्षित' लोगों से सीखना होगा।

आज भी यूरोप बनने की इच्छा करनेवाला भारत जोरों से प्रयास कर रहा है और कुण्ठाओं का शिकार बन रहा है। भारतीय भारत उलझ रहा है छटपटा रहा है और शोषित हो रहा है। भाग्य केवल इतना है कि क्षीणप्राण होने पर भी भारतीय भारत गतप्राण नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी आशा है - उसे सही अर्थ में स्वाधीन बनाकर समृद्ध और सुसस्कृत बनाने की।

३

धर्मपालजी की इन पुस्तकों में इन सभी प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध विस्तृत निरूपण किया गया है। अग्रेज भारत में आए उसके बाद उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए किन चालबाजियों को अपनाया कैसा छल और कपट किया कितने अत्याचार किए और किस प्रकार धीरे धीरे भारत टूटता गया किस प्रकार बदलती परिस्थितियों का अवशता से स्वीकार होता गया उसका अभिलेखों के प्रमाणों सहित विवरण इन ग्रथों में मिलता है। इग्लैण्ड के और भारत के अभिलेखागारों में बैठकर रात दिन उसकी नकल उतार लेने का परिश्रम कर धर्मपालजी ने अग्रेज कलेक्टरों गवर्नरों वाइसरायों ने लिखे पत्रों सूचनाओं और आदेशों को एकत्रित किया है उनका अध्ययन कर के निष्कर्ष निकाले हैं और एक अध्ययनशील और विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है ऐसे साहस से स्पष्ट भाषा में हमारे लिये प्रस्तुत किया है। लगभग चालीस वर्ष के अध्ययन और शोध का यह प्रतिफल है।

परन्तु इसके फलस्वरूप हमारे लिए एक बड़ी चुनौती निर्माण होती है क्योंकि -

- आजकल विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से यह इतिहास भिन्न

है। हम तो अंग्रेजों द्वारा तैयार किए और कराए गए इतिहास को पढते हैं। यहाँ अंग्रेजों ने ही लिखे लेखों के आधार पर निरूपित इतिहास है।

- विज्ञान और तत्रज्ञान की जो जानकारी उसमें है वह आज पढाई ही नहीं जाती।
- कृषि अर्थव्यवस्था करपद्धति व्यवसाय कारीगरी आदि की अत्यत आश्चर्यकारक जानकारिया उसमें है। भारत को आर्थिक रूप में बेहाल और परावलम्बी बनानेवाला अर्थशास्त्र आज हम पढते हैं। यहाँ दी गई जानकारियों में स्वाधीन भारत को स्वावलम्बन के मार्ग पर चल कर समृद्धि की ओर ले जानेवाले अर्थशास्त्र के मूल सिद्धातों की सामग्री हमें प्राप्त होती है।
- व्यक्ति को किस प्रकार गौरवहीन बनाकर दीनहीन बना दिया जाता है इसका निरूपण है साथ ही उस सकट से कैसे निकला जा सकता है उसके सकेत भी हैं।
- सस्कृति और समाजव्यवस्था के मानवीय स्वरूप पर किस प्रकार आक्रमण होता है किस प्रकार उसे यत्र के अधीन कर दिया जाता है इसका विश्लेषण यहाँ है। साथ ही उसके शिकार बनने से कैसे बचा जा सकता है उसके लिए दृढता किस प्रकार प्राप्त होती है इसका विचार भी प्राप्त होता है।

यह सब अपने लिए चुनौती इस रूप में है कि आज हम अनेक प्रकार से अज्ञान से ग्रस्त हैं।

हमारा अज्ञान कैसा है ?

- शिक्षण विषय के वरिष्ठ अध्यापक सहजरूप से मानते हैं कि अंग्रेज आए और अपने देश में शिक्षा आई। उन्हें जब यह कहा गया कि १८ वीं शती मे भारत में लाखों की सख्या में प्राथमिक विद्यालय थे और चार सौ की जनसख्या पर एक विद्यालय था तो वे उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जब The Beautiful Tree दिखाया गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ (परन्तु रोमाच अथवा आनन्द नहीं हुआ।)
- शिक्षाधिकारी शिक्षासचिव शिक्षा महाविद्यालय के अध्यापक अधिकाशत इन बातों से अनभिज्ञ हैं। कुछ जानते भी हैं तो यह जानकारी बहुत ही सतही है।

यह अज्ञान सार्वत्रिक है केवल शिक्षा विषयक ही नहीं अपितु सभी विषयों में है।

इसका अर्थ यह हुआ कि हम स्वय को ही नहीं जानते अपने इतिहास को नहीं जानते स्वय को हुई हानि को नहीं जानते और अज्ञानियों के स्वर्ग में रहते हैं। यह स्वर्ग भी अपना नहीं है। उस स्वर्ग में भी हम गुलाम हैं और पश्चिममुखापेक्षी पराधीन बनकर रह रहे हैं।

४

इस सकट से मुक्त होना है तो मार्ग है अध्ययन का। धर्मपालजी की पुस्तकें अपने पास अध्ययन की सामग्री लेकर आई हैं हम सो रहे हैं तो हमें जगाने के लिए आई हैं जाग्रत हैं तो झकझोरने के लिए आई हैं दुर्बल हैं तो सबल बनाने के लिए आई हैं क्षीणप्राण हुए हैं तो प्राणवान बनाने के लिए आई हैं।

ये पुस्तकें किसके लिए हैं ?

ये पुस्तकें इतिहास अर्थशास्त्र समाजशास्त्र शिक्षाशास्त्र जिसे आज की भाषा में ह्यूमेनिटीज़ कहते हैं उसके विद्वानों चिन्तकों शोधकों अध्यापकों और छात्रों के लिए हैं।

ये पुस्तकें भारत को सही मायने में स्वाधीन समृद्ध सुसस्कृत बुद्धिमान और कर्तृत्ववान बनाने की आकाक्षा रखने वाले बौद्धिकों सामान्यजनों सस्थाओं सगठनों और कार्यकर्ताओं के लिए हैं।

ये पुस्तकें शोध करने वाले विद्वानों और शोधछात्रों के लिए हैं।

प्रश्न यह है कि इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद क्या करें ?

धर्मपालजी स्वय कहते हैं कि पढ़कर केवल प्रशसा के उद्गार अथवा पुस्तकों की सामग्री एकत्रित करने के परिश्रम के लिए लेखक को शाबाशी देना पर्याप्त नहीं है। उससे अपना सकट दूर नहीं होगा।

आवश्यकता है इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाने की भारत की १८ वीं १९ वीं शताब्दी से सम्बन्धित दस्तावेजों में से कदाचित पाच सात प्रतिशत का ही अध्ययन इस में हुआ है। अभी भी लन्दन के भारत की केन्द्र सरकार के तथा राज्यों के अभिलेखागारों में ऐसे असंख्य दस्तावेज अध्ययन की प्रतीक्षा में हैं। उन सभी का अध्ययन और शोध करने की योजना महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों शैक्षिक संगठनों और सरकार ने करना आवश्यक है। आवश्यकता के अनुसार इस कार्य के लिए अध्ययन और शोध की स्थानीय और देशी प्रकार की सस्थाए भी बनाई जा सकती हैं।

इसके लिए ऐसे अध्ययनशील छात्रों की आवश्यकता है। इन छात्रों को मार्गदर्शन तथा सरक्षण प्राप्त हो यह देखना चाहिये।

साथ ही एक साहसपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के इतिहास समाजशास्त्र अर्थशास्त्र आदि विषयों के अध्ययन मण्डल (बोर्ड ऑफ स्टडीज) और विद्वत् परिषदों (एकेडमिक काउन्सिल) में इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और पाठ्यक्रमों में इसके आधार पर परिवर्तन करना चाहिए। युनिवर्सिटी ग्रन्थ निर्माण बोर्ड इसके आधार पर सन्दर्भ पुस्तकें तैयार कर सकते हैं। ऐसा होगा तभी आनेवाली पीढी को यह जानकारी प्राप्त होगी। यह केवल जानकारी का विषय नहीं है यह परिवर्तन का आधार भी बनना चाहिए। आवश्यकता पडने पर इसके लिए व्यापक चर्चा जहा सम्भव है ऐसी गोष्ठियों एव चर्चा सत्रों का आोयजन करना चाहिए।

इसके आधार पर रूपान्तरण कर के जनसामान्य तक ये बातें पहुँचानी चाहिए। कथाएँ नाटक चित्र प्रदर्शनी तैयार कर उस सामग्री का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। इससे जनसामान्य के मन में स्थित सुषुप्त भावनाओं और अनुभूतियों का यथार्थ प्रतिभाव प्राप्त होगा।

माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय मे पढने वाले किशोर और बाल छात्रों के लिए उपयोगी वाचनसामग्री इसके आधर पर तैयार की जा सकती है।

ऐसा एक प्रबल बौद्धिक जनमत तैयार करने की आवश्यकता है जो इसके आधार पर सस्थाएँ निर्माण करे चलाये व्यवस्था का निर्माण करे। या तो सरकार के या सार्वजनिक स्तर पर व्यवस्था बदलने की और नहीं तो सभी व्यवस्थाओं को अपने नियत्रण से मुक्त कर जनसामान्यके अधीन करने की अनिवार्यता निर्माण करे। सच्चा लोकतत्र तो यही होगा।

बन्धन और जकडन से जन सामान्य की बुद्धि को मुक्त करनेवाली लोगों के मानस कौशल उत्साह और मौलिकता को मार्ग देने वाली उनमें आत्मविश्वास का निर्माण करनेवाली और उनके आधार पर देश को फिर से उठाया और खड़ा किया जा सके इस हेतु उसका स्वत्व और सामर्थ्य जगानेवाली व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है।

इन पुस्तकों के प्रकाशन का यह प्रयोजन है।

५

श्री धर्मपालजी गाधीयुग में जन्मे पले। गाधीयुग के आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया मीराबहन के साथ बापूग्राम के निर्माण में वे सहभागी बने।

महात्मा गाधी के देशव्यापी ही नहीं तो विश्वव्यापी प्रभाव के बाद भी गाधीजी के अतिनिकट के अतिविश्वसनीय गाधीभक्त कहे जाने वाले लोग भी उन्हें नहीं समझ सके कुछ ने तो उन्हें समझने का प्रयास भी नहीं किया कुछ ने उन्हें समझा फिर भी उन्हें दरकिनार कर सत्ता का स्वीकार कर भारत को यूरोप के तत्रानुरूप ही चलाया। उन नेताओं के जैसे ही विचार के लगभग दो चार लाख लोग १९४७ में भारत में थे (आज उनकी सख्या शायद पाँच दस करोड़ हो गई है)। यह स्थिति देखकर उनके मन में जो मथन जागा उसने उन्हें इस अध्ययन के लिये प्रेरित किया। लन्दन के और भारत के अभिलेखागारों में से उन्होंने असख्य दस्तावेज एकत्रित किए पढे उनका अध्ययन किया विश्लेषण किया और १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दी के भारत का यथार्थ चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जीवन के पचास साठ वर्ष वे इस साधना में रत रहे।

ये पुस्तकें मूल अंग्रेजी में हैं। उनका व्यापक अध्ययन होने के लिए ये भारतीय भाषाओं में हों यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। कुछ लेख हिन्दी में हैं और 'जनसत्ता' आदि दैनिक में और मंथन' आदि सामयिकों में प्रकाशित हुए हैं । मराठी तेलुगु, कन्नड आदि भाषाओं में कुछ अनुवाद भी हुआ है परन्तु सपूर्ण और समग्र प्रयास तो गुजराती में ही प्रथम हुआ है। और अब हिन्दी में हो रहा है।

इस व्यापक शैक्षिक प्रयास का यह अनुवाद एक प्रथम चरण है।

६

इस ग्रन्थ श्रेणी में विविध विषय हैं। इसमें विज्ञान और तत्रज्ञान है शासन और प्रशासन है लोकव्यवहार और राज्य व्यवहार है कृषि गोरक्षा वाणिज्य अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र भी है। इसमें भारत इंग्लैंड और अमेरिका है। परन्तु सभी का केन्द्रबिन्दु है *गाधीजी कॉंग्रेस सर्वसामान्य प्रजा और ब्रिटिश शासन।*

और उनके भी केन्द्र में है भारत।

अत एक ही विषय विभिन्न रूपों में विभिन्न सदर्भो के साथ चर्चा में आता रहता है। और फिर विभिन्न समय में विभिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार के श्रोताओं के सम्मुख और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं के लिये भाषण और लेख भी यहा समाविष्ट हैं। अत एक साथ पढने पर उसमें पुनरावृत्ति दिखाई देती है-विचारोंकी घटनाओं की दृष्टान्तों की। सम्पादन करते समय पुनरावृत्ति को यथासम्भव कम करने का प्रयास किया है। इसीके परिणाम स्वरूप गुजराती प्रकाशन में ११ पुस्तकें थीं और हिन्दी में १० हुई हैं। परतु विषय प्रतिपादन की आवश्यकता देखते हुए पुनरावृत्ति कम करना हमेशा सभव नहीं हुआ है।

फिर सर्वथा पुनरावृत्ति दूर कर उसे नये ढग से पुनर्व्यवस्थित करना तो वेदव्यास

का कार्य हुआ। हमारे जैसे अल्प क्षमतावान लोगों के लिये यह अधिकारक्षेत्र के बाहर का कार्य है।

अत सुधी पाठकों के नीरक्षीर विवेक पर भरोसा करके सामग्री यथातथ स्वरूप में ही प्रस्तुत की है।

यहा दो प्रकार की सामग्री है। एक है प्रस्तुत विषय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित यूरोप के अधिकारियों और बौद्धिकोंने प्रत्यक्षदर्शी प्रमाणों एव स्वानुभव के आधार पर विभिन्न प्रयोजन से प्रेरित होकर प्रस्तुत की हुई भारत विषयक जानकारी और दूसरी है धर्मपालजीने इस सामग्री का किया हुआ विश्लेषण उससे प्राप्त निष्कर्ष और उससे प्रकाशित ब्रिटिशरों के कार्यकलापों का कारनामों का अन्तरग।

इसमें प्रयुक्त भाषा दो सौ वर्ष पूर्व की अग्रेजी भाषा है सरकारी तत्र की है गैर साहित्यिक अफसरों की है उन्होंने भारत को जैसा जाना और समझा वैसा उसका निरूपण करनेवाली है। और धर्मपालजी की स्वय की भाषा भी उससे पर्याप्त मात्रा में प्रभावित है।

फलत पढते समय कहीं कहीं अनावश्यक रूप से लम्बी खींचनेवाली शैली का अनुभव आता है तो आश्चर्य नहीं।

और एक बात।

अग्रेजो ने भारत के विषय में जो लिखा वह हमारे मन मस्तिष्क पर इस प्रकार छा गया है कि उससे अलग अथवा उससे विपरीत कुछ भी लिखे जाने पर कोई उसे मानेगा ही नहीं यह भी सम्भव है। इसलिए यहाँ छोटी से छोटी बात का भी पूरा पूरा प्रमाण देने का प्रयास किया गया है। साथ ही इतिहास लेखन का तो यह सूत्र ही है कि नामूल लिख्यते किञ्चित् - बिना प्रमाण तो कुछ भी लिखा ही नहीं जाता। परिणामतः यहाँ शैली आज की भाषा में कहा जाए तो सरकारी छापवाली और पाण्डित्यपूर्ण है शोध करनेवाले अध्येता की है।

प्रमाणों के विषयमें तो आज भी स्थिति यह है कि इसमें ब्रिटिशरों के स्वय के द्वारा दिये गये प्रमाण हैं इसलिये पाठकों को मानना ही पडेगा इस विषय में हम आश्वस्त रह सकते हैं। (आज भी उसका तो इलाज करना जरूरी है।)

साथ ही पाठकों का एक वर्ग ऐसा है जो भारत के विषय में भावात्मक या भक्तिभाव पूर्ण बातें पढने का आदी है अथवा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया अर्थात् अमेरिका के दृष्टिकोण से लिखा गया विचार पढने का आदी है। इस परिप्रेक्ष्य में विषय सम्बन्धी पारदर्शी ठोस तर्कनिष्ठ प्रस्तुति हमें इस ग्रथवाली में प्राप्त है। अनेक विषयों

में अनेक प्रकार से हमें बुद्धिनिष्ठ होने की आवश्यकता है इसकी प्रतीति भी हमें इसमें होती है।

७

अनुवादकों तथा जिन जिन लोगों ने ये पुस्तकें मूल अंग्रेजी में पढ़ी हैं अथवा अनुवाद के विषय में जाना है उन सभी का सामान्य प्रतिभाव है कि इस काम में बहुत विलम्ब हुआ है। यह बहुत पहले होना चाहिये था। अर्थात् सभी को यह कार्य अतिमहत्त्वपूर्ण लगा है। सभी पाठकों को भी ऐसा ही लगेगा ऐसा विश्वास है।

अनुवाद का यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। एक तो दो सौ वर्ष पूर्व की अंग्रेज अधिकारियों की भाषा; फिर भारतीय परिवेश और परिप्रेक्ष्य को अंग्रेजी में उतारने और अपने तरीके से कहने के आयास को व्यक्त करने वाली भाषा और उसके ही रंग में रंगी श्री धर्मपालजी की भी कुछ जटिल शैली पाठक और अनुवादक दोनों की परीक्षा लेनेवाली है।

साथ ही यह भी सच है कि यह उपन्यास नहीं है गम्भीर वाचन है।

संक्षेप में कहा जाय तो यह १८ वीं और १९ वीं शताब्दी का दो सौ वर्ष का भारत का केवल राजकीय नहीं अपितु सांस्कृतिक इतिहास है।

८

इस ग्रंथावलि के गुजराती अनुवाद कार्य के श्री धर्मपालजी साक्षी रहे। उसका हिन्दी अनुवाद चल रहा था तब वे समय समय पर पृच्छा करते रहे। परन्तु अचानक ही दि २४ अक्टूबर २००६ को उनका स्वर्गवास हुआ। स्वर्गवास के आठ दिन पूर्व तो उनके साथ बात हुई थी। आज हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन के अवसर पर वे अपने बीच में विद्यमान नहीं हैं। उनकी स्मृति को अभिवादन करके ही यह कार्य सम्पन्न हो रहा है।

९

इस ग्रंथावलि के प्रकाशन में अनेकानेक व्यक्तियों का सहयोग एवं प्रेरणा रहे हैं। उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना हमारा सुखद कर्तव्य है।

अनेकानेक कार्यकर्ता एवं विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसरकार्यवाह माननीय सुरेशजी सोनी की प्रेरणा मार्गदर्शन आग्रह एवं सहयोग के कारण से ही इस ग्रंथावलि का प्रकाशन सम्भव हुआ है। अत प्रथमत हम उनके आभारी हैं।

सभी अनुवादकों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी समय सीमा में अनुवाद कार्य पूर्ण किया तभी समय से प्रकाशन सम्भव हो पाया। उनके परिश्रम के लिये हम उनके आभारी हैं।

यह ग्रथावलि गुजरात में प्रकाशित हो रही है। इसकी भाषा हिन्दी है। हिन्दी भाषी लोगों पर भी गुजराती का प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसका परिष्कार करने के लिये हमें हिन्दीभाषी क्षेत्र के व्यक्तियों की आवश्यकता थी। जोधपुर के श्री भूपालजी और इन्दौर के श्री अरविंद जावडेकरजी ने इन पुस्तकों को साद्यन्त पढ़कर परिष्कार किया इसलिये हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

अच्छे मुद्रण के लिये साधना मुद्रणालय ट्रस्ट के श्री भरतभाई पटेल और श्री धर्मेश पटेल ने भी जो परिश्रम किया है इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

पुनरुत्थान' के सभी कार्यकर्ता तो तनमन से इसमें लगे ही हैं। इन सभी के सहयोग से ही इस ग्रन्थावलि का प्रकाशन हो रहा है।

१०

सुधी पाठक देश की वर्तमान समस्याओं के निराकरण की दिशा में विचार विमर्श करते समय नई पीढी को इस देश के इतिहास में अंग्रेजों की भूमिका का सही आकलन करना सिखाते समय इस ग्रथावलि की सामग्री का उपयोग कर सकेंगे तो हमारा यह प्रयास सार्थक होगा।

साथ ही निवेदन है कि इस ग्रथावलि में अनुवाद या मुद्रण के दोषों की ओर हमारा ध्यान अवश्य आकर्षित करें। हम उनके बहुत आभारी होंगे।

इति शुभम् ।

सम्पादक

वसन्त पंचमी
युगाब्द ५१०८
२३ जनवरी २००७

विभाग १

विश्लेषण

प्राक्कथन

भारत में शिक्षापरपरा के इतिहास के बारे में अनेक विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ऐसी पुस्तकें विशेष कर सन् १९३० से १९५० के वर्षों में बड़ी मात्रा में प्रकाशित हुई थीं। वैसे तो १९वीं शताब्दी के मध्य भाग में कुछ विद्वान अंग्रेज अधिकारियों ने इस विषय पर लिखना आरभ किया था। शिक्षा के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अधिकाश लिखाई प्राचीन समय की या दसवीं और बारहवीं शताब्दी की शिक्षा पद्धति को केन्द्र में रखकर होती थी जबकि कुछ लेखन कार्य अंग्रेज शासन काल में और तत्पश्चात् के समय की शिक्षा पद्धति के सदर्भ में सपन्न हुआ है। इसी प्रकार तक्षशिला और नालदा जैसे प्राचीन विद्याधामों के बारे में भी अनेक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध हैं। श्री ए एस अलतेकर[1] लिखित पुस्तक में प्राचीन समय की शिक्षाव्यवस्था के बारे में विस्तृत विश्लेषण हुआ है। साथ ही भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सिलेक्शन फ्रॉम एज्युकेशनल रेकॉर्ड्स (Selection from Educational Records)[2] तथा नुरुल्ला और नाइक द्वारा लिखित पुस्तकों[3] में भी बाद के समय की शिक्षा के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होती है। नुरुल्ला और नाइक अपनी पुस्तक को विगत १६० वर्षों की भारतीय शिक्षा पद्धति के इतिहास का दस्तावेजी पुस्तक बताते हैं।[4] सन् १९३९ में प्रकाशित पडित सुखलालजी द्वारा लिखित बृहद ग्रन्थ[5] व्यापक क्षेत्र को अपने में समाविष्ट करता है फिर भी विषयवस्तु की दृष्टिसे उस पुस्तक का महत्व कम ही माना गया है। इस पुस्तक के ४० पृष्ठों के द डिस्ट्रक्शन ऑफ इण्डियन इन्डीजीनस एज्युकेशन (The Destruction of Indigenons Education) शीर्षक के ३६वें अध्याय में अंग्रेज सरकार के अनेक अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें ३ जून १८१४ को लदन से भारत के गवर्नर जनरल को लिख गए पत्र से लेकर मेक्समूलर के विचार तथा सन् १९०९ में अंग्रेज श्रमिक नेता कीर हार्डी की टिप्पणियों तक के लगभग सौ वर्ष के कालखड को ले लिया गया है। जिस समय वह पुस्तक लिखी गई तब की स्थिति और पुस्तक के अन्दर प्रस्तुत विभिन्न सदर्भों की मूल प्रतियों की उपलब्धि की सभावना अत्यल्प होने

के कारण लेखक को उपलब्ध प्रकाशित साहित्य के आधार पर ही वह पुस्तक लिखनी पड़ी थी। फिर भी १८वीं शताब्दी के अन्त तथा १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ के वर्षों में भारतीय शिक्षा परपरा के विषय में पुस्तक का यह अध्याय अत्यत महत्त्वपूर्ण माना गया है। फिर भी एक यथार्थ यह भी है कि १३वीं शताब्दी से लेकर १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ के समय तक की शिक्षा की स्थिति के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। तथापि मुस्लिम शिक्षा पद्धति के बारे में एस एम जफर[५] तथा और कुछ लेखकों की पुस्तकें प्राप्य हैं किन्तु अधिकाशत इस प्रकार के साहित्य में अग्रेज समय से लेकर १९वीं शताब्दी के आरभ के समय तक भारत की परपरागत शिक्षा पद्धति की हुई दुर्दशा का वर्णन केवल एक-दो अध्यायों में समाविष्ट कर दिया जाता है। नुरुल्ला और नाईक की पुस्तक में १९वी शताब्दी में भारतीय शिक्षाव्यवस्था के विनाश के बारे में ४३ पृष्ठों में चर्चा की गई है।

१९वीं शताब्दी के आरभ के समय में भारतीय शिक्षा पद्धति की परिस्थिति की चर्चा के लिए ये सभी लेखक सामान्यतया निम्नाकित स्रोतों का उपयोग करते रहे हैं।

(१) सन् १८३५ और १८३८ में बगाल और बिहार के कुछ जिलों में प्रचलित भारतीय शिक्षा पद्धति के बारें में अग्रेज अधिकारी और पूर्व पादरी विलियम एडम द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के बहु चर्चित विवरण।[७]

(२) सन् १८२०-३० के वर्षों में मुबई प्रात में भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में अग्रेज अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के प्रकाशित विवरण।[८]

(३) चेन्नई प्रान्त में भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में वर्ष १८२२-२५ में किए गए सर्वेक्षण के प्रकाशित विवरण।[९]

(४) जी डब्ल्यू लिटनर द्वारा इसी विषय मारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में पजाब प्रात में सम्पन्न सर्वेक्षण का विवरण।[१]

इन स्रोतों में लिटनर का विवरण सरकारी अभिलेखीय प्रमाण और उसने स्वय पजाब में किए हुए सर्वेक्षण पर आधारित है। उसके विवरण में वह पजाब में भारत की बुनियादी परपरागत शिक्षा की अवनति के लिये अग्रेजों की नीति को ही जिम्मेवार मानता है। इन नीतियों की वह खुलकर आलोचना भी करता है। उसी प्रकार एडम का अहवाल तथा चेन्नई प्रान्त के कुछ जिलाधीशों के अहवाल[११] भी उनके क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की अवनति के लिये अंग्रेजों को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। एडम ने अपने विवरण में एक अग्रेजी सज्जन एक अंग्रेज अधिकारी के गौरव के अनुरूप सौम्य भाषा

का प्रयोग किया है जबकि लिटनर ऐसी सौम्य भाषा प्रयुक्त कर नहीं पाया है इसीलिए ही वह अंग्रेज सज्जन' की श्रेणी में नहीं आता है।[१२]

२० अक्तूबर १९३१ के दिन लंदन की 'रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेर्स (Royal Institute of International Affairs) में महात्मा गांधी ने एक ऐतिहासिक प्रवचन दिया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि विगत ५०-१०० वर्षों में भारत में साक्षरता का अत्यंत ह्रास हुआ है और इसके लिए अंग्रेज ही जिम्मेवार हैं। गाँधीजी का यह कथन एडम लिटनर आदि ने दिये हुए निष्कर्ष तथा वर्षो तक भारतीयों के मानस में *अवस्थित संवेदनाओं का प्रतिबिंब था फिर भी गाँधीजी के* इस कथन को सर फिलिप हार्टोग नामक अंग्रेज ने वैयक्तिक रूप से तथा अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर चुनौती दी। ढाका विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के पद पर तथा अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कुछ समितियों के अध्यक्ष के तौर पर भी पहले हार्टोग ने यह कार्य किया था। गांधीजी के उस कथन के समर्थन में अभिलेखीय प्रमाण मांग कर हार्टोग ने स्वयं उन्हें ललकारा था।[१३] उस समय गांधीजी और उनके निकट के साथी जेल में थे। इससे गांधीजी की ओर से हार्टोग को प्रमाण पहुँचाए गए थे किन्तु उससे उसका समाधान नहीं हुआ और चार वर्ष बाद गांधीजी के कथनों को गलत सिद्ध करने *के एक मात्र आशय से लंदन विश्वविद्यालय के इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन'* (Institute of Education) में एक व्याख्यानश्रेणी में तीन व्याख्यान दिए। बाद में हार्टोग ने इन व्याख्यानों को Some Aspects of Indian Education Past and Present नामक शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया किन्तु गांधीजी को गलत सिद्ध करने में हार्टोग ने अपनी स्वयं की विवेकबुद्धि का थोड़ा भी उपयोग नहीं किया था। एक प्रामाणिक अंग्रेज की तरह पढ़ाए गए तोते की तरह हार्टोग केवल भारत में स्थित अंग्रेजों की नीतियों का समर्थन ही करता है। इससे पूर्व १२५ वर्ष पहले ब्रिटिश संसद में ऐसा ही वक्तव्य देकर विलियम विल्बरफोर्स[१४] नामक अंग्रेज ने *हार्टोग का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। हार्टोग से पूर्व उन्हीं के एक समकालीन डब्ल्यू,* एच मार्लेन्ड ने भी विन्सेन्ट स्मिथ के कथनों के लिए इसी प्रकार की आपत्ति खड़ी की थी। स्मिथ के आज भारत के कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति की अपेक्षा अकबर और जहांगीर के समय के कृषि मजदूरों की स्थिति बेहतर थी [१५] जैसे कथितों से यिदे मार्लेन्ड एक सेवा निवृत्त राजस्व अधिकारी से शीघ्र ही मानो भारत के अर्थतंत्रज्ञ[१६] अर्थशास्त्री की भूमिका में आ गए। वैसे भी पिछले २०० वर्षों में भारत और अन्य देशों में जाने अनजाने उठाए गए किसी भी कदम की आलोचना अंग्रेज सह नहीं सकते थे।

यह तथ्य सर्वज्ञात है ही।

इस पुस्तक में दिए गए अभिलेखीय सदर्भो में अधिकाश सदर्भ तो मेंद्राई प्रात में भारत की बुनियादी शिक्षा पद्धति के बारे में हुए सर्वेक्षणों से सबधित हैं। इस पुस्तक के लेखक ने इन अभिलेखों को सर्वप्रथम सन् १९६६ में देखा था। इन अभिलेखों के अश सन् १८३१- ३२ में ब्रिटन की ससद में प्रस्तुत किए गए थे। इससे इन सर्वेक्षणों पर कई शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन तथा शोधकार्य किए गए हों तो वह स्वाभाविक है किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि इन अभिलेखों की ओर किसी का ध्यान तक नहीं गया इतना ही नहीं बल्कि मेंद्राई विश्वविद्यालय ने अभी अभी स्वीकृत किए मेंद्राई प्रान्त के उसी समय से सम्बन्धित एक महाशोधनिबध में भी इन विवरणों का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ है।

इस पुस्तक के प्रकाशन का प्रयोजन अग्रेजों के शासन की कड़ी आलोचना करने का लेशमात्र नहीं है। यह पुस्तक तो १८वीं शताब्दी के अतिम चरण से १९वीं शताब्दी के प्रारमिक समय के भारत के यथार्थ चित्र को भारत के समाज को उसके रीत रिवाजों को और संस्थाओं को उनकी सिद्धियों को और मर्यादाओं को यथासभव समझने का लेखक का एक प्रामाणिक प्रयास मात्र है। इसी लेखक के पूर्व प्रकाशित साइस एण्ड टैक्नोलोजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी Indian Science and Technology in the Eighteenth Century)[१७] और सिविल डिसओबेडिअन्स इन इण्डियन ट्रेडिशन [१८] (Civil Disobedience in Indian Tradition) इन दोनों पुस्तकों की तरह यह पुस्तक भी भारत के एक विशेष आयाम को प्रकट करती है। इस पुस्तक में तत्कालीन भारतीय शिक्षापद्धति की प्रवर्तमान स्थिति की विस्तृत चर्चा और उस समय इंग्लैण्ड में प्रवर्तमान शिक्षा की परिस्थिति की तुलनात्मक चर्चा भी सक्षेप में की गई है।

विगत कुछ एक वर्षों में मेरे अनेक मित्र शुभेच्छकों ने इस पुस्तक की सामग्री में रुचि लेकर उस विषय में उपयोगी सूचनाएँ की हैं उसके लिए मैं उन सभी के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उनके सहयोग और प्रोत्साहन के बिना यह पुस्तक पूरी हो ही नहीं पाती। इसके अतिरिक्त मेरी कुछेक जिज्ञासाओं का समाधान कर देने के लिए मैं ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी का भी अत्यत ऋणी हूँ। उसी प्रकार हार्टोग और गाधी के बीच हुए पत्रव्यवहार की प्रतियाँ पहुचाने के लिए मैं 'इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी एण्ड रेकोर्ड्स' (India Office Library and Records) का विशेष करके श्री मार्टिन

मोईर का ऋणी हूँ। मुझे वर्ष १९७२-७३ के लए ए एन सिन्हा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोश्यल स्टडीज' (A.N Sinha Institute of Social Studies) पटना की सीनियर फेलोशिप प्राप्त हुई उसके लिए मैं सस्था का आभारी हूँ। उसी प्रकार जब भी मुझे आवश्यकता हुई तब मुझे सहायता करने के लिए मैं इन्स्टिट्यूट ऑफ गाधीअन स्टडीज वाराणसी (Institute of Gandhian Studies Varanasi) द गाधी पीस फाउन्डेशन (The Gandhi Peace Foundation) नई दिल्ली द गाधी सेवा सघ (The Gandhi Seva Sangh) सेवाग्राम और द एसोसिएशन ऑफ वोलन्टरी एजन्सीज़ फॉर रुरल डेवलपमेन्ट (THe Association of Voluntary Agencies for Rural Development) नई दिल्ली का भी आभारी हूँ।

चेन्नई प्रान्त से सबधित सामग्री प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम तो मैंने 'इण्डिया ओफिस लाइब्रेरी (India Office Library IOL) का सम्पर्क किया था किन्तु मुझे यह सामग्री तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्ज (पूर्व की चेन्नाई रेकोर्ड्स ऑफिस) (Tamil Nadu State Archives TNSA) द्वारा प्राप्त हुई थी। यह सामग्री तथा सहयोग देने के लिए बहुत ही उदारतापूर्वक और सहानुभूति के साथ विशेष परिश्रम करने के लिए मैं आर्काइव्ज के कर्मचारियों का अत्यत आभारी हूँ। परिशिष्ट में दी गई एलेकज़ेन्डर वॉकर की टिप्पणी के लिए मुझे वॉकर ऑफ बाउर्लेंड पेपर्स उपलब्ध करवाने के लिए मैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉट्लेन्ड एडिनबर्ग और दी उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्ज (UPSA) इलाहाबाद का भी आभारी हूँ।

इस पुस्तक का शीर्षक महात्मा गाधीजी के लदन स्थित चेथम हाउस में दिनाक २०-१०-१९३१ के दिन दिए गए प्रवचन से लिया गया है। इस प्रवचन में उन्होंने कहा था

अग्रेज जब भारत में आए तब उन्होंने यहा की स्थिति को यथावत् स्वीकार करने के स्थान पर उसका उन्मूलन करना शुरू किया। उन्होंने मिट्टी कुरेदी जड़ों को कुरेद कर बाहर निकाला और फिर उन्हें खुला ही छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा का वह रमणीय वृक्ष नष्ट हो गया।

पुस्तक का उपशीर्षक भी इसी प्रकार चयन किया गया है। वैसे तो चेन्नाई प्रात की सामग्री ही इस प्रकाशन का बड़ा अश बनती है। वह सामग्री चाहे सन् १८२२-२५ के वर्षों में सचित हुई हो किन्तु उसका सम्बन्ध तो इन वर्षों से भी बहुत पूर्व के समय की शिक्षा व्यवस्था के साथ है। १२वीं शताब्दी तक तो वह व्यवस्था अत्यत

प्रभावी रही थी परंतु एडम के विवरण से ज्ञात होता है कि १९वीं शताब्दी के चौथे दशक से यह सक्षम प्रभावी शिक्षा व्यवस्था का ह्रास होने लगा था।

१९ फरवरी १९८१

धर्मपाल
आश्रम प्रतिष्ठान
सेवाग्राम

सन्दर्भ

१ ए. एस अलतेकर 'एज्युकेशन इन एन्शियेण्ट इण्डिया' (Education in Ancient India) द्वितीय संस्करण बनारस १९४४

२ नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इण्डिया - 'सिलेक्शन फ्रोम एज्युकेशन रेकोर्ड्स' (National Archives of India Selection from Education Records) भाग १ २ एवं शार्प और जे ए रीची १९२० १९२२ पुनर्मुद्रण १९६५।

३ एस नरुल्ला तथा जे पी नाईक 'हिस्ट्री ऑफ एज्यूकेशन इन इण्डिया ड्यूरिंग दी ब्रिटिश पीरियड' (Histroy of Education in India During the British Period) मुंबई १९४३।

४ वही

५. 'भारत में अंग्रेजी राज' सन् १९२३ में यह पुस्तक पहली बार हिन्दी में प्रकाशित हुई तब उस पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी। बाद में सन् १९३९ में यह पुस्तक तीन खण्डों में पुनः प्रकाशित हुई। यह पुस्तक इस विषय का उत्कृष्ट प्रकाशन माना गया है। उस में भारत में अंग्रेजों के शासन और उसके सन् १८६० तक के दुष्परिणामों का विशद विश्लेषण किया गया है। यह पुस्तक अनेक स्वातंत्र्य सेनानी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ शिक्षा शास्त्री आदि के लिए प्रेरणास्रोत बन गई थी।

६ एस एम जफर 'एज्यूकेशन इन मुस्लिम इण्डिया (Education in Muslim India) पेशावर १९३६।

७ विलियम एडम रिपोर्ट्स ऑफ दी स्टेट ऑफ एज्यूकेशन इन बैंगाल (Reports of the State of Education in Bengal) १८३५ एण्ड १८३८ सं अनंतनाथ बासु, कोलकता पुनर्मुद्रण १९४१

८ हाऊस ऑफ कोमन्स पेपर्स (House of commons Papers) १८३१ ३२ भाग ९

९ वही पृ ४१३ १७ ५०० ५०७।

१० जी डब्ल्यू लीटनर हिस्ट्री ऑफ इन्डीजीनस एज्युकेशन इन दी पंजाब' (History of Indigenous Education in the Punjab) पुनर्मुद्रण भाषा विभाग पंजाब पटियाला १९७३।

११ प्रकरण ३ १ से ३०

१२ फिलिप हार्टोग 'सम आस्पेक्टस ऑफ इण्डियन एज्युकेशन पास्ट एण्ड प्रेजन्ट' (Some Aspects of Indian Education Past and Present) औयुपी १९३९ पृ ८

१३ इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी MSS EUR D-551 हार्टोग टु महात्मा गाधी २१ १० १९३१ (India Office Library Hartog to Mahatma Gandhi)

१४ हेन्सर्ड (Hansard) जून २२ जुलाई १ १८१३

१५ विन्सेन्ट स्मिथ अकबर द ग्रेट मोगल' (Akbar the Great Mogul) क्लेरेन्डन प्रेस १९१७ पृ ३९४

१६ 'जर्नल ऑफ दी रॉयल एशियाटिक सोसायटी लंदन १९१७ पृ ८१५ ८२५ (Journal of the Royal Asiatic Society)

१७ १८वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान और तन्त्रज्ञान' पुनरुत्थान ट्रस्ट २००७

१८ भारतीय परम्परा मे असहयोग' पुनरुत्थान ट्रस्ट २००७

प्रस्तावना

भारतीय इतिहास से सबंधित विगत कुछेक दशकों का ज्ञान अधिकांशतः विदेशी लेखकों के द्वारा लिखे गए लेख एव पुस्तकों के माध्यम से हमें प्राप्त होता रहा है। इससे स्वाभाविक रूप से ही गत पाच शताब्दियों में प्रचलित भारतीय शिक्षा के परिदृश्य की जानकारी के लिए भी हमें विदेशी लेखकों पर ही आधार रखना पड़ा है। आज हम तक्षशिला या नालदा जैसे विद्याधामों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं इससे उन पर हम प्रशसा की पुष्पवर्षा करते हैं। इसका रहस्य तो यह है कि सदियों पूर्व ग्रीक या चीनी यात्रियों ने अपने भारत भ्रमण के दौरान की हुई टिप्पणियों में इन विद्याधामों की मुक्त रूपसे प्रशसा की थी और हमारे सौभाग्य से वे यात्रा वृत्तान्त आज भी उपलब्ध हैं। साथ ही इन यात्रियों ने स्वदेश लौटकर अपने समकालीनों के सम्मुख हमारे विद्याधामों के बारे में विस्तार से वर्णन किए थे जो परपरा से आज हम तक पहुँचे हैं।

ईसा की १५वीं और विशेष रूप से १६वीं शताब्दी में एक अन्य प्रकार के ही यात्रियों ने तथा साहसिकों ने भारतभ्रमण किया था। सदियों से जो भी विदेशी यात्री भारतभ्रमण के लिए आते थे उनका भारत के साथ कोई सीधा सबंध तो था नहीं साथ ही वे पूर्ण रूप से भिन्न समाज संरचना तथा जलवायु से आये थे। अतः भारत की परपराएँ रीतिरिवाज धर्म दर्शन ज्ञान के भण्डार शिल्प स्थापत्य समृद्धि तथा शिक्षापद्धति उनके अपने प्रदेश से उनकी मान्यताओं से व अनुभवों से उन्हें एकदम अलग ही लगती थी।

सन् १७०० के पहले से ही अंग्रेज तो भारत के वैधानिक शासक बन बैठे थे। यह पुस्तक भी अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित लेखों और वृत्तांतों पर ही आधारित है। वास्तव में तो अग्रेजों को भारत का शासन करने में रुचि थी ही नहीं उन्हें तो यहाँ के व्यापार तथा तत्रज्ञान में ही रुचि थी। परन्तु उन्होंने यहाँ की राज्यव्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया और उसमें स्थित कमियों से फायदा उठाकर भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाया। प्रारम्भ के वर्षों में भारत के धर्म तत्त्वज्ञान ज्ञान साहित्य या शिक्षा प्रथा में

अंग्रेजों को लेशमात्र भी रुचि नहीं थी। तथापि पारसी समाज तथा सूरत के बनिया समाज के बारे में अंग्रेजों ने जो लिखा था उस पर ध्यान देना चाहिए।

भारत के प्रति अंग्रेजों के ऐसे उपेक्षा भाव का एक कारण यह था उनकी भारत से कुछ और प्रकार की अपेक्षाएँ थीं। किन्तु इसका मुख्य कारण यह था कि इस अवधि में अंग्रेज धर्म तत्त्वज्ञान ज्ञान और साहित्य के भण्डारों के प्रति या शिक्षापद्धति जैसी व्यवस्थाओं के प्रति स्वभावत उदासीन थे। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इग्लैण्ड में इस समय में अर्थात् १६वीं से १८वीं शताब्दी में इन क्षेत्रों में शून्यावकाश था। यथार्थ यह है कि शैक्सपियर फ्रान्सिस बेकन तथा मिल्टन जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक भी इस कालखण्ड में हुए थे। साथ ही ऑक्सफर्ड केम्ब्रिज तथा एडिनबर्ग जैसे प्रख्यात विश्वविद्यालयों का प्रारम भी १३वीं - १४वीं शताब्दी में ही हो गया था। जबकि १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इग्लैण्ड में पाँच सौ जितनी पाठशालाएँ (Grammar Schools) चलती थीं किन्तु ज्ञान की क्षितिज केवल उच्च कुल के लोगों तक ही सीमित थीं। १६वीं शताब्दी के धर्म सुधार आदोलन-प्रोटेस्टट क्राति के परिणाम स्वरूप जब अधिकाश ईसाई मठों पर राज्य का अधिकार स्थापित हुआ तब यह यथार्थ उद्घाटित हुआ। ए इ डोब्ज ने लिखा है कि 'प्रोटेस्टट क्राति से पूर्व निर्धनों के लिए अग्रगण्य धर्मार्थ शिक्षा सस्था तथा इग्लैण्ड की प्रमुख ग्रामर पाठशाला के तौर पर तथा धर्मशास्त्र न्यायशास्त्र और वैद्यकशास्त्र की शिक्षा की श्रेष्ठ सस्था के तौर पर ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी बहुत ही विख्यात थी।[1] जहाँ शिक्षा निःशुल्क नहीं थी वहाँ निर्धन विद्यार्थियों को इस विद्याधाम में शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु उनके लिए नि शुल्क शिक्षा भोजन तथा निवास की विशेष व्यवस्था की जाती थी।[2] साथसाथ इग्लैण्ड के एक कानून के प्रावधान के अनुसार जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं है तथा वर्ष में २० शिलिंग किराया नहीं चुका सकता है ऐसा कोई व्यक्ति अपनी सतानों को कहीं भी काम सीखने के लिए नहीं रख सकता था परन्तु साहित्य के अध्ययन के लिए पाठशाला में भेज सकता था।[3]

१६वीं सदी के मध्य भाग में उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के कारण इग्लैण्ड में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें आदेश था कि गिरजाघरों में अंग्रेजी बाईबल का पठन नहीं हो सकता'। व्यक्तिगत तौर पर बाइबल पढने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के लोग तथा जमीनदारों के लिए ही मान्य था जबकि कारीगर वर्ग नौकरीपेशा लोग कामसीखिये तथा छोटे किसान या उनसे निम्नवर्ग के लोग आदि को बाइबल के पठन से पूर्णत वंचित कर दिया गया था जिससे धर्मशास्त्रों के स्वच्छन्द उपयोग से निर्माण

होनेवाली अव्यवस्थाओं को कम किया जा सके [४] ऐसे प्रावधानों के कारण 'कृषक मजदूर की संतान के लिए किसानी मज़दूरी करना कारीगर के संतानों के लिए उनके परंपरागत व्यवसाय को अपनाना तथा उच्च कुल में जन्म लेनेवालों को राज्यव्यवस्था का अध्ययन करके शासन करना ही स्थितिप्राप्त था। क्योंकि देश को कृषि मज़दूरों की भी आवश्यकता थी और फिर सभी प्रकार के लोग तो विद्यालय में जा भी नहीं सकते थे। [५]

तथापि १७वीं शताब्दी के अन्त भाग मे ऐसी भेदभावपूर्ण व्यवस्थामें शनै शनै परिवर्तन आने लगा और साधारण वर्ग के लोगों के लिए धर्मार्थ शालाओं (Charity Schools) का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार के विद्यालय शुरू करने का आशय श्रमिक वर्ग के लोग शिक्षा के माध्यम से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की तैयारी करें और विशेष रूप से 'वेल्स में ये निर्धन लोग रविवार की प्रार्थना में बाइबल का पठन कर सकें' यह था।[६]

हालांकि ऐसे विद्यालय खोलने का आंदोलन सफल नहीं रहा और सन् १७९० के आसपास ऐसे विद्यालयों का स्थान 'रविवारीय विद्यालयों (Sunday Schools) ने लिया।[७] इस काल में प्राथमिक शिक्षा भी मिशनरी गतिविधियों का एक हिस्सा माना गया था।

अतः प्रत्येक बच्चा बाइबल पढ़ना सीखे का सूत्र प्रचलित हुआ।[८] रविवारीय प्रार्थना में सम्मिलित होने की अपेक्षा के कारण रविवारीय शाला को गति प्राप्त हुई।[९] तत्पश्चात् दिवसीय विद्यालयों की भी आवश्यकता महसूस हुई और इस प्रकार विद्यालय शिक्षा' के कार्यक्रम को गति प्राप्त हुई। हालांकि सन् १८३४ तक 'राष्ट्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम भी धार्मिक शिक्षा पठन लेखन तथा अंकज्ञान तक सीमित थे जब कि कई ग्रामीण शालाओं में अनिष्ट परिणामों की आशंका से लेखनकार्य नहीं होता था। [१]

सन् १८०२ में पील के कानून (Peel's Act) के कारण दिवसीय विद्यालय की योजना को गति प्राप्त हुई। इस कानून के प्रावधान के तहत बच्चों को सीखिए के रूप में काम पर रखनेवाले व्यक्ति को सीखने के सात वर्षों में से प्रथम चार वर्षों में लिखाई पढ़ाई तथा अंकज्ञान की आवश्यक शिक्षा प्राप्त हो यह देखना था। ये बच्चे प्रत्येक रविवार को गिरजाघर में उपस्थित रहें और एक घण्टे की धार्मिक शिक्षा प्राप्त करें इसका भी ध्यान रखना आवश्यक था। [११] यह कानून न तो लोकप्रिय बना न इसका प्रभाव पड़ा।[१२] इसी समय में जोसेफ लैन्केस्टर और एन्ड्र्यू बेल के द्वारा

प्रचलित की (और भारत की शिक्षा पद्धति के रूप में जानी जाने वाली)[१३] वरिष्ठ छात्र पद्धति (Monitorial Method) के कारण शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप सन् १७९२ में लगभग छात्रों की संख्या ४० ००० से बढ़कर सन् १८१८ में ६ ७४ ८८३ और सन् १८५१ में २१ ४४ ३७७ तक पहुँच गई। सन् १८०१ में सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयों की संख्या ३ ३६३ थी जो बढ़कर सन् १८५१ में ४६ ११४ तक पहुँच गई।[१४]

प्रारंभ में तो अच्छे शिक्षक कम ही मिलते थे। लेन्केस्टर टिप्पणी करते हैं कि *शिक्षक केवल अज्ञानी ही नहीं शराबी भी थे।* [१५] विद्यालय में शिक्षा की अवधि के विषय में डोब्ज लिखते हैं कि विद्यालय में उपस्थिति विषयक अनियमितता के कारण सन् १८३५ में साधारण रूप में जो शिक्षा एक वर्ष में दी जाती थी वह सन् १८५१ आते आते बढ़कर दो वर्ष में दी जाने लगी। [१६]

१८वीं शताब्दी में सार्वजनिक विद्यालयों की स्थिति बिगड़ गई थी। जनवरी १७९७ में श्रुसबरी के *एक सुप्रसिद्ध विद्यालय में भी छात्रों की संख्या केवल ३ या ४* से अधिक नहीं थी और अनेक प्रयास करने के बाद १७९८ में यह संख्या २० तक हो गई थी। एटन के विद्यालय में लेखन और अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी और अंग्रेजी और लेटिन की अनेक पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं। पाँचवीं कक्षा के छात्रों को भूगोल तथा बीजगणित की शिक्षा दी जाती थी। दीर्घ काल तक एटन में रहकर अध्ययन करनेवाले छात्रों को सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी। सन् १८५१ के बाद गणित को शिक्षा में एक नियमित विषय का स्थान प्राप्त हुआ। इससे पूर्व के वर्षों में गणित के शिक्षक का पद अन्य विषयों के शिक्षकों के पद से निम्न माना जाता था।

सन् १८०० तक विद्यालयों में दी जानेवाली प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना आम लोगों के लिए साधारण बात नहीं थी। तथापि तक्षशिला या नालंदा विद्यापीठों का या बाद में १८वीं शताब्दीमें नवद्वीप[१७] का जो महत्त्वपूर्ण स्थान भारत में था लगभग वही स्थान इग्लैण्ड में ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों का था और सन् १७७३ के बाद इग्लैण्ड से जो भी व्यक्ति प्रवासी अध्येता या न्यायाधीश के रूप में भारत में आए उनमें से अधिकांशत इन तीन में से किसी एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हुए थे।[१८]

इस संदर्भ में सन् १८०० के काल के ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी में प्राप्य *पाठ्यक्रमों के ब्यौरे तथा अन्य आंकड़े*[१९] *जानना रोचक रहेगा। यह जानकारी कैम्ब्रिज* तथा एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों के लिए उतनी ही लागू है यह स्वाभाविक रूप से कहा

जा सकता है रोम के साथ इग्लैण्ड की मित्रता के सबधों का अत होने से ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी का जिस प्रकार से विकास हुआ वह हमें सन् १५४६ से लेकर विभिन्न विषयों में प्राध्यापकों की जिस प्रकार से आवश्यकता निर्माण हुई उससे ज्ञात होता है। इसके आकड़े इस प्रकार हैं -

वर्ष	विषय प्राध्यापकों के स्थान
१५४६	हेनरी ८ ने पाच स्थान निर्माण किए १ डिविनिटी २ सिविल लॉ ३ मेडिसिन ४ हिब्रू, ५ ग्रीक
१६१९	भूमिति और खगोलशास्त्र
१६२१	नैसर्गिक तत्वज्ञान
१६२१	नैतिक दर्शनशास्त्र (बदलीक १७०७ से १८२९)
१६२२	प्राचीन इतिहास (हिब्रू और यूरोप)
१६२४	व्याकरण वक्तृत्वकला गूढ विद्या प्रचलित न होने के कारण से उसके स्थान पर १८३९ से तर्कशास्त्र शरीररचनाशास्त्र
१६२६	सगीत
१६३६	अरेमिक
१६६९	वनस्पतिशास्त्र
१७०८	काव्य
१७२४	अर्वाचीन इतिहास और अर्वाचीन भाषाएँ
१७४९	प्रायोगिक तत्वज्ञान
१७५२	सामान्य कानून
१७८०	चिकित्साशास्त्र
१७९५	एंग्लो सेक्सन (भाषा साहित्यादि)
१८०३	रसायनशास्त्र

१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ऑक्सफर्ड में नौ महाविद्यालय तथा पाँच बड़े छात्रालय (Halls) थे। महाविद्यालयों में लगभग ५०० छात्र विभिन्न विषयों पर शोध कार्य कर रहे थे। इन छात्रों में कुछ तो महाविद्यालयों में अध्यापन भी करते थे। सन् १८०० में १९ प्राध्यापकों की संख्या १८५४ में बढ़कर २५ तक हो गई। यहाँ धर्मशास्त्र तथा प्रशिष्ट साहित्य मुख्य विषय के तौर पर पढ़ाए जाते थे। प्रशिष्ट साहित्य में ग्रीक तथा लेटिन भाषा-साहित्य नैतिक तत्वज्ञान वक्तृत्व कला तर्कशास्त्र तथा

गणित भौतिक विज्ञान जैसे विषयों का समावेश होता था और विधि वैद्यकशास्त्र तथा भूस्तरशास्त्र आदि पर व्याख्यान भी आयोजित किए जाते थे। सन् १८०५ के बाद इस विश्वविद्यालय में छात्रों की सख्या बढ़ती गई और उस समय की ७६० की सख्या बढ़कर १८२०-२४ के वर्षों में १ ३०० तक पहुँच गई।

ऑक्सफोर्ड स्थित महाविद्यालयों में आमदनी के मुख्य स्रोतों में भूमि के स्वरूप में प्राप्त दान तथा छात्रों से प्राप्त आय थी। इस आमदनी की मात्रा हर महाविद्यालय में अलग अलग रहती थी। सन् १८५० में चार वर्ष की शिक्षा के लिए एक विद्यार्थी का औसत व्यय लगभग ६०० से ८०० पाउँन्ड होता था।[२०]

१६वीं शताब्दी के अत से लेकर १७वीं शतादी के आरम के वर्षों में जब अग्रेज एव अन्य यूरोपीय प्रजा प्रत्यक्ष रूप में या तो व्यापार के माध्यम से भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने में व्यस्त थी तब समूचे यूरोप के विद्वान यहाँ की सस्कृति के विभिन्न आयामों के अध्ययन में प्रवृत्त थे। इन अध्येताओ में ईसाई पादरियों के सघो का भी समावेश था। ऐसे सघों में जेस्युइट पादरियों के सघों ने भारतीय सस्कृति में गहरी जिज्ञासा से प्रेरित होकर अध्ययन किया था। इन पादरियों को भारत के विज्ञान सामाजिक व्यवस्था तत्वज्ञान और धर्मशास्त्रों में विशेष जिज्ञासा थी। और कई विद्वानों का राजनीति इतिहास और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों के प्रति लगाव था। बहुत से अध्येताओं ने अपने खट्टे मीठे अनुभवों के बहुत ही रोचक वर्णन किए हैं। यही नहीं तो यूरोप के उच्च श्रेणी के लोगों को इन विषयों में लगाव होने से ये वर्णन यूरोप की अनेक भाषाओं में भी प्रकाशित हुए थे। इन वर्णनों पर चर्चा की स्थिति सीमित होते हुए भी इन विषयों के धार्मिक तथा शैक्षिक अध्ययन परिदृश्य महत्त्वपूर्ण होने के कारण लोग इन वर्णनों की हस्तलिखित प्रतियाँ भी बना लेते थे।[२१]

२

१८वीं शताब्दी के मध्यसे लेकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य प्रदेशों के बारे में लिखित सामग्री भरपूर होने के कारण यूरोप में भारत को जानने की काफी जिज्ञासा जगी और चर्चाएँ होने लगीं। उसमें भी भारत की राजनीति तत्वचिंतन विज्ञान और विशेष कर खगोलविज्ञान जैसे विषयों में यूरोप के वॉल्टेर एव रेनाल जीन बेईली जैसे अनेक विद्वानों ने गहरी रुचि ली थी। स्वाभाविक रूप में ही इग्लैण्ड के जिज्ञासुओं को भी इस विद्याकीय क्षेत्र में जिज्ञासा बढ़ती ही गई। इन जिज्ञासुओं में से अधिकाश एडिनबर्ग युनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए थे और उनमें भी

एडम फर्ग्युसन विलियम रोबर्टसन ज्होन प्लेफेअर[२२] और ए मेकनोशी आदि मुख्य थे। इनमें से एडम फर्ग्युसन का एक विद्यार्थी ज्होन मेयफर्सन तो भारत में एक उच्च सरकारी अधिकारी था। फर्ग्युसन ने उसे भारत की राज्य व्यवस्था की सारी जानकारी इकट्ठी करने को कहा तथा इसके लिए कोई एक नगर या जिला पसद करके उसकी जनसख्या उसकी विविध जातियाँ वर्ग उनके व्यवसाय लोगों की जीवनशैली वे आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं श्रमिकों द्वारा सरकार और साहूकार किस प्रकार धन-सचय करते हैं वह सब ब्यौरा इकट्ठा करने के लिए कहा था। इसका प्रयोजन स्पष्ट करते हुए कहा था कि वह ऐसा व्यक्ति है जो भारत से इस देश में (इग्लैण्ड में) ज्ञान का प्रकाश ला सकता है।[२३]

सन् १७८३ में और फिर पुन सन् १७८८ में ए मेकनोशी यही बात करता है। वह बताता है 'गगा के प्रदेश के हमारे राजाने हिन्दुओं के प्राचीन ग्रंथों को खोजकर इकट्ठे कर उन सभी का अनुवाद करने के लिए जो भी व्यवस्था आवश्यक है करनी चाहिए।[२४] ऐसा कहने में उसका आशय स्पष्ट था। वह जानता था कि हिन्दुओं की ये सब प्राचीन रचनाएँ प्राप्त करके अग्रेज समूचे यूरोप में खगोलशास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ कर पाएगा। वह लिखता है हिन्दुओं की प्राचीन परपराएँ इतिहास साहित्य बोधकथाएँ आदि समस्त प्राचीन विश्व के इतिहास को उद्घाटित कर सकता है। मोजेजने जिनसे ज्ञान प्राप्त किया था तथा ग्रीस ने जिनसे धर्म और कलाएँ सीखी थी उन विद्वानों की सस्थाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेकनोशी विशेष में कहता है प्राय सभी विद्याओं का केन्द्र वाराणसी नगरी थी। आज भी वहाँ सभी शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। आज भी वहाँ खगोलशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त हैं।[२५]

उस समय शासन व्यवस्था के तहत इग्लैण्ड से भारत में आए अनेक उच्च अधिकारियों के मनमें भी इसी प्रकार के विचार प्रवाह चलते थे। परिणाम स्वरूप उनमें से कुछ अग्रेज अधिकारियों ने इस दिशा मे भी कार्य किया था। विशेषत एडम फर्ग्युसन के कथनों की प्रेरणा से किए गए कार्य के फलस्वरूप हिन्दू कानून मुस्लिम कानून सपत्ति विषयक कानून आदि के सदर्भ से युक्त पुस्तकें लिखी गई। इस कार्य में सहयोगी बनने की दृष्टि से कई अग्रेजोंने सस्कृत तथा पर्शियन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इससे शासन करने का उनका लक्ष्य सिद्ध करने में क्या ठीक है क्या नहीं इस बात का ज्ञान उन्हें मिलता था। ऐसे अंग्रेज अधिकारियों में चार्ल्स विल्किन्सन विलियम जोन्स एफ डब्ल्यु एलिस तथा विल्फ्रेड आदि ने संस्कृत और अन्य भारतीय

भाषाओं का गहन अध्ययन किया था।

सन् १७७० के बाद अंग्रेजों के अधीन भारत के प्रदेशों में भारत के ज्ञान भण्डार शास्त्र तथा विद्याधामों का एकदूसरे से भिन्न तीन कारणों से अध्ययन हो रहा था। प्रथम तो भारत में अंग्रेजों के शासन का क्षेत्रविस्तार हो रहा था अत प्रजा का विश्वास प्राप्त करने के लिए और एडम फर्ग्युसन जैसे विद्वानों के परामर्श से अंग्रेजों ने भारत की परपराओं का अध्ययन आरभ किया था। इस के फलस्वरूप ही ब्रिटिश इन्डोलॉजी' जैसे विषय का जन्म हुआ।

भारतीय शास्त्रों के अध्ययन का दूसरा कारण प्रो मेकनोशी जैसे एडिनबर्ग युनिवर्सिटी के प्रबुद्ध विद्वान का विचार था। इन विद्वानों को अपने अनुभव एव चिंतन के परिणाम स्वरूप लगातार यह भय सता रहा था कि किसी भी सस्कृति पर आक्रमण करके उसका विनाश करने से केवल सस्कृति का ही नाश नहीं होता अपितु उनके ज्ञान भण्डार भी नष्ट होते हैं। इसलिए ये विद्वान जो भी ग्रन्थ प्राप्त थे तथा जो ग्रन्थ वाराणसी जैसे विद्याधामों से प्राप्त हो सकते थे उन सभी ग्रन्थों को लिखित रूप में सुरक्षित रखने के पक्ष में थे।

तीसरा कारण यह था कि अंग्रेजों ने अपने देश इग्लैण्ड में जो प्रयोग किया था वही प्रयोग वे भारत में करना चाहते थे। यह प्रयोग था लोगों को ईसाई मत के झण्डे के नीचे लाने का। इस हेतु यहाँ के लोगों की भाषा में ईसाई विचारधारा को प्रस्तुत करना आवश्यक था। इसलिए भी भारत की विविध भाषाएँ रीति-रिवाज आदि से परिचित होना अनिवार्य था। विलियम विल्बरफोर्स ने लिखा था 'ईसाई मत के पूर्ण प्रसार के लिए प्रादेशिक भाषाओं मे पवित्र धर्मग्रन्थों का वितरण होना सार्थक सिद्ध होगा। ऐसा होने से भारतीय अपने आप ईसाई बन जाएँगे। [२६]

इन्हीं कारणों से अंग्रेजों ने भारत मे सस्कृत और पर्शियन महाविद्यालयों की स्थापना की। साथ ही शासन व्यवस्था में उपयोगी होनेवाले ग्रन्थों का या उनके उपयोगी अशों का अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्हें प्रकाशित किया। साथ ही ईसाई मिशनरियों ने विद्यालय शुरु किए। साथ में भारत की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी वे बारी बारी से कुछ न कुछ लिखते रहे। यथार्थ यह था कि अंग्रेजों को भारत के लोग और उनकी साक्षरता के बारे में कोई चिन्ता नहीं थी। फिर भी अंग्रेजों को भारत के प्राचीन शास्त्रों में उनकी जिज्ञासा के कारण एक लाभ अवश्य हुआ। लाभ यह था कि सामान्य लोग भी इन ग्रन्थों के लिए वे जो कुछ भी करते उनमें अपनी सम्मति दे देते थे। इस प्रक्रिया में जो ईसाई बनने के लिए प्रस्तुत होते थे

उनका यथाशीघ्र मतान्तरण करवा देना भी अंग्रेजों का लक्ष्य था। इस पद्धति से किए गए मतान्तरण से उनके कई राजकीय प्रयोजन भी सिद्ध होते थे। उनके ध्यान में यह भी आया कि ईसाईकरण से शासन और प्रजा के बीच एक सेतु स्थापित होता था। वैसे भी ब्रिटिश सत्ताधीशों के सभी निर्णयों के पीछे आरम से ही एक बुनियादी अभिगम तो था ही। वह अभिगम था सरकार की आमदनी बढ़ाना। सरकार की आमदनी में वृद्धि के लिए हमेशा नये नये स्रोत निर्माण करने का आदर्श भी था। सन् १८१३ में इग्लैण्ड के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की मूल शिक्षा परपरा के विषय में विस्तार से चर्चा हुई थी। इस चर्चा में भारत में धार्मिक और नैतिक सुधार'[२७] का विचार प्रमुख था।

३

किसी भी विषय पर नई नीति के निर्धारण से पूर्व उसके बारे में प्रवर्तमान स्थिति को ठीक प्रकार से समझ लेना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा विषयक व्यापक सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों की व्यापकता और गुणात्मकता प्रत्येक प्रान्त में और कभी कभी तो प्रत्येक जिले में एक दूसरे से अलग थी। ऐसा होने का एक कारण यह था कि भारत में इस प्रकार के सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त जानकारी से कुछ जानकारी प्रकाशित की गई परन्तु कई जानकारियाँ वैसी ही सग्रहित रह गईं। जैसे कि बेम्बाई प्रांत में भारत में देशीय शिक्षा' (Indigenous Education Survey) विषयक सर्वेक्षण द्वारा सकलित की गई जानकारी मूल स्वरूप में आज भी उपलब्ध है। ये सर्वेक्षण अधिकतर सन् १८२० से १८४० की भारत की शिक्षा की स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं। सन् १८८२ में किये गए एक सर्वेक्षण में सन् १८५० से पूर्व की शिक्षा की स्थिति की सन् १८८२ की स्थिति के साथ तुलना की गई थी। इन सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण करने से पूर्व कुछ प्रारभिक बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

प्रथम बात यह है कि यह सभी जानकारी आकड़ों के रूप में है और जिसे हम पाठशाला कहते हैं उसे केन्द्र में रखकर प्राप्त की गई है। इससे उनमें कुछ गलत निर्देश मिल सकते हैं। उसका कारण यह है कि भारत की परपरागत शिक्षा पद्धति पाठशालाओं में गुरुकुलों में तथा मदरसों में प्रचलित थी। ये शिक्षा सस्थाएँ समाज से प्राप्त आर्थिक सहयोग पर निर्भर होती थीं। इन शिक्षा सस्थाओं में दिए जानेवाले ज्ञान को शिक्षा' कहा जाता था। शिक्षा' एक ऐसी सकल्पना थी जिसमें स्वाभाविक

रूप में ही प्रज्ञा शील समाधि जैसी सकल्पनाओं का समावेश होता था। साथ ही ये शिक्षा सस्थाएँ सामान्य लोगों में सास्कृतिक सस्कारों की स्थापना करती थीं। ऐसी सस्थाओं के लिए प्रयुक्त School शब्द हम जिसे पाठशाला' कहते हैं उसकी सकल्पना को सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

दूसरी बात आकडों में प्रस्तुत जानकारी का अत्यत सतर्कता से मूल्याकन करना आवश्यक है। जैसे कि इग्लैण्ड में शालाओं की सख्यामें वृद्धि वास्तविक स्थिति का निर्देश करनेवाली बात नहीं है क्योंकि इन आकडों में कारखानों में चलनेवाले विद्यालयों की सख्या का भी समावेश हो जाता था। परन्तु परपरागत शिक्षा सस्थाओं में हुई कमी को चिंता का विषय कहा जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होने से श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति के स्थान पर कनिष्ठ पद्धति का प्रचलन शुरू हुआ। अत यहाँ प्रस्तुत जानकारी का मूल्याकन करते समय ऐसे परिप्रेक्ष्यों का ख्याल रखना चाहिए।

इन सर्वेक्षणों में सर्वाधिक प्रसिद्धि को प्राप्त परन्तु विवाद का विषय बना है विलियम एडम के द्वारा किया गया निरीक्षण। उसने अपने प्रथम विवरण में लिखा है कि सन् १८३०-४० के वर्षों में बगाल और बिहार के गाँवों में १ ०० ००० के लगभग पाठशालाएँ थीं।[२८] यह कथन वैसे तो उच्च अग्रेज अधिकारी तथा उससे सबधित और लोगों के अनुमान पर आधारित लगता है क्योंकि इस कथन के लिए कोई अधिकृत प्रमाण प्राप्त नहीं होता। चेन्नई प्रदेश के लिए भी ऐसा ही अभिमत टोमस मनरो ने व्यक्त किया था। उसने बताया कि यहा प्रत्येक गाँव में एक पाठशाला थी'[२९] इसी प्रकार मुबई प्रेसीडेन्सी के जी.एल.प्रेन्डरगास्ट नामक वरिष्ठ अधिकारी ने लिखा है कि गाँव बड़ा हो या छोटा यहाँ शायद ही ऐसा कोई गाँव होगा जहाँ कमसे कम एक पाठशाला न हो। बडे गाँवों में तो एक से अधिक पाठशालाएँ भी थीं।[३०]

इसी प्रकार पजाब प्रेसीडेन्सी में भी सन् १८५० के दौरान शिक्षा का व्याप अधिक था ऐसा डॉ जी डब्ल्यू लिटनर ने भी लिखा है।

वस्तुत इस प्रकार के निरीक्षणों को कई लोगों ने स्वाभाविक ही कपोलकल्पित मान लिया तो कइयों ने उसका देववचन मानकर आदरपूर्वक स्वीकार भी कर लिया। भारत के अधिकाशतः राष्ट्रवादियों ने कीर हार्डी जैसे अग्रेजों ने तथा मॅक्समूलर जैसे विद्वानों ने भारत के शिक्षा के परिदृश्य के इन निरीक्षणों को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। किन्तु जो लोग भारत की शासन व्यवस्था के साथ जुडे हुए थे तथा जो भारत की निश्चित विचारधारा के प्रति समर्पित थे उन सभी लोगों ने इन निरीक्षणों को गलत ही बताया। फिर जो लोग अग्रेजों के गुलाम बन गए थे जिन्होंने भारतीय शासन में

लबे अरसे तक अपनी सेवाएँ दी थीं उपरात जो लोग लिखित प्रस्तुति अच्छी तरह से कर सकते थे उन्हें सन् १८६० के बाद ऐसे स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अंग्रेजी राज्य के कारण भारत को बहुत नुकसान हो रहा है इस आशय की किसी भी प्रकार की प्रस्तुति का ये अंग्रेज सरकार के पक्ष में प्रभावी रूप में खण्डन करें। ऐसे अनेक विवादों के कारण इन सर्वेक्षणों के द्वारा प्राप्त जानकारी का ठीक प्रकार से मूल्याकन करने का काम बहुत कम हुआ। डॉ लिटनर द्वारा किए गए कार्य को छोड़ अधिकाश कार्य ठीक १९वीं शताब्दी के आरभ में हुआ। बल्कि अंग्रेज अधिकारियों के लिए भी इन निरीक्षणों का ठीक प्रकार से मूल्यांकन करना अत्यत जटिल था क्योंकि उनके देश में सन् १८०० तक तो आम परिवार के बच्चों के लिए पाठशालाओं की व्यवस्था साधारण सी ही थी। यही नहीं तो उन पाठशालाओं की स्थिति भी अत्यत दयनीय थी। साथ ही १८वीं शताब्दी के अत और १९वीं शताब्दी के शुरुआत के वर्षों में कई अंग्रेजों ने भारत तथा इग्लैण्ड की शिक्षा उद्योग हस्तकला कृषि जैसे विषयों की तुलना की तब उनके मानस में यह परिलक्षित हुआ कि भारत के कृषि मजदूर को इग्लैण्ड के कृषि मजदूर की अपेक्षा अधिक वेतन प्राप्त होता था।[११] इस स्थिति में भारत के प्रत्येक गाँव में पाठशाला' होने की बात सही हो या गलत इग्लैण्ड में तो निरी विपरीत स्थिति ही दिखाई देती थी। यह बात भी उनके ध्यान में आ गई।

केवल मान्यता ही नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से आकड़ों की जानकारी पर आधारित ये सर्वेक्षण भारत में प्रचलित शिक्षा पद्धति उसमे पढाए जानेवाले विषय अध्ययन की समयावधि विभिन्न क्षेत्रों में पाठशालाओं में अध्ययन करनेवाले छात्रों की सख्या और उनके विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसी अनेक बातों पर व्यापक रूप से जानकारी देते हैं। प्रत्येक गाँव में एक पाठशाला की बात से तो अंग्रेज इतने रोमाचित हो उठे थे कि उन्होंने इस सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के और अनेक पहलुओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उस विषय मे चिंतन या शोध किया ही नहीं इसे हमारा दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। परिणाम स्वरूप १ ०० ००० शालाएँ होने की बात उनके लिए एक स्थाई समस्या ही बनी रही जिसका ये किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर सके।[१२]

इन सर्वेक्षणों से प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि सन् १८०० में भारत में शालेय शिक्षा प्राप्त करनेवाले का अनुपात इग्लैण्ड के छात्रों की तुलना में कम नहीं था। यही नहीं अंग्रेजों की गुलामी के कारण से भारत कंगाल बन गया था। तो भी

भारत में शिक्षा का प्रसार शिक्षा पद्धति पाठ्यक्रम आदि की गुणवत्ता और व्यापकता इग्लैण्ड की अपेक्षा अच्छी थी। साथ ही भारत मे शिक्षा की कालावधि इग्लैण्ड से अधिक थी। विशेष महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि भारत में सैंकड़ों वर्षो से प्रचलित शालेय शिक्षा पद्धति के ही अनुसार इग्लैण्ड में भी उसी पद्धति से शिक्षा देने का प्रयास हुआ था। विकटतम परिस्थितियों में भी पाठशालाओं में छात्रों की उपस्थिति का अनुपात इग्लैण्ड की अपेक्षा भारत में ऊँचा था। साथ ही भारत की पाठशालाओं में वातावरण भी इग्लैण्ड की पाठशालाओं की अपेक्षा विशेष प्रसन्न और नैसर्गिक था।[३३] साथ ही भारत के शिक्षक इग्लैण्ड के शिक्षकों की अपेक्षा विशेष आत्मीयता और निष्ठा से काम करते थे। केवल एक बात ऐसी थी जिसमें भारत इग्लैण्ड की तुलना में पीछे रह गया था। वह बात थी बालिका शिक्षा की। परन्तु भारत में बालिका शिक्षा कम होने का भी तर्क यह दिया जाता है कि बालिकाएँ घरों पर ही शिक्षा प्राप्त करती थीं इसलिए पाठशालाओं में उनकी उपस्थिति नहीं के बराबर रहती थी। परिणाम स्वरूप बालिका शिक्षा का अनुपात कम दिखाई देता था। इस तर्क की सत्यता भी शोध का विषय है।

चेन्नई प्रात और बगाल एव बिहार से प्राप्त जानकारी शिक्षकों और छात्रों से सम्बन्धित अनेक तथ्य उद्घाटित करती है। शिक्षा की सुविधा हिन्दुओं में केवल द्विज[३४] जाति तक और मुसलमानों में केवल शासकों के परिवार तक ही सीमित थी - ऐसे दावे डके की चोट पर किए जाते हैं। किन्तु इस सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़े उन दावों को गलत सिद्ध करते हैं। चेन्नाई प्रात में तथा बिहार के दो जिलों में हिन्दुओं के बारे में किए गए दावों से तो स्थिति सर्वथा अलग ही थी क्योंकि इन क्षेत्रों में जिन्हें शूद्र[३५] तथा उनसे भी निम्न माना जाता था उन छात्रों की सख्या पाठशाला में अधिक रहती थी।

अतिम मुद्दा है यह है कि बड़े पैमाने पर व्याप्त शिक्षा व्यवस्था का एक कारण था उसकी अर्थव्यवस्था। भारतमें अग्रेजों के शासन के पूर्व अत्यत कठिन समय में भी राज्य की आय का बडा हिस्सा लोककल्याण के कार्यों के लिए खर्च किया जाता था। इस कारण से ही भारत में शिक्षा का यह व्याप सभव हो पाया था। किन्तु अग्रजों का शासन आते ही शासकीय आय का केन्द्रीकरण हो गया और लोककल्याण के लिए खर्च करने की व्यवस्था टूट गई। इसका अर्थतत्र समाजजीवन और शिक्षा व्यवस्था पर अत्यन्त विपरीत प्रभाव हुआ। अग्रेजों के शासन से पूर्व के भारतीय समाज उसकी राजकीय तथा शासकीय व्यवस्था के बारे में हमारे बुद्धिजीवियों में जो धारणाएँ पक्की

बैठ गई हैं उन पर पुनर्विचार करना अनिवार्य हो गया है। किन्तु उसके बारे में चर्चा करने से पूर्व इन सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त जानकारी तथा सन् १८३० ४० में उसके विषय में हुई चर्चा और विवादों के बारे में भी परिचित होना आवश्यक होगा। इन सर्वेक्षणों में चेन्नई प्रान्त से प्राप्त जानकारी सर्वाधिक सर्वग्राही परन्तु सब से कम प्रसिद्ध होने के कारण हम उस जानकारी को केन्द्र में रखकर उसके आधार पर ही चर्चा करेंगे।

४

चैन्नई प्रांत में किये गये सर्वेक्षण के सदर्भ में इस प्रकार के अभिलेख उपलब्ध हैं। (१) सरकारी सूचना (२) राजस्व विभाग के समाहर्ताओं को सूचना देनेवाले पत्र तथा (३) उस हेतु निर्धारित पत्रक (४) चेन्नई प्रात के सभी २१ जिलों के समाहर्ताओं ने भेजे प्रत्युत्तर (५) सरकार को यह सूचना पहुँचाने से पूर्व राजस्व विभागने की हुई कार्यवाही (६) चैन्नई सरकार ने इस जानकारी के सम्बन्ध में की हुई कार्यवाही। ये सभी अभिलेख अध्याय ३ में १ से ३० में बताए गए हैं। यहाँ एक निर्देश करना आवश्यक होगा कि समाहर्ताओं ने इकठ्ठी की हुई जानकारियों का स्रोत भी प्राप्त होता तो विश्लेपण अधिक अच्छी तरह से हो सकता था। इस सर्वेक्षण के लिए निर्धारित किए गए पत्रक में जिलों में विद्यालय एव महाविद्यालयों की सख्या तथा उसमें अध्ययन करनेवाले कन्या एव कुमार छात्रों की सख्या आदि माँगी गई थी। छात्रों की सख्या नीचे बताए गए पाँच वर्गों में बतानी थी -

(१) ब्राह्मण (२) वैश्य (३) शूद्र (४) अन्य जातियाँ (५) मुस्लिम।

यहाँ १ से ४ श्रेणी के छात्रों की कुल सख्या में श्रेणी ५ के छात्रों की सख्या जोड़कर हिन्दू और मुस्लिम मिलकर छात्रों की सख्या का योग प्राप्त किया जाता था। यहाँ अन्य जातियों का प्रयोग शूद्र से निम्न श्रेणी की जातियों - जिनका समावेश आज अनुसूचित जातियाँ' में किया गया है - के लिये किया गया मान सकते हैं। दूसरा कनारा जिले के समाहर्ता ने इस सर्वेक्षण के प्रत्युत्तरमें जिले के विद्यालयों महाविद्यालयों की सख्या या उसमें पढनेवाले छात्रों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी क्योंकि उसे लगा कि यहाँ सब निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। उसने यह भी बताया कि 'इस जिले में एक भी महाविद्यालय नहीं है' क्योंकि उसका मानना था कि कनारा जिले में सार्वजनिक शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं

थी वहाँ केवल वृद्धों द्वारा कभी कभी बच्चों को एक स्थान पर इकट्ठा करके शिक्षा दी जाती थी। उन्हें पढ़ाने के लिए वेतन नहीं दिया जाता था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि समाहर्ता यह मानता था कि ऐसी जानकारी इकट्ठी करने में उसे तैयार करने में बहुत समय लग सकता है और चाहे कुछ भी करें जिले में कुल मिलाकर कितने विद्यालय या महाविद्यालय हैं उस विषय में सही जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ एक बात का संकेत कर देना आवश्यक होगा कि सन् १८०० से १९६० के वर्षों में कनारा जिला अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करनेवाला तथा किसान आंदोलनों का प्रमुख केन्द्र रहा था दूसरा ऐसी अनेक प्रकार की जानकारी इकट्ठी करने का कार्य और जिलों में तो बार-बार होता था तथा जिले के समाहर्ता अपने जिलों के बारे में जो भी जानकारी भेजते उसकी गुणवत्ता तथा उसका महत्त्व प्रत्येक जिले में अलग अलग रहता था। एक कारण यह भी था कि जिलों के समाहर्ता और उनके सहयोगियों का बार बार स्थानांतरण होता रहता था इससे कई बार तो वे अपने जिले की स्थिति के बारे में अज्ञान ही रहते थे। समाहर्ता तथा उसके सहयोगियों पर ऐसी जानकारी इकट्ठी करने के अतिरिक्त और भी अन्य महत्वपूर्ण कामों का बोज रहता था। परिणाम स्वरूप बार बार नई नई जानकारी इकट्ठी करने के आदेशों का अमल करना उनके लिए मुश्किल सा रहता था। अतः जिलों से प्राप्त होनेवाली जानकारियों में पर्याप्त अंतर रहता था।

इन सर्वेक्षणों में कई जिलों ने तहसीलश जानकारी दी है। कुछ जिलों ने परगने तक की जानकारी दी है। कुछेक जिलों ने तो समूचे जिले को ही एक इकाई मानकर जानकारी दी है। विशाखापट्टनम्, मछलीपट्टनम् और तंजावुर इन तीन जिलोंने निर्धारित पत्रक में दर्ज श्रेणियों के अतिरिक्त एक ज्यादा क्षत्रिय श्रेणी के छात्रों की भी जानकारी दी है। इसी प्रकार बेल्लारी कडप्पा गुंटूर और राजमहेन्द्री जिलों के समाहर्ताओं ने विस्तृत विवरण से युक्त जानकारी भेजी है। जबकि तिन्नेवेल्ली विशाखापट्टनम् और तंजावुर जिलों के समाहर्ताओं ने केवल आंकड़े भेजकर अपना कर्तव्य निभाया है। रोचक बात तो यह थी कि कुछेक समाहर्ताओं ने अपने जिलों में पढ़ाई जानेवाली पुस्तकों की सूची तक भेज दी है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजमहेन्द्री जिले के समाहर्ता का काम बहुत ही व्यवस्थित है। उसने तेलुगु भाषा की पाठशालाओं में पढ़ाई जानेवाली ४३ पुस्तकों की सूची तथा पर्शियन और अरेबिक की संस्थाओं में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों की सूची भी दी है। (देखिए सारिणी-१)

विद्यालय महाविद्यालय तथा छात्रों की सख्या

सारिणी १ में प्रत्येक जिले में स्थित विद्यालय तथा महाविद्यालयों की सख्या व उनमें अध्ययन कर रहे छात्रों की सख्या दी गई है। यह जानकारी सबधित जिलों के समाहर्ताओं के द्वारा भेजी गई थी जिनमें गजाम और विशाखापट्टनम् के समाहर्ताओं ने कहा कि उनके द्वारा भेजी गई जानकारी अपूर्ण थी। ऐसी ही स्थिति ज़मीनदारों द्वारा शासित जिलों की हो सकती है। दो समाहर्ताओं ने निजी तौर पर अध्ययन करने वाले छात्रों के बारे में भी लिखा है। मलाबार जिले के समाहर्ता ने तो धर्मशास्त्र खगोलशास्त्र विधि अध्यात्मविद्या नीतिशास्त्र और वैद्यकशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा निजी तौर पर प्राप्त करनेवाले छात्रों की सख्या २ ५९४ बताई है और चेन्नई के समाहर्ता ने बताया था कि उस जिले में २६ ९६३ छात्र शाला में जाने की अपेक्षा घर पर रहकर अध्ययन करते थे। इस प्रकार निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों के बारे में आगे आनेवाले पृष्ठों में बताया जाएगा।

इन सभी जानकारियों की चेन्नई प्रान्त की सरकारने १० मार्च १८२६ को समीक्षा शुरु की थी इस परिप्रेक्ष्य में चेन्नई के तत्कालीन गवर्नर सर टॉमस मनरो लिखता है कि समूचे प्रदेश में बालिकाओं की सख्या अत्यत कम थी। इसके अलावा ५ से १० वर्ष के बालकों में भी उनकी कुल सख्या से केवल चौथे हिस्से के लड़के ही विद्यालय में अध्ययन करते थे। किन्तु निजी तौर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की सख्या को गिनकर गवर्नर ने यह आकडा २५ प्रतिशत का नहीं बल्कि ३३ प्रतिशत बताया है।

छात्रों का ज्ञाति आधारित विभाजन

कन्या और कुमार ऐसे सभी छात्रों का जातिगत विभाजन अत्यत रोचक है तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। साथ ही उड़िया मलयालम तेलुगु, कन्नड और तमिल इन पाचों भाषाकीय क्षेत्रों का वर्गीकरण प्राप्त होने से उसकी उपयुक्तता और महत्व बढ जाता है (देखिए सारिणी २)।

लोगों में एक ऐसी मान्यता व्यापक रूप में है कि प्राचीनकाल हो या अंग्रेजों का शासन भारत में शिक्षा तो केवल उच्च या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ही सीमित रही थी किन्तु यहाँ प्रस्तुत जानकारी से ज्ञात होता है कि यह मान्यता सर्वथा गलत और भ्रामक सिद्ध होती है। वह भी चेन्नई जैसे प्रांत में जहाँ कुल जनसख्या के ९५ प्रतिशत

सारिणी १ विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी जानकारी

जिला	विद्यालय		महाविद्यालय		१८२३ में जनसंख्या (अनुमानतः)	विशेष
	संख्या	छात्र	संख्या	छात्र		
उड़ियाभाषी						
गंजाम	२५५	२ ९७७			३ ३२ ०१५ (३ ७५ २८१)	अपूर्ण जानकारी * अग्रहारोंमें निजी तौर पर अध्ययन
तेगुलुभाषी						
विसाखापट्टनम्	९१४	९ ७१५			७ ७२ ५७० (९ ४१ ००४)	अपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।
राजमहेन्द्री	२९१	२ ६५८	२७९	१ ४५४	७ ३८ ३०८	
मछलीपट्टम	४८४	५ ०८३	४९	१९९	५ २९ ८४९	- -
गुण्टुर	५७४	७ ७२४	१७१*	९३९*	४ ५४ ७५४	* निजी तौर पर अध्ययन
नेल्लोर	६९७	७ ६२१	१०७	*	८ ३९ ६४७	* विद्यालयीन छात्रोंमें संख्या समाविष्ट
कडप्पा	४९४	६ ०००			१० ९४ ४६०	* निजी तौर पर अध्ययन
		3८,८०१				
कन्नड भाषी						
बेल्लारी	५१०	६ ६४१	२३	*	९ २७ ८५७	* विद्यालयीन छात्रसंख्यामें समाविष्ट
श्रीरंगपट्टम्	४१	६२७			३१ ६१२	
		७,२६८				
मलयालम भाषी						
मलबार	७५९	१४,९५३	१	७५*	९ ०७ ५७५	* निजी तौर पर अध्ययन करनेवाले छात्रों के सम्बन्धमें अलगसे जानकारी दी गई है।

जिला	विद्यालय		महाविद्यालय		१८२३ में जनसंख्या (अनुमानित)	विशेष
	संख्या	छात्र	संख्या	छात्र		
तमिलभाषी						
उत्तर आर्काट	६३०	७ ३२६	६९	४१८	८ ९२ २९२ (५ ७७ ०२०)	--
दक्षिण आर्काट	८७५	१० ५२३	—		४ ५५ ०२० (४ २० ५३०)	--
चिंगलपेट	५०८	६ ८४५	५१	३९८	३ ६३ १२९	---
तंजावुर	८८४	१७ ५८२	१०९	७६९	९ ०१ ३५३ (३ ८२ ६६७)	
त्रिचिनापल्ली	७९०	१० ३३१	९	१३१	४ ८१ २९२	
मदुरा	८४४	१३ ७८१	—	✡	७ ८८ १९६	✡ महाविद्यालयीन छात्र निजी तौर पर अध्ययन करते हैं।
तिन्नेवेली	६०७	९ ३७७	--		५ ६४ ९५७	
कोयम्बतूर	७६३	८ २०६	१७३	७२४	६ ३८ १९९	--
सेलम	३३३	४ ३२६	५३	३२४	१० ७५ ९८५	
चेन्नई	३२२	५ ६९९	--	--✡	४ ६२ ०५१	✡महाविद्यालयीन छात्र निजी तौर पर अध्ययन करते हैं।
		९३ ९९६				
योग	११ ५७५	१ ५७ १९५	१ ०९४	५ ४३१	१ २८ ५० ९४१	

कौंसमें लिखी गई संख्या समाहर्ता के द्वारा शिक्षाविषयक जानकारी के साथ भेजी गई है।

लोग द्विज वर्ण के थे। दक्षिण आर्कोट जिले में द्विज वर्ण के छात्रों की सख्या १३ प्रतिशत थी जबकि चेन्नई जिले में २३ प्रतिशत थी। सेलम जिले में शूद्र और अन्य जातियों के छात्रों की सख्या ७० प्रतिशत जितनी थी। तिन्नेवेली जिले में वह सख्या ८४ प्रतिशत तक की थी। सारिणी २ की जानकारी को स्पष्ट करने के आशय से उस जानकारी को सारिणी ३ में प्रतिशत में दिया गया है।

सारिणी ३ से स्पष्ट होता है कि मलबार जिले में द्विज छात्रों की सख्या कुल सख्या के २० प्रतिशत से भी कम थी किन्तु यह जिला मुसलमानों के आधिक्य का होने से मुस्लिम छात्रों का अनुपात २७ प्रतिशत जितना ऊँचा था जबकि शूद्र और अन्य जाति के छात्रों का अनुपात ५४ प्रतिशत जितना था। कन्नड भाषी बेल्लारी जिले में ब्राह्मण और वैश्य छात्रों का कुल प्रतिशत ३५ जितना था जबकि यहाँ शूद्र और अन्य ज्ञातियों का अनुपात ६३ प्रतिशत था। वैसे भी ऐसी ही स्थिति उडिया भाषी गजाम जिले की थी। यहाँ भी द्विज छात्रों का अनुपात ३५ प्रतिशत जबकि शूद्र तथा अन्य जातियों का ६३ प्रतिशत था। तथापि तेलुगुभाषी जिलों में छात्रों का अनुपात कडप्पा जिले में २४ प्रतिशत से लेकर विशाखापट्टनम् में ४६ प्रतिशत के बीच था। वहीं वैश्य छात्रों का अनुपात विशाखापट्टनम में १० प्रतिशत से लेकर कडप्पा में २९ प्रतिशत तक था और शूद्र तथा अन्य जाति के छात्रों का गुटुर में ३५ प्रतिशत से लेकर विशाखापट्टनम में ४१ प्रतिशत तक था।

पाठशाला में माध्यम भाषा विषयक जानकारी

पाठशाला में शिक्षा के माध्यम के बारे में जानकारी केवल उपर्युक्त जिलों से ही प्राप्त हुई थी। अन्य जिलों ने यह जानकारी नहीं दी थी। इस प्रकार पूर्व दर्शाई गई सारिणीयों के आधार पर जान सकते हैं कि समूचे चेन्नई प्रान्त में केवल १० पाठशालाओं में ही अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती थी और १० में से ७ तो केवल उत्तर आर्कोट जिले में ही थीं। नेल्लोर उत्तर आर्कोट और मछलीपट्टनम में क्रमश ५० ४० और १९ पारसी विद्यालय थे उत्तर आर्कोट में १ और कोइम्बटूर की पाँच पाठ शालाओं में ग्रथम् की शिक्षा दी जाती थी तथा हिन्दवी (हिन्दुस्तानी) की भी शिक्षा दी जाती थी। बेल्लारी में २३ मराठी विद्यालय थे। उत्तर आर्कोट जिले में ३६५ तमिल और २०१ तेलुगु विद्यालय थे जबकि बेल्लारी में इतने ही तेलुगु और कन्नड विद्यालय थे। अन्य भाषाओं की स्थिति का परिचय सारिणी ४ से होता है।

सारिणी २ कुमार छात्रों का ज्ञाति अनुसार वर्गीकरण

जिला	हिन्दू छात्र					मुस्लिम छात्र	कुल १००% छात्र
	ब्राह्मण	क्षत्रिय राजा	वैश्य	शूद्र	अन्य ज्ञातियाँ		
उड़ियाभाषी							
गंजाम	८०८		२४३	१ ००१	८८६	२७	२ ९६५
तेलुगुभाषी							
विशाखापट्टनम्	४ ३४५	१०३	९८३	१ ९९९	१ ८८५	९७	९ ४१२
राजमहेन्द्री	९०४		६५३	४६६	५४६	५२	२ ६२१
मछलीपट्टम्	१ ६७३	१८	१ १०८	१ ५०६	४७०	२७५	५ ०५०
गुंटूर	३ ०८९	-	१ ५७८	१ ९२३	७७५	२५७	७ ६२२
नेल्लोर	२ ४६६		१ ६४१	२ ४०७	४३२	६१७	७ ५६३
कडप्पा	१ ४१६		१ ७१३	१ ७७५	६४७	३४१	५ ८९२
कन्नडभाषी							
बेल्लारी	१ १८५		९८१	२ ९९८	१ १७४	२४३	६ ५८१
श्रीरंगपट्टम	४८		२३	२९८	१५८	८६	६१३
मलयालमभाषी							
मलबार	२ २३०		८४	३ ६९७	२ ७५६	३ १९६	१७ ९६३
तमिलभाषी							
उत्तर आर्कोट	६९८		६३०	४ ८५६	५३८	५५२	७ २७४
दक्षिण आर्कोट	९९७		३७०	७ ९३८	८६२	२५२	१० ४१९
चेंगलपट्टु	८५८		४२४	४ ८०९	४५२	१८६	६ ७२९
तंजावुर	२ ८१७	३६९	२२२	१० ६६१	२ ४२६	९३३	१७ ४२८
त्रिचिनापल्ली	१ १९८		२२९	७ ७४५	३२९	६९०	१० १९१
मदुरा	१ १८६		१ ११९	७ २४७	२ ९७७	१ १४७	१३ ६७६
तिन्नेवेली	२ ०१६			२ ८८९	३ ५५७	७९६	९ २५८
कोयम्बतूर	९१८		२८९	६ ३७९	२२६	३१२	८ १२४
सेलम	४५९		३२४	१ ६७१	१ ३८२	४३२	४ २६८
बम्बई							
सामान्य विद्यालय	३५८		७८९	३ ५०६	३१३	१४३	५ १०९
धर्मादाय विद्यालय	५२		४६	१७२	१३४	१०	४१४

सारिणी ३ कुमार छात्रों की ज्ञाति अनुसार प्रतिशत

जिला	हिन्दू छात्र					मुस्लिम छात्र
	ब्राह्मण	क्षत्रिय राजा	वैश्य	शूद्र	अन्य ज्ञातियां	
उड़ियाभाषी						
गंजाम	२७ २५		८ २४	३३ ७६	२९ ८८	० ९१
तेलुगुभाषी						
विशाखापट्टनम्	४६ १६	१ ०९	१० ४४	२१ २४	२० ०३	१ ०३
राजमहेन्द्री	३४ ४९	-	२४ ९१	१७ ७८	२० ८३	१ ९८
मछलीपट्टम	३३ १३	० ३६	२१ ९४	२९ ८२	९ ३०	५ ४४
गुंटूर	४० ५३		२० ७०	२५ २३	१० १७	३ ३७
नेल्लोर	३२ ६१		२१ ७०	३१ ८३	५ ७१	८ १६
कडप्पा	२४ ०३		२९ ०७	३० १३	१० ९८	५ ७९
कन्नडभाषी						
बेल्लारी	१८ ०१		१४ ९१	४५.५६	१७ ८४	३ ६९
श्रीरंगपट्टम्	७ ८३	-	३ ७५	४८ ६१	२५ ७७	१४ ०२
मलयालमभाषी						
मलबार	१८ ६४	-	० ७०	३० ९०	२३ ०४	२६ ७२
तमिलभाषी						
उत्तर आर्कोट	९ ६०		८ ६६	६६ ७६	७ ४०	७ ५९
दक्षिण आर्कोट	९ ५७	-	३ ५५	७६ ९९	८ २७	२ ४२
चेंगलपट्टु	१२ ७५		६ ३३	७१ ४७	६ ७२	२ ७६
तंजावुर	१६ १६	२ १२	१ २७	६१ १७	१३ ९२	५ ३२
त्रिचिनापल्ली	११ ७६	-	२ २५	७६ ००	३ २३	६ ७७
मदुरा	८ ६७	-	८ १८	५२ ९९	२१ ७७	८ ३९
तिन्नेवेल्ली	२१ ७८	०		३१ २१	३८ ४२	८ ६
कोईम्बतूर	११ ३०		३ ५६	७८ ५२	२ ७८	३ ८४
सेलम	१० ७५		७ ५९	३९ १५	३२ ३८	१० १२
चेन्नई						
सामान्य विद्यालय	१७ ०१	-	१५ ४४	६८ ६२	६ १३	२ ८०
धर्मादाय विद्यालय	१२ ५६	-	११ ११	४१ ५५	३२ ३७	२ ४२

सारिणी ४ विद्यालयमें शिक्षा का माध्यम

जिला	ग्रन्थम्	तमिल	तेलुगु	कन्नड़	हिन्दी	मराठी	पर्शियन	अंग्रेजी	कुल
राजमहेन्द्री			२८५				५	१	२९१
मछलीपट्टम			४६५				१९		४८४
नेल्लोर		४	६४२				५०	१	६९७
उत्तर आर्काट	१	३६५	२०१		१६	२३	४०	७	६३०
	(८)	(५ ४०६)	(२ २१८)		(१३५)		(३९८)	(६१)	(७ ३२६)
बेल्लारी		४	२२६	२३५			२१	१	५१०
कोईम्बतूर	५	६७१	२५	३८	१४		१०		७६३

(कोष्ठ की संख्या मिश्रित श्रेणी के छात्र दर्शाती है। यहां उल्लिखित सभी जिलों के लिये ऐसी संख्या उपलब्ध नहीं है।)

विद्यालयमें प्रवेश के लिये छात्रकी योग्यता एवं विद्यालय का समय

जैसा पूर्व में बताया है विभिन्न जिलों के समाहर्ताओंने जो जानकारी भेजी है उसमें बहुत असमानता दिखाई देती है। कुछ समाहर्ता पाच वर्ष की आयु प्रवेशयोग्य दर्शाते हैं। राजमहेन्द्री के समाहर्ता दर्शाते हैं कि छात्र पांच वर्ष पाच मास एव पाच दिन की आयु का होता है वह दिन विद्यालय प्रवेश के लिये शुभ माना जाता है। कडप्पा के समाहर्ता दर्शाते हैं कि ब्राह्मण बालक ५ से ६ वर्ष की एव शूद्र बालक ६ से ८ वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। नेल्लोर एव सेलम में छात्र क्रमशः ३ एव ६ वर्ष के लिये विद्यालय में रहते हैं। शेष जिलों में यह अवधि ५ से १५ वर्ष की है। सामान्य रूप से दो वर्ष के लिये तो सभी छात्र विद्यालय में रहते थे। इस प्रकार समाहर्ताओं ने विद्यालयों में शिक्षा का स्तर अथवा गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया है। कुछेक समाहर्ताओं ने विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने की पद्धति को उपयोगी बताया है। इस सन्दर्भ में चैन्नई के समहर्ता का अवलोकन ध्यान देने योग्य है। वह कहता है 'छात्र जब १३ वर्ष का होता है तब विभिन्न विषयों का उसका ज्ञान अद्‌भुत होता है।'[15]

वस्तुत मलबार श्रीरंगपट्टनम्, चेंगलपट्टु तिन्नेवेली और कनारा जिलों के *समाहर्ताओ ने सारिणी ५ में दी गई जानकारी अन्य समाहर्ताओं की तरह भेजी नहीं थी।* जबकि अन्य समाहर्ताओं ने भेजी हुई जानकारी भी अधूरी लगती है। यह भी दिखाई देता है कि पाठ शालाओं में शिक्षा का कार्य दीर्घकाल तक चलता था। साधारणत सभी स्थानों पर प्रात ६ बजे शिक्षा का कार्य शुरू होता था और सूर्यास्त तक और तत्पश्चात्

सारिणी ५ विद्यालयमें प्रवेश के समय छात्रकी आयु,
विद्यालयका समय शिक्षा प्राप्त करनेकी अवधि

जिला	प्रवेश के समय आयु	विद्यालय का समय	शिक्षा प्राप्त करने की अवधि
गजाम		प्रात ५ से साय ५	
विशाखापट्टनम्	-	प्रात ६ से ९ प्रातः १० ३० से २ अपराह्न ३ से ६	-
राजमहेन्द्री	५ वर्ष ५ मास ५ दिन	-	५ से ७ वर्ष
गुन्टुर	-	प्रातः ६ से ९ प्रात ११ से २ अपराह्न ४ से ७	
कडप्पा	ब्राह्मण ५ या ६ वर्ष शुद्र ६ से ८ वर्ष	प्रात ६ से १० अपराह्न ११ ३० से ६	२ वर्ष
नेल्लोर	५ वर्ष	-	३ से ६ वर्ष
बेल्लारी	५ वर्ष	-	५ से १५ वर्ष
उत्तर आर्कोट	६ वर्ष	-	६ वर्ष कदाचित अधिक
दक्षिण आर्कोट	-	प्रात ६ से १० अपराह्न १२ से २ ३ से ७	-
तजावुर	-	-	५ वर्ष
त्रिचिनापल्ली	७ वर्ष	-	८ वर्ष
मदुरा	५ वर्ष	-	७ से १० वर्ष
कोईम्बतूर	५ वर्ष	प्रातः ६ से १० अपराह्न २ से ८	८ से ९ वर्ष
सेलम	-	-	३ से ५ वर्ष
चैन्नई	५ वर्ष	-	८ वर्ष

(मलबार श्रीरंगपट्टम्, चेंगलपट्टु तिनेवेली एवं केनरा के समाहर्ताओंने जानकारी नहीं भेजी है यह स्पष्ट दीखता है इस आलेख की जानकारी भी अधूरी है।)

चलता था। इस यीच में भोजनादि के लिए एक या दो विराम रहते थे। इन पाठशालाओं की कार्यपद्धति शिक्षा पद्धति और वहाँ पढाये जानेवाले विषयों के बारे में सुदर वर्णन पावलीनो द बार्थोलोम्यु और एलेक्झान्डर वॉकर ने अपनी पुस्तकों में दिया है।[१७]

पाठशाला में पढाई जानेवाली पुस्तकों की सूची[१८]

(१) सभी पाठशालाओं में पढाई जानेवाली पुस्तकें (१) रामायण (२) महाभारत (३) भागवत

(२) कारीगर वर्ग के छात्रों के लिए उपयोग में ली जानेवाली पुस्तकें (१) नागलिंगायन कथा (२) विश्वकर्मा पुराण (३) कमलेश्वर कालिकामहत्वा

(३) लिंगायत छात्रों के लिए उपयोग में ली जानेवाली पुस्तकें (१) भवपुराण (२) राघवन कक्या (३) गिरिजाकल्याण (४) अनुभव मूर्त (५) चिन्न बसवेश्वर पुराण (६) गुरीलगुलु

(४) वाचनसामग्री (१) पचतत्र (२) वैतालपंचवशति (३) पकलीसुयुक हम्सर (४) महातरगिणी

(५) शब्दकोश और व्याकरण की पुस्तकें (१) निघटु (२) अमर (३) शब्दमुनिदर्पण (४) शब्दमजरी (५) व्याकरण (६) आन्ध्रदीपक (७) आन्ध्रनामसग्रह

राजमुन्द्री जिले में उपयोग में ली जानेवाली पुस्तकों की सूची।[१९]

(१) बाल रामायण (२) रुक्मिणि कल्याणम् (३) पारिजातहरणम् (४) मूल रामायण (५) रामायण (६) दाशरथीशतकम् (७) कृष्णशतकम् (८) सुमतिशतकम् (९) जानकीशतकम् (१०) प्रसन्नराघवशतकम् (११) रामतारकशतकम् (१२) भास्करशतकम् (१३) भीष्मशतकम् (१४) भीमलिंगेश्वरशतकम् (१५) सूर्यनारायणशतकम् (१६) नारायणशतकम् (१७) प्रह्लादचरित्र (१८) वासुचरित्र (१९) मनुचरित्र (२०) षण्मुखचरित्र (२१) नलचरित्र (२२) वामनचरित्र (२३) गणितम् (२४) पावलूरी गणितम् (२५) भारतम् (२६) भागवतम् (२७) विजय वलुसम् (२८) कृष्णलीला वेलुसम् विजय वेलुसम् (२९) राधामाधव वलुसम् (३०) सप्तम स्कधम् (३१) अष्टम् स्कधम् (३२) राधमाधव सवादम् (३३) भानुपरिणयम् (३४) वीरभद्र विजयम् (३५) लीलासुदरी परिणयम् (३६) अमरु (३७) सुरनाधनस्वरम् (३८) उद्योगपर्वम् (३९) आदिपर्वम् (४०) गजेन्द्रमोक्षम् (४१) आन्ध्रनाम सग्रह (४२) कुचलोपन्याकम् (४३) रसिकजनमनोभरणम्

उच्च शिक्षा की संस्थाएँ

कुछ समाहर्ताओं ने अपने जिलों में उच्च शिक्षा की एक भी संस्था नहीं है ऐसा बताया है। जबकि अन्य समाहर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल १०९४ उच्च शिक्षा की संस्थाएँ थीं और उनकी संख्या 'कॉलेज' श्रेणी में बताई गई थी। राजामुन्द्री जिले में सर्वाधिक अर्थात् २७९ महाविद्यालय थे जिनमें १४५४ छात्र अध्ययन करते थे। मलबार में सामुद्रिन् राजा के द्वारा संचालित एक उच्च शिक्षा की संस्था थी जिसमें ७५ छात्र अध्ययन करते थे। अन्य जिलों में महाविद्यालय तथा उनके छात्रों का ब्यौरा सारिणी ६ में दिया गया है।

इस सारिणी में प्रस्तुत चित्र के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कई समाहर्ताओं ने जानकारियाँ अपूर्ण ही दी थीं। जिन जिलों में उच्च शिक्षा की एक भी संस्था नहीं थी उन जिलों के समाहर्ताओं ने ऐसा बताया था कि उनके जलों में वेद गणित नीतिशास्त्र खगोलशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा घरों में ही दी जाती थी। घर में शिक्षा देने की प्रथा को 'अग्रहारम्' नाम से पहचाना जाता था। सारिणी ६ से यह प्रत्यक्ष होता है कि उच्च शिक्षा की संस्थाओं में अधिकांशत ब्राह्मण छात्र ही थे। तथापि वैद्यक तथा खगोलशास्त्र जैसे विषयों में भिन्न भिन्न जाति के छात्र थे। मलबार जिले में खगोलशास्त्र के कुल ८०८ छात्रों में केवल ७८ छात्र और वैद्यक शास्त्र के कुल १९४ छात्रों में केवल ३१ छात्र ब्राह्मण थे। उसी प्रकार राजामुन्द्री जिले में शूद्र श्रेणी के पाँच छात्र भी महाविद्यालय में अध्ययन करते थे।[४०]

मलबार के सामुद्रिन् राजा के द्वारा चलाई जानेवाली संस्था के बारे में उस राजा ने दी हुई जानकारी[४१] के साथ गुटुर कडप्पा मछलीपट्टम्, मदुराई और चेन्नई के समाहर्ताओं ने भी उच्च शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। चेन्नाई का समाहर्ता लिखता है 'ज्योतिष और खगोलशास्त्र जैसे विषय निर्धन ब्राह्मणों की संतानों को सिखाए जाते थे। माता पिता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी'। उसी प्रकार मदुराई के समाहर्ता ने लिखा है कि जहाँ ब्राह्मण या अन्य किसी के घर पर रहकर छात्र वेद और पुराणों का अध्ययन करते थे वैसे 'अग्रहारम्' गाँवों में इन छात्रों के पालन पोषण हेतु उपजाऊ ज़मीन दी जाती थी।[४२]

मछलीपट्टम् के समाहर्ता भी इसी प्रकार की बात करते हैं। अत ब्राह्मणों के बेटों को अक्षरज्ञान प्राप्त करने के बाद वेद और शास्त्रों के अध्ययन हेतु उच्च शिक्षा की संस्थाओं में भेजा जाता था। वेद तो सभी हिन्दू शास्त्रों की जननी माने गए हैं। ये सभी वेद और शास्त्र संस्कृत में हैं। ब्राह्मणों को सभी वेद शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है क्योंकि

सारिणी ६ उच्च शिक्षा की सस्थायें

जिला	महाविद्यालय की संख्या	छात्र संख्या	वेद	कानून	खगोल	आन्ध्र	विशेष
राजमहेन्द्री	२७९	१ ४५४	१ ०३३ (११८)२	३५८ (६०)२	४९ (१४)२	१४ ७(२)	ब्राह्मण १४५ शूद्र ५
मछलीपट्टम	४९	१९९					सभी ब्राह्मण
नेल्लोर	१३७		(८३)२	(४५)२	(८)२	(१)२	जानकारी अलभ्य
चेंगलपट्टु	५१	३९८					सभी ब्राह्मण
उत्तर आर्कोट	६९	४१८	२९८ (४३)२	११७ (२४)२	३ (२)२		सभी ब्राह्मण
तंजावुर	१०९	७६९					सभी ब्राह्मण अधिकांश वेदपाठी छात्र
त्रिचिनापल्ली	९	१३१					सभी ब्राह्मण
कोईम्बतूर	१७३	७२४	(९४)२	(६९)२	(१०)२		सभी ब्राह्मण
मलबार	१	७५					सभी ब्राह्मण
गुन्टुर	१७१	९३९					प्रगत अध्ययन के लिये काशी या नवद्वीप जानेवाले छात्र
सेलम	६३	३२४					

१ इन जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के आकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।
२ उच्च शिक्षा के स्थानों की संख्या

सभी अवसरों पर धार्मिक क्रियाएँ करवाने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की होती है। साथ ही घर हो विद्यालय हो या महाविद्यालय सर्वत्र ही वेद शास्त्रों की शिक्षा ब्राह्मण ही देते हैं।[४४]

कडप्पा के समाहर्ता ने लिखा है १० से १६ वर्ष के ब्राह्मण छात्र को विद्याध्ययन की सुविधाएँ उसके गाँव में प्राप्त न हो सकने पर वह अपना गृह त्यागकर विद्याध्ययन का खर्च उठा सकनेवाले अन्य गाँव के ब्राह्मण के घर रहकर विद्याध्ययन करता था। हमारे राजस्व विभाग को यह जाच करनी चाहिए कि इस प्रकार अपरिमित दूर दराज के क्षेत्रो में जाकर छात्र अध्ययन करते थे और वर्षों तक अपने घर लौट नहीं पाते थे। इन छात्रों का पालन गाँव के लोग ही करते थे। इस प्रकार जहा एक ओर निर्धनता छात्रों के विद्याप्राप्ति के मार्ग में रुकावट बनती है वहां दूसरी ओर ज्ञान प्रसार की परोपकारी परपरा भी जीवित रहती है। इसलिए हम इन छात्रों के आभारी हैं। यह

परपरा सुस्थिति में बनी रहे इस हेतु सरकार को उदारता से सोचना चाहिए।[४४]

इसी प्रकार गुटुर का समाहर्ता कहता है धर्मशास्त्र विधिशास्त्र और खगोलशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा इन शास्त्रों के विद्वान ब्राह्मण बिना शुल्क लिए ही देते हैं। ऐसे ब्राह्मणों का जीवननिर्वाह उनके पूर्वजों को ज़मीनदारों ने दान में दी उपजाऊ जमीन से होनेवाली आय से होता है। इन ब्राह्मणों के जीवनयापन के लिए सरकार को उन्हें कभी भी आर्थिक या भूमि के स्वरूप में सहायता की हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जिन छात्रों को अपने गाँवों में इन शास्त्रों के अध्ययन की सुविधा प्राप्त नहीं होती है उन्हें अन्य गाँवों में जाना पड़ता है। और फिर यह अगर अपना आर्थिक बोझ उठा सकता है तो वह वैसा करता है परन्तु यदि उसके माता पिता गरीब हैं तो छात्र जिस परिवार में रहकर अध्ययन करता है वह परिवार उसकी चिन्ता करता है। इन शास्त्रों के प्रगत अध्ययन के लिए इन क्षेत्रों से छात्र काशी या नवद्वीप[४५] उन शास्त्रों के ज्ञाता के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं।[४६]

उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु उपयोग में लाई जानेवाली पुस्तकें

उच्च शिक्षा की सस्थाओं में सामान्य रूप से वेद शास्त्र पुराण गणित ज्योतिष महाकाव्य जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। राजमुन्द्री जिले को छोड़ अन्य एक भी जिले ने उच्च शिक्षासस्थाओं में पढाई जानेवाली पुस्तकों की सूची नहीं दी है। राजमुन्द्री के समाहर्ता ने कुछ पुस्तकों की सूची भेजी है जो यहाँ प्रस्तुत है।

वेद आदि (१) ऋग्वेद (२) यजुर्वेद (३) सामवेद (४) श्रुतम् (५) द्रविड़वेदम् या नुनलायनम्।

शास्त्र (१) सस्कृत व्याकरण - सिद्धात कौमुदी (२) तर्कशास्त्र (३) ज्योतिषम् (४) धर्मशास्त्र (५) काव्यम्

महाकाव्य (१) रघुवशम् (२) कुमारसभवम् (३) मेघसदेशम् (४) भारवि (५) माघ (६) नैषध (७) अदशास्त्रम्

इसके अतिरिक्त राजमुन्द्री में कुछ पर्शियन पाठशालाएँ[४७] भी थीं। उन में ये पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं : (१) करीम आमदुन्नामा (२) हकरूम (३) इन्सा खलीफा और गुलस्ता (४) बहुरदनीश और बोस्तान (५) अबुल फज़ल इन्सा (६) खलीफा (७) कुरान

घर पर निजी तौर पर दी जानेवाली शिक्षा

कुछेक समाहर्ताओं ने विशेष रूप से कन्नड़ जिले के समाहर्ता ने इन सर्वेक्षणों के लिए किसी भी प्रकार की आकड़ों से संबधित जानकारी नहीं भेजी थी और बताया

था कि कई कुमार और कन्या छात्र घर में रहकर माता पिता के पास या रिश्तेदारों के द्वारा वेतन देकर रखे गए शिक्षक के पास या तो अग्रहारम्' में रहकर अध्ययन करते थे। केवल मलबार जिले के तथा चेन्नई के समाहर्ताओं ने ही इस विषय पर आकड़ों में जानकारी भेजी थी जो सारिणी ७ क और ७ ख में प्रस्तुत की गई है।

वैसे तो प्रत्येक जिले में निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त करने की परपरा प्रचलित थी ही। किन्तु मलबार जिले में तो यहाँ के विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के कारण यह प्रथा बड़े पैमाने पर व्याप्त थी। सन् १८२३ में वहाँ के एकमात्र कॉलेज में अध्ययन करनेवाले छात्रों की सख्या की तुलना में २१ प्रतिशत अधिक छात्र तो घरेलू तौर पर ही अध्ययन करते थे। मलबार जिले में १९४ छात्र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करते थे। प्रान्त के प्रत्येक जिले में लगभग सभी गाँवों में आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और उनमें से कई तो सरकारी वेतनप्राप्त चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएँ देते थे। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की शिक्षा दी जाती थी।

सर्वेक्षण में जिलों से अधूरी जानकारी मिलने से निजी तौर पर विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करनेवाले छात्रों की पूरी सख्या प्राप्त करना कठिन था। तथापि एक बात स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि किसी भी सस्था में अध्ययन करनेवाले छात्रों की अपेक्षा निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों की सख्या बहुत अधिक थी।

सस्थामें रहकर अध्ययन करनेवाले छात्रों की सख्या एव घर पर रहकर अध्ययन करनेवाले छात्रों की सख्या के सम्बन्ध में चेन्नई जिले ने भेजी हुई जानकारी भी विशेष रूप से रोचक लगती है।

घर पर रहकर विद्याध्ययन करनेवाले छात्रों की संख्या के बारे में चेन्नई जिले की जानकारी किस प्रकार रोचक है यह देखें। यहा पर पाठशाला में रहकर अध्ययन करनेवाले छात्रों की अपेक्षा घर पर अध्ययन करनेवाले छात्रो की सख्या ४ ७३ प्रतिशत अधिक थी। उनमें आधी सख्या ब्राह्मण और वैश्य छात्रों की थी। शूद्र छात्रों की सख्या २८ ७ प्रतिशत थी जो विशेष ध्यानाकर्षक थी। चेन्नई नगर के जिस क्षेत्र में भारतीय रहते थे वह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा और गदा था। मदुराई तजावुर त्रिचिनापल्ली पाँडिचेरी आदि स्थानों पर रहनेवाले लोगों की तुलना में चेन्नई के लोगों की सामाजिक स्थिति भी निम्न थी। कदाचित् इसी कारण से इन चार जिलों में अपनी व्यवस्था से अध्ययन करनेवाले छात्रों की सख्या चेन्नई के छात्रों की संख्या से बहुत अधिक थी। इस संदर्भ में टोमस मनरो के निरीक्षण कि चेन्नई नगर में घर पर रह कर

सारिणी ७ क मलबार जिले में निजी तौर पर शिक्षक से उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रोंकी जानकारी १८२३

विषय	ब्राह्मण			वैश्य			शूद्र			अन्य जातियां			योग			मुस्लिम			महायोग		
	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग
धर्मशास्त्र एवं विधि	४७१	३	४७४										४७१	३	४७४				४७१	३	४७४
खगोलशास्त्र	७८		७८	१८	५	२३	१७६	१९	१९५	४९६	१४	५१०	७६८	३८	८०६	२		२	७७०	३८	८०८
अध्यात्मविज्ञान	३४		३४							३१		३१	६५		६५				६५		६५
नीतिशास्त्र	२२		२२							३१		३१	५३		५३				५३	-	५३
आयुर्विज्ञान	३१		३१				५९		५९	१००		१००	१९०		१९०	४		४	१९४		१९४
योग	६३६	३	६३९	१८	५	२३	२३५	१९	२५४	६५८	१४	६७२	१५४७	४१	१५८८	६		६	१५५३	४१	१५९४

कुल जनसंख्या

पुरुष ४ ५८ ३६४ स्त्री ४ ४९ २०७

सारिणी ७ ख : चैन्नई जिलेमें घरमें ही शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रोंकी जानकारी फरवरी १८२५

ब्राह्मण			वैश्य			शूद्र			अन्य जातियां			योग			मुस्लिम		
कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग
७५८६	९८	७६८४	६१३२	६३	६१९५	७५८९	२२०	७८०९	३४४९	१३६	३५८५	२४७५६	५१७	२५२७३	१६९०		१६९०

हिन्दु/मुस्लिम योग		
कुमार	कन्या	योग
२६ ४४६	५१७	२६९६३

कुल जनसंख्या : पुरुष २ २८ ६३० स्त्री २ ३३ ४९५

अध्ययन करनेवाले छात्रों की सख्या २६ ९०३ बताई गई है उसमें कहीं दोष नज़र आता है। यह निरीक्षण वैसे तो बेबुनियाद दिखाई देता है क्योंकि अगर इन आकड़ों में सचमुच कहीं दोष होता तो छात्रो की गिनती पुन हो सकती थी और वह कार्य मुश्किल नहीं था। मनरो ने यह निरीक्षण किया उसके एक वर्ष पूर्व इस सर्वेक्षण के आँकडे राज्यपाल को भेज दिए गए थे किन्तु चेन्नई की समूची कार्यकारिणी की सत्ता उनके अपने अधीन है यह दिखाने के लिए ही मनरो ने ऐसा अभिमत दिया हो यह सभव है। फिर भी इग्लैण्ड में रहकर भारत के बारे में नीति विषयक निर्णय लेनेवाले अग्रेज अधिकारियों को ऐसे ही निर्णयों की सदा प्रतीक्षा रहती थी।[१] मनरो ने इसके साथ यह भी लिखा है कि 'यहाँ भारत में शिक्षा का स्तर हमारे देश के स्तर जितना ही नीचा है। किन्तु यूरोप के अधिकाश देशों की अपेक्षा भारत में प्रवर्तमान शिक्षा का स्तर ऊँचा है। यहाँ प्रवर्तमान' का तात्पर्य १९वीं शताब्दी के आरभ का समय है। उस समय ब्रिटिश द्वीपों में सभी के लिए दिवसीय विद्यालय खुल गए थे।

कन्याशिक्षा

सारिणी ९ में बताया है उस प्रकार पाठशालाओं में कन्या छात्राएँ बहुत कम रहती थीं। मलबार और विशाखापट्टनम् जिले का जयपुर प्रदेश इन दो क्षेत्रों को छोड़कर कहीं भी पाठशालाओं में ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय जाति की कन्याएँ नहीं जाती थीं मछलीपट्टम्, मदुरा तिनेवेली और कोईम्बतूर के समाहर्ताओं के अनुसार उनमें अधिकाश नर्तिकाएँ थीं अथवा मदिरों में नृत्य करनेवाली देवदासी थीं। परन्तु मुस्लिम कन्याएँ पाठशाला में जाती थीं। त्रिचिनापल्ली में ५६ और सेलम में २७ मुस्लिम छात्राएँ थीं। हिन्दुओं में केवल शूद्र और अन्य जातियों की कन्याएँ ही थीं और वह भी अत्यत कम सख्या में। सारिणी ८ में मलबार और विशाखापट्टनम् के जयपुर प्रदेश की छात्राओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है जब कि सारिणी ९ में सभी जिलों में छात्राओं की जातिशः सख्या दर्शाई गई है।[११]

सारिणी ८ से पता चलता है कि विशाखापट्टनम् के जयपुर प्रदेश में कुमार छात्रों की अपेक्षा सर्वाधिक छात्राओं की सख्या २९ ७ प्रतिशत थी। उनमे भी ब्राह्मण कुमारों की तुलना में ब्राह्मण कन्याओं का अनुपात ३७ प्रतिशत था। उसी प्रकार मलबार में मुस्लिम छात्रों की अपेक्षा मुस्लिम छात्राओं का अनुपात आश्चर्यजनक रूप से ३५ १ प्रतिशत जितना ऊँचा था।[१२] वैश्य शूद्र और अन्य जातियों में कुमार छात्रों की तुलना में कन्या छात्राओं का अनुपात क्रमशः १५ ५ प्रतिशत १९ १ प्रतिशत और १२ ४ प्रतिशत जितना विशेष था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मलबार जिले में

और पूर्वीय तट पर उड़ीसा से दक्षिण में स्थित पहाड़ी जिले विशाखापट्टनम् में दो अर्थात् एक दूसरे से अतिदूर स्थित जिलों में इस प्रकार की सामाजिक समानता वास्तव में आश्चर्यजनक है।

५

चेन्नई प्रान्त में किए गए इन शैक्षणिक सर्वेक्षणों का इग्लैण्ड की सरकार ने स्वागत किया। इग्लैण्ड की सरकार ने चेन्नई सरकार को लिखे एक पत्र में बताया कि सर्वेक्षण करने के विचार के कारण हम सर टॉमस मनरो के अत्यत आभारी हैं। किन्तु सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी का अध्ययन देखकर अग्रेज सरकार ने अपना अभिमत पलट दिया और चेन्नई सरकार की इस कार्यवाही का मजाक उड़ाया। दिनाक १६ अप्रैल १८२८ के दिन इग्लैण्ड से चेन्नई प्रान्त को लिखे गए एक पत्र में बताया गया कि 'यहाँ भेजी गई जानकारी ज्यादातर अधूरी है और जो भी जानकारी यहाँ मिली है उससे यह प्रतीत होता है कि वहाँ भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

बंगाल और बिहार की तत्कालीन शिक्षापद्धति का एडम का ब्यौरा

चेन्नई प्रान्त में किए गए शैक्षणिक सर्वेक्षणों के १३ वर्ष बाद बगाल प्रात में भी तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति पर आशिक रूप में सरकारी सर्वेक्षण किया गया था। इन सर्वेक्षणों के परिणाम 'एडम का ब्यौरा' (Adams Reports) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस विवरण को 'रिपोर्ट्स ओन थ स्टेट ऑफ एज्यूकेशन एन बंगाल-१८३६ एण्ड १८३८ (Reports on the state of Education in Bengal-1836 and 1838)' शीर्षक दिया गया था।[११] एडम के ब्यौरे में तीन अलग अलग विवरण हैं। प्रथम विवरण में बगाल की तत्कालीन शिक्षापद्धति पर हुए सर्वेक्षणों के दिनाक १ जुलाई १९३६ को प्रकाशित किए गए परिणाम हैं (पृ १ से १२६)। दूसरे भाग में (पृ १२७ से २०८ और ५२८ से ५७८) राजाशाही जिले के नतोर प्रदेश की तत्कालीन स्थिति पर डब्ल्यू. एडम द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के दिनाक २३-१२-१८५३ को प्रकाशित परिणाम हैं। जब कि तीसरे भाग में (पृ २०९ से ४६७) मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्से का तथा बीरभूम बर्दवान दक्षिण बिहार और तिरहुत जिलों में किए गए सर्वेक्षण के परिणाम तथा उस पर एडम की टिप्पणियों के दिनाक २६-४-१८३८ को प्रकाशित अश का समावेश होता है।

सारिणी ८

क्षेत्र	ब्राह्मण	वैश्य	शूद्र	अन्य जातियाँ	मुस्लिम	योग
मलबार						
(१) कन्या	५	१३	७०७	३४३	१ १२२	२ १९०
(२) कुमार	२ २३०	८४	३ ६९७	२ ७५६	३ १९६	११ ९३६
(३) कुमार के अनुपातमें कन्याओंका प्रतिशत		१५.५%	१९.१%	१२.४%	३५.१%	१८.३%
जयपुर (विशाखापट्टणम्)						
(१) कन्या	९४		७१	६४		२२९
(२) कुमार	२५४	३८	२६६	२१३		७७१
(३) कुमार के अनुपातमें कन्याओंका प्रतिशत	३७%		२६.७%	३०%		२९.७०%

सारिणी ९ कन्या छात्राओं का जाति अनुसार विभाजन

जिला	ब्राह्मण	वैश्य	शूद्र	अन्य	मुस्लिम	योग	स्त्री जनसंख्या	अन्य जानकारी
उड़ियाभाषी								
गंजाम			२	१०		१२	१ ७९ १११	
तेलुगुभाषी								
विशाखापट्टनम्	९९	-	७३	१३१		३०३	४ ५८ ९१४	
जयपुर से ऊपर	९४		७१	६४		२२९	३६ ४१९	
राजमहेन्द्री	३		६	२८		३७	३ ४४ ७९६	
मछलीपट्टम्	१		१	२९	२	३३	२ ४० ६८३	अधिकाश नृत्यागनायें
गुण्टुर	५	-	३७	५७	३	१०२	२ १० ९५८	
नेल्लोर	-	-	५५	-	३	५८	४ ०६ ९२७	
कडप्पा	-		६८	३९	१	१०८	५ १५ ९९९	
कन्नड़भाषी								
बेल्लारी	२	१	२६	३१		६०	४ ३८ १८४	
श्रीरंगपट्टम्			१४			१४	१६ ७६१	
मलयालमभाषी								
मलबार								
१ विद्यालय	५	१३	७०७	३४३	११२२	२१९०	४ ४९ २०७	

सारिणी १ (निरन्तर) कन्या छात्राओं का जाति अनुसार विभाजन

जिला	ब्राह्मण	वैश्य	शूद्र	अन्य	मुस्लिम	योग	स्त्री जनसंख्या	अन्य जानकारी
२ निजी शिक्षा (उच)	३	५	१९	१४		४१		
क धर्म एवं न्यायशास्त्र	३				–	३	–	
ख खगोलशास्त्र	–	५	१९	१४	–	३८	–	
तमिलभाषी								
उत्तर आर्कोट	१	–	३२	८	११	५२	२ ७८ ४८१	
दक्षिण आर्कोट	–		९४	१०	–	१०४	२ ०२ ५५६	
चेंगलपट्ट	३	–	७९	३४	–	१७६	१ ७२ ८८६	
तंजावुर	–	–	१२५	२९		१५४	१ ८७ १४५	
त्रिचिनापल्ली	–		६६	१८	५६	१४०	२ ३३ ७२३	
मदुरा			६५	४०		१०५	३ ८६ ६८२	अधिकांश नृत्यागनायें
तिनेवेली	–	–	–	११७	२	११९	२ ८१ २३८	
कोईम्बतूर			८२		–	८२	३ २१ २६८	अधिकांश नृत्यागनायें
सेलम	–	–	३	२८	२७	५८	५ ३३ ४८५	
चेन्नई	–		–	–	–	–	–	
(१) सामान्य विद्यालय	१	९	११३	४		१२७	७ ३३ ४१५	
(२) धर्मादाय विद्यालय		२	–	४७	–	४९		
(३) घरमें शिक्षा	९८	६३	२२०	१३६		५१७		

एडम की शब्दावली और प्रस्तुति

एडम के विवरण ने पर्याप्त विवाद निर्माण किया था। उसने एक ऐसा अभिमत व्यक्त किया था कि सन् १८३० के बाद के वर्षों में बिहार और बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में १ लाख जितनी शालाएँ अभी भी किसी न किसी स्वरूप में अस्तित्व में थीं। उसके अभिमत से बहुत हलचल पैदा हो गई थी। क्योंकि उस कथन का एक अर्थ यह भी होता था कि यहाँ की शिक्षा संस्थाओं में बडे पैमाने पर गडबडी थी। उस विवरण में एडम की भाषा भी विशेष रूप से एक उपदेशक जैसी होने से उसका पठन और अध्ययन लगभग ऊबाऊ हो गया था। साथ ही एडम को भारत के शिक्षकों के प्रति या भारतीय शिक्षा परंपरा के प्रति जरा भी आदर या सम्मान का भाव नहीं था। साथ ही एडम का स्पष्ट मत यह भी था कि अंग्रेज सरकार को भारत में शिक्षा क्षेत्र में रुचि लेकर उसे आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए। शब्दों का भ्रम खड़ा करके इस मुद्दे को अंग्रेज सरकार के समक्ष अधिक प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का एडम का प्रयास रहा है यही उस विवरण से ज्ञात होता है। इसलिए ही भारत में 'शिक्षा क्षेत्र में बडे पैमाने पर गडबडी' 'यहाँ के शिक्षक भी सर्वथा अकुशल हैं' 'यहाँ पुस्तकें मकान जैसी भौतिक सुविधाओं की कमी है' जैसे मसले वह अपने वृत्त में बडे दबाव में आकर व्यक्त करता है जिससे अंग्रेज सरकार से अनुकूल प्रतिभाव प्राप्त किया जा सके। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये एडम महाशय सर्व प्रथम १८१२ में एक ईसाई मिशनरी के तौर पर भारत में आए थे। कुछ वर्षों के बाद मिशनरी कार्य त्यागकर उन्होंने पत्रकारिता का व्यवसाय अपनाया। परन्तु उस समय के अंग्रेज अधिकारी की तरह वह भारत में दोनों प्रवाहों का साक्षी था। एक प्रवाह भारत में ईसाईकरण की आवश्यकता पर दबाव डालनेवाले लोगों का था जिसमें विशेषरूप से विलियम विल्बरफोर्स जैसे लोग थे। दूसरा प्रवाह भारत के पाश्चात्यीकरण पर दबाव डालनेवाले लोगों का था जिसमें मेकोले तथा बेन्टिंक जैसे अधिकारी मुख्य थे। इन दोनों विचारधाराओं का सन् १८१३ के चार्टर एक्ट में समावेश कर लिया गया था। साथ ही एडम की रिपोर्टर्स संपूर्ण रूप में सरकारी न होने पर भी भारत के गवर्नर जनरल ने उसका स्वीकार किया था। इसके अलावा इन सर्वेक्षणों के लिए किया गया खर्च भी अदा किया गया था। इसलिए एडम ने अपने विवरण में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था जिसमें कोई ऐसा स्वर न निकले कि भारत में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त गडबडी के लिए कहीं पर भी अंग्रेज अधिकारियों पर आरोप आ जाए। बंबई प्रान्त के सर्वेक्षणों मे भी कई समाहर्ताओं ने ऐसे ही करिश्मे आजमाए थे।

सामाजिक स्थिति के बारे में वैविध्यपूर्ण उपयोगी जानकारी

एडम के विस्तृत विवरण से एक बात सिद्ध होती है कि ऐसी विस्तृत और वैविध्यपूर्ण जानकारी से युक्त विवरण तैयार करने में एडम ने अच्छा खासा परिश्रम किया

था। इस हेतु सन् १८०० के बाद प्राप्य सभी स्रोतों का उसने उपयोग किया था। उसने स्वय भी परिश्रम करके बहुत सी जानकारी इकट्ठी की थी। इससे बगाल और बिहार में एक लाख पाठशालाएँ थीं ऐसे उसके निरीक्षण को अलग ही रखकर देखें तो भी उसने इन सर्वेक्षणों के द्वारा तत्कालीन सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थिति के बारे में जो वैविध्यपूर्ण जानकारी प्रकाशित की है वह सचमुच महत्वपूर्ण है। एडम के विवरण के कुछ अश अध्याय ६ में प्रस्तुत किए गए हैं। अतः उन्हें देख लेने से बगाल बिहार की तत्कालीन सामाजिक शैक्षणिक परिस्थिति के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। एडम के तीनों ब्यौरों की सक्षिप्त जानकारी यहा प्रस्तुत है।

एडम का प्रथम विवरण

एडम के प्रथम अहवाल में सन् १८०० के पश्चात् के प्राप्य स्रोतों से उसने प्राप्त की हुई जानकारी दी गई है उससे निष्पन्न तथ्य व सार इस प्रकार है : (१) इस प्रान्त में प्रत्येक गाँव में संभवत एक पाठशाला थी। प्रवर्तमान परिस्थिति में इस प्रान्त में १ ५० ७४८ गाव हैं अतः कम से कम लगभग एक लाख गाँवों में विद्यालय थे।[१४] (२) प्राप्त स्रोतों के कारण एडम मानता है कि बगाल के प्रत्येक जिले में १०० जितनी उच्च शिक्षा की सस्थाएँ थीं। इस प्रकार बंगाल के १८ जिलों में १८०० जितनी उच्च शिक्षा की सस्थाएँ थीं। प्रत्येक सस्था में कम से कम छ छात्रों का अनुमान किया जाए तो उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों की सख्या १० ८०० के आसपास हो सकती है। वह और भी कहता है 'प्राथमिक शाला की पढाई सामान्य तौर से गाँव के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर में या उसके घर के आसपास किसी स्थान पर की जाती थी। जबकि उच्च शिक्षा की सस्थाओं के लिए कभी कभी तीन से पाँच जितने तो कभी ९ से ११ कक्षों वाले मिट्टी के बने आवासो में शिक्षाकार्य होता था। उसमें एक अध्ययन के लिए खण्ड रहता था। इन भवनों में छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। वहाँ रहनेवाले छात्रों के भोजन निवास एव वस्त्र की सुविधाएँ भी उन शिक्षकों तथा गाँव के लोगों के द्वारा होती थी। एडम इन दोनो प्रकार की शैक्षणिक सस्थाओं की शिक्षापद्धति तथा उसके दैनन्दिन कार्यक्रमों की चर्चा करता है। सारिणी १० में इसी प्रकार की जानकारी देखी जा सकती है।

एडम का द्वितीय विवरण

एडम के दूसरे विवरण में राजाशाही जिले के नेतोर क्षेत्र में उसने जो सर्वेक्षण किया उसीकी जानकारी प्रस्तुत की है। बहुत ही आधुनिक प्रकार की इस परियोजना

में एडम ने सर्वेक्षण की कुछ पद्धति विकसित करके इस क्षेत्र के सभी ४८५ गाँवों की जानकारी का विश्लेषण किया है। इस क्षेत्र की कुल जनसख्या १ २० ९२८ थी और कुल परिवारों की सख्या ३० ०२८ थी जिसमें हिन्दू मुसलमान का अनुपात १:२ का था। प्राथमिक विद्यालय २७ और माध्यमिक विद्यालय जो सभी हिन्दुओं के ही थे ३८ थे। जबकि १५८८ परिवारों के बच्चे घर पर रह कर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। इनमें ८० प्रतिशत बच्चे हिन्दू थे। प्राथमिक विद्यालयों में २६२ छात्र थे जिनमें से १३६ स्थानीय तथा २६१ दूर के छात्र थे। शिक्षा की आयु ८ से १४ वर्ष थी। उच्च शिक्षा के विद्यालयों में ३९७ छात्र थे। दूर के छात्रों को भोजन व निवास नि शुल्क रहता था। इन विद्यालयों की औसत शिक्षा अवधि १६ वर्ष थी। ये छात्र ११ से २७ वर्ष की आयु के थे। प्राथमिक पाठशालाओं की सख्या बहुत कम होने पर भी इस क्षेत्र में १२३ वैद्य २०५ ग्रामवैद्य और चेचक के टीके लगाने वाले ब्राह्मण थे।[११] २९७ स्त्री परिचारिकाएँ तथा ७२२ जितने सर्प तज्ञ भी थे।

एडम का तृतीय विवरण

एडम के तीसरे विवरण में बगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों का क्षेत्र (कुल ३७ में से २० खण्डों का क्षेत्र कुल ९ ६९ ४४७ की जनसख्या में से १ २४ २०४ की जनसख्या) तथा वीरभूम बर्दवान और बिहार के तिरहुट और दक्षिणी बिहार जिस में सभी जिलों के सर्वेक्षण की जानकारी दी गई है। इन पाचो जिलों में प्रत्येक जिले के एक खण्ड में एडम ने स्वय सर्वेक्षण किया था जबकि और अन्य खण्डों में उसके द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा कार्य सपन्न हुआ था। एडम प्रत्येक गाँव की भेंट करना चाहता था किन्तु उसके ध्यान में आया कि गाँव में कोई अग्रेज आ रहा है' ऐसी बात सुनते ही आतक छा जाता था इस भय या आतक को दूर करना आसान नहीं था। अत उसने प्रत्येक गाँव में जाने का इरादा त्याग दिया। इस कारण से उसका समय भी बच गया।

भाषा आधारित विभाजन

जिन पाच जिलों में सर्वेक्षण किया गया था उससे यह ज्ञात होता है कि शैक्षणिक सस्थाओं की कुल सख्या २ ५६६ थी जिसका भाषा आधारित विभाजन इस प्रकार है- बगाली १०९८ हिन्दी ३७५ सस्कृत ३५३ फारसी ६९४ अरबी ३१ अग्रेजी ८ कन्या ६ और शिशु १। मिदनापुर जिले के विद्यालयों की भी सख्या दी गई है - ५४८ बगाली १८२ उड़िया ४८ फारसी १ अग्रेजी।

विद्यालय शिक्षा के चार स्तर

प्राथमिक शिक्षा को एडम निम्नानुसार चार श्रेणियों में विभाजित करता है

(१) प्रथम १० दिन छात्र जमीन पर सलाई या बास की पट्टी से अथवा रेत पट्टी पर अक्षर लिखना सीखता था।

(२) द्वितीय : ढाई से चार वर्ष : इस अवधि में छात्र को ताड़पत्र पर अक्षरज्ञान दिया जाता था। उसमें लिखाई पढ़ाई १०० तक का अंकज्ञान तथा ज़मीन नापने की सारिणियों की शिक्षा दी जाती थी।

(३) तृतीय श्रेणी २ से ३ वर्ष इस अवधि में छात्र को केले के पत्तों पर लिखना सिखाया जाता था। गणित की शिक्षा भी दी जाती थी।

(४) चतुर्थ श्रेणी दो वर्ष : इन वर्षों में छात्रों को कागज पर शिक्षा दी जाती थी। छात्रों को अपने घर रामायण मानस मगल जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए कहा जाता था। साथ ही उन्हें हिसाब पत्र लेखन आवेदन लेखन आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। इस की जानकारी सारिणी १२ में प्रस्तुत है।

सभी क्षेत्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा

एडम के सर्वेक्षण की एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह सर्वेक्षण जिन क्षेत्रों में हुआ वहाँ सभी स्थानों पर समाज के सभी क्षेत्रों से छात्र और शिक्षक आते थे। अधिकाश शिक्षक तो ब्राह्मण कायस्थ सदगोप आदि जाति से थे फिर भी अन्य ३० जातियों के भी शिक्षक थे जैसे कि चाडाल जाति के ६ शिक्षक थे। छात्रों के सन्दर्भ में तो इससे भी अधिक जातियों का वैविध्य देखने को मिलता है। ऐसा ही कहा जा सकता है कि समाज की प्रत्येक जाति के छात्र आते थे। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय आदि छात्रों की सख्या ४० प्रतिशत से अधिक नहीं थी। बिहार के दो जिलों में यह मात्रा केवल १६ प्रतिशत ही है। इसकी अपेक्षा आश्चर्यजनक सख्या अन्य जाति के छात्रों की थी। जैसे कि बर्दवान जिले में डोम जाति के ६१ और चाडाल जाति के ६१ छात्र थे। इस जिले की मिशनरी पाठशालाओं में डोम और चाडाल जाति के कुल मिलाकर केवल चार ही छात्र अध्ययन करते थे। एडम के शब्दों में निम्न जातियों के 'केवल ८६ छात्र ही मिशनरी पाठशालाओं में अध्ययन करते थे इसकी अपेक्षा इस जाति के ही ६७४ छात्र भारत की परपरागत शिक्षा देनेवाली पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त करते थे'।

सारिणी–१० एडम के निरीक्षण सहित अन्य स्रोतों के अनुसार सन् १८०० के बाद उच्च शिक्षा की संस्थाएँ

जिला या स्थल	अनुमानित जन संख्या	हिन्दु मुस्लिम अनुपात	
दिनाजपुर	३० ०० ००० (१८०८)	३ से ७	बुचनन १६ एडम् : कुछ जिले के साथ जुड़ने से कुछ करते हैं।
पूर्णिया	१४ ५० ००० (१८०१) २९ ०४ ३८० (१८१०)	५७ से ४७	बुचनन ११९
कोलकत्ता	२ ०० ००० (लगभग) (१८२२)	-	वार्ड : (१८१८) : २८ छात्र : १७३
नदिया	७ ६४ ३४० (१८०२)	११ से ५	वार्ड : (१८१८) ३१ मात्र : ७४७ तर्कशास्त्र कानून एच एच.विलसन (१८२०) : २५ छात्र ५०० ६०० अधिकारो १८१६) ४६ छात्र ३८०
(१) कुमारहट (२) भाटपारा			वार्ड : ७ ८ वार्ड : ७ ८
२४ परगना (१) जयनगर (२) मुजीलीपुर (३) आन्दुली	१६ २५ ००० (१८०१)		हेमिल्टन (१८०१) : १९० वार्ड : १७ १८ वार्ड : १७ १८ वार्ड : १० १२
मिदनापुर	१५ ०० ००० (१८०१)	६ से १	हेमिलटन : एक भी नहीं / एडम : ४०
कटक (पुरी	१२ ९६ ३६५	१० से १	स्टर्लिंग : मठ का मुख्य मुद्दा
हुग्ली	१२ ९६ ३६५	३ से १	वार्ड : (१८१८) हेमिल्टन : (१८०१) : १५०
(१) वंसारिया (२) त्रिवेणी (३) उन्दुलपरा			तर्कशास्त्र न्याय : १०

जिला या स्थल	अनुमानित जन सख्या	हिन्दु मुस्लिम अनुपात	
(४) भुवनेश्वर (५) वेली			न्याय : १० न्याय : २ ३
बर्दवान	१४ ४४ ४८७ (१७९३ ९४)	५ से १	हेमिल्टन एक भी नहीं / एडम : अकल्प्य
जेसोर	१२ ०० ००० (१८०१)	७ से १	जानकारी नहीं है।
ढाका जलालपुर	९ ३८ ७१२ (१८०१)	१ से १	हेमिल्टन : कुछ : जनसंख्या का कुछ हिस्सा गुलाम
बाकरगंज	९ २६ ७२३ (१८०१)	५ से ३	जानकारी नहीं है / एडम: कुछ होगी।
चितागोंग(चटगांव)	१२ ०० ००० (१८०१)	२ से ३	जानकारी नहीं है / कुछ मुस्लिम और ब्राह्मण
टिप्पेरा	७ ५० ००० (१८०१)	४ से ३	जानकारी नहीं है /
मैमनसिंग	१३ ०० ००० (१८०१)	२ से ५	हेमिल्टन : २ ३ हर परगना के लिये
सिलहट	४ ९२ ९४५	३ से २	जानकार नहीं है/
राजशाही	१५ ०० ००० (१८०१)	२ से १	जानकारी नहीं है / एडम कुछ हो सकती है
रंगपुर	२७ २५ ०००	१२ से १५	एडम : ९ उप विभागों में से ४१
मुर्शिदाबाद	१० २० ५७२ (१८०१)	२ से १	१८०१ अनुमानत : २१ एडम कुछ अधिक
बीरभूम	१२ ६७७ ०६७ (१८०१)	३० से १	हेमिल्टन : मौन / एडम कुछ अधिक

लेखा विषय का अध्ययन

एडम ने अपने सर्वेक्षण में पाठशालाओं में अध्ययन के लिए प्रयुक्त पुस्तकों की सूची दी है। उसकी जिलाश सूची में बहुत ही अतर होने पर भी समानता यह है कि इन सभी पाठशालाओं में 'देशी लेखा विषय की शिक्षा दी जाती थी। हालाकि एक भी मिशनरी पाठशाला में इस विषय की शिक्षा नहीं दी जाती थी। शालाओं में देशी लेखा के साथ कृषि विषयक लेखा की पढाई भी होती थी। सारिणी १३ में इसका विवरण दिया गया है।

सामान्यत ५ से ८ वर्ष की आयु में शाला प्रवेश होता था और १३ से १६ वर्ष की आयु में छात्रों का अध्ययन पूर्ण होता था।

सस्कृत पाठशालाएँ

एडम ने अपने सर्वेक्षण में ३५३ सस्कृत पाठशालाएँ बताई हैं जिसमें सर्वाधिक बर्दवान जिले में १९० (१ ३५८ छात्र) थीं जबकि दक्षिण बिहार में सब से कम २७ (४३७ छात्र) थीं। पाठशालाओं में ३५५ शिक्षक थे। केवल पाच शिक्षक नाई जाति के थे। पाठशालाओं में प्रमुख रूप से व्याकरण (१ ४२४ छात्र) तर्कशास्त्र (३७२ छात्र) न्यायशास्त्र (३३६ छात्र) साहित्य (१२० छात्र) पुराण (८२ छात्र) ज्योतिषशास्त्र (७८ छात्र) शब्दशास्त्र (४८ छात्र) वक्तृत्वकला (१९ छात्र) वेदान्तशास्त्र (१३ छात्र) तत्रविद्या (१४ छात्र) मीमासा (२ छात्र) आयुर्वेद (१८ छात्र) साख्य (१ छात्र) जैसे विषयों का अध्ययन होता था। इनमें प्रवेश की आयु और अध्ययन की अवधि प्रत्येक जिले में भिन्न भिन्न होती थी। जैसे कि व्याकरण विषय में १२ वर्ष न्यायशास्त्र और तत्र विद्या में २० वर्ष की आयु में प्रवेश प्राप्त होता था। शिक्षा की समयावधि सामान्य रूप से ७ से १५ वर्ष की रहती थी।

पर्शियन और एरेबिक शिक्षा सस्थाएँ

पर्शियन की शिक्षा देनेवाली सस्थाओं को एडम उच्च शिक्षा की सस्था न मानकर पर्शियन को पाठशाला के केवल एक विषय के तौर पर ही स्वीकार करता है। ऐसी सस्थाओं की सख्या ३ ४७९ थी। इनमें सर्वाधिक दक्षिण बिहार में १ ४२४ थीं। छात्रों को ७ से १० वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता था तथा ११ से १५ वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी। यहाँ आधे से अधिक छात्र हिन्दू थे जिनमें क्षत्रियों की मात्रा अधिक थी।[११] १७५ छात्र अरबी भाषा का अध्ययन करते थे जो अधिकतर मुस्लिम थे। उनमें १४ क्षत्रिय २ आगुरी १ तेली और एक ब्राह्मण भी था। इन पाठशालाओं में

सारिणी ११ विद्यालयों की संख्या एवं प्रकार

विद्यालयों के प्रकार	मुर्शिदाबाद (कुछ हिस्सा)	वीरभूम (पूरा हिस्सा)	बर्दवान (पूरा हिस्सा)	दक्षिण बिहार (पूरा हिस्सा)	तिरहुत (पूरा हिस्सा)	योग	मिदनापुर (पूरा हिस्सा)
बंगाली	६२	४०७	६२९	-	-	१६४६	५४८
हिन्दी	५	५	-	२८५	८०	३७५	
उड़िया	-		-	-	-	१८२	१८२
संस्कृत	२४	५६	१९०	२७	५६	३५३	
पर्शियन	१७	७१	९३	२७९	२३४	७४२	४८
अरबी	२	२	११	१२	४	३१	
अंग्रेजी	२	२	३	१	-	०९	१
कन्या	१	१	४	-	-	०६	-
बच्चे			-	-	-	००	-
योग	११३	५४४	९३१	६०४	३७४	३३४४	७७९

सारिणी १२ छात्रसंख्या

उपयोगमें लायी गयी सामग्री	मुर्शिदाबाद	वीरभूम	बर्दवान	दक्षिण बिहार	तिरहुत
प्रथम चरण					
भूमि : रेत पट्टी	७१	३७२	७०२	१ ५६०	२५०
द्वितीय चरण					
तालपत्र	५२५	३ ५५१	७ ११३	-	-
लकड़ीकी पट्टी	३५	१९	-	१५०३	१७२
तृतीय चरण					
केला पत्ता	३	२९९	२७६५	-	
साल पत्र	९	-		४२	५५
ताम्र पट्टिका					
चतुर्थ चरण					
कागज	४३७	२ ०४४	२ ६१०	३९	३०
योग	१ ०८०	६ ३८३	१३ १९०	३ १४४	५०७

अनेक प्रकार की पुस्तकों की शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षकों की आयु ३० वर्ष से अधिक ही रहती थी।

पजाब के डॉ लीटनर द्वारा संपन्न सर्वेक्षण

एडम के सर्वेक्षण के ४५ वर्ष बाद डॉ जी डब्ल्यू, लीटनर द्वारा पजाब में पारपरिक भारतीय शिक्षा पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण हुआ था।[५७]

डॉ लिटनर लाहौर की सरकारी कॉलेज में प्रिन्सिपल थे। कुछेक अरसे के लिए उन्होंने पजाब सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक के पद पर भी कार्य किया था। उनका सर्वेक्षण एडम के सर्वेक्षण से मिलता जुलता दिखाई देता है किन्तु उनकी भाषा और निष्कर्ष एडम की तुलना में विशेष स्पष्ट और असदिग्ध है। उसमें ब्रिटिश सरकार की प्रशस्ति भी बहुत कम हुई है। यह भी हो सकता है कि समय के साथ साथ अग्रेजों के शासन सम्बन्ध में विरोधी स्वर या टिप्पणी का विरोध करने की असमर्थता भी बढ़ने लगी थी। परतु वे मानने लगे थे कि भारत पर शासन करने का उन्हें 'दैवी अधिकार' प्राप्त हो गया है।[५८]

लिटनर अपने सर्वेक्षण में लिखते हैं 'जब पजाब अग्रेजों के आधिपत्य में आया तब यहाँ की विभिन्न स्तर की पाठशालाओं में ३ ३० ००० जितने छात्र थे। वे सभी लिख पढ सकते थे साथ ही साधारण गणना भी कर सकते थे। इसमें और भी कहा गया है कि ३५ या ४० वर्ष पूर्व अरबी और सस्कृत महाविद्यालयों में हजारो की सख्या में छात्र साहित्य न्यायशास्त्र तर्कशास्त्र तत्त्वचिंतन और आयुर्वेद का उच्च स्तर का अध्ययन करते थे। अपने ही पूर्व लेखन का सबल लेकर डॉ लिटनर ने पजाब की प्रत्येक जिले की विस्तृत जानकारी प्राप्त करके सन् १८८२ में शिक्षा की स्थिति पर विस्तृत सर्वेक्षण करवाया था। उनके सर्वेक्षण का सार की गई टिप्पणिया पाठ्यक्रम की पुस्तकें आदि की जानकारी सारिणी 'च' में दी गई है।

इस प्रकाशन में शिक्षा विषयक जो भी अभिलेख या जानकारी दी गई है उससे एक बात प्रकट होती है कि १८वीं शताब्दी में या १९वीं शतादी के आरभ तक भारत में शिक्षा के अतर्गत धर्मशास्त्र न्यायशास्त्र तर्कशास्त्र आयुर्वेद ज्योतिषशास्त्र खगोलशास्त्र जैसे विषय उच्च शिक्षा में सर्वत्र पढ़ाए जाते थे। तथापि इन सब में कहीं भी परपरागत तत्रविज्ञान या हस्तकलाकौशल के हुनर के बारे में साधारण सकेत तक नहीं है। वैसे तो सगीत तथा नृत्यकला का भी विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं होता। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ये कलाएँ ज्यादातर मदिर के परिसर के साथ जुड़ी हुई

सारिणी १३ प्राथमिक एवं ईसाई विद्यालयोंमें लेखा की शिक्षा

लेखा का प्रकार	विद्यालय संख्या				
	मुर्शिदाबाद	वीरभूम	बर्दवान	दक्षिण बिहार	तिरहुत
१ व्यापारी	७	३६	२	३६	४
२ खेती	१४	४७	५	२०	८
३ दोनों	४६	३२८	६०८	२२९	६८
योग	६७	४११	६१५	२८५	८०
४ ईसाई विद्यालय		१	१३		
कुल विद्यालय	६७	४१२	६२८	२८५	८०

थीं। किन्तु भारत की परपरागत हुनर कला या तत्रविद्या का कहीं पर भी उल्लेख न होने का मुख्य कारण यह था कि जिन लोगों ने भारत की परपरागत शिक्षापद्धति पर लिखा है चाहे वे कोई प्रवासी हों या सरकारी अधिकारी या मिशनरी या कोई विद्वान उन में किसी की भी भारत की परपरागत तत्रविद्या या हुन्नरकला में विशेष रुचि नहीं थी। तथापि उनमें कुछ लोगों ने इसके बारे में परोक्ष रूप से निर्देश किया है। जैसे कि कृषि के साधन सूती या रेशमी कपड़े की बुनाई भवन निर्माण या स्थापत्य से सबधित साधन नाव बनाने के साधन बर्फ कागज आदि बनाने की पद्धति तत्रविद्या तथा परपरागत कारीगरों के निर्देश आदि उनके लेखन में परिलक्षित होते हैं। किन्तु इन विषयों की शिक्षा वशपरपरागत तौर पर किस प्रकार चलती रही उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। भारत में प्राचीन काल से कला-कौशल की परपरागत तौर पर प्राप्त होनेवाली शिक्षा का कहीं पर भी उल्लेख न होने का कोई एक कारण नहीं हो सकता। भारत में यह शिक्षा विद्यालयों में नहीं अपितु पीढ़ियों तक घरों में ही दी जाती रही यह भी एक यथार्थ है। इसके विपरीत इग्लैण्ड में ऐसे हुनरों की शिक्षा किसी सज्जन के पास वर्षो तक अत्यत परिश्रमपूर्वक प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति तथाकथित व्यवसाय में प्रवेश नहीं पा सकता था। जबकि यहाँ भारत में कला कौशल की शिक्षा बच्चों को उनके माता पिता बुजुर्गों के द्वारा सहज स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती थी। इस प्रकार की शिक्षा का उल्लेख और कहीं न होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत में निश्चित प्रकार का कला कौशल या तत्रविद्या परपरागत रूप से किसी निश्चित जाति के पास ही रहती थी। अत तथाकथित कारीगरी की शिक्षा निश्चित जाति तक ही सीमित रहती थी। इस विषय में एक निरीक्षण ध्यान आकर्षित करता है -

भारत के कला कौशल की शिक्षा प्राप्त करना अत्यत जटिल है। इन कारीगरों की शिक्षा तो परपरागत तौर पर निश्चित जातियों में ही होती रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जानेवाला इस प्रकार का शिक्षण अपनी जाति के अलावा और किसी जाति को दिया जाता था तो ऐसी शिक्षा देनेवाले को दण्डित कर जाति से बाहर धकेल दिया जाता था। इस दण्ड को लोग इतना भयकर मानते थे कि उसके भय के कारण कोई व्यक्ति ऐसी शिक्षा औरों को देने का साहस करता ही नहीं था।[११]

तात्पर्य यह है कि कोई निश्चित जाति के अनेक लोग किसी एक निश्चित कारीगरी या तत्रविद्या का ज्ञान रखते थे। इससे परपरागत तौर पर दी जानेवाली इस शिक्षा के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी जातियों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो इसके लिए सभी जातियों के बारे में गहन अध्ययन होना आवश्यक था।

इन भिन्न भिन्न प्रकार की कारीगरी के बारे में हमारे पास नहीं के बराबर जानकारी है। किन्तु १९वीं शताब्दी की शुरुआत में राजस्व घटाने हेतु ऐसे हुनरों की सूची बेल्लारी प्रान्त में तैयार की गई थी। इस सूची के द्वारा हमें उस समय के लोग किस प्रकार के हुनर जानते थे उसकी जानकारी मिलती है। यह सूची निम्नानुसार है -

चिनाई से संबधित कारीगर
पत्थर तरासनेवाला
लकड़ी चीरनेवाला
कुँआ तालाब खोदनेवाला
चूना बनानेवाला
बास का काम करनेवाला
बढ़ई
सगमरवर की खान में काम करनेवाला
ईंट बनानेवाला

धातुविद्या के कारीगर
कच्चे लोहे के कारीगर
लोहे की भट्ठी के कारीगर
पीतलकाम के कारीगर
स्वर्णरज इकट्ठी करनेवाले कारीगर
घोड़े की नाल बनानेवाले कारीगर
मुहर बनानेवाले कारीगर
लोहा निर्माण करनेवाले कारीगर
लोहे की सलाखें बनानेवाले कारीगर
तांबे के कारीगर
लोहार सोनी
सीसा शुद्ध करनेवाले कारीगर
घोड़े की नाल बनानेवाले कारीगर

कपड़ा उद्योग से संबधित कारीगर
रूई साफ करनेवाले कारीगर
मुलायम चमकीला कपड़ा बुननेवाले
रेशम बुननेवाले (जुलाहे)
नाई जाति के जुलाहे
नील बनानेवाले
हाथ करघा बनानेवाले
मुलायम कपड़ा बुननेवाले
खुरदरा कपड़ा बुननेवाले
दरी बनानेवाले
कालीन बनानेवाले
कम्बल बनानेवाले
डोरी के परदे बनानेवाले
बोरे बनानेवाले

अन्य कारीगर
कागज बनानेवाले
पटाखे बनानेवाले
तेली चमार दर्जी
वनौषधि इकट्ठी करनेवाले
चंदन की लकड़ी का काम करनेवाले
छाता बनानेवाले
अगरिया धोबी नाविक
शराब बनानेवाले
साबुन बनानेवाले
चावल पीसनेवाले
मछुआरे
चटाई बनानेवाले
चित्रकारी करनेवाले

एक करुण यथार्थ यह है कि भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के कुछ ही दशकों में भारत की परपरागत बुनियादी शिक्षा पद्धति की भारी उपेक्षा होने लगी थी। चेन्नई प्रान्त के सन् १८२२-२५ में और बगाल बिहार में एडम द्वारा सन् १८३५-३८ में एव पजाब में डॉ लीटनर के द्वारा सम्पन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में यह यथार्थ देखने में आया। भारत के असख्य परपरागत हुनर तत्रविद्या तथा कारीगर उत्पादकों का विस्तृत अध्ययन किया गया होता तो उसके परिणाम वास्तव में अद्भुत प्रकार के होते। अंग्रेजों का भारत में शासन स्थापित होने से पूर्व भारत का समाज जीवन तथा भारत के निर्यात आदि के यूरोपीयों ने किए वर्णनों के द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि भारत उस समय अत्यत समृद्ध और जीवित राष्ट्र था। १९वीं शताब्दी के आरम में तथा तत्पश्चात् के वर्षों में भारतीय समाजजीवन में फैली अंधाधुधी और हताशा भारत में अंग्रेज तथा अन्य यूरोपीय लोगों के आधिपत्य का ही परिणाम था यह कहने में कोई सकोच नहीं होना चाहिए। सन् १७६९-७० में बंगाल में पड़े भयानक अकाल को आनेवाले कठिन समय का सकेत ही कहेंगे क्योंकि अकाल के लिए अंग्रेजों ने जो आकड़े बताए थे उसके मुताबिक बगाल की एक तिहाई जनसख्या मृत्यु को प्राप्त हो गई थी।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो समाजजीवन में व्याप्त अव्यवस्था आवश्यक भी थी। इसे अग्रजों ने जानबूझकर फैलने दिया यह भी हो सकता है। साम्राज्यवाद तथा पूजीवाद के प्रखर विरोधी कार्ल मार्क्स ने सन १८५३ में लिखा था इग्लैण्ड को भारत में दो काम करने हैं। एक विनाश का और दूसरा पुन निर्माण का। एशिया की प्राचीनतम समाजव्यवस्था को नष्ट करके इग्लैण्ड को एशिया में पाश्चात्यीकरण की बुनियाद डालनी है।[१]

इस प्रकार इग्लैण्ड के द्वारा योजनाबद्ध विनाश का शिकार केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के और देश भी बने हैं। अमेरिका तथा अफ्रीका के कई प्रदेशों में तो अंग्रेजों का आतक छा गया था। सन् १५०० के बाद विभिन्न यूरोपीय लोगों ने अमेरिका के कितने ही भू भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करके वहाँ के मूल निवासियों का सफाया ही कर दिया था। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार सन् १५०० के समय में अमेरिका के मूल निवासियों की जनसख्या ९ से ११ २ करोड़ थी।[११] यह जनसख्या समूचे यूरोप की जनसख्या की अपेक्षा अनेक गुना अधिक थी। तथापि १९वीं शताब्दी के अत तक उनकी जनसख्या केवल कुछ लाख हो गई थी। विश्व के इतिहास में ऐसे कई युद्ध और आधिपत्य स्थापित करने के लिये हुए कत्लेआम में

कितने हजारों लाखों लोगों की हत्या हुई होगी उसकी कल्पना करना भी अत्यत हृदयद्रावक होगा। ऐसे निर्दयतापूर्ण कृत्यों से विश्व का कोई भी देश अपने आपको अलग नहीं रख सका। तात्पर्य यह है कि विश्व के विभिन्न देशों पर अपना अधिकार स्थापित करने के साथ साथ यूरोपीय उन देशों की परपराओं एव प्राचीन सभ्यताओं पर भी कुठाराघात करते रहे हैं।

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तो भारत के लोगों को उनके समाज में व्याप्त अव्यवस्था पतन और ह्रास की स्थिति का अनुभव होने लगा था। शनै शनै जन मानस में इस स्थिति के विरोध में आवाज भी उठने लगी थी। १९वीं शताब्दी के अत में तो भारत के जनसामान्य को प्रतीति हो गई थी कि अब सारा देश अग्रेजों का गुलाम बन गया है और वे सभी अधिकाधिक दरिद्र होते जा रहे हैं।[१२] उनकी आर्थिक स्थिति का भी दिन प्रतिदिन क्षरण होता जा रहा है। अग्रेज उन्हें ठग रहे हैं। वे उनके रीति-रिवाजों का निरन्तर मजाक उड़ा रहे थे। इस प्रकार उन्हें पता चल गया कि अग्रेजों ने उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को आमूल नष्ट कर दिया है। भारतीयों के मन में एक बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत में फैली निरक्षरता का कारण अग्रेज ही हैं। क्योंकि भारत में अग्रेज आए उससे पूर्व साक्षरता शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भारत शीर्ष स्थान पर स्थापित था। सन् १९३० तक तो भारत के उद्योग तथा कला कारीगरी के अग्रेजों ने किए विनाश के बारे में उन्होंने लिखना शुरु कर दिया था। उसी प्रकार शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र की अग्रेजों के द्वारा हुई दुर्दशा के बारे में लोग बड़े पैमाने पर लिखते थे। दु खदायक तो यह था कि मार्क्सवाद समाजवाद या पूजीवाद के पश्चिमी विचारों से प्रभावित भारतीयों के विचार अपने ही देश के विषय में द्वेषपूर्ण विचार करने वाले विलियम विल्बरफोर्स जेम्स मिल या मार्क्स के विचारों से मिलते थे।

भारत की इस प्रकार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बीच सन् १९३१ में अग्रेज सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए महात्मा गाधी लदन गए थे। वहाँ लदन की रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑव इन्टरनेशनल अफेर्स (Royal Institute of International Affairs) नामकी सस्था में व्याख्यान देने कि लिए गाधीजी को निमत्रण मिला था। लोर्ड लोथिअन की अध्यक्षता में दिनाक २० अक्तूबर १९३१ के दिन उस सभा में इग्लैण्ड के अनेक प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे।[१३]

यहाँ गाधीजी ने दिए प्रवचन से इग्लैण्ड में काफी हलचल मच गई थी। अपने प्रवचन में उन्होंने भारत में व्याप्त निरक्षरता का उल्लेख भी किया था। भारत का

भविष्य' (The Future of India) विषय पर अपने प्रवचन में गांधीजी ने सर्व प्रथम हिन्दू मुस्लिम समस्या अस्पृश्यता की समस्या तथा गाँवों में स्थित भारत की ८५ प्रतिशत जनसख्या की दारुण गरीबी जैसे विषयों का विस्तार से विश्लेषण किया था। तत्पश्चात् उन्होंने भारत की विशाल जनसख्या की आर्थिक उन्नति बेरोजगारी तथा सामान्य जन का स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी तत्काल हल ढूँढने लायक समस्याओं के बारे में भी चर्चा की थी। इन समस्याओं के बारे में काँग्रेस का अभिगम भी स्पष्ट किया था। भारत की वैद्यकीय आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया था कि भारत को क्विनाइन की गोलियों और फल दूध आदि की भी बहुत आवश्यकता थी। तत्पश्चात् गांधीजी ने शिक्षा और सिंचाई की सुविधाओं की अंग्रेजोंने की हुई उपेक्षा और फिर सिंचाई के लिए भारत में प्रचलित परपरागत पद्धतियों की बात की। अत में उन्होंने बताया कि अब तक वे भारत के लोग जिस प्रकार का रचनात्मक कार्य कर सकते हैं वह बता रहे थे और आगे कहा कि अब मुझे कुछ विनाशक गतिविधियों के बारे में बात करनी होगी। इन विनाशक गतिविधियों के बारे में रहस्य बताते हुए कहा कि 'सेना और नागरिक सुविधाओं के लिए होनेवाले खर्च में सतुलन नहीं है। भारत में ऐसा सतुलन कभी भी सफल नहीं हो सकता। सेना के लिए जो लाखों का व्यय हो रहा है वह मेरा बस चले तो मैं तीन चौथाई बद करवा दूँ। सरकारी व्यय के बारे में बताया कि 'यहाँ प्रधानमत्री को सामान्य नागरिक की अपेक्षा ५० गुना अधिक वेतन मिलता है जबकि वाइसरॉय को ५०० गुना राशि वेतन में दी जाती है। अत इससे आपको ज्ञात हो ही जाएगा कि भारत में जनकल्याण की राशि कहाँ खर्च होती है।

शिक्षा के बारे में चर्चा करते हुए गांधीजी ने दो बातों पर सबका ध्यान आकर्षित किया (१) भारत मे आज ५० या १०० वर्ष पूर्व थी उससे अधिक निरक्षरता दिखाई देती है और (२) अंग्रेज अधिकारी शिक्षा और सबधित विषयों पर ध्यान देने के बजाय शिक्षा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं उन्होंने भारतकी शिक्षा परपरा के प्राण ले लिए हैं। हमारी शिक्षा पद्धति की जड़ें नींव से ही उखाड़ दी हैं फलत हमारा शिक्षा रूपी वृक्ष आज नष्ट हो रहा है। इस प्रकार गांधीजी ने पूर्ण विश्वास और अधिकार पूर्वक ये बातें सभी के समक्ष कीं। फिर उन्होंने अपने प्रवचन में आंकड़ों में जो जानकारी दी थी उसे चुनौती दी जाए तो भी कोई भय नहीं है यह कहा। इस प्रकार गांधीजी ने अंग्रेजों को चुनौती ही दी। गांधीजी की इस चुनौती को अंग्रेज सर फिलिप हार्टोग ने स्वीकार कर लिया। यह हार्टोग ध स्कूल ऑफ ओरिएन्टल स्टडीज लदन'(The school of

oriental studies London)[५४] का एक सस्थापक था। उपरात उसने ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर तथा अग्रेज सरकार द्वारा १९१८ से १९३० तक के वर्षो में स्थापित अनेक शैक्षणिक समितियों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में काम किया था। गाधीजी का प्रवचन पूरा होते ही उसने उनसे अनेक प्रश्न किए। तत्पश्चात् ५-६ सप्ताह तक दोनों के बीच लबा पत्रव्यवहार भी होता रहा। उसके बाद पुन एक बार हार्टोग ने महात्मा गाधी से एक घण्टे तक भेंट भी की। इस भेंट के दौरान गाधीजी ने प्रवचन में दिए आकड़ों के स्रोत तक बताए। उसमें दिसबर १९२० में 'यग इण्डिया' में प्रकाशित दौलतराम गुप्ता के दो लेख भी बताए। ये लेख थे (१) ध डिक्लाइन ऑफ मास एज्यूकेशन इन इन्डिया' (The Decline of Mass Education In India) और (२) 'हाउ इण्डियन एज्यूकेशन वॉज क्रश्ड इन ध पजाब' (How Indian Education was Crushed in the Punjab)। ये दोनों लेख ज्यादातर एडम के रिपोर्ट्स जी डब्ल्यू लीटनर की प्रकाशित पुस्तक और पजाब सरकार द्वारा प्रकाशित किये गये अधिकृत साहित्य पर ही आधारित थे। तथापि फिलिप हार्टोग को गाधीजी के दिए स्रोत अपूर्ण ही लगे और उन्होंने गाधीजी को उनका कथन वापस लेने के लिए आग्रह किया। गाधीजी ने उसे भारत वापस जाकर और भी स्रोत व प्रमाण भेजने का वचन देकर कहा कि 'मेरे चेथम हाउस में दिए गए प्रवचन में किए गए कथनों के मुझे आवश्यक प्रमाण नहीं मिलेंगे तो मैं अपने कथन वापस ले लूगा। बल्कि ऐसा होगा तो अपने इस कृत्य को मेरे चेथम हाउस में दिए गए प्रवचनों से भी विशेष प्रसिद्धि दिलाऊँगा'। गाधीजी के साथ इस भेंट के बाद हार्टोग ने बताया कि भारतीय परपरागत शिक्षा के विनाश के लिए गाधीजी ने अग्रेजों को कभी भी दोषित नहीं बताया बल्कि उनके मतानुसार अग्रजों ने इस शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहन न देकर उसकी उपेक्षा करके उस शिक्षा पद्धति को मृत प्राय होने दी क्योंकि वह इतनी खराब हो गई थी कि उसे बनाये रखने जैसा उसमें कुछ शेष रहा ही नहीं था।

इस दौरान हार्टोग ने सुप्रसिद्ध इतिहासविद् एडवर्ड थोम्प्सनका सपर्क करके गाधीजी के कथनों के बारे में उसके प्रतिभाव जाने। थोम्प्सन भी हार्टोग के जैसा अभिमत रखता था कि शिक्षा पद्धति और परपरागत उद्योगों का अग्रेजो ने नाश किया है ऐसा गाधीजी नहीं मानते हैं। जो कुछ भी हुआ वह अनिवार्य ही था।[५५] इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए एक पत्र में थोम्प्सन ने हार्टोग को लिखा था सन् १९१८ तक तो अत्यत कम काम हुआ है। अभी मैं सन् १८५७ की क्राति का इतिहास पढ

रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कॉंग्रेसवाले कभी भी इसे समझ नहीं पाएँगे'। हालांकि हार्टोग और थोम्प्सन के बीच पत्राचार विशेष लंबा चला नहीं क्योंकि हार्टोग को थोम्प्सन से जिस बौद्धिक सहयोग की अपेक्षा थी वह जरा भी प्राप्त नहीं हुई। इस सब झमेले में हार्टोग ने गाधीजी के कथन आधारभूत नहीं थे ऐसा एक निवेदन 'इन्टरनेशनल अफेर्स'[११] पत्रिका में प्रसिद्धि के लिए भेज दिया। वैसे भी हार्टोग का यह कृत्य पहले से ही अपेक्षित था। इस निवेदन के बाद हार्टोग ने लिखा कि अभी तक गाधीजी अपने प्रवचन के समर्थन में कोई प्रमाण दे नहीं पाए हैं और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि अगर वे ऐसे कोई प्रमाण नहीं दे पाएँगे तो वे अपने कथन को वापस ले लेंगे।

गोल मेज परिषद (Round Table Conference) पूरी होने पर गांधीजी भारत वापस लौटे और उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी गिरफतारी हुई। उन्हें यरवडा जेल में रखा गया। जेल से ही दिनांक १५-२-१९३२ को हार्टोग को पत्र लिखकर गाधीजी ने बताया कि 'वर्तमान परिस्थिति में वे उन्हें चाहिए वैसे प्रमाण भेज नहीं सकते हैं इसलिए यह कार्य उन्होंने प्रा के टी शाह को सौंपा है'। प्रा शाह ने शीघ्र ही संबधित प्रमाण हार्टोग को भेजे। इन प्रमाणों में मेक्समूलर लुड्लो जी एल. प्रेन्डरगास्ट टोमस मनरो डब्ल्यू. एडम जी डब्ल्यू लीटनर आदि की अभिलेखीय सामग्री का समावेश भी होता था। इनमें जी एल प्रेन्डरगस्ट मुंबई की प्रान्तीय सभा के सदस्य थे। उन्हीं के अप्रैल १८२१ के एक निवेदन को प्रो के टी शाह ने प्रमाण के तौर पर भेजा था। इस निवेदन में मुंबई प्रान्त के परिप्रेक्ष्य में प्रेन्टरगास्ट ने बताया था कि इस प्रांतीय सभा का प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि इस प्रान्त में कहीं भी ऐसा छोटा या बड़ा गाँव नहीं होगा जहाँ एक भी पाठशाला न हो। बल्कि बड़े गाँवों मे तो एक से अधिक पाठशालाएँ हैं और बड़े शहरों में तो प्रत्येक इलाके में पाठशालाएँ हैं। इन पाठशालाओ में वहाँ के निवासियों के बच्चों को लेखन पठन तथा अंकगणित की शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा पद्धति भी इतनी सस्ती है कि प्रत्येक माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने शिक्षक को प्रतिमास थोड़ा अनाज या एक-आध रुपया देकर अपने बच्चे को अध्ययन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं यह शिक्षापद्धति इतनी अधिक आसान और प्रभावी है कि यहाँ का कोई भी किसान या छोटा व्यापारी ऐसा नहीं है जो अपना हिसाब ठीक से चौकसाई पूर्वक न लिख सकता हो। ये लोग तो हमारे देश के इस स्तर के लोगों की अपेक्षा और भी अच्छी तरह से अपने हिसाब रख सकते हैं। जब कि यहाँ के बड़े व्यापारी और सराफ तो हमारे अंग्रेज

व्यापारियों की तरह और भी सतर्कता से व चौकसाई से अपने हिसाब रखते हैं। [६७]

हार्टोग को कैसे प्रमाण चाहिए यह प्रा के टी शाह समझ गए थे इसलिए उन्होंने हार्टोग को लिखे पत्र में प्रारम्भ से ही स्पष्टता की थी कि जिस समयावधि के संदर्भ में हमारी बहस चल रही है उस समयावधि के लिए आपको जिस प्रकार के प्रमाण चाहिए वैसे प्रमाण तो विश्व के किसी भी देश के संदर्भ में प्राप्त नहीं हो सकते। इसके लिए तो हमें सामान्य लोगों पर ही आधार रखना होगा। पत्र के अंत में उन्होंने लिखा 'इस विषय में लिटनर द्वारा प्राप्त सर्वेक्षण को ही आधार मानना होगा। उसी प्रकार सामान्य जन की भावना भी बहुत कुछ कह देती है अत भावनाओं का अर्थात् लोगों की रुचि का भी आदर होना चाहिए।

यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हार्टोग को प्रा के टी शाह का विस्तृत विवरणयुक्त पत्र निरर्थक ही लगा। इतना ही नहीं उस पत्र के संदर्भो से तो वह और भी चिढ गया। हार्टोग ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि मैंने गांधीजी के समक्ष जिन मुद्दों की बात की थी उनके बारे में तो आपने अपने पत्र में निर्देश तक नहीं किया। इससे आपके द्वारा भेजे गए अभिलेख व प्रमाणों का स्वीकार करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ।

व्यक्ति तथा उसकी मानसिकताओं की तुलना करना ठीक नहीं है तथापि यहाँ एक बात तो स्पष्ट दिखाई देती है कि विन्सेन्ट स्मिथ लिखित अकबर द ग्रेट मोगल'(Akbar the Great Mogal) नामक पुस्तक पढने के बाद डब्ल्यू. एच मार्लेन्ड को जिस प्रकार के मनोभाव जागे उस प्रकार के मनोभाव सर फिलिप हार्टोग को प्रा के टी शाह का पत्र पढकर जागे होने चाहिए। स्मिथ ने अपने एक पुस्तक में टिप्पणी की है कि आज के खेतिहर मज़दूरों की अपेक्षा अकबर और जहांगीर के समय में भूमि हीन खेतिहर मजदूर ज्यादा सुखी थे। [६८] फिर इस पुस्तक को पढकर मार्लेन्डने कहा कि भारतीय इतिहास के बारे में विन्सेन्ट स्मिथ का ज्ञान इतना गहरा है कि अगर उनके कथन को स्वीकार कर लिया जाय तो शालाओं में इस कथन को एक सत्य के तौर पर प्रचलित कर दिया जाएगा। और ऐसा न हो इस लिए पुस्तक में दी गई जानकारियों का पुन मूल्यांकन हो ऐसा मैं चाहता हूँ। [६९] वस्तुत मार्लेन्ड ने तो सचमुच उस पुस्तक में प्रकाशित निरीक्षणों को गलत सिद्ध करने और उसके द्वारा उसे विद्यालय के कक्षाकक्षों तक पहुँचने से रोकने का प्रयास शुरू कर दिया। उसी प्रकार हार्टोग ने भी गांधीजी के प्रवचन को गलत सिद्ध करने के प्रयास शुरू कर दिए थे। इन प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि उसने जोसफ पेइनी व्याख्यानश्रेणी' के

अतर्गत १९३५-३६में दिए तीन व्याख्यानों में जो कहना था वह कहा। यह व्याख्यान 'इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्यूकेशन'-युनिवर्सिटी ऑफ लदन में आयोजित हुए थे। व्याख्यानमाला का विषय था भारतीय शिक्षा के कुछ आयाम। (Some Aspects of Indian Education) * इन व्याख्यानों मे हार्टोग ने तीन पुस्तकें प्रस्तुत की थीं। (अ) भारत की पिछले १०० वर्षों की पाठशालाएँ और साक्षरता विषयक आँकड़ों की जानकारी (ब) परपरागत भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में विलियम एडम द्वारा बगाल-बिहार में सपन्न सर्वेक्षण तथा वहाँ १ लाख शालाएँ अस्तित्व में थीं इस बारे में एडम का मतव्य और (क) डॉ जी डब्ल्यू लिटनर और पजाब में १८४९-८२ के दौरान शिक्षा की स्थिति। बाद में इन्हीं सब लिखित भाषणों का प्रकाशन ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा सन् १९३९ में हुआ था।

पत्रक अ में बेलारी जिले के बारे में ए डी केम्पबेल ने भेजी कुछ साधारण जानकारी के आधार पर हार्टोग टोमस मनरो उन कुमार छात्रों की सख्या पर प्रश्नार्थ लगाते हैं। मनरो के आकड़ों का इन्कार करते हुए हार्टोग बताते हैं कि 'शिक्षा में केम्पबेल के समान रुचि तथा सतर्कता नहीं रखनेवाले समाहर्ताओं के द्वारा प्राप्त जानकारियों के आधार पर मनरो ने छात्रों की सख्या बढाकर दर्शाई होने की सभावना है। मनरो एल्फिन्स्टन तथा बेन्टिक ने अपने प्रातो में शिक्षा के लिए जो कदम उठाए, उससे पूर्व अग्रेज सरकार ने भारत की प्रचलित परपरागत शिक्षापद्धति की जो उपेक्षा की थी वह बात सही है किन्तु अग्रेज सरकार ने इस शिक्षा परपरा का जो जड़ से विनाश कर दिया है ऐसे गांधीजी के कथनों के मुझे कोई प्रमाण मिले नहीं हैं । उस पत्रक में एक टिप्पणी जोड़कर वह कहता है कि 'इग्लैण्ड में शिक्षा के लिए सर्वप्रथम ससद ने सन् १८३३ में ३० ००० पाउन्ड का हिस्सा अलग रखा था। यहाँ पर वह भारत की कई महान विभूतियों की और भारतीय सभ्यता की 'सर्वाधिक प्राचीन होने पर भी विशेष आधुनिक' कहकर प्रशसा भी करता है।

इन व्याख्यानों की पार्श्वभूमि स्पष्ट करते हुए गाधीजी का अग्रजों ने योजनाबद्ध रीति से परपरागत भारतीय शिक्षा पद्धति का विनाश करके भारत की साक्षरता का भी नाश किया' का उल्लेख करते हुए वह बताता है कि 'गाधीजी ने रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेर्स' में २० अक्तूबर १९३१ के दिन किए प्रवचन में प्रस्तुत अभिमत सही नहीं है ऐसी चुनौती दी थी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उनके मतों की सत्यता जाचना आवश्यक हो गया था।"[1]

हार्टोग ज्ञानी और अनुभवी था फिर भी उसके द्वारा की गई स्पष्टताओं में

कल्पनाशक्ति की कमी तथा इतिहास को समझने की असमर्थता दिखाई देती है। क्योंकि वह सन् १९३९ से पूर्व के इग्लैण्ड में प्रचलित बातों को ही जडता से पकडे रहता है। साथ ही एक उपनिवेशी यहूदी की उसकी पीठिका भी उसके ऐसे व्यवहार के लिए जिम्मेदार हो सकती है। कारण कुछ भी हो किन्तु १८वीं शताब्दी के अन्त और १९वीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में अस्तित्व रखनेवाली ऊँची साक्षरता दर और शैक्षणिक सुविधाओं की जो बात गांधीजी तथा अन्य लोगों ने की थी उसका स्वीकार करने के लिए हार्टोग तैयार नहीं था। इसी प्रकार १२५ वर्ष पूर्व विलमय विल्बरफोर्स ने भारत में अपने दीर्घकालीन निवास और यहाँ के समाज के साथ के गहन सबधों के अनुभवों के बाद अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने व्यक्त किए हुए मतानुसार कि हिन्दू बिना ईसाईयों के सम्पर्क में आए भी सभ्य सुसस्कृत सुविकसित थे जैसे अनेक कथनों को स्वीकारने के लिए वह तैयार ही नहीं था। एडवर्ड थोमसन विलियम एडम तथा बेम्बई प्रान्त के कुछेक समाहर्ताओं की तरह हार्टोग भी ऐसा मान कर चलता है कि भारत की सभी शिक्षा सस्थाएँ निरर्थक हैं और भारतीय शिक्षा पद्धति भी एक कर्मकाड सी बन जाने से और विशेष कुछ करने में असमर्थ है। अर्थात् यह ऊबाऊ अनुउत्पादक हो गई है।

गाधीजी के कथनों के अतिरिक्त हार्टोग अन्य दो मसलों के कारण भी अस्वस्थ हुआ था। पहला तो जी डब्ल्यू लिटनर के लेखों के कारण था और इससे भी अधिक परेशान करनेवाली दूसरी बात थी एक ईसाई मिशनरी ने की हुई भविष्यवाणी। इसी सदर्भ में हार्टोग ने लिखा है कि 'एक ईसाई मिशनरी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि' भारत में नया शासन स्थापित होने (अर्थात् अंग्रेजों से स्वतत्र होने) पर शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन आएगा जो पाश्चात्य प्रकार का नहीं पर पूर्व की परपरा के अनुसार होगा। इस प्रकार भारत पुनः उसकी हजारों वर्ष पुरानी परपरा में वापस लौटेगा। भारत ऐसे दिनों में वापस आएगा जहाँ से उसने विद्याधन और सभ्यता की समृद्धि दी थी और बदले में कहीं से भी कुछ लिया नहीं था। भारत का नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से कल्याण करने का बोज उठानेवाले उसके अनेक पूर्व के अधिकारियों की तरह हार्टोग का भी एक ईसाई पादरी की ऐसी भविष्यवाणी से आगबबूला हो जाना स्वाभाविक था।

गाधीजी की चुनौती के सिलसिले में ही हार्टोग ने व्याख्यान दिए थे। इन व्याख्यानों की एक प्रति गाधीजी को भेजते हुए हार्टोग ने बताया कि 'रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेर्स' में दिए गए प्रवचन के कथनों का सूक्ष्म

अध्ययन करने के बाद भी उसके समर्थन के लिए कोई प्रमाण मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति में ये विधान वापस ले लिए जाएँ यही ठीक रहेगा।

हार्टोग के पत्र का प्रत्युत्तर गाधीजी ने दिया वह अद्भुत था। उन्होंने लिखा 'मेरा अग्रेजी राज्य के पूर्व के भारत की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस विषय में अभी भी कुछ शिक्षाविदों के साथ मेरा पत्रव्यवहार चल रहा है। जिन्होंने भी मेरे पत्रों के उत्तर दिए हैं उन सभी ने ही मेरे विचारों का स्वीकार किया है फिर भी वे सभी वैसे कोई तथ्य दे नहीं सकते जिन्हें आप प्रमाण के तौर पर स्वीकार कर सकें। इससे आज भी मैं चेथम हाउस में दिए मेरे विधानों पर टिका रहता हूँ, तथा आप इसे ललकार रहे हैं ऐसा मैं नहीं मानता। यहाँ पर गाधीजी की दृष्टि से तो पूरी बहस का अत हो गया था। फिर भी यूरोप में चलनेवाले युद्ध के बारे में गाधीजी के विचार पढकर हार्टोग प्रभावित हुआ और गाधीजी के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए दिनाक १०-९-१९३९ के दिन उसने जो पत्र लिखा था उसका साराश है 'वाइसरॉय के साथ आपकी भेंट और अभी चल रहे युद्ध के बारे में 'टाइम्स' में प्रकाशित आप के विचारों को पढकर मैं आपके प्रति कृतज्ञता का भाव रोक नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि मेरे इस कार्य में मेरे असख्य देशवासी भी मेरे साथ हैं।

हार्टोग के व्याख्यान से सबधित पुस्तक पर तो भारत में अनेक लेख भी लिखे गए। उसी प्रकार एडम के विवरण पर कोलकत्ता युनिवर्सिटी ने नया सस्करण प्रकाशित किया किन्तु इन सभी में एक ही बात और वही आँकड़े लिए गए थे। मज़े की बात यह थी कि ये सभी आकड़े यह सभी जानकारी प्रा के टी शाह ने फिलिप हार्टोग को फरवरी १९३२ में लिखे एक लबे पत्र में दी थी।[७२]

७

अक्तूबर १९३१ में लडन स्थित चेथम हाउस मे गाधीजी ने जो प्रवचन दिया था उसका रहस्य फिलिप हार्टोग समझा ही नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि गाधीजी के कथनों का उसने शाब्दिक अर्थ लिया था। अतः वह तात्पर्य समझ नहीं पाया था। गांधीजी ने अपने वक्तव्य में अग्रेजों के शासन में भारतीय समाज जीवन तथा भारतीय सस्थाओं के होनेवाले पतन का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया था। सन् १८२० ३० के वर्षों में भारतीय शिक्षा पद्धति की बड़े पैमाने पर दुर्गति हो गई थी। ऐसी बात चेन्नई प्रात में हुए शैक्षणिक सर्वेक्षणों में तथा विलियम एडम द्वारा बगाल-बिहार में सपन्न

सर्वेक्षणों में बताई गई थी। सन् १८२२-२५ के वर्षों में चेन्नई प्रात में विद्यालयों में पढनवाले छात्रों की सख्या १ ५० ००० से अधिक मानी गई थी। इससे शिक्षा की दुर्गति हुई उसके २०-३० वर्ष पूर्व स्वाभाविक रूप में ही इस से बड़ी सख्या में छात्र विद्यालयों में अध्ययन करते हों ऐसा मानने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि ऐसा भी निर्देश कहीं प्राप्त नहीं होता है कि यह आकडा वर्ष १८२२-२५ के छात्रों की सख्या से कम था। वर्ष १८२३ में चेन्नई प्रात की जनसख्या लगभग १ २८ २५ ९४१ थी जब कि सन् १८११ में इग्लैण्ड की जनसख्या लगभग ९५ ४३ ६१० मानी गई थी। इस प्रकार चेन्नई प्रान्त और इग्लैण्ड की जनसख्या में विशेष अन्तर नहीं था। तथापि इग्लैण्ड में रविवारीय धार्मिक या चलते फिरते विद्यालय आदि मिलकर उन सभी में ७५ ००० छात्र अध्ययन करते थे। और चेन्नई प्रात में उनसे दुगुनी सख्या में छात्र शालाओं में अध्ययनरत थे। साथ ही इग्लैण्ड के ७५ ००० छात्रों में भी आधे से अधिक छात्र तो २-३ घण्टों के लिए रविवारीय शालाओं के छात्र थे। सन् १८०३ के बाद से ही इग्लैण्ड में शालाओं में जानेवाले छात्रो की सख्या बढने लगी थी। इस प्रकार सन् १८०० में ७५ ००० छात्र थे जो बढकर १८१८ में ६ ७० ८८३ और सन् १८५१ में बढकर २१ ४४ ३७७ हो गये थे। ५० वर्षों में इग्लैण्ड में छात्रों की सख्या २९ गुनी बढी थी। किन्तु सख्यात्मक वृद्धि के साथ साथ इग्लैण्ड की शिक्षा व्यवस्था में कोई गुणात्मक विकास नहीं हुआ था। शिक्षा की अवधि सन् १८३५ तक एक वर्ष थी जो १८५१ में बढकर दो वर्ष की गई थी।

गाधीजी अपने प्रवचन में यह बताना चाहते थे कि इसके बाद ५०-१०० वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि भारत की शिक्षा पद्धति चेतनाहीन बनती गई और उसका मूल से ह्रास होने लगा। इस से विपरीत इन वर्षों में इग्लैण्ड में शिक्षा में विकास हो रहा था। विलियम एडम तथा लिटनर ने भी उनके सर्वेक्षणों में इस प्रकार की बात कही है। इस घटनाक्रम से व्यथित होकर महात्मा गाधीजी ने लदन में दिए अपने वक्तव्य में अपनी भावनाओं का उद्घोष किया था और अपने वक्तव्य में दिये विधानों को तो वे वर्षों तक पकड़े रहे थे। गाधीजी ने इस समूचे घटनाक्रम का ऐतिहासिक सामाजिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य में मूल्याकन किया था। इससे विपरीत इस क्षेत्र में स्वय को स्वभावगत तौर पर तज्ज्ञ माननेवाले सर फिलिप हार्टोग जैसे लोग शब्दों के निहितार्थ के स्थान पर शब्द के वाच्यार्थ के झमेलों में पड़कर मौकापरस्ती का कार्य ही कर रहे थे। इन लोगों के लिए तो केवल आकड़ों की जानकारी ही प्रमुख थी। ऐसी सख्यात्मक तुलनाओं से हालाकि यह बहस थम तो गई थी क्योंकि चेन्नई प्रात के सन् १८२२-

२५ के वर्षो के छात्रों की सख्या की तुलना सन् १८८० ९० के वर्षो में छात्रों की सख्या के साथ हुई थी किन्तु १८२२-२५ में बगाल बिहार तथा मुबई प्रात की[१] जानकारी अपूर्ण होने से ऐसी तुलना करना असभव बन गया था। उसी प्रकार समग्र भारत देश के आकड़े प्राप्त करने में भी इसी प्रकार की समस्या थी।

चेन्नई प्रात के सार्जवनिक शिक्षा विभाग के निदेशक के वर्ष १८७९ ८० के विवरण में बताया गया है कि उस प्रात के सभी प्रकार के विद्यालय महाविद्यालय टेकनिकल सस्थाएँ आदि मिलकर कुल १० ५५३ शैक्षणिक सस्थाओं में २ ३८ ९६० कुमार और २९ ४१९ कन्याएँ अध्ययन करते थे। इस वर्ष में उस प्रात की जनसख्या ३ १३ ०८८२ की हुई थी। वर्ष १८२२-२५ में सख्या में स्पष्ट बढोतरी हुई थी। किन्तु उसकी अपेक्षा इस वर्ष में कुमार छात्रों की सख्या की औसतन वृद्धि में खासी कमी आई थी। तथापि १९७९-८० से १८८४-८५ के वर्षो में इस वृद्धिदर में बढोतरी दिखती है। साथ ही इन वर्षो में इस प्रांत की जनसख्या घटकर ३ ०८ ६८ ५०४ हुई थी जबकि कुमार छात्रों की सख्या बढ़कर ३ ७९ ९३२ और कन्या छात्रों की सख्या बढकर ५० ९१९ की हुई थी। यहाँ कुमार छात्रों का अनुपात विद्यालय में जाने की आयु के कुल कुमारों की सख्या का केवल २२ १५ प्रतिशत था। जबकि प्राथमिक विद्यालय के छात्रों का अनुपात १८ ३३ प्रतिशत था। अत छात्रों की संख्या का अनुपात वर्ष १८२२-२५ के छात्रों की सख्या के अनुपात के प्रतिशत की तुलना में काफी नीचे था। सभी शैक्षणिक सस्थाओं में कन्या छात्रों की सख्या बढने पर भी वर्ष १८८४- ८५ में मलबार जिले में मुस्लिम छात्राओं की सख्या केवल ७०५ थी जबकि इसी जिले में ६२ वर्ष पूर्व अगस्त १८२२ में यह सख्या १ १२२ थी और तब उस जिले की जनसख्या भी १८८४- ८५ की जनसख्या की अपेक्षा आधे से भी कम थी।

वर्ष १८७५ में शैक्षणिक सस्थाओं की सख्या बढी और उसी के साथ जनसख्या भी बढ़कर ३ ५६ ४१ ८२८ हुई और कुमार तथा कन्या छात्रों की संख्या बढकर क्रमश ६ ८१ १७४ और १ १० ४६० की हुई थी। कुमार छात्रों की सख्या बढ़कर ३४ ४ प्रतिशत हुई जो टोमस मनरो के सन् १८२६ के सर्वेक्षण में ३३ ३ प्रतिशत कुछ समीप है। किन्तु मनरो ने दिए आकड़ों के ७० वर्ष बाद भी प्राथमिक विद्यालयों में कुमार छात्रों का अनुपात उस आयु के कुल कुमारों का केवल २८ प्रतिशत ही था। १९वीं शताब्दी के अतिम वर्ष १८९९ १९०० में चेन्नई प्रान्त में कुमार छात्रों की सख्या ७ ३३ ९२३ की और कन्या छात्राओं की सख्या

१ २९ ०६८ थी। प्रात के सार्वजनिक शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा दिए गए आकड़ों के अनुसार पाठशालाओं में अध्ययन करनेवाले कुमार छात्रों की सख्या कुल कुमारों की सख्या की २७ ८ प्रतिशत थी। इस सख्यात्मक जानकारी का उदारतापूर्वक अध्ययन करने पर भी स्पष्ट दीखता है कि १९वीं शताब्दी के अत में भी पाठशालाओं में पढनेवाले छात्रों की सख्या वर्ष १८२२- २५ के दौरान में शिक्षा के पतनोन्मुखी वर्षों में बेम्बई प्रात में टोमस मनरो के पाठशालाओं में पढनेवाले छात्रों के अनुमान से ज्यादा नहीं थी।

वैसे सभी सत्ताधीशों की तरह अग्रेजों ने भी अपनी उपलब्धि की प्रशसा करने में कमी नहीं रखी थी। उन्होंने १९वीं शताब्दी के अत में शिक्षा में हुई सख्यात्मक वृद्धि को बढाचढाकर प्रसिद्धि दी। अत इन आकड़ों के बारे में स्वाभाविक रूप से सन्देह निर्माण हो सकता है किन्तु वर्ष १८२२- २५ के आकड़ों के लिए सन्देह इसलिए नहीं होता क्योंकि तब इन आकड़ों को बढा चढाकर कहने के लिए अग्रेजों के पास कोई भी तात्त्विक कारण नहीं था। इस प्रकार यहाँ यह स्पष्ट है कि वर्ष १८२२- २५ के बाद भारतीय शिक्षा पद्धति का ह्रास तब से लेकर छ दशकों तक होता रहा। परिणाम स्वरूप भारत की परपरागत शिक्षा सस्थाएँ तो इस अवधि में समाप्त हो गई थीं। १९वीं शताब्दी के अत में अगर इधर उधर कोई सस्था बच भी गई थी तो उसे भी अग्रेज परपरा की शिक्षा रीतिने भस्म कर दिया था।

इस प्रकार वर्ष १८२२- २५ के दौरान पाठशालाओं में पढनेवाले कुमार छात्रों का कुमारों की कुल सख्या की तुलना में जो अनुपात था लगभग उतना ही अनुपात १९वीं शताब्दी के अत में भी था। यह यथार्थ ही भारत की मूल शिक्षा पद्धति के निरन्तर होनेवाले ह्रास का प्रत्यक्ष सकेत देता है।

८

यहा तक की चर्चा में एक महत्त्वपूर्ण बात उपेक्षित ही रह गई थी। इस विषय में बेम्बई प्रात के समाहर्ताओं ने अलग अलग बात कही है। उसी प्रकार एडम के रिपोर्ट्स में तथा लिटनर के लेखों मे भी इसके बारे में बहस छेड़ी गई है। यह विषय है मनरो ने दी हुई बगाल और बिहार में १ लाख पाठशालाओं की सख्या। प्रश्न यह उठता है कि इतनी बड़ी सख्या में प्रत्येक गाँव में स्थित पाठशालाओं के पोषण और सचालन के लिए व्यवस्था क्या होती थी ? साथ ही १ लाख पाठशालाएँ किसी भी प्रकार के व्यवस्थातत्र या आर्थिक सहयोग के बिना इतने वर्षों तक बिलकुल 'रामभरोसे' ही चलती थी यह कहना भी हास्यास्पद ही कहा जाएगा।

आज तो किसी भी विषय पर कुछ भी कहना है तो प्रथम किसी विदेशी व्यक्ति के उद्धरण प्रस्तुत करने की हम भारतीयों में एक अनिवार्य फैशन हो गई है। इतना ही नहीं भारत को एक सनातनी असंस्कारी जंगली संकुचित रूढ़ियों में माननेवाले लोगों का देश बताया जाता है तथा अज्ञान गरीबी व अत्याचार अनादिकाल से इस देश के भाग्य में लिखा हुआ है ऐसा ठोंक ठोंककर बताने के लिए विदेशियों के उद्धरण प्रस्तुत करने में हमेशा तत्पर ऐसा एक बड़ा वर्ग आज भी भारत में है। यह वर्ग तो स्वीकार करके ही चलता है कि अतीत के वर्षों में भारत में सामंतशाही राज्य व्यवस्था थी। इन लोगों से विपरीत भारत को एक 'गौरवान्वित राष्ट्र' माननेवाले लोगों का भी एक बड़ा वर्ग भारत में है। हां इतिहास ने भारत के गौरव पर बार बार प्रहार किये हैं तथापि इन लोगों के लिए भारत धर्मप्रिय तथा लोककल्याण करनेवाले शासकों का देश रहा है। और फिर इसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग एक ऐसा वर्ग भी है जो चार्ल्स मेटकाफ और हेनरी मोइनी की तरह भारत को 'प्रजातांत्रिक गांवों का सुन्दर देश' कहता है।

दुर्भाग्य यह रहा है कि मेकॉले प्रेरित शिक्षा पद्धति के घूंट पिए हुए आज के भारतीय बौद्धिक मेंकोले के शब्दों को वेद वाक्य मान बैठे हैं। वे किसी कथन या लेखन के संकेतों को जानने या समझने की क्षमता खो बैठे हैं।[१४] इससे 'प्रजातंत्र' शब्द सुनकर किसी भारतीय के मानस में जो अर्थ आकार लेता है वह अर्थ पश्चिम में यह शब्द जिस अर्थ में प्रयोजित होता है वह होता ही नहीं है। ऐसा होना अत्यंत स्वाभाविक है। भारत में 'प्रजातंत्र' का तात्पर्य 'चुनाव' चयनित प्रतिनिधियों की परिषद जैसा सीमित अर्थ ही गृहीत होता है।

१८वीं और १९वीं शताब्दी में भारत में आए हुए अंग्रेज अधिकारी और प्रवासी तथा अन्य यूरोपीयों के लेखों के आधार पर ही चार्ल्स मेटकाफ और हेनरी मोइनी ने भारत को प्रजातांत्रिक गाँवों का देश कहा था। पश्चिम के ये दोनों लेखक मानते थे कि भारत के गाँव भी राज्यों के समान एक दूसरे से बिलकुल स्वतंत्र थे। गाँवों की सारी राजस्व आय के ऊपर इन गाँवों का ही अधिकार रहता था। इन गाँवों की संरचना तथा उनके आपसी संबंध उनके लिए महत्त्व नहीं रखते थे। किन्तु ये गाँव किस प्रकार स्वतंत्र अधिकार रखते थे और आय के स्रोतों पर उनका कैसा नियंत्रण रहता था वही इन दोनों लेखकों को महत्त्वपूर्ण लगा। हालांकि भारत का इतिहास यही कहता है कि भारतीय समाज और राजतंत्र चाहे एक राष्ट्र के तौर पर सदा संगठित और एकसूत्र में गुम्फित रहते थे यह समाज या शासनतंत्र किसी एक केन्द्रीय व्यवस्था से

कभी भी जुड़े हुए नहीं थे। इस प्रकार वे किसी एक अकेन्द्रीकरण सकल्पना (non-centralist concepts) से सलग्न थे। इस कारण कई बार ऐसी भी चर्चा की जाती है कि ऐसे अकेन्द्रीकृत' राज्यतत्र के कारण ही भारत राजकीय तथा सैन्य सुरक्षादि की दृष्टि से कमजोर रह गया था। यह भी सही है कि केन्द्रीकृत पद्धति से जहाँ एक सुशासक के आदेशानुसार ही समग्र व्यवस्थातत्र चलता है तब राज्य सदा शक्तिशाली और दीर्घकाल तक स्थिर रह सकता है। अत ऐसी कोई व्यवस्था से भारतीय राजतत्र और समाज जुड़े हुए न होने पर भी सैंकड़ों वर्ष तक भारतीय समाज और शासन व्यवस्था कैसे टिकी रही यह भी एक रहस्य ही कहा जाएगा। इसे समझने के लिए भारतीय समाजजीवन के विविध आयाम उसकी क्षमताओं उपलब्धियों तथा दुर्बलताओं को जानना अत्यत आवश्यक है। इस काम के लिए यूरोपीय चश्मा पहनकर नहीं बल्कि बिलकुल भारतीय दृष्टि से ही यह होना आवश्यक है। अर्थात् भारत भूमि की मूल परपराओं मान्यताओं से उनके उचित सदर्भ में ही परिचित होना पड़ेगा।

भारत की शासनव्यवस्था में एक ध्यान आकर्षित करनेवाली बात यह थी कि यहाँ राजस्व आय से किए जानेवाले खर्च में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। इसके अभिलेखीय प्रमाण अग्रेज सरकार की टिप्पणियों से भी मिलते हैं। इस प्रकार शासकीय आर्थिक सहयोग के आधार पर भारत में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा की सस्थाओं का निभाव होता था।[७१] इस शासकीय सहायता के अतिरिक्त छात्रों के माता पिता तथा पालक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार शिक्षकों को सहायता करते थे। वे निर्धन छात्रों को अपने घर पर रखकर उनका सभी प्रकार का खर्च स्वय वहन करते थे। इस प्रकार सरकार के साथ समाज भी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक योगदान देता रहता था। किन्तु इससे केवल छात्रों से वसूल किये जानेवाले शुल्क या निरपेक्ष और नि स्वार्थ भाव से अध्यापन करनेवाले शिक्षक या निर्धन छात्रों के आवास और भोजन का खर्चा उठानेवाले शिक्षक या नागरिकों की उदारता के बल पर ही वर्षों से स्थापित भारतीय शिक्षा सैंकड़ों वर्षो तक टिकी यह कहना भारतीय समाजव्यवस्था तथा उसकी कार्यपद्धति के विषय में निरे अज्ञान का ही परिणाम है।

बगाल-बिहार की वर्ष १७७०-९० के वर्षों की राजस्व आय के आकड़े देखने से पता चलता है कि प्राप्त आय विभिन्न श्रेणियों में विभाजित की गई थी। ऐसी एक श्रेणी 'खालसा' थी किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य दो श्रेणिया चाकरन' और 'बाज़ी थी। इन दोनों श्रेणियों के लिए कुछ खर्च बाट दिए गए थे जिसका पता इन प्रातों की

सरकारी टिप्पणियों से चलता है। 'चाकरन' श्रेणी से प्रशासन और अर्थव्यवस्था या लेखा विभाग के कर्मचारियों का वेतन दिया जाता था। जबकि 'बाज़ी' श्रेणी से धार्मिक और सेवा से संबंधित क्रियाकलापों के साथ जुड़े हुए लोगों को सहायता की जाती थी। इसी श्रेणी की आय से अच्छी खासी राशि सभी प्रकार के धार्मिक स्थान छोटे बड़े मठ मंदिर मस्जिद आदि के संरक्षण हेतु खर्च की जाती थी। इस आय का कुछ हिस्सा अग्रहारम्' अथवा तो बंगाल और दक्षिण भारत में जिसे 'ब्रह्मदेय' कहा जाता है उसके लिए खर्च किया जाता था। उपरांत इस आय का कुछ हिस्सा पंडित कवि ज्योतिषी वैद्य विदूषक आदि जैसी विशिष्ट प्रतिभाओं के सम्मान में खर्च किया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि कुछ विशिष्ट उत्सवों के लिये उत्तर प्रदेश के मंदिरों में गंगाजल पहुँचाने का खर्च भी ऐसी एक श्रेणी की आय से किया जाता था।[९६]

बंगाल के हुगली जिले के वर्ष १७७० की टिप्पणी में इस प्रकार के खर्च के लिए बताया गया है कि 'बाज़ी' श्रेणी से दी जानेवाली सहायता के कारण ही लगभग आधा प्रदेश संबल प्राप्त कर रहा था।[९७] बंगाल बिहार में बाज़ी' श्रेणी से आर्थिक सहायता प्राप्त करनेवाले व्यक्ति और संस्थाओं की कुल संख्या ३० ००० से ३६ ००० जितनी ऊँची थी। एच टी प्रिन्सेस[९८] के द्वारा बताया गया है कि वर्ष १७२० में 'बाज़ी' श्रेणी से सहायता प्राप्त करने के लिए ७२ ००० जितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

सन् १७५० से १८०० के मध्य राजकीय सामाजिक अनवस्था के वर्षों के बाद चेन्नाई प्रांत में अंग्रेजों का पूर्ण शासन स्थापित हुआ। उसके बाद ये सहायताएँ कुछ अरसे तक बनी रही थीं। सन् १८०१ में बेल्लारी और कप्पड़ जिलों की लगभग ३५ प्रतिशत कृषि की ज़मीन किसी भी प्रकार के राजस्व से मुक्त थीं किन्तु टोमस मनरो ने ऐसी 'राजस्व मुक्त' ज़मीन की मात्रा येनकेन प्रकारेण केवल ५ प्रतिशत कर दी। इसके बाद अन्य जिले भी ऐसी 'राजस्व मुक्त' कृषि भूमि की मात्रा कम करते गए थे।

सन् १८०५ से १९२० के वर्षों में चेन्नई प्रांत के विभिन्न जिलों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर समाज के व्यक्तियों तथा संस्थाओं को दी जानेवाली सहायता के बारे मे बहुत जानकारी प्राप्त होती है। जबकि सरकार ऐसी सहायताओं के लिये कोई नई नीति निर्माण करने या उन नीतियों का पुनर्विचार करने का निर्णय करती थी तब ऐसी सहायताओं के बारे में विवरण जिलों से प्राप्त करती थी। अप्रैल १८१३ में तंजावुर जिले ने भेजी हुई जानकारी में बताया गया था कि जिले के छोटे बड़े कुल

मिलाकर १०१३ मदिरों को[७१] तथा ३५० से ४०० व्यक्तियों को ऐसी सहायता दी जाती थी। तजावुर जिले का यह पत्र अध्याय ९ और १० में प्रस्तुत है। वह दर्शाता है कि मदिरों को ४३ ०४७ स्टार पेगोडा और *अन्य व्यक्तियों* को ५ ९२९ स्टार पेगोडा की सहायता दी गई थी। स्टार पेगोडा वह मुद्रा थी जिसका मूल्य ३ ५० रु होता था। अग्रेज सरकार से प्राप्त जानकारी से ज्ञात होता है कि चेन्नई प्रात की तरह अन्य सभी प्रातों में भी विभिन्न प्रकार से दी जानेवाली सहायताओं की मात्रा लगभग समान ही रहती थी। इससे यह कहा जा सकता है कि अग्रेज सरकार की राजस्व आय का लगभग ३३ प्रतिशत हिस्सा इस प्रकार के सामाजिक सास्कृतिक उत्कर्ष के कार्य में खर्च होता था। अन्य एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी थी कि उस समय किसानों से वसूला जानेवाला लगान भी बहुत ही कम था। साथ ही जिसका विश्वास नहीं हो सकता ऐसी एक बात यह भी थी कि सन् १७५० तक मलबार जिले में भूमि पर किसी भी प्रकार *का लगान नहीं वसूला जाता था।*[८०] *हालाकि वहाँ व्यापार और न्यायक्षेत्र में* भिन्न भिन्न प्रकार के कर थे। टीपू सुलतान के समय में भी मलबार में भू राजस्व दर *अत्यत कम था*। तथापि जिन जिन क्षेत्रों में अग्रेजों का आधिपत्य पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता था वहाँ अग्रेज ये सहायताएँ देना किसी भी प्रकार से बद कर देते थे। सन् १७५७- ५८ के बाद बगाल और बिहार में ऐसी सहायता देना बद कर दिया गया था और सन् १८०० तक चाकरन' और 'बाजी' श्रेणियों से दी जानेवाली सहायता बद कर दी गई थी। साथ ही अन्य प्रकार की सहायताओं की मात्रा भी किसी प्रकार से कम कर दी गई थी। सहायता की मात्रा कम करने की एक प्रयुक्ति राजस्व में बढोतरी करने की थी। ऐसी प्रयुक्तियों के परिणाम स्वरूप राजस्व आय में वृद्धि और सहायता की मात्रा में कमी हुई। उसके बाद पैसे का *अवमूल्यन किया गया*। *अब व्यक्ति* और सस्थाओं को दी जानेवाली सहायता से वे पहले की तरह अपने आर्थिक व्यवहार नहीं कर पाते थे। जिनकी *सहायता बिलकुल बद कर दी गई थी* वे तो सर्वथा असहाय बन गए थे और भीख मागने पर आ गए थे। केवल ऐसी सहायता पर जीने वाले परिवारों को *शिक्षा* दवाई तथा अतिथि सत्कार जैसे दैनन्दिन जीवन से सम्बन्धित कार्यो को बद करने की विवशता हो गई थी। चेन्नई प्रात के समाहर्ताओं के पत्रों से विभिन्न प्रकार की सहायता के बारे में तथा सस्कृत पर्शियन पढानेवाले शिक्षकों को व प्राथमिक शाला के शिक्षकों को प्रतिदिन दिया जानेवाले अनाज या नक़द राशि की सहायता के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। कई समाहर्ताओं ने केवल अपने जिले में ही दी जानेवाली आर्थिक सहायताओं का उल्लेख किया है। किन्तु सन्

१७९२ से १८०६ के वर्षो में जहाँ टीपू सुलतान का शासन था वहाँ सर्वत्र ही टीपू के आदेश से ये सहायताएँ देना बद कर दिया गया था तथापि कुछ अधिकारियों की चालाकी के कारण सहायता बद करने के टीपू के आदेश का पालन होता ही नहीं था ऐसे सकेत भी मिलते हैं। इस प्रकार ऐसी सहायताएँ बद करके विरोधियों को वश में रखने की टीपू की योजनाओं का वास्तविक फायदा तो अंग्रेजों ने उठाया था।

अंग्रेजों ने भी अपने शासन क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी सहायताएँ सन् १८०० से पूर्व ही बद कर दी थीं। इसके लिए सर्वप्रथम ऐसी सहायताओं में बड़े पैमाने पर कटौती की जाती थी। जैसे कि त्रिचिनापल्ली जिले में ऐसी सहायताओं में ९३ प्रतिशत की कमी करके पूर्व में दी जानेवाली २ ८२ १४८ स्टार पेगोडा सहायता के स्थान पर केवल १९ १४३ स्टार पेगोडा की ही सहायता की गई।

भारत की बुनियादी परपरागत शिक्षा पद्धति के बारे में बेलारी जिले के समाहर्ता का विवरण प्रचुर जानकारियों से समृद्ध और प्रसिद्ध है। तथापि उसमें दी गई आकड़ों की जानकारी अत्यत कम है।[८१] इस विवरण में समाहर्ता ए. डी कैम्पबेल अपने पद की सीमा में रहकर अत्यत महत्त्वपूर्ण सकेत देते हैं। वे बताते हैं कि शिक्षा पद्धति के क्षय के बारे में तो देश में शनैः शनैः सर्वत्र फैलती जानेवाली गरीबी ही जिम्मेदार है। साथ ही यूरोपीय उत्पादों के कारण भारत के उत्पादन कार्य के साथ जुड़े हुए वर्ग की आय में बहुत ही कमी आ रही है।

इस देश की पूजी को इस देश में ही व्यवसाय हेतु लगाने के खिलाफ कानून से पाबदी लगाकर इस पूजी के द्वारा यूरोपीयों के कोष भरने से यहाँ के लोगों की गरीबी में बढ़ोतरी हुई है। अतः अब ऐसे अनेक गाँव हैं जहाँ पहले पाठशाला थी किन्तु अब एक भी शाला नहीं है जबकि शासकीय सहायता के बिना किसी भी देश में ज्ञान की दिशाएँ विकसित नहीं हो सकतीं। हालाकि भारत के इस प्रदेश में तो विज्ञान के विकास के लिए एक समय जो सहायता दी जाती थी वह बहुत पहले ही बद कर दी गई थी। मुझे यह बताने में अत्यत क्षोभ हो रहा है कि इस जिले की ५३३ जितनी शैक्षणिक सस्थाओं में से आज एक भी सस्था को सरकारी सहायता नहीं मिलती है। जब यहाँ हिन्दुओं का शासन था तब इन सस्थाओं को बहुत सहायता दी जाती थी। भूमि का दान भी मिलता था। आज भी यहाँ ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में दक्षिणा दी जाती है। सत्ताधीशों के द्वारा विद्याधामों को सम्मान देने की परपरा भारत में प्राचीन समय से चली आ रही है। इन विद्याधामों को अन्य स्रोतों से प्राप्त न हो सकनेवाली सभी सहायताएँ पहुँचाने का काम सत्ताधीशों का दायित्व रहता था। पूर्व के शासकों ने भी

इन विद्याधामों को दी जानेवाली सहायताओं में कटौती नहीं की थी और न ही उसके लिए कोई शर्त तक की थी। बिना किसी प्रकार के शुल्क के निरपेक्ष भाव से विद्यालय चलानेवाले सत और ज्ञानी पुरुषों को तो शासक खुले हाथ से सहायता करते थे। अपने राज्य के कल्याण के लिए ऐसे सत पुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इन विद्याधामों को केवल शासकीय नहीं बल्कि समाज के लोग भी सहायता करते थे। इसके लिए कोई लिखित नियम न होते हुए भी इस प्रकार दिए जानेवाले नि शुल्क शिक्षण के लिए सहायता करना सबका कर्तव्य माना जाता था।

बेल्लारी के समाहर्ता कैम्पबेल एक समझदार और अनुभवी अधिकारी थे। समाहर्ता बनने से पूर्व उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवन्यू के सचिव के तौर पर काम किया था। टोमस मनरो के वे अत्यत प्रिय अधिकारी थे। मनरो भी अपने दिनाक १०-३-१८२६ के एक पत्र में स्वीकार करते हैं कि भारत की आधारभूत परपरागत शिक्षा पद्धति अग्रेजों के शासन से पूर्व के समय में अच्छी चलती थी। मनरो कितने भी सक्षम क्यों न हो वे एक अग्रेज गवर्नर थे और यह कहने की स्थिति में नहीं थे कि जबसे अग्रेजों ने सारी राजस्व आय की व्यवस्था केन्द्रस्थ की तब से यहाँ की शिक्षा पद्धति के पतन का प्रारभ हुआ था। अग्रेजों ने जहाँ जहाँ भी शासन किया वहाँ के दफ्तर से इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। लिटनर ने पजाब में इस दिशा में परिश्रमपूर्वक बहुत काम किया था। महात्मा गाधी को आनेवाले दिनो में निर्माण होनेवाली परिस्थितियों का पहले से ही पता चल गया था। इसी कारण से उन्होंने हार्टोग को पत्र में स्पष्टरूप से बता दिया था कि आनेवाले दिनों में होनेवाली परिस्थिति के जो सकेत मैं देख रहा हूँ, उसी के आधार पर चेथम हाउस में दिए वक्तव्यों पर मैं अडिग हूँ।

९

मॅकोले के कुछ थोड़े वर्ष बाद कार्ल मार्क्स भी भारत के बारे में इसी प्रकार का विष वमन करता है। दिनाक २५-६-१८५३ को न्यूयोर्क के दैनिक 'डेइली ट्रिब्यून में मार्क्स भारत को 'ईसाई मत की स्थापना के पूर्व से ही सदा के लिए दरिद्र और कजूस देश' बताता है भारतीय समाज जीवन को सर्वथा निष्प्राण गौरवहीन और गतिहीन बताता है। वह कहता है कि भारत के लोग प्रकृति के स्वामी मनुष्य को छोड़ क्रूर प्रकृति को ही भजते हैं। अग्रेजों ने भारत में चाहे कैसे भी अत्याचार किए हों किन्तु भारत के पाश्चात्यीकरण के लिए तो इग्लैण्ड एक परोक्ष साधन ही है।

इसी प्रकार सुप्रसिद्ध अग्रेज लेखक जेम्स स्टुअर्ट मिल भी अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑव् ब्रिटिश इण्डिया' (१८१७) में भारतीय ज्ञान एव साहित्य और सस्कृति

की तीव्र आलोचना करते हैं। तीन खण्डों में लिखित इस पुस्तक का सदर्भ लेना मानो भारतीय इतिहास पर लिखी गई पुस्तकों के लिए अनिवार्य हो गया है। यही नहीं मिल के अभिमत की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। इतना व्यापक प्रभाव इस पुस्तक का है। इस पुस्तक में मिल ने लिखा है काम करने में गभीरता की कमी असत्य छलकपट औरों की सवेदनाओं की उपेक्षा भ्रष्टाचार आदि हिन्दूओं और मुस्लिमों के सामान्य लक्षण हैं। मुस्लिम सपन्न होते हैं तो ये आनद प्रमोद में धन खर्च कर देते हैं किन्तु हिन्दू तो हीजड़ों की तरह दरिद्र जीवन जीना ही पसद करते हैं। चीनी लोगों की तरह हिन्दू भी अन्य किसी असस्कृत समाज की तरह बहुत ही लुच्चे कपटी और झूठे हैं। हिन्दू और चीनी अपने आपको सदा बढा चढाकर बताते हैं। वे कायर सवेदनाहीन आत्मवचना में डूबे हुए हमेशा औरों की आलोचना करनेवाले तथा जुगुप्सा की सीमा तक गदे होते हैं।

सामतशाही समय के यूरोप के लोगों के साथ भारत के लोगों की तुलना करके मिल लिखता है यूरोप के लोगों में अनेक कमियाँ और दोष रहते हुए भी दर्शनशास्त्र न्यायपद्धति और शासन व्यवस्था के क्षेत्रों में वे भारतीयों से तो कहीं आगे थे। उनका साहित्य भी भारतीय साहित्य की अपेक्षा श्रेष्ठ था। यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में युद्ध कौशल में भी हिन्दू निम्न कक्षा के थे। कृषि क्षेत्र में यूरोपीय प्रजा हिन्दुओं से आगे थी। भारत में रास्तों के ठिकाने नहीं थे और नदियों पर पुल भी नहीं थे। औषध विज्ञान के विषय में एक भी वैज्ञानिक पद्धति का ग्रन्थ नहीं था। हिन्दू शल्य चिकित्सा नहीं जानते। भारत की परपरागत शिक्षा पद्धति की विषय वस्तु की समीक्षा करना भी आवश्यक है।

बेलारी के समाहर्ता ए डी केम्पबेल के उपर्युक्त अति प्रसिद्ध पत्र का आधार लेकर अग्रेजो ने ऐसा रौब जताने का प्रयत्न किया था कि भारत में अक्षरज्ञान केवल 'व्यावसायिक व्यवहार चलाने के लिए' ही दिया जाता है। अतः इस शिक्षा पद्धति में थोड़ा कुछ अक्षरज्ञान और कुछ अकज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इससे भी आगे अग्रेजों ने भारतीय शिक्षा पद्धति को 'खराब और उसके अत की ओर गतिमान पद्धति बताई थी। जबकि गाधीजी ने इस शिक्षा पद्धति को मूल से उखाड़ दिये गये वृक्ष के समान बताया था। कुछ भी हो इस शिक्षा पद्धति के क्षय के लिए यह थोड़ा सा अक्षरज्ञान और अंक ज्ञान' जैसे कारण किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं थे। क्योंकि इसी समय इंग्लैण्ड की पाठशालाओं में भी इसी प्रकार की या इससे भी कम मात्रा में शिक्षा दी जाती थी। वर्ष १८३५ तक तो इग्लैण्ड की शालाओं में शिक्षा की कालावधि

केवल एक वर्ष की थी जो १८५१ में बढ़कर दो वर्ष की कर दी गई थी। ए इ डोब्ज तो यहाँ तक बताता है कि अनिष्ट परिणामों के भय के कारण कई गाँवों की पाठशालाओं में लिखना भी नहीं सीखाया जाता था।

अंग्रेजों के आत्यतिक लोभ के कारण भारतीय समाज धर्म और सस्कृति जिन आधारों पर टिके थे वे मूल स्रोत ही अदृश्य होने लगे थे। अपना शासन अच्छी तरह से चलता रहे उस प्रयोजन से भारत के धर्म सस्कृति शिक्षा पद्धति आदि आधारभूत सस्थाओं को छिन्नभिन्न कर डालना अंग्रेजों के लिए आवश्यक था। इसी कारण से भारत में अंग्रेज प्रेरित शिक्षा पद्धति जब तक व्यवहार में नहीं आई थी तब तक बैन्टिक एडम आदि भारतीय शिक्षा पद्धति की सर्वथा उपेक्षा करते रहे थे। सन् १८१३ तक विलियम विल्बरफोर्स ने अंग्रेजों के इस उपेक्षा भाव को खुलकर व्यक्त किया था। उसने कहा कि भारतीय समाज तो धार्मिक मान्यताओं में जड़ता पूर्वक जकड़ा हुआ है और उसका सामाजिक तथा नैतिक अध पतन हो गया है।[८२]

मेकोले ने भी यही बात भिन्न प्रकार से की। उसने कहा भारत का समस्त ज्ञान और विद्वत्ता यूरोप के किसी अच्छे पुस्तकालय के एक टाँडे में ही समाया है। सस्कृत में लिखे गए ग्रन्थ इग्लैण्ड के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाये जानेवाली अत्यत सामान्य स्तर की पुस्तकों से भी निम्नस्तर के हैं।[८३] मेकोले को भारत का समस्त ज्ञान साहित्य धर्म सभ्यता विद्वत्ता आदि सर्वथा निकम्मे लगते थे। एक भी अधिकृत ग्रन्थ इन लोगों के पास नहीं है। शल्य क्रिया उनके लिए बिलकुल अपरिचित विषय है। दासतायुक्त मानसिकतावाले हिन्दुओं की तुलना में शिष्टाचार चरित्र और शौर्य के मामलों में यूरोप के लोग अत्यत ऊँचे स्तर के थे।

हिन्दू केवल कपड़े की बुनाई और रगाई में निम्न स्तर के आभूषण बनाने में रत्नकला कौशल में स्त्रैण लक्षणों में और वाक्छटा में यूरोपीयों की तुलना में बढ़कर थे। चित्रकला शिल्पकला व स्थापत्य में हिन्दू यूरोप के लोगों से जरा भी बढ़कर नहीं थे। जबकि बेढब साधनों का उपयोग करने में निपुणता इस विवेकहीन समाज का मौलिक लक्षण है।

भारत के बारे में अपने अभिमत के अत में मिल लिखता है अत्यन्त अविवेकी होने पर भी हमारे पुरखे किसी भी काम को पूरी गभीरता से करते थे जबकि हिन्दुओं की बाहरी चमक-दमक के भीतर अत्यधिक छल प्रपच और कपट छिपा होता है। मध्यकालीन राष्ट्रों में स्थिरता आने पर यूरोप के उन देशों के लोगों में हिन्दुओं से उत्कृष्ट प्रकार के चरित्र और शिष्टाचार दिखाई देते हैं।[८४]

विल्बर फोर्स मेकोले और मार्क्स की तरह मिल को भी भारत के शिष्टाचार, रीतिरिवाज तथा सभ्यता अत्यंत जंगली लगती थी और ऐसे भारत को सुधारकर उसे सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के मार्ग उसने बताए थे। मिल के मतानुसार 'भारतीयता' त्यागने से [७] विल्बरफोर्स के मतानुसार 'ईसाई' मत अपनाने से मेकोले के मतानुसार 'अंग्रेजियत' अपनाने से और मार्क्स के मतानुसार 'पाश्चात्यीकरण' का स्वागत करने से ही भारत एक सभ्य सुसंस्कृत देश बन सकता है।

इससे पूर्व लंदन में रहकर २० वर्ष तक भारत के राज्यतंत्र का संचालन करनेवाला हेनरी डन्डास यह मानता था कि भारतीय अंग्रेजों से निम्न कक्षा के ही हैं और उनमें यदि कुछ कृतज्ञता का भाव है तो उन्होंने अपने देश में हुए विकास के लिए अंग्रेजों को उनके ज्ञान और परोपकारी कार्यों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। [८]

भारतीय सभ्यता और शिक्षा पद्धति के बारे में ऐसे घृणास्पद आचरण के परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षापद्धति को बहुत सहना पड़ा। भारतीय शिक्षापद्धति का यथाशीघ्र अन्त हो जाए उस हेतु से उसका अनवरत मज़ाक उड़ाते रहना उसे धिक्कारना तथा उस अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी स्रोतों का लोप हो जाने की व्यवस्था करना अंग्रेजों के लिए आवश्यक था। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कभी एक भी शिक्षा संस्था बंद नहीं करवाई या वैसे कदम भी नहीं उठाए क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। शिक्षा पद्धति का मखौल करने से शिक्षा के सभी स्रोत बंद कर देने से ही उनका इच्छित कार्य सिद्ध हो जाता था।

आनेवाले दिनों में अंग्रेज भारत में क्या करना चाहते थे उसके संकेत हमें लंदन से चेन्नई सरकार को लिखे गए एक पत्र से प्राप्त होते हैं। चेन्नई प्रांत में भारतीय शिक्षापद्धति पर हुए सर्वेक्षणों की सभी जानकारी लंदन भेजी गई उससे पूर्व यह पत्र लिखा गया है। इस पत्र में सर्वेक्षण का स्वागत किया गया था तथा इन सर्वेक्षणों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाएगा ऐसा भय लोगों में न फैलने पाए उसकी सतर्कता बरतने की सूचना समाहर्ताओं को दी गई थी उसका इस पत्रमें समर्थन किया गया था। किन्तु आगे इस पत्र में खुलकर बताया गया है कि साथ साथ इन अर्थहीन शिक्षा संस्थाओं के सुधार के संबंध में चेन्नई प्रांत के लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता देना भी अत्यंत गलत कदम कहा जाएगा। अत्यंत चालाकी से और सावधानी से प्रयुक्त शब्दोंवाले इस पत्र की भाषा के द्वारा अंग्रेजों के मानस में क्या चल रहा था उसका संकेत मिल जाता है। साथ ही उसका क्रियान्वयन

इस शिक्षापद्धति की लगातार मजाक उड़ाकर आलोचना करके और सर्वथा उपेक्षा करके किया जा रहा था। तथापि किन्हीं कारणों से किसी शिक्षा सस्था को मिलनेवाली सहाय चालू रह जाए तो वह भी अग्रेज सह नहीं पाते थे। परिणाम स्वरूप भारत की मूल परपरागत शिक्षा पद्धति मृत प्राय बनती गई और आखिर नष्ट हो गई।

इस प्रकार भारतीय शिक्षा पद्धति का जड़ समेत नाश होने के लिए अग्रजों के कृत्य जिम्मेदार हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति के स्थान पर लादी गई विदेशी शिक्षा पद्धति जिसकी जड़ें इस भूमि में न होने से भारत में उसका विचित्र असर देखने को मिलता है। सर्व प्रथम तो भारत में साक्षरता के विषय में ऐसी तबाही मच गई कि समग्र विश्वभर में प्रचारित प्रसारित किए गए साक्षरता के अनेक प्रयासों के बावजूद भारत में साक्षरता क्षेत्र में आज सफलता नहीं मिल पाई है। दूसरा उससे भारत में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक सतुलन का भी अत हो गया है। पहले तो समाज के सभी वर्ग सभी क्षेत्र के लोग किसी भी प्रकार की जाति आदि रुकावटों के बिना पाठशालाओं में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे उसकी वजह से सामाजिक और सास्कृतिक क्षेत्र में प्रवृत्त होने के लिए सभी को प्रोत्साहन मिलता रहता था। उस शिक्षा पद्धति का अत होने से आज जो अनुसूचित जाति के लोग कहे जाते हैं उनकी सामाजिक स्थिति बहुत ही गिर गई है। हाल ही के वर्षों में इन लोगों के साथ सामाजिक समभाव स्थापित करने के जो प्रयास हो रहे हैं वह सामाजिक सतुलन की पुन स्थापना की दिशा में बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं किन्तु सर्वाधिक अनिष्ट परिणाम तो यह हुआ कि उससे भारत का शिक्षित वर्ग अपने ही समाज और सस्कृति के बारे में अज्ञानी और अपरिचित रह गया। इससे भी विशेष दुखदायक बात तो यह हुई कि वह स्वाभिमानशून्य और आत्मविश्वासहीन हो गया। दो शताब्दी पूर्व भारत की शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धिया तथा इस शिक्षा पद्धति का किसी भी प्रकार से नाश करके उसके स्थान पर लादी गई अग्रेज प्रेरित शिक्षा पद्धति जो अब एक इतिहास का विषय बन गई है। और फिर हमारी मूल शिक्षा पद्धति निकट भविष्य में पुन अपनाई जाए तो भी उसकी कई बातें आज के सदर्भ में अप्रस्तुत लगने लगी हैं। वैसे तो आज की शिक्षा पद्धति की भी कई बातें अत्यधिक असगत हैं। भारत का भव्य भूतकाल और आज के भारत में जन्मी पनपी असख्य परस्पर विरोधी समस्याओं के बारे में आज आवश्यक चिंतन किया जाएगा तभी भारतीय समाज के योग्य और आवश्यक व्यवस्था का अमृतकुंभ प्राप्त हो सकेगा।

सदर्भ

१ ए. ई ड्रोम्ज एज्यूकेशन एण्ड सोशल मूवमेण्ट्स, १७०० १८५० (Education and Social Movements 1700-1850) लन्दन १९१९ पृ ८० तथा पृ ९९
२ वही पृ ८३
३ वही पृ १०४
४ वही पृ १०५
५. वही पृ १०४
६ वही पृ ३३
७ वही पृ १३९
८ वही पृ १३९
९. वही पृ १४०
१० वही पृ १५८
११ जे डब्ल्यू एडमसन : शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास ।A short History of Education, कैम्ब्रिज १९१९ पृ २४३
१२ वही पृ २४३
१३ वही पृ २४६
१४ हाउस ऑफ् कॉमन्स पेपर । House of commons paper 1852 53 Vol. 79 पृ ७१८
१५ एडमसन पृ २३२
१६ ड्रोम्ज पृ १५७ ८
१७ २१ अगस्त १७८७ के अर्ल स्पेन्सर दूसरे को लिखे पत्र में विलियम जोन्स गंगा तट पर स्थित नवद्वीप के ब्राह्मण विद्यापीठ का विस्तृत वर्णन करते हुए बताता है कि यह तीसरा विद्यापीठ है कि जिसका मैं सदस्य बना हूँ' दी लेटर्स ऑफ सर विलियम जोन्स' से पी केनन, १९७० पृ ७५४
१८ इंग्लैण्ड का चौथा विश्वविद्यालय 'युनिवर्सिटी ऑफ् लंदन' (University of London) की स्थापना सन् १८२८ में हुई।
१९ दी हिस्टोरिकल रजिस्टर ऑफ दी युनिवर्सिटी ऑफ ओक्सफर्ड (The Historical Register of the University of Oxford १२४० १८८८ ऑक्सफर्ड १८८८ पृ ४५ से ६५।
२० इन आंकड़ों की जानकारी लेखक के निवेदन के सन्दर्भ में आक्सफर्ड युनि. द्वारा नवम्बर १९८० में पहुँचाई गई थी।
२१ गीता धर्मपाल के सार्बोन पेरिस में प्रस्तुत किए गए शोध प्रबंध में इन पाण्डुलिपियों का निर्देश है। ये प्रतियाँ पेरिस पाब्रेस लंदन तथा रोम के संग्रहालयों में आज भी सुरक्षित रखी गई हैं।
२२ लेखक की अन्य एक पुस्तक Indian Science and Technology in the Eighteenth Century Some Contemporary European Accounts में वॉन

प्लेफेर द्वारा लिखा गया Indian Astronomy लेख प्रस्तुत किया गया है। पृ ४८ ९३।

२३ एडिनबर्ग युनिवर्सिटी एडम फर्ग्युसन का जहोन मैकफरसन को पत्र दि. ९ ४ १७७५

२४ एडिनबर्ग : स्कॉटिश रेकोर्ड ऑफिस मेल्विल पेपर्स जीडी ५१/३/६१७/१ २ प्रा ए. मैकनोची हेन्री डन्डास के प्रति

२५ एडिनबर्ग : नेशनल लाइब्रेरी ऑव् स्कॉटलैण्ड : एमएस : ५४६ ऐसा ही एक अन्य पत्र लोर्ड कॉर्नवॉलिस को दिनाक ७ ४ १७८८ के दिन सुपुर्द किया गया था।

२६ हेन्सार्ड २२ जून १८९३ कॉलम ४३२ ३

२७ हेन्सार्ड २२ जून और १ जुलाई १८१२

२८ रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑव् एज्यूकेशन इन बंगाल १८३५ पृ ६

२९ हाउस ऑव् कॉमन्स पेपर्स १८१२ १३ खण्ड ७ पृ १२७

३० वही १८३१ ३२ खण्ड ९ पृ ४६८

३१ एडिनबर्ग रिव्यू, खण्ड ४ जुलाई १८०४

३२ फिलिप हार्टोग वही पृ ७४

३३ इसका एक कारण भारत की शालाओं में भौतिक व्यवस्था तथा शोध के प्रश्न कम रहते हों यह हो सकता है।

३४ द्विज में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जातियों का समावेश होता है शूद्रों का समावेश नहीं किया जाता है।

३५ शूद्र और अन्य जातिया' आज जो अनुसूचित जातियाँ मानी जाती हैं उनके लिए यह शब्द प्रयुक्त किया गया मान सकते हैं। इनमें कई जातियाँ 'पंचम' के रूप में पहचानी जाती थी।

३६ देखिए अध्याय ३ ११

३७ देखिए अध्याय ४ और ५ के अतिरिक्त लंदन से बंगाल सरकार को ३ जून १८१४ के दिन लिखे गए पत्र में बताया गया है कि भारत में चिरकाल से पारंपरिक रूप से चली आ रही शिक्षापरम्परा जो हमारे देश में चेन्नई से पूर्व पादरी डॉ बेल के द्वारा लाई गई थी की यहाँ सर्वत्र प्रशंसा हो रही है।

३८ देखिए अध्याय ३ १९

३९ देखिए अध्याय ३ २०

४० यह सर्वेक्षण सन् १८१२ में हुए थे। व्यवसायों में जाति के परिप्रेक्ष्य में कुछ जानकारी १७ सितम्बर १८२१ तथा ९ मार्च १८३७ के चेन्नई बोर्ड ऑव् रेवन्यू प्रोसीडिंग्स से भी मिल जाती है।

४१ देखिए अध्याय १ २१

४२ देखिए अध्याय १ ९

४३ देखिए अध्याय १ १६

४४ देखिए अध्याय १ १७

४५. गुदर का समाहर्ता भी डब्ल्यू एडम जैसा ही अभिमत रखता है। एडम मे लिखा है कि 'नदिया (नवद्वीप) में समस्त भारत से दूर दूर के गाँवों से विशेष रूप से दक्षिण भारत से बड़ी संख्या

में छात्र अध्ययन हेतु आते हैं। (वि एडम पृ ७८ १९४१)

४६ देखिए अध्याय ३ २३

४७ प्रांत में स्थित १४५ पर्शियन पाठशालाओं में अधिकतर मुस्लिम छात्र आते थे। केवल उत्तर आर्कोट में दो हिन्दू थे। यद्यपि बहुत सी मुस्लिम कन्याएँ इन पाठशालाओं में आती थीं।

४८ देखिए अध्याय ३ २१

४९ देखिए अध्याय ३ २८

५० अनेक प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि इंग्लैण्ड के लोग इस बात का स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों की संख्या इंग्लैण्ड की अपेक्षा भारत में अधिक थी। साथ ही अंग्रेजों का भारत के लिए इस प्रकार का पूर्वाग्रह प्रत्येक क्षेत्र को लागू था। इसी लिए ही भारत के किसानों को उनके अनेक अधिकारों से अंग्रेजों ने वंचित कर दिया था। इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ कॉमन्स के पाँचवे विवरण में कहा गया है कि 'भारत के भूमिधारकों को इंग्लैण्ड के किरायेदार की तुलना में ज्यादा अधिकार नहीं मिल सकते। (हाउस ऑफ कोमन्स पेपर्स १८१२ भाग ७ पृ १०५)

५१ देखिए अध्याय ३ २१ और १७

५२ चेन्नई प्रांत के विद्यालयों महाविद्यालयों के छात्रों का जाति आधारित विभाजन प्रकाशित नहीं हुआ है। किन्तु हिन्दू-मुस्लिम छात्रों का तथा कुमार और कन्या छात्रों का विभाजन सन् १८३२ में हाउस ऑफ कोमन्स पेपर्स में प्रकाशित हुआ था। अब तक अनेक शोधकर्ता और अध्येताओं ने मलबार जिले के कुमार छात्रों कन्या के आंकड़ों का अध्ययन तो किया ही होगा किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि इस विषय पर प्रकाशित हुए एक भी शोधग्रन्थ में इन सर्वेक्षणों का उल्लेख भी नहीं हुआ है।

५३ यह रिपोर्ट सर्व प्रथम सन् १८३५ १८३६ और १८३८ में प्रकाशित हुआ था किन्तु ये तीनों रिपोर्ट्स साधारण काट छाँट के साथ सन् १९६८में कोलकता के रेव जे लाँग के द्वारा एक साथ प्रकाशित हुए थे जिसमें ६० पृष्ठों की विशेष रूप से नकारात्मक प्रकार की प्रस्तावना थी। सन् १९४१ में लाँग द्वारा की गई काट छाँट वाले हिस्से को फिर से जोड़कर तथा लाँग की ६० पृष्ठों की प्रस्तावना के साथ साथ अनन्तनाथ वासुने लिखी ४२ पृष्ठों की गई प्रस्तावना के साथ यह पूरा रिपोर्ट कोलकता युनिवर्सिटी ने पुनः प्रकाशित किया। इस अंतिम संस्करण का कभी भी गहरा अध्ययन या समीक्षा नहीं हुई। फिर भी शिक्षा के इतिहास की बात होती है तब इस पुस्तक का सन्दर्भ हमेशा दिया जाता है।

५४ इसी विवरण के पृ ६ और ७ पर एडम ने पाठशालाओं की संख्या के लिए आंकड़ों के लिए कोई आश्चर्य नहीं था। क्योंकि इससे पूर्व भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने इस प्रकार के निरीक्षण किए थे। टोमस मनरो ने हाउस ऑफ कोमन्स के समक्ष इन प्रमाणों के साथ बताया था कि 'अगर सांस्कृतिक आधार पर इंग्लैण्ड और भारत के बीच आदान प्रदान किया जाए तो इंग्लैण्ड के हिस्से में आयात करना ही होगा। भारतीय संस्कृति के लिए ऐसा आदरपूर्वक विधान करनेवाले मनरो आगे कहते हैं अक्षरज्ञान और अंकगणित की शिक्षा के लिए यहाँ के प्रत्येक गाँव में शालाएँ थीं।' (हाउस ऑफ कोमन्स पेपर्स १८१२ १३ भाग ७ पृ १३१) भारतीय संस्कृति

और शिक्षा के लिए ऐसा विधान मनरो ने उसके भारत मे निवास के ३० वर्षों के बाद किया था।

५५ इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति की विशेष जानकारी के लिए देखिए इसी लेखक की पुस्तक 'इण्डियन सायन्स एण्ड टेक्नोलोजी इन एण्टीन्थ सेन्च्युरी' पृ १४३ १६३)

५६ चेन्नई की तुलना मे यह आकड़े अत्यन्त अलग हैं। वहाँ पर्शियन का अध्ययन करनेवाले छात्र कम थे और वे अधिकांशतः मुसलमान थे। एडम ने लिखा है 'जब बालक चार वर्ष चार मास और चार दिन का होता है तब उसे शाला में प्रवेश दिया जाता है पृ १४९)

५७ इस सर्वेक्षण का शीर्षक था 'हिस्ट्री ऑफ इण्डिजीनस एज्यूकेशन इन दी पजाब सिन्स एनक्सेशन एण्ड इन १८८२ (प्रथम प्रकाशन १८८३ पुनर्मुद्रण १९७३ पटियाला)।

५८ सर्वत्र शासन करने का स्वय को दैवी अधिकार प्राप्त हुआ है ऐसा अग्रेज पहले से ही मानते आए हैं। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑव न्यूयोर्क फोर्मरली कॉल्ड न्यू नेदरलेन्ड्स' (१६७०) नामक पुस्तक मे डेनियल ने लिखा है अग्रेज निवासी के तौर पर सबसे पहली बार जब इस क्षेत्र में आए तब से ही भगवान ने मानों उन्हें शासन करने का अधिकार दे दिया लगता था। अग्रेज जहाँ भी गए, वहाँ उन्हें ऐसा दैवी अधिकार प्राप्त हो जाता है अर्थात् वे किसी भी प्रकार से उस प्रदेश के मूल निवासी इण्डियनों को किसी भी प्रयुक्तियों से मार डालकर या मरवाकर या घातक युक्तियों से उन्हें खदेड़ कर वे शासन करने के अधिकार हस्तक कर लेते हैं। (पुन प्रकाशित सस्करण १९०२ पृ ४५)

५९ देखिए, इसी लेखक की पुस्तक 'इण्डियन सायन्स एण्ड टेक्नोलॉजी इन एटीन्थ सेन्च्युरी' में रॉयल सोसायटी लदन के अध्यक्ष सर जोसेफ बेन्क्स को डॉ स्कॉट द्वारा दिनाक ७ १ १७९० को लिखा गया पत्र पृ २६५)

६० 'न्यूयोर्क डेइली ट्रिब्युन' दिनाक ८ ८ १८५३ तथा 'सोवियेट एण्ड वेस्टर्न एन्थ्रोपोलॉजी' संपादक अर्नेस्ट गेलनर १९८० नामक पुस्तक में यु प्रे सिमनोव भी मार्क्स के इस कथन का उल्लेख करते हैं।

६१ 'करन्ट एन्थ्रोपोलॉजी' भाग ः ७ अक ४ अक्टूबर १९६६ पृ ३९५ ४४७

६२ १८०४ के चेन्नई के गवर्नर लोर्ड बेन्टिक ने बोर्ड ऑव कन्ट्रोल के अध्यक्ष लोर्ड केसलरीग को लिखे पत्रमें कहा था 'हमने इस देश पर इतना कठोर शासन किया है कि यह अत्यत करुणाजनक दरिद्रता में सड़ रहा है। (नोटिंगहाम युनिवर्सिटी बेन्टिक पेपर्स पृ ७२२)

६३ 'इन्टरनेशनल अफेर्स' लदन नवम्बर १९३१ पृ ७२१ ३९ और कलैक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गांधी' भाग ४८ पृ १९३ २०३

६४ देखिए, ओरिजिन्स ऑव द स्कूल ऑव् ओरिएण्टल स्टडीज लदन इन्स्टिट्यूट' लेखक । पी जी हर्स्टोग १९१७

६५ अंग्रेजों ने जबरन लादी हुई शिक्षा पद्धति के बारे में आनद के कुमारस्वामी ने १९०८ में लिखा था कि 'भारत या श्रीलंका के विश्वविद्यालयों के किसी स्नातक को आप महाभारत के बारे में कोई भी प्रश्न करेंगे तो वह उसके उत्तर के बजाय शेक्सपियर के बारे में कहना ज्यादा पसद करेगे। उसके साथ किसी धार्मिक विषयों की चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि यह जवान यूरोप में पूर्व में दिखाई देनेवाले किसी बिगड़े स्नातक जैसा ही हो गया है जिसका कोई धर्म ही नहीं है।

इतना ही नहीं बल्कि दर्शनशास्त्र में भी वह एक साधारण अंग्रेज के समान ही अज्ञान है। अब उसे भारतीय संगीत की बात करेंगे तो वह ग्रामफोन चालू कर देगा। आप उससे भारतीय वेशभूषा और आभूषणों की बात करेंगे तो वह शीघ्र बोल उठेगा कि यह सब तो बिलकुल जंगली जैसे ही दिखाई देते हैं। उसे भारतीय कला वैभव तो अपरिचित विषय ही लगता है। अंग्रेजी में लिखे गए किसी पत्र का उसी की अपनी मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए कहेंगे तो वह भी उससे नहीं होगा। इस प्रकार वह अपने ही देश की सभ्यता से बिलकुल अनजान, अपरिचित बन गया है। मॉडर्न रिव्यू, भाग : ४ अक्टू. १९०८ पृ ३०८)

६६ 'इन्टरनैशनल अफेयर्स' जनवरी १९३२ पृ १५१ ८२।

६७ 'हाउस ऑफ कोमन्स पेपर्स' १९३१ ३२ भाग : ९ पृ ४६२ में भी यह जानकारी है।

६८ क्लेरेन्डन प्रेस १९१७ पृ ३९४

६९ 'जर्नल ऑव् रॉयल एशियाटिक सोसायटी लंदन १९१७ पृ ८१५ २५।

७० इस व्याख्यान श्रेणी का विज्ञापन लंदन टाइम्स' १ ४ ६ मार्च १९३५ के अंकों में छपा था। उसके दो व्याख्यानों के विवरण २ और ५ मार्च के अंकों में प्रकाशित हुए थे। २ मार्च के अंक में बताया गया था कि 'वॉरन हेस्टिंग्स से लेकर चेम्सफोर्ड तक के सभी गवर्नर जनरलों के शासन में भारत के हित में और भारत के बुद्धिधन का महत्तम उपयोग भारत के विकास में करने की शिक्षानीति का गठन किया था ऐसा हार्टोग ने बताया था।' रोचक बात तो यह है कि गांधीजी गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैण्ड गए थे तब उन्होंने इन्स्टीट्यूट की भेंट की थी तब उन्होंने दिए व्याख्यान अनेक अन्य कार्यक्रम उनके जन्मदिन का महोत्सव आदि को इसी वृत्तपत्र में साधारण सी प्रसिद्धि दी थी।

७१ हार्टोग के व्याख्यान पुस्तक के तौर पर प्रकाशित होने से उस पुस्तक का विश्लेषण 'टाइम्स लिटररी सप्लेमेंट' में 'गांधी रिफ्यूटेड' शीर्षक से छपा था। उसे बताया गया था कि विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज सरकार की विशेष आलोचना होती रही है किन्तु हार्टोग द्वारा गांधीजी के एक कथन की सूक्ष्म छान-बीन करने पर ज्ञात हुआ कि उसके सभी आक्षेप हवा में अदृश्य हो गए। हार्टोग ने उस चुनौती का स्वीकार करके दिखा दिया कि प्रमाणों को कैसे विकृत करके शैक्षणिक सिद्धांत के तौर पर सजा दिए गए थे।

७२ गांधीजी और हार्टोग के बीच हुआ पत्राचार यहाँ अध्याय ८ (१ से ५) में दिया गया है।

७३ मुंबई प्रांत में परंपरागत भारतीय शिक्षा पद्धति के सर्वेक्षणों के बारे में एक मूल्यवान पुस्तक प्रकाशित हुई है । श्री आर. वी पारुलेकर कृत 'सर्वे ऑफ इन्डीजीनस एज्यूकेशन इन द प्रोविन्स ऑव् बोम्बे १८२०-३० १९५१ में इसका प्रकाशन हुआ।

७४ भारत के लिए अभारतीय लेखकों के लेखन के लिए यही बात यथार्थ है। ऐसे लेखकों के भारत विषयक लेखों में उनके देश की सभ्यता शिक्षाव्यवस्था आदि का प्रभाव स्वाभाविक रूप से रहेगा ही। १९वीं शताब्दी के एलेक्झांडर वॉकर या हमारे समकालीन प्रा. बर्टन स्टेन जैसे लेखक भारत को अच्छी तरह से समझ सके थे। तथापि भारत के लोगों को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए उसके बारे में उन लोगों की अपेक्षा कोई भारतीय ही अच्छी तरह से कह सकता है।

७५. बंगाल सरकार को लिखे गये दिनांक ३ ६ १८१४ के एक पत्र में बताया गया है कि 'हमें यह

बताते हुए संतोष होता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के खर्च का प्रावधान कृषि उत्पादन पर एक ख़ास कर वसूला जाता है उस कर से शिक्षकों को भी लाभान्वित किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक भी 'सार्वजनिक सेवक' की श्रेणी में आ जाते है।

७६ इस प्रकार गंगाजल वहन खर्च का ब्यौरा वर्ष १८४७ के हमीरपुर और कालपी जिलों के 'माफी रजिस्टर' से प्राप्त होता है। यह रजिस्टर इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काईव्ज में है।

७७ आई ओ आर. फैक्टरी रेकॉर्ड्ज सुपरवाइजर हुगली टु मुर्शिदाबाद काउन्सिल दिनांक १० १० १७७० पृ ८८।

७८ वर्ष १८३० के आसपास उसकी एक टिप्पणी से यह संदर्भ लिया गया है।

७९ इस अवधि में तंजावुर जिले में मठ-मदिरों की कुल संख्या ४ ००० के आसपास थी।

८० मलबार जिले की विशेष जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट ऑव् कमिशनर ग्रीमे' १६ ३-१८२२ भाग २७० 'क'।

८१ देखिए अध्याय ३ १९ फिलिप हार्टोग ने तो इस रिपोर्ट के साथ कई हरकतें की थीं। उसे अन्य जिलो के विवरणों पर भी सन्देह उठता था। ऐसे पूर्वाग्रहों के कारण हार्टोग बेलारी जिले के समाहर्ता के विवरण को समझ नहीं पाया यह सम्भव है।

८२ हैन्सार्ड जून २२ १८१३

८३ मिनिट्स ऑन इण्डियन एज्युकेशन (Minutes on Indian Education) मार्च १८३५।

८४ जे एस मिल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (History of India) (१८१७) भाग १ पृ ३४४ ३५१ २ ३६६ ७ ४७२ ६४६

८५ वही पृ ४२८

८६ रेवन्यू डिस्पेच टु मद्रास (Revenue Despatch to Madras) ११ २ १८०१

विभाग २

अभिलेख

३ सर टोमस मनरो

मद्रास प्रेसीडेन्सी की शिक्षा व्यवस्था विषयक

१८२२-२६

१

१ भारत के लोगों के अज्ञान तथा उनमें ज्ञान प्रसार के साधनों के बारे में इग्लैंड में अथवा इस देशमें बहुत कुछ लिखा गया है। किन्तु इस विषय से सबधित अभिमत लोगों के व्यक्तिगत अनुमान हैं इसके लिए कोई प्रमाणित अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं। साथ ही ये अभिमत एक दूसरे से इतने अलग दिखते हैं कि उनकी ओर खास ध्यान नहीं दिया जा सकता। इस देश में हमारा शासन तथा उसकी अपनी नागरिक सस्थाओं के प्रकार की जानकारी इकट्ठी करना व्यावहारिक बन गया है जिससे प्रजा की मानसिक शिक्षा का सार निकाला जा सके। हमने हमारे प्रदेशों का खेती विषयक तथा भौगोलिक सर्वेक्षण किया है। हमने उनके आर्थिक साधनों की जाँच भी की है। उनकी जनसख्या की चौकसाई की है किन्तु शिक्षा की स्थिति जानने के लिए अत्यत कम या नहीं के बराबर काम किया है।

समग्र देश में शिक्षा की वास्तविकता जानने के लिए कोई अभिलेख नहीं है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा आशिक जाच की गई है किन्तु उनके बीच लम्बे अतराल हैं। साथ ही ये जाच अत्यन्त छोटे पैमाने पर हुई हैं। इन तथाकथित जाचों से देश के लिए कुछ कहना कठिन होगा। हमारे लिए आवश्यक कोई दस्तावेजी जानकारी प्राप्त करना दुष्कर हो सकता है। कुछ जिले यह जानकारी देंगे नहीं कुछ देंगे और यदि दो या

स्थानीय शिक्षा के बारे में ब्यौरेवार जानकारी इकट्ठी करने हेतु आदेश के तहत टोमस मनरो का विवरण दिनांक २५ ६ १८२२ (टी एन एस ए.रेवन्यू कोन्स्युलेशन खण्ड ९२० दिनांक २ ७ १८२२)

तीन की जानकारी प्राप्त होगी तो उस से समूचे देश का अदाज नहीं लगाया जा सकता है। अतः यह आवश्यक जानकारी दी जा सके वैसे अभिलेखों में जहाँ लिखाई पढाई सिखाई जाती है वैसी शालाओं की जिलाशः सूची उनमें छात्रों की सख्या और उनकी जाति हो सकती है। इस पत्र के साथ सलग्न पत्रक के अनुरूप अभिलेख तैयार करवाने के आदेश समाहर्ताओं को देने चाहिए। इन शालाओं में सामान्यतः पढ़ाई जानेवाली पुस्तकों के नाम बताना आवश्यक है। छात्र इन शालाओं में जितना समय रहते हैं वह समय छात्रों से वसूल लिया जानेवाला मासिक या वार्षिक शुल्क और प्रजा के पैसे से चलनेवाली शाला के चन्दे की राशि का प्रकार आदि ऐसा कोई कॉलेज अथवा उच्च शिक्षा की सस्था है तो जहाँ धर्मशास्त्र कानून खगोलशास्त्र आदि पढाए जाते हों तो उसके बारेमें विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार के शास्त्र सामान्यत व्यक्तिगत तौर पर शिक्षकों के द्वारा बिना किसी भी प्रकार का शुल्क लिए ही छात्रों को पढाए जाते हैं तथापि ऐसे भी प्रमाण है जिस में स्थानिक सरकारों ने शिक्षकों के निर्वाह के लिये धन तथा जमीन दी है।

२ कई जिलों में पढना लिखना ब्राह्मण तथा व्यापारी वर्ग तक ही सीमित रहा है। जबकि कई जिलों में वे दूसरे वर्गों में और खास करके गाँवों के पाटिल आदि में भी है। ब्राह्मणों की तथा सामान्यतः हिन्दुओं की स्त्रिया इससे अपरिचित हैं क्योंकि वह इन स्त्रियों के लिए प्रतिबंधित है। स्त्रियों की सादगी के लिए इसे अयोग्य माना गया है और सार्वजनिक नर्तिकाओं के लिए ही वह ठीक माना गया है किन्तु राजपदा व हिन्दुओं की कई और जातिया जिनमें इस प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है उनकी स्त्रियों को पढाया जाता है। स्त्रियों पर पढने लिखने की पाबदी विभिन्न कारणों से हो सकती है। यह पूर्वाग्रह कई जिलों में व्यापक है तो कई जिलों में सामान्य। उसी कारण से समाहर्ताओं को भेजने के लिए सूचित पत्रक में उनके लिए अलग एक कोष्टक रखा गया है। मिश्र वर्ण और अशुद्ध जाति लगभग नहीं पढती है फिर भी उनमें भी कोई पढनेवाला मिल जाता है अत पत्रक में उनके लिए भी एक अलग कोष्टक रखा गया है।

३ स्थानीय शालाओं को (अन्य व्यवस्था में) मिला देने की सिफारिश करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इस प्रकार की प्रत्येक व्यवस्था से सतर्कता पूर्वक दूर रहना चाहिए और लोगों को उन की पद्धति से उनकी शालाओं का प्रबंध करने देना चाहिए। हमें जो काम करना चाहिए वह यह कि इन शालाओं की धनराशि उनसे छिन

ली गई है तो उसे पुन स्थापित करना और जहाँ आवश्यक हो वहाँ विशेष धनराशि की सहायता मजूर करना। ऐसा करके हमने शालाओं के कामकाज को सरल बनाना होगा किन्तु इस मुद्दे पर हम योग्य निर्णय तब ही ले पाएँगे जब हमें मागी हुई जानकारी प्राप्त हो।

२५ जून १८२२

(हस्ताक्षर)
टोमस मनरो

२

आदेश है कि निम्नानुसार पत्र भेजा जाए

स ४५९
वित्त विभाग

प्रति

सज्जनों तथा राजस्व विभाग के बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य

मुझे बताया गया है कि माननीय गवर्नर इन काउन्सिल उस बात को अत्यत महत्त्वपूर्ण और रोचक मानते हैं कि सारे देश से शिक्षा की स्थिति के बारे में उपलब्ध सभी निश्चित स्वरूप की जानकारी प्राप्त की जाए। समाहर्ता उन्हें सहयोग हेतु इस प्रकार की जानकारी पत्रक के मुताबिक दें। जिन शालाओं में लिखाई पढाई सिखाई जाती है वैसी शालाओं की सख्या उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों की सख्या उनकी जाति शाला में छात्रों की अध्ययन अवधि उन से लिया जानेवाला मासिक या वार्षिक शुल्क तथा इनमें कोई शाला अगर लोगों के दान से चलती है तो उस दान के प्रकार और राशि आदि की जानकारी समाहर्ताओं को बताएँ। धर्मशास्त्र कानून खगोलशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा देनेवाले कोलेज या सस्थाएँ हों तो वे भी जानकारी दें। इस प्रकार के शास्त्र विशेष रूप से निजी क्षेत्र में छात्रों या शिष्यों को वैयक्तिक रूप से शिक्षकों द्वारा बिना किसी भी प्रकार का शुल्क लिए पढाये जाते है। तथापि ऐसी भी कुछ सख्या है जिनमें स्थानीय सरकारों ने शिक्षको के निर्वाह के लिए पैसे तथा जमीन के रूप में सहायता दी हो।

खास करके शिक्षा विशेष जाति तक ही सीमित है और महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती हैं तथापि अपवाद होते हैं और कई जिलों में अनेक हैं। अत सलग्न पत्रक में उसका समावेश किया गया है।

समाहर्ता इस बात को स्पष्टरूप से समझ लें कि इन स्थानीय शालाओं के कामकाजमें दखल करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इस प्रकार की कोई भी बात न हो उसकी सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों को अपने ढग से शालाओं का प्रबंध करने देना चाहिए। उचित तो यह है कि इन शालाओं के कामकाज को सरल बनाया जाए और उन की धनराशि अगर छीन ली गई हो तो उसे पुन स्थापित की जाए और आवश्यकता के अनुरूप वहाँ विशेष धनराशि मजूर की जाए।

फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　हस्ताक्षर
२ जुलाई १८८२　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　जी हील
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　सेक्रेटरी टु गवर्नमेन्ट

३

परिपत्र　सेंट ज्योर्ज किला　२५ जुलाई १८२२

(टी एन एस ए बी आर पी　खण्ड ९२०
कार्यवाही　२५-७-१८२२ पृ ६९७१-७२ क्र ७)

१ बोर्ड ऑफ रैवन्यू के निर्देश के अनुरूप राजस्व विभाग के सचिव की ओर से यह पत्र और सलग्न जानकारी भेजता हूँ। आशा करता हूँ कि आप निश्चित पत्रक में मागी गई जानकारी और वृत्त शीघ्र ही भेज देंगे।

२ आपके इलाके से जानकारी प्राप्त करते समय आपके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को बताएँ कि वे लोगों में यह धारणा अवश्य बनाएँ कि शालाओं मे किसी भी प्रकार की दखल पहुँचाने का इरादा नहीं है बल्कि उनका काम और अच्छी तरह से चले इस हेतु हर प्रकार की सहायता की जाएगी। साथ ही उनकी जो भी राशि अन्य काम में उपयोग में ली गई होगी वह चुकाई जाएगी।

सेन्ट ज्योर्ज किला　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　आर क्लार्क
२५ जुलाई १८२२　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　सचिव

राजस्व परामर्श फ़िसा सेंट ज्योर्ज २ जुलाई १८२२

(टी एन एस ए आर सी खण्ड २७७ कार्यवाही २ जुलाई ८२२ पृ १७७६)

विभिन्न जिलोंमें स्थानीय विद्यालयों महाविद्यालयों एवं उनमें पढ़नेवाले छात्रोंकी संख्या दर्शानेवाले पत्रक का नमूना

ज़िला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या		ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्यजाति के छात्र			४ से १५ का महायोग			मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम का योग			कुल जनसंख्या		
			पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७
उत्तर आर्कोट	विद्यालय	१००																						जहां पूर्वमें जनगणना नहीं हुई है वहां अनुमानसे जनसंख्या लिखनी है।		
	महाविद्यालय	नहीं																								
दक्षिण आर्कोट	विद्यालय																									
	महाविद्याल																									
इसी प्रकार से आगे लिखें																										

४

केनरा के प्रधान समाहर्ता बोर्ड ऑफ रेवन्यू के प्रति २७-८-१८२२
(टी एन एस ए खण्ड ९२४ का ५-९-१८२२ पृ ८२४५-२९ स ३५-६)

सविनय सूचित करता हू कि दि २५ अगस्त १८२२ का पत्र तथा सरकार के वित्त विभाग के सचिव के २ जुलाई के पत्र की प्रति प्राप्त हुई है जिस में भेजे गए पत्रक के अनुरूप ब्यौरा भेजने तथा इस जिले में शिक्षा की स्थिति के बारे में मेरा विवरण भेजने हेतु मार्गदर्शन दिया गया है।

मागे गए विवरण से सबधित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय लग सकता है। इस जिले में शालाओं के वास्तविक व्याप को जानने का सही मापदण्ड उसके आधार पर बनाया नहीं जा सकता। इस कारण से यह पत्र लिखना उचित लगा है। इन कारणों की चर्चा की गई है जिससे यह सिद्ध होगा कि इस प्रदेश के दस्तावेज़ तैयार करना आवश्यक नहीं है।

२ कनारा में गूढ शास्त्रों के अध्ययन के लिए कोई कॉलेज नहीं है और न तो वहाँ ऐसी कोई निश्चित शालाएँ हैं न तो उनमें पढाने के लिए शिक्षक हैं।

पूर्व की सरकारों से किसी भी प्रकार की सहायता कभी ली गई हो वैसी एक भी शाला यहाँ नहीं है।

३ गाँवों में या शहरों में उच्च वर्ग के ब्राह्मण बच्चों की शिक्षा गाँव के मुखिया के मकान में होती है। वह शिक्षक का चयन करता है जिसे प्रति छात्र कुछ राशि दी जाती है। त्यौहारों के अवसर पर कपड़ा दान में दिया जाता है। साथ में मुखिया के मित्रों के बच्चे भी वहाँ इकट्ठे होते हैं। इस प्रकार गाँव के मौलवी मुसलमान बच्चों को पढाते हैं। यह पूर्णतया निजी व्यवस्था है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी यथावसर बदलते रहते हैं। इस में सार्वजनिक शिक्षा के साथ कोई साम्य दिखाई नहीं देता। शिक्षा में नियमितता भी नहीं है।

छात्रों को वाचन लेखन तथा गणित का अध्ययन करवाया जाता है। केवल अति उच्च वर्ग के बच्चों को ही पर्शियन हिन्दवी तथा कन्नड भाषा पढाई जाती है यथार्थ यह है कि उन वर्ग के बच्चो की शिक्षा इतनी अधिक मात्रा में व्यक्तिगत तौर पर होती है कि उपर्युक्त भाषाएँ जाननेवाले बच्चों की सख्या का अदाज निकालना मुश्किल सा होगा।

४ कनारा में शिक्षा का प्रसार सब से कम है। प्रदेश के ब्राह्मणों को कोंकणी और शिवाजी केवल दूसरी कक्षा तक सिखाई जाती है। किसानों और सामान्यतः ५० प्रतिशत बस्ती को सामान्य शिक्षा भी प्राप्त नहीं है।

५ इस विषय के सन्दर्भ में जिले के सहायक सर्जन को लिखे गए एक पत्र के कुछ अश यहाँ प्रस्तुत करने की इजाज़त लेता हूँ। यह पत्र टीकाकरण के बारे में मुझसे जानकारी हासल करने सुप्रिन्टेन्डन्ट जनरल की इच्छा के कारण लिखा गया था। मसला यह था कि अगर स्थानिक कन्नड प्रजा के उच्च वर्ग के लोग डॉक्टरो की स्थिति समझकर सहायता करते हैं तो टीकाकरण के कार्यक्रम में बहुत प्रगति हो सकती है।

परिच्छेद क्र ६ ७ और ८ के अश

(६) मैंने बताया कि मैं मानता हूँ कि ईसाई डॉक्टर को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु इस जिले में अगर किसी अन्य जातियों के लोगों की सेवा की जाएगी तो मुझे लगता है कि वे प्रयास असफल होंगे। लोगों का समूह कृषि कार्य करता है। कनारा में उद्योग नहीं है। यह प्रदेश जगल तथा घाटियों में फैला और छिटपुट छोटे घरों से बना है। हर व्यक्ति यहाँ अपने खेत पर रहता है अत यहाँ गाँव नहीं हैं। जो कुछ गाँव हैं वे भी साधारण बस्तीवाले हैं। अत मैं मानता हूँ कि लोगों का समूह छोटा है। इस कनारा प्रदेश में कलाओं और शास्त्रों के ज्ञान का कोई महत्त्व नहीं था अत उनकी शिक्षा यहाँ नहीं थी। शायद पूरे उपखण्ड में इसके समान कलाकार और विज्ञानाभिमुख मनुष्यों से रहित कोई जिला नहीं होगा।

(७) कनारा की भूमि पर यहाँ के निवासियों का अधिकार निर्विवाद है और खेती पर उनका प्रथम दावा है। अत आजतक जिस पर वे रहते हैं वह ज़मीन तथा मकान छोड़ कर कहीं भी जाना उन्हें पसद नहीं।

स्थानीय लोग सच ही कहते हैं कि केनेरा की ज़मीन मूल में कृषि के लिए ही मुक्त रखी गई है। इसी से किसान को यह ज़मीन और इस जमीन पर बना मकान छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। उसके कपड़ों सहित अन्य दैनन्दिन आवश्यकताएँ जो ज़मीन से प्राप्त नहीं होतीं वे सब उन तहसीलों के कई गाँवों से प्राप्त होती हैं। लोग मुख्य रूप से कोंकणी हैं। लोगों का आधार विनिमय के माध्यम से तटवर्ती अन्य गाँवों पर है। वह भी तीन या चार प्रमख वस्तुओं तक ही सीमित है। लोग बाहर के लोगों पर विशेष आधार नहीं रखते है। उनका आधार ज्यादातर स्थानीय ही है। अत देश में अपरिचित लोगों का प्रवेश ज्यादातर नहीं होता है।

(८) इन्हीं कारणों से विज्ञान जाननेवाले लोगों की कमी दिखाई देती है। इसी वजह से लोग जो एक व्यवसाय अपनाते हैं उसे जल्दी छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। टीका लगाने वाले के रूप में तो नहीं ही।

६ केनेरा में आने के बाद मैंने कुछ किसानों के भतीजों को (पुत्रों को नहीं

क्योंकि वे उनके वारिस हैं) मेंगलौर पढाई हेतु जाने के लिए समझाया था किन्तु मुझे सफलता नहीं मिली। वहाँ एक ईसाई शाला शुरू हुई है जिसमें लेटिन और पुर्तगाली भाषा पढाई जाती है।

७ इतनी स्पष्टता के पश्चात् भी बोर्ड को अगर लगता है कि उनका भेजा हुआ पत्रक भरकर भेजना आवश्यक है तो मैं जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास करूँगा। हालाकि मैं स्वीकार करता हूँ कि उसमें अधिकतर अपूर्ण जानकारी ही रहेगी। इतने विस्तीर्ण जिले में एक ही सरकारी नौकर पर्शियन लिख सकता है। शेष लोगों का ज्ञान हिन्दवी और कन्नड तक ही सीमित है। संस्कृत भी कम ही आती है और बालबन्द(Ballabund) तो बहुत ही कम केवल शास्त्र जाननेवाले ब्राह्मण ही जानते हैं। इन लोगों में अधिकाश प्राचीन लिखाई पढ नहीं सकते इसका कारण यह बताया जाता है कि उसकी लिपि हाला कानडी और बालबन्द से बहुत अलग है।

मेंगलौर टी हेरिस
प्रधान समाहर्ता का कार्यालय प्रधान समाहर्ता
२७ अगस्त १८२२
टेबल पर रखने का आदेश (३५-३६)

५

तिनेवेली के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति ता १८-१०-१८२२

(टी एन एस ए बी आर.पी खण्ड ९२८ का २८-१०-१८२२ पृ ९९३६-७ क्र ४६-७)

आपके सहायक के २५ जुलाई के पत्र के द्वारा मांगी गई जानकारी के संदर्भ में इस जिले की शालाओं की जानकारी भेज रहा हूँ।

बालिकाओं की जाति की जाच करने में पर्याप्त समय लगा। सभवतः सभी बालिकाएं नर्तकी हैं।

तिनेवेली जिला जे बी हडलस्टन
१८ अक्तूबर १८२२ समाहर्ता

विभिन्न जिलोंमें स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रोंकी संख्या दर्शानेवाले पत्रकका नमूना

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
तिनेवेली	विद्यालय ५४२ महाविद्यालय	१ ९२१		१ ९२१				२ ७०८		२ ७०८	३ ००३	१०७	३ ११०

महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
५ ७११	१०७	५ ८१८	३२७	२	३२९	६ ०३८	१०९	६ १४७	७ ५५९	१०९	८ ०६८

जिला तिनेवेली
शरमदेवी
११८ अक्टूबर १८२२

स्मरण
पजामल तहसील का
लेखा प्राप्त नहीं हुआ है ।

जे बी हड्लस्टन
समाहर्ता

६

श्री रगपट्टम् के सहायक समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति २९-१०-१८२२

(टी एन एस ए खण्ड ९२९ का ४-११-१८२२ पृ १०२६०-२ क्र ३३-४)

१ आपके २५ जुलाई के पत्र के उत्तर में जिले में स्थित शिक्षा सस्थाओं की सख्या के बारे में विवरण भेज रहा हूँ।

२ वर्तमान में प्रचलित शिक्षाप्रथा की प्राप्त जानकारी अत्यत सीमित है। विद्यालयों में पढना लिखना और गिनना इस के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण कुछ नहीं सिखाया जाता। यह तो केवल दैनन्दिन व्यवहार चलाने के ही काम में आता है।

३ शाला या कॉलेजों को पूर्व में सरकार अथवा देशभक्त नागरिकों की ओर से निर्वाह के लिए कोई ज़मीन दी गई है ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता। शाला के सचालक अपने वेतन के लिए पूर्ण रूप से छात्रों के मातापिता के ऊपर ही निर्भर थे और यह प्रथा आज भी चालू है।

४ शिक्षक को हर छात्र से प्रतिमास पाच आने मिलते हैं। श्रीरगपट्टम् टापू में शिक्षा के लिए कुल वार्षिक खर्च २ ३५१ रुपए ४ आना होता है। ४१ शिक्षकों के बीच इनका बँटवारा करने से प्रत्येक को औसतन वर्ष में ५७ रुपए ५ आना और ५ पाई मिलते हैं जो बहुत ही कम और अपूर्ण है।

श्रीरगपट्टम् एच वाइकार्ट

२९ अक्तूबर १८२२ कार्यकारी सहायक समाहर्ता

श्रीरंगपट्टम द्वीपके स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रोंकी संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला श्रीरंगपट्टम द्वीप	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
श्रीरंगपट्टम किला	विद्यालय महाविद्यालय	३८		३८	२०		२०	९३	८	१०१	६२		६२
शाहुर मम्मनवर	विद्यालय महाविद्यालय	१०		१०	३		३	२०५	६	२११	९६		९६
		४८		४८	२३		२३	२९८	१४	३१२	१५८		१५८

महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
२१३	८	२२१	३२		३२	२४५	८	२५३	५ १०६	५ ६२६	१० ७३२
३१४	६	३२०	५४		५४	३६८	६	३७४	९ ७४५	११ १३५	२१ ८८०
५२७	१४	५४१	८६		८६	६१३	१४	६२७	४ ८५१	१६ ७६१	३१ ६१२

श्रीरंगपट्टम २९ अक्टूबर १८२२

एच वाइबर्ट सहायक समाहर्ता

७

तिनवेली के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति ७-११-१८२२

(टी एन एस ए बी आर खण्ड ९३१ का १८-११-१८२२ क्र ३७ पृ १०५४५-४६)

निश्चित पत्रक में अपेक्षित इस जिले की शालाओं का सपूर्ण ब्यौरा इसके साथ भेज रहा हूँ। जानकारी भेजने के समय तक पजामहल तहसील की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी।

बस्ती के आँकड़े इससे पूर्व के पत्रक में त्रुटिपूर्ण होंगे। अब भेजे जा रहे पत्रक में गलतिया सुधार ली गई हैं।

तिनेवेली — जे बी हटलस्टन
७ नवम्बर १८२२ — समाहर्ता

तिनेवेली जिले के स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा
उनमें पढनेवाले छात्रोंकी संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालय एवं महाविद्यालय	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जातिके छात्र			महायोग		
		पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
तिनेवेली	विद्यालय ६०७ महाविद्यालय नहीं	२ ०१६		२ ०१६				२ ८८९		२ ८८९	३ ५५७	११७	३ ६७४	८ ४६२	११७	८ ५७९

मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
७१६	२	७१८	९२५८	११९	९३७७	२ ८३ ७१९	२ ८१ २३८	५ ६४ ९५७

तिनेवेली
७ नवम्बर १८२२

जे बी ह्यूलस्टन
समाहर्ता

८

कोइम्बतूर के मुख्य समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति २३-११-१८२२

(टी एन एस ए. बी आर पी खण्ड ९३२ का २-१२-१८२२ पृ १०९३९-४३ क्र ४३)

प्रति

रेवन्यू बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यगण

महोदय

१ २५ जुलाई १८२२ के श्रीमान् क्लार्क के इस जिले की शालाओं के बारे में जानकारी मागने हेतु लिखे गए पत्र के सन्दर्भ में यह जानकारी भेज रहा हूँ।

२ सारिणी १ श्रीमान् क्लार्क ने भेजे पत्रक के अनुरूप है।

सारिणी २ प्रत्येक शाला में सिखाई जानेवाली भाषा छात्रों की सख्या पालकों द्वारा शिक्षकों को दिया जानेवाला शुल्क और छात्रोंको पोथी (cadjans) खरीदने के लिए दी जानेवाली राशि की जानकारी देता है।

सारिणी २ में धर्मशास्त्र कानून और खगोलशास्त्र सिखानेवाली सस्थाओं और छात्रों की सख्या प्रस्तुत है। साथ ही हिन्दु सरकार द्वारा उनके निर्वाह के लिए दी गई *अधिकतम जमीन की जानकारी भी उसमें प्रस्तुत है। उस जमीन को मुसलमान और* ब्रिटिश सरकार ने भी मान्य किया है।

३ बच्चों के शालाप्रवेश की कम से कम आयु ५ वर्ष है। वे १३ से १४ वर्ष के होने तक शाला में रहते हैं। धर्मशास्त्र कानून आदि पढनेवाले छात्र १५ वर्ष की आयुमें अध्ययन आरम करते हैं और इन विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई व्यवसाय शुरू करने तक अलग-अलग कॉलेजों में अध्ययन चालू रखते हैं।

४ नियमित पारिश्रमिक के अतिरिक्त दशहरा अथवा अन्य त्यौहारों में शिक्षक को छात्रों के अभिभावकों की ओर से दक्षिणा भी प्राप्त होती है। विद्यार्थी नई पुस्तक पढने का आरभ करता है तब भी शिक्षाशुल्क दिया जाता है। वार्षिक शुल्क प्रति छात्र प्रति वर्ष ३ से लेकर १४ रूपये होता है। शुल्क की राशि का आधार छात्र की स्थिति पर निर्भर करता है। शाला का समय प्रातः ६ ०० से १० ०० और दोपहर १ ०० या २ ०० बजे से रात्रि मे ८ ०० तक रहता है। प्रति मास नियमित ४ छुट्टियाँ रहती हैं। ये छुट्टियाँ पूर्णिमा अमावास्या और प्रतिपदा को होती हैं।

५ इन जिलों में लडकियों की शिक्षा नर्तकियों तक ही सीमित है। ये नर्तकियाँ कैक्कलर जाति की होती हैं। यह एक जुलाहा जाति है। इसमें अपवाद हैं किन्तु नहीं के बराबर।

६ कोइम्बतूर नगर में एक अंग्रेजी शाला है। इस कार्यालय का कर्मचारी एक अंग्रेज लेखक उसका ध्यान रखता है।

कोइम्बतूर
२३ नवम्बर १८२२

हस्ताक्षर
जे सलीवान
प्रधान समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

सेंट ज्योर्ज किला २ दिसम्बर १८२२

कोईम्बतूर प्रान्त में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढनेवालों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
१	२	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१ कोईम्बतूर	विद्यालय ९५ महाविद्यालय ४५	२०४ १०८		२०४ १०८	६०		६०	१०३०	१२	१०४२	१०६		१०६
२. पोलाची	विद्यालय ६० महाविद्यालय १	३० ७		३० ७	९		९	४४८	३	४५१	३१		३१
३ सत्तिमंगलम्	विद्यालय ३० महाविद्यालय २२	७३ ९२		७३ ९२	२०		२०	२९७	१०	३०७	४०		४०
४ विजर	विद्यालय ४६ महाविद्यालय ३	६९ ११		६९ ११	१६		१६	३१५	७	३२२	२०		२०
५. परिन्दुर	विद्यालय ५१ महाविद्यालय २	२३ १४		२३ १४	४		४	३९१	११	४०२			
६. धर्मपुरमकोट	विद्यालय २४ महाविद्यालय १	३८ २३		३८ २३	७		७	२२०		२०२			
७ चोरीमल	विद्यालय २४ महाविद्यालय १४	२७ ५६		२७ ५६	४५		४५	२०२		२०२	१८		१८

जिला	योग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दु एवं मुसलमान छात्र			कुल जनसंख्या		
	७			८			९			१०		
	पु	२ स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१. कोईम्बतूर	१ ४०७ १०८	१२	१ ४१९ १०८	५१		५१	१ ४८५ १०८	१२	१ ४९७ १०८	३८ ६६५	३९ ८६६	७८ ५३१
२ पोथली	५१८ ७	३	५२१ ७	११		११	५२९ ७	३	५३२ ७	२१ १९४	२१ ७००	४२ ८९४
३ सविमंगलम्	४३० ९२	१०	४४० ९२				४३० ९२	१०	४४० ९२	२४ १०६	२४ ४४२	४८ ५४८
४ चित्तूर	४२० ११	७	४२७ ११	५१		५१	४७१ ११	७	४७८ ११	१९ ८७५	१९ ६२९	३९ ५०४
५. परिन्दुर	४१८ १४	११	४२९ १४				४१८ १४	११	४२९ १४	२४ १८८	२४ २९३	४८ ४८१
६ धर्मपुरमकोटा	२६५ २३		२६५ २३	१३		१३	२७८ २३		२७८ २३	११ ६५६	१२ ३३३	२३ ९८९
७ पोलीमस	२९२ ५६		२९२ ५६	७		७	२९९ ५६		२९९ ५६	१८ ६६१	१७ ५६२	३६ २२३

सैंट ज्योर्ज किला २ दिसम्बर १८२२

कोईम्बतूर प्रान्त में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढनेवालों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
१	२	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
८ अम्बूर	विद्यालय २६ महाविद्यालय १२	२४ ५७		२४ ५७	८	-	८	१८९	७	१९६			
९ इरोड	विद्यालय ४३ महाविद्यालय ७	२४ ३३		२४ ३३	२		२	२०१	२	२०३			
१० करूर	विद्यालय ७६ महाविद्यालय २५	१३६ १३८		१३६ १३८	३९		३९	६०३		६०३			
११ पुलाचीम	विद्यालय ७९ महाविद्यालय ८	५७ ४४		५७ ४४	७		७	७१७	३	७२०			
१२ धारापुरन्द	विद्यालय ६५ महाविद्यालय २३	१२९ ८८		१२९ ८८	१६		१६	४१६	१४	४३०	७		७
१३ कॉम्पयन्द	विद्यालय ५७ महाविद्यालय १	३६ ८		३६ ८	१४		१४	३१८	१०	३२८	४		४
१४ [illegible]	विद्यालय ८७ महाविद्यालय ९	४८ ३७		४८ ३७	४२ -		४२	८५५	५	८५८			
योग	विद्यालय ७६३ महाविद्यालय १७३	९१८ ७२४		९१८ ७२४	२८९		२८९ -	६ ३७९	८२	६ ४६१	२२६		२२६

जिला	योग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दु एवं मुसलमान छात्र			कुल जनसंख्या		
	७			८			९			१०		
	पु	२ स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
८ अम्दूर	२२१ ५७	७	२२८ ५७	८		८	२२९ ५७	७	२३६ ५७	१५ ८२५	१५ ८७५	३१ ७००
९. इरोड	२९७ ३३	२	२९९ ३३	१८		१८	३१५ ३३	२	३१७ ३३	१६ ५१५	१६ ५३५	३३ ०५०
१० कम्बर	७७८ १३८		७७८ १३८	४६		४६	८२४ १३८		८२४ १३८	३३ १४८	३२ ९३५	६६ ०८३
११ पुलादीम	७८१ ४४	३	७८४ ४४	३९		३९	८२० ४४	३	८२३ ४४	२३ १८७	२३ ९९७	४७ १८४
१२ धारापुरम्द	६६८ ८८	१४	६८२ ८८	४७		४७	७१५ ८८	१४	७२९ ८८	२२ ७९९	२२ ६२१	४५ ४२०
१३ कोंमायम्द	३७२ ८	१०	३८२ ८				३७२ ८	१०	३८२ ८	१९ ८४५	२० ९१३	४० ७५८
१४ सङ्करामरी	९४५ ३७	३	९४८ ३७	२१		२१	९६६ ३७	३	९६९ ३७	२७ २६७	२८ ५६७	५५ ८३४
योग	७ ८९२ ७२४	८२	७ ८९४ ७२४	३१२		३१२	८ १२४ ७२४	८२	८ २०६ ७२४	३ १६ ९३१	३ २१ २६८	६ ३९ १९९

कोईम्बतूर
२३ नवम्बर १८२२

जे सलाइवान
समाहर्ता

किला सेंट ज्योर्ज २ दिसम्बर १८२२

कोईम्बतूर जिले के विद्यालयोंमें पढाई जानेवाली भाषाओं छात्रसंख्या अभिभावकों द्वारा शिक्षकोंको दी जानेवाली राशि एवं छात्रों द्वारा शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिये दी जानेवाली औसत वार्षिक राशि की जानकारी दर्शानेवाला पत्रक

१	२		४							५
क्रम	तहेसील	जिनमें विद्यालय है ऐसे गांवोंकी संख्या	ग्रेण्ठम	हिन्दी	तमिल	तेलुगु	कन्नड	पर्शियन	योग	तेहसीलमें पढनेवाले छात्रोंकी कुल संख्या
१	कोईम्बतूर	५९	५	२	७६	८	२	२	९५	१४७०
२	पोलाची	५७		२	५७	१		-	६०	५३२
३	सतिमन्गलम्	२३		१	२६		३		३०	४४०
४	चिऊर	३६	-		५१				५१	४७८
५	परिम्दूर	४५		१	३६		६	३	४६	४२९
६	दनाईकुम्कोटा	४४			१९		५		२४	२७८
७	चोसीगल	१५		२		१	१९	२	२४	२९९
८	अन्दूर	१९	-		२५	१		-	२६	२३६
९	इरोड	२८			४०	२		१	४३	३१७
१०	करूर	४४		१	७०	३	१	१	७६	८२४
११	पुत्नादीम	७०		३	७०	६	-		७९	८२३
१२	धारापुरम्	३६		१	६१		२	१	६५	७२९
१३	कोंगायम	३२		१	५६	-			५७	३८२
१४	चिकनागीरि	५८	-		८४	३			८७	९६९
	योग	५६३	५	१४	६७१	२५	३८	१०	७६३	८ २०६

		६						७		
क्रम	तहेसील	अभिभावकों द्वारा शिक्षकोंको दी जानेवाली औसत राशि						छात्रों द्वारा शैक्षिक सामग्री खरीद करने के लिये दी जानेवाली वार्षिक औसत राशि		
		मासिक			वार्षिक					
		रुपये	आने	पाई	रुपये	आने	पाई	रुपये	आने	पाई
१	कोईम्बतूर	४१५			४९८०			६८०	१२	
२	पोलाची	१६६	४		१९९५		-	३५	८	
३	सत्तिमंगलम्	१५१	६		१८१६	८		२६३	१५	
४	धिऊर	१३२	१२		१५९३			३००		
५	परिन्दूर	११२			१३४४			१०७	४	
६	दनाईकुनकोटा	७५	८	-	९०६			१३९	८	
७	चोलीगल	९४			११२८			३८४		
८	अन्दूर	५९			७०८			२०४		
९	इरोड	९९	२		११८८			५३२	१४	
१०	कन्नर	२०६			२४७२			९८७	१३	
११	पुलाडीम	२०५	१२		२४६९			८०९	४	
१२	धारापुरम्	१८९	४		२१५१		-	३२७	-	
१३	कोनायम	१०४	१२		१२५७			७१९	४	
१४	विकत्तागिरि	२६८	४	-	३२१९	-		२३४	४	
	योग	२२७९	१४	-	२७२२६	८	-	५७२५	६	-

कोईम्बतूर २३ नवम्बर १८२२

जे सलाईवन
समाहर्ता

किला सेंट ज्योर्ज २ दिसम्बर १८२२

कोईम्बतूर ईलाकेमें धर्मशास्त्र कानून खगोल आदि सिखानेवाली संस्थाओंकी जानकारी दर्शानेवाला पत्रक

क्रम	तेहसील	धर्मशास्त्र आदि सिखानेवाले महाविद्यालयोंकी संख्या				छात्र संख्या	पूर्वमें दी गई अधिकत्तम भूमिकी अनुमानित राशि		
		धर्मशास्त्र	कानून	खगोल	योग		रूपये	आने	पाई
१	कोईम्बतूर	१७	२५	३	४५	१०८	३८१	५	-
२	पोलाची	-	१		१	७	-	-	
३	सतिमगलम्	१०	८	४	२२	९२	१ ४०९	-	-
४	चिरूर	१	२	-	३	१९	४१	३	-
५	परिन्दूर	२		-	२	१४	-		-
६	दानाईगुनकोटा	१	-	-	१	२३	३०	१३	
७	चोलीगल	७	७	-	१४	५६	२१७	१	
८	अन्दूर	९	२	१	१२	५७	१४	१३	-
९	ईरोड	५	२		७	३३	५०	८	
१०	करूर	१६	८	१	२५	१३८	-		-
११	धाराधुरम्	१३	९	१	२३	८८	-	-	
१२	कोंगायम्	१	-		१	८	४२	४	
१३	चिक्रागिरि	८	१	-	९	३७	-		
	योग	९४	६९	१०	१७३	७२४	२२०८	७	०

कोईम्बतूर २३ नवम्बर १८२२

जे सलाईवन

समाहर्ता

९

मदुरा के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति

(टी एन एस ए बी आर पी खण्ड ९४२ का १३-२-१८२३ पृ २४०२-६ क्र २१)

१ सरकार की ओर से सूचना मिलने से पूर्व ही इस जिले की शिक्षा की स्थिति के बारे में मैंने थोड़ी जाँच की थी। मैं सोच रहा था कि अगर गरीब लोग शाला में अपने बच्चे भेजने लगें तो शालाओं की सख्या बढाई जा सकती है या नहीं। किन्तु मुझे ऐसे सुधार की आशा नहीं है। लोग कहते हैं कि वे गरीब हैं इसलिए उनके बच्चे गाय-बैलों की देखभाल करें और काम करें यह अच्छा है।

शाला में जाने के बजाय यह काम करने के कारण उन्हें आजीविका प्राप्त हो सकती है। कई कस्बों में और मदुरा के किले में शाला प्रारभ करने से लाभ हो सकता है। बहुत से लोग उस शाला में अपने बच्चे भेजेंगे और फिर जैसे जैसे शिक्षा से लाभ होता जाएगा वैसे वैसे सख्या में अभिवृद्धि होती जाएगी। मदुरा के किले में ५ से ६ और कस्बों में २ से ३ शालाएँ शुरू की जाएँ और वहाँ के शिक्षकों को महीने में ३० से ४० फेनम (एक प्रकार की मुद्रा) पारिश्रमिक दिया जाए। गाँव के अग्रणी अपने बच्चों को ऐसी शालाओं में भेजेंगे इसमें मुझे सन्देह नहीं है। इस शाला से सचमुच उन्हें लाभ होगा क्यों कि अधिकाश नटवकार लोग लिखना पढना बिलकुल नहीं जानते। वे पूर्णरूप से कर्णम पर ही अवलबित रहते हैं।

२ सारिणी से ज्ञात होगा कि लगभग ८ ०० ००० की जनसख्या में केवल ८४४ शालाएँ हैं और उनमें १३ ७२१ छात्र पढ्ते हैं। अत सख्यावृद्धि होना ठीक रहेगा।

३ अलग अलग स्रोतों से प्राप्त जानकारी से पता नहीं चलता कि मान्यम् की ज़मीन का शालाओं के निर्वाह के लिए उपयोग होता है या नहीं। शिक्षकों को गरीब छात्रों के पालक भी महीने में २ ३ ४ या ५ फेनम पारिश्रमिक के तौर पर अपनी स्थिति के अनुरूप देते हैं। बड़े गाँवो में शिक्षक को ३० से ४० कच्ची फेनम और छोटे गाँवों में १० से ३० फेनम मिलते हैं। छात्र ५ वर्ष की आयु में शाला में आते हैं और १२ से १५ वर्ष की आयु तक शाला में रहते हैं।

४ जहाँ ब्राह्मण रहते हैं ऐसे अग्रहार गाँवों में वेद और पुराण का अध्ययन करनेवाले लोगों को वर्षभर २० से ५० फेनम मिले इस प्रकार से मान्यम की जमीन बाँटने का बहुत ही प्राचीन रिवाज़ है। कहीं पर यह राशि १०० फेनम तक भी पहुँच जाती है। स्वेच्छा से आनेवाले छात्रों को वे आनद और प्रेम से अध्ययन करवाते हैं।

५ नर्तकियों के रूप में तैयार होनेवाली लड़कियाँ ही शाला में पढती हैं।

तिरुमगलम् — आर. पीटर

५ फरवरी १८२३ — समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

मदुरा एवं दिण्डिगल जिले के स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा विभिन्न जातियों के छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालय	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जातिके छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
मदुरा	१७७	४११	-	४११	३१	-	३१	२५९१	४२	२६३३	६५८	-	६५८
दिण्डिगल	२५२	२१९	-	२१९	२९०		२९०	१८९१	१९	१९१०	६१३	७	६२०
रामनद जमीनदारी	१८८	२९५	-	२९५	२७१		२७१	१५४७	४	१५५१	६७०	१४	६८४
शिवगंगा जमीनदारी	२२७	२६१		२६१	५२७	-	५२७	१२१८		१२१८	१०३६	१९	१०५५
योग	८४४	११८६	-	११८६	१११९		१११९	७२४७	६५	७३१२	२९७७	४०	३०१७

महा योग			मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
३६९९	४२	३७४१	१६५	-	१६५	३८६४	४२	३९०६	८८२२४	८४१९२	१७२४१६
३०१३	२६	३०३९	४२७	-	४२७	३४४०	२६	३४६६	१२१७१४	१२१३२५	२४३०३९
२७८३	१८	२८०१	२४६	-	२४६	३०२९	१८	३०४७	९५२४९	९०५८९	१८५८३८
३०४२	१९	३०६१	३०९		३०९	३३५१	१९	३३७०	९६३२८	९०५७५	१८६९०३
१२५३७	१०५	१२६३४	११४७	-	११४७	१३६८४	१०५	१३७८९	४०१५१५	३८६६८१	७८८१९६

विशेष : इन जिलोंमें महाविद्यालय नहीं है । वेदाध्ययन करनेवाले ब्राह्मण छात्र जिनको कुछ भूमि दी गई है उनका समावेश ब्राह्मण छात्रोंकी संख्यामें किया गया है ।

तिरुमंगलम्, ५ फरवरी १८२३

आर. पीटर
समाहर्ता

१०

तजावुर के प्रधान समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति

(टी एन एस ए बी आर पी खण्ड ९५३ -
दिनाक २८-६-१८२३ का ३-७-१८२३ पृ ५३४५-४७ क्र ६१)

गत २५ जुलाई के आपके सचिव के पत्र और सलग्न सामग्री के सन्दर्भ में निश्चित पत्रक में जानकारी भेज रहा हूँ। उसमें इस जिले की शालाएँ और कॉलेजों की तहसीलदारों से प्राप्त जानकारी है। क्रमाक १ और २ की जानकारी अधिक विस्तार से है। इस विषय में आपके बोर्ड और सरकार को अपेक्षित सब जानकारी प्रस्तुत है। मुझे यह जोड़ना चाहिए कि इन सस्थाओं को बाँटी गई राशि अन्य किसी कार्य में नहीं प्रयुक्त हुई है।

तजावुर नागपट्टम् — जे कोटन
२८ जून १८२३ — प्रधान समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

तंजाउर जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जातिके छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
तंजाउर	विद्यालय ८८४	२८१७		२८१७	३६९		३६९	२२२	-	२२२	१०६६१	१२५	१०७८६
	महाविद्यालय १०९	७६९	-	७६९		-	-	-	-	-			-

अन्य जाति के छात्र			योग (हिन्दु छात्र)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
२४२६	२१	२४५५	१६४९५	१५४	१६६४९	९३३		९३३	१७४२८	१५४	१७५८२	१९४५२२	१८०१४५	३८२६६७
			७६९		७६९				७६९		७६९			

तंजाउर
नेगापट्टम २८ जुन १८२३

जे. कोटन
प्रमुख समाहर्ता

तंजावुर जिले के पढने एव लिखने के लिये स्थापित विद्यालयों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

क्रम	तेहसील	गाँवों की संख्या	नि शुल्क विद्यालयोंकी संख्या	सशुल्क विद्यालयोंकी सख्या	कुल विद्यालय संख्या	शिक्षक संख्या
१	त्रिवाडी	९५	७	१३०	१३७	१३७
२	पापनाशम्	३३	१	५२	५३	५३
३	कोमलूर	५४	१	१२८	१२९	१२९
४	पुड्डुकोटा	१२		१७	१७	१७
५	मन्नारगुडी	४०		६४	६४	६४
६	त्रिवलूर	२८	१	४७	४८	४८
७	कुम्भकोणम्	६२	४	१३१	१३५	१३५
८	म्यावेरम्	१०४	८	१२८	१३६	१३६
९	नन्नीलम्	३७	१	४४	४५	४५
	योग	४६५	२३	७४१	७६४	७६४
१०	तंजावुर के किल्ले सहित नामदार महाराजाके अधीन गाँव	२८	२१	९९	१२०	१२०
	योग	४९३	४४	८४०	८८४	८८४

छात्रोंकी जाति एवं संख्या

क्रम	ब्राह्मण			क्षत्रिय			वैश्य			शूद्र			अन्य		
	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग
१	४४४		४४४	२२		२२	४१		४१	१८८१	४९	१९३०	२२	-	२२
२	२३४	-	२३४	५	-	५	२६		२६	४१७	२	४१९	४५९	३	४६२
३	११८	-	११८	१३		१३	५६		५६	१६५५	११	१६६६	३७५	६	३८१
४	२०		२०	५	-	५	८	-	८	२२२		२२२	४५	१	४६
५	२१६		२१६	१	-	१	१५	-	१५	७८६	१०	७९६	-	-	
६	१७३	-	१७३		-		-		-	६७७	६	६८३			
७	६१३		६१३	३७		३७	३०		३०	१३५४	६	१३६०	८१३	१७	८३०
८	३८२	-	३८२	८	-	८	२३		२३	१२०५	१४	१२१९	६६३	१	६६४
९	१४३	-	१४३		-	-	२	-	२	६०८	३	६११	२	-	२
	२४२३	-	२४२३	९१		९१	२०१	-	२०१	८८०५	१०१	८९०६	२३७९	२८	२४०७
१०	३९४	-	३९४	२७८	-	२७८	२१	-	२१	१८५६	२४	१८८०	४७	१	४८
	२८१७		२८१७	३६९	-	३६९	२२२	-	२२२	१०६६१	१२५	१०७८६	२४२६	२९	२४५५

विशेष : छात्र सामान्य रूपसे पाच वर्ष विद्यालयमें रहते हैं । औसत से मासिक ४ डी फेनम का शुल्क उनसे लिया जाता है । नि शुल्क चलनेवाले विद्यालयों में से १९ मिशन से सलग्न हैं २१ विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन राजा देते हैं १ विद्यालय के शिक्षकों का वेतन त्रिवलूर धर्मस्थान देता है तीन विद्यालयों के शिक्षक बिना वेतन लिये पढ़ाते हैं । व्यक्तिगत रूप से सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय एक भी नहीं है । केवल मिशन से सहायता प्राप्त होती है । उसके अतिरिक्त एक गावका सर्वमान्यम् होता है जिसका मूल्य १ १०० रुपये अनुमानित है ।

छात्रों की जाति एव संख्या

क्रम	महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम लोग			विद्यालययुक्त गाँवकी कुल जनसख्या		
	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग
१	२४१०	४९	२४५९	५५		५५	२४६५	४९	२५१४	३६१५४	३६२३८	७२३९२
२	११४१	५	११४६	४१		४१	११८२	५	११८७	१२९५६	१३२८९	२६२४५
३	२२९७	१७	२३१४	२७७	-	२७७	२५७४	१७	२५९१	९९५५	७९५९	१७९१४
४	३००	१	३०१	२६	-	२६	३२६	१	३२७	२९१३३	२७७३३	५६८६६
५	१०१८	१०	१०२८	७	-	७	१०२५	१०	१०३५	१२३४०	११०५५	२३३९५
६	८५०	६	८५६	३२		३२	८८२	६	८८८	३००३	२८१५	५८१८
७	२८४७	२३	२८७०	१११	-	१११	२९५८	२३	२९८१	३०६१९	२७७७१	५८३९०
८	२२८१	१५	२२९६	५१		५१	२३३२	१५	२३४७	२०४५४	१८२५२	३८८०६
९	७५५	३	७५८	३३		३३	७८८	३	७९१	७९२२	७६६२	१५५८४
योग	१३८९९	१२९	१४०२८	६३३	-	६३३	१४५३२	१२९	१४६६१	१६२६३६	१५२७७४	३१५४१०
१०	२५९६	२५	२६२१	३००	-	३००	२८९६	२५	२९२१	३२८८६	३४३७१	६७२५७
योग	१६४९५	१५४	१६६४९	९३३	-	९३३	१७४२८	१५४	१७५८२	१९५५२२	१८७१४५	३८२६६७

विशेष माना जाता है कि मिशन द्वारा स्थापित विद्यालयों को तहसीलदार के वृत्तमें नहीं लिए गए हैं।

तन्जावुर
नेगापट्टम २८ जुन १८२३

जे कोटन
प्रमुख समाहर्ता

तंजाउर जिले के जहां धर्मशास्त्र कानून खगोल आदि की उच्च शिक्षा दी जाती है ऐसे महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों की जानकारी देनेवाला पत्रक

तेहसील	महाविद्यालय संख्या	जहां संस्था की स्थापना हुई है ऐसे गांव	किसने स्थापना की	निभाव कैसे होता है	यदि मान्यम् द्वारा निभाव होता है तो उसका प्रकार एवं व्याप
१	२	३	४	५	६
पापनाशम्	१	त्रिभितोराई		शिक्षक को प्रतिवर्ष छात्रों द्वारा २४ चक्रम् दिये जाते हैं ।	
	१	थिन्जिकोसाई			
	१	रघुनाथपुरम्		शिक्षक निःशुल्क पढाते हैं ।	
त्रिवलूर	१			श्यामराज स्वामी मन्दिर के अन्नदान खाते से शिक्षक को प्रतिवर्ष १२ चक्रम और ९ फेदम् प्राप्त होते हैं ।	
	१	त्रिवलूर कसबा			
	१	-			
	१				
	१				
	१	-			
	१		-		-
	१				
मन्नारगुडी	१	मन्नारगुडी आदि चक्रवन्दीयम्		शिक्षक धर्मार्थ पढाते हैं । शिक्षक को प्रतिवर्ष छात्रों द्वारा दक्षिणा दी जाती है ।	
	१			(१८ चक्रम्)	
	१			(१८ चक्रम्)	

तंजावुर जिले के जहां धर्मशास्त्र कानून खगोल आदि की उच्च शिक्षा दी जाती है ऐसे महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों की जानकारी देनेवाला पत्रक

तेहसील	महाविद्यालय संख्या	गांव	शिक्षकों अथवा अध्यापकों के नाम	पढ़ाये जानेवाले शास्त्र	छात्रों/शिष्यों की संख्या ब्राह्मण	वैश्य	अन्य जाति	योग
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२
पापनाशम्	१	त्रिपितोराई	शुभवदनी एव	वादमन्द	१०			१०
			शुभशास्त्री	काव्यम्				
	१	यिन्जिकोलाई	शाशाशास्त्री		१०			१०
	१	रघुनाथपुरम्	शशियगर	वादम्	२०			२०
त्रिवलूर	१		शशियंकर	वादम्				
	१	त्रिवलूर कसबा	महादेव वन्दीयर		२	-		२
	१		परशुराम वक्रियार		१०		-	१०
	१		अप्पसामी वक्रियार					
	१		रामवक्रियार		४			४
	१		शुब्बावक्रियार		३			३
	१		अप्पसामी वक्रियार	काव्यम्	३			३
मन्नारगुडी	१	मन्नारगुडी आदि	किस्तंगर	वादम्	५			५
		चक्रवन्दीयम्	जयवक्रियार		८			८
	१		सामुवक्रियार		५	-		५
	१		अन्नासामी शास्त्री	काव्यम् एव तर्कम्	३			३

तजावुर जिले के जहां धर्मशास्त्र कानून खगोल आदि की उच्च शिक्षा दी जाती है ऐसे महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों की जानकारी देनेवाला पत्रक

तेहसील	महाविद्यालय संख्या	जहा संस्थाकी स्थापना हुई है ऐसे गांव	किसने स्थापना की	निभाव कैसे होता है	यदि मान्यम् द्वारा निभाव होता है तो उसका प्रकार एवं व्याप
१	२	३	४	५	६
कीम्बूर	१			अम्मावेढ अन्नछत्र के सर्वमान्यम् द्वारा इस महाविद्यालय का निभाव होता है ।	
	१	रामचन्द्रनेटा गोणट		रामचन्द्रमठ द्वारा शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है	
त्रिवाडी	१	त्रिवाडी कसबा		शिक्षक नि शुल्क पढ़ाते हैं	
	१				
	१			"	
	१			"	
	१			"	
	१			" "	
	१	सातनूर		छात्र प्रतिमास २ पेत्दम दक्षिणा देते हैं ।	
		कन्डेम्पेला		शिक्षकको गाँवकी ओरसे प्रतिमास धान के दो कल्लम मिलते हैं	
		पालामस्नेरी		शिक्षक नि शुल्क पढ़ाते हैं ।	
पुदुकोटा				इस महाविद्यालयका निभाव सर्वमान्यम द्वारा तथा छात्रों की दक्षिणा द्वारा होता है । प्रत्येक से १ पेत्दम्	
	१			शिक्षक धर्मार्थ पढ़ाते हैं ।	-
		नाम्बोन्दचिड़ी		गाव की ओर से शिक्षक को वार्षिक ५० कल्लम धान के मिलते हैं ।	-

तंजावुर जिले के जहां धर्मशास्त्र कानून खगोल आदि की उच्च शिक्षा दी जाती है ऐसे महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों की जानकारी देनेवाला पत्रक

तेहसील	महाविद्यालय संख्या	गांव	अध्यापकों/ शिक्षकों के नाम	विषय	छात्रों/शिष्यों की संख्या			
					ब्राह्मण	वैश्य	अन्य जाति	योग
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२
कोम्बलूर	१		रामभट्ट (१)	वादम्	४	-		४
			रामवडियार (१)					
	१	रामचन्द्रनेश गोगाट	पचनदी वडियार (१)					
			वेंकटाचल वडियार		७			७
त्रिवाडी		त्रिवाडी कसबा	जयवडियार		७			७
			गुरुस्वामी वडियार		१०	-		१०
			रघुनाथशास्त्री		४	-		४
			कृष्णशास्त्री		२०	-		२०
			कुप्पशास्त्री		४			४
		-	सिपाशास्त्री		७			७
		सातनूर	रामस्वामीशास्त्री		५			५
		कन्जेम्पेला	कृष्णायगर शिवस्वामी		७			७
		पालामरनेरी	जतनवल्लभीर	-	९			९
पुदुकोटा		मान्जोन्दपिट्टी	रामआयगार	वादम्	१८			१८
			पचनन्जेता		१५			१५
			वलामुर		३०			३०

तंजावुर जिलेके जहां धर्मशास्त्र कानून खगोल आदिकी उच्च शिक्षा दी जाती है ऐसे महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानोंकी जानकारी देनेवाला पत्रक

तेहसील	महाविद्यालय संख्या	जहां संस्थाकी स्थापना हुई है ऐसे गांव	किसने स्थापना की	निभाव कैसे होता है	यदि माम्यम् द्वारा निभाव होता है तो उसका प्रकार एवं ब्याप
१	२	३	४	५	६
	२	राजसाम्बपुरम्		नामदार राजा द्वारा शिक्षक को दक्षिणा दी जाती हैं ।	
		अन्नक्षेत्रम्		नामदार राजा द्वारा शिक्षक को ओलाप्पा नामसे भत्ता दिया जाता है ।	
	५	शकुन्वरम्यपुरम्		छात्रों द्वारा दक्षिणा दी जाती हैं ।	
		राजसाम्बपेट			
		मूल्यमानछत्रम्			
	२	दुपदाम्बापुरम्		राजा द्वारा दक्षिणा दी जाती हैं ।	
	२	शूलपामसपुरम्			
		सिदम्बायीपुरम्			
		यमुनामघपेट			
		मोहनम्	नामदार राजाकी माता द्वारा	नामदार राजा की माता द्वारा शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है ।	
	४	कापूरम्	नामदार राजाकी माता द्वारा	नामदार राजा की माता द्वारा शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है ।	
	४	राजकुमारम्बापुरम्			
योग	७१				
महायोग	१०९				

तंजापुर मेमापट्टम
२८ जुन १८२३

जे कोटम
प्रमुख समाहर्ता

११

चेन्नई के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति

(टी एन एस ए बी आर पी खण्ड ९३१ का १४-११-१८२२
पृ १० ५१२-१३ क्र ५७-८)

१ आपका गत २५ जुलाई का पत्र सरकार के एक पत्र के साथ मिला है। उसमें मागी गई जानकारियाँ इसके साथ भेज रहा हूँ।

२ सरकार के आदेश के अनुरूप मुझे प्राप्त इस जिले में शिक्षा की स्थिति की जानकारी भेज रहा हूँ।

३ हिन्दू और मुस्लिम विद्यार्थी पढ़ते हैं ऐसी शालाओं की ही विभिन्न प्रकार की जानकारियों का इसमें समावेश किया गया है।

४ बच्चे पाच वर्ष पूरे होने पर ही शाला में जाते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप वे शाला में रहते हैं। साधारणत देखा गया है कि तेरह वर्ष के होने तक उनमें भिन्न भिन्न विषय सीखने की क्षमता का असाधारण विकास होता है। केवल हिन्दू के लिए ही सभव है ऐसी लगन और जिज्ञासा को ही इसका श्रेय है।

५ गरीब ब्राह्मणों को खगोलविज्ञान और ज्योतिषशास्त्र पढाया जाता है। घर की स्थिति के अनुरूप ऐसे बच्चों को दक्षिणा भी दी जाती है।

६ इस जिले में सार्वजनिक निर्वाह होता हो ऐसी शालाएँ नहीं हैं। अनुदान से चलनेवाली शालाएँ केवल मिशनरियों के नियत्रण में हैं। फलत उसमें पढ़नेवाले भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय और विचारधारा के हैं।

७ चलानेवाले लोगों की इच्छा के अनुरूप यह दानप्राप्त शालाएँ चलती हैं या बद हो जाती हैं।

८ शिक्षकों को प्रति वर्ष प्रत्येक छात्र के हिसाब से १२ पेगोडा से अधिक राशि मुश्किल से ही प्राप्त होती है।

चेन्नई कार्यालय — एल जी के मरे
१३ नवम्बर १८२२ — समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

चैन्नाई जिले के स्थानीय जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
१	२	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
चैन्नाई	विद्यालय ३०५ पर्वतीय विद्यालय १७ महाविद्यालय	३५८ ५२	१	३५९ ५२	७८९ ४६	९ २	७९८ ४८	३५०६ १७२	११३	३६१९ १७२	३१३ १३४	४ ४७	३१७ १८१

योग (हिन्दु)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
४९६६ ४०४	१२७ ४९	५०९३ ४५३	१४३ १०		१४३ १०	५१०९ ४१४	१२७ ४९	५२३६ ४६३	३६०००० -	३४०००० -	७०००००

चैन्नाई समाहर्ता की कचहरी
१३ नवम्बर १८२२

एल जी के मरे
समाहर्ता

१२

उत्तर आर्कोट जिले के प्रधान समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति (३-३-१८२३)
(टीएनएसए. बीआरपी खण्ड ९४४ का १०-३-१८२३ पृ २८-६-१६ क्र २०-२१)

१ छात्रों की शिक्षा से सबधित इस जिले की जानकारी इस के साथ प्रस्तुत है।

२ आपके सचिव के पत्र के साथ सलग्न पत्रक के अतिरिक्त सस्थाओं के भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्णन और उसके निर्वाह की पद्धति के बारे में भी जानकारी भेजी है।

३ सरकार से ससाधन प्राप्त करनेवाले लोग इस प्रकार हैं। श्री शेमियर के पत्र में जिनका निर्देश किया गया था ऐसी आर्कोट की फारसी शालाएँ १० दिसबर १८२२ के दिन मैंने आपको सौंपी है।

४ इस जिले के अलग अलग हिस्सों में लगभग २८ कॉलेज की स्थापना की गई है। चेन्नई के मान्यम् से उसका निर्वाह होता है। पूर्व की सरकार ने ही यह अनुदान दिया है। यह आज भी चालू है। उसकी कुल राशि ५१६ रुपए ११ आने ९ पाई है।

५ सातगुड तेहसील की फारसी शाला प्रति छात्र १/४ रुपये के 'याम्य' अनुदान से चलती है। वहाँ लगभग ८ विद्यार्थी फारसी भाषा का अध्ययन करते हैं। कावेरीपाक तेहसील की एक कॉलेज को ५ रुपए ८ आने और ४ पाई जितनी साधारण मायरा' मिलती है। इस विभाग में सरकार की ओर से इतना ही खर्च होता है।

६ विविध विद्याशाखाओं की कुछ सस्थाएँ नि शुल्क चलती हैं। कुछ सपन्न लोग और स्वेच्छासे अपना समय देनेवाले विद्वान ऐसी सस्थाएँ चलाते हैं। हालाकि अधिकाश सस्थाएँ वेतन प्राप्त करनेवाले लोग चलाते हैं। उनकी शुल्क की दरें भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। उसका आधार विषय के प्रकार और पढनेवाले की स्थिति पर रहता है।

७ तमिल तेलुगु और हिन्दी शालाओ की सख्या सबसे अधिक है। इन शालाओं में सामान्य रूप से पाच वर्ष की आयुके बच्चे भेजे जाते हैं। पाच-छ वर्ष के समय में उनका इतना विकास होता है कि वे लेखा रखने में सार्वजनिक व्यवहारों में काम करने में कर्णम्, सराफ व्यापारी और ऐसे ही अन्य लोगों की सहायता कर सकते हैं। तत्पश्चात् वे स्नातक बनकर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं या परिवार का व्यवसाय करते हैं।

समाहर्ता की कचहरी — विलियम कुक
३ मार्च १८२३ — प्रधान समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

उत्तर आर्कोट के जिलों में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यलयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	विद्यालय एवं महाविद्यालय			ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र		
		विद्या.	महावि	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
चित्तूर तेहसील	अध्ययनम्		१	१	८		८						
	हिन्दी	३		३	२८		२८	१		१	३	-	३
	तेलुगु	१८		१८	१५		१५	३३		३३	१३५	२	१३७
	तमिल	७		७							७२		७२
	पर्शियन	१		१									
	अंग्रेजी	१		१	२		२				३		३
	योग	३०	१	३१	५३		५३	३४		३४	२१३	२	२१५
तिरुपति तेहसील	अध्ययनम्		२	२	५७		५७						
	हिन्दी	१		१	५		५						
	तेलुगु	१६		१६	४८		४८	५१	-	५१	१६०		१६०
	योग	१७	२	१९	११०		११०	५१		५१	१६०		१६०
कार्वेटीनगर तेहसील	अध्ययनम्		९	९	६९		६९						
	शास्त्रपठनम्		३	३	३४		३४						
	हिन्दी	१		१	३		३				१०		१०
	तेलुगु	२३		२३	४३		४३	३६		३६	१९१	११	२०२
	तमिल	४०		४०	३०		३०	३९		३९	४२६	३	४२९
	पर्शियन	६		६							२		२
	अंग्रेजी	१		१							५		५
	योग	७१	१२	८३	१७९		१७९	७५		७५	६३४	१४	६४८

उत्तर आर्कोट के जिलों में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	अन्य जाति छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग		
		विद्या	महावि	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१	२	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
चित्तूर तेहसील	अध्ययनम्				८		८				८		८
	हिन्दवी				३२		३२				३२		३२
	तेलुगु				१८३	२	१८५	४		४	१८७	२	१८९
	तमिल				७२		७२				७२		७२
	पर्शियन							५		५	५		५
	अंग्रेजी				५		५				५		५
	योग				३००	२	३०२	९		९	३०९	२	३११
तिरुपति तेहसील	अध्ययनम्				५७		५७				५७		५७
	हिन्दवी				५		५				५		५
	तेलुगु	१९		१९	२७८		२७८	१०		१०	२८८		२८८
	योग	१९		१९	३४०		३४०	१०		१०	३५०		३५०
कावेरीपाक तेहसील	अध्ययनम्				६९		६९				६९		६९
	शास्त्रपाठम्		-		३४		३४				३४		३४
	हिन्दवी				१३		१३				१३		१३
	तेलुगु	९१	१	९२	३६१	१२	३७३	१		१	३६२	१२	३७४
	तमिल	४६		४६	४४१	३	४४४	४		४	४४५	३	४४८
	पर्शियन				२		२	६६		६६	६८		६८
	अंग्रेजी				५		५				५		५
	योग	१३७	१	१३८	१०२५	१५	१०४०	७१		७१	१०९६	१५	११११

उत्तर आर्कोट के जिलों में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	विद्यालय एवं महाविद्यालय			ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र		
		विद्या	महावि	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
होसपीर तेहसील	अध्ययनम्		५	५	३४		३४						
	शास्त्रपाठम्		७	७	२३		२३						
	गणितशास्त्रम्		२	२	३		३						
	हिन्दवी	१	-	१	६		६				-		
	तैलुगु	१६		१६	२९		२९	८		८	८३		८३
	तमिल	१९		१९	१९		१९	७		७	१८३		१८३
	पर्शियन	२		२									
	योग	३८	१४	५२	११४		११४	१५		१५	२६६		२६६
तिरुप्पत्तूर तेहसील	अध्ययनम्		६	६	२०		२०						
	हिन्दवी	१		१	२		२						
	तैलुगु	४		४	१२		१२	९		९	१०		१०
	तमिल	१८		१८	१६		१६	१६		१६	११०		११०
	योग	२३	६	२९	५०		५०	२५		२५	१२०		१२०
सातगुड तेहसील	अध्ययनम्		१	१	९		९				-		
	पाठशाला		४	४	१३		१३	-					
	गणितम्	१		१	८		८						
	तैलुगु	६		६	७		७	६	-	६	२०		२०
	तमिल	१४		१४	१२	१	१३	७		७	८८		८८
	पर्शियन	१०		१०									
	योग	३१	५	३६	४९	१	५०	१३		१३	१०८		१०८
[illegible] तेहसील	तैलुगु	१६		१६	१६		१६	३६		३६	४३		४३

उत्तर आर्कोट के जिले में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	अन्य जाति छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग		
		विद्या	महावि	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
शोलनीर तेहसील	अध्ययनम्				३४		३४				३४		३४
	शास्त्रपाठम्				२३		२३				२३		२३
	गणितशास्त्रम्				६		६				३		३
	हिन्दवी				३		३				६		६
	तेलुगु				१२०		१२०				१२०		१२०
	तमिल	३		३	२१२		२१२	१		१	२१३		२१३
	पर्शियन							९		९	९		४०८
	योग	३		३	३९८		३९८	१०		१०	४०८		४०८
तिरुवन्नमलै तेहसील	अध्ययनम्				२०		२०				२०		२०
	हिन्दवी				२		२				२		२
	तेलुगु	९		९	४०		४०				४०		४०
	तमिल	१९		१९	१६१		१६	१५		१५	१७६		१७६
	योग	२८		२८	२२३		२२३	१५		१५	२३८		२३८
सातघुर तेहसील	अध्ययनम्				९		९				९		९
	पाठशाला				१३		१३				१३		१३
	गणितम्		-		८		८				८		८
	तेलुगु	१४	३	१७	४७	३	५०				४७	३	५०
	तमिल	१		१	१०८	१	१०९	२९		२९	१३७	१	१३८
	पर्शियन							११०	५	११५	११०	५	११५
	योग	१५	३	१८	१८५	४	१८९	१३९	५	१४४	३२४	९	३३३
कम्पनूर तेहसील	तेलुगु	३३		३३	१२८		१२८				१२८		१२८

उत्तर आर्कोट के जिलों में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	विद्यालय एवं महाविद्यालय			ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र		
		विद्या.	महावि.	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
वोलमीर तेहसील	अध्ययनम्		५	५	३४		३४						
	शास्त्रपाठम्		७	७	२३		२३						
	गणितशास्त्रम्		२	२	३		३						
	हिन्दवी	१		१	६		६						
	तेलुगु	१६		१६	२९		२९	८		८	८३		८३
	तमिल	१९		१९	१९		१९	७		७	१८३		१८३
	पर्शियन	२		२									
	योग	३८	१४	५२	११४		११४	१५		१५	२६६		२६६
तिरुपतूर तेहसील	अध्ययनम्		६	६	२०		२०						
	हिन्दवी	१		१	२		२						
	तेलुगु	४		४	१२		१२	९		९	१०		१०
	तमिल	१८		१८	१६		१६	१६		१६	११०		११०
	योग	२३	६	२९	५०		५०	२५		२५	१२०		१२०
रायतुरु तेहसील	अध्ययनम्		१	१	९		९						
	पाठशाला		४	४	१३		१३						
	गणितम्	१		१	८		८					–	–
	तेलुगु	६		६	७		७	६		६	२०		२०
	तमिल	१४		१४	१२	१	१३	७		७	८८		८८
	पर्शियन	१०		१०				–			–	–	–
	योग	३१	५	३६	४९	१	५०	१३		१३	१०८		१०८
कम्मपुर तेहसील	तेलुगु	१६		१६	१६		१६	३६		३६	४३		४३

उत्तर आर्कोट के जिले में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	अन्य जाति छात्र			महायोग (हिन्दु)			मुस्लिम छात्र			हिन्दु मुस्लिम योग		
		विद्या	महावि	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१	२	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
वोसवीर तेहसील	अध्ययनम्				३४		३४				३४		३४
	वास्तपाठम्				२३		२३				२३	-	२३
	गणितशास्त्रम्				६		६				३		३
	हिन्दवी				३		३				६		६
	तेलुगु				१२०		१२०				१२०		१२०
	तमिल	३		३	२१२		२१२	१		१	२१३		२१३
	पर्शियन							९		९	९		४०८
	योग	३		३	३९८		३९८	१०		१०	४०८		४०८
विरच्चम तेहसील	अध्ययनम्				२०		२०				२०		२०
	हिन्दवी				२		२				२		२
	तेलुगु	९		९	४०		४०				४०		४०
	तमिल	१९		१९	१६१		१६	१५		१५	१७६		१७६
	योग	२८		२८	२२३		२२३	१५		१५	२३८		२३८
सत्तनुर तेहसील	अध्ययनम्				९		९				९		९
	पाठ्शाला				१३		१३				१३		१३
	गणितम्				८		८				८		८
	तेलुगु	१४	३	१७	४७	३	५०				४७	३	५०
	तमिल	१		१	१०८	१	१०९	२९		२९	१३७	१	१३८
	पर्शियन							११०	५	११५	११०	५	११५
	योग	१५	३	१८	१८५	४	१८९	१३९	५	१४४	३२४	९	३३३
कम्मनुर तेहसील	तेलुगु	३३		३३	१२८		१२८				१२८		१२८

उत्तर आर्कोट के जिलों में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	विद्यालय एवं महाविद्यालय			ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र		
		विद्या.	महावि	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
पोन्नूर तेहसील	अध्ययनम्		१	१	९		९						
	शास्त्रपठम्				४		४				-		
	तेलुगु	१		१	११		११	५		५	४		४
	हिन्दवी	४८		४८	२९		२९	४२		४२	४१४		४१४
	अंग्रेजी	२		२									
	योग	५१	१	५२	५३		५३	४७		४७	४१८		४१८
वन्दवास तेहसील	अध्ययनम्	-	६	६	३८		३८						
	शास्त्रपठम्		२	२	६		६						
	तेलुगु	९		९	२९		२९	५		५	३३		३३
	तमिल	४७		४७	३१		३१	८		८	४०४		४०४
	योग	५६	८	६४	१०४		१०४	१३		१३	४३७		४३७
सुवाचायक तेहसील	अध्ययनम्		३	३	६		६		-				
	शास्त्रपठम्				२		२			-			
	तेलुगु	१५		१५	२५	-	२५	४५		४५	२५		२५
	तमिल	१०		१०				३९		३९	१२		१२
	योग	२५	३	२८	३३		३३	८४		८४	३७		३७
म्मारी तेहसील	अध्ययनम्		२	२	८		८						
	अध्यापनम्		१	१	१		१	-					
	तेलुगु	९		९	१९		१९	२५		२५	२५		२५
	तमिल	१	-	१							४		४
	योग	१०	३	१३	२८		२८	२५		२५	२९		२९

उत्तर आर्कोट के जिले में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	अन्य जाति छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग		
		विद्या	महावि	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
पोलूर तेहसील	अध्ययनम्				१		१				१		१
	शास्त्रपठन्				४		४				४		४
	तेलुगु				२०		२०				२०		२०
	हिन्दवी	२५		२५	५१०		५१०	११		११	५२१		५२१
	अंग्रेजी							१८	२	२०	१८	२	२०
	योग	२५		२५	५४३		५४३	२९	२	३१	५७२	२	५७४
वन्दवास तेहसील	अध्ययनम्				३८		३८				३८		३८
	शास्त्रपठन्				६		६				६		६
	तेलुगु				६७		६७				६७		६७
	तमिल	४		४	४४७		४४७				४४७		४४७
	योग	४		४	५५८		५५८				५५८		५५८
पुलमपयड तेहसील	अध्ययनम्				६		६				६		६
	शास्त्रपठन्				२		२				२		२
	तेलुगु	८३	१	८४	१७८	१	१७९	१		१	१७९	१	१८०
	तमिल	४०		४०	९१		९१	१		१	९२		९२
	योग	१२३	१	१२४	२७७	१	२७८	२		२	२७९	१	२८०
कणवी तेहसील	अध्ययनम्				८		८				८		८
	काव्यपाठम्				१		१				१		१
	तेलुगु				७५		७५				७५		७५
	तमिल				४		४				४		४
	योग				८८		८८				८८		८८

उत्तर आर्कोट के जिले में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	विद्यालय एवं महाविद्यालय			ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र		
		विद्या	महावि.	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
गोनारास तेहसील	अध्ययनम्		१	१	६		६						
	शास्त्रपाठम्		१	१	४		४						
	हिन्दवी	२		२	१५		१५						
	तेलुगु	३०		३०	१५		१५	६४		६४	८६		८६
	योग	३२	२	३४	४०		४०	६४		६४	८६		८६
वेंकटगिरि कोटे तेहसील	तेलुगु	२		२				२		२	६		६
सातास	अध्ययनम्		४३	४३	२९८		२९८						
	शास्त्रपाठम्		२४	२४	११७		११७						
	गणितशास्त्रम्		२	२	३		३						
	ग्रन्थम्	१		१	८		८						
	हिन्दवी	१६		१६	९२		९२	१		१	२५		२५
	तेलुगु	२०१		२०१	३१२		३१२	३९५		३९५	१ १४२	२८	१ १७०
	तमिल	३६५		३६५	२८०	१	२८१	२३४		२३४	३ ६३४	४	३ ६३८
	पर्शियन	४०		४०							५		५
	अंग्रेजी	७		७	६		६				५३		५३
	महायोग	६३०	६६	६९९	१११६	१	१११७	६३०		६३०	४८५६	३२	४८९१

क्रम	जनसंख्या	पु.	स्त्री.	योग
१	चित्तूर तेहसील	२ ८३५	२ ६१८	५ ४५३
२	तिरुपति तेहसील	१ ८१४	१ ५३६	३ ३५०
३	कार्वेटीपाक तेहसील	५ ५८०	४ ५७८	१० १५८
४	तोरनीर तेहसील	२ ५७५	१ ७९१	४ ३६६

क्रम	जनसंख्या	पु.	स्त्री.	योग
५	तिरुवत्तसम तेहसील	२ ७३२	२ ३१४	५ ०४६
६	सातगुड तेहसील	२ १७२	१ ६८२	३ ८५४
७	कल्कम्पट्टुम तेहसील	१ ००१	७८०	१ ७८१
८	आर्कोट तेहसील	६ २५४	५ ९१५	१२ १६९

उत्तर आर्कोट के जिले में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की सख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	अन्य जाति छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग		
		विद्या	महावि	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१	२	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
भोमारास तेहसील	अध्ययनम्				६		६				६		६
	शास्त्रपाठम्				४		४				४		४
	हिन्दवी				१५		१५				१५		१५
	तेलुगु	२०	१	२१	१८५	१	१८६	४		४	१८९	१	१९०
	योग	२०	१	२१	२१०	१	२११	४		४	२१४	१	२१५
वेंकटगिरि कोटे तेहसील	तेलुगु	८		८	१६		१६				१६		१६
सायाल	अध्ययनम्				२९८		२९८				२९८		२९८
	शास्त्रपाठम्				११७		११७				११७		११७
	गणितशास्त्रम्				३		३				३		३
	ग्रन्थम्				८		८				१३५		१३५
	हिन्दवी	१७		१७	१३५		१३५				८		८
	तेलुगु	३०२	७	३०९	२ १५१	३५	२ १८६	३२		३२	२ १८३	३५	२ २१८
	तमिल	२१०	१	२११	४ ३६७	६	४ ३७३	१३३		१३३	४ ५००	६	४ ५०६
	पर्शियन				२		२	३८५	११	३९६	३८७	११	३९८
	अंग्रेजी				५९		५९	२		२	६१		६१
	महायोग	४२९	८	४३७	७ १४०	४१	७ १८१	५५२	११	५६३	७ ६९२	५२	७ ७४४

कुल	जनसंख्या	पु.	स्त्री	योग
९.	पुल्लकोंडा तेहसील	६ ०६४	५ ४४१	११ ५०५
१०	तिरुवत्तूर तेहसील	२ ९८६	२ २९७	५ २८३
११	पोन्नूर तेहसील	२ ९८८	२ ३३५	५ ३२३
१२	वन्दावास तेहसील	२ ५३७	१ ८०७	४ ३४४

कुल	जनसंख्या	पु.	स्त्री	योग
१३	सात्तवायड तेहसील	१ ९०६	१ ५४५	३ ४५१
१४	बगारी तेहसील	७४८	६३८	१ ३८६
१५	मोघराल तेहसील	२ १९६	१ ७११	३ ९०७
१६	वेंकटगिरिकोटे तेहसील	७२	६३	१३५

समाहर्ताकचहरी ३ मार्च १८२३

विलियम कूक प्रमुख समाहर्ता

विभिन्न संस्थाओं सम्बन्धी जानकारी उनके निभाव के साधनों का ब्यौरा – सारांश

विषय	विद्यालय	महा विद्यालय	योग	छात्र संख्या	कितना समय छात्र विद्यालय या महाविद्यालयों रहते हैं।	मठ विद्यालय	छात्र	टिप्पणी	राशि रुपये	राशि आने	राशि पाई
अध्ययन अथवा वर्ग छात्रों का अध्ययन		४३	४३	२९८	१० से १२ वर्ष	७	८४	नि शुल्क			
						१	१२	नि शिल्क (शिक्षक उन्हीं के परिवार के सदस्य)			
						७	३९	छात्र का न्यूनतम शुल्क मासिक १ आना २ पाई अधिकतम २ रुपया वार्षिक न्यूनतम १४ आने अधिकतम २४ रुपये महाविद्यालयों की मासिक आय २ रुपये ९ आने ६ पाई	३३१	२	
						२८	१६३	सार्वजनिक महाविद्यालय सम्बन्धी पुंजी सम्बन्धी मध्यस्त रुपये	५१६	११	९
								महाविद्यालय के अध्यापक का वार्षिक मानधन न्यूनतम रुपये ३ ८ अधिकतम ३६ १२ रुपये			
		४३	४३	२९८		४३	२९८	वार्षिक शुल्क	८४७	१३	९

रुपया	आना	तिरपा
१२	४¹/४	३६ १२ ६
२६	४¹/२	३४२ १३ ८
३८	८³/४	३७१ १० २
		१३७ ०१ ७
		५१६ ११ ९

विषय	विद्यालय	महा विद्यालय	योग	छात्र संख्या	कितना समय छात्र विद्यालय या महाविद्यालयों रहते हैं।	महा विद्यालय	छात्र	टिप्पणी	राशि		
									रुपये	आने	पाई
शास्त्र पाठम् अथवा हिन्दु कानून आदि		२४	२४	११७	८ से ९ वर्ष	१८	८१	निःशुल्क			
						२	१४	निःशुल्क (अध्यापक उन्हीं के परिवारजन)			
						१	४	अम्बी गाव के मायरा के सार्वजनिक महाविद्यालय में	५	८	४
						३	१८	न्यूनतम मासिक शुल्क २ आना ६ पाई अधिकतम मासिक शुल्क १ रुपया न्यूनतम वार्षिक शुल्क १ रुपया १४ आना अधिकतम वार्षिक शुल्क १२ रुपया महाविद्यालय की कुल मासिक आय ४ रुपये ११ आना ६ पाई	१०४	१०	
		२४	२४	११७		२४	११७		११०	२	४

विषय	विद्यालय	ग्राम विद्यालय	योग	छात्र संख्या	कितनी वयस्के छात्र विद्यालय या महाविद्यालयमें रहते हैं।	ग्राम विद्यालय	छात्र	टिप्पणी	राशि		
									रुपये	आने	पाई
गणित शास्त्रम् अथवा ज्योतिष		२	२	३	१० से १२ वर्ष	२	३	नि शुल्क			
ग्रन्थम्	१		१	८	५ से ६ वर्ष	३	१११	निःशुल्क			
हिन्दवी	१६		१६	१३५		५८०	६ [illegible]३६	न्यूनतम मासिक शुल्क १ आना ३ पाई अधिकतम मासिक शुल्क १ रुपया १२ आना न्यूनतम वार्षिक शुल्क १५ आना अधिकतम वार्षिक शुल्क २१ रुपया ५८० विद्यालयोंकी मासिक आय १०५० रुपये ५१/४ पाई	२१ ५४०	५	४
तेलुगु	२०१		२०१	२ २१८							
तमिल	३६५		३६५	४ ५०६							
योग	५८३	२	५८५	६ ८००		५८५	६ ८००		२१ ५४०	५	४

विषय	विद्यालय	महा विद्यालय	योग	छात्र संख्या	कितना समय छात्र विद्यालय या महाविद्यालयमें रहते हैं।	महा विद्यालय	छात्र	टिप्पणी	राशि		
									रुपये	आने	पाई
पर्शियन	४०		४०	३९८	७ से ८ वर्ष	१	१३	नि शुल्क			
						१	२	निःशुल्क (उपाध्यक उन्ही के परिवारजन)			
						६	६८	सार्वजनिक विद्यालय १			
								विद्यालयमें ८ छात्र			
								सातपुर तेहसील के पारनाम क्त में			
								संस्थापित महम्मद घोस नामक शिक्षक			
								मासिक ७½ रुपये दक्षिणा			
								वार्षिक १० रुपये	९०		
								आर्कोट कस्बा			
								विद्यालयों में ६० छात्र			
								५ शिक्षक प्रति शिक्षक			
								१२ छात्र मासिक ४ रु			
								दक्षिणा कुल २० रुपये	२०		
								१ दरोगा गुलाम महुदीन			
								मासिक २० रुपये खर्च	२०		
								दैनिक एक बार खिचड़ी अथवा भात	६३	७	८
								१ बावरची	२	८	
								मासिक अथवा वार्षिक वेतन	१०५	१५	८

विषय	विद्यालय	मक्त विद्यालय	योग	छात्र संख्या	कितना समय छात्र विद्यालय या मकतबविद्यालयों रहते हैं।	मक्ता विद्यालय	छात्र	टिप्पणी	राशि रुपये	राशि आने	राशि पाई
						१	७	नाजुक १ माईलसूरत मायमें	१ २७१	१२	
								मुख्य साहब मरम्मत शिक्षक	१ ३६१	१२	
								वार्षिक दक्षिणा	२९	७	११
						३१	३०८	न्यूनतम मासिक शुल्क २ आना ६ पाई			
								अधिकतम मासिक शुल्क २ रुपये			
								न्यूनतम वार्षिक शुल्क १ रुपया १४ आना			
								अधिकतम वार्षिक शुल्क २४ रुपये			
								३१ विद्यालयों की कुल मासिक आय			
								११९ रुपये ४ आना २ पाई	१४३१	२	
योग	४०		४०	३१८		४०		वार्षिक खर्च	२८२२	५	०३
अंग्रेजी	७		७	६१	६ से ७ वर्ष	३	१७	निःशुल्क			
						४	४४	न्यूनतम मासिक शुल्क १० आना			
								अधिकतम मासिक शुल्क ३ रुपये ८ आना			
								न्यूनतम वार्षिक शुल्क ७ 1/2 रुपये			
								अधिकतम वार्षिक शुल्क ४२ रुपये			
								४ विद्यालयों की कुल मासिक खाय	४५		
	७		७	६१		७	६१	वार्षिक खर्च	५४०		

समाहर्ता कचहरी ३ मार्च १८२३

१३

चेंगलपट्टु समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति

(टी एन एस ए बी आर पी खण्ड ९४६ ता ७-४-१८२३
पृ ३४९३-९६ क्र २५)

१ गत २५ जुलाई का आपके सचिव का पत्र मिला है। इस जिले की शालाओं और छात्रों की जानकारी निश्चित पत्रक में प्रस्तुत है।

२ कोई व्यवस्थित कॉलेज यहाँ नहीं है किन्तु उच्च शिक्षा के केन्द्र हैं और वहा छात्र पढते भी हैं । ऐसे केन्द्र स्वतत्र रूप से दर्शाए हैं।

३ गाँव के शिक्षक को महीने में ३$^{1}/_{2}$ से लेकर १२ रुपए आय होती है जो औसतन ७ रुपए से अधिक नहीं होती। छात्र घर पर ही रहते हैं और कुछ समय शाला में आते हैं। उपस्थिति बहुत ही अनियमित रहती है। बहुत ही कम शिक्षकों को व्याकरण का ज्ञान है। छात्र या शिक्षक में एक भी वे जिसका पाठ करते हैं उसका अर्थ नहीं जानते।

४ इस जिले में स्थानीय सरकार द्वारा शिक्षा के लिए कोई सहायता नहीं दी जाती। कई गाँवो में साधारण मान्यम् हैं। यह मान्यम् $^{1}/_{4}$ से लेकर दो कणी तक भूमि का है। यह मान्यम् वेदवर्तार' या धर्मशास्त्र के शिक्षकों के लिए होते हैं ।

५ शिक्षा की पद्धति में दखल नहीं किया जाएगा ऐसी मैंने उद्घोषणा की है। वर्तमान व्यवस्था में मदद करने के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाता है।

६ सभ्य समाज में इससे निम्नस्तर की शिक्षा नहीं हो सकती। बगाल के लोगों के बारे में कहा जाता है उसी प्रकार यहाँ के लोगों को शिक्षासुधार की कोई आकाक्षा नहीं है।

जिला चेंगलपट्टु — एस स्मेली
पुदुपत्तनम् — समाहर्ता
३ अप्रैल १८२३

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

चेंगलपट्टु जिले के महाविद्यालयों एवं उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
१	२	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
	विद्यालय ५०८ संस्कृत विद्यालय ५१ महाविद्यालय	८५८ ३१८	३	८६१ ३१८	४२४		४२४	४ ८०९	७९	४ ८८८	४५२	३४	४८६

महायोग (हिन्दु)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसख्या		
पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
६ ५४३	११६	६ ६५९	१८६		१८६	६ ७२९	११६	६ ८४५	१ ९० २४३	१ ७२ ८८६	३ ६३ १२९
३१८	-	३१८		-	-	३१८		३१८	-	-	
-		-	-	-		-		-		-	

जिला चेंगलपट्टु, पुदुपट्टनम्
३ एप्रिल १८२३

ह स्मेली
समाहर्ता

१४

दक्षिण आर्कोट के प्रधान समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति २९-६-१८२३

(टी एन एस ए बी आर पी खण्ड ९५४ क्र ७-७-१८२३ पृ ५६२२-२४ क्र ५९-६०)

१ २५ जुलाई १८२२ का आप के नायब सचिव का सलग्न पत्रकों सहित पत्र मिला है। पत्रानुसार इस जिले की शाला और कॉलेजों की सख्या की जानकारी प्रस्तुत है। आपकी ओर से प्राप्त पत्रक के अनुरूप यह जानकारी इकट्ठी की गई है।

२ इन शालाओं में प्रत्येक में एक शिक्षक है तथा मलबारी तथा स्थानीय भाषाओं में लिखना पढना सिखाया जाता है। प्रत्येक छात्र के घर की स्थिति के अनुरूप १ फेनम से १ पेगोडा तक का शुल्क निर्धारित किया गया है। सुबह ६ बजे से लेकर १० और दोपहर १२ से २ तथा अपराह्न ३ से ८ के दौरान छात्र शाला में आते हैं।

३ यत्र विज्ञान कानून खगोल आदि सिखाने के लिए इस जिले में एक भी सार्वजनिक शाला नहीं है। शाला चलाने के लिए सरकार की ओर से कभी कुछ दिया नहीं जाता। छात्रों के अभिभावक ही शिक्षकों के पोषक होते हैं।

प्रधान समाहर्ता कचहरी कड्डलूर सी हाइड

२९ जून १८२३ प्रधान समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

आर्कोट एवं मक्कलूर जिलों के विद्यालयों महाविद्यालयों एव उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
१	२	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१ तिन्देवनम्	विद्यालय ६७ महाविद्यालय	७६		७६	२४		२४	६३३	९	६४२	९		९
२ शियाली	विद्यालय ४३ महाविद्यालय	५७		५७	४		४	४२५	२	४२७	२५		२५
३ वरदसरी	विद्यालय ४३ महाविद्यालय	५२		५२	८		८	३४८		३४८	५५		५५
४ विल्लुपुरम्	विद्यालय ७३ महाविद्यालय	१७७		१७७	२०		२०	५५७	२	५५९	१६९	२	१७१
५. पोलनगिरि	विद्यालय ७९ महाविद्यालय	६३		६३	१३		१३	९४२	११	९५३	९		९
६. मनारगुडी	विद्यालय ३१ महाविद्यालय	३७		३७	१३		१३	२७७		२७७			
७ चिदम्बरम्	विद्यालय ३२ महाविद्यालय	११८		११८	१६		१६	४५४	१५	४६९	१०		१०
८. पुंगनारी	विद्यालय ४० महाविद्यालय	२७		२७	३३		३३	२९६	२	२९८	५		५

जिला	योग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दु एवं मुसलमान छात्र			कुल जनसंख्या		
	७			८			९			१०		
	पु.	२ स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१ त्रिन्देवनम्	७४२	९	७५१	१८		१८	७६०	९	७६९	१५ ९७५	१४ १७८	३० १५३
२ त्रिवाडी	५११	२	५१३	१५		१५	५२६	२	५२८	१९ १४२	१६ ७२६	३५ ८६८
३ वस्दयरे	४६३		४६३	१३		१३	४७६		४७६	९ ७९६	१२ १५७	२१ ९५३
४ विल्लुपुरम्	९२३	४	९२७	३४		३४	९५७	४	९६१	११ ९४२	११ १२०	२३ ०६२
५ वोल्लगिरि	१ ०२७	११	१ ०३८	५६		५६	१ ०८३	११	१ ०९४	२० २२३	१७ २४८	३७ ४७१
६ मन्नारगुडी	३२७		३२७		-		३२७		३२७	६ २२५	५ ४३०	११ ६५५
७ चिदम्बरम्	५९८	१५	६१३	१८		१८	६१६	१५	६३१	९ ९२६	९ २५४	१९ १८०
८ पुंवनाल्ली	३६१	२	३६३	१		१	३७०	२	३७२	१३ ८४६	११ ७२७	२५ ५७३

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
१	२	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
९. बरदामन्	विद्यालय १६९ महाविद्यालय	१७		१७	६७		६७	१ २५३	२२	१ २७५	४००		४००
१० एलनकारे	विद्यालय-५५ महाविद्यालय	४०		४०	१८		१८	३९८	७	४०५	६२	२	६४
११ मिक्दूर	विद्यालय ५७ महाविद्यालय	६७		६७	३५		३५	४६०	६	४६६	-	३	३
१२ कुल्लभैर्व	विद्यालय ४८ महाविद्यालय	६१		६१	४८		४८	४०९		४०९	३८	३	४१
१३ चेंटपुट	विद्यालय-८९ महाविद्यालय	४७		४७	१६		१६	६६०		६६०	२८		२८
१४ यंग	विद्यालय-८२६ महाविद्यालय	९२७		९२७	३९५		३९५	७ ११२	७६	७ १८८	८१०	१०	८२०
१५. कन्नूर	विद्यालय ४९ महाविद्यालय	७०		७०	५५		५५	८२६	१८	८४४	५२		५२
१६ मलबेल	विद्यालय ८७२ महाविद्यालय	९९७		९९७	३७०		३७०	७ ९३८	९४	८ ०३२	८६२	१०	८७२

जिला	योग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दु एवं मुसलमान छात्र			कुल जनसंख्या		
	७			८			९			१०		
	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
९ वस्त्राचलम्	१ ८१७	२२	१ ८३९	१५		१५	१ ८३२	२२	१ ८५४	२५ २०४	२२ ८२२	४८ ०२६
१० एल्लमनसरे	५१८	९	५२७	१९		१९	५३७	९	५४६	१७ ०३०	१५ १५६	३२ १८६
११ त्रिक्कूर	५६२	९	५७१	४		४	५६६	९	५७५	१९ ०७५	१७ ८०८	३६ ८८३
१२ कुल्लकोर्ये	५६४	३	५६७	७		७	५७१	३	५७४	२१ १९०	२० २३८	४१ ४२८
१३ पेटपुट	७५१		७५१	३		३	७५४		७५४	१९ ६५५	१९ ३९४	३९ ०४९
१४ योग	९ १६४	८६	९ २५०	२११		२११	९ ३७५	८६	९ ४६१	२ ०९ २२९	१ ९३ २५८	४ ०२ ४८७
१५. कब्लूर	१ ००३	१८	१ ०२१	४१		४१	१ ०४४	१८	१ ०६२	८ ७४५	९ २९८	१८ ०४३
१६ महायोग	१० १६७	१०४	१० २७१	२५२		२५२	१० ४१९	१०४	१० ५२३	२ १७ ९७४	२ ०२ ५५६	४ २० ५३०

कब्लूर कचहरी २९ जून १८२३

सी हाईड प्रधान समाहर्ता

१५

मेलोर के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति २३-६-१८२३

(टीएनएसए बीआरपी. खण्ड ९५२ का ३०-६-१८२३ पृ ५१८८-९१ क्र २६)

१ आपके गत २५ जुलाई के पत्र का उत्तर मैंने पहले ही दिया होता। किन्तु जमीनदारी तेहसीलों में शालाओं के बारे में आपने माँगी जानकारी सचित करने में अनिवारणीय रुकावटें आने से वैसा नहीं हो पाया।

२ उपर्युक्त पत्र के साथ के पत्रक के अनुरूप मैंने एक सारिणी (अ) भेजी है। उसमे मेरे जिले की शालाओं और कॉलेजों की तथा छात्रों की संख्या बताई गई है।

३ दूसरी सारिणी (ब) में वेद अरबी फारसी आदि विषय पढानेवाले लोगों की सख्या तथा कर्णाटक सरकार द्वारा उन्हें ज़मीन अथवा पैसे के रूप में दिये जानेवाले और कपनी के द्वारा चालू रखे गये वेतन की जानकारी भी दी गई है।

४ सारिणी (अ) में दर्शाई गई शालाओं को सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं दिया जाता। ये खास करके व्यक्तियों द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और कुछ शिक्षकों द्वारा अपने निर्वाह के लिए शुरू की गई हैं।

५ इन शालाओं में छात्र ६ वर्ष तक अध्ययन करते हैं। प्रत्येक छात्र दो आने से लेकर ४ रुपए तक प्रति मास अपने शिक्षक को देता है। छात्र की शिक्षा का खर्च प्रति मास निवास और साधन सामग्री का एक रुपया और अंग्रेजी भाषा पढनी है तो उसके दो रुपए होता है।

६ पाँच वर्ष की आयु में छात्र शाला में प्रवेश पाता है। ऊपर निर्देशित शुल्क के अतिरिक्त विद्यार्थी हर पन्द्रह दिन में एक बार एक सेर चावल देता है। शाला के प्रथम प्रवेश के समय भी शिक्षक को उपहार दिया जाता है। बाल रामायण अमरकोश आदि पुस्तकें पढ लेने के पश्चात् भी शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है। इसी प्रकार अध्ययन पूर्ण करने पर शाला छोड़ने के समय भी शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है।

७ जिले की शाला शिक्षक स्थायी रूप में नहीं चलाते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उत्सुक कुछ लोग पढेलिखे लोगों को अपने घर बच्चों को पढाने हेतु निमंत्रित करते हैं। महीने में लगभग २ आने से ४ रुपए शुल्क निश्चित किया जाता है। घर में उन्हें भोजन भी दिया जाता है। जिन लोगों को वैयक्तिक तौर पर पूरा शुल्क देना मुश्किल होता है वे अपने बच्चों के साथ आसपास के अन्य बच्चों को भी अध्ययन के

लिए बुलाते हैं तथा उनसे हर महीने १/४ से एक रुपया लेते हैं और शिक्षक को पूरी दक्षिणा देते हैं। उनके बच्चे पढ लें तब शिक्षक को विदा करते हैं और शाला का विसर्जन होता है।

यहाँ मैं शालाओं की जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति लेता हूँ।

सामान्य शाला	६४२
वेद शाला	२३
खगोल शाला	५
कानून शाला	१५
ज्योतिष शाला	३
अंग्रेजी शाला	१
पर्शियन और अरबी शाला	५०
तमिल शाला	४
हिन्दुस्तानी सगीत शाला	१
कुल देशी शालायें	**२०४**

नेल्लौर
२३ जून १८२३

टी फ्रेजर
समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

नेमोर जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालय एवं महाविद्यालय	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जातिके छात्र			महायोग		
		पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
जमीनदारी तेहसील सहित ओंगेल एवं नेमोर जिला	८०४	२ ४६६		२ ४६६	१,६४१		१ ६४१	२ ४०७	५५	२ ४६२	४३२		४३२	६ ९४६	५५	७ ००१

मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम योग				कुल जनसंख्या		
पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग		पु.	स्त्री	योग
६१७	३	६२०	७५६३	५८	७६२१	नेमोर, ओंगेल एवं जमीनदारी तेहसील	२३२५४०	२०६९२७	४३९४६७
						जमीनदारी तेहसील (अनुमानित)	२००००	२०००००	४०००००
						योग	४३२५४०	४०६९२७	८३९४६७

मेल्लोर समाहर्ता कचहरी
२३ जून १८२३

टी. फ्रेजर
समाहर्ता

एरेबिक पर्शियन एवं वेद सिखानेवाले व्यक्तियों की सख्या छात्रों की सख्या एवं
कर्नाटिक सरकार द्वारा दिये हुए एवं कम्पनी ने मान्य करके चालू रखे हुए अनुदान का ब्यौरा

शिक्षा का वर्णन		अध्यापक संख्या			छात्र संख्या						दक्षिणा		
							मुस्लिम			योग	वार्षिक (नकद)	वार्षिक भूमिके रूपमें	योग
१		ब्राह्मण	मुस्लिम	योग	ब्राह्मण	शूद्र	पु.	स्त्री	योग				
१	एरेबिक एव पर्शियन भाषायें		१०	१०		२	८३	१	८४	८६	७५६	२०	७७६
२	वेद	१४		१४	६३					६३		२७१	२७१
३	ज्योतिष	१		१								६०	६०
४	कुरान		१	१			१४		१४	१४	३६०		३६०
		१५	११	२६	६३	२	९७	१	९८	१६३	११११६	३५१	१४६७

नेल्लोर समाहर्ता कचहरी
२३ जून १८२३

टी फ्रेझर
समाहर्ता

१६

मछलीपट्टम् के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति
(टी एन एस ए बी आर पी का १३-१-१८२३)

प्रति
अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण राजस्व बोर्ड
फोर्ट सेंट ज्योर्ज

महोदय

१ सचिव महोदय २५ जुलाई के पत्र के संदर्भ में मेरे अधिकार में निर्देशित देशी शालाओं (विद्यालय) और महाविद्यालय तथा छात्रों का ब्यौरा पत्रक के द्वारा सादर प्रस्तुत करता हूँ।

२ संपूर्ण जानकारी शालाओं और महाविद्यालयों के शीर्षक के अंतर्गत जिनमें विविध भाषाएँ और विज्ञान को अलग करके एक विशेष कोलम द्वारा क्षत्रिय छात्र जो ब्राह्मणों से भिन्न श्रेणी में आते हैं उनके लिए प्रस्तुत है। हिन्दूभाषा में पढ़नेवाले छात्रों को पाँच वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है तथा बारह वर्ष या सत्रह वर्ष पूर्ण होने तक वे अध्ययन करते हैं। शालाओं का समय प्रातः ६ बजे से ९ बजे तक और ११ बजे से ६ बजे संध्या तक सामान्य रूप में होता है।

३ प्राथमिक शिक्षा में उन्हें वर्तनी शब्द तथा सामान्य एवं वैयक्तिक नाम सिखाए जाते हैं। यह सब उन्हें रेत पर उंगलियों से लिखना होता है। जब वे उसमें निपुणता प्राप्त करते हैं तब उन्हें संस्कृत और हिन्दू (भारतीय स) भाषाओं में कडजन पर लिखी हुई पुस्तकों का पठन (बालरामायणम्, अमरम् आदि) करवाया जाता है। साथ ही पत्रव्यवहार गणितशास्त्र लेखा आदि की शिक्षा छात्र की रुचि के अनुरूप दी जाती है।

४ छात्र जब इनमें कौशल प्राप्त कर लेते हैं तब इन शालाओं में उन्हें सार्वजनिक और निजी कार्यालयों के द्वारा या उप लेखा अथवा विदेशी भाषाओं में जैसे कि फारसी और अंग्रेजी आदि में स्थानांतर किया जाता है।

५ वेदपाठी ब्राह्मण छात्रों को इसमें कौशल प्राप्त करने पर वैदिक और शास्त्रोक महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है।

६ वेद तो हिन्दू विज्ञानकी जननी है। शास्त्र को आम भाषामें उन सभी विद्याओं को कहा जाता है जो संस्कृत में हैं जैसे कानून ज्योतिषशास्त्र धर्मशास्त्र आदि। यह विज्ञान केवल ब्राह्मणों के द्वारा सीखा जाता है जो धार्मिक कर्मकाण्ड में पूर्ण कुशल हैं।

७ इस देश के अधिकांश नगर और गाँवो में ब्राह्मण उनके छात्रों को वेद और

शास्त्र महाविद्यालयों में या अन्य स्थानों पर या अपने घरो में सिखाते हैं।

८ इसके लिए कोई अलग शाला अथवा महाविद्यालय बनाया गया नहीं लगता है। दो वर्ष पूर्व इलोरा के ज़मीनदार वेंकट नरसिंह आप्पारावने एक शिक्षक के द्वारा हिन्दू छात्रों के लिए एक धर्मार्थ शाला शुरू करवाई थी। उस शिक्षक का पारिश्रमिक प्रति मास ३ पेगोडा था। इसमें ३३ छात्रों को अध्ययन करवाया जाता था। यह शाला पूर्ण रूप से दान पर आधारित थी।

९ नृत्यागना के अतिरिक्त शायद ही अन्य जाति की महिलाओं को सार्वजनिक रूप में शिक्षा दी जाती है।

१० भोजन और वेश के साथ हिन्दू छात्रों को लगभग मासिक ६ आने का पारिश्रमिक कागज स्लेट और पुस्तकों आदि के लिए शाला के शिक्षकों को देना होता है। ये दोनों पारिश्रमिक छात्रों के सामाजिक स्तर और स्थिति पर आधारित रहते हैं। सामान्य रूप से शाला के शिक्षकों का पारिश्रमिक $^{1}/_{४}$ से २ रुपये प्रति छात्र रहता है।

११ सस्कृत कानून और खगोलशास्त्र के महाविद्यालयों का सामान्य निर्देश पत्रक में किया है वे सभी विद्वान और दाताओं द्वारा खोले गये हैं। कुछ तो मान्यम् द्वारा और शेष दान तथा छात्रों की भेंट द्वारा तथा बिना पारिश्रमिक के चलते हैं।

छात्र का निर्वाह और पुस्तकों का वार्षिक खर्च लगभग साठ रुपए होता है।

१२ सलग्न पत्रक के अनुरूप ४ ८४७ छात्र ४६५ हिन्दू शालाओं में तथा केवल १९९ छात्र ४९ शास्त्रीय महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं।

१३ देश के इस क्षेत्र में फारसी भाषा सिखानेवाले विद्यालयों की सख्या कम है (अपवाद स्वरूप ४१ छात्र जो हिन्दू-शाला में हैं)। मुस्लिम छात्रों की सख्या २३६ है। उनके ९ मदरसे हैं। उनकी शिक्षा अवधि ९ वर्ष रहती है तथा छात्रों की आयु ६ से १५ वर्ष की रखी गई है। शिक्षक का पारिश्रमिक पाव रुपिया से एक रुपए तक का है। उपरात लेखन साधनों का खर्च प्रति मास लगभग चार आने हैं। मित्रता से प्रेरित होकर मुस्लिम शिक्षक और दानवृत्ति से कुछ शालाओं में बिना परिश्रमिक के शिक्षा देते हैं। जैसे कि इलोरा में मुहुद्दीन शाह का बेटा हुसैन अली फकीर।

१४ कोई भी सस्था स्थाई रूप में अनुदान प्राप्त नहीं करती है। फिर भी प्रोत्साहन और सहायता वहाँ के स्थानीय प्रतिष्ठित और समृद्ध व्यक्तियों द्वारा दी जाती हो ऐसा लगता है।

मछलीपट्टम् ए एफ लेने
३ जनवरी १८२३ समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

जिला	अन्य जाति के छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
(१)	(७)			(८)			(९)			(१०)			११		
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	४	२	६	८२	२ ३२	८४	२ ३२		२	११६	२	११८	१७ ११३	१२ ९७८	३० १७१
२	१०		१०	१२६	२४	१२६	१ २४		१	१५१		१५१	१२ २१८	९ ६२२	२१ ८४०
३	१९		१९	१५८	४	१५८	८ ४		८	१७०		१७०	८ २१६	६ ८११	१५ ०८७
४	११	१	१२	१२०	१	१२१	३		३	१२३	१	१२४	१० २३९	८ ३४२	१८ ५८
५	२५	८	३३	१८७ १०	८	१९५ १०	१२०	२	१२२	३१७	१०	३२७	८ ०६३	७ १८३	१५ २४६
६	६		६	७७ ८		७७ ८	३		३	८० ८		८० ८	७ ९५०	६ ७६८	१ ४७१८
७													२ १२४	१ ६७५	३ ७९९
८													१ ८३७	१ ३९८	३ २३५
९	११	१	१२	१७३ ३६	१	१७४ ३६				२०९	१	२१०	७ २१७	५४१४	१२ ७११

(१)	(७)			(८)			(९)			(१०)			११		
	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१०	२१	२	२३	१८७ १२ ४ ८	२	१८९ १२ ४ ८				२११	२	२१३	१५ ५६१	१२ ५९८	२८ १५९
११	११		११	१०७ ४		१०७ ४				१११		१११	११ ४२४	९ ४६३	२० ८८७
१२	२२	२	२४	१२८ ८	३	१३१ ८	१		१	१३७	३	१४०	९ ५६१	७ ९८१	१७ ५४२
१३				२१		२१	१		१	२२		२२			
१४	८		८	४४		४४				४४		४४	२ ५७०	२ १६२	४ ७३२
१५				१३		१३				१३		१३	१ ३९०	१ १९०	२ ५८०
१६	३		३	२००		२००	२		२	२०२		२०२	११ ५९२	९ ८५६	२१ ४४८
१७	३		३	११०		११०				११०		११०	४ ८४९	४ १८७	९ ०३६
१८				१५०		१५०				१५०		१५०	६ ०४६	५ ६३२	११ ६७८
१९	१४१	९	१४७	९९३	६	९९९				९६६	६	९७२	२६ ११२	२६ १७३	५२ ३६५
२०							५३		५३						

(१)	(७)			(८)			(९)			(१०)			११		
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
२१	५		५	५२		५२				५२		५२	२ ३६१	१ ८९०	४ २५१
२२	१७		१७	८३		८३	५ ३३		५ ३३	१२१		१२१	४ ६७७	४ १११	८ ७८७
२३	२		२	१४		१४				१४		१४			
२४															
२५	३६		३६	३४३ १२		३४३ १२	१०		१०	३६५		३६५	२० ११०	१५ ९९२	३६ १०२
२६	१२		१२	२०१ ४		२०१ ४	१		१	२०६		२०६	९ ४३४	६ ६५६	१६ ०९०
२७	५		५	१४७		१४७				१४७		१४७	६ ०५१	३ ९७८	१० ०२९
२८	२		२	१०२ ८ ८		१०२ ८ ८	२		२	१३०		१३०	६ ३४९	५ १७४	११ ५२३
२९				५१		५१				५१		५१			
३०															
३१															
३२	८	१	९	१४१	१	१४२				१४१	१	१४२	७ ६५३	६ ५९६	१४ २४९

(१)	(७)			(८)			(९)			(१०)			११		
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
३३	२	१	३	११५ १० १५	१	११६ १० १५				१४०	१	१४१	३ ७८१	३ ११२	६ ९७३
३४	२७		२७	११४		११४	३		३	११७		११७	९ ४५८	८ ०३३	१७ ४९१
३५	३		३	३८		३८				३८		३८	२ ८०७	२ ३८१	५ १८८
३६.													२ ३१२	१ ८९८	४ २१०
३७	१५		१५	१४१	१	१४२	८		८	१४९	१	१६०	१२ ११७	९ ९६१	२२ ०७८
३८.	६		६	१०५		१०५	४		४	१०९		१०९	६ ६६३	५ ३४५	१२ ००८
३९.	१		१	११		११				११		११	१ ६८३	१ ४८१	३ १६४
४०	७		७	३२		३२				३२		३२	१ ८७६	१ ६१९	३ ४९५
४१	१८		१८	५८		५८	५		५	६३		६३	४ ०५४	३ ५०५	७ ५५९
४२															
४३				१२		१२				१२		१२			
४४				१८		१८				१८		१८			
४५.	२		२	२७		२७				२७		२७			

(१)	(७)			(८)			(९)			(१०)			११		
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
४६	६		६	९२		९२				९२		९२	८ २७७	७२०९	१५४८६
४७	१	५	६	४	५	९				४	५	९	८५६	७२४	१५८०
४८				२०		२०				२०		२०			
४९															
५०	४७०	२९	४९९	४९७४	३१	५००५	२७५	२	२७७	५२४९	३३	५२८२	२८९१६६	२४०६८३	५२९८४९
	४७०	२९	४९९	४७७५	३१	४८०६	४१		४१	४८१६	३१	४८४७			
				६६		६६				६६		६६			
				९८		९८				९८		९८			
				३५		३५				३५		३५			
							२३४	२	२३६	२३४	२	२३६			
	४७०	२९	४९९	४९७४	३१	५००५	२७५	२	२१७	५२४९	३३	५२२८			

विशेष पत्रको के कोने फटे हुए हैं। अत परगनों के नाम स्पष्ट रूपसे लिखे नहीं जा सकते हैं। वही स्थिति जनसख्या के सम्बन्ध में भी यहा वहा बनी है। यथासम्भव परगनों के नाम जनसख्या के आकडे आदि की निश्चिति मछलीपट्टम के एमआरओ बीआरपी खण्ड ९१८ प्रो ११ जुलाई १८२२ पृ ६५४२ ६५४४ के आधार पर की गई है। (क्रमाक प्रकाशन के द्वारा दिये गये है)

जिला	अन्य जातिके छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम लोग			कुल जनसंख्या		
(१)	(७)			(८)			(९)			(१०)			११		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	८३३	४९ –	८८२	४ ८३५	४९	४ ८८४	८०	– –	८० –	४ ९१५	४९ –	४ ९६४ –	२ ३५ ९८७ ३९५	२ ११ ९७४ ४२६	४ ४६ ९६१ ८२१
२	– –	– –		–	–	–	–	– –			–	– –	–	– –	– –
३	–	– –	–	८०४ –	–	८०४	–	– –	–	८०४ –		८०४ –	४३ २०४ १ ०९६	३९ ९७२ १ ०२०	८२ ९९६ २ ११६
४	–	–	– –	– –		–	–	–	–	–	–		२५६	– २१२	– ४६८
५	–			–	–			– –	–	– –	–	–	–	–	–
६	२१३ –	६४ –	२७७ –	७११ –	२२९	१ ००		–		७७१ –	२२९	१ ००० –	३४ ९४३	३६ ४१९ –	७० ५६२ –
७	१०० –	–	१०० –	२५०	–	२५० –	–		–	२५०	– –	२५० –	३० ३०७ –	३० २८५	६० ५९२
८	२५०	–	२५० –	३२६	–	३२६		–	– –	३२६ –	–	३२६	५ ३८४ –	५ ६६०	११ ०४४ –
९	२० –	–	२० –	३२ –		३२	१ –	–	१	३३		३३ –	६ ५३९	६ ९५०	१३ ६८९ –
१०	४६ –	– –	४६ –	६४ –	–	६४ –	– –		–	६४ –	–	६४	२ ८८१	२ ५२२ –	४ ९०३

विशाखापट्टनम जिले के विद्यालयों महविद्यालयों एवं उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

तेहसील	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
११ [illegible]	विद्यालय ४ महाविद्यालय	५०		५०	-	-	-	४		४	१०	१	११
१२ [illegible]	विद्यालय महाविद्यालय				-		-					-	
१३ [illegible]	विद्यालय १८ महाविद्यालय	१२६	-	१२६				६		६	१०	-	१०
१४ [illegible]	विद्यालय महाविद्यालय			-						-	-	-	
१५ [illegible]	विद्यालय महाविद्यालय			-	-		-	-	-	-		-	
१६ सालूर पार्वतीपुरी	विद्यालय ११ महाविद्यालय	९२	-	९२				३४		३४	५०	-	५०
१७ [illegible]	विद्यालय ८ महाविद्यालय	५		५				३८		३८	३	-	३
१८ [illegible]	विद्यालय ५ महाविद्यालय	२६		२६	-		-	६	-	६	१५	-	१५
१९ [illegible]	विद्यालय - २ महाविद्यालय	१०		१०	-							-	-
२० [illegible]	विद्यालय ४ महाविद्यालय	४		४	१		१	५		५	८		८

जिला	अन्य जातिके छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम लोग			कुल जनसंख्या		
(१)	(७)			(८)			(९)			(१०)			११		
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
११	१५	-	१५	७९	१	८०	-		-	७९	१	८	१ ७०२	१ ६५०	३ ३५२
१२				-	-	-	-		-	-	-	-	१ ००८	१ ०४५	२ ०५३
१३	-	-		१४२	-	१४२			-	१४२		१४२	१ ५८९	१ ४९५	३ ०८४
१४		-	-	-	-			-		-	-	-	११६	११९	२३५
१५	-	-	-	-	-			-		-			८०५	७३२	१ ५३७
१६	-	-		१०५		१०५	-	-	-	१०५	-	१०५	१९ ४४४	१७ २७१	३६ ७१५
१७	७४	३	७७	१२०	३	१२३	२	-	२	१२२	३	१२५	४ १४२	३ ८६०	८ ००२
१८	-	-	-	४७	-	४७	९	-	९	९६	-	९६	४ १५४	४७१५९	८स३१३
१९	१८	-	१८	२८	-	२८	-		-	२८	-	२८	३ ३४६	२ ९२४	६ २७०
२०	३		३	२१	-	२१		-	-	२१	-	२१	३ १६५	३ १४९	६ ३१४

विशाखापट्टनम जिले के विद्यालयों महाविद्यालयों एवं उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

तेहसील	विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
२१ [illegible]	विद्यालय १ महाविद्यालय							१		१		-	
२२ [illegible]	विद्यालय १ महाविद्यालय	७	-	७				४ -		४	५	-	५
२३ पीठपुर	विद्यालय ३ महाविद्यालय	१०	-	१०		-	-	८ -		८ -	११		११ -
२४ [illegible]	विद्यालय ६ महाविद्यालय	२५		२५	-	- -	-	१०	-	१०	२२		२२
२५ [illegible]	विद्यालय ४ महाविद्यालय	५४ -	-	५४	-	-		११ -		११	१० -	-	९
२६ रामपुरम्	विद्यालय २२ महाविद्यालय	१८१	५	१८६		- -		२७ -	- -	२७	३८		३८
२७ [illegible]	विद्यालय ११ महाविद्यालय	१२१		१२१	१०	- -	१०	९ -		९ -	११		११ -
२८ [illegible]	विद्यालय १ महाविद्यालय		- -	-	-	- -		४ -		४	५ -	- -	५ -
२९ [illegible]	विद्यालय २ महाविद्यालय		-	- -	- -				-	-		- -	
३० [illegible]	विद्यालय - १० महाविद्यालय	५६ -	-	५६		-		२४ -		२४ -	१७ -	-	१७

जिला	अन्य जातिके छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम लोग			कुल जनसंख्या		
(१)	(७)			(८)			(९)			(१०)			११		
	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
२१	३२ -		३२	३८		३८			-	३८ -	- -	३८ -	३ ५३३	३ ५७२ -	७ १०५ -
२२	५	-	५	२१	-	२१	-	-	- -	२१ -	- -	२१	५८७ -	६०३ -	१ ११० -
२३	१०		१०	३९		३९ -	- -		- -	३९	- -	३९ -	२ ५३५	२ ३५९	४ ८९४ -
२४	४४		४४ -	१०९ -	-	१०९ -	-	- -	- -	१०९	-	१०९ -	३ ८६५ -	४स४६०	७स३२५ -
२५	- -	- -	- -	७५ -	-	७५		-	-	७५ -	- -	७५	२ ६४९ -	२ ३६४	५ ०१३
२६	३६	६ -	४२	२८२ -	११	२९३ -	- -	-		२८२ -	११	२९३ -	४ ९२४ -	४ ६०३ -	९ ५२७ -
२७	४०		४० -	१९९		१९९	-	- -	-	१९९ -	-	१९९ -	२ ३३७	२ ८०७ -	५ १४४ -
२८	३ -	- -	३ -	८ -	- -	८ -	-	- -	- -	८ -	- -	८ -	४४९ -	४०२ -	८५१ -
२९	१३	-	१३	१७ -	- -	१७ -	-	- -	- -	१७ -	-	१७ -	३ ७८८ -	३ ५३३ -	७ ३२१ -
३०	- -			१७ -		१७	-	-	-	१७ -	- -	१७ -	३ ५५४ -	३ ५३८ -	७ ०९२ -

विशाखापट्टणम जिले के विद्यालयों महाविद्यालयों एवं उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

तेहसील	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
११ [illegible]	विद्यालय ६ महाविद्यालय	१७		१७ -	६	-	६ -	१५		१५ -	१६ -	-	१६
१२ कोतकोट	विद्यालय १ महाविद्यालय	३		३				२	- -	२	३		३
१३ [illegible]	विद्यालय १ महाविद्यालय	१८ -	- -	१८		-		१	-	१	२	-	२ -
१४ कोयूर	विद्यालय १ महाविद्यालय	८		८	-	-		-	- -	-	-	- -	
१५ [illegible] एस्टेट	विद्यालय - २१ महाविद्यालय	१७४		१७४	- -	-		४२	-	४२	२५		२५
१६ [illegible]	विद्यालय १ महाविद्यालय	४		४	-	- -	-	५ -	-	५ -	-		-
१७ [illegible]	विद्यालय महाविद्यालय	-			-	- -	-	-	-				-
१८ [illegible]	विद्यालय महाविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- -	
१९ [illegible]	विद्यालय महाविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-
२० [illegible] एस्टेट	विद्यालय ४ महाविद्यालय	२४	-	२४	२	-	२	९ -	- -	९	११ -		११

जिला	अन्य जातियों के छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम लोग			कुल जनसंख्या		
(१)	(७)			(८)			(९)			(१०)			११		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
३१	१३	-	१३	९७	-	९७		-		६७	-	६७	३ ५३०	३ ४६०	६९९०
३२	५	-	५	१३	-	१३		-	-	१३		१३	२ ४९७	२ २१२	४ ७०९
३३	१	-	१	२२	-	२२	-	-	-	२२	-	२२	१ ३३४	१ १३९	२ ४७३
३४		-	-	८	-	८	-		-	८	-	८	१ ९८६	१ ६४१	३ ६२७
३५	३३	२	३५	२७४	२	२७६	१	-	१	२७५	२	२७७	८ ७५१	८ १५४	१६ ९०५
३६	३	-	३	१२		१२	१		१	१२	-	१२	२ २६२	१ ९२७	४ १८९
३७				-	-	-	-	-	-	-	-	-	४१७	३८२	७९९
३८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	६४९	६४६	१ २९५
३९	-			-	-		-	-	-	-	-	-	२४७	२०८	४५५
४०	१३	-	१३	५९	-	५९	-	-	-	५९	-	५९	४ ३५१	४ ०२४	८ ३७५

जिला	अन्य जातिके छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम लोग			कुल जनसंख्या		
(१)	(७)			(८)			(९)			(१०)			११		
	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
४१	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	१ ३७०	१ २००	२ ५७०
४२	-	-		-	-	-	-	-			-		४६४	३११	७७५
४३	२		२	१४	-	१४		-	-	१४	-	१४	१६३	१८३	३४६
४४	१५	-	१५	५०		५०	-			५०		५०	३ १३७	२ ७१४	५ ८५१
४५		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		१ ८५७	१ ७६९	३ ६२६
४६		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	३ ८८२	३ १४३	७ ०२५
४७	१५	-	१५	२७		२७	-	-	-	२७	-	२७	५ ०५०	४ ५५१	९ ०२५
४८	५	-	५	६	-	६			-	६	-		२ २२४	२ २१९	४ ४४३
४९				-	-		-	-	-	-	-	-	८०८	६३५	१४४३
५०	२५	७	३२	२७०	८	२७८	४	-	४	२७४	८	२८२	१० ७०९	१२ १३९	२२ ८४८

१७

विशाखापट्टनम के समाहर्ता राजस्व बोर्ड को १४-४-१८२३
(टी एन एस ए बी आर पी खण्ड ९४७ दि १-५-१८२३
पृ ३८४७-५० क्रमांक ६-७)

१ गत २५ जुलाई के आपके सचिव के इस तेहसील के विद्यालय और महाविद्यालयों की जानकारी हेतु भेजे गए पत्र की रसीद सादर भेज रहा हू।

२ मगवाई गई जानकारी इकट्ठी होने पर निश्चित पत्रक में उसे भेजने की अनुमति मागता हूँ।

वॉल्टेर समाहर्ता कचहरी जे स्मिथ
१४ अप्रैल १८२३ समाहर्ता

(ब्यौरा पृष्ठ १६६ से १७५ पर)

१८

त्रिचिनापल्ली के समाहर्ता राजस्व बोर्ड के प्रति २३-८-१८२३
(टी एन एस ए बी आर पी खण्ड ९५९ का २८-८-१८२३
पृ ७४५६-७ क्रमाक ३५-३६)

१ आपके २५ जुलाई १८२२ के पत्र के सन्दर्भ में सभी जानकारी प्राप्त कर ली है। मैं उनके निष्कर्ष भेजने की अनुमति चाहता हूँ। सलग्न अनुपूरक में इस जिले की शाला और कॉलेजों की सख्या दर्शाई गई है। साथ ही उसमें अध्ययन करनेवाली सभी जातियों के हिन्दू और मुसलमान लड़के-लड़कियों की सख्या भी दर्शाई गई है।

२ सामान्यत ७ से १५ वर्ष की आयु के छात्र शाला में पढते हैं। पढाई का खर्च वार्षिक औसतन ७ पेगोडा होता है। सार्वजनिक अनुदान से चलनेवाली एक भी शाला या कॉलेज इस जिले में नहीं है। खगोलशास्त्र धर्मशास्त्र या अन्य विज्ञान की सस्थाओं में भी ऐसी राशि खर्च नहीं की जाती।

३ और यही नहीं किन्तु केवल जयलूर तेहसील में ७ शालाएँ ऐसी हैं जिन्हें किसी देशी सरकार ने शिक्षकों के निर्वाह हेतु ४४ से ४७ कणी जमीन दी है।

त्रिचिनापल्ली जी डब्ल्यू सॉडर्स
२३ अगस्त १८२३ समाहर्ता

त्रिचिनापल्ली जिले के विद्यालयों एव महाविद्यालयों तथा उनमें पढनेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
१	२	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
त्रिचिनापल्ली	विद्यालय ७९०	१ ११८		१ ११८	२२९		२२९	७ ७४५	६६	७ ८११	३२९	१८	३४७
	महाविद्यालय १	१३१		१३१									

महा योग			मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
७			८			९			१०		
विद्यालय	महा विद्यालय	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
९ ५०१	८४	९ ५८५	६९०	५६	७४६	१० १९१	१४०	१० ३३१	२ ४७ ५६९	२ ३३ ७२३	४ ८१ २९२
१३१		१३१	–			१३१		१३१			

त्रिचिनापल्ली
२३ अगस्त १८२३

जी डब्ल्यू सोडर्स
समाहर्ता

१९

येमारी के समाहर्ता बोर्ड ऑव् रेवन्यू के प्रति १७-८-१८२३
(टीएनएसए बीआरपी खण्ड ९५८ का २५-८-१८२३
पृ ७१६७-८५ क्रमांक ३२-३३)

१ आपके पत्र दिनाक २५-७-१८२२ और १९-६-१८२२ के आदेश के अनुरूप सलग्न पत्रक जो वस्तुत अधिकारियों की आवश्यक जानकारी भेजने में देर हो जाने से आपको पहुँचाने में भी देर हो गई है।

२ इस जिले की पजीकृत जनसख्या ९ २७ ८५७ है। जिले में कुल ५३३ शालाएँ हैं जिनमें ६ ६४१ छात्र अध्ययन करते हैं। इस प्रकार प्रति शाला छात्रों की सख्या लगभग १२ है प्रति हजार ७ व्यक्ति अध्ययन करते हैं।

३ हिन्दू छात्रों की सख्या ६ ३९८ तथा मुस्लिम छात्रों की सख्या केवल २४३ है। इन में ६० लड़कियाँ हैं जो सभी हिन्दू हैं।

४ केवल १ शाला में अग्रेजी की शिक्षा दी जाती है। तमिल की ४ पर्शियन की २१ मराठी २३ तेलुगु २२६ और कण्णडभाषा की शिक्षा २३५ शालाओं में दी जाती है। लगभग २३ शिक्षा संस्थाएँ ऐसी हैं जहाँ केवल ब्राह्मण ही अध्ययन करते हैं। उन्हें धर्मशास्त्र खगोलशास्त्र तर्कशास्त्र न्यायशास्त्र जैसे हिन्दू शास्त्रों की शिक्षा सस्कृत भाषा में दी जाती है।

५ जहाँ युवाओं को और विद्वानों को इन हिन्दू शास्त्रों की शिक्षा सस्कृत में दी जाती है ऐसे विद्याधामों की शिक्षापद्धति केवल लेखन वाचन या विज्ञान की शिक्षा देनेवाली परपरागत शालाओं की अपेक्षा एकदम अलग है। इन परपरागत शालाओं में ही इस देश की अधिकाश जनसख्या शिक्षा प्राप्त करती है। शिक्षा प्राप्त करनेवाले लोगों में ज्यादातर हिन्दू होते हैं। तथापि पर्शियन सिखानेवाली कुछेक मुस्लिम शालाओं के बारे में मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ।

६ हिन्दू बच्चों की शिक्षा पाँच वर्ष की आयु में शुरु होती है। बालक जब पाँच वर्ष का होता है तब उसे जिस शाला में प्रवेश प्राप्त करना है वहाँ के शिक्षक और अन्य छात्रों को उस बालक के मातापिता अपने घर निमत्रित करते हैं। सभी बच्चे गणेशजी की प्रतिमा के चारों और बैठते हैं। अध्ययन शुरू करने वाले बच्चे को गणेशजी के सम्मुख बिठाया जाता है। उसके पास शिक्षक बैठते हैं। वे छात्र से गणेशजी की पूजा करवाते हैं। भगवान को नैवेद्य अर्पण किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थी से श्लोक बुलवाते हैं जिसमें भगवान से विद्याप्राप्ति ज्ञानप्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है।

तत्पश्चात् चावल पर वह छात्र अपनी अगुली से भगवान का नाम लिखकर शिक्षा का शुभारभ करता है। बाद में उसके मातापिता शिक्षक को यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। दूसरे दिन से वह बालक शिक्षा के श्रेष्ठ कार्य का आरभ करता है।

७ कई मातापिता आर्थिक स्थितिवश या अन्य कारणों से अपने बच्चों को केवल पाँच वर्ष पढ़ाकर शाला से उठा लेते हैं किन्तु जिनके मातापिता अपनी सतान के मानसिक विकास और सस्कार का ध्यान रखते हैं वे १४ से १५ वर्ष तक विद्याभ्यास करते हैं।

८ इन सब शालाओं में ज्यादातर एक समान नित्यक्रम होता है। इसमें परिवर्तन लगभग नहीं होता है। शाला का प्रारभ प्रात छ बजे से होता है। शाला में पहली बार प्रवेश करनेवाले छात्र की हथेली पर विद्यादेवी सरस्वती का नाम लिखा जाता है जो कि सम्मानदर्शक होता है। दूसरे क्रम में आनेवाले छात्र की हथेली पर शून्य का चिह्न अकित किया जाता है जिसका अर्थ होता है कि 'वह सामान्य है प्रसशा या निंदाके पात्र नहीं है और तीसरे क्रम में आनेवाले छात्र को एक हल्की सी थप्पड मारी जाती है फिर आनेवाले को दो और फिर क्रमश एक के बाद एक थप्पड मारी जाती है। आलसी छात्र को छडी से पीटा जाता है हाथ उपर कर के लटकाया जाता है या उठक-बैठक करवाई जाती हैं। ये दण्ड बहुत कडे होते हैं परन्तु दण्ड का यह प्रकार स्वस्थ भी है।

९ सभी छात्रों को उनकी कक्षा के अनुसार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। निम्न श्रेणी के छात्र कक्षा के वरिष्ठ छात्र (Monitor) के अधीन रहते हैं जबकि ऊपर की कक्षा के छात्रों को स्वय शिक्षक पढाते हैं। इस प्रकार शिक्षक सभी छात्रों को पढा सकते हैं। यूरोप की तरह रटवाकर नहीं अपितु ऊगली से लिखवाकर अक्षरज्ञान करवाया जाता है। ऊगली से रेतमें लिखना वह कुशलता पूर्वक करने लगता है तब वह ताड़पत्र (cadjan-?) पर लोहे की सलाख से अथवा बोरू से कागज अथवा भूर्जपत्र (aristolochia Identica-?) पर लिखने का सम्मान पाता है या पेन अथवा पेन्सिल से 'हलीगी' अथवा कडाद्य (स्लेट का काम देनेवाली लकडी) पर लिखता है। ये दो यहा सब से अधिक प्रचलित हैं। एक तो आयताकार फलक होता है जो एक फूट चौडा और तीन फीट लम्बा होता है। उसे चिकना बनाया जाता है। उस पर चावल के आटे से पुताई की जाती है और काले सिक्के से लिखा जाता है। दूसरा कपडे से बनाया जाता है। प्रथम उसको चावल के माड से कडा बनाया जाता है पुस्तक की तरह मोडा जाता है और बाद में गोंद और कोयले के बुरे से पोता जाता है। इन दोनों पर

१९

बेल्लारी के समाहर्ता बोर्ड ऑव् रेवन्यू के प्रति १७-८-१८२३
(टीएनएसए बीआरपी खण्ड ९५८ का २५-८-१८२३
पृ ७१६७-८५ क्रमांक ३२-३३)

१ आपके पत्र दिनांक २५-७ १८२२ और १९-६-१८२२ के आदेश के अनुरूप सलग्न पत्रक जो वस्तुत अधिकारियों की आवश्यक जानकारी भेजने में देर हो जाने से आपको पहुँचाने में भी देर हो गई है।

२ इस जिले की पजीकृत जनसख्या ९ २७ ८५७ है। जिले में कुल ५३३ शालाएँ हैं जिनमें ६ ६४१ छात्र अध्ययन करते हैं। इस प्रकार प्रति शाला छात्रों की सख्या लगभग १२ है प्रति हजार ७ व्यक्ति अध्ययन करते हैं।

३ हिन्दू छात्रों की संख्या ६ ३९८ तथा मुस्लिम छात्रों की सख्या केवल २४३ है। इन में ६० लडकियाँ हैं जो सभी हिन्दू हैं।

४ केवल १ शाला में अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है। तमिल की ४ पर्शियन की २१ मराठी २३ तेलुगु २२६ और कन्नडभाषा की शिक्षा २३५ शालाओं में दी जाती है। लगभग २३ शिक्षा सस्थाएँ ऐसी हैं जहाँ केवल ब्राह्मण ही अध्ययन करते हैं। उन्हें धर्मशास्त्र खगोलशास्त्र तर्कशास्त्र न्यायशास्त्र जैसे हिन्दू शास्त्रों की शिक्षा सस्कृत भाषा में दी जाती है।

५ जहाँ युवाओं को और विद्वानों को इन हिन्दू शास्त्रों की शिक्षा सस्कृत में दी जाती है ऐसे विद्याधामों की शिक्षापद्धति केवल लेखन वाचन या विज्ञान की शिक्षा देनेवाली परपरागत शालाओं की अपेक्षा एकदम अलग है। इन परपरागत शालाओं में ही इस देश की अधिकाश जनसख्या शिक्षा प्राप्त करती है। शिक्षा प्राप्त करनेवाले लोगों में ज्यादातर हिन्दू होते हैं। तथापि पर्शियन सिखानेवाली कुछेक मुस्लिम शालाओं के बारे में मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ।

६ हिन्दू बच्चों की शिक्षा पाँच वर्ष की आयु में शुरू होती है। बालक जब पाँच वर्ष का होता है तब उसे जिस शाला में प्रवेश प्राप्त करना है वहाँ के शिक्षक और अन्य छात्रों को उस बालक के मातापिता अपने घर निमत्रित करते हैं। सभी बच्चे गणेशजी की प्रतिमा के चारों ओर बैठते हैं। अध्ययन शुरू करने वाले बच्चे को गणेशजी के सम्मुख बिठाया जाता है। उसके पास शिक्षक बैठते हैं। वे छात्र से गणेशजी की पूजा करवाते हैं। भगवान को नैवेद्य अर्पण किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थी से श्लोक बुलवाते हैं जिसमें भगवान से विद्याप्राप्ति ज्ञानप्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है।

तत्पश्चात् चावल पर वह छात्र अपनी अगुली से भगवान का नाम लिखकर शिक्षा का शुभारम करता है। बाद में उसके मातापिता शिक्षक को यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। दूसरे दिन से वह बालक शिक्षा के श्रेष्ठ कार्य का आरम्भ करता है।

७ कई मातापिता आर्थिक स्थितिवश या अन्य कारणों से अपने बच्चों को केवल पाँच वर्ष पढाकर शाला से उठा लेते हैं किन्तु जिनके मातापिता अपनी सतान के मानसिक विकास और सस्कार का ध्यान रखते हैं वे १४ से १५ वर्ष तक विद्याभ्यास करते हैं।

८ इन सब शालाओं में ज्यादातर एक समान नित्यक्रम होता है। इसमें परिवर्तन लगभग नहीं होता है। शाला का प्रारभ प्रात छ बजे से होता है। शाला में पहली बार प्रवेश करनेवाले छात्र की हथेली पर विद्यादेवी सरस्वती का नाम लिखा जाता है जो कि सम्मानदर्शक होता है। दूसरे क्रम में आनेवाले छात्र की हथेली पर शून्य का चिह्न अकित किया जाता है जिसका अर्थ होता है कि 'वह सामान्य है प्रसशा या निंदाके पात्र नहीं है और तीसरे क्रम में आनेवाले छात्र को एक हल्की सी थप्पड मारी जाती है फिर आनेवाले को दो और फिर क्रमश एक के बाद एक थप्पड मारी जाती हैं। आलसी छात्र को छडी से पीटा जाता है हाथ उपर कर के लटकाया जाता है या उठक-बैठक करवाई जाती हैं। ये दण्ड बहुत कडे होते हैं परन्तु दण्ड का यह प्रकार स्वस्थ भी है।

९ सभी छात्रों को उनकी कक्षा के अनुसार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। निम्न श्रेणी के छात्र कक्षा के वरिष्ठ छात्र (Monitor) के अधीन रहते हैं जबकि ऊपर की कक्षा के छात्रों को स्वय शिक्षक पढाते हैं। इस प्रकार शिक्षक सभी छात्रों को पढा सकते हैं। यूरोप की तरह रटवाकर नहीं अपितु ऊगली से लिखवाकर अक्षरज्ञान करवाया जाता है। ऊगली से रेतमें लिखना वह कुशलता पूर्वक करने लगता है तब वह ताडपत्र (cadjan ?) पर लोहे की सलाख से अथवा बोरू से कागज अथवा भूर्जपत्र (aristolochia Identica ?) पर लिखने का सम्मान पाता है या पेन अथवा पेन्सिल से 'हलीगी' अथवा कडाटा (स्लेट का काम देनेवाली लकडी) पर लिखता है। ये दो यहा सब से अधिक प्रचलित हैं। एक तो आयताकार फलक होता है जो एक फूट चौडा और तीन फीट लम्बा होता है। उसे चिकना बनाया जाता है। उस पर चावल के आटे से पुताई की जाती है और काले सिक्के से लिखा जाता है। दूसरा कपडे से बनाया जाता है। प्रथम उसको चावल के माड से कडा बनाया जाता है पुस्तक की तरह मोडा जाता है और बाद में गोंद और कोयले के भुरे से पोता जाता है। इन दोनों पर

लिखने के बाद गीले कपड़े से पोंछा भी जाता है। लिखने के लिये जो पेन्सिल प्रयुक्त होती है उसे 'बुट्टापा' कहा जाता है। वह खड़िया जैसी सफेद मिट्टी की बनती है परन्तु खड़िया से सख्त होती है।

१० अक्षरज्ञान प्राप्त करने के बाद छात्र संयुक्ताक्षर सीखते हैं। तत्पश्चात् उसे व्यक्ति पशु, गाँव आदि के नाम लिखना सिखाया जाता है। अंत में उसे अंक ज्ञान दिया जाता है। जोड़ बाकी गुणा आदि सरल हिसाब सिखाया जाता है। बाद में और अधिक परिश्रम करके भी उसे अपूर्णांक संख्या का हिसाब सिखाया जाता है। यह अपूर्णांक हमारी इंग्लैंड की शालाओं की तरह दशांश में नहीं किन्तु पाव $^1/_4$ अपूर्णांक होते हैं जो बहुत विस्तार से होते हैं तथापि छात्र वह अच्छी तरह से सीखता है। छात्रों को वजन धारिता और कद के नाप पहाड़ा अंकगणित के नियम आदि दिन में दो बार मोनिटर के द्वारा दोहराये जाते हैं।

११ यहाँ परंपरागत शालाओं की शिक्षा की एक विशेषता है छात्रों को अलग अलग प्रकार से अक्षरों को पढ़ना सिखाया जाना। शिक्षक पत्र अभिलेख कहानियाँ आदि के हस्तलिखित कागज़ लेकर छात्रों को ये पढ़वाते हैं। साथ ही यही सब उनसे लिखवाते भी हैं। उच्चारण की शुद्धता के लिए उन्हें कुछ कविताएँ कंठस्थ करवाई जाती हैं। इसी प्रकार शुद्ध वाचन की शिक्षा भी उन्हें दी जाती है।

१२ तीन पुस्तकें बिना किसी प्रकार के जातिभेद के सभी शालाओं में पढ़ाई जाती हैं। ये तीन पुस्तकें हैं रामायण महाभारत और भागवत। परंतु कारीगर वर्ग के परिवारों से आनेवाले छात्रों को इनके अतिरिक्त भी उनके व्यवसाय से संबंधित पुस्तकें जैसे कि नागलिंगायन कथा विश्वकर्मापुराण कमलेश्वर कालिकामहात्मा बसवपुराण राघवन ककव्या गिरिजाकल्याण अनुभवमूर्ति चिन्न बसवेश्वरपुराण आदि पवित्र धर्मग्रंथों का अध्ययन करना होता है।

१३ मनोरंजक कहानियों के लिए पंचतंत्र बैतालपचविंशति परिन्न सुयुक्ताक्षर आदि पुस्तकें भी पढ़ाई जाती हैं। भाषाशिक्षा के लिए शब्दकोश और व्याकरण की पुस्तकें होती हैं। इनमें निघंटु अमर शब्दामृत शब्दमुनिदर्पण व्याकरण आंध्रदीपिका आंध्रनामसंग्रह आदि पुस्तकों का समावेश होता है। इन में अंतिम दो पुस्तकें भाषाशिक्षा के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण होने पर भी ये अत्यंत महँगी होने से शिक्षक अपनी आर्थिक स्थिति की विवशता से इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं फलत ये छात्र इस विषय में पीछे रह गए हैं।

१४ तेलुगु और कन्नड़भाषी सभी शालाओं में पढ़ाए जानेवाली सभी पुस्तकें

पद्य में होती हैं। उनकी भाषा बोलचाल की भाषा से बिलकुल भिन्न है। इन दोनों भाषा के अक्षर एक समान ही हैं। अत एक ही भाषा से परिचित दूसरी भाषा पढ सकता है। किन्तु वह समझने में असमर्थ होता है। अत वे केवल उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए दूसरी भाषा की पुस्तकें पढते हैं। फिर भी कई शिक्षक इस अन्य भाषा के पाठों के अर्थ समझाते हैं। छात्र अनेक कविताएँ कण्ठस्थ बोल सकते हैं। किन्तु उन कविताओं के अर्थ वे बता नहीं पाते हैं। ऐसी शिक्षा का क्या तात्पर्य ? केवल छात्र की स्मरणशक्ति तथा पढने की योग्यता में सुधार होता है। जानकारी में वृद्धि नहीं हो पाती। इस प्रकार वह दूसरी भाषा की बडी बड़ी पुस्तकें पढ जाते हैं पर अर्थ के बारे में वे अनुमान तक नहीं लगा पाते। इससे एक भाषी छात्र जब अन्य भाषा में पत्र लिखता है तब उसमें वर्तनी व व्याकरण के असख्य दोष होते हैं।

१५ पद्य के स्थान पर सामान्य गद्य तथा सभाषण जैसे विषय प्रस्तुत करके सरकार इस शिक्षा पद्धति में सुधार कर सकती है। इससे पाठक को वह क्या पढ रहा है वह समझ में आएगा।

१६ यहाँ की शालाओं में छात्रों को लेखनकार्य बहुत ही कम करवाया जाता है। तेजस्वी छात्र पिछड़े छात्रों को पढाता है। वह अपनी शिक्षा का भी ख्याल रखता है। ये दोनों बातें अत्यत प्रसशनीय हैं। पाठ्यपुस्तक और योग्य सामर्थ्यवाले शिक्षक इन दो बातों की कमी यहाँ की शिक्षा पद्धति की बडी कमी ही कही जायेगी।

१७ यहाँ की देशी शिक्षापद्धति चाहे कितनी ही दोषपूर्ण हो तथापि आज अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कई माता-पिता खर्च करते ही हैं। कई शिक्षक उन्हें उचित दक्षिणा नहीं मिलती तब तक एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी का आगे का अध्ययन नहीं करवाते हैं। यहाँ शिक्षा के आरम्भ में छात्र शिक्षक को २५ पैसे दक्षिणा देता है। जब वह कागज़ पर लिखना सीखता है और अक गणित के हिसाब सीखता है तब पचास पैसे दक्षिणा देने की प्रथा है। किन्तु जब छात्र पद्य में लिखी पुस्तकों की चर्चा करने लगता है सस्कृत पद्यों के अर्थ करने लगता है तथा इन सब पुस्तकों की बात उसकी देशी भाषा में सोदाहरण करने की योग्यता प्राप्त करता है तब शिक्षक छात्र के मातापिता से बड़ी दक्षिणा की अपेक्षा करता है। इससे कई मातापिता उनकी सतानों की शिक्षा बीच से ही रुकवा देते हैं। इससे शिक्षा के अत्यत महत्त्वपूर्ण और उपयोगी क्षेत्रों से ये छात्र वचित रह जाते हैं।

१८ मुझे दु ख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी कारण से इस देश में धीरे धीरे निश्चितरूप से गरीबी बढ रही है। भारत में बने सूती कपड़े के स्थान पर हमारे

यूरोप में बने सूती कपड़े के भारत में प्रवेश से भारत के कारीगरों की आमदनी के साधन हाल के वर्षों में कम होते जा रहे हैं। हमारे देश से बड़ी सेना इस देश की सीमा पर तैनात किए जाने से इस देश में खाद्यान्न के संतुलन में काफी उलटा असर पड़ा है। इसी प्रकार इस देश की पूंजी यूरोप में जाने से और फिर यह पूंजी निवेश करने पर कानूनन पाबंदी लगाने से यह देश दरिद्रता से ग्रस्त होता जा रहा है। यहाँ के मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोग अपनी सन्तानों की पढ़ाई का खर्च भी उठा नहीं पाते। इतना ही नहीं इन बच्चों के लिए परिश्रम करने की क्षमता प्राप्त करते ही परिवार के लिए परिश्रम करके आमदनी प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।

१९ सरकार इस बात की भी उपेक्षा नहीं कर सकती कि इस जिले की दस लाख जितनी जनसख्या में आज केवल ७ ००० जितने छात्र ही शालाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यह उपर्युक्त स्थिति का ही परिणाम है। साथ ही पहले जिन गाँवों में शालाएँ थीं वहाँ आज केवल कुछ सपन्न लोगों के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। शुल्क अदा करने की क्षमता न होने से गरीबों के बच्चे शालाओं में अध्ययन नहीं कर पाते।

२० आज इन जिलों में लिखाई पढ़ाई अकज्ञान आदि की शिक्षा यहाँ की मातृभाषा में देनेवाली शालाओं की यह स्थिति है। वैसी ही स्थिति देश के सभी जिलों में प्रवर्तमान होगी। इस देश में उच्च शिक्षा तो संस्कृत में ही दी जाती है। उच्च शिक्षा देनेवाले अध्यापकों के लिए उनके ज्ञान के बदले में किसी प्रकार की धन की अपेक्षा करना विद्या का अपमान माना गया है। तथापि धर्मशास्त्र खगोलशास्त्र तर्कशास्त्र न्यायशास्त्र आदि की शिक्षा विद्वान ब्राह्मण आज भी दे रहे हैं। तथ्य यह है कि विश्व के किसी भी देश में बिना शासन की सहायता के या प्रोत्साहन के ज्ञान की क्षितिज अभिवृद्ध हो नहीं सकती। परन्तु भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दी जानेवाली सहायता लम्बे समय से बंद कर दी गई है।

२१ मुझे यह अत्यत क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस जिले की लगभग ५३३ शालाओं में से एक भी शाला को सरकार की सहायता नहीं मिलती। इससे मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय सरकारी परिषद द्वारा इस विषय पर जाँच हुई है और मुझे आशा है कि अब शालाओं को सहायता मिलने लगेगी।

२२ इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि यहाँ पहले हिन्दू शासक धन स्वरूप में तथा भूमि के रूप में बड़े पैमाने पर दान देकर शिक्षा की सहायता करते थे। इस प्रकार अध्यापन करनेवाले ब्राह्मणों को अच्छी राशि दान द्वारा प्राप्त होती थी। साथ ही गाँवों की चौथाई हिस्सेकी तीसरे हिस्सेकी आधे हिस्सेकी पौने हिस्से की तो कभी संपूर्ण

राजस्व आय इन ब्राह्मणों के नाम कर दी जाती थी। ऐसा परोपकार का काम करनेवालों से कुछ लेना अत्यत लज्जास्पद माना जाता था। इतना ही नहीं इन सेवाव्रतियों की अयाचक वृत्ति के कारण से वे और कहीं से पूरी न होनेवाली आवश्यकताएँ पूर्व के हिन्दू शासक स्वय पूरी कर देते तथा उसके लिए किसी भी प्रकार की शर्त या अनुचित अपेक्षा कभी नहीं की जाती थी। इस प्रकार एक पूज्य सत या विद्वान के निर्वाह के लिए शासक अपने खजाने खुले छोड़ देते थे और राज्य के कल्याण हेतु ऐसे सतों के आशीर्वाद प्राप्त करते थे।

इस प्रकार बिना किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखे शालाएँ चलाकर उनमें छात्रों को वे पढाते थे। ऐसे साधुपुरुषों की सहायता करने का कोई लिखित नियम नहीं था फिर भी ऐसे विद्वान सत पुरुषों को दी जानेवाली सहायता के पीछे शिक्षा सस्थाएँ बनी रहें यही भावना रहती थी।

२३ अंग्रेज सरकार ने भी ऐसी सहायता देने की नीति चालू रखने का निर्णय लिया है किन्तु इस नीति का क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया है। जिसे सहायता मिलती थी उनके वारिसों को आज भी मिलती है। तथापि ये वारिस अपने पिता जैसे विद्वान नहीं थे। इस प्रकार हमारे शासन में आय से होनेवाले परिवर्तन से हम अज्ञान को बढावा दे रहे हैं। जबकि पहले जिसे सहायता दी जाती थी वह आज विच्छिन्न होकर भीख माँगने की स्थितिमें आ गया है। भारत के इतिहास में शिक्षा की ऐसी आर्थिक दुर्दशा इससे पूर्व कभी नहीं हुई थी।

२४ मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि पूर्व के समय में कॉलेज बोर्ड की सिफारिश के आधार पर सरकार ने यहाँ के निवासियों की शिक्षा का स्तर सुधारने के हेतु प्रयोगधर्मी शालाएँ शुरू करने के लिए कडप्पा के समाहर्ता की नियुक्ति की थी किन्तु उस उत्साही और समर्थ सरकारी अधिकारी का स्वर्गवास होने से वह योजना ही बद कर दी गई थी। उस समय उस बोर्ड के सचिव पद से मैंने भी कल्पना की थी कि आज अगर वह योजना पुन कार्यान्वित करने के लिए मुझे कहा जाए तो मैं अपने जिले में उस योजना को चालू करने का प्रयास करूँगा।

२५ आपके समक्ष मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ कि मैं अपने जिले के कार्यालय में मेरे अधिकार में न्यायशास्त्र के छात्रो में से एक कुशल शास्त्री की नियुक्ति करना चाहता हूँ। इस शास्त्री को प्रतिमास १० पेगोडा वेतन दिया जाए। यह शास्त्री जिसकी इच्छा हो उन सबको सभी हिन्दूशास्त्रों का सस्कृत में अध्ययन करवायेगा। साथ ही यहाँ की देशी शालाओं के शिक्षकों को तेलुगु और कन्नड भाषाका व्याकरण सिखाएगा।

यूरोप में बने सूती कपड़े के भारत में प्रवेश से भारत के कारीगरों की आमदनी के साधन हाल के वर्षों में कम होते जा रहे हैं। हमारे देश से बड़ी सेना इस देश की सीमा पर तैनात किए जाने से इस देश में खाद्यान्न के संतुलन में काफी उलटा असर पड़ा है। इसी प्रकार इस देश की पूजी यूरोप में जाने से और फिर यह पूजी निवेश करने पर कानूनन पाबंदी लगाने से यह देश दरिद्रता से ग्रस्त होता जा रहा है। यहाँ के मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोग अपनी संतानों की पढ़ाई का खर्च भी उठा नहीं पाते। इतना ही नहीं इन बच्चों के लिए परिश्रम करने की क्षमता प्राप्त करते ही परिवार के लिए परिश्रम करके आमदनी प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।

१९ सरकार इस बात की भी उपेक्षा नहीं कर सकती कि इस जिले की दस लाख जितनी जनसख्या में आज केवल ७ ००० जितने छात्र ही शालाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यह उपर्युक्त स्थिति का ही परिणाम है। साथ ही पहले जिन गाँवों में शालाएँ थीं वहाँ आज केवल कुछ सपन्न लोगों के बच्चे ही पढाई करते हैं। शुल्क अदा करने की क्षमता न होने से गरीबों के बच्चे शालाओं में अध्ययन नहीं कर पाते।

२० आज इन जिलों में लिखाई पढाई अकज्ञान आदि की शिक्षा यहाँ की मातृभाषा में देनेवाली शालाओं की यह स्थिति है। वैसी ही स्थिति देश के सभी जिलों में प्रवर्तमान होगी। इस देश में उच्च शिक्षा तो संस्कृत में ही दी जाती है। उच्च शिक्षा देनेवाले अध्यापकों के लिए उनके ज्ञान के बदले में किसी प्रकार की धन की अपेक्षा करना विद्या का अपमान माना गया है। तथापि धर्मशास्त्र खगोलशास्त्र तर्कशास्त्र न्यायशास्त्र आदि की शिक्षा विद्वान ब्राह्मण आज भी दे रहे हैं। तथ्य यह है कि विश्व के किसी भी देश में बिना शासन की सहायता के या प्रोत्साहन के ज्ञान की क्षितिज अभिवृद्ध हो नहीं सकती। परन्तु भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दी जानेवाली सहायता लम्बे समय से बंद कर दी गई है।

२१ मुझे यह अत्यत क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस जिले की लगभग ५३३ शालाओं में से एक भी शाला को सरकार की सहायता नहीं मिलती। इससे मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय सरकारी परिषद द्वारा इस विषय पर जाच हुई है और मुझे आशा है कि अब शालाओं को सहायता मिलने लगेगी।

२२ इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि यहाँ पहले हिन्दू शासक धन स्वरूप में तथा भूमि के रूप में बड़े पैमाने पर दान देकर शिक्षा की सहायता करते थे। इस प्रकार अध्यापन करनेवाले ब्राह्मणों को अच्छी राशि दान द्वारा प्राप्त होती थी। साथ ही गाँवों की चौथाई हिस्सेकी तीसरे हिस्सेकी आधे हिस्सेकी पौने हिस्से की तो कभी संपूर्ण

राजस्व आय इन ब्राह्मणों के नाम कर दी जाती थी। ऐसा परोपकार का काम करनेवालों से कुछ लेना अत्यत लज्जास्पद माना जाता था। इतना ही नहीं इन सेवाव्रतियों की अयाचक वृत्ति के कारण से वे और कहीं से पूरी न होनेवाली आवश्यकताएँ पूर्व के हिन्दू शासक स्वय पूरी कर देते तथा उसके लिए किसी भी प्रकार की शर्त या अनुचित अपेक्षा कभी नहीं की जाती थी। इस प्रकार एक पूज्य सत या विद्वान के निर्वाह के लिए शासक अपने खजाने खुले छोड़ देते थे और राज्य के कल्याण हेतु ऐसे सतों के आशीर्वाद प्राप्त करते थे।

इस प्रकार बिना किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखे शालाएँ चलाकर उनमें छात्रों को वे पढाते थे। ऐसे साधुपुरुषों की सहायता करने का कोई लिखित नियम नहीं था फिर भी ऐसे विद्वान सत पुरुषों को दी जानेवाली सहायता के पीछे शिक्षा सस्थाएँ बनी रहें यही भावना रहती थी।

२३ अग्रेज सरकार ने भी ऐसी सहायता देने की नीति चालू रखने का निर्णय लिया है किन्तु इस नीति का क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया है। जिसे सहायता मिलती थी उनके वारिसों को आज भी मिलती है। तथापि ये वारिस अपने पिता जैसे विद्वान नहीं थे। इस प्रकार हमारे शासन में आय से होनेवाले परिवर्तन से हम अज्ञान को बढावा दे रहे हैं। जबकि पहले जिसे सहायता दी जाती थी वह आज विच्छिन्न होकर भीख माँगने की स्थितिमें आ गया है। भारत के इतिहास में शिक्षा की ऐसी आर्थिक दुर्दशा इससे पूर्व कभी नहीं हुई थी।

२४ मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि पूर्व के समय में कॉलेज बोर्ड की सिफारिश के आधार पर सरकार ने यहाँ के निवासियो की शिक्षा का स्तर सुधारने के हेतु प्रयोगधर्मी शालाएँ शुरू करने के लिए कडप्पा के समाहर्ता की नियुक्ति की थी किन्तु उस उत्साही और समर्थ सरकारी अधिकारी का स्वर्गवास होने से वह योजना ही बद कर दी गई थी। उस समय उस बोर्ड के सचिव पद से मैंने भी कल्पना की थी कि आज अगर वह योजना पुन कार्यान्वित करने के लिए मुझे कहा जाए तो मैं अपने जिले में उस योजना को चालू करने का प्रयास करूँगा।

२५ आपके समक्ष मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ कि मैं अपने जिले के कार्यालय में मेरे अधिकार मे न्यायशास्त्र के छात्रों मे से एक कुशल शास्त्री की नियुक्ति करना चाहता हूँ। इस शास्त्री को प्रतिमास १० पेगोडा वेतन दिया जाए। यह शास्त्री जिसकी इच्छा हो उन सबको सभी हिन्दूशास्त्रों का सस्कृत में अध्ययन करवायेगा। साथ ही यहाँ की देशी शालाओं के शिक्षकों को तेलुगु और कन्नड भाषाका व्याकरण सिखाएगा।

मुझे विश्वास है कि मुझे जैसी चाहिए वैसी प्रतिभा मिल जाएगी।

२६ इस शास्त्री के अतिरिक्त मेरे जिलेमें १७ कसबों के १७ अधिकारियों के अधिकार में एक एक तेलुगु और कन्नड भाषा के १७ शिक्षकों को ७ से १४ रुपये के मासिक वेतन से नियुक्त किया जाए। ये शिक्षक सभी को ये भाषायें सिखाएँगे। उनका न्यूनतम वेतन रु ७/- रखा जाए। छात्रों की सख्या बढ़ने पर धीरे धीरे उन्हें रु १४ तक के महत्तम वेतन तक पहुँचाया जाय। इसके लिए जिले की शाला में से श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन किया जाए। जिससे ये इस जिले के शिक्षा में पिछड़े छात्रों को अच्छी शिक्षा दे सकें। इन १७ शिक्षकों को सर्वप्रथम तो वह मुख्य शास्त्री व्याकरणादि की शिक्षा देंगे। ये शिक्षक छात्रों से किसी भी प्रकार का धन नहीं माँग सकेंगे। किन्तु शाला में प्रवेश या बिदाई जैसे प्रसगों पर छात्र परपरानुसार शिक्षकों को जो कुछ भी देंगे उसका वे शिक्षक स्वीकार कर सकेंगे।

२७ ऐसी सस्था चलाने के लिए प्रति मास कम से कम १५४ रु और अधिकतम २७३ रु जितना खर्च आता है और यह खर्च तो सरकार को ही उठाना चाहिए किन्तु इस कार्य के लिए समाज के धनिक लोगों का सहयोग भी लिया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि ऐसे शुभ कार्य में सभी उत्साह से सहयोग देंगे ही।

२८ प्रति वर्ष थोडा खर्च करके सरकारी प्रेस में शालाओं के लिए कन्नड और तेलुगु भाषा की पुस्तकें प्रकाशित करके शिक्षा का स्तर ऊँचे ले जाया जा सकता है। इन पुस्तकों में इस पत्र में पूर्व में निर्देशित विषयों का समावेश करना चाहिए अर्थात् यहाँ की शालाओं में पढ़ाई जानेवाली पुस्तकों में से कहानियों और कहावतों का समावेश करना चाहिए। परिचित और प्रसिद्ध पुस्तकों का चयन करने से उन्हें सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कम दाम में प्राप्त हो सकता है।

२९ सभव हो तो इन शिक्षकों की मुख्य शास्त्री के द्वारा वर्ष में एक बार परीक्षा लेकर उनमें अग्रिम स्थान प्राप्तकर्ता को पुरस्कृत करना चाहिए। उससे शिक्षकों और छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा।

३० ऐसी शालाओं को बनाए रखने के लिए उन सभी जिनके पास राजस्व कर मुक्त भूमि है उनसे व्यक्तियों के स्वर्गवास के बाद उसी भूमि पर शाला के लिए 'चंदा' के नाम से कर लेना चाहिए। इस से सरकार को जो आय होगी उससे इन शालाओं का निभाव हो सकेगा।

३१ इस प्रकार की योजना को अगर सम्मति प्राप्त होती है तो शालाओं के निभाव के लिए आवश्यक है उससे भी अधिक इकट्ठा किया जा सकता है। और फिर

अगर उक्त धन संचित न भी हो पाए तो भी इस कर की दर अपेक्षाकृत अत्यंत कम होगी। इससे इंग्लैंड की संसद को ऐसा कानून पारित करना चाहिए। मुझे आशा है कि इस विचार को उपेक्षित नहीं किया जाएगा। मेरे और मेरी तरह और समाहर्ताओं द्वारा भेजी गई जानकारी से आप इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे जिससे दक्षिण भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार हो।

बेल्लारी ए डी कैम्पबेल

१७-८-१८२३ समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

बेल्लारी जिले के स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
१	२	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
बेल्लारी	विद्यालय ५३३ महाविद्यालय	१ १८५	२	१ १८७	९८१	१	९८२	२ ९९८	२६	३ ०२४	१ १७४	३१	१ २०५

योग (हिन्दू छात्र)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
७			८			९			१०		
पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
६ ३३८	६०	६ ३९८	२४३		२४३	६ ५८१	६०	६ ६४१	४ ८९ ६७३	४ ३८ १८४	९ २७ ८५७

ए. डी. केम्पबेल
समाहर्ता

२०

राजमहेन्द्री के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति १९-९-१८२३

(टीएनएसए बीआरपी खण्ड ९६३ का २-१०-१८२३
पृ ५२०-२५ क्रमाक २९-३०)

१ उपसचिव के दिनाक २५ जुलाई १८२२ पत्र में मागी गई जानकारी के सदर्भ में पत्र के साथ निश्चित पत्रक में इस कचहरी के अधिकार क्षेत्र में स्थित देशी विद्यालय और छात्रों की सख्या की जानकारी सविनय भेजता हूँ।

२ साथ ही कुछ अधिक विस्तृत जानकारियाँ दूसरे पत्रक के द्वारा देने की इजाजत लेता हूँ। आशा है वह विशेष जानकारी उपयोग में आएगी।

३ यदि यह पत्रक आधारभूत लगते है (जो मेरे कर्मचारियों ने चौकसाई से तैयार किए है) तो इस कचहरी के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले जिले में शिक्षा की स्थिति सतोषजनक के अलावा कुछ भी हो सकती है। राजमुन्द्री के जिलों के १ २०० गाँव और ७ ३८ ३०८ की जनसख्या में केवल २०७ गाँवों में लेखन पठन की शिक्षा २९१ शालाओं में २ ६५८ हिन्दू और मुसलमान छात्रों को दी जाती है। छात्रों के लिए शालेय पाठ्यक्रम की अवधि साधारणत ५ से ७ वर्ष की रहती है। शाला में प्रवेश के लिए बच्चे की ५ वर्ष ५ महीना और ५ दिनकी आयु शुभ मानी गई है। शिक्षक का पारिश्रमिक प्रति विद्यार्थी अधिकतम महीना एक रुपया है और न्यूनतम है दो आना किन्तु औसतन वह सात आना होता है। मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी शाला को सार्वजनिक सहायता नहीं मिलती।

४ महाविद्यालयों की सख्या बल्कि धार्मिक कानूनी खगोलशास्त्र के निरीक्षकों की सख्या केवल २७९ और छात्रोंकी सख्या १ ४५४ है। इसके सबधित जानकारी अगली सारिणी में दी गई है।

वेदों के शिक्षकों को विशेष वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। छात्रों को केवल कर्मकाड की शिक्षा दी जाती है जो उनके प्रासगिक धार्मिक कार्य करवाने तक ही सीमित है। यह बताने का भी विशेष प्रयास नहीं होता है कि उस पढाई से विशेष क्या ग्रहण किया जा सकता है। सभवत इस स्तर पर शिक्षा क्षतियुक्त रहती है।

सारिणी ३६

वेद		शास्त्र		ज्योतिष		आन्ध्र शास्त्र	
शिक्षक	छात्र	शिक्षक	छात्र	शिक्षक	छात्र	शिक्षक	छात्र
१८५	१०३३	७५	३५८	१६	४९	२	१४

५ उपर्युक्त कुल २७८ शिक्षकों में ६९ को पारिश्रमिक भूमि और १३ को आर्थिक या दोनों दिया जाता है तथा अन्यों को पूर्व ज़मीनदारों के द्वारा दिया जाता है। १९६ निजी शिक्षक बिना पारिश्रमिक या भेंट के कार्य करते हैं। एक शिक्षक छात्रों से सहायता प्राप्त करता है।

६ जो गाँव मेरे अधिकार क्षेत्र में हैं वहाँ शालाएँ नहीं हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि इसके लिए वहाँ के निवासी शालाओं की स्थापना हेतु उत्सुक हैं किन्तु उन्हें चालू करने में सरकारी सहयोग आवश्यक है। जैसे कि प्रति शिक्षक पारिश्रमिक के तौर पर मासिक रुपए दो आवश्यक हैं। शेष खर्च छात्रों से प्राप्त किया जा सकता है। अगर इस प्रस्ताव की सम्मति आप से प्राप्त होती है तो मैं और भी विशेष जानकारी दे सकता हूँ।

राजमहेन्द्री
मुगलुतीर १९ सितम्बर १८२३

एफ डब्ल्यू. रोबर्टसन्
समाहर्ता

राजमहेन्द्री जिले के स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
१	२	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
राजमहेन्द्री	विद्यालय २९१	१०४	३	१०७	६५३		६५३	४६६	६	४७२	५४६	२८	५७४
	महाविद्यालय २०९	१ ४४९		१ ४४९									५

योग (हिन्दू छात्र)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
७			८			९			१०		
पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
२ ५६९	३७	२ ६०६	५२		५२	२ ६२१	३७	२ ६५८	३ ९३ ५१२	३ ४४ ७९६	७ ३८ ३०८
१ ४५४		१ ४५४				१ ४५४		१ ४५४			

जिला राजमहेन्द्री
मोगुलातूर १९ सितम्बर १८२३

एफ डब्ल्यू. रोबर्टसन
समाहर्ता

राजमहेन्द्री जिले के स्थानीय विद्यालयों महाविद्यालयों एवं छात्रो की संख्या का विस्तृत ब्यौरा

	विभाग	विद्यालय युक्त गाँवोंकी संख्या	विद्यालय एवं महाविद्यालय							
			वेद अथवा धर्मशास्त्र पढानेवाले	शास्त्र अथवा कानून पढानेवाले	ज्योतिष अथवा खगोल पढानेवाले	तेलुगु अथवा प्रचलित राष्ट्र भाषा पढानेवाले	आन्ध्र अथवा तेलुगु पढानेवाले	पर्शियन पढानेवाले	अंग्रेजी पढानेवाले	योग
१	पुलावरम	८	१	१०		१०			-	२१
२	पोडापोर	१६	१९	५	-	२७				५१
३	राजमहेन्द्री	१७	१७	१		३०		२		५०
४	द्राघेराम	३३	२२	१		४३		१		६७
५.	मीलपल्ली	१०	७	१		२५		-		३३
६	जगमपेट	७	३			९			-	१२
७	नरसापुर	७	९	८	२	२०	-		१	४०
८.	मिरापुर	२३	१२	४	५	३४		१		५६
९	अमोलपुर	६१	७८	२४	५	६१	६	१		१७५
१०	पेमगोंडा	२५	३०	६	२	२६	-			६४
	योग	२०७	१९८	६०	१४	२८५	६	५	१	५६९

सारांश : धर्मशास्त्र कानून खगोल पढानेवाले महाविद्यालय अथवा उच्च विद्यालय २७९

तेलुगु भाषा के लिये विद्यालय २८५

पर्शियन भाषा के लिये विद्यालय ५

अंग्रेजी भाषा के लिये विद्यालय १

५७०

जिला	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जातिके छात्र			महायोग		
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१ पुलावरम	११५		११५	३		३	३२		३२	१९	२	२१	९		९
२ पोकमोर	२६९		२६९	५		५	८४		८४	९२		९२	५५	२	५७
३ राजमहेन्द्री	१५८	१	१५९	८		८	१०७		१०७	३३	३	३६	३४	३	३७
४ द्राक्षेरम	२४८	१	२४९	८	१	९	७२		७२	५८		५८	४२	५	४७
५ नीलपल्ली	६६		६६	५		५	५३		५३	४२		४२	६०		६०
६ जगमपेट	२१	१	२२				३२		३२	१७		१७	१३		१३
७ नरसापुर	१४९		१४९	१		१	३३		३३	२९		२९	३०	२	३२
८ पिठपुर	२८०		२८०	६		६	१३०		१३०	३८		३८	११९	२	१२१
९ अमोलपुर	८३६		८३६	२५	१	२६	८२		८२	१००		१००	५९	९	६८
१० पेद्दापुरम्	२०१		२०१	४७		४७	२८		२८	३८	१	३९	२२	३	२५
योग	२ ३४३	३	२ ३४६	१०८	२	११०	६४३		६४३	४६६	६	४७२	४४३	२६	४६९

सारांश	ब्राह्मण छात्र			क्षत्रिय छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र		
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
धर्मशास्त्र कानून ज्योतिष आदि पढ़नेवाले महाविद्यालय अथवा उच्च विद्यालय	१ ४४९		१ ४४९	४		४						
तेलुगु भाषा के लिये विद्यालय	८९६	३	८९९	१०४	२	१०६	६५८		६५८	४६६	६	४७२
पर्शियन भाषाके लिये विद्यालय	५		५			-						
अंग्रेजी भाषा के लिये विद्यालय	३		३									
योग	२ ३४३	३	२ ३४६	१०८	२	११०	६५८		६५८	४६६	६	४७२

जिला	योग (हिन्दू छात्र)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम छात्र			कुल जनसंख्या			
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	
(१)	१७८	२	१८०	२		२	१८०	२	१८२	२९ ०२०	२६ ०६२	५५ ०८२	
(२)	५०५	२	५०७	१		१	५१४	२	५१६	४६ ८०४	४१ ९८६	८८ ७९०	
(३)	३४०	७	३४७	१७		१७	३५७	७	३६४	५१ ३१२	४३ ७८०	९५ ०९२	
(४)	४२८	७	४३५	१०		१०	४३८	७	४४५	३६ ८३९	३० ३६४	६७ २०३	
(५)	२२६		२२६	५		५	२३१		२३१	२० ०३२	१७ ८२५	३७ ८५७	
(६)	८३	१	८४				८३	१	८४	१७ ३४१	१७ ०७१	३४ ४१२	
(७)	२५२	२	२५४				२५२	२	२५४	३३ २३२	२८ २७४	६१ ५०६	
(८)	५०३	२	५०५	४		४	५०७	२	५०९	४७ ९४८	४३ ९७६	९१ ९२४	
(९)	१ १०२	१०	१ ११२	५		५	१ १०७	१०	१ ११७	६३ १३८	५४ ५२०	१ १७ ६५८	
(१०)	३३६	३७	३४०				३३६	४	३४०	४८ ६४६	४० ९३८	८९ ५८४	
योग	४ ०२३	७	४ ०६०	५२		५२	४ ०७५	३७	४ ११२	३ ९३ ५१२	३ ४४ ७९६	७ ३८ ३०८	

सारांश	अन्य जाति के छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
धर्मशास्त्र कानून, खगोल आदि पढ़ानेवाले महाविद्यालय अथवा उच्च विद्यालय	१		१	१४५४		१ ४५४				१ ४५४		१ ४५४
तेलुगु भाषा के लिये विद्यालय	४४१	२६	४६७	२ ५६०	३७	२ ५९७	२३		२३	२ ५८३	३७	२ ६२०
पर्शियन भाषाके लिये विद्यालय				५		५	२९		२९	३४		३४
अंग्रेजी भाषा के लिये विद्यालय	१		१	४		४				४		४
योग	४४३	२६	४६९	४ ०२३	३७	४ ०६०	५२		५२	४ ०७५	३७	४ ११२

राजमहेन्द्री जिला मोगलतूर
१९ सितम्बर १८२३

राजमहेन्द्री जिले के विद्यालयों एव महाविद्यालयों में पढाये जानेवाली पुस्तकें

क्रम	नाम	क्रम	नाम
१	बाल रामायण	२२	गणितम्
२	रुक्मणी कल्याणम्	२३	पौलोरिगणितम्
३	परिजात पत्रम्	२४	भारतम्
४	मौलि रामायणम्	२५	भागवतम्
५	रामायणम्	२७	विजय विलासम्
६	दानशरादि शतकम्	२८	कृष्णलीला विलासम्
७	कृष्ण शतकम्	२९	राधामाधव विलासम्
८	सुमति शतकम्	३०	सप्तम स्कन्धम्
९	जानकी शतकम्	३१	राधामाधव सवादम्
१०	प्रसन्नराघव शतकम्	३२	अष्टम स्कन्धम्
११	रामतारक शतकम्	३३	भानुमती परिणयम्
१२	भास्कर शतकम्	३४	वीरभद्र विजयम्
१३	भीषणावकाश शतकम्	३५	लीलासुन्दरी परिणयम्
१४	सूर्यनारायण शतकम्	३६	अमरम्
१५	नारायण शतकम्	३७	सूरभनेश्वरम् सुरन्तरनश्वरम्
१६	प्रह्लाद चरित	३८	उद्योगपर्वम्
१७	वासु चरित्र	३९	आदिपर्वम्
१८	मनुचरित्र	४०	गजेन्द्र मोक्षम्
१९	सुमगचित्र	४१	आन्ध्र नामसग्रहम्
२०	नलचरित्र	४२	कौशल परीक्षणम्
२१	वामनचरित्र	४३	रसिकजन मनोभरणम्

वेद आदि

क्रम	नाम	क्रम	नाम
१	ऋग्वेद	४	श्रुतम्
२	यजुर्वेद	५	द्रविडवेद/ननलायनम्
३	सामवेद		

शास्त्र

क्रम	नाम	क्रम	नाम
१	सिद्धान्त कौमुदी	४	ज्योतिका ज्योतिषम्
२	तर्कम्	५	धर्मशास्त्रम्

काव्य

१	रघुवशम्	५	माघ
२	कुमारसम्भवम्	६	नैषधम्
३	मेघसन्देशम्	७	अन्दशास्त्रम्
४	भारवि		

पर्शियन विद्यालय

१	कमेमाह	४	बहरदानिश और बोस्ता
	अमदन्ननामा	५	अब्दुल फज़ल इन्सा
२	हरकारम्	६	खलीफा
३	इन्सा खलिफा और गुलिस्ता	७	कुरान

जिला राजमहेन्द्री
१९ सितम्बर १८२३

एफ डब्ल्यू. रोबर्टसन
समाहर्ता

२१

मलबार के प्रधान समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति ५-८-१८२३
(टीएनएसए बीआरपी खण्ड ९५७ का १४-८-१८२३
पृ ६९४९-५५ क्रमाक ५२-५३)

(अ) १ इस जिले में अवस्थित शालाओं और कॉलेजों की सख्या भेजने की अनुमति चाहता हूँ। साथ ही निजी शिक्षकों द्वारा धर्मशास्त्र खगोलशास्त्र जैसे विषय का अध्ययन करनेवाले छात्रों की जानकारी प्रस्तुत की है।

(ब) २ नई भेजी गई जानकारियों में केवल कॉलेज के लिए झामोरिन राजाकी ओर से प्राप्त पत्रक का अनुवाद भेजता हूँ। उसमें अच्छी जानकारी मिल सकती है।

३ शाला के शिक्षकों को प्रति छात्र प्रतिमास चार आने से लेकर चार रुपए तक पारिश्रमिक मिलता है। छात्र अपनी स्थिति के अनुरूप देता है। किन्तु विद्यालय छोडने के समय वे कुछ न कुछ और भी देते हैं। धर्मशास्त्र न्याय सिखानेवाले शिक्षक कुछ भी राशि प्राप्त नहीं करते। परन्तु अध्ययन पूर्ण होने पर छात्र अपनी स्थिति के अनुरूप धन या उपहार देते हैं।

प्रधान समाहर्ता की कचहरी — जे वॉन
कालिकट ५ अगस्त १८२३ — प्रधान समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

विभिन्न जिलों में स्थानीय विद्यालयों महाविद्यालयों एवं उनमें पढनेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
		पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
मलबार निजी तौर पर शिक्षक से अध्ययन	७५९	२ २३०	५	२ २३५	८४	१३	९७	३ ६९७	७०७	४ ४०४	२ ७५६	३४३	३ ०९९
विद्यालय महाविद्यालय	१	७५		७५									
धर्मशास्त्र एवं कानून		४७१	३	४७४									
खगोल		७८		७८	१८	५	२३	१७६	१९	१९५	४९६	१४	५१०
अध्यात्मशास्त्र		३४		३४							३१		३१
नीतिशास्त्र		२२		२२							३१		३१
आयुर्विज्ञान		३१		३१				५९		५९	१००		१००

		महायोग (हुन्दु)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
		पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
घरपर निजी तौर पर शिक्षक से अध्ययन		८ ७६७	१ ०६८	९,८३५	३ १९६	१ १२२	४ ३१८	११ ९६३	२ १९०	१४ १५३	४५८३६४	४४९२०७	९०७५७१
विद्यालय महाविद्यालय		७५		७५				७५		७५			
धर्मशास्त्र एवं कानून		४७१	३	४७४				४७१	३	४७४			
खगोल		७६८	३८	८०६	२		२	७७०	३८	८०८			
अध्यात्मशास्त्र		६५		६५				६५					
नीतिशास्त्र		५३		५३				५३		५३			
आयुर्विज्ञान		१९०		१९०	४		४	१९४		१९४			

राजा झामोरिन की ओर से भेजे गए निवेदन का अनुवाद

(ब) आरम्भ में मलबार के ब्राह्मणों को धर्म विषयक शिक्षा उनके घर के निकट रहनेवाले उस समय के शिक्षकों के द्वारा क्षेत्रम्' में दी जाती थी तथापि ऐसा लगता था कि इस प्रकार की शिक्षा विशेष लाभकर्ता नहीं होगी उसमें छात्रों की सख्या और भी कम होगी। अत ब्राह्मणों ने परस्पर विचारविमर्श किया। परिणाम स्वरूप यह निर्धारित किया गया कि इस हेतु एक कॉलेज आवश्यक है जहाँ धर्म विषयक ज्ञान दिया जाए। अत ज़मीन का एक टुकड़ा जो नदी के पास था कॉलेज के निर्माण हेतु अलग रखा गया। यह तैरोयन निशरीनद हुम्बी कुटनाड तेहसील स्थित तेरुनाव्य क्षेत्रम् के दक्षिण में था। इस हेतु से वे हमारे पूर्वज उस समय के राजा के पास गये और इस विषय की प्रस्तुति की। राजा ने इस कॉलेज के निर्माण के लिए पूर्ण खर्च की ज़िम्मेदारी ली थी। और फिर उन्होंने उस क्षेत्र में निवास करनेवाले सभी प्रजाजनों को आदेश दिया था कि इस कॉलेज के लिए आवश्यक भोजनादि का खर्च वे ही अदा करेंगे। साथ ही उन्होंने उस कॉलेज के लिए एक भाण्डारगृह निर्माण करने का आदेश दिया था जिसकी सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति भी उन्होंने की थी। वह भी ब्राह्मण ही था। (सभी किसानों के लिये सुलभ) चावल की खेती के लिए जो भूमि थी उसमें से एक भाग कॉलेज के लिए अलग ही रखा गया था। यह कचिपोरा एरकारा नाम्बूरी पद्धति सर्वसम्मति से स्थापित की गई थी। साथ ही इस कॉलेज के आचार्यों के लिए धान के खेत का एक हिस्सा अलग रखा गया था। वे अधिकाशत ब्राह्मणों के ही खेत थे। जिन ब्राह्मणों ने इस प्रकार का अनुदान दिया था उनके परिवारजनों को इन कॉलेजों में एक या अन्य प्रकार से नौकरी भी दी गई थी। यह सब मैंने अपने पुरखों से जाना है। तथापि इस प्रकार के हस्तातरण का कोई लिखित स्वरूप नहीं होता है। कॉलेजो में प्रवेश की सख्या पर पाबन्दी नहीं थी। जिस किसी को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो उन्हें प्रवेश दिया ही जाएगा और आवश्यक सुविधाएँ भी दी जाएँगी।

इन कॉलेजों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन १०० से १२० छात्र आते थे। किन्तु सन् ९४९ में विदेशियों ने आक्रमण किया और कई मंदिर तथा निवासस्थानों का नाश किया था। उन्होंने खेतों पर कर लगाया था जिससे उस प्रदेश में रहना ब्राह्मणों के लिए लगभग असभव हो गया था। परिणामस्वरूप वे सभी राम राजा के प्रदेश (त्रावणकोर)में चले गए। धीरे धीरे 'वेदम्' का ज्ञान और शिक्षा मलबार क्षेत्र से नष्ट हो गए। धर्म के ज्ञान से विमुख रहना ब्राह्मणों के लिए महापातक सा माना

जाता था। अत उन्होंने राम राजा को बताया। उन्होंने तेरुन्ना करे क्षेत्रम्' के पास एक कॉलेज का निर्माण करने के लिए आदेश दिया और उसमें अध्ययन हेतु आनेवालों के लिए आवश्यक आर्थिक सहाय हेतु राशि भी अलग रखी।

यहाँ ९६६ के वर्ष तक तो विद्यादान अनवरत चल रहा था। इस वर्ष से कम्पनी सरकार ने मलबार में आक्रमणकारियों को हटाया और समूचे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर दी जिससे मलबार त्यागकर गए हुए ब्राह्मण वापस लौटे और उनकी जन्मस्थली में रहने लगे। फिर भी उनकी कॉलेजों का नाश तथा उनके लिए सहाय हेतु दी गई ज़मीनों का नाश उनके लिए अत्यत दुखदायक था। इसलिए उन्होंने तत्कालीन राजा-मेरे चाचा - समक्ष निवेदन प्रस्तुत किया। उनके मतानुसार उस समय उनके पुरखों ने जो सहायता की थी वह करने में वे असमर्थ थे तथापि वे यथासभव हर प्रकार का सहयोग देने को तत्पर थे। वे मानते थे कि इस प्रकार की सस्थाओं के कारण से ही उनके प्रदेश की और उनकी तरक्की हो पाएगी। इसी वजह से उन्होंने उस कॉलेज के पुनर्निर्माण के आदेश दिए और उसके आचार्य तथा छात्रों के लिए आवश्यक सभी चीजें मिलने की व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया। उन्हीं के पदचिह्न पर मैं बढ रहा हूँ। किन्तु इसके लिए दी गई जमीन से प्राप्त उत्पादन सरकार को राजस्व देने के बाद एक महीने के खर्च को भी मुश्किल से पूरा कर पाता है। इससे जो भी कमी होती है वह मेरे द्वारा पूरी कर दी जाती है। जैसे कि रु २ ००० छात्रों के लिए तथा रु २०० आचार्यों के लिए प्रति वर्ष मैं पहुँचाता हूँ। उन्हें अभी इतना प्राप्त होता है। धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई विज्ञान उस कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। प्राचीन समय में शानूर के तालवल्लीनाड में एक कॉलेज था। उसकी सहाय हेतु भूमि भी अलग रखी गई थी जहाँ कई ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करते थे। उनके निपुण होने पर जब वे कॉलेज छोड कर जाते थे तब कालिकट के तल्लेल क्षेत्रम् में प्रत्येक को वार्षिक १०१ फेनम पर नियुक्त किया जाता था। ऐसे व्यक्तियों की सख्या ७० से ८० थी। किन्तु इन सस्थाओं की सहायता हेतु अलग रखी गई भूमि पर भी राजस्व लागू करने से उसकी आमदनी बहुत ही कम हो गई। परिणामस्वरूप उपर्युक्त सस्था और उसके साथ शिक्षा भी बद ही हो गई। इससे ब्राह्मण आए और पुन निवेदन करके अपनी परेशानी बताई। अतः एक शिक्षक की नियुक्ति की गई जिसके पास आज कई छात्र पढ रहे हैं। तल्लील भत्ता भी चालू है परतु इसकी मात्रा कम हो गई है।

पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है।

१० करकाड्यम्, ९९८ म स जे वॉन

२२

सेलम के समाहर्ता बोर्ड ऑफ रेवन्यू के प्रति ८-७-१८२३

(टीएनएसए बीआरपी खण्ड ९५४ का १४-७-१८२३
पृ ५९०८-१० सं ५०

१ दि २५ जुलाई १८२२ को आपके बोर्ड के द्वारा मुझे बताया गया था उस के तहत मैं सलग्न पत्रक सादर भेज रहा हूँ।

२ इस पत्रक से यह स्पष्ट हो जाता है कि दस लाख से अधिक जनसख्या में ४ ६५० व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की थी जो प्रति एक हजार पर सवा चार से कुछ अधिक है और इस सार्वजनिक शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब और कुठित दर्शाती है।

३ विद्यार्थी उनके मित्रों की सहायता और उनकी शिक्षा के प्रति रुचि के अनुरूप तीन से पाँच वर्ष शाला में बिताते हैं। हिन्दू शाला में शिक्षा के लिए वार्षिक खर्च तीन रुपया तथा मुस्लिम शाला में वार्षिक खर्च १५ से २० रुपये होता है। केवल मुस्लिम शाला के पास उसके वार्षिक खर्च के लिए वार्षिक २० रु जितनी आमदनी करनेवाली जमीन है। इस शाला के एक पुराने शिक्षक थोमिआह' की उपाधि से विभूषित थे जिन्हें समाहर्ता द्वारा वार्षिक रु ५६ के हिसाब से प्रति मास वेतन दिया जाता था। उनके स्वर्गवास के बाद मेरे पूर्व के अधिकारियों द्वारा यह सहायता राशि बद कर दी गई क्योंकि वह उनको ही देनी होती थी।

४ अबूतर नामकूल सेलेग और पारमुत्ती तहसीलों में धर्म पढानेवाले २० शिक्षक है। इसके अतिरिक्त कानून और खगोल सिखानेवाली शालाएँ भी हैं। इन्हें इनामी ज्रमीन दी जाती है। इससे वार्षिक रु १ १०९ जितनी आय होती है यह ज्रमीन पूर्ण कृषि योग्य है और उसके मालिक जिस हेतु से यह ज्रमीन दी जाती है उस नियम का पूर्ण पालन भी करते हैं।

५ ऐसी इनामी ज्रमीन के अतिरिक्त अन्य ज्रमीन भी है जो रैज्रपुर और शकरीयुग तहसीलों में वार्षिक ३८४ जितनी आय वाली है। टीपूने जिस वर्ष यह प्रदेश अन्य राज्यों से अलग किया उससे पहले ही उसका दान दिया था। तत्पश्चात् यह ज्रमीन सरकार के रेवन्यू में शामिल की गई है।

६ सरकार में हो या अन्य लोग हों अपराध रोकने के लिए शिक्षा श्रेष्ठ साधन

है (जिसके बारे में आपके बोर्ड के ता ११ दिसम्बर १८१५ को सरकार के भेजे गए अहवाल के ७वें परिच्छेद में बहुत ही दबाव से बताया गया है। आग्रह पूर्वक इस हेतु फण्ड स्थापित करने के लिए निवेदन करता हूँ, जो शिक्षा का प्रसार कुछ सीमा तक करेगा और साथ ही उसकी माँग को भी बढाएगा।

सेलम के समाहर्ता की कचहरी एम डी कॉकबर्न
८ जुलाई १८२३ समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ २०४ पर)

२३

गुंटुर के समाहर्ता बोर्ड ऑफ रेवन्यू के प्रति ९-७-१८२३
(टीएनएसए बीआरपी खण्ड ९५४ का १४-७-१८२३
क्र ४९ पृ ५९०४-७)

१ आपके सयुक्त सचिव मि विवियश के दिनाक २५ जुलाई के पत्र के उत्तर में लिख रहा हूँ कि जिस शालामें पढना लिखना सिखाया जाता है वैसी शालाओं की सख्या और उसमें पढने वाले छात्रों की सख्या दर्शानेवाला एक पत्रक जो एक नमूने के तौर पर तैयार किया गया है सादर प्रस्तुत करता हूँ।

२ इसके बारे में सरकार ने २ जुलाई १८२२ के पत्र में मागी जानकारी के बारे में कहना है कि मैंने देखा है कि छात्र प्रात ६ बजे इकट्ठे होते हैं और नौ बजे तक साथ में रहते हैं फिर सुबह का भोजन लेने जाते हैं और ११ बजे लौटते हैं। तत्पश्चात् अपरान्ह दो या तीन बजे तक साथ में रहते हैं। बाद में चावल खाने के लिए अपने निवास पर जाते है और ४ बजे आते है और सन्ध्या के सात बजे तक साथ में रहते हैं। सुबह का और सध्या का समय सामान्यतः पढने के लिए रहता है जबकि अपरान्ह का वक्त लिखाई के लिए रहता है।

३ छात्रों के लिए शुल्क मुख्यत उनके पिता या शाला में भर्ती करने के लिए आनेवाले की स्थिति के अनुरूप प्रति छात्र मासिक २ आने से २ रुपए होता है। यह एक ही भुगतान बताया जा सकता है क्योंकि लडकों को ही उनके गाँवों में स्थित शालाओं में भेजा जाता है जो बाद में अपने निवासस्थान में रहते हैं।

४ लगता है कि जिले में जनता द्वारा अनुदान प्राप्त शालाएँ नहीं है या धर्म कानून खगोल आदि विषय पढाने का कोई कॉलेज भी नहीं है। ये विषय कुछ छात्रों

सेलम जिले के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालय एवं महाविद्यालय	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
१	२	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
सेलम सामान्य	३३३	४५९		४५९	३२४		३२४	१६७१	३	१६७३	१३८२	२८	१४१०
मलबार धर्मशास्त्र एवं खगोल आदि	५३	३२४		३२४									

महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
७			८			९			१०		
पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
३ ८३६ ३२४	३१	३ ८६७ ३२४	४३२	२७	४५९	४ २६८ ३२४	५८	४ ३२६ ३२४	५ ४२ ५००	५,३३ ४२५	१० ७५ ९२५

को या शिष्यों को कुशल ब्राह्मणों द्वारा किसी भी प्रकार के शुल्क या बदला लिए बिना पढाया जाता है। जो ब्राह्मण यह सिखाते हैं उनका निर्वाह सामान्यत मान्यम् भूमि द्वारा किया जाता है। यह भूमि इस जिले के जमीनदारों के पूर्वजों ने दी है और गत सरकारों ने अलग अलग प्रसगों पर दान में दी हुई होती है। तथापि ऐसा लगता है कि किसी भी अवसर पर देशी सरकारों ने पैसे के रूप में तो दान दिया ही नहीं है। और फिर ज़मीन तो उपर्युक्त विज्ञान सिखाने वाले शिक्षकों के निर्वाह के लिए ही दी थी। हालाकि इस विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है उस के अनुसार १७१ स्थान में धर्मशास्त्र कानून और खगोल आदि विषय पढाए जाते हैं। ये निजी तौर पर पढाए जाते हैं। इन में छात्रों की सख्या ९३९ के लगभग है। ये विज्ञान पढनेवाले अपने गाँवों में तो सामान्यत ऐसे शिक्षक प्राप्त कर नहीं पाते अत उन्हें और कहीं जाना पड़ता है। जिन किस्सों में छात्रों का परिवार सहयोग दे सकता है। वह अपने परिवार से सहाय प्राप्त करता है। यह मासिक रु ३ जितनी राशि होने का अनुमान है। फिर भी यह राशि केवल उनकी आवश्यकता के लिए ही सीमित है। जिन छात्रों के परिवार इस प्रकार की सहयोग राशि देने में असमर्थ हैं वहाँ वे जिन गाँवों में अध्ययन करते हैं उन गाँवों के घरों से अपनी दैनन्दिन आवश्यकता की चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं और वे भी सहर्ष उनकी आवश्यकताएँ पूरी कर देते हैं।

५ जिन्हें यहाँ अध्ययन करवाया जाता है उन्हें धर्म या दर्शनशास्त्र में गहरा अध्ययन करना है तो वे बनारस नवद्वीप जैसे स्थानों पर जाते हैं। वहाँ वे वर्षों तक रहते हैं और वहाँ के विद्वान पण्डितों से ज्ञान प्राप्त करते हैं।

गुटुर जिला जे सी विश

बापसा ९ जुलाई १८२३ समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

गुण्टुर जिले के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा उनमें पढनेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालय एवं महाविद्यालय	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
१	२	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
गुन्टुर	वि. ५७४ महा वि.	३०८९	५	३०९४	१५७८		१५७८	१९२३	३७	१९६०	७७५	५७	८३२

महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
७			८			९			१०		
पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
७३६५	९९	७४६४	२५७	३	२६०	७६२२	१०२	७७२४	२४१३८५९	२१०८९५	४५४७५४

गुण्टुर जिला बापुटा
१ जुलाई १८२३

जे सी विश
समाहर्ता

२४

गजाम के समाहर्ता बोर्ड ऑफ रेवन्यू के प्रति २७-१०-१८२३

(टीएनएसए बीआरपी खण्ड ९६७ का ६-११-१८२३
पृ ९३३२-३४ क्र ५-६)

१ सयुक्त सचिव मि विविश का ता २५ जुलाई १९२२ का पत्र और उसके साथ प्राप्त सामग्री का मैं आदर करता हूँ और बोर्ड की जानकारी के लिए निर्धारित पत्रक के अनुसार इस जिले की शालाओं की सख्या आदि आशिक मात्रा में एक पत्रक से आपको भेज रहा हूँ।

२ इस जिले में सरकार या सत्ताधीशों के द्वारा अनुदान प्राप्त करनेवाली कोई शाला या कॉलेज नहीं है। किन्तु छात्र अपने शिक्षक को प्रतिमास ४ आना या १ रुपया शुल्क देते हैं।

३ शालाएँ सामान्यत प्रात ६ बजे शुरु होती हैं और सध्या के ५ बजे तक चालू रहती हैं।

४ अग्रहारम् के ब्राह्मणादि को उनके पिता भाई या अन्य रिश्तेदार शास्त्रम् सिखलाते हैं किन्तु जिले में कोई सार्वजनिक शाला नहीं है और न किसी प्रसग पर सार्वजनिक शाला खोली गई है।

५ इस के साथ सलग्न पत्रक तैयार करने में अधिकाशत पर्वतीय प्रदेशों के जमीनदारों की ओर से मुझे कोई सतोषजनक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। इन सस्थानों पर तो पर्वत और सीमा क्षेत्रों में बोली जानेवाली वॉडीयाह भाषा को छोड़कर और कुछ सिखाया ही नहीं जाता।

श्रीकाकुलम्
२७ अक्तूबर १८२३

पी आर. केम्पलेट
समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

गंजाम जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला		ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
सुरदा	३	१२		१२	२		२	२४		२४			
मोहरी	४७	१०४		१०४	२०		२०	१००		१००	२४०	६	२४६
कलेक्टर	२२	७३		७३	११		११	११७		११७			
पालूर	३	९		९	६		६	३६		३६			
हुम्मा	२	५		५	४		४	१६		१६			
बीरडी	५	१०		१०	७		७	२९		२९			
पुरला केमेडी	२१	११३		११३	१०		१०	१३		१३	५१	२	५३
कुदर्सिंगी													
तरला													
चिकिटी	११	७		७				३		३			
गंजाम	३	११		११	१०		१०	१४		१४			
बरुवा	७	१२		१२	१८		१८	२०		२०	७१		७१
आसका	१७	८३		८३	३४		३४	९३		९३	२९		२९
कुमारी	७	३६		३६	१०		१०	७६	२	७८			
कुरिया	६	१३		१३	८		८	३२		३२			
पुरुषोत्तम	२							५		५	१५		१५

जिला		महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
सुरदा		३८		३८				३८		३८	२ ४६२	२ ५३१	४ ९९३
मोहेरी		४६४	६	४७०				४६४	६	४७०	१८ ७६०	१९ १०६	३७ ८६६
कलकट		२८१		२८१				२८१		२८१	६ ६९०	७ २००	१३ ८९०
पालूर		५१		५१				५१		५१	८३२	९९०	१ ८२२
कुम्मा		२५		२५				२५		२५	६६३	६६९	१ ३३२
बौरिसी		४६		४६				४६		४६	१ ६९४	१ ५५५	३ २४९
पुरला केमेडी		१८७		१८९				१८७	२	१८९	४६ ६७९	४४ ८२९	९१ ५०८
कुरर्दीसी											३०९	३९९	७०८
तराला											१ ६९०	१ ६०२	३ २९२
किमिडी		१०		१०				१०		१०	१ २५७	१ १८९	२ ४४६
गजाम		३५		३५				३५		३५	३ ७४६	४ ०१७	७ ७६३
बरवा		१२१		१२१				१२१		१२१	३ १००	३ ०८१	६ १८१
आसका	—	२३९		२३९	१७		१७	२५६		२५६	२ ६६२	२ ९०४	५ ५६६
कुम्मारी		१२२		१२४				१२२	२	१२४	१ ६८८	१ ४९९	३ १८७
कुरिया		५३		५३				५३		५३	१ ६९९	१ ६२७	३ ३४६
पुतलापाम		२०	-	२०				२०		२०	२ ३०६	२ १३२	४ ४३८

गंजाम जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला		ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
बेरमपुरम्													
चकपिठी													
कोदुरु													
घट्टलखालसा													
सेन्पारा													
बोदम													
सूरुगम													
जनस्दो													
मासाग्राम													
रघपुरम्													
चारुर्जी													
चिकित्सासा													
दुन्ध		–											
वेसार													
लक्ष्मणपुरम्													
सुरम्													

जिला		महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
		पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
गोपालपुरम्											६२२	५६६	११८८
पककिपी											७२३	५२२	१२४५
कोदुरु											११७३	८६९	२०४२
घट्टमालसा											३०८	१६५	४७३
सेदपाटा											२९	२०	४९
बोदाम											२५	२०	४५
सूसूराम											३६	३५	७१
जनपदे													
मालमाम											७४	५४	१२८
राजापुरम्											३०	२०	५०
जाराजेमी											४३४	३४८	७८२
चिदिक्लासा											७५२	६३१	१३८३
दुन्वा											३७४	२९७	६७१
ठेलारु											१२१७	१०२०	२२३७
लस्मनपुरम्											९१६	६५८	१५७४
सुदम्											९९	९८	१९७

गंजाम जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला		ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
पेत्ताकी	३	२		२	९		९	१		१	१६		१६
पुल्लाम	२	२३		२३				१		१	६		६
अथावलसा													
कुरुकवलसा													
इच्छापुर	३	८		८	४		४			४	१२		१२
मन्ताथी	३				४		४				३६		३६
सोनापुर	१				३		३	१७		१७			
पुरुकोथ	४३	२१६		२१६	१६		१६	१३५		१३५	१०५		१०५
तीरस्थानम्	१३	३०		३०	१४		१४	९१		९१			
मन्सूरकोट	२				६		६	१९		१९			
पत्तम	२७	२७		२७	३५		३५	३५		३५	२३४		२३४
बैरी	१										२४		२४
मरा	३	३		३	१०		१०	२		२	१७		१७
कृन्दवली	३	१		१	२		२	१८		१८	१०		१०
सम्तपुर	५	१०		१०				२०		२०	२०		२०
नागरकट्टम									–				–
दोसी													
पुरुषोत्तमपुर													
योग	२५५	८०८	–	८०८	२४३	–	२४३	१००१	२	१००३	८८६	१०	८९६

जिला		महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
पोलासी		२८		२८				२८		२८	४ ६९२	४ ०९५	८ ७८७
कुल्लाम		३०		३०				३०		३०	३ ७३६	३ २६९	७ ००५
अव्यक्वलसा											६९	६९	१३८
कुरुक्वलसा											३ ९३९	३ २२६	७ १६५
इच्छापुर		२८		२८				२८		२८	९ १८६	९ २६३	१८ ४४९
मन्नासी		४०		४०				४०		४०	२ ३०७	२ १८२	४ ४८९
सोनापुर		२०		२०				२०		२०	४ १३३	४ ११५	८ २४८
पुरुकोम		४७२		४७२	१		१	४७३		४७३	१७ १०२	१५ ९४७	३३ ०४९
तीरस्थानम्		१३५		१३५				१३५		१३५	५ ६२१	५ ३१३	१० ९३४
मन्सूरकोटा		२५		२५				२५		२५	२ ६७४	२ ३९०	५ ०६४
मदास		३३१	२	३३३	१		१	३४०	२	३४२	६ ०२४	५ ७७७	११ ८०१
बीरी		२४		२४				२४		२४	३ २२८	२ ९०६	६ १३४
पात्र		३२		३२				३२		३२	२ ०२७	१ ७७८	३ ८०५
कुन्दवली		३१		३१				३१		३१	१ १७२	१ ११३	२ २८५
सातूपुर		५०		५०				५०		५०	११ २८४	९ ६८९	२८ ९७३
नागरकट्टम											१ ४८६	१ ३८३	२ ८६९
दोसी											३ ९०९	३ २६६	७ १७५
पुरुषोत्तमपुर											२ ९१२	२ ६१७	५ ५२९
योग		२ ९३८	१२	२ ९५०	२७		२७	२९६५	१२	२ ९७७	१ ९६ ९७०	१ ७९ १११	३ ७५,२८१

२५

सेक्रेटरी टु गवर्नमेन्ट बोर्ड ऑफ रेवन्यू के प्रति २७-१-१८२५

(टीएनएसए बीआरपी खण्ड १०१० का २७-१-१८२५ नं ७-८ पृ ६७४-५)

१ समग्र देश में शिक्षा की स्थिति जानने के लिए सरकार उत्सुक है। मि हिल के दिनाक २ जुलाई १८२२ के पत्र से जानना चाहता हूँ, जिस के बारे में महामहिम गवर्नर-इन काउसिल के द्वारा मुझे निर्देश दिया गया है कि इस विषय में अलग अलग समाहर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के क्या निष्कर्ष हैं उसके बारे में यथाशीघ्र सरकार को जानकारी दी जाए।

२ अगर किसी समाहर्ता ने अब तक ऐसा ब्यौरा न भेजा हो तो आप शीघ्र ही इसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित करें। साथ ही जो भी जानकारी आप के पास है वह शीघ्र ही भेज दें।

फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज — जे स्टोक्स
२१ जनवरी १८२५ — सरकार के सचिव

२६

सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवन्यू, फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज कडप्पा के समाहर्ता के प्रति ३१-१-१८२५

(टीएनएसए बीआरपी खण्ड १०१० का ३१-१-१८२५ स ४२ पृ ८४१)

१ आप के जिले में शिक्षण की स्थिति का विवरण भेजने के लिए मेरे पूर्व के प्रशासक ने आपको दिनाक २५ जुलाई १८२२ को भेजे पत्र के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने मुझे सूचना दी है अतः यह परिप्रेक्ष्य की जानकारी यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करेंगे।

२ आपके जिले के पूर्व समाहर्ता को सभी मुद्दों पर विवरण भेजने के सम्बन्ध में विस्तृत जाच-पड़ताल के बाद अब बोर्ड का मतव्य है कि उसके आदेशों के अनुरूप यथाशीघ्र कार्यवाही करने में कोई कठिनाई न रहे।

३ आपको इस पत्र के साथ भेजे गए नमूने के पत्रक के अनुसार ही एक निवेदन तैयार करना उपयुक्त रहेगा।

फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज — जे केन्ट
३१ जनवरी १८२५ — सचिव

२७

कडप्पा के समाहर्ता बोर्ड ऑफ रेवन्यू के प्रति ११-२-१८२५
(टीएनएसए बीआरपी खण्ड १०११ का १७-२-१८२५
स ३३ पृ १२७२-६-७८)

१ आप के सचिव के दिनाक ३१ जनवरी के पत्र में इस जिले में शिक्षा की स्थिति के बारे में विवरण मागा गया था जिस के उत्तर में मैं आवश्यक पत्रक भरकर भेजता हूँ।

२ इस जिले में सरकार द्वारा अनुदान में दी गई ज़मीन या किसी भी प्रकार की आर्थिक सहाय के सहयोग से चलनेवाली एक भी शाला या कॉलेज नहीं है और इस प्रकार की किसी भी सस्था का अस्तित्व मेरी जानकारी में नहीं है।

३ हर प्रकार की शिक्षा निजी शिक्षकों के द्वारा अथवा तो गुरुओं के निवास पर रहनेवाले छात्रों को उन गुरुओं द्वारा अथवा तो शालाओं में दी जाती है। इसके लिए गाँव में रहनेवाले नागरिकों के द्वारा जिनके बच्चे अध्ययन करने के लिए जाते हैं सहायता दी जाती है। अधिकाश क्षेत्रों में सुबह होते ही बच्चे शाला में पहुँच जाते हैं और वहाँ १० बजे तक रहते हैं फिर अपने आवास पर वापस लौटते हैं और ११ $^1/_2$ बजे पुन शाला में पहुँच जाते हैं जहाँ वे सूर्यास्त तक रहते है। इन सब का खर्च विद्यार्थी ने की हुई प्रगति के अनुपात में किया जाता है। पढने लिखने के साथ अकगणित सीखने के बाद प्रत्येक का उस औसत में खर्च बढता जाता है। तथापि प्रारभ में तो वह खर्च साधारण होता है बाद में विद्यार्थी जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करता जाता है वैसे वैसे खर्च बढता जाता है। इस प्रकार अनुमानत मासिक औसत चार आने देने पड़ते हैं जो बढकर १ या १ $^1/_2$ रुपए तक जाता है किन्तु उससे अधिक कभी भी नहीं है। इस प्रकार की शालाओं में भी विज्ञान पढानेवाली कोई शाला मेरे ध्यान में नहीं आई। सामान्यत छोटे परिवारों में धर्म तत्त्वज्ञान कानून खगोल आदि निजी तौर पर पढाए जाते हैं। और फिर पिता पुत्र परपरानुसार वह ज्ञान परपरा चलती रहती है। इस प्रकार की शिक्षा देने वालों के लिए तो उनकी रुचि ही प्रमुख कारण रहता है। जिन ब्राह्मणों ने यह सिखाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया है वह उनके साथ सम्बन्धित होने के कारण उन्हें प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में छात्र गुरु के निवास पर ही रहते हैं और उनके परिवार के हिस्से बन गए होते हैं।

४ कडप्पा में अनेक शालाएँ स्वैच्छिक अनुदानों के द्वारा निभाई जाती हैं। फिर भी इन्हें सार्वजनिक सस्था तो नहीं कह सकते क्योंकि ये केवल उस स्थान के

यूरोपीय सज्जनों तक ही सीमित हैं।

५ ब्राह्मणों में बच्चा जब ५-६ वर्ष का होता है तभी से उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है और शूद्रों में ६ से ८ वर्ष के बाद शुरू होती है। इस अन्तर का कारण देते हुए एक ब्राह्मण ने बताया था कि शूद्रों की अपेक्षा उनकी जाति का बौद्धिक स्तर ऊँचा रहने के कारण यह अन्तर रहता है। उनके बच्चे निम्न जाति के बच्चों की अपेक्षा जल्दी शिक्षा ग्रहण करते हैं। देशी लोगों में शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य आदर्श आर्थिक उपार्जन ही हो सकता है। विद्यार्थी लिखने पढ़ने में अंकगणित में कुशल बन जाते हैं तब उनका अध्ययन पूरा हुआ मान लिया जाता है। इसके बाद उसे शाला से उठा लिया जाता है और शेष ज्ञान घर पर ही दिया जाता है। फिर वह उस प्राप्त ज्ञान को अपने पिता की दुकान में बैठकर और भी पक्का करता है। वहाँ हिसाब किताब लिखना चालू करता है। उसी समय उसे और विशेष ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है तो वह उसे प्राप्त करके हमारी सरकारी कचहरियों में नौकरी प्राप्त करता है। विद्यार्थी शाला में विद्या प्राप्त करता है वह अवधि (जो पूर्ण होने पर पढ़ाई पूरी हुई मानी जाती है) लगभग २ वर्ष है।

६ इस जिले में लगभग सभी गाँवों में इनामी ज़मीन अलग से अंकित की गई है। बोर्ड को जानकारी है ही कि यह पचांगम् ब्राह्मणों के लिए अलग ही रखी गई होती है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि कई ऐसे भी होंगे जो खगोल और धर्मतत्त्वज्ञान के मामले में कुशल होंगे। हालाकि इस विषय का शायद ही कोई प्रमाण प्राप्त होगा। साथ ही ऐसे ज़मीन प्राप्त करनेवाले विज्ञान की उच्च शाखाओं का अध्ययन छोड़कर अज्ञान रहकर ही संतोष से जीवन जीते हैं। उनकी अधिक से अधिक आकांक्षा तो लुनाई या विवाह के लिए शुभ समय बताने तक सीमित रहती है या उस गाँव के प्रमुख व्यक्तियों की जन्मपत्रिका तैयार करके ही वे संतोष मान लेते हैं।

७ लोगों द्वारा अनुदान प्राप्त करनेवाली कोई शाला या कॉलेज नहीं है। परंतु मुझे यह भी कहना चाहिए कि कई स्थानों पर ब्राह्मणों के द्वारा विद्या आदर के साथ प्राप्त की जाती है और गरीब लोग भी इसी प्रकार पढ़ाई पूरी करते हैं। १० से १६ वर्ष की आयु तक अगर विद्या प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण के पास आवश्यक साधन न हों तो वह अपना निवासस्थान त्याग देता है। फिर अपनी ही जाति के व्यक्ति उसे विद्याभ्यास में सहायता करने के लिए तैयार हों तो वह उनके निवास पर जाता है। उससे किसी भी प्रकार का खर्च नहीं मांगा जाता। हालांकि वे स्वयं गरीब होते हैं तो भी छात्रों को भोजन और वस्त्र देने की व्यवस्था करते हैं क्योंकि ऐसा न करने से

उनका बुनियादी आदर्श ही मारा जाता है।

८ बोर्ड स्वाभाविक रूप में प्रश्न करता है कि बच्चों को अपने गाँव में ही अध्ययन करने के लिए आवश्यक साधन क्यों नहीं है ? वह १० से १०० मील चलकर यात्रा करके जहाँ वे अपरिचित हैं वहाँ कैसे टिक सकते होंगे ? और वर्षों तक वापस न लौटने के इरादे से वहाँ कैसे रह सकते होंगे। उनका निर्वाह दान द्वारा किया जाता है जो हमेशा चलता रहता है। यह सहाय पूर्व में बताये कारणों से गुरुओं द्वारा तो सभवित ही नहीं है किन्तु साधारण तौर पर निवासियों द्वारा ही वह सहायता की जाती है। उन्हें प्रतिदिन (वर्षो तक) ब्राह्मणों के घरों से भिक्षा दी जाती है। वे अत्यत खुश होकर भिक्षा देते हैं क्योंकि वह देशी जीवनपद्धति का एक सम्माननीय प्रकार माना जाता है। हम इस शुभ परपरा के आभारी हैं। इस परपरा के द्वारा विद्या जिन्हें मिलती है वे उसके बिना तो बहुत ही गरीब स्थिति में पड़ गए होते। उपरात वे ज्ञान की तरक्की भी न कर पाते। इससे स्वाभाविक ही यह अदाजा लगाया जा सकता है कि इसे पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा उदार व पालक पिता के समान आर्थिक सहायता करना आवश्यक होगा।

९ इस जिले में दान के द्वारा चलनेवाली शालाओं जो कडप्पा के सज्जनों की सहायता से चलती हैं के नाम मैंने घरों की शालाओं की सूची में जोड़ दिए हैं।

१० इस विषय में अन्य जानकरी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है तथापि इसके साथ मैं विश्वास दिलाने की अनुमति लेता हूँ कि किसी भी प्रकार की अपूर्णता के प्रति आप निर्देश करेंगे वह पूरी की जाएगी।

११ इस स्तर पर मुझे जानकारी देने के लिए मैं मि व्हीली का आपके बोर्ड के समक्ष आभार अदा करने का मौका प्राप्त किए बिना यह पत्र पूरा नहीं कर सकता। उनके इस जिले में लबे निवास के दौरान उन्हें पूरे जिले में शिक्षा की स्थिति के बारे में जानने का सर्वाधिक अच्छा मौका भी प्राप्त हुआ था।

कडप्पा समाहर्ता की कचहरी
रायचूटी
११ फरवरी १८२५

जी एम ओगिल्वी
सहायक समाहर्ता इनचार्ज

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

कडप्पा जिले के तेहसीलों के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

क्रम	तेहसील	गाँव	विद्यालय संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जातिके छात्र		
				पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१.	कमल	१६	३४	८९	०	८९	१२१		२१२	११६	१७	१३३	१६		१६
२.	दुवर	१४	१४	४४		४४	४२		४२	१०	१०	२०	१४		१४
३	बदवल	९	१४	२०		२०	५८		५८	११		११	३२	३	३५
४	जम्मलमडुगु	३१	३५	१४९		१४९	१०८		१०८	६०	२	६२	२०५	६	२११
५.	द्वु	२५	४१	१५५		१५५	२१६		२१६	३९		३९	१३०	८	१३८
६.	कोलकल	२१	२८	८६		८६	१३९		१३९	२६		२६	९२	११	१०३
७.	सिदवल	३७	४६	८१		८१	८६		८६	२८९	५	२९४			
८.	सिकोट	१३	१५	२६		२६	३७		३७	६८		६८	२२		२२
९.	कनूर	११	४४	१९७		१९७	१६७		१६७	३१७	१४	३३१			
१०	कमलपुर	१७	२०	६५		६५	८९		८९	२४		२४	५५	११	६६
११.	जुम्मलेम	४९	६१	१०२		१०२	२११		२११	२२३	१३	२३६	६३		६३
१२.	पीलीमेरला	६७	७	१८४		१८४	२५१		२५१	३१६	११	३२७			
१३	रायोटी	१८	२६	५०		५०	८०		८०	८६		८६	१८		१८
१४	पुंगनूर	२९	४६	१६९		१६९	११६		११६	११०	६	११६			
	योग	३५७	४३१	१४१६		१४१६	१७१३		१७१३	१७७५	८१	१,८६०	६४७	३९	६८६

	योग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
	पु.	२ स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१	३४२	१७	३५९	३४		३४	३७६	१७	३९३	३९ ४१८	३४ ९८५	७४ ४०३
२	११०		११०				११०		११०	४० १५३	३४ ४६१	७४ ६१४
३	१२८	३	१३१	१३			१४१	३	१४४	२९ ६६९	२६ ७०४	५६ ३७३
४	५२२	८	५३०	३		३	५२५	८	५३३	३५ ८३६	३० ६९२	६६ ५२८
५.	५४०	८	५४८	१२		१२	५५२	८	५६०	३२ ९६८	२६ ८८६	५९ ८५४
६	३३५	११	३४६	५	१	६	३४०	१२	३५२	३८ २२५	३५ ३८५	७३ ६१०
७	४५६	५	४६१	३०		३०	४८६	५	४९१	४० ५१४	३५ ९९१	७६ ५८५
८	१५३		१५३	५		५	१५८		१५८	२२ ८६०	१९ ७२९	४२ ५८९
९.	६८१	११	६९२	१११		१११	७९२	१४	८०६	३३ ५०	३१ ५०४	३४ ८५४
१०	२३३	११	२४४	२		२	२३५	११	२४६	२३ ६१९	२० ६८९	४४ ३०८
११	५९९	१३	६१२	३०		३०	६२९	१३	६४२	८४ ०९१	७४ ९१५	१ ५९ ०६६
१२	७५१	११	७६२	४२		४२	७९३	११	८०४	६९ ०५२	६१ २२७	१ ३० २७९
१३	२३४		२३४	३२		३२	२६६		२६६	५२ ८८३	४७ ४९०	१ ०० ३७३
१४	४६७	६	४७३	२२		२२	४८९	६	४९५	३५ ४०३	३२ ३४१	६७ ८४४
योग	५५५१	१०४	५६५५	३४१	१	३४२	५८९२	१०८	६०००	५४८२२१	५१३००२	१०६१२२३

राय‌पट्टी समाहर्ता कचहरी
१७ फरवरी १८२५

जी एम ओगिविल
नायब समाहर्ता

२८

चेन्नाई के समाहर्ता बोर्ड ऑफ रेवन्यू के प्रति १२-२-१८२५

(टीएनएसए बीआरपी खण्ड १०११ का १४-२-१८२५ सं ८६ पृ ११९३-९४)

मेरे दिनाक १३ नवम्बर १८२२ के पत्र के सदर्भ में मैं जिसे अधिक सही मानता हूँ वैसी शालाओं के सदर्भ में दूसरा निवेदन भेजने का गौरव लेता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ कि मैंने पहले जिसका सदर्भ दिया था उस पत्र के साथ भेजे गए निवेदन के बदले में इसे स्वीकार करें।

चेन्नाई कचहरी
१२ फरवरी १८२५

एल जी के मरे
समाहर्ता

२९

बोर्ड ऑफ रेवन्यू सरकार के मुख्य सचिव के प्रति २१-२-१८२५ (टी एन एस ए बी आरपी खंड १०११ का २१-२-१८२५ पृ १४१२-२६)

१ ता २ जुलाई १८२२ के रेवन्यू विभाग के सरकारी सचिव के पत्र द्वारा प्रेषित सरकारी सूचनाओं के बारे में और सचिव श्री स्टॉक के गत महीने की ता २१ के सदर्भ में बोर्ड ऑफ रेवन्यू द्वारा मुझे आदेश दिया गया है कि माननीय गवर्नर इन काउन्सिल को इस सरकार के अधीन प्रांतों के अतर्गत शिक्षा की यथार्थ स्थिति के बारे में हालिए में लिखे गए पत्रव्यवहार के अनुरूप प्रस्तुत करना -

२५ जुलाई १८२२ को सभी समाहर्ताओं को भेजा गया परिपत्र

२७ अक्तूबर १८२३ गजाम के समहर्ता का पत्र सदर्भ ६ नवेम्बर १८२३
१४ अप्रेल १८२३ को विशाखापट्टनम के समाहर्ता का पत्र सदर्भ १ मई १८२३
१९ सितम्बर १८२३ राजामुद्री के समाहर्ता का पत्र सदर्भ २ अक्तूबर १८२३
३ सितम्बर १८२३ मछलीपट्टनम् के समाहर्ता का पत्र सदर्भ १३ जनवरी १८२३
९ सितम्बर १८२३ गुटुर के समाहर्ता का पत्र सदर्भ १४ जुलाई १८२३

चेन्नई जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला चेन्नई	विद्यालय संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
विद्यालय	३०५	३५८	१	३५९	७८९	९	७९८	३ ५०६	११३	३ ६१९	३१३	४	३१७
पर्षदीय विद्यालय	१७	५२		५२	४६	२	४८	१७२		१७२	१३४	४७	१८१
घरों में शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्र		७५८६	१८	७६८४	६१३२	६३	६१९५	७८०९	२२०	७८०९	३४४९	१३६	३५८५

महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
४ ९६६	१२७	५ ०९३	१४३		१४३	५ १०९	१२७	५ २३६	२८ ६३६	२३ ३४५	५१ ९८१
४०४	४९	४५३	१०		१०	४१४	४९	४६३			
२४ ७५६	५१७	२५ २७३	१ ६९०		१ ६९०	२६ ४४६	५१७	२६ ९६३			-

टिप्पणी : पुलीस अधीक्षक द्वारा ६ मई १८२३ को बनाये जनसंख्या गणना पत्रक से प्रस्तुत जनसंख्या लिखी गई है ।

चेन्नई कचहरी
१२ फरवरी १८२५

एल जी के मरे
समाहर्ता

२३ जून १८२३ नेल्लोर के समाहर्ता का पत्र सदर्भ ३० जून १८२३
१७ जून १८२३ बेल्लारी के समाहर्ता का पत्र सदर्भ २५ अगस्त १८२३
११ जून १८२३ कडप्पा के समाहर्ता का पत्र संदर्भ १७ फरवरी १८२५
३ जून १८२३ चेंगलपट्ट के समाहर्ता का पत्र सदर्भ ७ अप्रैल १८२३
३ जून प्रधान समाहर्ता उत्तर आर्कोट का पत्र सदर्भ १० मार्च १९२३
२९ जून प्रधान समाहर्ता दक्षिण आर्कोट का पत्र सदर्भ ७ जुलाई १८२३
८ जून सेलम के समाहर्ता का पत्र सदर्भ १४ जुलाई १८२३
२८ जून तजावुर के प्रधान समाहर्ता का पत्र सदर्भ ३ जुलाई १८२३
२३ जून त्रिचिनापल्ली के समाहर्ता का पत्र सदर्भ २८ अगस्त १८२३
५ फरवरी मदुरा के समाहर्ता का पत्र सदर्भ १३ फरवरी १८२३
१८ अक्टूबर २८ अक्टूबर और ७ नवम्बर १८२३ तिनेवेली के समाहर्ता का पत्र सदर्भ १८ नवम्बर १८२२
२३ नवम्बर कोइम्बतूर के प्रधान समाहर्ता का पत्र सदर्भ २ दिसम्बर १८२२
५ अगस्त मलबार के प्रधान समाहर्ता का पत्र सदर्भ १४ अगस्त १८२३
२७ अगस्त कनारा के प्रधान समाहर्ता का पत्र सदर्भ ५ सितम्बर १८२३
२९ अक्टूबर श्रीरंगपट्टम् के नायब समाहर्ता का पत्र सदर्भ ४ नवम्बर १८२२
१३ अक्टूबर मद्रास समाहर्ता का पत्र १४ नवम्बर १८२२ और १२ अक्टूबर, सदर्भ १४ फरवरी १८२५

२ अनेक समाहर्ताओं के विवरणों से तैयार किया गया साररूप विवरण सरकार को अपेक्षित जानकारी स्पष्ट रूप में प्राप्त हो जाए इस आशय से प्रस्तुत किया है।

३ यह साराश सरकार के भेजे गए पत्रक में विशेष कॉलम के साथ है जिसमे जनगणना पत्रक के अनुरूप प्रत्येक जिले की जनसख्या प्रस्तुत की गई है। कई समाहर्ताओं की यह संख्या अलग ही दिखाई देती है। विशेष टिप्पणी में सारिणी में सरकार ने मागी वह जानकारी प्रस्तुत की है कि शाला में छात्र सामान्य तौर पर कितने समय तक रहते हैं। साथ ही छात्रों का मासिक व वार्षिक खर्च तथा संक्षेप में और भी कई जानकारियाँ दी हैं।

४ देखने से ज्ञात होता है कि देश में अवस्थित शालाएँ अधिकांश लोगों के द्वारा दी गई धनराशि के आधार पर चलती हैं। अलग अलग जिलों में विद्वानों को दिये जानेवाले वेतन में अंतर देखा गया है और वह छात्रों के मातापिता की स्थिति के

अनुरूप सामान्यत मासिक १ आने से चार रुपए है। गरीब वर्गों में सामान्यत चार आने या आधे रुपये से तो अधिक मुश्किल से दिखाई देता है।

५ कुछ जिलो में शालाओं तथा कॉलेजों को सहयोग देने हेतु दान दिया जाता है। राजमुद्री में विज्ञान के लगभग ६९ शिक्षकों के पास दान में प्राप्त ज़मीन है और इससे पहले ज़मीनदारों ने दिए धन से १३ को भत्ते मिलते थे। नेल्लोर में कुछ ब्राह्मण और मुसलमान व्यक्ति ज़मीन और धन के रूप में भत्ते प्राप्त करते हैं। जो कर्णाटक सरकार के द्वारा क्रमशः वेद और अरबी तथा फारसी पढाए जाने के लिए होते हैं और प्रति वर्ष रु १ ४६७ होते हैं।

उत्तर आर्कोट के २८ कॉलेज पूर्व की सरकार ने मजूर किए मान्यम् और माराहों के सहयोग से चलते हैं। उससे प्रति वर्ष रु ५१६ की राशि प्राप्त होती है। ६ फारसी शालाएँ सार्वजनिक खर्च से चलती हैं जिनका खर्च रु १ ८६१ जितना आता है। सेलम में इनकी ज़मीन से प्रतिवर्ष लगभग रु १ १०९ आय होती है जिसका उपयोग धर्मशास्त्र आदि के २० शिक्षकों को सहायता करने में होता है। एक मुसलमान शाला को प्रति वर्ष रु २० की आय होनेवाली ज़मीन शाला के लिए मजूर की गई है। तजावुर में ४४ शालाओं और ७१ कॉलेजों को राजा का दान मिलता है। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या स्थापित कोई शाला या कॉलेज नहीं है। जिन्हे तजावुर के सर्वमान्यम् मिशन ने स्थापित किया है उसकी वार्षिक लागत १ १०० रु है। त्रिचिनापल्ली जिले में ७ शालाओं को झामोरिन राजा ने दान में दी हुई ४६ फणी जितनी आय है। इसके साथ पहले की सरकार द्वारा दी गई ज़मीन है। मलबार में उसका एक ही कॉलेज है।

६ समाहर्ताओं के विवरणों से यह पता नहीं चलता कि कोई सार्वजनिक दान आलेख और कोइम्बतूर को छोड़कर शिक्षा को आगे बढाने के लिए उसके बुनियादी आदर्श को दान या ज़मीन बाँटी गई हो। सेलम के समाहर्ता बताते हैं कि रु ३८४ का उत्पादन भी कृषि योग्य ज़मीनें ब्रिटिश सरकार ने देशको कब्जे में लिया उससे पूर्व इस आदर्श के लिए उपयोग में ली जाती थी। तत्पश्चात्, उसका उत्पादन सरकारी राजस्व में जोड़ दिया गया है। कोइम्बतूर के प्रधान समाहर्ता बताते हैं कि पूर्व के समय में *कॉलेजों के निर्वाह के लिए दान में प्राप्त मान्यम् आदि की कीमत २ २०८ रु होती है।* आखिर मुसलमान या ब्रिटिश सरकार ने वह पुन शुरू की है।

७ बेलारी के स्वर्गस्थ समाहर्ताने अपने विवरण में बताया था कि उस जिले

में अभी चल रही एक भी शिक्षासस्था राज्य की सहायता प्राप्त नहीं करती। ऐसे सन्देह को भी स्थान नहीं है कै पूर्व के समय में खास करके हिन्दू सरकार के शासन में बड़े बड़े अनुदान और पैसे और प्रमीन के स्वरूप में विद्याभ्यास हेतु दिए जाते थे। यह अभिमत भी व्यक्त किया था कि अभी जिलेमें जो ब्राह्मण उनके मूल याम्य और श्रोत्रियों में खोजे जा सकते हैं। उसका अवलोकन था कि पूर्व की सरकार ने जो अनुदान आदि दिए थे उनका कोई नामनिर्देश या शर्त तक नहीं है। वे सभी राज्यकर्ता की सत्ता से मुक्त रूप से दिए जाते थे जो कुछ पवित्र विद्वानों की सहायता हेतु ही थे। तथापि वे सभी अनुदान एक साथ अनेक छात्रों के लिए निःशुल्क रूप से शालाएँ चलानेवाले और पढानेवाले विद्वान या धार्मिक पुरुषों को दिए जाते थे ऐसा निश्चित निर्देश है। यह पता नहीं चलता कि श्री कैम्पबेल ने किस आधार पर यह अभिमत इतने विश्वास से व्यक्त किया था कि निर्देशित अनुदान स्वेच्छा से नि शुल्क तौर पर पढाना चालू रखनेवालों के लिए ही दिया जाता था। यह निश्चित है कि जाच पड़ताल का कोई सार्थक परिणाम नहीं था। श्री कैम्पबेल ने शिक्षा में सुधार हेतु उन्होंने जो खर्च बताया था उसकी व्यवस्था हेतु सूचित किया था कि 'याम्या भूमि जिसके स्वामी का स्वर्गवास हो गया है और अब खाली पडी है उसके सम्बन्ध में नये से जाच की जाए और भले ही वह एक या दो पीढी से भी अधिक समय के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी चालू रखी हो उसे नये से शिक्षानिधि' के रूप में व्यवस्थित की जाए। जब तक यह न सिद्ध हो जाए कि इस जमीन के कोई वारिस हैं या उस समय के दान देनेवाले की ऐसी ही इच्छा थी और उन प्रमाणों से सरकार की सन्तुष्टि न हो जाए तब तक उसका समावेश शिक्षानिधि' में करना चाहिए।

कैम्पबेल ने बताई अदल बदल हो गई प्रमीन को पुनः काम में लाने से निर्धारित आदर्शों के लिए धन-राशि फिर से प्राप्त होगी इसमें बोर्ड को कोई सन्देह नहीं है किन्तु वे सोचते हैं कि अदलबदल की हुई प्रमीन वापस करवाना और शालाओं के लिए सहयोगी निधि स्थापित करना इन दोनों उद्देश्यों को अलग ही रखे जाएँ। सामान्य योजना के अन्तर्गत देश के प्रत्येक हिस्से में शालाएँ खड़ी करने का उद्देश्य शिक्षा को पुनः गतिशील बनाने की लोगों की इच्छा द्वारा नियंत्रित होना चाहिए और किसी भी रूप में अलग अलग स्थितियों में निश्चित निधि की राशि कम ज्यादा होने की आकस्मिक स्थिति पर आधार नहीं रखना चाहिए।

८ अभी लिखे गए श्री कैम्पबेल के निर्देश के बारे में ऐसा तय करने का बोर्ड

सोच रहा है कि इस समय उनको बताई योजना और इसके बारे मे सामान्य विचार या शिक्षासुधार के बाद में बहस अनावश्यक है क्योंकि फिलहाल तो सरकार की यह इच्छा है कि शिक्षा की वास्तविक स्थिति कैसी है उसी की जानकारी प्राप्त करें जिससे कौनसी क्षति दूर करने के लिए क्या किया जाए वह ज्ञात हो सके।

९ अभी प्रस्तुत किए गए प्रत्येक विवरण के अनुरूप दोष अत्यत बडे हैं। जनगणना के हिसाब के लगभग साडे बारह करोड़ से अधिक जनसख्या में केवल १ ८८ ००० लोग ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो लगभग $१३^{१}/_{४}$ प्रतिशत है जो अत्यत असतोषजनक है।

१० कहा गया है कि केनेरा (कर्णाटक) में शालाओं की सख्या के बारे में कोई निवेदन नहीं किया गया है। स्व प्रधान समाहर्ता ने बताया था कि जिले में शिक्षा निजी तौर पर इतनी चलती है कि शालाओं की सख्या और उसमें कार्यरत विद्वानों की सख्या की प्रस्तुति का कोई अर्थ नहीं है किन्तु उनके स्थान पर शिक्षा प्राप्त करनेवाली जनसख्या का अदाज निकालना तर्कहीन माना जाएगा । उन्होंने बताया था कि सामान्यत केनेरा (कर्णाटक) में ऐसा एक भी कॉलेज नहीं है जिसमें सैद्धातिक विज्ञान का पोषण होता हो और फिर ऐसी निश्चित शाला या शिक्षक भी नहीं है। उपर्युक्त वर्णनयुक्त सस्था का एक भी प्रमाण नहीं है जिसे किसी भी प्रकार से सरकार की सहायता प्राप्त हुई हो।

११ श्री हेरिसन के अवलोकन के बावजूद बोर्डने यह आवश्यक माना है कि अभी के प्रधान समाहर्ता को बुलाकर शालाओं के बारे में अभिमत मगवाया जाए जो सरकार द्वारा भेजे गए नमूने के अनुरूप तैयार किया गया हो और प्राप्त होते ही उसे माननीय गवर्नर इन काउन्सिल को प्रस्तुत किया जाए।

फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज — जे हेन्ट

२१ फरवरी १८२५ — सचिव

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर है)

विभिन्न जिलों के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१ गंजाम	विद्यालय २५५ महाविद्यालय	८०८		८०८	२४३		२४३	१ ००१	२	१ ००३	८८६	१०	८९६
२ विशाखापट्टनम्	विद्यालय ९१४ महाविद्यालय	४ ४४८	९९	४ ५४७	९८३		९८३	१ ९९९	७३	२ ०७२	१ ८८५	१३१	२ ०१६
३ राजमहेन्द्री	विद्यालय २९१ महाविद्यालय	१०४ २७९	३ १ ४४९	१०७ १७२८	६५३ १ ४४९		६५३	४६६	६	४७२	५४६ ५	२८	५७४ ५
४ मछलीपट्टनम	विद्यालय ४८४ महाविद्यालय ४९	१ ६९१ १९९	१	१ ६९२ १९९	१ १०८		१ १०८	१ ५०९	१	१ ५१०	४७०	२९	४९९
५. गुंटूर	विद्यालय ५७४ महाविद्यालय	३ ०८९	५	३ ०९४	१ ५७८		१ ५७८	१ ९२३	३७	१ ९६०	७७५	५७	८३२
६ नेल्लोर	विद्यालय ८०४ महाविद्यालय	२ ४६६		२ ४६६	१ ६४१		१ ६४१	२ ४०७	५५	२ ४६२	४३२		४३२
७ बेल्लारी	विद्यालय ५३३ महाविद्यालय	१ १८५	२	१ १८७	९८१	१	९८२	२ ९९८	२६	३ ०२४	१ १७४	३१	१ २०५
८. कडप्पा	विद्यालय ४९४ महाविद्यालय	१ ४१६		१ ४१६	१ ०१३		१ ०१३	१,७७५	६८	१ ८४३	६४७	३९	६८६
९. सेरिंगपट्टम	विद्यालय ५०८ महाविद्यालय ५१	८५८ ३९८	३	८६१ ३९८	४२४		४२४	४ ८०९	७९	४ ८८८	४५२	३४	४८६
१० उत्तर आर्काट	विद्यालय ६३० महाविद्यालय	१ ११६ ६९	१	१ ११७	६३०		६३०	४ ८५९	३२	४ ८८८	५३८	८	५४६

	योग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दु एवं मुसलमान छात्र			कुल जनसंख्या			३ जनवरी ४ मई एवं ४ सितम्बर १८२३को सरकार द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या
	पु	२ स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	
१	२९३८	१२	२९५०	२७		२७	२९६५	१२	२९७७	१९६१७०	१०९१११	३०५२८१	२३२०१५
२	९३१५	३०३	९६१८	९७		९७	९४१२	३०६	९७१५	४८२८५२	४५८१५२	९४१००४	७७२५७०
३	२५६१ १४५४	३७	२६०६ १४५४	५२		५२	२६२१ १४५४	३७	२६५८ १४५४	३९३५१२	३४४७९६	७३८३०८	७३८३०८
४	४७७५ ११९	३१	४८०६ ११९	२७५	२	२७७	५०५० ११९	३३	५०८३ ११९	२८९१६६	२४०६८३	५२९८४९	५२३८४९
५	७३६५	५५	७४२०	६१७	३	६२०	७५६३	५८	७६२१	४३२५४०	४०६९२७	८३९४६७	८३९४६७
६	६९४६	५५	७००१	६१७	३	६२०	७५६३	५८	७६२१	४३२५४०	४०६९२७	८३९४६७	८३९४६७
७	६३३८	६०	६३९८	२४३		२४३	६५८१	६०	६६४१	४८९६७३	४३८१८४	९२७८५७	९२७८५७
८	५५५१	१०७	५६५८	३४१	१	३४२	५८९२	१०८	६०००	५७८४६१	५१५९९९	१०९४४६०	१०९४४६०
९	६९४१	११६	७०५७	१८६		१८६	७१२७	११६	७२४३	१९०२४३	१७२८८६	३६३१२९	३६३१२९
१०	७१४०	४१	७१८१	५५२	११	५६३	७६९२	५२	७७४४	२९९५३९	२७८४८१	५७८०२०	८९२२९२

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
११. दक्षिण आर्काट	विद्यालय ८७५ महाविद्यालय	९९७		९९७	३७०		३७०	७९३८	९४	८०३२	८६२	१०	८७२
१२ सेलम	विद्यालय ३३३ महाविद्यालय	७८३ १०९	७६९	७८३	३२४ ७६९		३२४	१६०१	३	१६०४	१३८२	२८	१४१०
१३ तंजावुर	विद्यालय ८८४ महाविद्यालय १ १	३१८६ ७६९		३१८६ ७६९	२२२		२२२	१०६६१	१२५	१०७८६	२४५६	२९	२४८५
१४ त्रिचिनापल्ली	विद्यालय ७९० महाविद्यालय १	११९८ १३१		११९८ १३१	२२९		२२९	७७४५	६६	७८११	३२९	१८	३४७
१५ मदुरा	विद्यालय ८४४ महाविद्यालय	११८६		११८६	११९९		११९९	७२४७	६५	७३१२	२९७७	४०	३०१७
१६ तिन्नेवेली	विद्यालय ६०७ महाविद्यालय	२०१६		२०१६				२८८९		२८८९	३५५७	११७	३६७४
१७ कोयम्बतूर	विद्यालय ७६३ महाविद्यालय १०३	९९८ ७२४		९९८ ७२४	२८९		२८९	६३७९	८२	६४६१	२२६		२२६
१८. केनरा	विद्यालय महाविद्यालय												
१९. मलबार	विद्यालय ७५९ महाविद्यालय १	२२३० ७५	५	२२३५ ७५	८४	१३	९७	३६९७	७०७	४४०४	२७५६	३४३	३०९९
२० नीलम पहाड़	विद्यालय ४१ महाविद्यालय	४८		४८	२३		२३	२९८	१४	३१२	१५८		१५८

	योग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुसलमान छात्र			कुल जनसंख्या			१ जनवरी ४ मार्च एवं ४ दिसम्बर १८२३को सरकार द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या
	पु	२ स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	
११	१०१८७	१०४	१०२७१	२५२		२५२	१०४९९	१०४	१०५२३	२१७९७४	२०२५५६	४२०५३०	४५५०२०
१२	४१६०	३१	४१९१	४३२	२७	४५९	४५९२	५८	४६५०	५४२५००	५३३४८५	१०७५९८५	१०७५९८५
१३	१६४९५ ७६९	१५४	१६६४९ ७६९	९३३		९३३	१७४२८ ७६९	१५४	१७५९२ ७६९	१९५५२२	१८७१४५	३८२६६७	९०१३५३
१४	९५०१ ९३१	८४	९५८५ ९३१	६९०	५६	७४६	१०१९१ ९३१	१४०	१०३३१ ९३१	२४७५६९	२३३७२३	४८१२९२	४८१२९२
१५	१२५२९	१०५	१२६३६	११४७		११४७	१३६७६	१०५	१३७८१	४०१५१५	३८६६८१	७८८१९६	७८८१९६
१६	८४६२	११७	८५७९	७९६	२	७९८	९२५८	११९	९३७७	२८३७१९	२८१२३८	५६४९५७	५६४९५७
१७	७८१२	८२ ७२४	७८९१	३१२ ७२४		३१२	८१२४ ७२४	८२	२०६ ७२४	३१६९३१	३२१२६८	६३८१९९	६३८१९९
१८													
१९	८७६७ ७५	१०८६	९८३५ ७५	३९९६	११२२	४३१८	११९६३ ७५	६१३	१४९५३ ७५	४५८३६८	४४९२०७	९०७५०५	९०७५०५
२०	५२७	१४	५४१	८६		८६	१४	५१०९	६२७	१६७६१	१४८५१	३१६१२	३१६१२

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
२१. बंबई	विद्यालय ३०५ महाविद्यालय	३५८	१	३५९	७८९	९	७९८	३५०६	११३	३६१९	३१३	४	३१७
२२ कर्नाटक	विद्यालय १७ महाविद्यालय	५२		५२	४६	२	४८	१७२		१७२	१३४	४७	१८१
२३ निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्र	विद्यालय महाविद्यालय	७५८६	९८	७६८४	६१३२	६३	६१९५	७५८९	२२०	७८०९	३४४९	१३६	३५८५
योग		१२४४९८	२१८	४२५०२	११५८१	८८	११६६९	८३५३२	१८६८	८५४०	२६३७९	११३९	२७५१६

	योग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दु एवं मुसलमान छात्र			कुल जनसंख्या			३ फरवरी ४ मई एवं ४ दिसम्बर १८२३को सरकार द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या
	पु.	२ स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	
२१	४९६६	१२७	५०९३	१४३		१४३	५१०९	१२७	५१३६	२३३४१५	२२८६३६	४६२०५१	४६२०५१
२२	४०४	४९	४५३	१०		१०	४१४	४९	४६३				
२३	२४७५६	५१७	२५२७३	१६९०		१६९०	२६४४६	५१७	२६९६३				
योग	१७१७७६	३३१२	१७५०८९	१२३३४	१२२७	१३५६१	१८४१००	४५४०	१८८६५०	६५०२६००	६०९१५९३	१२५९४१९३	१२८५०९४१

दो रुपए तक मासिक शुल्क शिक्षा के लिए लिया जाता है। जब छात्र कॉलेज में अलग अलग विषय पढ़ता है तब साधन सामग्री आदि के लिए मासिक तीन रुपयों की राशि पर्याप्त होती है।

नेल्लोर

टिप्पणी दर्शाती है कि समाज के आर्थिक सहयोग के बिना अनेक शालाएँ जिले में चलती हैं। पत्रक (२९)में बताए अनुरूप छब्बीस व्यक्तियों के पास छात्र हैं। इनमें १५ ब्राह्मण और ११ मुसलमानों को कर्णाटक राज्य द्वारा वेदाभ्यास और अरबी तथा फारसी सिखाने के लिए पैसे और ज़मीन के रूप में अनुदान मिलता है। वार्षिक कुल रु १ ४६७ की राशि अनुदान के तौर पर मिलती है। बच्चों को पाच वर्ष की आयु में वहाँ प्रवेश करवाया जाता है और अधिकाश ५ वर्ष तक शाला में उनकी पढ़ाई होती है। प्रति छात्र शिक्षक को मासिक दो आने से लेकर चार रुपए तक की राशि मिलती है। छात्र को एक रुपया लिखाई की सामग्री के लिए विशेष राशि दी जाती है और उसके निर्वाह हेतु मासिक तीन रुपए की राशि गिनी गई है। शिक्षक के निश्चित वेतन के लिए विशेष अवसरों पर छात्र से उपहारादि दिए जाते हैं।

शालाएँ स्थायी रूप से नहीं चलती हैं। कई परिस्थिति पर आधारित रहती हैं। कई शालाएँ कई परिवारों के द्वारा विशेष करके अपने बच्चों की शिक्षा हेतु शुरु की गई हैं जो पूरी होने पर बद कर दी जाती हैं। इस टिप्पणी में दर्शित जनसख्या के आंकडे वहाँ के जमीनदारों की सख्या पर आधारित है राज्य के जनसख्या के आंकड़ों पर आधारित नहीं है।

बेल्लारी

इस जिले में राज्य की ओर से प्राप्त सहायता द्वारा एक भी शाला नहीं चलती है। नियमित रूप में एक भी कॉलेज नहीं चलता है किन्तु लगभग २३ उदाहरण ऐसे है जहा ब्राह्मणों द्वारा कई विद्याशाखाओं की शिक्षा दी जाती है। संस्कृत भाषा में भी अशत शिक्षा दी जाती है। बच्चे पाँच वर्ष की आयु में शाला में प्रवेश लेते हैं। धनिक माता पिता के बच्चे १४ या १५ वर्ष की आयु तक अध्ययन पूरा करते हैं ऐसा भी दिखाई देता है।

अलग अलग कक्षा में पढ़ाई करनेवाले छात्रों के लिए अलग अलग वेतन शिक्षकों को प्राप्त होता है। जब बालक प्राथमिक वर्णमाला और अकज्ञान प्राप्त करता है तब चार आना और जब बालक कागज़ पर लिखता पढ़ता है तथा गणित जैसे

विषय का पठन शुरु करता है तब आधा रुपया मासिक शुल्क दिया जाता है ।

प्रगत अध्ययन के लिए माता पिता के आर्थिक साधन की अपेक्षा अधिक शुल्क की माग होती है और उनके बच्चों को पढाई अधूरी छोडनी पडती है । कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को आधी अधूरी तो क्या आशिक शिक्षा भी नहीं मिलती है। पहले की अपेक्षा सामान्य पढाई का प्रचार बहुत ही कम हो गया है। अधिकाश गाँवों में जहाँ पहले शालाएँ थीं वहाँ आज एक भी नहीं है और कई गाँवो में जहाँ कॉलेज थे वहाँ धनिक लोगों के इनेगिने बच्चे शिक्षा प्राप्त करते है तथा अधिक शुल्क की माग होती है । गरीबी के कारण पैसे न दे पानेवाले छात्र उच्च शिक्षा से वचित ही रह जाते हैं। प्राचीन समय की तरह विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों में उनके शिष्यों को नि शुल्क शिक्षा दी जाती है।

कडप्पा

इस जिले में दान में मिली ज़मीन या राज्य सरकार की ओर से प्राप्त अनुदान के आधार पर चलनेवाली शिक्षा की एक भी सस्था नहीं है । विगत वर्षों में ऐसी सस्थाएँ चलती होगी इसका पता नहीं है। जो शालाएँ आज हैं वे छात्रों के अभिभावकों के सहारे चल रही हैं । शुल्क देने के अनुपात में छात्र जैसे जैसे उपर की कक्षा में आगे बढता जाता है वैसे वैसे वृद्धि होती जाती है । सबसे नीचे का दर मासिक औसतन $^1/_४$ रुपया है जो एक रुपए तक बढता है । सवा रुपए से आगे बढने की समावना नहीं रहती। ब्राह्मण जातिमें बालक को ५ से ६ वर्ष की आयु में शाला में भेजा जाता है । शूद्र जाति में ६ से ८ वर्ष की आयु में शाला में भेजा जाता है । इन बच्चों को दो वर्ष से कम समय में लिखाई-पढाई और आवश्यक गणित का ज्ञान प्राप्त कर लेना रहता है। बाद में इस ज्ञान में स्वय ही अपने घर में दुकान में या किसी सार्वजनिक कार्यालय में अनुभव से सुधार करना होता है। कडप्पा की धर्मार्थ शालाएँ ही इस जिले की प्रमुख शालाएँ हैं । ये शालाएँ वहाँ यूरोपीय सज्जनों की सहायता से चलती हैं। दूसरे विषयों में शिक्षा देनेवाली एक भी शाला या कॉलेज नहीं है । जो छात्र अपने गुरु के घर पर रहकर निजी तौर पर अध्ययन करते हैं उन्हें धर्मशास्त्र कानून और खगोल विज्ञान की शिक्षा दी जाती है । उपरात शाला में प्राप्त शिक्षा के अतिरिक्त विशेष प्रकार की शिक्षा जिन छात्रों के माता पिता धनवान हैं उन्हें प्राप्त होती है। कई स्थानों पर तो जिन ब्राह्मण छात्रों के अभिभावकों की पैसे खर्च कर सकने की सभावना नहीं है उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसलिए ब्राह्मण युवा वर्ग को शिक्षा प्राप्ति के लिए

अपना घर त्याग कर गुरु जिस गाँव में रहते हैं वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ के ब्राह्मणों का दान के सहारे निर्वाह चलता है।

चेंगलपट्ट

इस जिले में एक भी व्यवस्थित कॉलेज नहीं है। कुछ स्थानों पर उच्च शिक्षा दी जाती है। जहाँ अल्प सख्या में छात्र पढ़ते हैं। गाँव का शिक्षक ३$^1/_2$ रुपए से लेकर १२ रुपए तक मासिक वेतन प्राप्त करते हैं। औसतन मासिक आय ७ रूपये से अधिक नहीं है। शिक्षा के लिए स्थानीय राज्य की ओर से कोई राशि दी जाती हो ऐसा नहीं लगता फिर भी कुछ गाँवों में धर्मशास्त्र के शिक्षक के लिए $^1/_4$ कणी से २ कणी तक की ज़मीन दान में दी जाती है जो नहीं के बराबर है।

उत्तर आर्कोट

जिले में स्थित ६९ कॉलेजो की सख्या टिप्पणी क्रमाक २ जिले के प्रधान समाहर्ता की ओर से प्रस्तुत की गयी है उनमें ४३ में धर्मशास्त्र २४में कानून आदि और २ में खगोलशास्त्र पढ़ाया जाता है। इनमें २८ महाशालाएँ मठों के द्वारा और मुस्लिम धर्मसस्थानों के द्वारा चलाई जाती हैं। यह मठ और मुस्लिम धर्म सस्थाओं का पूर्व की राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त वार्षिक ५१६ रुपयों की दान राशि से निभाव होता है। प्रत्येक शिक्षक को प्राप्त वेतन नीचे की कक्षा के लिए ३ से ८ रुपए रहता है। जब कि उच्च कक्षा के शिक्षक के लिए ३६ रुपयों से १२ रुपए तक की राशि दी जाती है। शेष अधिकाश शालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कुछ शालाएँ छात्रों के साधारण सहयोग से ही चलती हैं। कॉलेजों में ८ से १२ वर्ष की अवधि रहती है।

केवल तीन हिन्दू शालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। शेष शालाओं का निर्वाह छात्रों के शुल्क के द्वारा सपन्न होता है। यह शुल्क की राशि मासिक एक आना या तीन पैसे से लेकर एक रुपए से १२ आना तक की होती है। वार्षिक १ ३६१ रुपयों के खर्च से ६ फारसी शालाएँ छात्रों की शुल्क राशि से चलती हैं शुल्क मासिक २ आने ६ पैसे से लेकर दो रुपए तक का रहता है। हिन्दू शालाओं में छात्र ५ से ६ वर्ष तक अध्ययन करते हैं। मुस्लिम शालाओं में यह समय ७ या ८ वर्ष का रहता है। ७ अंग्रेजी शालाओं में ३ शालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है जबकि शेष में प्रत्येक छात्र का मासिक शुल्क १० आने से लेकर ३ रुपए ८ आने तक रहता है। इस टिप्पणी से ऐसा लगता है कि इस सूची में ज़मीनदार और फसल काटनेवाले दाता की सख्या का समावेश नहीं होता है। यह सख्या बस्ती का बड़ा हिस्सा है। उसकी

बस्ती लगभग ३ लाख है ।

दक्षिण आर्कोट

स्थानीय राज्य सस्था की ओर से जिले की किसी भी शाला को अनुदान नहीं मिलता । धर्मशास्त्र कानून खगोलादि विषय सिखाने के लिए एक भी निजी सस्था नहीं है। एक फेनम से लेकर १ पेगोडा तक का मासिक शुल्क छात्र देते हैं। उस राशि से शालाओं का निर्वाह होता है।

सेलम

इस जिले में प्रजा द्वारा एक भी हिन्दू शाला नहीं चलती है। केवल एक ही मुस्लिम शाला के पास थोडी जमीन है जिसकी वार्षिक आय से २० प्रतिशत जितना आधार मिल जाता है। इस शाला के पूर्व के एक गुरु के पास छोटी ज़मीन जागीरदारी थी उससे ५६ रुपए वार्षिक आय होती थी किन्तु उस गुरु की मृत्यु के बाद उसकी आजीवन जागीरदारी का अत हो गया । शाला में ३ से ५ वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है । हिन्दु शालाओं में प्रत्येक छात्र से वार्षिक शुल्क ३ रुपये से कम नहीं लिया जाता जब कि मुस्लिम शालाओं में १५ से २० रुपए तक का वार्षिक व्यवहार रहता है। धर्मशास्त्र कानून खगोल पढानेवाले २० जितने शिक्षकों के लिए इनामी ज़मीन से १ १०९ रु की वार्षिक आय होती थी। वर्तमान के प्राध्यापक अपना कर्तव्य निभाते हैं। पूर्व के वर्षों में इसी हेतु के लिए जमीनों से प्राप्त वार्षिक आय ३८४ रुपयों से उपर्युक्त शिक्षा का निर्वाह खर्च हो पाता था किन्तु ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना देश में होने से पहले यह ज़मीन अलग की गई और उससे होनेवाली आमदनी को राज्य की राजस्व आय में जोड़ दी गई ।

तजावुर

जिले में स्थित शालाओं में ४४ शालाओं में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है। शेष शालाओं में प्रति छात्र मासिक ४ फेनम के दर से होनेवाली आमदनी से निर्वाह होता है ।

लगभग १९ मिशनरी शालाओं में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है । ऐसा लगता है कि इस सूची में बहुत सी शालाओं की सख्या का समावेश नहीं किया गया। २१ शालाओं में गुरुजनों को राजाओं की ओर से वेतन प्राप्त होता है और एक शाला के शिक्षकों का निर्वाह खर्च त्रिवेलोर पेगाडा धर्म सस्थान के द्वारा किया जाता है। शेष

अपना घर त्याग कर गुरु जिस गाँव में रहते हैं वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ के ब्राह्मणों का दान के सहारे निर्वाह चलता है।

चेंगलपट्ट

इस जिले में एक भी व्यवस्थित कॉलेज नहीं है। कुछ स्थानों पर उच्च शिक्षा दी जाती है। जहाँ अल्प सख्या में छात्र पढ़ते हैं। गाँव का शिक्षक ३$^{1}/_{2}$ रुपए से लेकर १२ रुपए तक मासिक वेतन प्राप्त करते हैं। औसतन मासिक आय ७ रुपये से अधिक नहीं है। शिक्षा के लिए स्थानीय राज्य की ओर से कोई राशि दी जाती हो ऐसा नहीं लगता फिर भी कुछ गाँवों में धर्मशास्त्र के शिक्षक के लिए $^{1}/_{8}$ कणी से २ कणी तक की ज़मीन दान में दी जाती है जो नहीं के बराबर है।

उत्तर आर्कोट

जिले में स्थित ६९ कॉलेजो की सख्या टिप्पणी क्रमाक २ जिले के प्रधान समाहर्ता की ओर से प्रस्तुत की गयी है उनमें ४३ में धर्मशास्त्र २४में कानून आदि और २ में खगोलशास्त्र पढ़ाया जाता है। इनमें २८ महाशालाएँ मठों के द्वारा और मुस्लिम धर्मसस्थानों के द्वारा चलाई जाती हैं। यह मठ और मुस्लिम धर्म सस्थाओं का पूर्व की राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त वार्षिक ५१६ रुपयों की दान राशि से निभाव होता है। प्रत्येक शिक्षक को प्राप्त वेतन नीचे की कक्षा के लिए ३ से ८ रुपए रहता है। जब कि उच्च कक्षा के शिक्षक के लिए ३६ रुपयों से १२ रुपए तक की राशि दी जाती है। शेष अधिकांश शालाओ में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है। कुछ शालाएँ छात्रों के साधारण सहयोग से ही चलती हैं । कॉलेजों में ८ से १२ वर्ष की अवधि रहती है।

केवल तीन हिन्दू शालाओं में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है। शेष शालाओं का निर्वाह छात्रों के शुल्क के द्वारा संपन्न होता है । यह शुल्क की राशि मासिक एक आना या तीन पैसे से लेकर एक रुपए से १२ आना तक की होती है। वार्षिक १ ३६१ रुपयों के खर्च से ६ फारसी शालाएँ छात्रों की शुल्क राशि से चलती हैं शुल्क मासिक २ आने ६ पैसे से लेकर दो रुपए तक का रहता है । हिन्दू शालाओं में छात्र ५ से ६ वर्ष तक अध्ययन करते हैं। मुस्लिम शालाओं में यह समय ७ या ८ वर्ष का रहता है। ७ अंग्रेजी शालाओं में ३ शालाओं में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है जबकि शेष में प्रत्येक छात्र का मासिक शुल्क १० आने से लेकर ३ रुपए ८ आने तक रहता है । इस टिप्पणी से ऐसा लगता है कि इस सूची में ज़मीनदार और फसल काटनेवाले दाता की संख्या का समावेश नहीं होता है। यह सख्या बस्ती का बड़ा हिस्सा है। उसकी

बस्ती लगभग ३ लाख है।

दक्षिण आर्कोट

स्थानीय राज्य सस्था की ओर से जिले की किसी भी शाला को अनुदान नहीं मिलता। धर्मशास्त्र कानून खगोलादि विषय सिखाने के लिए एक भी निजी सस्था नहीं है। एक फेनम से लेकर १ पेगोडा तक का मासिक शुल्क छात्र देते हैं। उस राशि से शालाओं का निर्वाह होता है।

सेलम

इस जिले में प्रजा द्वारा एक भी हिन्दू शाला नहीं चलती है। केवल एक ही मुस्लिम शाला के पास थोड़ी ज़मीन है जिसकी वार्षिक आय से २० प्रतिशत जितना आधार मिल जाता है। इस शाला के पूर्व के एक गुरु के पास छोटी ज़मीन जागीरदारी थी उससे ५६ रुपए वार्षिक आय होती थी किन्तु उस गुरु की मृत्यु के बाद उसकी आजीवन जागीरदारी का अत हो गया। शाला में ३ से ५ वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है। हिन्दु शालाओं में प्रत्येक छात्र से वार्षिक शुल्क ३ रुपये से कम नहीं लिया जाता जब कि मुस्लिम शालाओं में १५ से २० रुपए तक का वार्षिक व्यवहार रहता है। धर्मशास्त्र कानून खगोल पढानेवाले २० जितने शिक्षकों के लिए इनामी ज़मीन से १ १०९ रु की वार्षिक आय होती थी। वर्तमान के प्राध्यापक अपना कर्तव्य निभाते हैं। पूर्व के वर्षो में इसी हेतु के लिए जमीनों से प्राप्त वार्षिक आय ३८४ रुपयों से उपर्युक्त शिक्षा का निर्वाह खर्च हो पाता था किन्तु ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना देश में होने से पहले यह ज़मीन अलग की गई और उससे होनेवाली आमदनी को राज्य की राजस्व आय में जोड़ दी गई।

तजावुर

जिले में स्थित शालाओं में ४४ शालाओं में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है। शेष शालाओं में प्रति छात्र मासिक ४ फेनम के दर से होनेवाली आमदनी से निर्वाह होता है।

लगभग १९ मिशनरी शालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ऐसा लगता है कि इस सूची में बहुत सी शालाओं की सख्या का समावेश नहीं किया गया। २१ शालाओं में गुरुजनों को राजाओं की ओर से वेतन प्राप्त होता है और एक शाला के शिक्षकों का निर्वाह खर्च त्रिवेल्लोर पेगाडा धर्म सस्थान के द्वारा किया जाता है। शेष

२३ शालाओं में शिक्षक नि शुल्क अध्यापन करते हैं। राज्य की ओर से व्यक्तिगत रूप से कोई शाला निभाई नहीं जाती। केवल तंजावुर की एक मिशन आधारित शाला के लिए एक गाँव की सुवर्णजयती महोत्सव के उपलक्ष्य में हुई १ १०० रु की आय शाला के खर्च के लिए दी गई है। छात्रों को लगभग पाँच वर्ष तक शाला में अध्ययन करना होता है। १०९ कॉलेज हैं जिनमें ९९ में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है। इनमें ७१ शालाओं का निर्वाह तंजावुर के राजा और राजा के १६ गाँवों की ओर से होता है। १६ शालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। एक शाला का निर्वाह एक मठ के द्वारा होता है। ७ शालाओं का खर्च पेगोडा धर्मसंस्थान उठाता है। तीन शालाएँ निजी दान दाताओं की ओर से चलती हैं। एक गाँव की निधि से चलाई जाती है। शेष दस कोलेज के शिक्षकों का वेतन आदि छात्रों के शुल्क से चलते हैं। ये कॉलेज केवल ब्राह्मणों के लिए ही हैं जिनमें हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता है। जिन गाँवों में शालाएँ हैं वही गाँव जनसंख्या सूची में बताये गये हैं। जिले की अन्य सामान्य जनसख्या का उसमें समावेश नहीं किया गया है।

त्रिचिनापल्ली

इस जिले में एक भी शाला या कॉलेज नहीं है जिसके लिए लोगों से निधि इकट्ठी की जाती हो। खगोल धर्मशास्त्र और अन्य शास्त्रों के लिए कोई संस्था नहीं है। अकेले जयलौर तहसील में सात शालाएँ हैं जिनका निर्वाह वहाँ की स्थानीय राज्यसस्था करती थी। इसके लिए ४६ से ४७ कणी जमीन के द्वारा शिक्षकों का निर्वाहखर्च राज्य सस्था करती रही है।

सामान्य रूप से ७ से १५ वर्ष तक छात्र शाला में अध्ययन करता है। शिक्षा का वार्षिक खर्च औसतन ७ पेगोडा होता है।

मदुरा

लगता है कि इस जिले में शाला के निर्वाह हेतु कोई भी जमीन दान में प्राप्त नहीं हुई है। शिक्षकों के वेतन हेतु अति गरीब छात्र से $^1/_2$ फेनम तक का और अधिक सुखी छात्रों से मासिक २ से ४ फेनम शुल्क लिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षक को ३० से ६० फेनम या $३^३/_४$ पेगोडा जितनी मासिक राशि बड़े गाँवों से मिल जाती है तथा छोटे गाँवों से १० से ३० फेनम राशि प्राप्त होती है। छात्र को सामान्यत ५ वर्ष की आयु में शाला में प्रवेश करवाया जाता है और १२ से १५ वर्ष की आयु पर वे शाला छोड़ देते हैं। इस जिले में कोई महाविद्यालय नहीं है। अग्रहारम्

गाँवों में थोडी सी जमीन ब्राह्मणों को निर्वाह हेतु दी गई है । ये ब्राह्मण यहाँ वेदाभ्यास करते हैं और नि शुल्क शिक्षा का कार्य भी करते हैं। जो छात्र उनके पास सीखने के लिए आते हैं उन्हें वे शिक्षा देते हैं।

तिन्नेवेली

तिन्नेवेली में कोई भी विद्यालय दिखाई नहीं देता ।

कोइम्बतूर

इस जिले में सभी शालाएँ लार्गो के सहयोग से चलती हैं। इन शालाओं में वहाँ के लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं। लोगों की स्थिति के अनुरूप हर छात्र से वार्षिक अधिकतम १४ रुपये से लेकर ३ रुपए न्यूनतम शुल्क लिया जाता है । शिक्षक अपने स्थायी वेतन के अतिरिक्त त्यौहारों पर बच्चों के पालकों से भेंट आदि प्राप्त करते हैं। साथ ही विशेष अवसरों पर थोड़ी शुल्क की राशि भी इन शिक्षकों को प्राप्त होती है । ५ वर्ष की आयु में लड़कों को शाला में प्रवेश दिया जाता है और वे १३-१४ वर्ष की आयु तक वहाँ रहकर अध्ययन करते हैं। जो धर्मशास्त्र या कानून का अध्ययन करना चाहें वे १५ वर्ष की आयु में पाठशाला में जाते हैं। यहाँ कॉलेजों में यथावसर जाकर अलग अलग शास्त्रों का गहरा अध्ययन नौकरी मिलने तक करते हैं। पूर्व के समय में कॉलेजो के निर्वाह के लिए दिये गये दान का विवरण सारिणी में है। अब यह राशि २२ ०८७ की तय की गई है।

कनारा

किसी प्रकार की जानकारी नहीं है।

मलबार

मलबार में केवल एक ही कॉलेज है। वहाँ अलग अलग शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है । इन सब की शिक्षा नीजी तौर पर होती है । निजी शिक्षकों को निश्चित राशि का वेतन नहीं मिलता है पर जब छात्र अपना अध्ययन पूरा कर लेते हैं तब शिक्षकों को उपहार देते हैं । शाला के शिक्षकों को प्रति मास $^1/_4$ रुपए से ४ रुपए तक का शुल्क उनके नियमित वेतन के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से प्रति छात्र मिलता है । अभी कॉलेज है वह झामोरिन के राजा ने स्थापित की थी और अभी २ ००० रु की वार्षिक राशि छात्रों के और २०० रु राशि शिक्षक के निर्वाह के लिए झामोरिन के राजा की ओर से दी जाती है । थोड़ी ज़मीन भी कॉलेज को दी गई है। झामोरिन के राजा द्वारा प्रस्तुत इस कॉलेज के इतिहास का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

श्रीरंगपट्टम्

कहा जाता है कि श्रीरंगपट्टम् द्वीप स्थित कॉलेज और शालाओं के निर्वाह के लिए पूर्व की राज्य सरकारों की ओर से या व्यक्तियों की ओर से जमीन बाँटी गई थी। ऐसी टिप्पणी का अंशमात्र भी रेकर्ड पर दिखाई नहीं देता । शाला के शिक्षकों का निर्वाह उनके छात्रों द्वारा होता है। हर छात्र के लिए औसतन मासिक शुल्क ५ आने है। इस आय से शिक्षकों को वार्षिक ५७ रुपए जितनी राशि मिलती है ।

मद्रास (चेन्नई)

इस टिप्पणी में दो प्रकार की शालाओं का वर्णन किया गया है । एक हिन्दू और मुसलमान बच्चों की शिक्षा हेतु ग्राम्य शालाएँ और दूसरी धर्मार्थ शालाएँ जिनमें अलग अलग धर्म और जाति के छात्रों की शिक्षा होती है। ग्राम्य शालाओं में ५ वर्ष की आयु में बच्चे का प्रवेश हो जाता है फिर परिस्थिति के अनुसार उनकी पढाई होती है। कहा जाता है कि १३ वर्ष की आयु तक शिक्षा के भिन्न भिन्न विषयों में आवश्यक ज्ञान छात्र प्राप्त कर लेते हैं। समाहर्ता के कथनानुसार धर्मार्थ शालाओं के अतिरिक्त लोगों द्वारा चलनेवाली एक भी शाला नहीं है। प्रत्येक छात्र से शिक्षक को वार्षिक १२ पेगोडा से अधिक वेतन शायद ही मिलता है। गरीब ब्राह्मणों के बच्चों को अलग अलग विषयों की शिक्षा नि शुल्क दी जाती है। कभी कभी शिक्षकों को पारिश्रमिक मिलता है। सूची देखते हुए लगता है कि चेन्नाई की जनसख्या का अनुमान बहुत ही ऊँचा है । ऐसा सोचने के लिए पर्याप्त कारण भी मिलता है क्यों कि शिक्षा प्राप्त करनेवाली सख्या और शालाओं की सख्या का अनुपात बहुत ही नीचा है ।

३०

सर टॉमस मनरो की टिप्पणी मार्च १० १८२६
(फोर्ट सेंट ज्योर्ज राजस्व विभाग)

१ २ जुलाई १८२२ के दिन सरकार के राजस्व विभाग के सदस्यों को सूचित किया गया कि प्रांतों में शिक्षा की स्थिति तथा शालाओं की संख्या की जानकारी प्राप्त करें। इससे उनके गत वर्ष के २१ फरवरी के पत्र द्वारा कई समाहर्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुरूप बोर्ड ने विवरण दिया। इस विवरण के आधार पर पता चला कि इस इलाके की शालाएँ जिन्हें लोग महाशालाएँ मानते हैं उनकी सख्या १२ ४९८ है।

इलाके की जनसख्या १ २८ ५० ९४९ है । अर्थात् प्रत्येक १ ००० की जनसख्या पर एक शाला है किन्तु बहुत ही कम सख्या में बालिका शिक्षा दिए जाने से हम मान सकते हैं कि ५०० की जनसख्या पर एक शाला है ।

२ रेवन्यू बोर्ड ने लिखा है कि १२ करोड ५० लाख की जनसख्या में केवल १ ८८ ००० व्यक्तियों ने अर्थात् प्रति ६७ व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की है । समस्त जनसख्या के हिसाब से यह सच है तथापि पुरुषों की गिनती को देखते हुए शिक्षा की मात्रा अधिक है। अगर हम विवरण में बताई गई सारी जनसख्या १ २८ ५० ००० से स्त्री वर्ग को आधा कम कर लें तो पुरुष वर्ग की जनसख्या ६४ २५ ००० की होती है । अगर हम पुरुष वर्ग के ५ वर्ष तथा १० वर्ष की आयु के बच्चों को गिनें तो जिस आयु के अन्तर्गत बच्चे सामान्य प्रकार से शाला में पढाई करते हैं - अर्थात् पुरुषों की जनसख्या का $^1/_9$ हिस्सा ७ १३ ००० होता है। यह ऐसे आकडे हैं जिसमें १० वर्ष की आयु के सभी लडको ने शिक्षा प्राप्त की हो। तथापि शाला में जानेवाले लडकों की सख्या का आकडा १ ८४ ११० का अथवा तो उपर्युक्त लड़कों की सख्या के $^1/_4$ से थोडा अधिक है। वैसे ५ से १० वर्ष की आयु में ये शिक्षा प्राप्त करते हैं फिर भी कई १० वर्ष की आयु होते होते अपनी पढाई अधूरी छोड देते हैं । तथापि मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि पुरुष वर्ग का जो हिस्सा शिक्षा प्राप्त कर रहा है वह समूची पुरुष जनसख्या का $^1/_4$ का हिस्सा नहीं है किन्तु $^1/_3$ जितना होना चाहिए । क्योकि घर में शिक्षा प्राप्त करनेवाले लड़कों की सख्या २६ ९६३ होती है । अर्थात् शालाओं में पढनेवाले लड़कों की सख्या की अपेक्षा यह लगभग पाँच गुनी है । वस्तुत यह आकडे दोषयुक्त लगते हैं । प्रदेश में निजी तौर से शिक्षा प्राप्त करनेवाले लड़कों की सख्या का दर इतना लगता नहीं है । यह भी निश्चित है कि घर में लड़कों को उनके सगे-सबधी तथा निजी शिक्षकों के द्वारा पढाने की पद्धति का भी स्वीकार करना चाहिए। शिक्षा की मात्रा अलग अलग वर्गो में अलग अलग है कई वर्गों में तो पूर्ण है जबकि कई वर्गों में शायद $^1/_{9}$ जितना हिस्सा ही होगा।

३ हमारे राज्य की तुलना में यहाँ शिक्षा की स्थिति गिरी हुई है किन्तु अन्य युरोपीय देशों की अपेक्षा शिक्षा का अनुपात काफी अच्छा है। प्राचीन समय में वह काफी अच्छी स्थिति में थी किन्तु विगत शताब्दी में यहाँ की शिक्षा में कोई महत्व पूर्ण परिवर्तन दिखाई नहीं देता। युद्ध तथा अन्य कारणों से बस्ती का स्थानातर होने से शालाओं की संख्या एक स्थान पर कम होती गई है तो अन्यत्र बढी है। बडी सख्या की शालाओं में शिक्षा की गिरावट दिखाई दी है क्योंकि सक्षम शिक्षकों की कमी के कारण शालाओं

में सख्या भी कम रहने लगी थी। प्रत्येक छात्र का मासिक शुल्क चार छ या आठ आने है। शिक्षक भी प्रतिमास ६-७ रुपए से ज्यादा उपार्जन नहीं कर सकते हैं। इस व्यवसाय में सुशिक्षित लोगों को आने के लिए इतना वेतन ठीक नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं कि शिक्षकों के साधारण अज्ञान के कारण अधिकाश शिक्षक बड़ी संख्या में छात्रों को शाला में आकर्षित नहीं कर सकते हैं परतु शिक्षा की कमजोरी का प्रथम कारण है शिक्षा की माग की कमी प्रोत्साहन का अभाव और लोगों की गरीबी।

४ हाँ इन सब समस्याओं का निवारण हो सकता है। शिक्षा में बाधा बननेवाली मूल बात गरीबी है। इसके लिए राज्य को ही यह शिक्षा का बोझ उठा लेना चाहिए सामान्य व सरल शिक्षा देनी चाहिए। इन्हीं कारणों से सभी कार्यालयों में सुशिक्षित लोगों को रखे जान से शिक्षा को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

अत आज जो स्थिति है उसकी अपेक्षा विशेष अच्छी स्थिति सुशिक्षित शिक्षकों के बिना सभव नहीं है। इस शिक्षक के व्यवसाय में जीवननिर्वाह उच्छी आय के बिना सभव नहीं है। अत शिक्षकों को अच्छा वेतन राज्य सरकार से मिलना ही चाहिए। तभी उनकी आवश्यकताएँ पूरी हो पाएँगी और शेष साधन उनके अपने धधे रोजगार से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार वे ज्ञान में सामान्य ग्रामीण शिक्षकों से श्रेष्ठ होंगे तो अनेक छात्र शाला की ओर आकर्षित होंगे और अपने आप उपार्जन की समस्या का निवारण भी होगा।

५ *इस प्रकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के* लिए एक शाला शुरू करनी होगी। इस प्रकर की शाला के निर्माण के लिए बेम्बाई स्थित स्कूल बुक सोसायटी की समिति ने एक प्रस्ताव रखा है। २५ अक्तूबर १८२४ के पत्र में उनके दूसरे विवरण के साथ इसकी सिफारिश की है। मैं मानता हूँ कि उनके इन प्रस्तावों को सार्थक करने के लिए सरकारी खजाने से मासिक ७०० रु की राशि प्राप्त करने के वे अधिकारी हैं। इनमें ५०० रु की राशि मकान की लागत राशि के सूद के तौर पर और शिक्षकों के वेतन के लिए और २०० रु छापखाने की छपाई के लिए खर्च होनी चाहिए। मैं दूसरी यह बात भी सूचित करता हूँ कि राज्य को समाहर्ता के अधीन क्षेत्रों में दो मुख्य सरकारी शालाएँ शुरू करनी चाहिए। एक हिन्दुओं के लिए और दूसरी मुसलमानों के लिए। ऐसा करने से प्रत्येक तहसील में एक एक हिन्दू शाला शुरू करने से शिक्षक मिलेंगे। अतः प्रत्येक तेहसील में एक और प्रति जिलेमें १५ जितने शिक्षकों की सख्या होगी। हमें हमारे मुसलमान भाईयों को भी शिक्षा का लाभ देने के लिए सहायक बनना होगा। शायद विशेष मात्रा में मुसलमानों को मदद करनी

चाहिए। क्योंकि उनकी बस्ती का बड़ा हिस्सा गरीब मध्यम वर्ग का है और आंशिक हिस्सा ही धनिकों का है किन्तु उनकी सख्या हिन्दू जनसख्या की अपेक्षा $^1/_2$ जितनी भी नहीं है। इन्हीं कारणों से अपवाद के रूप में आर्कोट और दूसरे समाहर्ताओं के अधीन प्रदेशों में एक से अधिक शाला निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। आर्कोट आदि जिलों में मुस्लिम बस्ती का प्रमाण और प्रदेशों की उनकी बस्ती की तुलना में जनसख्या की दृष्टि से अधिक ही है।

६ हमारे विशेष समाहर्ता के अधिकार में २० जितने प्रदेश हैं जहाँ तहसीलदारी का परिवर्तन हो सकता है। किन्तु अभी प्रत्येक समाहर्ता विभाग में १५ जितनी तेहसीलों की औसतन गिनती की गई है। इस प्रकार सब मिलाकर ३०० तेहसीलें होती हैं। इस प्रकार सूचित योजना के अनुरूप समाहर्ता के अधिकार के अतर्गत राज्य की ४० शालाएँ और ३०० तेहसील शालाएँ निर्मित होंगी। समाहर्ता के अधिकार में राज्य की शालाओं में शिक्षक का वेतन १५ रुपए और तहसील कक्षा की शालाओं में ९ रुपए प्रत्येक शिक्षक को मिलेंगे। यह पारिश्रमिक कम है तथापि तेहसील शाला कक्षा के शिक्षक को इतना ही या इससे थोड़ा ज्यादा उनके छात्रों की ओर से मिलेंगे। इस प्रकार परिस्थिति को देखकर स्कॉटलेन्ड की पादरी स्कूलों के शिक्षक से इन शिक्षकों की स्थिति अच्छी रहेगी।

७ शालाओं का कुल खर्च निम्नानुसार रहेगा	रु
* बैंभाई स्कूल-बुक सोसायटी का मासिक खर्च	७०० ००
* समाहर्ता के अधिकार की शालाएँ मुसलमान शाला सख्या २० के १५ रु के हिसाब से	३०० ००
* समाहर्ता अधिकार की हिन्दू शालाएँ शाला सख्या २० के १५ रु के हिसाब से	३०० ००
* तेहसीलदारी की ३०० शालाएँ ९ रु के हिसाब से	२७०० ००
इस प्रकार प्रत्येक महीने का कुल खर्च	४ ०००
और वार्षिक कुल खर्च होता है -	४८ ००० ००

यह खर्च तो अलग अलग समय में होगा क्योंकि आवश्यक सख्या के प्रशिक्षित शिक्षक मिलेंगे वैसे वैसे खर्च की राशि बढ़ती जाएगी। बैंभाई स्कूल बुक सोसायटी और समाहर्ता के अधिकार क्षेत्र के स्कूलों का खर्च माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त करने से पूर्व मजूर करना होगा। यह राशि आधे लाख से कम नहीं होगी। इसके लिए हमें उनसे कोर्ट की मान्यता देने का निवेदन करना होगा। वर्तमान स्थिति को समाहर्ता के

विवरण से सहायता प्राप्त हो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। २० ००० रु से अधिक राशि उससे प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें से अत्यत छोटा हिस्सा प्रजा से प्राप्त दानराशि का है जो प्रमुख तौर से धर्मशास्त्र कानून और खगोलशास्त्र के शिक्षकों का है। राज्य सरकार लोगों की शिक्षा के लिए जो कुछ भी खर्च करेगी वह देश की स्थिति का सुधार होने पर अच्छे प्रतिफल के साथ प्राप्त होगा। ज्ञान के प्रसार के साथ अच्छी आदतें उद्योगो का विकास जीवन में सुखसपति के लिए लोगों की विशेष रुचि और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न होगा और लोगों को समृद्धि का विश्वास होता रहेगा। ज्ञान के साथ यह सब कुछ जुड़ा हुआ है।

८ एक लोक शिक्षा समिति की रचना करना समीचीन होगा। उसका कार्यक्षेत्र (१) सार्जवनिक शाला निर्माण करना और उसकी देखभाल करना (२) उसके लिए आवश्यक स्थल तय करना (३) उसमें उपयोग में लिए जानेवाले प्रकाशन तय करना (४) गाँवों के लोगों को किस प्रकार अच्छी शिक्षा दी जा सके वह देखना और महत्त्वपूर्ण विषयों पर इन सब कार्यो के परिणामों की जानकारी राज्य सरकार को देना होगा।

९ स्कूल बुक सोसायटी के इस परिश्रम से तत्काल लाभ हो जाएगा इस भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो उसका कार्यक्षेत्र लोगों को शिक्षा देने का और शिक्षकों को प्रशिक्षित करनेका है। वह अधिक व्यक्तियों के लिए बढाया नहीं जा सकेगा। वह शालाओं तक सीमित रहेगा और क्रमश उसकी माँग (शिक्षा व शाला) बढने से उसका प्रसार भी होगा। शिक्षा से पैसा और पद प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति और लोगों की स्थिति में सुधार होता है। लोगों के लिए वे पैसे खर्च कर सकते हैं यह ज्ञान होने पर शिक्षा की माग बढ़ेगी किन्तु जिन्हें शिक्षा ग्रहण करनी ही नहीं है उन्हें या जो लोग उनके बच्चों के लिए शिक्षा का खर्च नहीं कर पाते हैं उन्हें शिक्षा दे पायेंगे ऐसा होने पर उनमें ज्ञान की भूख जागेगी और परोक्ष रूप से शिक्षा का भी प्रसार होगा। अगर हम लोगों को शिक्षा देने का सकल्प करें और हमारे दावों को यथावत रखें और यदि हम तेहसीलदारी तक शालाएँ सीमित न रखते हुए छोटे प्रदेशों में उनकी सख्या बढ़ा देंगे तो मुझे विश्वास है कि हम इस पुरुषार्थ में सफल रहेंगे। किन्तु इसके साथ मैं कोलकत्ता बुक सोसायटी के पाँचवें विवरण मे बताए गए मत के साथ सहमत हूँ कि उसकी यह प्रक्रिया अत्यत धीमी रहनी चाहिए। आनेवाली पीढ़ी अपना सुधार प्रदर्शित कर सके उससे पूर्व इस प्रक्रिया में अनेक वर्ष बीत जाएँगे।

(हस्ता)
टोमस मनरो

४ फ्रा पाओलीनो द बार्टोलोमियो
भारत मे बच्चो की शिक्षा के विषय मे

सभी ग्रीक इतिहासकार भारत के लोगों को अन्य देशों के लोगों की अपेक्षा बड़े कद के और मजबूत गठन के बताते हैं। यद्यपि सामान्यत यह सच नहीं है तो भी इतना तो अवश्य है कि शुद्ध हवा स्वास्थ्यप्रद भोजन सयमपूर्ण आचरण और शिक्षा ने असाधारण रूप में शारीरिक सौष्ठव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका नवजात बालक उपेक्षित की तरह भूमि पर पड़ा रहता है। बच्चे को यूरोप की तरह सुरक्षित नहीं रखा जाता है। इसलिए इन बच्चों के अगउपाग मुक्त रूप से विकसित होते हैं उनके ज्ञानतंतु और हड्डियाँ और भी ठोस तथा सशक्त बनती हैं। जब ये बच्चे युवावस्था को प्राप्त होते हैं तब उन्हें सुदर शरीर सौष्ठव प्राप्त हुआ होता है इतना ही नहीं खास कर किसी भी प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल आरोग्य और गठन प्राप्त हुआ होता है। ठडे पानी से बार बार स्नान नारियल के तेल से और इन्जिया नामक पौधे के रस से बार बार मर्दन *ग्रीस के जुवेनिलिया जैसा व्यायाम आदि शक्ति और स्फूर्ति बढ़ाते हैं।* ये सब लाभ कभी नष्ट ही नहीं होते स्वय व्यभिचारी न बन जाएँ या बहुत ही मेहनत मज़दूरी करके अतिशय परिश्रम करके पसीना बहाकर अपने शरीर को कमजोर न बना दें तो ये शक्ति और स्फूर्ति हमेशा बने रहते हैं। चाहे कितना भी सुदर स्वास्थ्य और प्राणशक्ति हो जो भारतीय युवान बीस वर्ष की आयु को पहुँचने से पूर्व विवाह कर लेते हैं उनमें से अधिकाश निरे कमजोर और नामर्द बन जाते हैं। एक ही शब्द में कहा जाए तो मैंने भारत में शायद ही लगड़े विकृत बेढगे आदमी देखे हों। मलबार में पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश में बसनेवाले लोग कोरोमण्डल के ग्रामजनों की अथवा पूर्व किनारे पर बसनेवाले तमिल लोगों की अपेक्षा ज्यादा सुन्दर और सशक्त हैं।

भारत के लड़कों के लिए शिक्षा यूरोप के समान मँहगी नहीं है। अधिक सादी भी है। यहाँ अर्धनग्न बच्चे नारियेल के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं ज़मीन पर पंक्ति में बैठ जाते हैं और उन्हें दाँये हाथ की ऊँगली से बालू में अक्षरों की लिखावट करवाई

जाती है। जब और कुछ लिखना हो तो बाँए हाथ से उसे मिटाकर रेत को समतल बनाकर फिर से लिखवाया जाता है। लेखन सिखानेवाले शिक्षक को अमीअन या 'एलुतासीन' कहा जाता है जो छात्रों के सम्मुख अपनी बैठक लेते हैं। छात्रों ने जो किया उसे वे जाचते हैं गलती बताई जाती है और कैसे सुधार किया जाता है वह भी उन्हें समझाया जाता है। शिक्षक सर्वप्रथम उन्हें खड़े करके उपस्थिति लेते हैं। इन छोटे छात्रों ने लिखने की कुछ तैयारी की होती है तब शिक्षक अपने आसन मृगचर्म व्याघ्रचर्म पर पालथी लगाकर बैठते हैं या नारियेल के पत्तों से बनी चटाई पर बैठते हैं या कभी जगली अनानस के छिलकों से बनी चटाई जिसे 'कझझा' कहते हैं उस पर बैठते हैं। जीसस क्राइस्ट के जन्म से २०० वर्ष पूर्व लेखन की यह पद्धति शुरू की गई थी ऐसा मेगेस्थनिज के प्रमाणों से पता चलता है। आज तक यह परपरा चालू है। भारतीय लोगों के समान विश्व के और किसी भी देश में यह प्राचीन पद्धति चालू हो यह दिखाई नहीं देता।

मलबार में प्रति मास शाला के शिक्षक को प्रत्येक छात्र से दो फेनम या पानम मिलते हैं। उन्हें चावल की थोड़ी मात्रा दी जाती है। इससे छात्रों के माता पिता को यह खर्च वहन करना आसान हो जाता है। कई शिक्षक छात्रों को बिना दक्षिणा लिये पढ़ाते हैं। उन्हें मदिर के प्रमुख प्रशासकों द्वारा या जाति के प्रमुख द्वारा वेतन दिया जाता है। जब छात्रों ने लेखन में अच्छी प्रगति की होती है तो उन्हें 'इथुपल्ली' नामकी शालाओं में प्रवेश दिया जाता है। यहाँ वे ताड़पत्र पर लिखना आरभ करते हैं। जब ऐसे कई ताड़पत्र लेखन से भर जाते हैं तब दोनों ओर मोटे गत्तों से बाध दिए जाते हैं। यहीं से ग्रथ अर्थात् भारतीय पुस्तकों का निर्माण होता है। लोहे की कलम के द्वारा लिखा गया हो तो वह ग्रथावली या लेख्य कहा जाता है। जिनकी लिखाई नहीं हुई है वह अलेख्य रूप से अलग पहचाना जाता है।

जब गुरु या शिक्षक शाला में प्रवेश करते हैं तब विद्यार्थी उन्हे अत्यत विनय और सम्मान से मिलते है। उनके विद्यार्थी उन्हें साष्टाग दण्डवत प्रणाम करते हैं अपना दाहिना हाथ मुँह पर रखते हैं तथा शब्द भी बोलने का साहस नहीं करते पर जब गुरु बोलने की अनुमति देते हैं तभी बोलते हैं। जो बोलते रहते हैं अनुशासन का पालन नहीं करते उन्हें शाला से बिदा कर दिया जाता है क्योंकि ऐसे विद्यार्थी अपनी वाणी पर सयम न रख सकने के कारण तत्त्वज्ञान के अध्ययन के लिए योग्य नहीं माने जाते। इस प्रकार गुरुजन सदा सम्मान प्राप्त करते है। शिष्य भी आज्ञाकारी होते हैं। जो नियम अत्यत सावधानी से गठित किए गए होते हैं उसका उल्लघन बिलकुल नहीं किया

जाता। शिक्षकगण जो प्रमुख विद्याएँ पढ़ाते हैं वे इस प्रकार है।

(१) लेखन और पैसों का हिसाब

(२) संस्कृत व्याकरण जिसमें शब्दक्रम और शब्दों को संयोजित करने के नियम होते हैं। मलबार में उन्हें सिद्धरूप कहते है जबकि बंगाल में इन्हें सारस्वत या शुद्ध भाषण की कला के रूप में जाना जाता है।

(३) व्याकरण के दूसरे विभाग में काव्यरचना के नियम सिखाये जाते हैं। इसे व्याकरण की पुस्तक कहते हैं।

(४) अमरसंहिता' वह पुस्तक है जो ब्राह्मण शब्दकोष है। यह कार्य जिसके लिए ब्राह्मण अत्यंत पूज्यभाव रखते हैं वह एंक्विटिल द पेरोन कहते हैं तीन नहीं अपितु चार विभाग में विभाजित है। उसमें देव से संबंधित सब शास्त्र अलग अलग विषयों के शास्त्र रंग ध्वनि पृथ्वी सागर नदियाँ मनुष्य प्राणी सब कलाएँ तथा भारत के व्यवसायों के विषयों का समावेश होता है। संस्कृत काव्यरचना के लिए और उसे प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करनेवाले छात्रों को परिचित ऐसे शब्दों में गुरुजन छोटे वाक्यों में पंक्ति रचना सिखाते हैं। श्लोक कहे जाते हैं। यह श्लोक संस्कृत शब्द संयोजित कैसे किए जाते हैं वह समझाता है। साथ ही उसमें सुंदर नीति संदेश भी होता है। इस प्रकार खेल खेल में ही बालकों के कोमल मस्तिष्क में भाषा सिखाते सिखाते योग्य वाक्य रचना कैसे हो उसका ज्ञान तथा भविष्य में उनका चरित्र गठन हो उसके लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के नीति विचारों का कुछ संकेत पाठकों को प्राप्त हो इस लिए यहाँ मैं ऐसे वाक्यों के प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ।

(१) अगर ज्ञान और भय की समझ जो कि सही समझदारी है वही नहीं आती तो अध्ययन का क्या प्रयोजन है ?

(२) अगर हम मित्रता का आनंद परस्पर शुभेच्छा और हमारे निवास में कोई अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं तो जंगल का हमारा निवास त्याग कर बड़े नगरों में और शहरों में हम आकर बसे हैं इसका क्या तात्पर्य है ?

(३) आग या तलवार के घाव मिट जाते हैं किन्तु जिह्वा के कटुवाणी के घाव ज्यादा दु:खद होते हैं। वाणी के घाव भरना बड़ा कठिन होता है।

(४) तेरे घर का द्वार बंद करने से कुछ नहीं होगा तुम्हारी पत्नी ने स्वयं सावधान (आत्मरक्षा के लिये) बनना आवश्यक है।

(५) जो व्यक्ति वैर का बदला लेता है उसका आनंद एक दिन का रहता है किन्तु जो क्षमा देता है उसे जीवन भर संतोष प्राप्त होता है।

(६) विनम्र बनना प्रत्येक के लिए उचित है परन्तु विद्वान तथा धनवान के लिए तो वह आभूषण है।

(७) विवाहित युगल जो परस्पर सम्मान सद्‌गुण और एकदूसरे के प्रति कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं वह कठिन तपश्चर्या के समान ही है।

उद्यान में या जहाँ पवित्र स्थान है वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहाँ शिवलिंग की स्थापना होती है। सभी भारतीय उसका पूजन नहीं करते हैं किन्तु जो लोग उसकी पूजा करते हैं वे शैव कहलाते हैं। ये शैव सम्प्रदाय के लोग हैं। शिवजी के रूप में वे अग्नि के उपासक होते हैं। वे मानते हैं कि समूचा संसार उसकी सृजनशक्ति से निर्मित हुआ है। उपर्युक्त प्रतिमाओं के अतिरिक्त अन्य दो प्रतिमाओं की स्थापना भी शाला के द्वार पर की होती है। उसमें एक प्रतिमा गणेशजी की है। गणेशजी सभी विद्या के और विद्वानों के संरक्षक माने गए हैं। दूसरी मूर्ति सरस्वती देवी की रहती है। यह देवी वाणी और इतिहास की देवी के रूप में पूजी जाती है। शाला में प्रवेश करते समय प्रत्येक छात्र की दृष्टि इन दोनों प्रतिमाओं की ओर जाती है । वे हाथ जोड़कर मस्तक ऊँचा करके दोनों प्रतिमाओं के समक्ष प्रार्थना करके उनके प्रति पूज्य भावना और सम्मान प्रदर्शित करते हैं। गणेशजी को वे जिन शब्दों से वंदन करते हैं वे शब्द हैं : सद्‌गुरवे नम - हे सद्‌गुरु आपको प्रणाम है गणपतये नमः - हे गणेशजी आपको नमस्कार है। यह एक प्रकार की मूर्तिपूजा है - किन्तु यह आदत इतना तो अवश्य कहती है कि भारत के लोग अपने बच्चों को बचपन से ही इन देवों को अपने रक्षक और शुभदाता हैं ऐसा बताकर समझाते हैं कि उन्हें पूजना चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए । मार्क्विस ऑफ करगेरी जो कैलिप्सो नौका युद्ध सेना के अध्यक्ष हैं वे कहते हैं जिनको धर्म की शक्ति और धार्मिक मान्यता का असर क्या है वह जानना है उन्हें अवश्य भारत जाना चाहिए । यह निरीक्षण सर्वथा यथार्थ है क्योंकि २ ००० भारतीयों मे से शायद ही आप एक या दो ऐसे व्यक्ति देखेंगे जिन्हें इस प्रकार की देवपूजा की आवश्यकता में श्रद्धा न हो। भारत के इन ग्रामजनों को देवों को भजने के लिए सर्वाधिक बड़ा प्रेरक बल है शिक्षा। अचलों की जलवायु भी एक बल है।

भारतीय लड़कों को सिखाए जानेवाले अन्य विषयों में कविता तलवारबाजी पट्टेबाजी वनस्पति विज्ञान और औषधिविज्ञान है वैद्यक या भेषजशास्त्र है। नौका चलाने के लिए नौशास्त्र है। खड़े रहकर जाल फैंकने की विद्या (हस्तिलुथिडम) (गेंद) खेलने की कला (कुन्दर) (पडाकाली) शतरंज (बयुडरंगम्) टैनिस (कोलाडी) तर्कशास्त्र (तर्कसंग्रह : ज्योतिष कानून और स्वाध्याय तथा मौन। शल्य चिकित्सा

शरीर विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। भारत के लोग मानते हैं कि उनका देश विश्व में सर्वाधिक सुदर और सुखी देश है। इसी वजह ये विदेशी राज्यों के साथ विशेष परिचय बनाने में ये उत्साहित नहीं होते। धर्म के आदेश के अनुरूप मासाहार का सपूर्ण त्याग मद्यनिषेध प्राणियों के शिकार के लिए और अदर के अवयवों की रचना की जानकारी के लिए होनेवाली चीरफाड पर पाबदी है।

भारतीय कविता के लिए मैंने सस्कृत व्याकरण की टिप्पणी में कहा ही है और उससे आगे की टिप्पणी इसके बाद दूगा। उनकी समुद्र यात्रा केवल उनकी नदियों तक ही सीमित है। साधारणत प्रदेश की जमीन पर रहनेवाले भारतीयों को समुद्रयात्रा मे बडी अरुचि है। युद्ध में तोपों का उपयोग नहीं होता है। जिन युद्धों में और जिसमें कौशल की विशेष आवश्यकता रहती है वैसे युद्ध मे उनका अभ्यास बना रहे फुर्ती लौटे और सुदृढ युवा मिले इस हेतु से भाले तलवार गेंद के खेल और टेनिस जैसे विषय शिक्षा में जोड़ लिए गए हैं। कला व्यायाम और विद्याशास्त्रों के लिए विशेष शिक्षक रखे गए हैं। गुरुजन के प्रति विशेष सम्मान का व्यवहार होता है। वर्ष में दो बार प्रत्येक शिक्षक को रेशमी कपड़ा दिया जाता है जिसका उपयोग वे वस्त्रों के लिए करते हैं। इस उपहार को 'सम्मान' के तौर पर पहचाना जाता है।

बारह वर्ष की आयु की सभी शूद्र जातिकी नायर जातिकी कन्याओं को घर पर ही रहना होता है। जब कभी उन्हें बाहर जाना है तो अपनी माँ या चाची मौसी के साथ वे जाती हैं। उन्हें घर में और विशेष रूप से अत गृह में रहना होता है। वहाँ कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। नौ साल की आयु में लड़कों को बड़े समारोहपूर्वक उनके बाप-दादे के व्यवसाय में दीक्षा दी जाती है। वह अपना व्यवसाय कभी छोड़ता नहीं है। इस प्रकार के नियम जिसका निर्देश डियोडोरस सिक्युलेस स्ट्रेबो और आरीन और अन्य ग्रीक लेखकों के लेखों में मिलता है जिसे पालना बहुत ही कठिन है किन्तु दूसरी ओर समाज व्यवस्था के लिए कलाओं के लिए अन्य शास्त्रो के लिए और धर्म के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसी प्रकार एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकता। इससे होता यह है कि भारतीय सामान्य और इधर उधर का ज्ञान देनेवाली शिक्षा पद्धति नहीं अपनाते हैं। पूरी शिक्षा उसी परिस्थिति और उनका दायित्व और कर्तव्य जीवनभर निभाने तथा बचपन से ही अपने जातिगत व्यवसाय में जीवनभर प्रवृत्त रहने के लिये ही है। जैसे कि ब्राह्मण को बचपन से ही पढने लिखने के व्यवसाय में माहिर कर दिया जाता है और समावर्तन के

(६) विनम्र बनना प्रत्येक के लिए उचित है परन्तु विद्वान तथा धनवान के लिए तो यह आभूषण है।

(७) विवाहित युगल जो परस्पर सम्मान सद्गुण और एकदूसरे के प्रति कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं वह कठिन तपश्चर्या के समान ही है।

उद्यान में या जहाँ पवित्र स्थान है वहाँ बच्चों को पढाया जाता है। वहाँ शिवलिंग की स्थापना होती है। सभी भारतीय उसका पूजन नहीं करते हैं किन्तु जो लोग उसकी पूजा करते हैं वे शैव कहलाते हैं। ये शैव संप्रदाय के लोग हैं। शिवजी के रूप में ये अग्नि के उपासक होते हैं। वे मानते हैं कि समूचा ससार उसकी सृजनशक्ति से निर्मित हुआ है। उपर्युक्त प्रतिमाओं के अतिरिक्त अन्य दो प्रतिमाओं की स्थापना भी शाला के द्वार पर की होती है। उसमें एक प्रतिमा गणेशजी की है। गणेशजी सभी विद्या के और विद्वानों के सरक्षक माने गए हैं। दूसरी मूर्ति सरस्वती देवी की रहती है। यह देवी वाणी और इतिहास की देवी के रूप में पूजी जाती है। शाला में प्रवेश करते समय प्रत्येक छात्र की दृष्टि इन दोनों प्रतिमाओं की ओर जाती है । वे हाथ जोड़कर मस्तक ऊँचा करके दोनों प्रतिमाओं के समक्ष प्रार्थना करके उनके प्रति पूज्य भावना और सम्मान प्रदर्शित करते हैं। गणेशजी को वे जिन शब्दों से वदन करते हैं वे शब्द हैं। सद्गुरवे नम - हे सद्गुरु आपको प्रणाम है गणपतये नमः - हे गणेशजी आपको नमस्कार है। यह एक प्रकार की मूर्तिपूजा है - किन्तु यह आदत इतना तो अवश्य कहती है कि भारत के लोग अपने बच्चों को बचपन से ही इन देवों को अपने रक्षक और शुभदाता हैं ऐसा बताकर समझाते हैं कि उन्हें पूजना चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए । मार्क्विस ऑफ करगेरी जो कैलिप्सो नौका युद्ध सेना के अध्यक्ष हैं वे कहते हैं जिनको धर्म की शक्ति और धार्मिक मान्यता का असर क्या है वह जानना है उन्हें अवश्य भारत जाना चाहिए । यह निरीक्षण सर्वथा यथार्थ है क्योंकि २ ००० भारतीयों में से शायद ही आप एक या दो ऐसे व्यक्ति देखेंगे जिन्हें इस प्रकार की देवपूजा की आवश्यकता में श्रद्धा न हो। भारत के इन ग्रामजनों को देवों को भजने के लिए सर्वाधिक बड़ा प्रेरक बल है शिक्षा। अचलों की जलवायु भी एक बल है।

भारतीय लड़कों को सिखाए जानेवाले अन्य विषयों में कविता तलवारबाजी पट्टेबाजी वनस्पति विज्ञान और औषधिविज्ञान है वैद्यक या भेषजशास्त्र है। नौका चलाने के लिए नौशास्त्र है। खड़े रहकर जाल फेंकने की विद्या (हस्तिलुधिक्रम) (गेंद) खेलने की कला (कुन्दर) (पडाकाली) शतरज (बयुडरगम्) टेनिस (कोलाकी) तर्कशास्त्र (तर्कसग्रह : ज्योतिष कानून और स्वाध्याय तथा मौन। शल्य चिकित्सा

शरीर विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। भारत के लोग मानते हैं कि उनका देश विश्व में सर्वाधिक सुंदर और सुखी देश है। इसी वजह वे विदेशी राज्यों के साथ विशेष परिचय बनाने में वे उत्साहित नहीं होते। धर्म के आदेश के अनुरूप मांसाहार का संपूर्ण त्याग मद्यनिषेध प्राणियों के शिकार के लिए और अंदर के अवयवों की रचना की जानकारी के लिए होनेवाली चीरफाड़ पर पाबंदी है।

भारतीय कविता के लिए मैंने संस्कृत व्याकरण की टिप्पणी में कहा ही है और उससे आगे की टिप्पणी इसके बाद दूंगा। उनकी समुद्र यात्रा केवल उनकी नदियों तक ही सीमित है। साधारणतः प्रदेश की ज़मीन पर रहनेवाले भारतीयों को समुद्रयात्रा मे बड़ी अरुचि है। युद्ध में तोपों का उपयोग नहीं होता है। जिन युद्धों में और जिसमें कौशल की विशेष आवश्यकता रहती है वैसे युद्ध में उनका अभ्यास बना रहे फुर्ती लौटे और सुदृढ युवा मिले इस हेतु से भाले तलवार गेंद के खेल और टेनिस जैसे विषय शिक्षा में जोड़ लिए गए हैं। कला व्यायाम और विद्याशास्त्रों के लिए विशेष शिक्षक रखे गए हैं। गुरुजन के प्रति विशेष सम्मान का व्यवहार होता है। वर्ष में दो बार प्रत्येक शिक्षक को रेशमी कपड़ा दिया जाता है जिसका उपयोग वे वस्त्रों के लिए करते हैं। इस उपहार को 'सम्मान' के तौर पर पहचाना जाता है।

बारह वर्ष की आयु की सभी शूद्र जातिकी नायर जातिकी कन्याओं को घर पर ही रहना होता है। जब कभी उन्हें बाहर जाना है तो अपनी माँ या चाची मौसी के साथ वे जाती हैं। उन्हें घर में और विशेष रूप से अंत गृह में रहना होता है। वहाँ कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। नौ साल की आयु में लड़कों को बड़े समारोहपूर्वक उनके बाप-दादे के व्यवसाय में दीक्षा दी जाती है। वह अपना व्यवसाय कभी छोड़ता नहीं है। इस प्रकार के नियम जिसका निर्देश डियोडोरस सिक्युलेस स्ट्रेबो और आरीन और अन्य ग्रीक लेखकों के लेखों में मिलता है जिसे पालना बहुत ही कठिन है किन्तु दूसरी ओर समाज व्यवस्था के लिए कलाओं के लिए अन्य शास्त्रों के लिए और धर्म के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसी प्रकार एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकता। इससे होता यह है कि भारतीय सामान्य और इधर उधर का ज्ञान देनेवाली शिक्षा पद्धति नहीं अपनाते हैं। पूरी शिक्षा उसी परिस्थिति और उनका दायित्व और कर्तव्य जीवनभर निभाने तथा बचपन से ही अपने जातिगत व्यवसाय में जीवनभर प्रवृत्त रहने के लिये ही है। जैसे कि ब्राह्मण को बचपन से ही पढ़ने लिखने के व्यवसाय में माहिर कर दिया जाता है और समावर्तन के

समय प्रथम उसे उपस्थित रहकर सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण की गिनती का काम कानून का अध्ययन धार्मिक कर्मकाण्ड तथा धर्म संस्कार कराने के लिए इस प्रकार की वेद विहित क्रियाएँ करनी होती हैं। अत वेद का ज्ञान उन्हें होना जरूरी है। दूसरी ओर वैश्य अपने लड़कों को कृषि विषयक ज्ञान देते हैं तथा क्षत्रियों को राज्यप्रशासन और सेना प्रशिक्षण के लिए शस्त्रविद्या का अध्ययन करना होता है शूद्रों को यत्रविद्या मछली पकड़ने का कार्य बागवानी तथा बनियों के बच्चों को व्यवसाय का ज्ञान करवाया जाता है।

इस प्रकार की व्यवस्था से बहुत से प्रकार के ज्ञानका प्रसारण केवल व्यक्ति के भले के लिए ही नहीं सो पीढ़ी-दर पीढ़ी चलता है। इससे उनकी पीढ़ियों में ज्ञान का सुधार होता है और उनके व्यवसाय को पूर्णता के शिखर तक पहुँचाया जा सकता है। *महान सिकन्दर के समय में भारतीयों ने यत्र कला में इतनी कुशलता प्राप्त की थी कि* उसका सेनानायक नीअरकस यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया था क्योंकि भारतीयों ने ग्रीक सैनिकों के आक्रमण को रोकने के लिए अद्भुत कुशलता से सामना किया था *एक बार मुझे ऐसी ही स्थिति का अनुभव हुआ था'। एक भारतीय कारीगर को मैंने* पुर्तगाल में बना एक सुदर लैंप दिया था। कुछ दिन के बाद ठीक वैसा ही दूसरा लैम्प बनाकर वह कारीगर मुझे दे गया और मैं दोनों लैम्प में असली लैम्प कौन सा है यह *पहचान नहीं पाया । जब से विदेशी विजेताओं ने स्थानीय राज्यकर्ताओं को खदेड़* दिया है तब से कलाओं और शास्त्रों के अध्ययन में गिरावट आई है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। विदेशियों के आक्रमण से कई अचल पूर्ण रूप से उजड़ गए हैं *और कई जातिया परस्पर मिश्रित भी हो गई हैं। इससे पूर्व अलग अलग राज्यों में* वैभव और समृद्धि थी। राज्य के कानूनों का पालन होता था। न्याय और समाज व्यवस्था अच्छी चलती थी। किन्तु दुर्भाग्य यह हुआ कि वर्तमान समय में तो कई *अचलों में केन्द्रीय शासन और अत्याचारों की बाढ़ ही दिखाई देती है।*

५ एलेकझाडर वॉकर

भारत की शिक्षा और साहित्य के विषय मे

मलबारी साहित्य का अथवा भारत में अलग अलग विद्याओं के स्रोत और उनकी प्रगति किस प्रकार हुई उसका इतिहास यहाँ प्रस्तुत करने का मेरा आशय नहीं है। केवल कुछ पुस्तकें और लेखक जिनके साहित्य का मलबार में अध्ययन हो रहा है और जो मैंने १८०० से कई वर्ष पूर्व प्राप्त की थीं उनके निरीक्षण से एक प्रस्तावना के रूप में पुस्तक सूची तैयार करना चाहता हूँ।

मलबार के साहित्य के मूल में हिन्दू राज्यों में जो विषयवस्तु स्थित है वह वही की वही है। जो प्राचीन पुरातन भाषा है और जो अब बोली नहीं जाती उस सस्कृत भाषामें उसकी बुनियाद है। दूसरी ओर उनका इतिहास अभी की कई यूरोपीय भाषाओं जैसे ग्रीक या रोम की भाषा के साथ बहुत ही जुडा हुआ है। उसमें गोथिक भाषा के असख्य शब्द और अक्षरसमूहों की रचना निहित है। लेटिन और ग्रीक भाषा का यूरोप में जो स्थान है वैसा ही स्थान सस्कृत भाषा का भारत में है। भाषा के उपयोग में न होने और न बोली जाने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। केवल समय का बीतना और राजकीय परिवर्तन ही इसके कारण होते हैं। अत हमारी दृष्टि ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से पुरातन युगों की ओर चली जाती है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्यों को जब अत्यधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है तब विद्या और शास्त्रों की सहज वृद्धि होती है ऐसा मानना चाहिए। साधनों का आधिक्य और मन की शाति प्राप्त होने से लोगों को ज्ञान अर्जन करने की प्रेरणा तथा पुस्तकों में खो जाने की और सीखने की स्वतत्रता प्राप्त होती है। किन्तु दुर्भाग्य यह भी रहा कि सनातनी लोगों की तरह हिन्दुओं ने विज्ञान जिन तथ्यों का निर्देश करता है उन्हें उपदेश और आदर्श चित्रों में देखने का प्रयास किया। वे जीवन के कर्तव्य तथा मन की अलग अलग शक्तियों की समझ भी देते हैं किन्तु उनका अध्ययन का प्रिय विषय भारतीय सत

अध्यात्मविद्या और जिसकी नींव में अधश्रद्धा तथा दोष है ऐसा गहन तत्त्वज्ञान रहा है। वे तर्कशास्त्र अलकारशास्त्र और व्याकरण को विशेष मान्यता देते थे और ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले इन शास्त्रो का अध्ययन अत्यत परिश्रमपूर्वक करते थे और कुशलता पूर्वक उसको व्यवहार में लाते थे। इन शास्त्रों के विकास के लिए वे जीवन दे देते थे। हिन्दुओं ने प्रयोग नहीं किए। परन्तु यह एक असाधारण बात है कि इसकी सहायता के बिना भी अत्यत कठिन और गणितशास्त्र की शाखाओं में निहित अनेक विषय खगोल और बीजगणित का ज्ञान इन सबसे वे परिचित थे। इस प्रकार की जानकारी की प्राप्ति क्या उनके अध्ययन और चिन्तन मनन के कारण थी या अभी भुला दिये गये किसी पुरातन उद्गम में स्थित थी ? इन प्रश्नों के बारे में निश्चित करना मुश्किल है क्योंकि हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि वे औरों से ज्ञान प्राप्त करते थे। पर ऐसा मानना भी उचित रहेगा कि उनके पास जो कुछ भी है उसके वे शोधकर्ता रहे हैं। दुःखों को सहकर भी उन लोगों ने इन विद्याओं की सुरक्षा की है तथा बहुत ही परिश्रम करके उन्होंने उन्हें साध्य किया है।

भारत के मध्य भाग में बसनेवाले लोगों की तुलना में मलबार की शिक्षा अत्यत सीमित रही है किन्तु इसके साथ ही अक्षरज्ञान के मामले में वे लापरवाह नहीं रहे हैं। खास करके वे अपने बच्चोंको लिखाई-पढाई की शिक्षा देने के लिए अत्यत उत्सुक और सतर्क हैं। प्रत्येक परिवार में बचपन से ही शिक्षा को अग्रिम स्थान दिया गया है। उनकी बहुत सी स्त्रियों को लिखना-पढना सिखाया गया है। ब्राह्मण तो सामान्यत शाला के शिक्षक होते ही हैं तथापि कोई भी प्रतिष्ठित जाति का व्यक्ति शिक्षा का व्यवसाय कर सकता है। अत्यत सरल पद्धति से भय और धमकियों से रहित तथा बिना मार पीट ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा की इस पद्धति को लेकर काफी उत्तेजना और विवाद फैला है।

यह विवाद उस शिक्षा पद्धति के प्रणेताओ को लेकर रहा है। इसका मूल इसी देश में है न कि यूरोप के दावे के अनुसार अन्यत्र कहीं। यह पद्धति ब्राह्मणों से प्राप्त करके यूरोप में गई उसने प्रत्येक प्रबुद्ध राष्ट्र की राष्ट्रीय शालाओं की नींव डाली है। इसके लिए उन लोगों ने (यूरोपीयों ने) जिनसे यह शिक्षा की पद्धति ज्ञात हुई उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि इस पद्धति से हम समाज के निम्नस्तर तक शिक्षा का प्रसार बिना खर्च के और दोषरहित पद्धति से कर सकते हैं। पहले कभी नहीं पाई गई थी वैसी पद्धति हम अपना पाए हैं। प्रत्येक छात्र एक दूसरे को सहायता करनेवाला छात्र

" बालू पर छोटी सी लकड़ी या उँगली से अक्षर लेखन होता है। इसी पद्धति से

लिखाई और पढाई का कार्य एक साथ होता है। शिक्षा की यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के लिए है। छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तब उसे प्राथमिक शाला से उच्चतर शिक्षा देनेवाली शाला में स्थानातरित किया जाता है जहाँ पठन लेखन और हिसाब-किताब सिखाया जाता है। ऐसे छात्र को विशेष विद्वान गुरु के मार्गदर्शन में रखा जाता है। मेहनत मजदूरी करनेवाले लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसी प्राथमिक शालाओं के आभारी हैं। ससार के इस हिस्से में प्रचलित शिक्षा पद्धति भारत के लोगों को समीक्षा का मौका देती है। जैसे कि उसी वर्ग के यूरोप के लोगों को केवल आशिक फायदा ही हुआ है। बुद्धिमान लोग अपना जीवन कर्तव्य अच्छे प्रकार से निभाएँगे यह तो स्पष्ट ही है।

लगभग २०० वर्ष पूर्व पिटर डेलावेले ने मलबार की शिक्षा पद्धति का एक विवरण प्रकाशित किया है। उसने तक्कट्ट (नाम स्थान) से २२ नवम्बर १६२३ में लिखा है -

जब दण्ड व्यवस्थित रखे जा रहे थे तब मैं मदिर के आगे दालान में खड़ा रहकर कुतूहल पूर्वक देख रहा था कि छोटे बच्चे कुछ विचित्र प्रकार से गणित सीख रहे थे। उस विचित्र पद्धति का ही यहाँ परिचय करवा रहा हूँ। चार बच्चे थे। वे शिक्षक से एक ही पाठ की शिक्षा ले रहे थे। अब उसे ग्रहण करने के लिए पूर्व के पाठों की तरह उनका पुनरावर्तन कर रहे थे जिससे वे भूल न जाएँ। उनमें एक बच्चा लयबद्ध गा रहा था। (गाने से स्मरणशक्ति और भी गहरी हो जाती है)। अतः सीखे गए पाठ का मुखपाठ इस प्रकार गाकर किया जाता है। जैसे कि एक एक एक और जब वह इस प्रकार बोले जा रहा था तब वह एक' लिख भी रहा था और यह लिखाई किसी कागज़-पेन से नहीं किन्तु जमीन पर बालू पर उँगली से हो रही थी। इससे कागज़ का अपव्यय नहीं होता था। जब पहला बालक इस प्रकार बोलकर लिख रहा था तब शेष बच्चे उसी प्रकार से एक साथ बोलकर लिखते जा रहे थ। फिर जब पहला बालक पाठ का दूसरा हिस्सा दो एक दो' ऐसे गा कर लिख रहा था तब इस प्रकार यह गान व लेखन आगे चल रहा था। तत्पश्चात् जब पूरी ज़मीन अकों से भर जाती थी तो वे अपने हाथ से उसे मिटा देते थे और आवश्यक लगने पर इसी के लिए रखी ढेर सी बालू में से थोड़ी सी लेकर उसे छिटककर पुन लिखते थे। इस प्रकार पाठ्यक्रम पूरा होने तक वे इसी प्रकार से लिखते पढ़ते व आगे बढ़ते थे। इस प्रकार वे बिना कागज़-पेन ही के लिखना पढ़ना सीख जाते थे। यह बहुत ही सुन्दर तरीका है। मैंने उनसे प्रश्न किया कि वे अगर कुछ भूल जाएँ तो उसे सुधारेगा कौन या कौन स्मरण करवायेगा। तब उनका उत्तर था कि हम चारों या जितने भी हैं सभी तो भूल जाएँगे नहीं। अत इस प्रकार परस्पर मिलकर स्मरण करवाते रहते हैं। वास्तव में शिक्षा की यह अति सुदर सरल और सुरक्षित पद्धति है। हम

भारत के ग्रामवासियों को उनकी ज्ञानप्राप्ति की धीमी प्रगति के लिए और उन्हें प्राप्त मौके की ओर उपेक्षा भाव रखने के कारण बारबार डाटते रहते हैं। हमारे यहाँ भी यूरोपवासियों में भी ऐसी ही उपेक्षा है क्यों कि इस प्रकार की शिक्षा से परिचित होने में तथा उसे व्यवहार में लाने में उन लोगों ने दो शताब्दी जितना समय बीता दिया है। आखिर बिना किसी भी प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापित किए इस देश में (यूरोप में) यह पद्धति प्रयुक्त की जाती है और ऐसा दावा भी किया गया है कि इस पद्धति की दो अलग अलग व्यक्तियों ने खोज की है और इनमें कौन पहला है यह झगड़ा चल रहा है।

मिशनरी अब प्रामाणिकता से स्वीकार करते हैं कि इन शालाओं में जिस पद्धति के द्वारा शिक्षा दी जा रही है वह पद्धति वे भारत से ले गए हैं। उसमें हमने थोड़ा सुधार किया है किन्तु बुनियादी विचारों का ही भविष्य होता है और फिर साधारणत बाद में ही दूसरे तबके में तेजी से प्रगति होती है ।

हिन्दुओं की अपेक्षा और कोई भी लोग शिक्षा के महत्त्व को सही रूप में नहीं समझ सकता है। इससे शालाओं की स्थापना में रुकावट डालने या विरोध करने के बजाय अज्ञान व दुःख के निवारण के लिए उन्होंने और सस्थाएँ शुरू की हैं। जिज्ञासा और चर्चा के मामले में वे कभी भी अरुचि नहीं बताते है। किन्तु इस प्रकार के जोश को न रोके या निराश न करे ऐसा राज्य उन्हें चाहिए।

मलबार में अभी भी पूर्व में उपयोग में ली जानेवाली पद्धति ही प्रयुक्त होती है। कागज लकड़ी का स्वाभाविक उत्पादन है। वे स्याही का उपयोग नहीं करते हैं। वृक्ष के पत्तों पर सज्ञाएँ उकेरी जाती हैं। विशिष्ट प्रकार का ताड़पत्र इसके लिए पसद किया जाता है जो कुछ सीमा तक कलम की घिसाई सह सके। इन पत्रों को डोरी से बाध दिया जाता है और उसे पुस्तक का रूप दिया जाता है। इस पुस्तक को लकड़ी की दो पट्टियों के बीच में सुरक्षित रखा जाता है। कई बार आवरण चढ़ाकर वॉर्निशयुक्त बनाकर उसे सुदर रूप दिया जाता है। ऐसे पत्रों का कागज़ लिखने में काम में आता है फिर उसे मोड़ दिया जाता है। देश में उस समय लिखे कागज़ पर मुहर लगाने की पद्धति नहीं थी। ९०० वर्ष से बेसिल काउन्सिलका कानून पार्चमेन्ट पेपरमें (एक प्रकार का कड़ा सा कागज़) प्रत्येक पृष्ठ से रेशम की डोरी डाल कर और उस पर मुद्रित करके रखा जाता है। यह कथन उस समय के केम्ब्रिज में रहनेवाले इवेलिन ने किया है। यह कथन जिस प्रकार मलबार की पाण्डुलिपिया सुरक्षित की गई हैं उसीके जैसा दिखाई देता है।

नोर्वे और स्वीडन में पहले लोग लकड़ी की पट्टियों पर लिखते या नक्काशी करते थे । लकड़ी की पट्टियों पर कविताएँ नक्काशी करके अकित करने का रिवाज था। इन लकड़ी की पट्टियों को 'स्टेव' कहा जाता है। और श्लोको को भी 'स्टेव' के नाम से

पहचाना जाता है।

पत्र पर लिखने का या नक्काशी करने का रिवाज़ उस समय सारे भारत में प्रचलित था। सन् १४४२ में अब्दुल रज़ाक ने उसके सफर के दौरान यह पद्धति बिशनगढ में देखी थी।

अभी अगर धनराशि दी जाए तो भारत में शालाओं की सख्या में वृद्धि करने में और कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती। शिक्षकों के लिए मिशनरियों से भेंट करने के लिये लोग उत्सुक और उतावले हो रहे हैं। थोडा सा धैर्य रखें तो भी हम अपनी पसद की कोई भी पुस्तक इस शाला में लागू कर सकते हैं। यहा बच्चों को पारपरिक रूप में कोई ज्ञान नहीं है ये केवल बुद्धि से सीखते हैं। यहा के ग्रामवासी सरल हैं निष्कपट हैं। ये पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं। उनको पढानेवालों के दूरगामी और अन्तिम आशयों के प्रति वे सन्देह नहीं रखते हैं। वे खुले मनसे और सौजन्य से अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं। अगर विवेक से काम लिया जाए तो हमें अपने ग्रथ पढाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वे सपत्ति परिवार का गौरव या जाति के गौरव के बदले में भी यह प्राप्त करने को तैयार हैं। यह इच्छा सभी हिन्दुओं के मनमें स्थित है। इस इच्छा को सार्थक करने के लिए उन्होंने प्रत्येक गाँवमें उनकी पद्धति के अनुरूप ही शाला निर्माण की है। चिन्सुरम के एक मिशनरी लिखते हैं कि विद्वान और अनपढ सभी अब हमारे बच्चों को शिक्षा के महान आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं ऐसा कहकर एक दूसरे को बधाई देते है।

मलबार में लबे समय से सस्कृत भाषा का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है तथा वहाँ की स्थानीय लिपि में लिखने का कार्य चल रहा है। इस प्रकार वहाँ के निवासियों में ज्ञान का प्रसार अच्छी तरह से हुआ है। इस प्रकार का साहित्य किसी विशेष सप्रदाय या वर्ग के लिए नहीं है। लोग अपने धर्म की मान्यताओं और रहस्यों से परिचित भी हैं। ज़मीनदार जिनका बस्ती में सम्मान का स्थान माना गया है और अचल की सत्ता तथा सपत्ति जिनके हाथ में है उन्होंने शिक्षा जिज्ञासा और स्वातत्र्य के उत्साह को विशेष प्रभावित किया है।

मलबार के लोगों में स्वय ही लिखाई करने का एक स्वतत्र ढाचा या परपरा है। वे नक्काशी प्रकार से लिखाई करना ज़्यादा पसद करते हैं। ताडपत्र को सुखाकर खास प्रकार से उसे तैयार करते हैं। बाद में उस पर लिखाई की जाती है। पुरातन समय के स्टाइल्स के समान पैने नुकीले लोहे के साधन का वे कलम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। फिर कागज़ पर लिखने के लिए ये कलम का उपयोग करते हैं। परन्तु यह तो हमारी या मुसलमानों ने अपनाई रीति का अनुकरण ही है। लिखने के लिए पत्थर चमडा पत्ते और

वृक्ष के छिलके आदि पुराने समय में उपयोग में लाए जाते थे। ये पत्ते जल्दी से सड़ते नहीं हैं और जीव जंतुओं का मुकाबला भी कर सकते हैं। और कागज की अपेक्षा काफी लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। लोग सामान्यतः कागज की एक ओर बाईं से दायी ओर लिखते हैं। भिन्न नाप के कागजों की तरह भिन्न भिन्न आकार और गुण वाले पत्तों (भोजपत्र) का लोग उत्पादन करते हैं। ये पत्ते उत्तर लिखने पुस्तकें बनाने या पत्र लिखने के काम मे आते हैं। उन्हें सी कर नहीं वरन् डोरी से बांधकर योग्य आकार के ग्रन्थ तैयार किये जाते हैं। हाशिये जैसी थोड़ी जगह रखी जाती है जिसमें रेशम की डोरी पिरोकर उसे मजबूती से बाँधा जाता है या उसे अच्छी तरह लपेटा जाता है जिससे पत्ते सुरक्षित रह सकें। हमारी ही तरह ग्रामवासी भी अपनी इन पुस्तकों को उतनी ही सरलता से खोलते हैं। पुस्तकें लकड़ी की दो पतली तख्तियों में बाँध कर रखी होती हैं और इन तख्तियों को मनपसद रंगों से रंगा जाता है या वार्निश की जाती है।

मलबार में प्राप्त पुस्तकों की सूची निम्नानुसार है। मुस्लिम काल में आये अवरोधों के कारण बहुत सी पुस्तकें लुप्त हो गईं या नष्ट हो गईं। परंतु त्रावणकोर में अभी भी पुस्तकों का पूरा भंडार सुरक्षित है जिसमें मलबार साहित्य का बड़ा हिस्सा प्राप्य है। इनमें से ३०-४० पुस्तकों का मलबारी भाषामें अनुवाद किया गया है। संस्कृत के कुछ शब्दों को अनुवाद में भी यथावत रखा गया है। इससे संस्कृत भाषा के प्रति लगाव प्रगट होता है।

टिप्पणी में मलबार के कार्यों का उल्लेख किया गया है जो पुस्तक सूची में क्रमांक १८१ पर दर्शाया गया है। संभवत वह किसी सचिव ने लिखा होगा और उसे दबा दिया गया होगा। मलबारी कवि रचित ९०० लघु कविताओं - जो प्रत्येक आठ कड़ी की होती है - ये ९०० अष्टक भारत में उपलब्ध है। इन अष्टकों में ब्राह्मणों की जिन्हें कवि धिक्कारता था कठोर निंदा की गई है। यदि हममें से कोई पौर्वात्य शिक्षण की गहन जाँच कर इस कवि के बारे में प्रामाणिक अभिप्राय प्रस्तुत करेगा तो साहित्य के लिये महान कार्य करेगा।

संभवत यह लेखक हृदय से ईश्वर में माननेवाला परन्तु उसे न दर्शानेवाला होना चाहिए। वह लिखता है यह ब्राह्मणों का गुप्त व्यवसाय है। वे अपनी भावनाओं को छिपाते नहीं हैं ये हिन्दू देवताओं में श्रद्धा नहीं रखते और उसकी अभिव्यक्ति भी खुले आम करते हैं। इस प्रकार की मान्यता रखने वाले अनेक ब्राह्मणों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये लोग स्वीकार करते हैं कि सबका सर्जक प्रभु एक ही है। भारत में भिन्न भिन्न समयों में सुधारक हुए हैं और वेदान्त सम्प्रदाय के लोग प्रचलित धर्मों में बिलकुल विश्वास नहीं करते।

मलबार में बहुत से नाटक होते हैं तथा मलबारी लोग नाटक देखने के बड़े शौकीन हैं।

ऐसे नाटकों में मैं उपस्थित रहा हूँ। यह नाट्यगृह या तो खुले आकाश के नीचे या अस्थायी छत के नीचे होता है।[११] इस मंडप में हजारों दर्शक बैठ सकते हैं। ऐसे अवसरों पर लोगों को बैठने के लिये अलग अलग प्रकार की बैठकें होती हैं। स्त्री-पुरुष साथ साथ बैठते हैं। यह व्यवस्था भारत के अन्य भागों में प्रचलित रूढि से एकदम विपरीत है। मैंने लगभग २ हजार स्त्रीपुरुषों के समूह को ऐसे नाटक देखते हुये देखा है। राजकुमारी के विवाह के समय स्त्री पुरुष एक साथ बैठकर नाटक देखते थे। विशाल सामियाना लगाया गया था और बैठक व्यवस्था ढलान के क्रममें की गई थी जिससे प्रेक्षक सुविधापूर्वक देख सकें। नाटक के पात्रों में देवी देवता राजा वीरपुरुष और उनके सेवक थे। पात्रों के अनुरूप वेशभूषा भी थी। किसी यांत्रिक साधन का उपयोग नहीं किया गया था। पर्दा लकडी का ही था।

नाटक की विषय वस्तु कुछ इस प्रकार थी। राजा की दो पत्नियाँ थीं। इससे वह उलझन में पड़ गया । उनके झगडे और उपेक्षा के कारण राजा मानसिक संताप से ग्रस्त था। इससे मुक्ति हेतु वह देवताओं की प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना सुनकर देवताओं ने उसे ऐसी सिद्धि प्रदान की कि वह जिसे चाहे उसे सुला सके। उस युक्ति से वह बहुत खुश था और भविष्य में मात्र सुख की ही आशा रखता था। परंतु इस प्रयास में वह निराश हुआ। वह अपनी पत्नियों को एक एक कर सुला देता परंतु उसे चैन नहीं मिलता। प्रत्येक जब उठती तो दूसरी की इर्ष्या करती और राजा को कोसती रहती कि तुम उसके प्रति पक्षपात करते हो। इस नाटक का अंत मैं भूल गया हूँ। परंतु १७९३ में भारत के समाचार पत्रों में इस विवाह के समाचार प्रकाशित हुए हैं। फिलहाल तो मैं इस विवाह का वर्णन नहीं कर सकता। परंतु बाद में उसका विवरण कुछ स्थानीय सामयिकों में लिखा गया है। मैं मानता हूँ कि दो पत्नियों की अपेक्षा एक पत्नी होना अच्छा है - यह दिखाना इस नाटक का उद्देश्य था।

मलबार पुस्तक सूची से प्राप्त साहित्य और शिक्षा की प्रगति तथा पद्धति की जानकारी। पिटर डेलावेल की टिप्पणी संस्कृत में से अनुवाद करने का पत्तों पर लिखने का या नक्काशी करने की मलबार की पद्धति और सुंदर सूची साहित्य से प्राप्त उत्तम परिच्छेद या अवतरण।

(नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड एडिनबर्ग वॉकर ऑफ बॉलेन्ड पेपर्स १८४ ए ३ प्रकरण ३१ पृ ५०१ २७)।

६ विलियम एडम

यगाल मे शिक्षा की स्थिति के विषय में

१८३५-१८३८

१

विलियम एडम का देशी प्राथमिक शालाओं का विवरण

सामान्य

धार्मिक और मानवप्रेमी समाज के सहयोग से चलनेवाले विद्यालयों से सर्वथा विपरीत ग्रामवासियों के सहयोग से चलनेवाले और ज्ञान के मूल तत्त्वों की शिक्षा देनेवाले विद्यालयों का इस विवरण में वर्णन है। बगाल में ऐसे विद्यालय बड़ी सख्या में हैं। लोक शिक्षा समिति के एक माननीय सदस्य का उस विषय पर मतव्य इस विवरण में है। फिलहाल छोटे प्रातो में चल रहे विद्यालयों पर यदि प्रति मास १ रुपया खर्च किया जाए तो वह वार्षिक १२ लाख रुपये से भी कम होगा। इस से अनुमान किया जा सकता है कि केवल बगाल और बिहार में ऐसे १ लाख विद्यालय हैं और यदि दोनों प्रान्तों की सयुक्त जनसख्या ४ करोड़ है तो प्रति ४०० व्यक्ति एक विद्यालय होगा। विद्यालय में जाने वाले छात्रों का औसत तय करने के लिये मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।[१४] प्रशिया में १ २२ ५६ ७२५ की जनसख्या निश्चित जनगणना के आधार पर है और उसमें १४ वर्ष से कम आयु के ४४ ८७ ४६१ बालक हैं। अर्थात प्रति १ हजार की जनसख्या में ३६६ बालक हैं जो जनसख्या का ११/३ वा भाग है। बालकों की कुल सख्या का १/३ विद्यालय जाने की आयु का है। यह अंदाज बालक ७ वर्ष की आयु में विद्यालय जाना प्रारम्भ करता है इस तथ्य पर आधारित है। इस प्रकार सारे प्रशिया में १९ २३ २०० बालक शिक्षा से लाभान्वित होने योग्य हैं। यह अनुपात इस देश में चुस्ती से लागु नहीं होगा क्योंकि यहाँ

शाला जाने की आयु ५-६ वर्ष है और विद्यालय छोड़ने की आयु १४ के स्थान पर १०-१२ वर्ष की है। इस असगति के दो मूल कारण हैं। प्रशिया की अपेक्षा भारत में शाला में जानेवाले छात्रों की घट रही सख्या का मूल कारण भारत में विद्यालय जानेवाले छात्रों की कम आयु है। अर्थात् मृत्युदर के कारण भारत में विद्यालयों की सख्या घटी हुई लगती है। अत्यत निश्चित जानकारी के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि ये दोनों असगतिया एक दूसरे को सतुलित करती हैं। तब हम प्रशिया का औसत इस देश पर लागू कर सकते हैं। पूर्व में निर्देश किये अनुसार $^{11}/_{30}$ औसत प्रति ४०० व्यक्ति और $^{3}/_{4}$ शाला में जाने वाले छात्रों की योग्य आयु के बालक हैं तो यह कहा जा सकता है कि बगाल या बिहार में विद्यालय जाने वाले प्रति ६३ छात्र पर एक ग्राम विद्यालय है। इन में बालक बालिकायें दोनों हैं। छात्राओं के लिये गाँव में कोई अलग कन्या विद्यालय नहीं है। यदि बालक-बालिकाओं की सख्या समान मानें तो प्रति ३१ या ३२ छात्रों पर एक विद्यालय है। बगाल और बिहार में १ लाख विद्यालयों का जो अदाज लगाया गया है उसकी पुष्टि इन प्रांतों के गाँवों की सख्या से होती है। शासकीय गणना के अनुसार यह १ ५० ७४८ हैं। यद्यपि बहुत से गाँवों में विद्यालय नहीं है फिर भी १ लाख विद्यालय तो हैं ही। ऐसा माना जाए कि शिक्षा के बारे में यह अनिश्चित जानकारी सत्य से दूर की सभावना मात्र ही है फिर भी ग्राम विद्यालय प्रणाली व्यापक रूप से प्रचलित है। गरीब से गरीब व्यक्ति के मनमें अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की गहरी भावना दिखाई देती है। ये सस्थायें देश के रीतिरिवाजों से इतनी ओतप्रोत हैं कि इनके द्वारा ही हम ग्रामीण जनसमाज की नीतिमत्ता और बुद्धि में सुधार कर सकते हैं किसी अन्य विशिष्ट पद्धति से नहीं।

वर्तमान परिस्थिति में विद्यालय शिक्षा हेतु कोई महत्त्वपूर्ण साधन बनने की सम्भावना नहीं है। शिक्षकों की अल्पज्ञता और मातापिता की गरीबी के कारण बालकों को अत्यत छोटी आयु में ही विद्यालय से उठा लेने के कारण शिक्षा से उन्हें प्राप्त लाभांश बहुत छोटा है। पहले बताए गये अनुसार बगाल के बच्चों की शिक्षा ५-६ वर्ष की आयु से प्रारम्भ होती है और ५-६ वर्ष के बाद स्थगित हो जाती है। इस आयु में ज्ञान प्राप्त करने योग्य बुद्धि और तर्कशक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। शिक्षक अपनी आजीविका के लिये छात्रों पर निर्भर होते हैं। उनका मान सम्मान नहीं रह पाता। उन्हें अत्यल्प वेतन प्राप्त होता है। इस व्यवसाय के लिये आवश्यक चरित्र शक्ति या विद्वत्ता को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता। ऐसे विद्यालय किसी प्रतिष्ठित (सम्पन्न) ग्रामवासी के घर पर या उसके आसपास चलते हैं। सभी बच्चों को प्रादेशिक भाषामें शिक्षा दी जाती है। शिक्षक को अधिक वेतन मिल सके इस हेतुसे अधिक सख्या में धनी परिवार के बालकों को प्रवेश देने

की स्वतन्त्रता शिक्षक को होती है। बालक सर्व प्रथम रेत पर स्वर और व्यंजन लिखना सीखते हैं। तत्पश्चात् वे स्लेट पर पेन से अथवा सफेद खड़िया से लिखते हैं। यह अभ्यास आठ-दस दिन चलता है। उसके बाद उन्हे ताड़पत्र पर लिखना सिखाया जाता है जिसके लिये वे कलम ऊंगलियों से नहीं अपितु मुट्ठी से पकड़ते हैं। इस प्रकार कलम से उन्हें ताड़पत्र पर संयुक्ताक्षर शब्दांश शब्द अंक (पहाड़ा) द्रव्य वजन और दूरी के नाप विशेष व्यक्तियों के नाप व स्थान लिखना सिखाया जाता है। यह प्रक्रिया एक वर्ष तक चलती है। फिर शिक्षक लोहे की तेज धारदार कलम से ताड़पत्र पर अक्षर उकेरता है। छात्र इन अक्षरों में स्याही भरते हैं। काजल से बनी स्याही से केले के पत्तों पर लिखना और हिसाब करना (गणित) सिखाया जाता है। यह अभ्यास छ महीने चलता है। इस दौरान उन्हें जोड़बाकी गुणा भाग जमीन के सरल नाप व्यवसाय तथा खेती से सम्बन्धित हिसाबकिताब और पत्र लेखन सिखाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित के नियम कृषि से सम्बन्धित विषयों में और नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय से सम्बन्धित हिसाब किताब में उपयोगी होते हैं। किन्तु नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में आभासी क्षतियुक्त शिक्षा प्राप्त होती है। यद्यपि ग्रामीण शालाओं में प्रादेशिक भाषा के हिज्जे सिखाये गये होते हैं फिर भी कुछ विद्यालयों के दो तीन तेजस्वी छात्र ही प्रदेश के प्रसिद्ध कवियों की रचना से थोड़ा ही कुछ लिख पाते हैं यह सुविदित है। हस्त लेखन भी उतना ही अनिश्चित और अयोग्य है। शब्दरचना इससे भी क्षतियुक्त हुई है। अतः संपूर्ण योग्यता रखनेवाला शिक्षक भी यह गलती सुधारने में असमर्थ होता है। छात्र साहित्यिक और मौखिक विषयों व्यक्तिगत गुणवृद्धि और सामाजिक दायित्व के क्षेत्रों में अशिक्षित जैसे ही रहते हैं। शिक्षक भी अपने चरित्र से उपदेश या डांटडपट के द्वारा अपने छात्रों के चरित्रनिर्माण हेतु कोई नैतिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते। केवल वेतन के लिये वे बेगार करते हैं। इसके अतिरिक्त नैतिक मूल्य और उदात्त ज्ञान देनेवाली कोई पाठ्यपुस्तकें भी नहीं हैं। इससे शिक्षा केवल हिसाब किताब तक सीमित काफी संकुचित और निम्न स्तर की है जिससे न हृदय की भावनायें प्रभावित होती हैं और न व्यापक समझदारी आती है। मैं मानता हूँ कि यह विवरण समग्र बंगाल के विद्यालयों पर लागू होता है।

बंगाली प्राथमिक विद्यालय

हिन्दू कानून के सत्ताधीशों का प्रबल आग्रह रहा है कि बालकों को पांच वर्ष की आयु से ही लिखना पढ़ना सीखना चाहिए। यदि यह सम्भव न हो तो सातवें या नौवें (विषम) वर्ष से शिक्षा प्रारम्भ होनी चाहिए। वर्ष के कुछ मास महिनों के कुछ सप्ताह और

सप्ताहों के कुछ निश्चित दिन इस हेतु तय किये जाते हैं। किसी तय दिन को परिवार के पुरोहित द्वारा धार्मिक क्रिया की जाती है। विशेष रूप से इस दिन सरस्वती पूजन किया जाता है। सरस्वती विद्या की देवी हैं। इस विधि के बाद पुरोहित बालक का हाथ पकड़कर मूलाक्षर लिखवाता है और प्रथम बार उसे लिख कर उसका उच्चारण सिखाया जाता है। हिन्दुओं के लिये यह विधि अनिवार्य नहीं है परन्तु सम्पन्न लोक जो अपने बालकों को अधिक शिक्षा देना चाहते हैं इसका आयोजन करते हैं। इस विधि से निश्चित माना जाता है कि बालक की शिक्षा प्रारम्भ हो चुकी है और प्रदेश के कुछ भागों में उसे तुरन्त ही विद्यालय भेजा जाने लगता है। परतु इस जिले (राजाशाही) में इस के लिये कोई निश्चित आयु तय की गई है ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आया। यह मातापिता को उपलब्ध अवसर और बालक के स्वभाव और शक्ति पर निर्भर करता है। शिक्षा का पाठ्यक्रम तय होने के कारण बालक की शाला छोड़ने की आयु उसकी प्रवेश लेने की आयु पर आधारित होती है।

नातोर में विद्यालयों की संख्या १० है जिनमें १६७ छात्र अध्ययन करते हैं। ये छात्र १० वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश पाते हैं और १० से १६ वर्ष की आयु में विद्यालय छोड़ते हैं। अलग अलग शिक्षकों के कथनानुसार विद्यालय में बिताया समय ५ से १० वर्ष का प्रतीत होता है। दो शिक्षक यह समय ५ वर्ष का बताते हैं एक छ वर्ष का तीन ७ वर्ष का अन्य दो ८ वर्ष का एक ९ वर्ष का और एक दस वर्ष का बताता है। इस प्रकार आयु बढ़ने पर समय का बड़ा दुर्व्यय होता दिखता है। उन्हें दी जा रही शिक्षा का व्याप देखते हुए यह बड़ा दुर्व्यय है।

शिक्षक युवा और प्रौढ वय के होते हैं। ये लोग सीधे सादे गरीब और अज्ञान हैं। यह व्यवसाय जो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करता है और उससे प्राप्त सामान्य वेतन ही उनकी जीविका का आधार है अतः वे इसे सम्माननीय मानते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि उनके द्वारा स्वीकृत व्यवसाय का महत्त्व क्या है। इस पर वे शायद ही विचार करते हैं। वे उनके छात्रों पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं इसकी प्रतीति न होने के कारण उनको सौंपे गये महान उत्तरदायित्व के प्रति वे लापरवाह रहते हैं। यदि वे उन्हें प्राप्त अधिकार और उपकार भाव के प्रति थोड़े भी सजग होते तो ऐसा नहीं होता। फिलहाल तो उनका केवल यत्रवत् प्रभाव उनके छात्रों के मन पर पड़ता है और उसकी बुद्धि को गढ़ता है। यह अत्यत अविवेकपूर्ण प्रणाली है। यह प्रथा निष्क्रिय रूप से उनके पास पड़ी रहती है और स्वत कार्य करने या निर्णय लेने का प्रोत्साहन उन्हें शायद ही दे पाती है। बालकों की सूक्ष्म सवेदनाओं का नियमन करना उनकी इच्छाओं और भावनाओं को नियत्रित करना या इस प्रकार का मार्गदर्शन देना-ऐसा कोई विचार उनके मनमें नहीं आता। इस प्रकार

उनके नैतिक चरित्र के गठन या उनके सुधार की सम्भावना नहीं है। यदि शिक्षक की गुणात्मकता सुधारी या बढ़ाई न गई तो इस देश में शिक्षा सुधार का कोई भी कदम अपर्याप्त रहेगा। अत शिक्षा व्यवसाय में शिक्षकों की दृष्टि और विचारों को ऊर्ध्वगामी बनाना होगा।

शिक्षकों का वेतन भिन्न भिन्न माध्यमों से दिया जाता है। केवल परोपकारी वृत्ति को समर्पित व्यक्तियों की ओर से दो शिक्षकों को पूरा वेतन मिलता है। तीसरे को आंशिक वेतन मिलता है। चौथे को वेतन शुल्क से मिलता है। अन्य छह को शुल्क तथा अन्य साधनों से वेतन मिलता है। शिक्षा में सामान्य तौर पर चार स्तर दिखाई देते हैं। लेखन के उपयोग में आनेवाली सामग्री (साधनों) से यह देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ जमीन ताड़पत्र केले के पत्ते और कागज। प्रत्येक नई कक्षा के प्रारम्भ के साथ अधिक शुल्क लिया जाता है। एक उदाहरण ऐसा भी है जहाँ पहला और दूसरा स्तर मिला दिये गये हैं तथा अन्य उदाहरण में तीसरा और चौथा स्तर मिला दिये गये हैं। दूसरे उदाहरण में तीसरे और चौथे स्तर का शुल्क समान है। तीसरे स्तर में पहले दूसरे और तीसरे स्तर का समान शुल्क है। परंतु अधिकांशतः ऊपर बताये अनुसार शुल्क लिया जाता है। अपवाद स्वरूप उदाहरणों में भी इसी प्रकार शुल्क लिया जाता है। एक दो अन्य उदाहरण भी शुल्क का सातत्य बनाए रखने के लिये अपनाये गये दिखते हैं। उसमें विद्यालय आने वाले छात्रों के मातापिता की सम्पन्नता को ध्यान में रखा जाता है। गरीब मातापिता के बालकों से सम्पन्न मातापिता के बालकों की अपेक्षा आधा एक तिहाई या एक चौथाई शुल्क लिया जाता है और आगे की कक्षाओं में भी यही स्वरूप बनाये रखा जाता है। शिक्षकों के वेतन और अधिकारों का ढाचा वैविध्यपूर्ण है। शिक्षक को चार आने से लेकर ५ रूपये तक प्रति मास दिया जाता है। पहले उदाहरण में (४ आने प्राप्तकर्ता) कपड़े का एक टुकड़ा और अन्य अवसरों पर बालकों के मातापिता से उपहार होता है। दूसरे उदाहरण (५ रूपये प्राप्तकर्ता) में ऐसे ही अन्य मामलों में मात्र अनाज या भोजन कपड़े धोने के साबुन व्यक्तिगत हाथ खर्च और यथावसर उपहार मिलते रहते हैं। जिन्हें अनाज के रूप में मदद मिलती है वे मुख्य दानदाता के घर पर ही रहते हैं और भोजन के लिये भिन्न भिन्न घरों पर जाते हैं। शिक्षक की आमदनी तय वेतन बदलता शुल्क स्तर और अधिकार के रूप में मिलनेवाली रकम कुल मिलाकर ३ रूपये आठ आने से सात रूपये मासिक तक होती है। इस प्रकार औसत पाच रूपये से अधिक रकम उन्हें मिलती रहती है। धाराइल का एक विद्यालय उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ गाँव के स्थानीय निवासी ही विद्यालय का निर्माण करते हैं। यहा चार चौधरी कुटुंब रहते हैं जो गाँव के प्रमुख परिवार हैं। परंतु अपने बालकों को पढ़ाने के लिये पर्याप्त धन शिक्षकों को वे दे सकें इतने सम्पन्न नहीं हैं। इससे वे दूसरों का

सहयोग लेते हैं। ये अपने घर का एक भाग शिक्षक को सौंप देते हैं। घर के आगे के भाग में उनका व्यापार धधा चलता है या पूजा पाठ और अतिथि सत्कार होता रहता है। पहले दो परिवार अतिरिक्त चार आने तीसरा आठ आने और चौथा बारह आने देता है। इस रकम से उनका (शिक्षा का) तमाम खर्च पूरा हो जाता है और शिक्षकों को कोई भेंट या आवश्यक वस्तु उनके द्वारा नहीं दी जाती। इस रकम के बहाने उनके पाँच बालकों को बगाल की शिक्षा भी मिल जाती है। यह आमदनी शिक्षक के निभाव के लिये पर्याप्त नहीं होती इससे वह अन्य बालकों को भी साथ में ले लेता है जिनमें से एक एक आना दूसरा तीन आने और अन्य पाँच प्रत्येक चार चार आने मासिक देते हैं। इसके अतिरिक्त वे चार आने मूल्य की भेंट भी स्वेच्छा से देते हैं। यह भेंट सागसब्जी चावल मछली या वस्त्र (रूमाल या अगवस्त्र) के रूप में मिलती है। कागबारिया के दो परिवारों के पाँच बच्चे धाराइसा के विद्यालय में पढते हैं। इनमें से एक परिवार के दो बच्चे दो आने और दूसरे परिवार के तीन बच्चे चार आने मासिक शुल्क देते हैं। इस प्रकार शिक्षक के वेतन की पूर्ति होती है। गरीब लोग अधूरा या कम चदा देकर भी सम्पन्न लोगों के साथ मिलकर विद्यालय का निभाव करते हैं। यह विद्यालय इसका उदाहरण है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि लोग अत्यत अल्प साधनों के द्वारा भी अपने बच्चों को बगाली शिक्षा देने को उत्सुक हैं।

जैसा कि मैंने पहले बताया है शिक्षकों का वेतन बहुत ही कम है। मेरी बात का तात्पर्य यह है कि उनकी योग्यता के अनुसार या जिले में प्राप्त पारिश्रमिक की तुलना में वह कम नहीं है परतु पूर्ण योग्यता वाले समर्थ व्यक्ति के वेतन की तुलना में वह कम है। वे भोजन के लिये प्रतिदिन एक घर से दूसरे घर जाते हैं यह उनके विनम्र चरित्र और भावना का परिचायक है (इसी से उनका सरल स्वभाव और सेवाभावना जानी जा सकती है)। इस आधार पर सब का अदाज नहीं दिया जा सकता। जो लोग समाज में समान स्तर के ऐसे ही कार्य करते हैं उनकी तुलना में इनकी वास्तविक सामाजिक स्थिति जानी जा सकती है। जिन कार्यों को यदि अवसर मिलने पर शिक्षक भी अवश्य कर सकते हैं ये समान स्तर के कार्य कहे जाते हैं। ये कार्य हैं पटवारी अमीन सुमारनीस और खमार-नवीस जो देशी राजाओं के द्वारा नियुक्त होते हैं। पटवारी घर घर जाकर जमींदारों का लगान वसूल करता है और उसे प्रति माह ढाई या तीन रूपये वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त मौसम की पहली फसल से सौगात भी मिलती है जो मासिक आठ आने जैसी होती है। अमीन ग्रामवासियों और जमींदारों के झगड़े निपटाना जमीन का नाप करना आदि कार्य करता है और उसे तीन से चार रूपये मासिक वेतन मिलता है। सुमारनवीस पटवारियों द्वारा जमा कराई रकम का हिसाब रखता है और प्रतिमास पाच रूपये वेतन पाता है। खमार

नवीस फसल का निरीक्षण कर उसका मूल्यांकन करता है जिस पर जमीनदार का अधिकार होता है। उसे भी पाँच रूपये वेतन मिलता है। इस प्रकार के पदभोगी और उससे संबंधित कर्तव्य करते हुए कभी कभी उन्हें उच्च वेतन भी मिलता है। परंतु मैं मानता हूँ कि उपरोक्त जो उदाहरण मैंने दिये हैं उनके समकक्ष यदि शिक्षक को रखा जा सकता है और यदि शिक्षक को भी वही काम सौंपे जाएँ तो वह उन्हें बखूबी निभा सकता है तब ग्रामीण जागीरदारी में लगे लोग अनधिकृत अनेक लाभ प्राप्त करते हैं और उन्हें मान सन्मान मिलता है तथा वे अपनी पहुँच का लाभ उठाते हैं जबकि विद्यालय के शिक्षक के पास यह कुछ नहीं होता यही मेरा कहना है। अन्य बातों में वे समान हैं। इन सभी क्षतियों की पूर्ति के लिये सामान्यतः नातौर में मैं जिन शिक्षकों से मिला उनका वेतनमान अपेक्षाकृत ऊँचा है। कुछ का सात रूपए या कुछ का साढ़ेसात रूपए जैसा है।

विद्यालयों के लिये भवन नहीं बनाये गये हैं तथा विद्यालय के स्वामित्व के भवन नहीं हैं। जो भी विभाग या मकान जहाँ छात्र एकत्र होकर पढ़ते हैं उनका उपयोग जब छात्र नहीं पढ़ रहे होते तब अन्य काम में होता है। कुछ छात्रों को पढीमण्डप में पढाया जाता है। यह स्थान मंदिर जैसा होता है और गाँव के प्रमुख परिवारों की मालिकी का होता है। वार्षिक त्यौहारों के समय उनमें पूजाविधि होती है। कभी कभी अनजान व्यक्तियों को भी वहाँ ठहराया जाता है और उनका स्वागत सम्मान किया जाता है। धंधा रोजगार भी वहाँ से होता है। 'बैठक' (चौपाल) एक झोंपडीनुमा खुली जगह होती है जहाँ मनोरंजन या गाँव के सामान्य हित की चर्चा हेतु सभाएँ होती हैं। अन्य एक स्थान विद्यालय के मुख्य समर्थक (सहयोगी) का निवासस्थान होता है। शिक्षक के निवासस्थान के पास कुछ सुरक्षित खुले स्थान के अलावा और कुछ विशेष स्थान नहीं होता। क्रमांक ४ के गाँव में 'अ' विद्यालय वर्षा के सिवाय खुले मैदान में लगता है। वर्षाऋतु में जिन बालकों के माँ बाप व्यय कर सकते हैं वे उनके लिये घास या पत्तियों का मण्डप बना देते हैं जो चारों ओर खुला होता है और मुश्किल से एक ही व्यक्ति को वर्षा से बचा पाता है। ३० ४० विद्यार्थियों के बीच ऐसे ५-६ मण्डप होते हैं। जिन्हें बरसात से बचाव नहीं मिलता वे या तो छूट जाते हैं या आधी बरसात में भीगते रहते हैं। यह स्पष्ट है कि विद्यालय की सामान्य कार्यदक्षता और नियमितता जो कक्षाकक्ष से उपलब्ध होती है और विद्यार्थियों के लिये आरामदायक और आनन्ददायक होती है एवं शिक्षक के पक्ष में निरीक्षण और सभी प्रकार से वार्तालाप सहज हो सके ऐसी स्थिति बनाती है वह यहाँ नदारद है।

दी जा रही शिक्षा का ब्यौरा देखने से पता चलता है कि समग्र जिले में कोई नहीं जानता कि ग्रामवासियों के लिये प्रादेशिक भाषा में छपी पुस्तकों का उपयोग किया जा

सकता है। अपवाद स्वरूप कुछ अधिकारी और सम्पन्न ग्रामवासी कोलकता से प्राप्त पचाग का उपयोग करते हैं तो भूला भटका कोई मुर्शिदाबाद से नदी पार कर आ बसा मिशनरी छपी पुस्तकों का उपयोग करता है। इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण मिला है परतु मैं बडे विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि किसी भी शिक्षक ने कभी छपी हुई पुस्तक नहीं देखी है। कोलकता बुक सोसायटी से प्राप्त पुस्तकें जब मैंने उनके समक्ष रखीं तो उन्हें ज्ञान के साधन के तौर पर नहीं वरन् कौतूहल से देखा गया। सोसायटी ने अब बलिआ में प्रकाशन की बिक्रि हेतु एक एजेन्सी स्थापित की है जिससे समग्र जिले में शिक्षा का प्रसार यथा समय हो सके।

छपी हुई पुस्तकें तो एक ओर ये यह भी नहीं जानते कि हस्तलिखित पुस्तकों का उपयोग हो सकता है। शिक्षक जो कुछ मौखिक पढाता लिखाता है छात्र उतना ही सीखते हैं। यद्यपि बालक को क्या पढाया-लिखाया गया वह शिक्षक को अच्छी तरह याद होता है और सम्भवत छात्र की स्मृति में भी वह उतना ही बना रहता है परतु इस प्रकार की शिक्षा की एक मर्यादा तो है ही। इस प्रकार ये जो रचना पढते हैं उसमें मुख्यतः सरस्वती वदना होती है जिसमें विद्या की देवी सरस्वती की वदना की जाती है। इस वदना की बार बार पुनरुक्ति कर उसे कठस्थ कर लिया जाता है और प्रत्येक छात्र विद्यालय छूटने से पूर्व जमीन पर बैठकर और मस्तक झुकाकर वरिष्ठ छात्र जो दो दो पक्ति गवाता है उसका अनुसरण करते हैं। मेरे पास भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त वदना के दो उदाहरण हैं। ये एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं फिर भी उनमें एक ही नाम की प्रार्थना है। इन विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा लिखी हुई और शुभकर के नियमों के अनुसार शब्दरचना वाली एक अन्य उक्ति भी वदना के लिये उपयोग की जाती है। इग्लैण्ड में जिस प्रकार कॉक्टर प्रसिद्ध होता है उसी प्रकार बगाल में शुभकर का नाम एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। फिर भी वह कौन था कब हुआ इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। यहा ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पूर्व इस प्रकार की रचनायें करनेवाला कोई हुआ होगा ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उसकी रचनाओं में अनेक हिन्दुस्तानी तथा फारसी शब्दों के प्रयोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह मुस्लिम शासन काल में हुआ होगा। अंग्रेजों या उनकी रचना का कोई प्रभाव नहीं दिखता। हाल ही में किसी ग्रामवासी सपादक ने इस कमी को दूर करने हेतु एक आवृत्ति का सपादन करने का विचार किया है।

ऐसा कहा गया है कि बगाल में शिक्षा के चार स्तर हैं। पहला स्तर शायद ही दस दिन का होता है जिसमें छोटे बालकों से उँगली या बाँस की कलम से जमीन पर लिखवाया जाता है। रेत की पट्टी (स्लेट) का इस जिले में उपयोग नहीं होता जिससे यह खर्च बच

जाता है। बालक की क्षमता के अनुसार दूसरा स्तर ढाई से चार वर्ष का होता है और वे ताड़पत्र पर लिखने में समर्थ हों इस प्रकार समय तय किया जाता है। यहाँ तक तो केवल शब्दोचार और अक्षरों के आकार को ध्यान में न लेते हुए विद्यार्थियों का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद लोहे के धारदार साधन से शिक्षक ताड़पत्र पर निश्चित आकार के अक्षर उकेरता है और विद्यार्थियों को उन पर बोरु की कलम और कोयले की रोशनाई से लिखने को कहा जाता है जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है। इसका अभ्यास उसी ताड़पत्र पर बार बार किया जाता है जबकि अक्षरों के उचित आकार व कद बनाये रखने में विद्यार्थी को शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। अन्य कोरे ताड़पत्र पर उससे वही अक्षर लिखने को कहा जाता है जिसमें उसे नकल या किसी मार्गदर्शन की सुविधा प्राप्त नहीं होती। उसके बाद उन्हें सयुक्ताक्षर स्वर व्यजन युक्त शब्द लिखने का अभ्यास निरंतर कराया जाता है। साथ ही व्यक्तियों के सरल नाम भी लिखवाये जाते हैं। प्रदेश के अन्य भागों की शालाओं में जाति नदियों पहाड़ों आदि के तथा व्यक्तियों के नाम लिखना सिखाया जाता है। तत्पश्चात् विद्यार्थी को लिखना-पढ़ना सिखाया जाता है। बार बार पुनरावर्तन कौड़ियों की मदद से सौ तक गिनती पहाड़ा जमीन नापने की तालिका (कोष्टक) वजन नापने की तालिका (शेर कोष्टक) जिससे सूखा माल सामान तौला जा सकता है आदि कंठस्थ कराया जाता है। कुछ अन्य स्थानों पर अन्य तालिकाएँ भी पढ़ाई जाती हैं जो इस जिले के विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जातीं। तीसरे स्तर की शिक्षा दो तीन वर्ष की होती है। इस समय में केले के पत्तों पर लिखना सिखाया जाता है। कुछ जिलों में उक्त तालिकाओं की शिक्षा इस स्तर पर स्थगित रहती है परतु इस जिलेमें इनकी शिक्षा दूसरे स्तर में दी जाती है। सर्वप्रथम केले के पत्तों पर विद्यार्थियों को अक्षर लिखना सिखाया जाता है और बगाली बोली के शब्द स्वरूप की पहचान के लिये अक्षरों को जोड़कर शब्द रचना की शिक्षा हेतु विद्यार्थियों से सादे अक्षर लिखने का अभ्यास कराया जाता है। बोलते समय कुछ शब्दों को संक्षिप्त रूप में बोलते हैं। यह क्रिया स्वर या व्यजन जोड़कर होती है या दो शब्दों का सयुक्त शब्द बनाकर की जाती है। परतु विद्यार्थी को सपूर्ण शब्द रचना लिखनी होती है संक्षिप्त रूप लिखने के काम नहीं आता। भाषा में प्रयुक्त मूल सस्कृत शब्दों की रचना (हिज्जे) सामान्य शिक्षक के बशके बाहर की बात है। इसी समय विद्यार्थी को गणित के सरल नियम जोड़-बाकी आदि सिखाये जाते हैं। प्रारभ जोड़ से होता है। गुणा भाग अलग से नहीं सिखाये जाते। इसके लिये बीस तक के पहाड़े की सहायता से सभी प्रकार की गणना की जाती है और यह पहाड़ा प्रतिदिन सुबह विद्यार्थियों से सस्वर बुलवाया जाता है। इस प्रकार यह कार्य किसी एक छात्र के लिये व्यक्तिगत तौर पर अलग से नहीं

होता परतु बार बार दुहराने से और एक दूसरे के अनुकरण से पहाडे पक्के हो जाते हैं। जोड बाकी सुदृढ हो जाने के बाद सिखाये जाने वाले गणित के नियमों के आधार पर छात्रों के दो वर्ग हो जाते हैं। जिनमें शिक्षक की क्षमता और माता पिता की इच्छा के अनुसार खेती सबधित गणना व्यापार सबधी व्यावहारिक गणना और थोडी बहुत दोनों प्रकार की गणना इन दो वर्गों के विद्यार्थियों को सिखाई जाती है। कृषि विषयक गणना में जमा उधार दैनिक मासिक या वार्षिक वेतन की गणना जमीन का क्षेत्रफल नापने की कथा-बीघा सारिणी उसकी चौकदी का नाप उसकी लबाई चौड़ाई का नाप उसकी पैदावार तथा लगान आदि की गणना सिखाई जाती है। कृषि से सबधित हिसाब किताब की अन्य बातें इस जिले में नहीं सिखाई जातीं। व्यापार से सबधित हिसाब किताब में सेर के भाव से मन (४० सेर) की कीमत आनों में मिलनेवाली कौडियों की सख्या से रूपये में मिलनेवाली कौडियों की गणना सिखाई जाती है। सेर की कीमत से चौथाई सेर छटाक ($^1/_{16}$ सेर) की कीमत मालूम की जाती है तथा छटाँक की कीमत पर से तोले की कीमत जानी जाती है। रकम पर ब्याज दर और बट्टा की गणना कर कितनी कुल रकम देनी होगी यह जाना जाता है। अन्य व्यापार धधों के हिसाब की गणना प्रक्रियायें हैं परतु वे विद्यालयों में नहीं सिखाई जातीं। शिक्षा का चौथा स्तर दो वर्ष का होता है। इससे कम हो सकता है परतु अधिक किसी भी स्थिति में नहीं। पिछले स्तर पर सिखाई गई गणनाओं को इस स्तर पर सघनरूप और विस्तार से सिखाया जाता है। इसमें आर्थिक पत्रव्यवहार आवेदनपत्र लेखन अनुदान की जानकारी और गणना भाडा चिट्ठी (रसीद) प्राप्त धन की रसीद हूडी आदि का समावेश होता है। साथ ही अलग-अलग कार्यालयों के अधिकारियों के साथ होनेवाला पत्र व्यवहार भी सिखाया जाता है। जब विद्यार्थी एक वर्ष तक कागज पर लिखते लिखते तैयार हो जाते हैं तब बगाली (भाषा) के व्यवहार के लिये स्वतत्र रूप से योग्य मान लिये जाते हैं और घर पर रामायण मानस मगल के अनुवादों का वाचन करते हैं।

बगाली शिक्षा का ढाचा जैसा होना चाहिए उसके स्थान पर जो वर्तमान में है यह देखने जैसा है। जिन शिक्षकों से मिलने का मर्यादित अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ऊपर वर्णन की गई सभी बातों की शिक्षा देने के लिये ये शिक्षक सर्वथा अयोग्य हैं। इससे उनके आडबरों को मैंने लिख रखा है। सभी लोग यहाँ वर्णित शिक्षा देने का दम्भ भी नहीं करते जो सारिणी २ से जाना जा सकता है। कुछ केवल खेती विषयक और कुछ केवल व्यापार विषयक शिक्षा देते हैं। इनमें से अधिकाश शिक्षकों को दोनों प्रकार की शिक्षा का सतही ज्ञान भी नहीं है।

गुणाकार का पहाडा शुभकर के गणित के नियम और सरस्वती देवी की प्रार्थना

के मत्रों के अपवाद के सिवाय छोटे बचे जो कुछ सीखते हैं यह बड़े बचों द्वारा बारबार उच स्वर में बोली गई बातों का अनुकरण मात्र होता है और उक्त अपवादो के सिवाय इस पुनरावर्तन का क्या अर्थ होता है इस सन्दर्भ में दीर्घकाल तक दुविधा ही रहती है। ग्राम्य शालाओं के बचे जब लिखना सीखते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि मात्र वाचन से ही नहीं वरन् वाचन और लेखन से ही उन्हें वास्तविक शिक्षा (ज्ञान) प्राप्त हो सकती है। उन्होंने पहले जो लिखा होता है उसे वे शिक्षक या वरिष्ठ विद्यार्थी को दिखाते हैं जिससे हाथ आँख कान आदि सभी इन्द्रियाँ शिक्षा में सहभागी बनती हैं। हम पहले जो शिक्षा प्रणाली अपनाते थे जिसमें भाषा के मूल तत्त्व कान और आँख की सहायता से ही सिखाये जाते थे और बाद में लेखन सिखाया जाता था इसके स्थान पर उपरोक्त प्रणाली (भारतीय) अधिक उपयुक्त लगती है। ऐसा लगता है कि ग्रामीण शिक्षा प्रणाली मात्र कान पर आधारित है और दृश्य (आंख) की उसमें उपेक्षा की जाती है यह गलतफहमी के कारण है। उक्त अपवादों सहित यह आँख की मदद के बिना कैसे सभव है। लेखन में तो दृश्येन्द्रिय के बिना ज्ञान सम्भव ही नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय विद्यालयों में नेतृत्व करने वाला वरिष्ठ विद्यार्थी (मानीटर प्रकार का) होता है और यही स्थिति बगाल के विद्यालयों में भी है।

बिना छत के या क्षतियुक्त निर्माणवाले मकानों में कक्षाकक्षों के न होने की और उनसे होनेवाले नुकसान की चर्चा पहले की जा चुकी है। अज्ञान की अपेक्षा गरीबी के कारण शिक्षा की इस प्रथा और कम खर्चीली व्यवस्था का स्वीकार किया गया है । फिर भी यदि उत्तम सयोग उपस्थित हों तो उन्हें छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। शिक्षा की इस पद्धति की कुछ प्रशसनीय बातें भी हैं। जिस प्रथा का मैंने वर्णन किया है उसका जोर व्यावहारिकता पर ज्यादा है और यदि योग्यरूप से समग्रता में शिक्षा कार्य होता है तो वह छात्र को गाँव के कामधधों के लिये पूर्ण रूप से योग्य बना सकती है। मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि स्कॉटलैण्ड की ग्राम शालाओं में दी जानेवाली शिक्षा विद्यार्थी के दैनंदिन व्यवहार के लिए अधिक उपयोगी है। जबकि बगाल की छोटी ग्राम शालाओं में दी जानेवाली शिक्षा व्यावहारिक जीवन में प्रभावशाली है।

फारसी प्राथमिक शालायें

नातोर में चार फारसी शालायें हैं। उनमें २३ छात्र पढ़ते हैं। उनमें साढे चार वर्ष से तेरह वर्ष तक की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता है और वे बारह से सत्रह वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इन शालाओं में चार से आठ वर्ष तक का

पाठ्यक्रम है। बंगाली शालाओं के शिक्षकों की अपेक्षा यहाँ के शिक्षकों का स्तर ऊँचा है फिर भी अपेक्षित स्तर की गुणवत्ता नहीं है। नैतिक दृष्टि से बंगाली शिक्षकों का सुन्दर प्रभाव बालकों के चरित्र और स्वभाव पर पड़ता है। ऐसी कोई बात फारसी शिक्षकों में नहीं दिखती। छात्रों से उन्हें कोई मासिक शुल्क नहीं मिलता। उन्हें आवश्यकता के अनुसार मासिक वेतन मिलता है। यह वेतन डेढ रूपये से चार रूपये तक का होता है। यह वेतन उन्हें एक या अधिक कुटुम्बों के द्वारा दिया जाता है और जीवनावश्यक वस्तुएँ जैसे कि अनाज नहानेधोने की सामग्री (लगभग ढाई से छह रूपये मूल्य की) तथा अन्य व्यक्तिगत खर्च की राशि एक परिवार से अथवा जो माता पिता मासिक भत्ता नहीं देते उनके द्वारा दी जाती है। इस तरह एक शिक्षक का वेतन मासिक ४ से १० रूपये तक होता है। इन शालाओं के आश्रयदाताओं का मुख्य हेतु उनके बालकों को शिक्षा दिलाना होता है। एक उदाहरण ऐसा भी मिला जहा एक नि सतान मुस्लिम व्यक्ति अपनी और से वेतन के लिये चंदा देता है जिसके बिना शिक्षक को अपने काम में कोई आकर्षण नहीं रहता। एक अन्य उदाहरणमें कुटुब के बालकों के अलावा अन्य दस बच्चों को शाला में प्रवेश दिया गया है जिनकी शिक्षा भोजन वस्त्र आदि नि शुल्क दिये जाते हैं। दो विद्यालयों के अपने मकान हैं जो परोपकारी आश्रयदाताओं ने बनवाये हैं और उनकी सहायता भी करते रहते हैं। अन्य दो विद्यालयों के छात्र घर के बाहरी भाग में जिनमें उन परिवारों के बालक भी शिक्षा लेते हैं एक होकर शिक्षा प्राप्त करते हैं।

फारसी शालायें छपी हुई पुस्तकों से अपरिचित हैं परतु हस्तलिखित साहित्य का निरतर उपयोग होता है। सामान्य शिक्षा प्रणाली में कोई स्तर विभाजन नहीं है। हिन्दुओं की भाति मुसलमान भी अपने बालकों की शिक्षा का प्रारभ अक्षरज्ञान से करते हैं। जब कोई मुस्लिम बालक या बालिका चार वर्ष चार मास और चार दिन की हो जाती है तब कुटुब के मित्र एकत्र होते हैं। बच्चे को सुन्दर वस्त्र पहनाकर मित्रों के समक्ष लाया जाता है और सबकी उपस्थिति में आसन पर बिठाया जाता है। मूलाक्षर गिनती के कुछ अक कुरान के ५५ वें प्रकरण की कुछ आयतें तथा पूरा ८७वा प्रकरण सिखाया जाता है। यदि बालक मनस्वी है और पढ़ने की अनिच्छा दिखाता है तो उससे 'बिसमिल्ला' बुलवाया जाता है जो प्रत्येक उत्तर के लिये उपयुक्त माना जाता है और इसी दिन से शिक्षा का प्रारभ माना जाता है। हम जिस तरह मूलाक्षर सीखते हैं उसी तरह यह सिखाया जाता है। आँख और कान का उपयोग होता रहता है। अक्षरों को लिखकर उन्हें इस प्रकार पढ़ाया जाता है कि बालक के मन में अक्षरों के आकार और उच्चारण का समन्वय हो जाए। बारबार इस क्रिया का

पुनरावर्तन किया जाता है। तत्पश्चात् बालक को कुरान का १३वा भाग (प्रकरण) सुनाया जाता है जिसके अनुच्छेद अति संक्षिप्त हैं। सामान्य तौर पर ये आयतें दफनविधि के समय बोली जाती हैं। शब्दों को एक दूसरे से अलग करने के लिये ऊपर नुक्ता (बिन्दु) रखा जाता है। अक्षरों का ज्ञान उनकी शब्द रचना शुद्ध हिज्जे के लिये कौन सा अक्षर या शब्द किस अवयव की मदद से बोला जाता है यह जानना आवश्यक होता है। परन्तु इस के पीछे का हेतु अज्ञात ही रहता है। उनके हाथ में दूसरी पुस्तक सादी का 'पढनामा' दी जाती है। इस 'पढनामा' में नैतिक मूल्यों की चर्चा होती है और वह बालक की समझ से बाहर होता है। बालक उसे समझे ही यह आवश्यक नहीं होता। उसके बाद ही बालक को स्वर और व्यंजन संधि तथा स्वर व्यंजन के संयुक्त शब्द सिखाये जाते हैं जिससे वह शब्द रचना कर सके। उसके बाद उसे आमदनामा' पढाया जाता है जिसमें फारसी क्रियाओं का व्याख्यान होता है। उसे बारबार बोलकर कंठस्थ करना होता है। विवाह से संबंधित सादी की एक पुस्तक 'गुलिस्तान' भी पढाई जाती है जिसमें विवाह जीवन की रीतिनीति सिखाई जाती है। साथ साथ इसी लेखक की अन्य पुस्तक 'बोस्ता' भी विद्यार्थियों को दी जाती है। प्रत्येक से तीन चार विभागों का वाचन किया जाता है तथा आने जाने बैठने उठने से संबंधित जीवन प्रक्रिया के लिये संक्षिप्त फारसी वाक्य रचना सिखाई जाती है। विद्यार्थी को फारसी हिसाब फारसी नाम और बाद में हिन्दी नाम लिखना सिखाया जाता है। कठिन शब्दरचना वाले नाम भी सिखाये जाते हैं। सुन्दर लेखन कला एक बडी सिद्धि मानी जाती है और जो लोग इस काम से जुडे होते हैं वे रोज तीन से छ घंटे लेखन कार्य करते हैं। इस विधि में पहले एक अक्षर फिर दो अक्षर तीन अक्षर संयुक्त अक्षर शब्द आदि लिखे जाते हैं और जब कलम से लिखने में कुशलता आ जाती है तब कागज के एक ओर ये लिखना शुरू करते हैं। इस लेखन में हिब्रू इतिहास के प्रसिद्ध प्रसंगों से जुडी जोसेफ और जुलेखाकी काव्य पंक्तियाँ लैला मजनू की प्रेमकथा सिकन्दरनामा से महान सिकन्दर के पराक्रमों की कथायें आदि का समावेश होता है। इसमें दो विभाग हैं । पहले विभाग में वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया जाता है जो इकाई दहाई सैकडा सहस्र आदि संख्या का लेखन दर्शाता है । दूसरे विभाग में मूलाक्षरों का नाम दर्शाने वाले अक्षरों का इस गणन हेतु उपयोग किया जाता है। अरबी अंको द्वारा अंकगणित सिखाया जाता है। संबोधनों की विभिन्न पद्धतियाँ पत्रव्यवहार के भिन्न भिन्न स्वरूप प्रार्थनापत्र लेखन आदि से फारसी शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा होता है। किन्तु इस जिले के विद्यालयों में उपर्युक्त पाठ्यक्रम उपरी तौर पर ही सिखाया जाता है । कई शिक्षक तो अपने विद्यार्थियों को

'गुलिस्ता' और बोस्ता से अधिक सिखाने का दावा भी नहीं करते।

बालवय के बाद फारसी शालाओं में जब यह लगता है कि अब अधिक भार पूर्वक शिक्षा दी जा सकती है तब शिक्षा का समय प्रात ६ बजे से रात के ९ बजे तक बढा दिया जाता है। पहले तो सुबह पिछले दिन सीखे पाठ का पुनरावर्तन किया जाता है। फिर नया पाठ शुरू किया जाता है और उसे आत्मसात् कर शिक्षक के समक्ष कंठस्थ बोलना होता है। मध्याह्न में उन्हें एक घंटे का अवकाश मिलता है जिस में वे भोजन करते हैं। शाला में वापस आने पर उन्हें लिखना सिखाया जाता है। लगभग तीन बजे वाचन हेतु उन्हें दूसरा पाठ दिया जाता है जो उन्हें याद करना होता है और शाला छूटने के एक घंटा पहले उन्हें खेलने का अवकाश दिया जाता है। सुबह और दोपहर बाद के वाचन का हेतु गद्य वाचन का सावधानी पूर्वक पद्य वाचन के साथ समन्वय करना होता है। जैसे कि गुलिस्ता के वाचन का बोस्ता के वाचन से समन्वय करना और अबुल फलाम के पत्रों का सिकन्दरनामा के साथ समन्वय करना। दोपहर से पूर्व का वाचन एक पुस्तक से और दोपहर बाद का वाचन अन्य पुस्तक से किया जाता है। दिन भर सीखे पाठों का छात्र शाम को कई बार पुनरावर्तन करते हैं और जब तक वे पूर्ण प्रभुत्व न पा लें तब तक ऐसा करते हैं। तत्पश्चात् दूसरे दिन की थोडी बहुत तैयारी करने के बाद वे छूटते हैं। प्रत्येक गुरुवार को सप्ताह भर में सिखाये गये पाठों का पुनरावर्तन होता है और वह पूरा होने पर बालक शिक्षा या मनोरंजन हेतु प्रार्थना या कविता की कडियाँ दुहराते रहते हैं । दोपहर तीन बजे कोई भी नया पाठ सिखाये बिना उन्हें छोड दिया जाता है। शुक्रवार को जो मुसलमानों का पवित्र दिन माना जाता है विद्यालय में अवकाश होता है। अन्य जिलों में जहाँ संपन्न और प्रभावी मुसलमान परिवार रहते हैं वहाँ शिक्षक को मियाँ या आखुन कहा जाता है। व्यक्तिगत शिक्षक भी होते हैं जिन्हें 'सेन्सर मोरम' या अतालिक' कहा जाता है जो घरेलू बडे नौकर के समान होते हैं। उसका कार्य बालकों को सुव्यवहार सिखाना होता है। वह यह भी ध्यान रखता है कि ये बालक उसके सौंपे कार्य की अवहेलना तो नहीं करता । परतु राजशाही जिले में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया।

समग्र फारसी शिक्षा जो जिले में जहाँ जहाँ भी अपूर्ण हालत में दिखाई दी और फिलहाल प्रचलित है वह बंगाली शिक्षा की तुलना में अधिक समझदारीवाली और मुक्त उदारवृत्तिवाली है। भले ही पुस्तक हस्तलिखित हो परतु उसके उपयोग के कारण वह कापत्रि प्रगत है। इस उपयोगिता के कारण बालकों का मन नियमित रचनाओं के लिये तैयार हो जाता है और शुद्ध तथा प्रांजल भाषा और उससे विचार बुद्धि और आस्वादन को

प्रोत्साहन उसके प्रतिफल हैं। इस प्रकार देखा जा सकता है कि पुस्तकों के अनेक पाठों का नैतिक प्रभाव विद्यार्थी के चरित्रनिर्माण में सहायक होता है। परतु जहां तक मेरा निरीक्षण है सभी पुस्तकें जो काम में ली जा रही हैं केवल भाषा शिक्षण के लिये ही हैं अर्थात् ध्वनि का ज्ञान वाक्यरचना हेतु शब्दों या कहानी की जानकारी देने तक सीमित हैं। सूक्ष्म रूप से नैतिक विचार या नैतिक आचरण निर्माण करने वाली नहीं हैं। यह साधारण ग्राम्य अनुमान है। शिक्षा व्यवसाय के लिये नहीं है और उस सदर्भ में विचार भी किया गया नहीं लगता। इस शिक्षा प्रणाली के निरीक्षण से दो बातें तय हो सकती हैं। लोगों के दो समुदाय हैं एक पढा-लिखा मुस्लिम समुदाय है और दूसरा हिन्दू समुदाय है। पहला वर्ग बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ है परतु नीतिमत्ता में श्रेष्ठ नहीं है।

अरबी प्राथमिक शालायें

अरबी शालाओं में धार्मिक या औपचारिक वाचन कुरान के कुछ भागों से किया जाता है। ऐसी ११ शालायें हैं और उनमें ४२ विद्यार्थी हैं। ये छात्र ७ से १४ वर्ष के आयु समूह में पढ़ना सीखते हैं और ८ से १८ वर्ष की आयु में विद्यालय छोड़ देते हैं। शाला में १ वर्ष से ५ वर्ष तक वे रहते हैं। निम्नतम प्रशिक्षण युक्त शिक्षक उपलब्ध हैं जिन्हें शिक्षा का कार्य दिया जाता है। वे अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं और न ही वे दावा करते हैं कि वे जो पढ़ते-पढ़ाते हैं उसे समझते भी हैं। मात्र कुछ आकार नाम शब्द ध्वनि कुछ अक्षर और अक्षर मिलाकर लिखे शब्द वे जानते हैं और सिखाते हैं और जितना वे पढ़ाते हैं उतना ही लिखा हुआ समझ सकते हैं। इन लिखी बातों का अस्पष्ट भी अर्थ करने या समझने का जरा भी प्रयास वे नहीं करते। मात्र शब्द ही रह जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा वर्ण-आकारों तक सीमित तथा हास्यास्पद है। सार्थक और सोद्देश्य शिक्षा देनेवाले विद्यालयों से वे एकदम भिन्न हैं यह आसानी से समझा जा सकता है।

शिक्षक अलाझ (कठमुल्ले) हैं जो काफी निम्न स्तर के मुसलमान धर्मगुरु हैं जो अपना जीवन निर्वाह अपने ही वर्ग के गरीब अज्ञानी और अंधविश्वासी लोगों के आधार पर करते हैं। उनके छात्र भी उनके जैसे होते हैं। कुरान का जो भाग सिखाया जाता है वह साले की कुरान के ७८ वें प्रकरण से अंत तक होता है। मौलवी प्रौढ छात्रों को थोड़ा औपचारिक वाचन सिखाने के बाद शादियाँ कराते हैं। इसके लिये उन्हें दोनों पक्षों से सामर्थ्यानुसार १ आना से ८ आना तक मिलता है। मृत्यु समय की क्रिया जिसमें मृतक के लिये प्रार्थना की जाती है १ दिन से ४० दिन तक चलती है। उसके लिये २ आने से १

रूपये तक रकम मिलती है। इन सभी सेवाओं में कुरान का वाचन अनिवार्य होता है। मौलवी गाँव में खटीक (कसाई) का कार्य भी करते हैं। इसके लिये वे जानवरों का झटका (काटना) करते हैं और पवित्र आयतें बोलते हैं जिनके बिना मुसलमान यह माँस नहीं खा सकते। इसके लिये वे कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं लेते। उनके स्थानों पर शिक्षक विवाह या दफनविधि से जुड़े होते हैं और शिक्षा नि शुल्क देते हैं। एक उदाहरण में तो शिक्षक को शाला के आश्रयदाता से निश्चित वेतन कुछ छात्रों से शुल्क और जीवनावश्यक वस्तुयें कुल मिलाकर साढ़े चार रूपये जितनी मासिक आय होती है। ऐसे मामलो में आश्रयदाता शिक्षक को बागला और फारसी सिखाने का दबाव भी डालता है। अन्य एक उदाहरण में आश्रयदाता शिक्षक को आवास भोजन तथा वस्त्र प्रदान करता है परतु उसे कोई वेतन या शुल्क नहीं मिलता। तीन उदाहरणों में शिक्षकों को सलामी के रूप में वेतन मिलता है जो पाच या छह रूपये की भेंट होती है। प्रत्येक छात्र शाला छोड़ते समय शिक्षक को यह सलामी देता है। दो अन्य मामलों में शिक्षकों के पास छोटे खेत हैं जिनसे उनकी आमदनी होती है। इसके अतिरिक्त मौलवी होने के अतिरिक्त लाभ भी उन्हें मिलते हैं। वे अपने घरों या शाला भवनों में शिक्षणकार्य करते हैं। इन मकानों का उपयोग प्रार्थना (नमाज) मेहमानों के स्वागत और सभाओं आदि के लिये भी होता है।

अरबी शालाओं जैसी महत्त्वहीन बेकार और नजरअदाज की जा सकनेवाली सस्था अन्य कोई नहीं है। यद्यपि ये शालाएँ शिक्षा के लिये हैं परतु एकदम बेकार हैं। ग्राम्य मानस पर उनका निश्चित प्रभाव है जिसका प्रमाण है मौलवियों को प्राप्त होनेवाली धन राशि और सम्मान शिक्षक के रूप में प्राप्त होनेवाला वेतन एव विद्यालय स्थापित करने हेतु किया जाने वाला खर्च। मुस्लिम आबादी थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त कर रोजगार या नौकरी प्राप्त कर लेती है। ये सब बातें उनके प्रभाव का प्रमाण हैं। मानवताप्रेमी और राजनीतिज्ञों के लिये सस्था कितनी भी छोटी हो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उस सस्था के माध्यम से वे मानव समुदाय के किसी भी हिस्से के लिए उपकारक प्रभाव पैदा करना चाहते हैं। अधिकाश लोगों के अज्ञान को देखकर उन्हे चिंता रहती है कि यदि उन्हें कोई मौका मिले तो वे जनता को सची समझ दे सकें कि उनकी श्रद्धा से जो सस्थाएँ खड़ी हैं ये उन्हें अज्ञान का केन्द्र न बनने दें वरन् उन्हें विवेकयुक्त ज्ञान और सेवा में लगा दें। मैं निराश नहीं हूं। इसके साधन सादे सस्ते और गैर आक्रमक होंगे जिन से इन शालाओं के शिक्षकों को भी योग्य प्रशिक्षण प्राप्त होगा और बालकों का बड़ी सख्या में शिक्षा प्राप्त होगी। हाल में शिक्षक को जो मान सम्मान प्राप्त है उससे उन्हें वचित किये बिना यह सभव होगा।

२

विलियम एडम का प्राथमिक शालाओं विषयक विवरण

सामान्य

हिन्दुओं के लिये भेजे गये विवरण में जिन सस्थाओं के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का कार्य किया जा रहा है और जिन्हें हिन्दुओं ने सुरक्षित रखा है सही चित्र प्रस्तुत होता है। इन सस्थाओं के जमे रहने के पीछे मूलभूत सिद्धान्त यह है। हिन्दू धर्म अत्यत कम खर्च में निभाया जा सकता है और अधिकाश लोग और बाकी समाज ऐसा विश्वास रखते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना एक धार्मिक कार्य है। अत इसके प्रसार के लिये वे शिक्षकों और विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों को उनका निश्चित अध्ययन जारी रखने के लिये नि शुल्क शिक्षा और शिक्षकों की निरसता दूर करने के लिये उन्हें निवासस्थान धान्य आदि कभी कभी वस्त्रदान के रूप में जमीनदारों और अन्य लोगों की ओर से स्थायी आय होती रहे इसलिये जमीन के स्थायी पट्टे के अलावा विवाह या मृत्यु तथा अन्य अवसरों पर समूह भोजन की व्यवस्था की जाती है। ऐसी संस्थाओं की पूरे देश में कितनी सख्या है इसकी जानकारी अपूर्ण होने के कारण उसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। डॉ बुशनन को दिनाजपुर जिले में १६ विद्यालय मिले जबकि पडोस के पूर्णिया जिले में लगभग ११९ जितनी ऐसी सस्थायें हैं। सस्थाओं का यह अतर किसी गलती की ओर सकेत करता है। डॉ बुशनन के भेजे गये विवरण के साथ अन्य जिलों से प्राप्त सख्या के अदाज की व्यक्तिगत जाँच नहीं हुई है अत उस पर विश्वास कम ही किया जा सकता है। मुझे जो भी तथ्य प्राप्त हुए हैं उन से कहा जा सकता है कि बगाल के प्रत्येक जिले में ऐसी लगभग १०० सस्थायें हैं। इस प्रकार पूरे प्रान्त में ऐसी १ ८०० सस्थायें हैं। छात्रों की सख्या का आधार शालाओं की वास्तविक सख्या पर है फिर भी निम्न तथ्य प्रत्येक विद्यालय की औसत सख्या जानने में सहायक होगा। सन् १८१८ में श्री वोर्डने कोलकता में हिन्दुओं की २८ शालायें दर्शाई हैं जिनमें १७३ छात्र अध्ययन करते थे। इस तरह प्रति विद्यालय औसत ६ विद्यार्थी हुए। नदिया में उन्होंने ३१ हिन्दू शालायें बताई हैं। जिनमें ७४७ छात्र अध्ययनरत थे। यह औसत प्रति विद्यालय २४ छात्रों का होता है। सन् १८३० में श्री एच एच विलसनने व्यक्तिगत जाँच के आधार पर बताया कि वहाँ २५ शालायें थी जिनमें ५ से लेकर ६०० तक छात्र अध्ययन करते थे। इस प्रकार यदि छात्रों

की सख्या ५५० मानें तो प्रति विद्यालय २२ छात्र सख्या होगी। उक्त तीनों अभिप्रायों से प्रति विद्यालय १७$^{1}/_{2}$ का औसत आता है। कोलकता का औसत सबसे नीचा ६ विद्यार्थी का है और मैं इसे अधिक विश्वसनीय मानता हूँ क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं कि विद्वान हिन्दू शिक्षकों के पास तीन या चार से अधिक छात्र नहीं होते। इस प्रकार हिन्दू शिक्षक और विद्यार्थियों की कुल सख्या १२ ६०० होती है और यह अक विशाल समुदाय को समाविष्ट करता है। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिन्हें विद्वान पडित माना जाता है उनकी सख्या लोगों के इस व्यवसाय में न आने से कम होती जा रही है। यदि और जाँच की जाय तो मेरा मानना है कि यह अक ७ से थोडा अधिक ही होगा। तो भी बडा वर्ग प्रभावशाली लोगों का है जिन्होंने महाविद्यालयीन शिक्षा या तो प्राप्त की है या हिन्दू महाविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन कर रहे हैं।

हिन्दू महाविद्यालय जिनमें उच्च शिक्षा दी जाती है सामान्यत मिट्टी से बने (कच्चे मकान) हैं। कुछ में ३ से ५ और कुछ में ९ से ११ कमरे होते हैं। वे सभी कच्चे होते हैं। वाचनकक्ष का भी इन्हीं में समावेश हो जाता है। ये कच्चे मकान ज्यादातर शिक्षकों के ही बनाए हुए होते हैं। विद्यालय का मकान बनाने और विद्यार्थियों के भोजन के लिये शिक्षक दान एकत्र करते हैं। कुछ मामलों में जमीन के लिये किराया दिया जाता है। सामान्यत जमीन या मकान भेंट में मिले हुए होते हैं। शाला का कक्ष और निवास का कक्ष तय हो जाने के बाद उसकी सफलता के लिये शिक्षक ब्राह्मणों और गाँव के प्रभावशाली व्यक्तियों को मनोरजन हेतु आमत्रित करता है और अतमें ब्राह्मणों को साधारण भेंट देकर विदा करता है। यदि शिक्षक को बच्चे एकत्रित करने में कठिनाई होती है तो वह अपने सबधियों के बालकों को एकत्र कर शाला प्रारभ करता है और उन्हें शिक्षा देकर एव सामाजिक वादविवादों के समय अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर नाम कमाता है। सुबह तड़के वह विद्यालय खोलता है और खुले वाचनकक्ष में विद्यार्थियों को एकत्र करता है जहाँ प्रत्येक कक्षा के छात्र क्रमानुसार वाचन करते हैं। मध्याह्न तक शिक्षण कार्य चलता है। उसके बाद के तीन घटे नहाने-धोने भोजन करने और विश्राम के लिये होते हैं। दोपहर के तीन बजे प्रारभ हुआ शिक्षण कार्य शाम तक चलता है। उसके बाद के दो घटे साय प्रार्थना भोजन धूम्रपान और आराम के लिये होते हैं। तत्पश्चात् रात के दस ग्यारह बजे तक अध्ययन कार्य चलता रहता है। सायकालीन अध्ययन में दिन भर किये अध्ययन का पुनरावर्तन होता है जिससे जो पढा है वह गहराई से उसके मास्तिष्क में उतर जाए। यह अभ्यास बार बार किया जाता है। विशेष तौर पर तर्कशास्त्र के छात्र देर रात २-३ बजे तक अध्ययन करते रहते हैं।

बगाल में तीन प्रकार के महाविद्यालय हैं। पहले में व्याकरण सामान्य साहित्य आलकारिक भाषा महान पौराणिक कथ्य और विधिशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। दूसरों में मुख्य तौर पर कायदे-कानून और पौराणिक कविताओं की शिक्षा दी जाती है। तीसरे प्रकार के विद्यालयों में तर्कशास्त्र की मुख्य विषय के रूप में शिक्षा दी जाती है। इन सभी विद्यालयों में चुने हुए विषयों की शिक्षा दी जाती है। परतु यह शिक्षा भाषण के स्वरूप में नहीं होती। महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में उस कॉलेज (महाविद्यालय)में प्रयुक्त व्याकरण के पाठों का पुनरावर्तन होता है और जब ये विद्यार्थियों को कठस्थ हो जाते हैं तब शिक्षक उन्हें समझाता है । अन्य विद्यालयों में छात्रों को उनकी प्रगति के अनुसार अलग-अलग वर्गों में रखा जाता है। प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी एक या अधिक पुस्तक लेकर शिक्षक के समक्ष बैठते हैं और सबसे तेजस्वी विद्यार्थी उसे ऊँची आवाज में पढ़ता है तथा शिक्षक जब जब उसका अर्थ पूछता है तब तब वह उत्तर देता रहता है। यह क्रिया कार्य पूर्ण होने तक प्रतिदिन चलती रहती है। व्याकरण का अध्ययन दो तीन या छ वर्ष तक चलता है और जहाँ पाणिनि का व्याकरण भी पढ़ाया जाता है वहाँ यह समय दस वर्ष से कम नहीं होता। कभी कभी तो बारह वर्ष तक भी होता है। व्याकरण का यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब विद्यार्थी स्वय वाचन में और काव्य समझने में कायदे-कानून और दर्शनशास्त्र की पुस्तकें समझने में पारगत हो जाता है तब वह इस प्रकार का अध्ययन स्वय करने लगता है और व्याकरण का बाकी अध्ययन स्वय कर लेता है। जो तर्कशास्त्र पढ़ते हैं वे अन्य महाविद्यालय में छ आठ दस या ग्यारह वर्ष तक अपना अध्ययन जारी रखते हैं। एक शिक्षक से प्राप्त समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उससे सम्मानपूर्वक क्षमायाचना कर अन्य शिक्षक के पास जाता है। जिनके विवरण जिस से पूर्वोक्त अधिकाश जानकारी प्राप्त हुई है उससे ऐसा अंदाज लगता है कि १ लाख ब्राह्मणों में से १ हजार ब्राह्मण संस्कृत व्याकरण सीखते हैं इनमें से ४००-५०० लोग काव्य रचना के अमुक अश पढ़ सकते हैं और ५० अलकार शास्त्र के कुछ अश पढ़ते हैं। इन हजार छात्रों में से ४०० स्मृति (विधिशास्त्र) पढ़ते हैं परतु तत्रशास्त्र का अध्ययन १० से अधिक छात्र नहीं करते। ३०० छात्रों ने न्यायशास्त्र का अध्ययन किया है किन्तु पाच या छह लोगों ने मीमासा साख्य वेदात पतजलि वैशेषिक या वेदों का अध्ययन किया होता है। इन में से दस जितने ब्राह्मण खगोलशास्त्र का अध्ययन करते हैं तथा अन्य दस से कुछ अधिक इसका अधूरा ज्ञान रखते हैं। इन हजार में से लगभग पचास भागवत और अन्य पुराणों का अध्ययन करते हैं। आजकल यहाँ दर्शाई गई सख्या से भी अधिक छात्र अलकारशास्त्र और तत्रों का अध्ययन करते हैं। लोग खगोलशास्त्र पर अधिक ध्यान देते हैं और शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब चद्र

की कलायें घटती या बढ़ती हैं अध्ययन कार्य स्थगित रखा जाता है। बिजली की चमक बादलों की गर्जना गुरू शिष्य के बीच में से वाचन के समय कोई निकल जाए किसी विशिष्ट माननीय व्यक्ति के आगमन पर सरस्वती पूजन त्यौहार के तीन दिन वर्षाऋतु के कुछ दिन (कुछ भागों में) दुर्गापूजा के अवसर पर दो महीनों में तथा अन्य त्यौहारों के समय महाशालाओं का अध्ययन स्थगित रहता है। जब कोई छात्र तर्कशास्त्र या विधिशास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ करता है तब शिक्षक की अनुमति से उस छात्र के सहपाठी उसका मानद नाम (पद) से अभिनंदन करते हैं। यह नाम उसके अध्ययन के अनुरूप और उसके पुरोगामियों को दिये गये नाम से एकदम भिन्न होता है। प्रदेश के कुछ भागों में यह पदवीदान पण्डितों की उपस्थिति में होता है तथा कुछ अन्य स्थानों पर राजा या जमीनदार की उपस्थिति में किया जाता है। ये राजा या जमींदार शिक्षा को प्रोत्साहन देने को उत्सुक रहते हैं और छात्र को सम्मानित करने के लिए उसे कीमती वस्त्र देते है और तिलक करते हैं। जब विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़कर व्यवसाय में जुड़ता है तब उसे उसी पदनाम से बुलाया (संबोधित किया) जाता है।

हिन्दुओं द्वारा अपनाई गई प्रणाली की अपेक्षा अपनी जाति और धर्म की उचित शिक्षा मिले इस हेतु बंगाली मुसलमानों द्वारा अपनाये गये साधन कम युक्तियुक्त और व्यवस्थित हैं। जितनी मात्रा में उनका अस्तित्व है उससे भी कम जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिम के प्रान्तों में नीचे के भाग में अनेक मुस्लिम शालायें प्रारम्भ हुई हैं और कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर उनका संचालन करते हैं। इन लोगोंने खूब श्रम करके अक्षर लेखन का व्यवसाय अपनी आजीविका के लिये विकसित किया है और शिक्षा का व्यवसाय अपनाया है। यह व्यवसाय आजीविका का साधन मात्र नहीं है परंतु अपने जातिबंधुओं के लिये नैतिक और धार्मिक रूप से लाभप्रद प्रशंसनीय और उत्पादक है। इस प्रकार बहुत कम लोग सहायता या आवश्यक वस्तुओं के लिये शिक्षा कार्य करते हैं और जो कुछ उन्हें मिलता है उसे गुरु शिष्य के बीच सद्भाव और कुशलता के आदान प्रदान के रूप में प्रेम से स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार निजी रूप से शिक्षा देने वाले शिक्षकों की संख्या बड़ी नहीं है। उनकी उपस्थिति और अध्ययन कार्य एक दूसरे की अनुकूलता और दोनों पक्षों की रुचि के अनुसार होता है। किसी भी पक्ष को किसी विशिष्ट पद्धति या विशिष्ट समये में काम नहीं करना होता है। छात्र की सफलता का आधार उसकी अपनी उद्यमशीलता पर होता है। थोड़ा सा विवाद या असहमति शिक्षा के अंत का कारण हो जाती है। किसी भी पक्ष पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता तथा उनके बीच कोई अन्य बंधन भी नहीं होता। केवल अनौपचारिक आदान प्रदान और परस्पर लाभकारी स्थिति के संबंध बने रहते

हैं जिसे हजारों कठिनाइयों या बाधायें रोक नहीं सकती। छात्रों की संख्या शायद ही छह से अधिक होती है। ये छात्र अनेक बार शिक्षक के घर पर ही निवास करते हैं तथा अन्य कुछ अपने परिवारों के साथ रहते हैं। पहली स्थिति में जहाँ मुसलमान विद्यार्थी शिक्षक के ही घर में रहते हैं उन्हें सदेशवहन बजार से खरीदी और घर का काम करना होता है। इस प्रकार विद्यार्थी शिक्षक बदलते रहते हैं। एक के पास से वे अक्षरज्ञान और फारसी भाषा के कुछ अश दूसरे से 'पढनामा' तीसरे से गुलिस्ता सीखतें हैं। इस प्रकार स्थान (शिक्षक) बदलते हुए जब वे पत्रलेखन में निपुण हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी शिक्षा पूरी हो गई है और उससे वे मुंशी का पद प्राप्त कर सकते हैं तब वे स्थायी आय के लिये धंधे की खोज में निकलते हैं और कपनी के कार्यालयों में वे चपरासी की नौकरी स्वीकार कर लेते हैं। फारसी भाषा में दक्षता प्राप्त करने का हेतु छात्र को आजीविका रूप कोई कार्य प्राप्त होना होता है परतु कुछ मामलों में अरबी भाषा का भी अध्ययन किया जाता है जिसमें व्याकरण साहित्य धर्मशास्त्र और कानून की शिक्षा दी जाती है। ऐसी असबद्ध और अतार्किक शिक्षा प्रणाली का अदाज लगाना असभव है।

कोलकत्ता और चौबीस परगना की हिन्दू सस्थाओं की निश्चित सख्या प्राप्त नहीं हुई है। श्री वोर्ड ने अपना विवरण सन् १८१८ में प्रकाशित किया था। उसमें कोलकत्ता स्थित हिन्दू शिक्षण सस्थाओं की सख्या २८ बताई है और प्रत्येक शाला के शिक्षकों के नाम भी बताये हैं। उनमें मुख्य रूप से न्याय और स्मृतिशास्त्र पढाये जाते थे। ये शालायें कोलकत्ता के चौथाई भाग में थीं और असख्य छात्र उनमें शिक्षा प्राप्त करते थे। इन सस्थाओं की सख्या भी कोलकत्ता की अन्य शालाओं की संख्या में शामिल है। महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की सख्या १७३ दर्शाई गई है जिनमें कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा पद्रह छात्र एक शिक्षक के पास पढते थे। जो संख्या मैं ने बताई वह मि वोर्ड के अनुसार इस प्रकार है -

(कोलकत्ता में शालाओं के अतिरिक्त महाविद्यालय भी हैं जिनमें विशेषरूप से न्याय और स्मृतिशास्त्र पढाये जाते हैं)

अनत राम विद्यावागीश हाति बागान	१५ छात्र
रामकुमार तर्कालकार हाति बागान	८ छात्र
रामदुलार चूडामणि हाति बागान	५ छात्र
गोरमुनि न्यायालकार हाति बागान	४ छात्र
काशीनाथ तर्कवागीश घोषाल बागान	६ छात्र

रामसेवक विद्यावागीश शकधर बागान ४ छात्र
मृत्युजय विद्यालकार बागबाजार १५ छात्र
रामकिशोर तर्कचूडामणि बागबाजार ६ छात्र
रामकुमार शिरोमणि बागबाजार ४ छात्र
जयनारायण तर्कपचानन तलार बागान ५ छात्र
शभु वाचस्पति तलार बागान ६ छात्र
शिवराम न्यायवागीश लाल बागान १० छात्र
गौर मोहन विद्याभूषण लाल बागान .. ४ छात्र
हरिप्रसाद तर्कपचानन हाति बागान ४ छात्र
राम नारायण सर्कपचानन शिमला .. ५ छात्र
रामहरि विद्याभूषण हरितकी बागान .. ६ छात्र
कमलाकात विद्यालकार अरकुली ६ छात्र
गोविंद तर्कपचानन अरकुली ५ छात्र
पीताबर न्यायभूषण अरकुली ५ छात्र
पार्वती तर्कभूषण थतहुनिया ४ छात्र
काशीनाथ तर्कालकार थतहुनिया ३ छात्र
रामनाथ वाचस्पति शिमला ९ छात्र
रामतनु तर्कसिद्धात मुलगा ... ६ छात्र
रामतनु विद्यावागीश शोभाबाजार .. .. ५ छात्र
रामकुमार तर्कपचानन वीरपरा .. .. .. ५ छात्र
कालिदास विद्यावागीश इटली ५ छात्र
रामधन तर्कवागीश शिमला .. .. ५ छात्र

हेमिल्टन के कथनानुसार सन् १८०१ में २४ परगना की सीमा में और मेरे अनुसार कोलकता शहर से बाहर १९० विद्यार्थी समूह थे। इनमें हिन्दू कानून व्याकरण और आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ये सभी सस्थाएँ सपन्न हिन्दुओं के स्वैच्छिक सहयोग और धर्मार्थ प्राप्त जमीन की पैदावार से चलाई जाती थीं। इनका वार्षिक खर्च ११ ५०० रूपये होता था। इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है किन्तु ऐसा माना जा सकता है कि आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर यह कथन किया गया है। बीच के

समय में कोई ऐसा कारण नहीं मिलता कि इन समूहों की संख्या घटी हो। श्री योर्ड बताते हैं कि जयनगर और मुजलीपुर में ऐसी १७-१८ शालायें थीं और आदुली में १० १२ शालायें थी। मेरी जानकारी के अनुसार ये गाव जिले के अदर हैं परतु सभव है कि हेमिल्टन ने अधिक विस्तृत गणना में इन्हें अपनी सूची में सामिल कर लिया हो।

मुझे ऐसी कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई जिसके अनुसार कोलकत्ता या उसके पास पडोस में एक भी सस्था द्वारा मुसलमानों की शिक्षा के उत्कर्ष के लिये प्रयत्न किया गया हो। हेमिल्टन के अनुसार सन् १८०१ में एकमात्र मदरसा था जिसमें मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी परतु वह कहाँ था इसका उलेख हेमिल्टन ने नहीं किया है। सभव है कि वह वारेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रदान की गई (प्रारभ की गई) शिक्षा सस्था का उलेख करता हो। यह सस्था फिलहाल लोकशिक्षा की सामान्य समिति की देखरेख में चल रही है। एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इसमें तथा बगाल के अन्य जिलों से मुस्लिम शिक्षा की कोई आधिकारिक जानकारी उसे नहीं मिली है। आगे दिखाए गए अनुसार निजी तौर पर छिटपुट शिक्षा दिये जाने की जानकारी मात्र है।

मिदनापुर

हेमिल्टन बताता है कि इस जिले में एक भी ऐसा मुस्लिम विद्यालय नहीं है जहाँ कानून की शिक्षा दी जाती हो । पहले मिदनापुर में एक महाविद्यालय था पर उसमें भी कानून की शिक्षा नहीं दी जाती थी। मौलवी अपने घर पर ही कुछ छात्रों को रखकर उन्हेंफारसी और अरबी पढाते हैं। फारसी और अरबी पढनेवाले ये छात्र प्रभावशाली परिवारों के हैं और धर्मार्थ तौर पर पढ रहे हैं अतः वे व्यय और दुराचार से अनभिज्ञ रहते हैं। आबादी का $^{1}/_{8}$ भाग हिन्दू है। यहाँ हिन्दू विद्यालय न होना आश्चर्यजनक लगता है। इस जिले में रहनेवाले और इन विद्यालयों की शिक्षा से परिचित विद्वान लोग इस प्रदेश के निवासी होने से इकार करते हैं। मुस्लिम आबादी में सामान्य शिक्षा देनेवाली सस्थाओं के जितनी भी इनकी सख्या नहीं है और इतनी कम भी नहीं है कि उनकी उपेक्षा की जाए। मुझे बताया गया है कि ऐसे ४० विद्यालय हैं। कोई भी विघ्न या बाधा उत्पन्न न करनेवाले निवृत्त हिन्दू विद्वान जब यह कहते हैं कि यूरोप के लोग हिन्दू भाषा और साहित्य की अपेक्षा मुसलमानों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो ऐसी गलत बयानी को साधारण रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। इसके कारण समाज में सक्रिय सस्थाएँ हिन्दू मूल की सस्थाओं के प्रति लापरवाह रहती हैं। संभवतः ऐसी किसी आधिकारिक सूचना के कारण ही हेमिल्टन ऐसे कथन पर ध्यान देने को प्रेरित हुआ हो।

फटक

श्री स्टर्लिंग के जिले से प्राप्त शिक्षा की प्रवर्तमान स्थिति के विवरण को सक्षेप में देखें तो यहाँ के मूल निवासियों द्वारा सचालित प्राथमिक या महाविद्यालयीन शिक्षा की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जगन्नाथपुरी के मुख्य मार्ग पर धार्मिक मठों की भरमार है दक्षिण का प्रदेश साधु-साध्वियों के निवास के तौर पर जाना जाता है जहाँ हिन्दुओं को विविध शाखाओं की शिक्षा दी जाती है। जगन्नाथ पुरी में भी इसी प्रकार शिक्षणकार्य होता है।

हुगली

इस जिले में हिन्दू शिक्षा सस्थाओं की सख्या ध्यानाकर्षक है। श्री वोर्डने १८१८ में लिखा है कि हुगली शहर के निकट यशवर्य गाँव में ही १२ से १४ महाविद्यालय हैं। इन सबमें मुख्य रूप से तर्कशास्त्र पढाया जाता है। त्रिवेणी नामक शहर में ७-८ शालायें हैं जिनमें से एक में बगाल के सबसे अधिक वृद्ध एव विद्वान व्यक्ति जगन्नाथ तारक पढाते थे। उनकी मृत्यु १०९ वर्ष की आयु में हुई। वे कुछ हद तक वेदों में पारगत थे। उन्होंने वेदात साख्य पतजलि न्याय स्मृति तत्र काव्य पुराण और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया था। श्री वोर्ड के अनुसार गुप्तालपाड़ा और भद्रेश्वर में ऐसी ही १० शालायें और बाली में २-३ शालायें थी। ये सभी गाँव इसी जिले में हैं। हेमिल्टन के अनुसार सन् १८०१ में कुल मिलाकर १५० निजी विद्यालय थे जिनमें पद्धित हिन्दू कानून के मूल सिद्धान्तों की शिक्षा देते थे। प्रत्येक विद्यालय में ५ से २० तक छात्र होते थे। हमें मानने का कोई आधार नहीं है कि वर्तमान में शालाओं की सख्या कम हुई होगी। सन् १८२४ की जाँच से पता चला कि कुछ शालाओं में २४ तक विद्यार्थी थे। क्षेत्रों की सख्या प्राप्त आमत्रणों की सख्या हिन्दू परिवारों में धार्मिक अवसरों पर प्राप्त उपहार शिक्षक की प्रतिष्ठा का आधार माना जाता है। कुछ विद्यार्थियों का आर्थिक व्यवहार द्विपक्षीय रहता है। एक ओर तो वे शिक्षक पर आश्रित होने से उस पर आर्थिक बोझ बनते हैं दूसरी ओर वे उसकी प्रतिष्ठा वृद्धि कर उसकी आमदनी बढाते हैं। समर्थ विद्यार्थी विद्यालय के समय के बाद अपने घर रहते हैं और यदि शिक्षक विद्यार्थी का खर्च वहन नहीं कर सकता है तब ऐसे गरीब छात्रों के लिए गाँव के सुखी व्यक्ति दान देते रहते थे। पहले तीन चार वर्ष तक सस्कृत व्याकरण का अध्ययन और बाद के छह से आठ वर्ष तक कानून या तर्कशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। इस के बाद अधिकाश विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी होती थी और विद्यार्थियों को विद्वान मान लिया जाता था। इस समय शिक्षक उन्हे मानद पदवी प्रदान करता था जिसे वे आजीवन सँभाल कर रखते थे।

इसे जिले में मुस्लिम विद्यालय नगण्य हैं। हाजी मोहम्मद के दान से हुगली में चल रहे विद्यालय के अलावा एक अन्य सीतापुर के विद्यालय की जानकारी मिलती है। सीतापुर घनी बस्तीवाला क्षेत्र है और २२ मील दूर है। इस विद्यालय के संस्थापक उमीदुद्दीन थे। उनकी एकनिष्ठ सेवाओं के बदले में अंग्रेज सरकार उसके लिये पाँच रूपये आठ आना निभाव खर्च देती ती। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिजनों के अलग हो जाने पर उसके निभाव अनुदान की रकम के लिये दावा किया जो ५० रूपये होता था। मुझे ज्ञात है वहाँ तक वे लोग आज तक अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। हेमिल्टन के अनुसार सन् १८०१ में इस विद्यालय में ३० छात्रों को अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी और जनरल कमेटी के विवरण के अनुसार इसमें केवल २५ विद्यार्थी थे और उन सबको केवल फारसी सिखाई जाती थी। यह संस्था किसी समिति या अधिकारी के निरीक्षण में आई हो ऐसा नहीं लगता। सन् १८२४ के विवरण के अनुसार पाडुआ में कुछ जमीन थी जिसकी आय से मदरसों को सहायता मिलती थी परतु अब इस आय का हेतु बदल गया है। यह सुविदित है कि यह अनुदान अब पाडुआ के सैफुद्दीनखान शाहिद और मौलामायुद्दीन या मौला ताजुद्दीन और एक अन्य व्यक्ति मीर गुलाम मोहम्मद मुस्तफा की कब्र की देखभाल करनेवाले मुतवल्ली स्व. ला। गुलाम हैदर के वंशजों को दिया जाता है। इस अनुदान के लिये कुछ गाँवों से तीन के लिये जमीन के पट्टे दिये गये हैं। यह अनुदान व्यक्तिगत रूप से प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त है। ये मदरसे एक दो पीढ़ी तक चलते थे किन्तु लापरवाही और ईर्ष्यावृत्ति के कारण बंद कर दिये जाते थे। मदरसों के अनुदान हेतु जो जागीर दी गई थी उसकी जानकारी देनेवाले कुछ व्यक्ति जीवित थे। इस विवरण के साथ भेजे पत्र में जिलाधीश ने जाँच करने का इरादा प्रदर्शित किया है और आक्षेपवाली घटनायें यदि आर्थिक दुरुपयोग दिखाई दे तो सन् १८१० के १९वें कानून (एक्ट) के अनुसार उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस जाँच का क्या परिणाम आया वह मुझे पता नहीं चला।

बर्दवान

हेमिल्टन बताता है कि हिन्दू या मुसलमान कानून की शिक्षा देने वाला एक भी विद्यालय इस जिले में नहीं है और हुगली के उस पार नदिया जिले से हिन्दू कानून के जानकार प्राध्यापक यहाँ लाये जाते थे। मिदनापुर की शिक्षा के संदर्भ में की गई टिप्पणी यहाँ भी लागू होती है। परतु इस सबसे यह तो पता चलता ही है कि यहाँ एक भी ग्राम्यशाला नहीं है वह सच नहीं है। संभव है कि लेखक को या जिन अधिकारियों पर लेखक ने विश्वास किया उन्हें इसकी जानकारी न हो। दूसरे जिलों की तुलना में यह

एकदम असम्भव लगता है कि घरेलू तौर पर शिक्षा देनेवाले मुस्लिम विद्यालय जिनकी पहले चर्चा की गई है भी नहीं हैं। उससे भी अधिक असम्भव तो यह लगता है कि १/६ भाग हिन्दू आबादीवाले क्षेत्र में हेमिल्टन के अनुसार एक भी विद्यालय नहीं है।

कोलकत्ता के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टिप्पणी से शिक्षा संस्थाओं से संबंधित जानकारी इस प्रकार है। इण्डिया हाउस में प्रथम वर्ष में प्रकाशित यह विवरण है और इसे मैं अपने अधिकार क्षेत्र में मानता हूँ।

सन् १८१८ के सितम्बर में बर्दवान के जिलाधीश से रामवल्लभ भट्टाचार्य और उनकी धार्मिक संस्था एवं सभा के लिये ६० रूपये वार्षिक पैंशन के दावे की पूछताछ की गई। जिलाधीश ने अपने अमीन को भेजकर यह जाँच करवाई कि जिस संस्था ने पैंशन के लिये दावा किया है वह चल रही है या नहीं ? अमीन ने बताया कि संस्था कार्यरत है और उसमें ५-६ छात्रों को रखा जाता है।

रामवल्लभ भट्टाचार्य और उनके दिवंगत भाई के संयुक्त नाम से सरकार ने यह सहायता मंजूर की थी । इस स्थिति में रेवेन्यू बोर्ड ने दावेदारों के जीवन काल तक पूरी पेन्शन चालू रखने का प्रस्ताव पारित किया तथा कहा कि निष्ठापूर्वक मूल हेतु का पालन हो इसका ध्यान रखा जाए। इस प्रकार भविष्य में पैंशन प्राप्त करने हेतु रामवल्लभ भट्टाचार्य को अधिकृत माना और उनके स्वर्गीय भाई के हिस्से की रकम भी चुका देने का आदेश दिया।

मार्च १८१९ में बर्दवान के जिलाधीश ने रेवेन्यू बोर्ड को आवेदन दिया था। यह आवेदन जिले में मौजूद मस्जिदों और मदरसों में दी जानेवाली शिक्षा हेतु धन राशि देने के लिये था। उस संदर्भ में कोलकता के न्यायालय में दावा किया गया और न्यायालय ने जिलाधीश को इसका निकाल करने का आदेश दिया। इस मामले में संस्था की आर्थिक व्यवस्था मुसीलुद्दीन के पास थी। उससे हिसाब देने को कहा गया परंतु लगता है उसने संतोषजनक रूप से हिसाब नहीं दिया। इससे जिलाधीश ने अपने अमीन को भेजकर यह जानने को कहा कि यह संस्था किस हद तक कार्यरत है। उस अमीन ने गाँववालो पर विश्वास कर विवरण दिया कि संस्था कार्यरत है। परंतु उसके विवरण के समर्थन में कोई दस्तावेज उसने प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में रेवेन्यू बोर्ड ने जिलाधीश को स्वयं जाकर जाँच करने का आदेश दिया जिससे उसकी जाँच से वह योग्य निर्णय ले सके। इस मदरसे का बादमें क्या हुआ वह पता नहीं चलता।

जुलाई १९२३ में रेवेन्यू बोर्ड ने बर्दवान के महाविद्यालय को २५४ रूपये वार्षिक अनुदान के लिये सिफारिश की और उसे लोकशिक्षा की साधारण समिति को भेज दिया।

जेसोर

इस जिले की प्राथमिक या उच्च शिक्षा की कोई जानकारी प्राप्य नहीं है। परन्तु हिन्दू या मुसलमानों की शिक्षा सस्थाओं की बडी सख्या निर्विवाद रूप से है। जहाँ तक ब्यौरे की बात है तो ग्राम्य शिक्षा का विवरण बिलकुल प्राप्त नहीं हुआ है।

नदिया

मुसलमानों की विजय के समय नदिया हिन्दुओं की राजधानी थी और फिलहाल वह ब्राह्मण शिक्षा का प्रमुख स्थान है। हेमिल्टन ने लिखा है कि शिक्षा के मामले में वहाँ निश्चित गिरावट आई होगी क्योंकि सन् १८०१ में मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली के पूछने पर वहाँ के न्यायाधीश ने बताया कि उसे एक भी हिन्दू या मुसलमान शिक्षा सस्था की जानकारी नहीं है जिसमें कानून की शिक्षा दी जाती हो। यह कथन नीचे दी जा रही जानकारी से एकदम विपरीत था और यह पूर्व में की गई आलोचना का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस टिप्पणी के अनुसार हिन्दू शिक्षा सस्थाओं को ध्यान में नहीं लिया गया था।

बनारस में जिस तरह पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है नदिया की हिन्दु शिक्षा सस्थाएँ उससे अलग हैं। उनका विद्याधाम का स्वरूप राजनैतिक महत्व से जुडा है और वह मुस्लिम आक्रमण के समय से चला आ रहा है क्योंकि उस समय वह बगाल की राजधानी था। बगाल के राजकुमारों और नदिया के राजाओं ने विद्यार्थियों के निभाव और शिक्षा के लिये कुछ शिक्षकों को जमीन दी थी। इस प्रकार पडितों और छात्रों को आश्रय मिलने से अनेक ब्राह्मण बस गये और इस प्रकार जिले की ख्याति हुई। परतु विपरीत राजनैतिक प्रभाव और सहायता की नई नीति के कारण उनकी अवनति हुई। फिर भी विद्याधाम के रूप में उसने अपना स्थान बनाए रखा।

सन् १८११ में गवर्नर जनरल लोर्ड मिन्टो ने नदिया और तिरहत में हिन्दू महा विद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की और इस हेतु अलग धन राशि की व्यवस्था की। परतु किन्ही कारणों से इस सिफारिश पर अमल नहीं हो पाया तथा उसे छोड दिया गया तथा कोलकता के सस्कृत महाविद्यालय जैसी सस्था स्थापित करने का समर्थन किया गया। सरकार और नदिया के लिये नियुक्त अस्थायी कमेटी ऑफ सुप्रिन्टेन्डेन्ट के बीच हुए पत्र व्यवहार में बताया गया है कि उस समय लगभग ३८० विद्यार्थी थे और उनकी आयु २५ से ३० वर्ष के बीच थी। ऐसा निष्कर्ष है कि कुछ विद्यार्थी २१ वर्ष की आयु के बाद अध्ययन प्रारभ करते थे और १५ वर्ष तक शास्त्रों और उनके रहस्यों का सपूर्ण ज्ञान प्राप्त

कर अपने घर वापस आते थे और पण्डित या शिक्षक के रूप में ही वे अपना कर्तव्य निभाते थे।

श्री वोर्ड ने सन् १८१८ में नदिया में ३१ विद्यालय बताये हैं जिनमें ७४७ विद्यार्थी थे । उनमें से ५ विद्यार्थी तो एक ही शिक्षक के पास पढ़ते थे। एक साथ एक ही शिक्षक से पढ़नेवाले १२५ विद्यार्थियों की जानकारी दी गई है परंतु इस बात में श्री वार्ड की प्रामाणिकता सन्देहास्पद है। तर्कशास्त्र और कानून शिक्षा के मुख्य विषय थे। एक शाला में केवल साहित्य एक अन्य विद्यालय में खगोलशास्त्र तथा एक विद्यालय में व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। श्री वोर्ड ने निम्न विवरण दिया है।

न्याय शिक्षा के महाविद्यालय

शिवनाथ विद्यावाचस्पति के पास १२५ छात्र थे।
रामलोचन न्याय विष्णु के पास १२ छात्र थे।
काशीनाथ तर्क चूडामणि के पास ३० छात्र थे।
उभयानन्द तर्कालंकार के पास २० छात्र थे।
रामशरण न्यायवागीश के पास १५ छात्र थे।
भोलानाथ शिरोमणि के पास १२ छात्र थे।
राधानाथ तर्कपंचानन के पास २० छात्र थे।
श्रीराम तर्कभूषण के पास २० छात्र थे।
कालीकान्त चूडामणि के पास ५ छात्र थे।
कृष्णकान्त विद्यावागीश के पास १५ छात्र थे।
तर्कालंकार प्रसून के पास १५ छात्र थे।
माधव तर्कसिद्धांत के पास २५ छात्र थे।
कमलकान्त तर्कचूडामणि के पास २५ छात्र थे।
ऐश्वर्य तर्कभूषण के पास २० छात्र थे।
कान्त विद्यालंकार के पास ४० छात्र थे।

वैधानिकशास्त्र के महाविद्यालय

रामनाथ तर्कसिद्धांत के पास ४० छात्र थे।
गंगाधर शिरोमणि के पास २५ छात्र थे।
देवी तर्कालंकार के पास २५ छात्र थे।
मोहन विद्यावाचस्पति के पास २० छात्र थे।

गागुलि तर्कालंकार के पास १० छात्र थे।
कृष्ण तर्कभूषण के पास १० छात्र थे।
प्राणकृष्ण तर्कवागीश के पास ५ छात्र थे।
पुरोहित के पास ५ छात्र थे।
काशीकान्त तर्कचूडामणि के पास ३० छात्र थे।
कालीकान्त तर्कपंचानन के पास २० छात्र थे।
गदाधर तर्कवागीश के पास २० छात्र थे।

जहाँ काव्य शिक्षा दी जाती थी वैसे महाविद्यालय

कालीकान्त तर्कचूडामणि के पास ५० छात्र थे।

जहाँ खगोलविद्या की शिक्षा दी जाती थी वैसा महाविद्यालय

गुरुप्रसाद सिद्धान्तवागीश के पास ५० छात्र थे।

व्याकरण सिखानेवाले महाविद्यालय

शम्भुनाथ चूडामणि के पास ५ छात्र थे।

सन् १८२१ में श्री विल्सन की सामान्य जनादेश समिति के सदस्य के रूप में विशेष जाँच हेतु जब नियुक्ति की गई तब नदिया जिले में शिक्षा की जो स्थिति थी उसकी कुछ जानकारी एकत्र की थी। उस समय नदिया में २५ स्थानों पर शिक्षा की व्यवस्था थी। जिन्हें हॉल कहा जाता था वे छप्परवाले मिट्टी के मकान थे और तीन चार पंक्तियों में बनाई हुई मिट्टी की छोटी-छोटी झोंपड़ियों में छात्र रहते थे। पंडित (शिक्षक) यहाँ नहीं रहते थे किन्तु प्रातः जल्दी आकर सूर्यास्त तक कार्य करते थे। विद्यार्थियों की झोंपड़िया बनाने या उनकी मरम्मत करने का खर्च शिक्षक उठाते थे तथा विद्यार्थियों को निःस्वार्थ शिक्षा देते थे और उनके भोजनादि का खर्च भी वहन करते थे। नदिया के राजा द्वारा जो अनुदान प्राप्त होता था और आसपास के जमींदार शिक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार जो भेंट सौगात देते थे उसका उपयोग विद्यार्थियों के निभाव खर्च के रूप में होता था। विद्यार्थी और कुछ शिक्षक तो उससे भी अधिक आयु के होते थे। सामान्य उपस्थिति पत्रक में उनकी संख्या बीस से पचीस होती थी। अनेक स्थानों पर प्रतिष्ठित शिक्षकों के पास पचास साठ विद्यार्थी भी होते थे। कुल ५००-६०० विद्यार्थी थे जिनमें से अधिकांश बंगाली थे। विशेष तौर पर कुछ विद्यार्थी दक्षिण से कुछ नेपाल और आसाम से और कुछ पूर्व में तिरहुट तक से आये थे। बहुत कम लोग आत्मनिर्भर थे। उनके रहने की व्यवस्था शिक्षक करते थे

और उनके भोजन वस्त्र आदि का खर्च शिक्षक व्यापारी महाजन या जमींदार उठाते थे।

प्रमुख त्यौहारों पर विद्यार्थी भिक्षाटन को निकल पड़ते थे और बहुत सी आवश्यक सामग्री एकत्र कर लेते थे जो उनके खाली समय में उपयोगी होती थी। नदिया में प्रमुख तौर पर न्याय व तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। निजी शिक्षा भी दी जाती थी और एक दो स्थानों पर व्याकरण भी सिखाया जाता था। कुछ विद्यार्थी विशेष तौर पर दक्षिण के कुछ छात्र संस्कृत में अच्छी तरह बोल सकते थे।

नदिया की शिक्षा व्यवस्था का सबसे अच्छा चित्रण विल्सन की टिप्पणी से प्राप्त होता है। बार बार बदलती विद्यार्थियों और महाविद्यालयों की संख्या ध्यानाकर्षक है। सन् १८१६ में सरकारी अधिकारियों के अनुसार विद्यालयों की संख्या ४६ और छात्र संख्या ३८० थी। सन् १८१८ में विद्यालय ३१ तथा विद्यार्थी ७४७ थे। सन् १८२९ में २५ विद्यालय और ५००-६०० विद्यार्थी थे। इस प्रकार गत बीस वर्ष में विद्यालयों की संख्या घटती गई है और छात्रों की संख्या बढ़ती गई है। इस से अनुमान लगाया जा सकता है कि हिन्दू शास्त्र सीखने की वृत्ति से आकर्षित होकर जो विद्यार्थी आते जा रहे थे उनके अनुपात में कक्षों की संख्या कम पड़ रही थी। इसी प्रकार ये महाविद्यालय चलते थे। विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप नये कक्षों के लिये व्यय किया जाता था।

नदिया में हिन्दू शास्त्रों की शिक्षा देने वाले कुछ विद्यालयों को ब्रिटिश सरकार से थोड़ा सा वार्षिक भत्ता मिलता था। इस तरह रामचन्द्र विद्यालंकार को सन् १८१३ में ७१ रूपये वार्षिक भत्ता मिलता था जो उनकी बैठक व्यवस्था के क्षेत्रफल के अनुसार दिया जाता था। उनकी मृत्यु पर उनके किसी वारिस ने जिलाधीश को आवेदन दे कर रेवन्यू बोर्ड को भत्ता जारी रखने की सूचना दी। परंतु उनके वारिसों का कोई संतोषजनक प्रमाण न दे पाने से यह भत्ता बंद हो गया। सन् १८१८ में बालानाथ शिरोमणि ने रामचंद्र विद्यालंकार के वारिस और गुरुकुल के उत्तराधिकारी के रूप में आवेदन किया। रेवेन्यू बोर्ड में किये गये इस दावे के संबंध में जिलाधीश महोदय को आदेश दिया गया कि बालानाथ ऐसा कोई विद्यालय चलाते हैं या नहीं इसकी जाँच की जाए। जाँच से पता चला कि उनके आठ विद्यार्थी तर्कशास्त्र और न्यायशास्त्र का अध्ययन करते थे। जून १८२० में सरकार ने ७१ रूपये वार्षिक पेन्शन तथा शेष राशि देने का निर्णय किया।

जून १८१८ में शिवनाथ विद्यावाचस्पति की ओर से नदिया के जिलाधीश ने रेवेन्यू बोर्ड को आवेदन पत्र भेजा जिसमें ६० रूपये वार्षिक पेन्शन (भत्ता) देने की सिफारिश की। इस राशि का उपयोग उसके पिता शुक तर्कवागीश नदिया में गुरुकुल चलाने के लिये करते थे। बोर्ड ने यह पेंशन मंजूर किया और पिछली बकाया राशि भी अदा कर दी।

नवबर १८१९ में एक प्रार्थनापत्र श्री राम शिरोमणि ने नदिया के जिलाधीश के माध्यम से रेवन्यू बोर्ड को दिया जिसके अनुसार नदिया में गुरुकुल चलाने हेतु वार्षिक ३६ रूपये स्वीकार किये गये थे। इस गुरुकुल की स्थापना नेतोर के राजा ने की थी। श्री राम शिरोमणि के गुरुकुल में तीन ही विद्यार्थी थे तो भी वार्षिक भत्ता तथा अन्य अतिरिक्त रकम अदा की गई।

इसी प्रकार सन् १८१९ में राम जयतर्क बका के लिये नदिया के गुरुकुल में पाच विद्यार्थियों के लिये ६२ रूपये का भत्ता मजूर किया गया।

सन् १८२३ में रेवेन्यू बोर्ड को एक आवेदन दिया गया कि नदिया के एक महाविद्यालय में रामचन्द्र तर्कवागीश पुराण पढ़ाते थे और इस हेतु उन्होंने वार्षिक २४ रूपये भत्ते की माँग की थी जिसका उपयोग राजाशाही में रहनेवाले उनके पिता करते थे। यह भत्ता जारी रखने की माँग की गई थी। रेवेन्यू बोर्ड ने अपने नाजिर से जाच करने और हकीकत पेश करने को कहा। नाजिर ने बताया कि रामचद्र वागीश नदिया में गुरुकुल चलाते हैं जिसमें ३१ विद्यार्थियों को शास्त्रों की शिक्षा देते हैं और उनका पोषण भी करते हैं। उन सभी विद्यार्थियों की सूची दी गई है और वे गत नौ वर्ष से यह कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति में सरकार ने रामचद्र तर्कवागीश को पेन्शन देने और उनके पिता की मृत्यु के बाद से बकाया राशि भी अदा करने का आदेश दिया।

१८२९ में सामान्य जनादेश समिति से कहा गया कि सरकार में जो याचिका दी गई है उसकी जाँच कर सरकार को विवरण दिया जाए। इस याचिका में कुछ विद्यार्थियों ने माँग की थी कि उन्हें जो १०० रूपये मासिक भत्ता (छात्रवृत्ति) मिलता था उसे पुन प्रारम किया जाए। समिति ने एक सचिव और एक सदस्य की नियुक्ति की। जाँच के बाद यह समिति आश्वस्त हुई कि जो विद्यार्थी नदिया से तीन दिन की यात्रा करके आये थे उनका भोजन खर्च सरकार ने बारह आने या एक रूपया मासिक मजूर किया है जिससे उनका निभाव होता है। परतु वास्तव में उन्हें ९० रूपये मिलते हैं एव अन्य अवसरों के लिये दस रूपये अलग रखे जाते हैं। विदेशी (अन्य जिलों के) विद्यार्थियों की सख्या १००-१५० थी और ये १५० विद्यार्थी नदिया में अपनी याचिका के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि कोई कार्यवाही न हुई होती तो वे वहाँ से चले गये होते। श्री विल्सन ने विद्यार्थियों तथा उनके बीच बाँटे जा रहे भत्ते की सावधानीपूर्वक जाँच की और इस विषय में सबने पूर्ण सतोष व्यक्त किया था। एक विद्यार्थी और एक साधारण शराफ की जिलाधीश कोषागार से भत्ता प्राप्त करने के लिए नियुक्ति की। यह भत्ता निकालने के बाद बाहर के विद्यार्थियों में वह बाँट दिया जाता था। शराफ को शहर में इन बाहरी विद्यार्थियों की निश्चित संख्या मालूम थी। यह

शराफ जिसे श्री विल्सन पहचानते थे मासिक भत्ते के ऐवज में इन विद्यार्थियों को अनाज तथा किराने की अन्य वस्तुयें उधार देता था। सामान्यत वे उसके कर्जदार ही बने रहते थे तथा प्रभावशाली ब्राह्मण वर्ण के कारण वह विद्यार्थियों के साथ धोखेबाजी नहीं कर पाता था। इससे उसे जो भत्ता मिलता था उसे वह ईमानदारी से समान भाग में बाँट देता था। नदिया में दी जा रही इस शिक्षा को यूरोप के लोग श्रेष्ठ स्तर का नहीं मानते थे किन्तु स्थानीय लोगों में उसका महत्व काफी था। नगण्य रकम से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिलने से इस शिक्षा का बड़ा गौरव था और जिन विद्यार्थियों के पास आय का कोई साधन नहीं था उनके लिये तो यह काफी लाभदायक और प्रोत्साहक था। विल्सन के विवरण के आधार पर १०० रूपये मासिक भत्ता जारी रखने का निर्णय लिया गया।

इस जिले और नदिया शहर के बाहर की शिक्षा सस्थाओं का जो उल्लेख हुआ है उसके बारे में अन्य किसी अधिकारी ने शायद ही चर्चा की है। परतु जिले के शातिपुर किशनगढ आदि स्थान ध्यान आकर्षित करते हैं। श्री वोर्ड के अनुसार कुमारहारा और भाटपारा गाँवों में सात आठ अस्थायी कामचलाऊ शालायें चलती थीं। पहले शातिपुर मे शासकीय अनुदान से धर्मादा सस्था चलती है परतु फिलहाल उसका अस्तित्व नहीं है। सन् १८२४ में नदिया के जिलाधीश के माध्यम से एक आवेदन रेवेन्यू बोर्ड को दिया गया जिसमें कालीप्रसाद तर्कसिद्धात की गत वर्ष हुई मृत्यु के कारण उनके भाई देवीप्रसाद विद्यावाचस्पति को शातिपुर में गुरुकुल चलाने के लिये वार्षिक १५६ रूपये ११ आने १० पाई भत्ता मजूर करने की माँग की गई थी।

जाँच के बाद इस सदर्भ में बताया गया कि मृतक बहुत बड़े आदमी थे और मृत्यु के समय उनके पास दस विद्यार्थी थे। यह भी पता चला कि उनके भाई पढ़ाने में उनकी मदद करते थे और उन्हीं के साथ रहते थे। वे धर्मशास्त्र और कानून पढ़ाते थे परतु रेवेन्यू बोर्ड को यह जाँच विश्वसनीय नहीं लगीं। इससे जिलाधीश को पुनः स्वत जाँच करने का आदेश दिया। उसमें मृतक की किन सेवाओं के लिये कितनी धन राशि दी जाती थी यह जाँच करने का आदेश दिया गया था। परतु यह अतिम विवरण रिकोर्ड में उपलब्ध नहीं है।

सन् १८०१ में जिले के जिलाधीश और न्यायाधीश द्वारा जो विवरण दिया गया उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। उस समय ऐसे कोई गुरुकुल या विद्यालय नहीं थे जिसमें हिन्दू अथवा मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती हो। मेरे पास एक भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि मुस्लिम सस्था का कोई अस्तित्व था। मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद उनकी कोई शिक्षा सस्था न हो यह असभव लगता है।

ढाका और जलालपुर

हॅमिल्टन बताता है कि जिले की कुछ शालाओं में हिन्दु धर्म के सिद्धान्त और कानून पढ़ाये जाते थे परतु इससे अधिक जानकारी मेरे पास नहीं है। मुस्लिम आबादी काफी अधिक होने के बावजूद एक भी मुस्लिम शाला होने का प्रमाण कहीं से नहीं मिलता है। सरकारी अधिकारियों ने समिति को बताया कि जिले में शिक्षा के लिये किसी प्रकार का भत्ता या दानराशि दी गई हो ऐसा एक भी अभिलेख या प्रमाण नहीं है।

बाकरगज

इस जिले में एक भी ग्रामशाला या महाविद्यालय नहीं है। अन्य जिलों की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के आधार पर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ भी शिक्षा सस्थाएँ होंगी परतु यह बात आम जनता के ध्यान में नहीं आई होगी। सन् १८२३ में जिलाधीश ने बताया कि इस जिले में शिक्षा के लिये कोई सहायता नहीं दी गई है।

चितगोंग (चटगाँव)

सन् १८२४ के आधिकारिक विवरण के अनुसार यहाँ कोई ग्रामशाला नहीं थी। कुछ शालायें इस जिले में होंगी परतु अधिकाश जमीन धार्मिक हेतु से धर्म और गरीबों के लाभार्थ प्रदान की गई थी। शिक्षा की सहायतार्थ कोई राशि दी गई हो ऐसा नहीं लगता।

सन् १८२७ में जिलाधीश महोदय को धर्मार्थ चल रही सस्थाओं की जाँच करने और उसके निष्कर्ष सरकार को बताने को कहा गया। जिलाधीशने बताया कि भीटहींजा ने अपनी जमीन मदरसा के लिये दान की थी और उसकी पैदावार शिक्षा के लिये प्रयुक्त होती थी। यह रकम वार्षिक १५७० से अधिक नहीं थी। इसका $^{2}/_{3}$ हिस्सा नियमानुसार सस्थापक के बालकों को सन् १७९० में मिलता था। शेष $^{1}/_{3}$ में से उस समय के अधिकारी मौलवी अली भफतुलखान कुमार्यूं बमुश्किल सस्था का निभाव करते थे क्योंकि इस राशि से ५० विद्यार्थियों और तीन शिक्षकों का निभाव काफी कठिन कार्य था एक शिक्षक अरबी का और दो फारसी के थे। मूलतः विद्यार्थियों की कुल संख्या १५० अनुमानित की गई थी। तदनुसार अच्छी तरह बनाई हुई एक मस्जिद थी तथा शिक्षकों और छात्रों को आवास हेतु नीची छतों के दो मकान थे। इनकी कीमत नगण्य थी। जिलाधीश ने बताया कि यदि सरकार के आदेश से जमीन की नीलामी की जाए तो वर्तमान मूल्य से दुगुनी रकम प्राप्त होगी। यदि वे इस जमीन को पुनः बेचते हैं तो उसका मूल्य मौलवी को मासिक हप्ते से अदा कर संस्था का विभागीय हिसाब रेवेन्यू बोर्ड तथा सरकार

को बताया जाए। गवर्नर जनरल ने इस परामर्श को काउन्सिल में स्वीकार किया और तदनुसार आदेश दिया गया।

टिपेरा

मेरे पास इस जिले की सामान्य या किसी अन्य प्रकार की किसी भी शाला की जानकारी नहीं है। हेमिल्टन ने जो बताया वह सत्य प्रतीत होता है कि यहाँ किसी नियमित शाला या गुरुकुल में हिन्दू या मुस्लिम धर्मशास्त्र या कानून की शिक्षा दी जाती हो ऐसा नहीं लगता। सामान्य सभा के प्रश्नों के उत्तर में सरकारी प्रतिनिधियों ने बताया कि शिक्षा की सहायता के लिये या कोई सार्वजनिक कोष इस जिले में होने की जानकारी उनके पास नहीं है।

मैमनसिंह

हेमिल्टन बताता है कि इस जिले में नियमित रूप से मुस्लिम कानून पढानेवाली कोई शाला या गुरुकुल नहीं है किन्तु प्रत्येक परगना में हिन्दू शास्त्र पढानेवाली २-३ शालायें थीं। सपूर्ण जिले को १९ परगना और छ टप्पों में बाँटा गया था और इन २५ विभागों में हिन्दू शास्त्र की शिक्षा देने वाले ५०-६० विद्यालय होंगे। शिक्षा नि शुल्क थी। शुल्क लेना एक हीन कार्य माना जाता था। ग्राम्य शालाओं में प्राथमिक शालाओं का समावेश हो जाता है। मुझे किसी अधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

जिले में जहाँ मुस्लिम और हिन्दू आबादी का अनुपात ५ २ का है वहाँ कोई मुस्लिम विद्यालय नही है यह कहना विवादास्पद लगता है।

सिलहट

इस जिले की शिक्षा से सबधित जानकारी बहुत कम है। हेमिल्टन के अनुसार यहाँ हिन्दू अथवा मुस्लिम कानून की शिक्षा देनेवाले विद्यालय या गुरुकुल नहीं थे। किन्तु भिन्न भिन्न स्थानों पर बालकों को निजी विद्यालयों में लिखना और पढना सिखाया जाता था। मैमनसिंह की सूचना इसके विपरीत थी। वहाँ शालायें तो थीं परतु प्राथमिक शालाओं का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि सिलहट में दोनों प्रकार की शालाओं का अस्तित्व था। यद्यपि दोनों प्रकार की शालाओं की सख्या या कार्यकुशलता महत्वपूर्ण नहीं थी।

मुर्शिदाबाद

ऐसा कहा जाता है कि सन् १८०१ में मुस्लिम कानून की शिक्षा देनेवाली जिले में एक ही शाला थी जबकि हिन्दू शास्त्रों और रीतिरिवाजों की शिक्षा देनेवाली २०

शालायें थीं । ऐसा लगता है कि उस समय और हाल में हिन्दू और मुस्लिम शिक्षा संस्थायें बड़ी संख्या में थीं।

दिसंबर १८१८ में मुर्शिदाबाद के जिलाधीश के माध्यम से कालिकान्त शर्मा की ओर से रेवेन्यू बोर्ड को एक याचिका दायर की गई जिसमें ५ रूपये मासिक पेन्शन चालू रखने की प्रार्थना की गई थी। यह पेंशन उनके पिता जयराम न्यायपचानन को चकला राजाशाही के जमींदार स्व महारानी भवानी की ओर से हिन्दू विद्यालय चलाने के लिये मिलती थी। जिलाधीश ने याचिका के साथ अपनी खास टिप्पणी भी रखी जिसके अनुसार स्वर्गस्थ के पिता को यह पेंशन मिलती थी और १७९६ में तत्कालीन जिलाधीश की सिफारिश पर सरकार ने उसे मजूर किया था। यह भी कहा कि प्रार्थी चरित्रवान है और विद्यालय के कुलपति होने की योग्यता उनके पास है। रेवन्यू बोर्ड ने याचिका के साथ जिलाधीश के स्तर पर भी ध्यान दिया। वास्तव में १८११ से यह पेंशन बंद थी। हाल में प्रार्थी कार्यालयीन कार्य करने में समर्थ नहीं है। प्रार्थी यह क्षमता प्राप्त करने को प्रयत्नशील है और उसे बाद में सिद्ध कर सकता है। बोर्ड ने कहा कि साधारणत हमारी मान्यता है कि शालेय शिक्षा की पेंशन के लिये जो रकम दी जाती है उसका उपयोग उसी हेतु के लिये होना चाहिए। ऐसा विश्वास जब तक न हो जाए तब तक पेंशन चालू नहीं की जा सकती। हमारे पिछले विवरणों को ध्यान में लेते हुए ऐसे हेतु के लिये पेंशन चालू करने में सरकार को प्रसन्नता है। जिनके लिये यह निर्णय लिया गया है उसमें सर्व प्रथम बोर्ड उस व्यक्ति की योग्यता से आश्वस्त हुआ है और उनके पक्षमें पेशन का निर्णय लिया है। वर्तमान दावे में भी बोर्ड काउंसिल ऑफ लॉर्ड्स को अनुकूल टिप्पणी करने को उत्सुक है। इस सिफारिश से सरकार ने कालिकान्त शर्मा की पेंशन चालू रखी। सन् १८२१ में उनकी मृत्यु पर इन्हीं आधारों पर और उनका दावा निर्विवाद होने से उनके भाई चंद्रशिव न्यायालंकार को यह पेंशन जारी रखी। इस समय उनके पास ७ विद्यार्थी थे जिनमें से पाँच उन्हीं के पास रहते थे।

जुलाई १८२२ में मुर्शिदाबाद के जिलाधीशने काशीनाथ न्यायपचानन की ओर से एक याचिका रेवेन्यू बोर्ड को भेजी। काशीनाथ न्याय पचानन राम किशोर शर्मा के पुत्र थे। उन्होंने राम किशोर शर्मा का स्वर्गवास हो जाने से उनको मिलनेवाली ५ रूपये मासिक पेंशन उनके नाम करने की प्रार्थना की। कोलापुर के पास व्यासपुरमें रामशरण शर्मा हिन्दू गुरुकुल चलाते थे और उसकी सहायता के लिये १७९३ में उन्हें पेंशन मिलती थी। जिलाधीश ने अपने विवरण में बताया कि प्रार्थी पेंशन का अधिकृत उत्तराधिकारी है और शालेय शिक्षण की पूर्ण योग्यता से युक्त है। इन परिस्थितियों में रामकिशोर शर्मा की पेंशन काशीनाथ न्यायपचानन के नाम कर दी गई।

वीरभूम

इस जिले की प्राथमिक शिक्षा के बारे में मेरे पास कोई विवरण नहीं है। हेमिल्टन ने इस विषय में कुछ नहीं कहा है। सन् १८२३ में सामान्य समिति की पूछताछ पर स्थानीय अधिकारीने बताया कि इस जिले में युवकों की शिक्षा के लिये कोई निजी या सार्वजनिक गुरुकुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसे यों समझना चाहिए कि प्राथमिक या उच्च शिक्षा की कोई संस्था नहीं है। मुझे संदेह है कि यदि यह कथन गलत है तो वह बहुत असाधारण है। क्योंकि शिक्षा प्रसार के लिये जो साधन अस्तित्व में थे उनके निरीक्षण में सरकारी प्रतिनिधि ने काफी मेहनत की है। पड़ोस के जिले की तुलना में यह न सुना जा सकता है और न माना जा सकता है कि जहाँ ३० हिन्दू और १ मुसलमान की आबादी का औसत है वहाँ एक भी विद्यालय न हो।

सन् १८२० में सर्वानंद नामक एक हिन्दू ने वैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपने उत्तराधिकार का दावा किया और स्थानीय अधिकारी के माध्यम से सरकार को ५००० रूपये की सहायता भेजने की प्रार्थना की जिससे जिले में एक ग्राम्यशाला स्थापित की जा सके। इसके साथ यह शर्त भी रखी कि शाला के मुख्यशिक्षक या उपाध्याय के रूप में सरकार उसका अधिकार स्वीकार करे। सामान्य समिति के आर्थिक लेनदेन की टिप्पणी देखने से पता चलता है कि समिति ने यह राशि जिलाधीश कार्यालय को भेजी थी और उनके द्वारा मागी गई शाला की इच्छापूर्ति के अतिरिक्त इस राशि का उपयोग प्रमुख शहर के सूर के तालाब की खुदाई के लिये भी करने की माग की थी। यह माँग अस्वीकृत हुई और सर्वानंद से कहा गया कि उनके इस दावे के लिये उन्हें न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। इस प्रकार यह निर्णय उनके लिये लाभप्रद नहीं रहा।

सन् १८२३ में कार्यकारी प्रतिनिधि और जिलाधीश ने विचार किया कि मंदिर की राशि का उपयोग सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना हेतु होना चाहिए, परंतु इस विचार का आधार ज्ञात नहीं है। एक मान्यता के अनुसार मंदिर की वार्षिक औसत आय ३० ००० रूपये थी। इस आय का आधार मंदिर में आनेवाले यात्रियों की संख्या और उनके द्वारा स्वैच्छिक दान था। १८२२ में अधिकृत अनुमान के अनुसार मंदिर की वार्षिक औसत आय १ ५० ००० मानी गई। एक विशेष बात यह थी कि दो माह में ही १५ ००० रूपये एकत्र हुए थे परंतु यह पता नहीं चला कि ये दो माह वर्ष के वे महीने थे जब मंदिर में अधिक यात्री आते हैं या दूसरे। वर्तमान में होनेवाली आय का उपयोग मेरी मान्यता के अनुसार मंदिर के खर्च धार्मिक विधि और साधुसंतों और भक्तों के लिये होता है।

शालायें थीं । ऐसा लगता है कि उस समय और हाल में हिन्दू और मुस्लिम शिक्षा संस्थायें बड़ी सख्या में थीं।

दिसंबर १८१८ में मुर्शिदाबाद के जिलाधीश के माध्यम से कालिकान्त शर्मा की ओर से रैवेन्यू बोर्ड को एक याचिका दायर की गई जिसमें ५ रूपये मासिक पेन्शन चालू रखने की प्रार्थना की गई थी। यह पेंशन उनके पिता जयराम न्यायपंचानन को चकला राजाशाही के जमींदार स्व. महारानी भवानी की ओर से हिन्दू विद्यालय चलाने के लिये मिलती थी। जिलाधीश ने याचिका के साथ अपनी खास टिप्पणी भी रखी जिसके अनुसार स्वर्गस्थ के पिता को यह पेंशन मिलती थी और १७९६ में तत्कालीन जिलाधीश की सिफारिश पर सरकार ने उसे मंजूर किया था। यह भी कहा कि प्रार्थी चरित्रवान है और विद्यालय के कुलपति होने की योग्यता उनके पास है। रैवन्यू बोर्ड ने याचिका के साथ जिलाधीश के स्तर पर भी ध्यान दिया। वास्तव में १८११ से यह पेंशन बंद थी। हाल में प्रार्थी कार्यालयीन कार्य करने में समर्थ नहीं है। प्रार्थी यह क्षमता प्राप्त करने को प्रयत्नशील है और उसे बाद में सिद्ध कर सकता है। बोर्ड ने कहा कि साधारणतः हमारी मान्यता है कि शालेय शिक्षा की पेंशन के लिये जो रकम दी जाती है उसका उपयोग उसी हेतु के लिये होना चाहिए। ऐसा विश्वास जब तक न हो जाए तब तक पेंशन चालू नहीं की जा सकती। हमारे पिछले विवरणों को ध्यान में लेते हुए ऐसे हेतु के लिये पेंशन चालू करने में सरकार को प्रसन्नता है। जिनके लिये यह निर्णय लिया गया है उसमें सर्व प्रथम बोर्ड उस *व्यक्ति की योग्यता से आश्वस्त हुआ है और उनके पक्षमें पेंशन का निर्णय लिया है।* वर्तमान दावे में भी बोर्ड काउंसिल ऑफ लॉर्ड्स को अनुकूल टिप्पणी करने को उत्सुक है। इस सिफारिश से सरकार ने कालिकान्त शर्मा की पेंशन चालू रखी। सन् १८२१ में उनकी मृत्यु पर इन्हीं आधारों पर और उनका दावा निर्विवाद होने से उनके भाई चंद्रशिव न्यायालंकार को यह पेंशन जारी रखी। इस समय उनके पास ७ विद्यार्थी थे जिनमें से पाँच उन्हीं के पास रहते थे।

जुलाई १८२२ में मुर्शिदाबाद के जिलाधीशने काशीनाथ न्यायपचानन की ओर से एक याचिका रैवेन्यू बोर्ड को भेजी। काशीनाथ न्याय पचानन राम किशोर शर्मा के पुत्र थे। उन्होंने राम किशोर शर्मा का स्वर्गवास हो जाने से उनको मिलनेवाली ५ रूपये मासिक पेंशन उनके नाम करने की प्रार्थना की। कोलापुर के पास व्यासपुरमें रामशरण शर्मा हिन्दू गुरुकुल चलाते थे और उसकी सहायता के लिये १७९३ में उन्हें पेंशन मिलती थी। जिलाधीश ने अपने विवरण में बताया कि प्रार्थी पेंशन का अधिकृत उत्तराधिकारी है और शालेय शिक्षण की पूर्ण योग्यता से युक्त हैं। इन परिस्थितियों में रामकिशोर शर्मा की पेंशन काशीनाथ न्यायपचानन के नाम कर दी गई।

वीरभूम

इस जिले की प्राथमिक शिक्षा के बारे में मेरे पास कोई विवरण नहीं है। हेमिल्टन ने इस विषय में कुछ नहीं कहा है। सन् १८२३ में सामान्य समिति की पूछताछ पर स्थानीय अधिकारीने बताया कि इस जिले में युवकों की शिक्षा के लिये कोई निजी या सार्वजनिक गुरुकुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसे यों समझना चाहिए कि प्राथमिक या उच्च शिक्षा की कोई सस्था नहीं है। मुझे सदेह है कि यदि यह कथन गलत है तो वह बहुत असाधारण है। क्योंकि शिक्षा प्रसार के लिये जो साधन अस्तित्व में थे उनके निरीक्षण में सरकारी प्रतिनिधि ने काफी मेहनत की है। पड़ोस के जिले की तुलना में यह न सुना जा सकता है और न माना जा सकता है कि जहाँ ३० हिन्दू और १ मुसलमान की आबादी का औसत है वहाँ एक भी विद्यालय न हो।

सन् १८२० में सर्वानद नामक एक हिन्दू ने वैद्यनाथ मदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपने उत्तराधिकार का दावा किया और स्थानीय अधिकारी के माध्यम से सरकार को ५००० रूपये की सहायता भेजने की प्रार्थना की जिससे जिले में एक ग्राम्यशाला स्थापित की जा सके। इसके साथ यह शर्त भी रखी कि शाला के मुख्यशिक्षक या उपाध्याय के रूप में सरकार उसका अधिकार स्वीकार करे। सामान्य समिति के आर्थिक लेनदेन की टिप्पणी देखने से पता चलता है कि समिति ने यह राशि जिलाधीश कार्यालय को भेजी थी और उनके द्वारा मागी गई शाला की इच्छापूर्ति के अतिरिक्त इस राशि का उपयोग प्रमुख शहर के सूर के तालाब की खुदाई के लिये भी करने की माग की थी। यह माँग अस्वीकृत हुई और सर्वानद से कहा गया कि उनके इस दावे के लिये उन्हें न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। इस प्रकार यह निर्णय उनके लिये लाभप्रद नहीं रहा।

सन् १८२३ में कार्यकारी प्रतिनिधि और जिलाधीश ने विचार किया कि मदिर की राशि का उपयोग सार्वजनिक सस्थाओं की स्थापना हेतु होना चाहिए, परतु इस विचार का आधार ज्ञात नहीं है। एक मान्यता के अनुसार मदिर की वार्षिक औसत आय ३० ००० रूपये थी। इस आय का आधार मदिर में आनेवाले यात्रियों की सख्या और उनके द्वारा स्वैच्छिक दान था। १८२२ में अधिकृत अनुमान के अनुसार मदिर की वार्षिक औसत आय १ ५० ००० मानी गई। एक विशेष बात यह थी कि दो माह में ही १५ ००० रूपये एकत्र हुए थे परतु यह पता नहीं चला कि ये दो माह वर्ष के वे महीने थे जब मदिर में अधिक यात्री आते हैं या दूसरे। वर्तमान में होनेवाली आय का उपयोग मेरी मान्यता के अनुसार मदिर के खर्च धार्मिक विधि और साधुसतों और भक्तों के लिये होता है।

कार्यकारी प्रतिनिधि और जिलाधीश ने दो निवेदन दिये हैं। जिनमें भिन्न भिन्न धार्मिक उद्देश्यों के लिये दी गई जमीन का नाप और उसकी पैदावार बताई गई है और जिन मूलभूत कार्यों के लिये जमीन दी गई थी उनमें उसका उपयोग होता है। जिनका कोई हक नहीं बैठता ऐसे लोग भी इसका लाभ लेते हैं इस प्रकार का भी विवरण है । जिलाधीश की यह धारणा रही होगी कि इस दान की रकम का उपयोग शिक्षा के लिये भी होता होगा परंतु इसके लिये उसने कोई कारण नहीं दिया है। यह निवेदन आम जनता की जमीन के रजिस्टरों पर से तैयार किये गये थे और ये सारी बातें मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सारी जमीन २२ परगना में है। यह जमीन ८ ३४८ बीघा है तथा ३९ गावों से देवदान में प्राप्त हुई है । १६ ३३१ बीघा नाजर जमीन ५ ०८६ बीघा चिरागी जमीन १०१५ पीलोत्तर जमीन आदि है। अन्य १५ परगने जो मुर्शिदाबाद जिले से बीरभूम जिले में ले जाये गये हैं उनकी १ ९३४ बीघा देवदान की जमीन और १६२ बीघा पीलोत्तर जमीन है। इस प्रकार ३९ देवदान के गाँवों के अलावा कुल ३२ ८७७ बीघा जमीन है। मैंने अपने निवेदन में हेतु स्पष्ट करने के लिये जमीन के उपयोग संबधी कुछ विशिष्ट शब्दों का उपयोग किया है। मैंने इस सहायता पर टिप्पणी इसलिये की है कि तत्कालीन जिलाधीश के मनमें शिक्षा के प्रसार हेतु ये साधन भी थे यह स्पष्ट हो। इसका यह तात्पर्य नहीं कि मैं जिलाधीश के अभिप्राय से सहमत हूँ। इस मत को ध्यान में लेने पर जमीन का उपयोग निर्दिष्ट हेतु के लिये करने के लिये संस्थाएँ बाध्य हैं। मेरी समझ में जिस प्रकार जमीनें दी गई हैं उसका हेतु धार्मिक है। जमीन मालिकों की सम्मति से उसका उपयोग शिक्षा के लिये भी हो सकता है। इस शिक्षा को भी एक प्रकार की धार्मिक दृष्टि से ही देखना चाहिए। परंतु सम्मति के बिना इस हेतु इस का उपयोग अन्यायपूर्ण होगा और ऐसे विवादास्पद रूप में इसका उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा जैसे जनहित के कार्य में करना भी मूर्खतापूर्ण होगा। यदि ऐसा किया गया तो उसके विरुद्ध धार्मिक विद्रोह उठने की संभावना है।

राजाशाही

इस जिले में हिन्दू शास्त्रों की शिक्षा के लिए निस्संदेह अनेक विद्यालय हैं। परंतु सरकार की सहायता से चलनेवाली दो शालाओं के अतिरिक्त किसी अन्य का उल्लेख मुझे नहीं मिला। सन् १८१३ में राजाशाही के जिलाधीश ने काशीश्वर वाचस्पति गोविंदराम सिरहट और हरिशर्मा भट्टाचार्य की ओर से एक याचिका रेवेन्यू बोर्ड में दायर की थी जिसमें बताया गया था कि महाविद्यालय की सहायतार्थ ९० रूपये वार्षिक धनराशि रानी भवानी की ओर से उनके पिता की मृत्यु पर्यंत मिलती थी और वही उनके बड़े भाई की मृत्यु तक

भी जारी रही। इसके बाद से आज तक उन्होंने इन सस्थाओं को टिकाए रखा है अत सहायता की राशि उन्हें भी प्राप्त हो। जिलाधीश ने आवेदन पर सम्मति देते हुए कहा कि काशीश्वर नातोर शहर में एक महाशाला में कार्यरत हैं और उनके अन्य दो भाइयों ने गाँव में दूसरी सस्था स्थापित की है।

रेवेन्यू बोर्ड ने यह भी कहा कि दोनों भाई अपने पिता की सस्था को सपूर्ण दक्षता से चलाते रहे हैं। उनकी पेंशन जारी रखनी चाहिए और उनके वारिस यदि वे यह सस्था ब्रिटिश सरकार के स्थानीय प्रतिनिधि की देखरेख में चला सकते हों तो उन्हें भी पेंशन जारी रखनी चाहिए। बगाल सरकार इस सलाह से पूर्णत सहमत रही और रेवेन्यू बोर्ड की शर्तों के अधीन वार्षिक ९० रूपये की पेंशन स्वीकार की।

रगपुर

इस जिले की प्रवर्तमान स्थिति (शिक्षा की) के बारे में हेमिल्टन कहता है कि पचाग की रचना हेतु कुछ ब्राह्मण खगोलशास्त्र का पूरा ज्ञान रखते हैं। पाँच - छह पडित विद्यार्थियों को आगमशास्त्र जादूकला या हस्तरेखा शास्त्र पढाते हैं। हस्तरेखा विज्ञान जन्मपत्रिका गणना ज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता है और पवित्र प्रथाओं द्वारा उसका प्रभाव सुरक्षित रखा जाता है। मुस्लिम समाज में कोई पढालिखा व्यक्ति न होने से वे हिन्दुओं की सलाह लेते हैं। शिक्षा की यह प्रणाली अत्यत हानिकारक है और उचित तो नहीं ही है। आगमशास्त्र खगोलशास्त्र हस्तरेखा विज्ञान के अलावा हिन्दू धर्म के व्रत तथा कर्मकाड भी सिखाए जाते हैं और विद्यालयों में केवल आगमशास्त्र का ही ज्ञान नहीं दिया जाता।

कानूनगो से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार जिले के ९ उपविभागों में ४१ शालायें सस्कृत की शिक्षा देती हैं जिनमें ५ से लेकर २५ तक विद्यार्थी होते हैं जिन्हें व्याकरण सामान्य साहित्य काव्यशास्त्र तर्कशास्त्र कानून पौराणिक काव्य खगोल तथा आगमशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थी ३५ वर्ष की आयु तक - कुछ मामलों में ४० वर्ष की आयु तक अध्ययन जारी रखते हैं। ये विद्यार्थी अधिकाश ब्राह्मणपुत्र होते हैं। इनका निभाव विभिन्न तरीकों से होता है। पहले तो जो विद्वान ब्राह्मण इन्हें पढाते हैं उनकी उदारता से दूसरे धार्मिक त्यौहारों पर आमत्रित होने पर प्राप्त भेटों से घरों के साथ के सम्बन्धों से और भिक्षाटन से जब अन्य साधन विफल होते हैं तब दूसरे का सहारा लिया जाता है। विद्यार्थी स्वतत्र रूप से अपनी आजीविका अर्जित कर सकें ऐसी शिक्षा दी जाती है। कई बार दूसरों से प्रसगोपात प्राप्त सौगात द्वारा और कई बार प्राप्त छोटी-बडी सहायता से निभाव होता है। लगभग दस छात्र ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का निभाव उन्हें प्राप्त छोटे छोटे

जमीनदान से होता है। इसमें २५ बीघा जमीन ब्राह्मोत्तर की और १७६ बीघा जमीन लखीराज की है। अन्यों के लिये कितनी जमीन है यह नहीं बताया गया है परतु वह ब्राह्मोत्तर जमीन नहीं होगी।

एक उदाहरण में यह भी बताया गया है कि जिस जमीन पर शाला स्थापित थी उसका मालिक पंडित को वार्षिक ३२ रूपये देता था तथा एक अन्य उदाहरण में वार्षिक ५ या ८ रूपये की सहायता प्राप्त होती थी। एक अन्य उदाहरण में पंडित का गुजारा बापदादा के उत्तराधिकार से होता था । साथ ही एक जमींदार के कुलगुरु का कर्तव्य भी वह निभाता था।

दीनाजपुर

जिले के २२ विभागों में से १५ में विद्यालय नहीं हैं और शेष ७ विभागों में केवल १६ विद्यालय हैं। अनेक शिक्षकों के पास जमीन है जिससे उनका और विद्यार्थियों का निभाव होता है और बिना किसी भेदभाव के हिन्दुओं की ओर से उन्हें उपहार मिलते हैं।

जिन शिक्षकों के पास जमीन है उन्हे अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिये अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। विशेष तौर पर जब शिक्षक ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो तो उसे जमीनदान के रूप में बड़ी सहायता प्राप्त होती है और उनके वारिस भी प्रसन्नता से उसका उपयोग करते हैं। परतु ये वारिस शिक्षण कार्य करने को बाध्य नहीं होते। शिक्षण कार्य करते हुए भी पंडित के रूप मे उनकी उपाधि बनी रहती है एव अमुक सपत्ति निर्विवाद सग्रह हो जाने से अनेक अयोग्य कार्यों से काफी नीचे स्तर तक चले जाते हैं। कुछ भी हो ब्राह्मणों के लिये अच्छी स्थिति यह है कि ऐसे उदाहरण अधिक नहीं होते तथा परिवार का एक पुत्र शिक्षा के व्यवसाय से जुड़ा ही रहता है। अन्य पुत्र अपनी इच्छानुसार व्यवसाय चुन सकते हैं। यह प्रथा कितनी ही मुक्त दिखती हो और कितने ही विद्वान शिक्षक प्राध्यापक हों तो भी इतना तो स्पष्ट दिखाई देता है कि शिक्षण कार्य काफी मद गति से होता है और यह भय भी रहता है कि वह कभी भी बद हो सकता है। धर्मार्थ सहायता जिससे शिक्षकों को पर्याप्त मान प्रतिष्ठा मिलती है यदि न मिले तो शिक्षा कार्य बद हो जाता है।

प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुकने के बाद बारह वर्ष की आयु में विद्यार्थी संस्कृत का अध्ययन प्रारभ करते हैं। अन्य स्थानों की ही तरह बगाल में भी पाठ्यक्रम में व्याकरण तर्कशास्त्र अध्यात्म और कभी कभी वेदों का तत्त्वज्ञान (दर्शन) हिन्दू धर्म के वर्तमान कर्म काण्ड और खगोलशास्त्र वैद्यक और जादूकला का भी समावेश होता है।

वैद्यों और कुछ सपन्न कायस्थों को सस्कृत विद्वानों द्वारा निश्चित किया हुआ हिस्सा तथा साहित्य का कुछ अश पढाया जाता है। परतु इन्हें दैवी या अन्य प्रभावी साहित्य नहीं पढाया जाता है। डॉ बुशनन की टिप्पणी है कि सस्कृत की शिक्षा पर पवित्र वर्ग का ही एकाधिकार है। इस प्रथा के कारण जनसामान्य में अज्ञान बढा है। परतु यह निसदेह कहा जा सकता है कि जिन्हें यह शिक्षा मिली है वे अपने अन्य देशवासियो की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणों में अन्य हिन्दुओं की तुलना में अधिक बुद्धि सूक्ष्मता दिखाई देती है । उनमें दुर्व्यसनों की मात्रा भी कम है और उनके जैसे सदाचारियों को ही शास्त्रों के मडप में (शास्त्र शिक्षामें) प्रवेश मिलता है। यहाँ तथा अन्य स्थानों पर भी बैद्धिक क्षमता तथा चरित्र एक जैसे नहीं होते तो भी बैद्धिक व्यवसाय के प्रति लगन और उससे प्राप्त आनद नैतिक चरित्र सुधारने और उसे उच्चतर बनाने में महत्त्वपूर्ण होता है। समूची मानव जाति के सुधार और सभ्यता तथा मानवप्रेम के अनेक माध्यम होने के बावजूद एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अपने विचार और अनुभव से स्थापित योग्यता से हम कितने ही अपरिचित हों इस धरती के मौलिक सस्कारों ने शताब्दियों से अनेक विषम परिस्थितियों में भ्रष्टाचार तथा नीतिभ्रष्टता से देश को सभाला है बचाया है।

अरबी या मुस्लिम शास्त्रों की शिक्षा देनेवाला एक भी विद्यालय नहीं है। यह एक विस्मित करनेवाली बात ही है कि जहाँ इतनी बडी मुस्लिम आबादी है वहाँ एक भी मुस्लिम शाला नहीं है।

यद्यपि कुछ मुसलमान शिक्षक (मौलवी) कुरान के कुछ अश पढ लेते हैं। अमुक अवसरों पर उसका पठन होता है फिर भी बुशनन की सूचना के अनुसार काजियों की यह शिकायत थी कि (इनमें से कोई) शायद ही इस भाषा का कोई शब्द समझता हो। अधिकाश लोग सामान्य रूप से कुछ परिच्छेद रट लेते हैं जिससे उनका उपयोग वे कुछ विधियों के समय कर सकें।

पूर्णिया

डॉ बुशनन के अनुसार इस जिले में ११९ शालायें विभिन्न स्तर पर चलती थीं। उनमें व्याकरण तर्कशास्त्र कानून और प्रवर्तमान कर्मकाड की शिक्षा दी जाती थी। अंतिम दो विषयों के शिक्षकों को विद्वान माना जाता था फिर भी पूर्व विषयों के शिक्षकों की अपेक्षा उनका सम्मान कम था। कुछ सम्माननीय माने जाने वाले लोगों का ज्ञान भी सतही था। छात्र अध्ययन में लापरवाह थे और दीर्घ अवकाशों पर चले जाते थे। किसी भी पंडित के पास आठ से अधिक छात्र नहीं थे जो प्रति शिक्षक दो से भी कम होते थे। जिले में शिक्षक

और पण्डितों की संख्या २४७ थी। अन्य १८०० १९०० लोग भी स्वयं को पण्डित गिनाते थे परंतु ये श्राद्धविधि करवाने वालों से कुछ अधिक नहीं थे और पण्डितों से भिन्न थे। वे शूद्रों के पण्डित थे तथा पश्चिमी प्रदेशो में वे निम्न जातियों की पण्डिताई करते थे। इन जातियों में शायद ही कोई पढा लिखा होता था इसलिये जब वे काव्य पढते तो स्वयं को महान ज्ञानी समझते थे । उन्हें लगता था कि काव्य पढना एक अद्भुत बात है। इसके लिये कुछ विधियों में उपयुक्त प्रार्थनायें और उनके अंश कंठस्थ कर लेते थे । जिले के पूर्व भाग में जहाँ बंगाली रीतिरिवाजों का प्रचलन था वहाँ भी ब्राह्मणों का एक वर्ग शूद्र या निम्न जातियों के लिये काम करता था। उनके ज्ञान का स्तर भी दशाकर्मियों से अच्छा नहीं था। उच्च वर्ण के शूद्रों के लिये (ये) दशाकर्मी ब्राह्मण थे। ये पुस्तकों में से प्रार्थना पढते थे। इनमें अधिकांश ने एक दो वर्ष तक किसी विद्वान शिक्षक से शिक्षा ली होती थी तथा व्याकरण और कानून की थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे। कुछ लोग उच्चारित विधिमंत्रो को अशत समझते भी थे। कुछ तो यहाँ के मूल निवासी थे। जिले की आग्नेय दिशा में बहुत कम लोगों ने इस पवित्र भाषा का अध्ययन किया था।

ऐसा देखा गया कि भिन्न भिन्न विद्याओं और शास्त्रों का अध्ययन जिले के दो कोनों में ही किया गया था। इस क्षेत्र को 'गौर' कहा जाता है । कोशी के पश्चिम किनारे पर एक अन्य छोटा सा क्षेत्र है। पहले किस्से में स्थानीय शासक की देखरेख में सारा कार्य चलता है तथा आसपास के प्रदेश में प्रशासक की बहुत बडी संपत्ति होती है। जब डॉ बुशनन की जाच चल रही थी तब भी उसके पास यह संपत्ति थी । उसने शिक्षा हेतु छह पण्डितों को नियुक्त किया था और उनकी सहायता करता था। इसके अतिरिक्त उसने शिक्षकों को जमीन भी दी थी। आसपास के प्रदेशों के प्राध्यापकों से भी उन्हें उच्च कक्षा का माना जाता था। ये लोग राजपण्डित कहे जाते थे। इस प्रदेश के ३१ पंडित प्रमुख रूप से व्याकरण कानून तथा पौराणिक काव्यों का अध्ययन अध्यापन करते थे। तर्कशास्त्र खगोलशास्त्र और जादू की उपेक्षा की जाती थी। जिले के पश्चिम भाग में छोटे से स्थान पर ३३ शिक्षक हैं । यहाँ अध्यात्म और ज्योतिष पढाये जाते हैं। पौराणिक काव्यों का अध्ययन नगण्य है और जादू की तो एकदम उपेक्षा की जाती है। दरभंगा के राजा के आश्रित अनेक शिक्षकों को जमीन मिली है परंतु उन्हें प्राप्त यह सहायता प्रभावी नहीं है क्यों कि कोशी के पश्चिम किनारे पर जो ३३ पण्डित निवास करते हैं उनमें से केवल ८ पण्डित ही शास्त्रों और शिक्षा में पारंगत हैं। इनमें से एक तर्कशास्त्र और अध्यात्म तीन व्याकरण और चार ज्योतिष पढाते हैं। ये सब पण्डित मिथिला के हैं।

डॉ बुशनन ने शिक्षा की विविध शाखाओ की कुछ जानकारी दी है। ग्यारह पंडित

अध्यात्मशास्त्र पढाते थे। इनमें से छ ने इसी शाखा का अध्ययन और अध्यापन जारी रखा। एक पण्डित व्याकरण दूसरा व्याकरण तथा कानून पढाता था अन्य दो कानून के साथ श्रीमद् भागवत भी पढाते थे और एक इन सभी का अध्यापन करता था। कानून के ३१ से अधिक शिक्षक थे। इनमें से केवल एक ने ही केवल कानून पढाने का कार्य जारी रखा। अन्य २४ एक अतिरिक्त विषय भी पढाते थे। इनमे से १९ व्याकरण पढाते थे और एक तर्कशास्त्र तथा अध्यात्मविद्या पढाता था। आठ लोग दो अतिरिक्त विद्याशाखाओं की शिक्षा देते थे । उनमें से तीन लोग व्याकरण और भागवत पढते थे। दो लोग तर्कशास्त्र और अध्यात्म के साथ भागवत भी समझाते थे। दो लोग भागवत और आधुनिक कर्मकाण्ड सिखाते थे एक व्यक्ति व्याकरण तर्कशास्त्र तथा पौराणिक काव्य पढाता था तथा दूसरा तर्कशास्त्र के स्थान पर आधुनिक कर्मकाण्ड पढाता था। खगोलशास्त्र के ग्यारह शिक्षकों में से दस कुछ भी नहीं पढाते थे। उनमें से सात जो आधुनिक कर्मकाण्ड सिखाते थे उन में से एक ने ही कर्मकाण्ड की सीमित शिक्षा जारी रखी। दो लोग कानून और तीन लोग व्याकरण और पौराणिक काव्यों की शिक्षा देते थे। छह लोग व्याकरण में प्रवीण थे। पाँच पण्डित व्याकरण की शिक्षा तक ही सीमित थे।

चिकित्सकीय शिक्षा और व्यवसाय के बारे में डॉ बुशनन बताते हैं कि २६ बगाली वैद्य मत्रोच्चार के साथ इलाज करते थे। सैंतीस ने इस प्रथा को स्वीकार नहीं किया था और वे विधिवत् औषधि देते थे। पाच मुसलमान हकीम इनसे श्रेष्ठ थे। दोनो के सिद्धान्त लगभग समान थे जो गेलन की परपरा पर आधारित थे। जिन का व्यवसाय (प्रेक्टिस) अच्छा था वे प्रति माह १० से २० रूपये तक कमा लेते थे। वे औषधि निर्माण के घटक तथा उसकी विधि गुप्त नहीं रखते थे और काफी उदार वृत्ति से अपना व्यवसाय करते थे। यद्यपि उनकी कोई बहुत प्रतिष्ठा नहीं थी। उनमें से अधिकाश धनी लोगों के नौकर थे और उन्हें उस परिवार से मासिक सहायता मिलती थी । उनमें से अमुक तो पढ भी नहीं सकते थे। वैद्यकीय इलाज करनेवाला एक अन्य वर्ग भी था। ये मत्रतत्र को नहीं मानते थे और जडीबूटियों से दवाएँ बनाते थे। उनमें से अनेक के पास पुस्तकें तक नहीं थी और वे सामान्य भाषा भी नहीं पढ सकते थे। कुछ रोगों के लिये जिन जडी बूटियों का उपयोग होता था वह उन्हें पहले ही सिखा दिया जाता था। डॉ बुशनन ने ऐसे ४५० वैद्यों की सख्या सुनी थी। ये वैद्य जिले की हिन्दू बस्ती में से थे और उन्हें निम्न स्तर का माना जाता था। एक ऐसा वर्ग भी था जो घाव और फोडे फुन्सी का इलाज करता था। ये लोग बिना किसी शास्त्रीय ज्ञान के अशिक्षित थे और ऑपरेशन (शल्य चिकित्सा) बिलकुल नहीं करते थे। ये सिर्फ भिन्न भिन्न तेलों का प्रयोग करते थे। शल्य क्रियामें मात्र एक स्त्री प्रवीण थी जो

पित्ताशय से पुराने ढग से पथरी निकाल देती थी। वह इस कार्य के लिये खूब प्रख्यात थी।

डॉ बुशनन के अनुसार सारे जिले में अरबी शास्त्रों की सपूर्ण उपेक्षा की गई थी। इस कारण थोड़े से काजी ही कुरान समझते थे तथा अरबी व्याकरण कानून व अध्यात्म की जानकारी रखते थे। बुशनन को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इनमें से कोई भी इन विषयों की शिक्षा देता हो या ऐसा प्रयत्न करता हो। डॉ बुशनन बताते हैं कि इस जिले में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुसलमान कायदे का अमल करता हो एव इस जिले में जन्मा हो तथा अपने विषय का विशेषज्ञ हो या काफी ज्ञान रखता हो या इग्लैण्ड के छोटे शहर में वकालत करनेवाले व्यक्ति जितनी भी शिक्षा जिसने प्राप्त की हो।

३

देशी वैद्यक व्यवसाय से सबंधित विलियम एडम का विवरण

राजाशाही जिले में चिकित्सा की प्रणाली लोगों के स्वास्थ्य और सुख के साथ इतनी घुल मिल गई है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुझे जो सूचनायें मिली हैं उनसे ऐसा लगता है कि इसे नजरअदाज नहीं किया जा सकता। जिन लोगोंने व्यावसायिक जाँच की सूचनाएँ एकत्र की हैं उनसे यह जानकारी एकदम भिन्न है। इन सूचनाओं से इस विषय की व्यावसायिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

वैद्यकीय व्यवसाय करने वालों की सबसे अधिक संख्या १२३ नातोर में है। इनमें ८९ हिन्दू और ३४ मुसलमान हैं। वैद्य बेलघारिया का चिकित्सा विद्यालय महत्त्वपूर्ण सस्था मानी जाती है। मेरी जानकारी के अनुसार इस जिले में इस प्रकार की यह एकमात्र सस्था है। समस्त बगाल में भी इस प्रकार की सस्थायें बहुत सीमित हैं। इस सस्था के दो वैद्यों (शिक्षकों) को दो सपन्न परिवारों ने अपने निजी चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया है। इन दोनों के रुग्णालय खूब अच्छे चलते हैं। दो में से कनिष्ठ वैद्य को निजी चिकित्सक के रूप में मासिक २५ रूपए वेतन मिलता है जबकि वरिष्ठ वैद्य को केवल १५ रूपए। वह भी उसे बुलाए जाने पर ही जाना है तब। मैं ने इन परिवारों को धनी परिवार कहा है परन्तु आज वे इतने घिस गए हैं कि वे नाम मात्र के धनी हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि चिकित्सक को नीची दृष्टि से देखा जाता है। इसलिये पारिश्रमिक कम है। हाजरानातोर क्रमाक-२६ नामक अन्य स्थान पर तीन शिक्षित हिन्दू चिकित्सक हैं। ये तीनों ब्राह्मण हैं और भाई हैं। वे थोड़ी बहुत सस्कृत जानते हैं। बेजवाडा आमहट्टी में उन्होंने सस्कृत व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की है। बाद में उन्होंने उन्हें वैद्यकीय शास्त्र का अध्ययन कराया।

सबसे बड़े भाईने १८ वर्ष की आयु से यह व्यवसाय अपनाया है। आज वह बासठ वर्ष का है और अपना अतिरिक्त समय अपने दो भतीजों को शिक्षा देने में बिताता है। वह अपनी औसत वार्षिक आय ५ रूपये मानता है। उसका एक भाई जिसकी प्रतिष्ठा कुछ कम है वह अपनी वार्षिक आय ३ रूपये मानता है। हरिदेव खलासी नामक एक तीसरे स्थान पर चार शिक्षित चिकित्सक हैं। उनमें से तीन अपनी निपुणता के लिये काफी प्रख्यात हैं। उपस्थित न होने से मैं उनके साथ बातचीत नहीं कर सका लेकिन उनके पडोसियों ने उनकी अदाजित आमदनी क्रमश आठ दस और बारह रूपये बताई। नातोर में और भी दो-तीन शिक्षित चिकित्सक हैं। शेष सभी अशिक्षित हैं। (एक पुस्तक का) सस्कृत से बगाली में अनुवाद किया गया है जिसमें क्षेत्रों के लक्षण और उपचार बताये गये हैं और रोगोपचार के लिये देशी दवाओं की मात्रा का भी वर्णन है। इनके पास इतना ही ज्ञान है और उसका वे उपयोग करते हैं।

नातोर में कोई सुशिक्षित मुस्लिम हकीम होने की विश्वसनीय जानकारी मुझे नहीं मिली। जो २४ हकीम मैंने पहले बताये हैं उन्हें अशिक्षित हिन्दू चिकित्सकों के समकक्ष रखा जा सकता है। वे भी सस्कृत से बगाली में अनूदित उपचार पद्धति का उपयोग करते हैं और उसका शब्दश अनुसरण करते हैं।

योग्यताप्राप्त और अयोग्य चिकित्सकों में मुझे एक ही अतर दिखा। वह यह कि प्रशिक्षित चिकित्सक आत्मविश्वास पूर्वक निश्चित औषध देते हैं जबकि अल्पज्ञाता अनुवाद की पूर्ण समझ न होने से अनिश्चिततापूर्वक औषध देते हैं। उपचार प्रणाली लगभग समान और प्रत्येक रोग के लिये तय होती है। रोग के लक्षणों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। रोगी के प्रत्यक्ष दिखनेवाले लक्षण और रोग के अनुमानित लक्षणों के अनुसार निश्चित औषध व उपचार पर सावधानी पूर्वक विचार कर चिकित्सा की जाती है। रोग की योग्य पहचान और उसका योग्य उपचार तय करने के बाद ही इलाज किया जाता है क्योंकि इन प्रख्यात पुस्तकों में बताया गया है कि प्रत्येक रोग का उसकी विशेष दवा से उपचार होता है। इस से विपरीत उपचार किया जाए तो उसके अकल्पनीय परिणाम होते हैं। सामान्य लक्षण मिलते जुलते हों और थोडा अतर हो तो उसके अनुरूप दवा में थोड़ा परिवर्तन करना स्वीकृत है परतु यह परिवर्तन किस माध्यम से किया गया इस पर ध्यान रखा जाता है। वनस्पतिजन्य तथा खनिज व क्षारयुक्त दो प्रकार की औषधिया दी जाती हैं। वनस्पतिजन्य दवाएँ छिलका पत्ते मूल एव फलों से बनती हैं और दवा की दुकानों से कपूर लौंग इलायची आदि के रूप में भी उपलब्ध रहती हैं। ये सभी दवाएँ बाह्य उपचार गोली चूर्ण शरबत या काढे के रूप में दी जाती हैं।

उपरोक्त चिकित्सकों का वर्ग विविध व्यक्तियों का है और उपचार एक शास्त्र या विद्या है ऐसा वे बिलकुल नहीं जानते। तय की गई दवाओं का ये सहज उपयोग कर लेते हैं इससे ये उँटवैद्य से अधिक कुछ नहीं हैं। फिर भी ग्राम्य लोगों का झुकाव डाक्टरों की अपेक्षा वैद्यों की ओर अधिक होने से उनकी मान्यता अधिक रहती है। ऐसे २५० वैद्य तो नातोर में हैं। उनके पास चिकित्सकीय ज्ञान नाम मात्र का भी नहीं है। वे जड़ी-बूटियों से ही उपचार करते हैं। इसके लिये वे पहले या बाद में कोई मंत्र पढते हैं और शरीर को थपथपाते तथा फूंक मारते हैं। उनकी संख्या ही गाँवों में उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण है। सच तो यह है कि मंत्रपाठ से जनमानस पर होने वाले प्रभाव के कारण ही इनकी संख्या अधिक है। ग्राम्य वैद्यों में स्त्री-पुरुष दोनों हैं। अनेक तो मुसलमान भी हैं और अपना परिचय अपने वर्ग के अनुसार ही देते हैं।

सामान्य चिकित्सकों के अतिरिक्त शीतला (चेचक) का टीका लगाने वालों का भी एक वर्ग है जो काफी सम्माननीय है। इनमें से २१ नातोर में हैं। अधिकांश ब्राह्मण हैं। वे अशिक्षित हैं परंतु टीका लगाने का कार्य यंत्रवत् करते हैं। कभी कभी तो एक व्यक्ति एक दिनमें १००-१५० बच्चों को टीका लगा देता है। प्रति बालक टीकाकरण का शुल्क १ या दो आने मिलता है। बच्चों की संख्या अधिक हो तो शुल्क दर कम रहता है और संख्या कम हो तो दर अधिक होता है। मैं समझता हूँ कि बडीमाता (चेचक) का टीका लगानेवाले जिला मुख्यालय के सिवाय कहीं नहीं हैं। अन्य स्थानों पर चेचक के चिकित्सकों का विरोध भी होता है। मैं समझता हूँ कि यह विरोध किसी स्वार्थ के कारण नहीं है क्योंकि बडीमाता (चेचक)का टीकाकरण उन्हें उतने ही प्रयत्न से उतना ही लाभ दे सकता है। परतु जैसा मुझे बताया गया विरोध का कारण टीका के प्रति पूर्वाग्रह है। जहाँ गाय को अत्यंत पवित्र माना जाता है वहाँ लोगों का ऐसा विश्वास है कि टीका के पदार्थ के लिये गाय को नुकसान पहुँचाया जाता है। मुसलमान टीकाकर्मियों को इस कार्य में लगाने से इसका प्रचार प्रचुर मात्रा में हो सकता है। कालांतर में टीकाकरण की सफलता से ब्राह्मणों को उनकी भूल समझ में आ जायेगी।

परिचारिका का व्यवसाय करनेवाला भी एक वर्ग है। यद्यपि हिन्दुओं में इस वर्ग में कोई नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स (संसद) में लन्दन के एक डॉक्टर ने मेडिकल कमिटी को बताया कि चीन में नर्स का व्यवसाय कोई महिला नहीं करती। अफ्रिकी देशों और हिन्दुओं में भी वही स्थिति है। मैंने पूछताछ करके जानकारी प्राप्त की है। नातोर में अनेक स्त्रियाँ नर्स के व्यवसाय में हैं। यह संख्या २९७ की है। नि:संदेह ये नर्सें इंग्लैण्ड की तरह ही अज्ञान हैं।

ग्राम्य चिकित्सकों की अपेक्षा एक निम्न वर्ग भी है जिसे लोग जादूगर या मदारी कहते हैं। इनमें से अधिकाश सपेरे हैं। नातोर के एक ही पुलिस थाना क्षेत्र में ऐसे ७२२ मदारी हैं। कुछ गाँव ऐसे भी हैं जहाँ एक भी मदारी नहीं है तो कुछ गाँवों में लगभग १० मदारी हैं। यदि आवश्यकता होती तो मैं प्रत्येक गाँव के मदारियों की सख्या बता सकता था परतु पत्रक की तालिका में इनकी सख्या दिये बिना भी मैंने उनकी सख्या तय कर ली है। उनका कहना है कि ये मत्रों से साँप का जहर उतार सकते हैं। वर्षा में इस जिले में साँपों का आतक अत्यधिक होता है। गगा के तटवर्ती क्षेत्र का यह जिला है। वह काफि नीचा क्षेत्र है। वर्षाऋतु में विपुल मात्रा में आनेवाला जल सापो के बिलों में भरने से वे बाहर आ जाते हैं। साप लोगों के घरों में अपना आश्रयस्थान खोजते हैं और लोग सर्पदश से बचने के लिये मदारियों की शरण में जाते हैं। मदारी साँप का जहर उतारने के बदले में कुछ नहीं माँगते। सब व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञता के रूप में आर्थिक सहायता करते हैं। इस से उन्हें अच्छे से अच्छा लाभ होता है। इसी से वे इतनी उदारता दिखाते हैं। जिन गाँवों में एक भी मदारी नहीं होता वहाँ लोग पास पड़ोस के गाँवों से बुलाकर एक दो मदारी को आवश्यक सुविधायें देकर गाँव में बसाते हैं। उसका काफी प्रभाव ग्राम्य लोगों पर होता है। गाँव में होने वाले झगडे की भविष्यवाणी उसके निराकरण आदि यह मदारी अन्य लोगों की अपेक्षा शीघ्र कर देता है। इसी से लोग उसकी जमीन की फसल काटने में अन्यों की अपेक्षा तत्परतापूर्वक मदद करते हैं। यह कला किसी परिवार या जाति का जन्मजात अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति जिससे मैं मिला वह नाविक था दूसरा चौकीदार था तीसरा जुलाहा था। जो भी यह जादू सीखता है वह उसका अभ्यास करता रहता है। किन्तु ऐसा माना जाता है कि जिनका यह व्यवसाय अच्छा चलता है वह उनके श्रेष्ठ जन्मग्रहों के कारण होता है। प्रत्येक मदारी का अपना अलग जादू होता है। किन्हीं दो के पास एक ही प्रकार का जादू मैंने नहीं देखा। जिज्ञासा सतुष्ट करने के लिये उन्हें अपनी जादू विधि का पुनरावर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसे लिखे जाने पर उन्हें प्रसन्नता होती है। उनमें एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं होता। दूसरों के मत्रों का पठन-पाठन करने करवाने की उनकी वृत्ति होती है। उनका दावा होता है कि वे अपने जादू से सर्पदश का इलाज कर सकते हैं। राक्षस (भूत-प्रेत) को भगाने की भी शक्ति वे रखते हैं परतु वे अपने आपको मदारी नहीं कहते। नातोर में राक्षसों को भगानेवाले मदारी अधिक नहीं हैं। बाघ से घायल लोगों का इलाज करनेवाले भी होते हैं। इन जानवरों का जहा निवास है वहाँ बाघों से आहत लोगों का इलाज करने वाले बड़ी सख्या में हैं। इन तीन प्रकार के जादूगरों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग भी है। वह ईश्वरीय आशिष प्रदत्त ज्ञानी लोग हैं। ये लोग गाँव पर आनेवाली विपत्तियों तथा अकाल से बचाने

कर दावा करते हैं। जब कभी अतिवृष्टि या आँधी तूफान आता है तो इन ज्ञानियों में से एक त्रिशूल और भैंस का सींग लेकर खेतों में जाता है। त्रिशूल जमीन में गाड़कर यह ज्ञानी उसके आसपास रक्षा रेखा बनाकर नग्न होकर त्रिशूल के चारों ओर सींग बजाते हुए तथा मंत्रोचार करता हुआ दौड़ता है। ग्रामवासियों की ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से उनकी फसल आंधी तूफान अतिवृष्टि से बच जायेगी। स्त्री पुरुष दोनों यह व्यवसाय करते हैं। ऐसे एक दर्जन लोग नासोर में हैं और मदारी और जादूगरों को जिस प्रकार सुविधायें दी जाती हैं वैसी ही सुविधाएँ इन्हें भी दी जाती हैं।

इनमें से अनेक बातें निरर्थक और महत्त्वहीन हैं। परंतु ये बातें समाज के विनम्र व्यक्तियों के चरित्रदर्शन की दृष्टि प्रदान करती हैं। यही लोग देश की आबादी का बड़ा भाग हैं और देश की आबादी से ही उनके सुख संपत्ति और सुधार जुड़े हुए हैं। यद्यपि इस प्रकार वे बुद्धिहीनता और वहम का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। परन्तु इनके मूल में नीतिभ्रष्टता और दुर्गुण हैं ऐसा कोई चिह्न दिखाई नहीं देता। प्रकृति के सामान्य नियमों के ज्ञान के अभाव में दी जाने वाली अपूर्ण शिक्षा सीमित बौद्धिक गठन को पूरा नहीं कर सकती। ये वहम न हिन्दू होते हैं न मुसलमान। दोनों समुदाय के शिक्षित लोग तो इन वहमों का खंडन करते हैं। परंतु ये अंधविश्वास दोनों धर्मों के पुरोगामी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं तथा किसानों का यह उत्तराधिकार तथा स्थानीय धर्म बन गया है। बाद के समय में विजेताओं के कारण असाधारण परिवर्तन होने के बावजूद उसी अवनत अवस्था में और आश्रित अवस्था में वे अब भी पड़े हुए हैं।

विद्यालयीन छात्रों का जाति अनुसार वर्गीकरण
(विलियम एडम्स के बगाल एव बिहार के रीपोर्ट से)

छात्र की जाति	मुर्शिदाबाद	बीरभूम	बर्दवान	दक्षिण बिहार	तिरहुत
सर्वेक्षण किये गये विद्यालयों की संख्या		४१२	६२९	२८५	८०
छात्रों की औसत आयु	१० १	१० ०५	९ ९	९ ३	९.२
प्रवेश योग्य आयु	६ ०३		५ ७	७ ९	५.०३
समावर्तन आयु	१६ ५		१६ ६	१५ ७	१३ १
जाति अनुसार छात्र संख्या	१ ०८०	६ ३८३	१३ ११०	३ ०९०	५०७
मुस्लिम	८२	२३२	७६९	१७२	५
ईसाई		२०	१३		
हिन्दु	(९९८)	(६ १३१)	(१२ ४०८)	(२ ९१८)	(५०२)
जाति अनुसार					
ब्राह्मण	१८१	१ ८५३	३ ४२९	२५६	२५
कायस्थ	१२९	४८७	१ ८४६	२२०	५१
कैवर्त	९६	८९	२२३		२
सुवर्णबनिक	६२	१८४	२६१	३१	
सण्टी	५६	१९६	२४९	१	
सद्दी	३९	१६४	१८८	५६	७२
तैली	३६	३८	३७१	२७१	२९
मैरा	२९	२४८	२८१		२८
सिली	६	३५	२००		
अगुरी	५	२८	७८७	२१	१७
सद्गोप	२	२१०	१ २५४		
गधबनिक	५९	५२९	६०६	५४०	३२
वैद्य	१४	७१	१२५		
सुथार	१३	५०	१०८		२
कमार	९	१०९	२६२		४

छात्र की जाति	मुर्शिदाबाद	बीरभूम	वर्दवान	दक्षिण बिहार	तिरहुत
राजपूत	७	६८	२१	१५०	६२
क्षत्री	९	२४	३५	१	
बराग्री	४	६२	३२	१	
स्वर्णकार	११	५३	८१	५१	२५
नापित	७५	७९	१९२	३९	४
ग्वाला	१९	५६०	३११	३८	८
ताम्ली	२२	१२७	२४२	१६	४
कलू	१	२५८	२०७		
डोम		२३	६१		
बागडी	२	१४	१३८		
कैरी	१			२००	५
मागध		१	-	४६८	१८
कुमार	८	४३	९५	१०	
क्षत्रिय	२६	५२	१६१	१८	७
कुर्मी	२४	७	८	५६५	११
वैष्णव	२४	१६१	१८९	२	
युगी	१०	९	१३४	८	
कसस्यबनिक	७	९	३४	२०	
हलवाईकर	४	१		६६	
दैवज्ञ	४	१७	३३		
चाण्डाल	४	१	६१		
जसिया	२	१	२८		
लाहरी	२	५	३	१३	२
पासी	१		१	२२	५
धोबा	१	२८	२४	१	
बैती		१३	१६	१	
भट्ट		९	११	१५	
माली	४	४	२६	१६	

छात्र की जाति	मुर्शिदाबाद	बीरभूम	बर्दवान	दक्षिण बिहार	तिरहुत
कण्डू			१	९	१८
कलवर	३			१८	
वैश्य	१	११			
मोची	१	३	१६		
महल्ला				१	६
हरि		१३	११		
लुनियर	५			२१	९
सास्यबनिक		९	२७		
खाटकी				२	१
अग्रदानी		१		१४	
सन्यासी		१		१४	
बराई				३५	
माला	१६				
ओसवाल	१२				
गारबनिक	३				
काण्डू	३			१	
माहूरी	३			४२	
मरार			२		-
माल		१२	२		
मतिया			१		
पारस्वा					२
धानुक		२			५
दोसाद				२३	
गरेरी	१				
कलाल					४०
कसारी					४
धुरिहरा				१	
पुनरा		२३			

छात्र की जाति	मुर्शिदाबाद	वीरभूम	बर्दयान	दक्षिण विहार	तिरहुत
फेक्ट		१५			
चापीकर					२
बनवार				१४	
बेलदार				८	
बुन्देला				४	
नेत्र		८			
लोहार				१३	
सारक		७			
पटवार				४	
बहिला		४			
भूम्यिा		२			
कोनरा		२			
गणरार		२	-	-	
मस्थिा		२	-	-	
बारी		१			
दुलिया		१			
बवाधा	-	१			
धनगर (कोल)		३			
सथाल		३			
खिउर			४		
कन्यार			३		

शिक्षकों का जाति अनुसार वर्गीकरण
(विलियम एडम के रीपोर्ट से)

शिक्षक की जाति	मुर्शिदाबाद	वीरभूम	वर्दवान	दक्षिण विहार	सिरहत	मिदनापुर
कुल शिक्षक	६७	४१२	६३९	२८५	८०	७७८
आयु (वर्ष)	४४.३	३९.३	३९.०५	३६	३४.८	
जाति						
कायस्थ	३९	२५६	३६९	२७	७७	
ब्राह्मण			१४	८६	१०७	-
		अगुरी	३	२	३०	
सद्गोप	१	१२	५०			
वैष्णव		८	१३			
मल्ल		४	९			
तेली			१०	१		
कैवर्त	२	४	५			
सुनरी	२	२	१			-
वैद्य	१	२	१			
सुवर्णवनिक	१	५	२			
क्षत्रिय	१					
छत्री	१	१				
चाण्डाल	१	१	४			
गन्धवनिक		५	६	१	२	
मायरा		४	१			
ग्वाला		३	२			
युगी		२	१			
तन्ती		२	१			
धनु		२	१			
स्वर्णकार	-	१				

शिक्षक की जाति	मुर्शिदाबाद	बीरभूम	बर्दवान	दक्षिण बिहार	तिरहुत	मिदनापुर
राजपूत		१	१			
नापित		१	३			
बाराई		१	१			
धोबा		१	१			
मालो		१				
कुमार			३			
बागदी			२			
नागा			१		-	
दैवज्ञ			१			
कम्मार			१			
मागध				२		
सोनार				१	-	
क्री				१		
मुस्लिम	१	४	९	१		
ईसाई		१	३			

प्राथमिक विद्यालय की पुस्तके

क्रम	नाम	जिला
१	दानलीला	मुर्शिदाबाद द बिहार तिरहुत
२	दधिलीला	
३	गुरुवन्दना	मुर्शिदाबाद
४	शुभकर	
५	अमरसिंह	
७	शब्द सुबन्त	
८	चाणक्य	मुर्शिदाबाद दक्षिण वीरभूमि
९	उग्र बलराम	मुर्शिदाबाद
१०	सरस्वती वन्दना	
११	मानभजन	
१२	कलक भजन	
१३	हितोपदेश	
१४	नीतिकथा	
१५	ज्योतिष विवरण	
१६	दिग्दर्शन	
१७	नीतिवाक्य	
१८	गीतगोविन्द	वीरभूमि तिरहुत
१९	अष्टधातु	वीरभूम
२०	अष्ट शब्दी	वीरभूम
२१	गगा वन्दना	बर्दवान
२२	युगोदय वन्दना	
२३	दाता कर्ण	
२४	आदि पर्व	
२५	सुदाम चरित	दक्षिण बिहार
२६	रामजन्म	दक्षिण बिहार तिरहुत
२७	सुन्दर काण्ड	दक्षिण बिहार
२८	सूर्यपुराण	तिरहुत
२९	सुन्दर सुदामा	

मुर्शिदाबाद एव वीरभूम में उपयोग में लाये जाने वाली पुस्तकें अधिकांश बर्दवान में भी उपयोग में लायी जाती है।

(च) बंगाल एवं बिहार के कुछ जिलों में पढाई जानेवाली पुस्तकें
(१८३५-३८ के विलियम एडम के रिपोर्ट से)

क्रम	नाम	लेखक/वर्णन	जिला
	व्याकरण		
१	मुग्धबोध	रामतारकवागीसी भाष्य के साथ	मुर्शिदाबाद
२	कलाप	त्रिलोचनदास टीका सहित	
३	पाणिनी	कौमुदी टीका सहित	बीरभूम
४	संक्षिप्तसार	गोयन्द्री टीका सहित	
५	मुग्धबोध	दुर्गादासी एवं रामतारकवागीसी टीका सहित	बर्दवान
६	हरिनामामृत	मूलजीव गोस्वामी	
७	शब्द कौस्तुभ	भट्टोजी दीक्षित	दक्षिण बिहार, तिरहूत
८	महाभाष्य	पतंजलि	
९	सिद्धान्त कौमुदी	भट्टोजी दीक्षित	
१०	मनोरमा	भट्टोजी दीक्षित	
११	शब्देन्दु शेखर	नागोजी भट्ट	
१२	व्याकरण भूषण	कोण्ड भट्ट,	दक्षिण बिहार
१३	शब्दरत्न	हरि दीक्षित	
१४	परिभाषार्थसंग्रह	- -	
१५	चन्द्रिका	स्वयं प्रकाशानन्द	दक्षिण बिहार तिरहूत
१६	परिभाषेन्दु शेखर	नागोजी भट्ट	दक्षिण बिहार
१७	सिद्धान्त मंजूषा		दक्षिण बिहार
१८	सरस्वती प्रक्रिया	अनुभूति स्वरूपाचार्य	
१९	लघु कौमुदी		तिरहूत
२०	व्याकरण सिद्धान्त मंजूषा	नागोजी भट्ट	दक्षिण बिहार
	शब्दशास्त्र		
१	अमरकोश		मुर्शिदाबाद बीरभूम द.बिहार तिरहूत
	सामान्य साहित्य		
२	हितोपदेश		मुर्शिदाबाद

३ शाकुन्तल		वीरभूम
४ रघुवश		वीरभूम दक्षिण विहार तिरहुत
५ नैषध		वीरभूम
६ कुमारसम्भव		बर्दवान
७ माघ		वीरभूम दक्षिण विहार तिरहुत
८ पादाकदूत		बर्दवान
९ किरात काव्य		दक्षिण विहार, तिरहुत
१० पूर्व नैषध		दक्षिण विहार
११ भारवीय		दक्षिण विहार
कानून		
१ तिथि तत्त्व	रघुनन्दन	मुर्शिदाबाद
२ प्रायश्चित तत्त्व		
३ उद्वह तत्त्व		
४ शुद्धि तत्त्व		मुर्शिदाबाद
५ श्राद्ध तत्त्व		
६ आह्निक तत्त्व		
७ एकादशी तत्त्व		मुर्शिदाबाद वीरभूम
८ मलमास तत्त्व		मुर्शिदाबाद बर्दवान
९ समयशुद्धि तत्त्व		
१० ज्योतिष तत्त्व		मुर्शिदाबाद
११ दायभाग		मुर्शिदाबाद बर्दवान
१२ प्रायश्चित विवेक		मुर्शिदाबाद वीरभूम
१३ मिताक्षर		बर्दवान दक्षिण विहार तिरहुत
१४ सरोज कलिका		दक्षिण विहार
१५ श्राद्ध तत्त्व		तिरहुत
१६ विवाह तत्त्व		
१७ दायतत्त्व		
अलंकार शास्त्र		
१ काव्यप्रकाश		वीरभूम तिरहुत
२ काव्य चन्द्रिका		वीरभूम

३ साहित्य दर्पण

वेदान्त

१	वेदान्तसार		वीरभूम तिरहुत
२	शांकरभाष्य		बर्दवान
३	पंचदशी		
४	वेदान्त परिभाषा		दक्षिण विहार

मीमांसा

१	अधिकरण माला		दक्षिण विहार

सांख्य

१	सांख्य तत्त्व कौमुदी		

तन्त्र

१	तन्त्रसार		बर्दवान
२	शास्दातिलस		दक्षिण विहार

तर्क

१	व्याप्ति पचक	माथुरी टीका	मुर्शिदाबाद वीरभूम बर्दवान दक्षिण विहार तिरहुत
२	पूर्व पक्ष	जगदीशी टीका	मुर्शिदाबाद
३	सव्यभिचार	मुर्शिदाबाद बर्दवान	
४	केवलान्वय		
५	अवयव	गादाधरी टीका	
६	सत्प्रतिपक्ष	गादाधरी टीक मुर्शिदाबाद	तिरहुत
७	शब्दभक्ति प्रकाशिका		मुर्शिदाबाद तिरहुत
८	सिद्धान्तलक्षण	जगदीशी टीका गादाधारी टीका	तिरहुत
९	व्याधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव		मुर्शिदाबाद दक्षिण विहार, तिरहुत
१०	सिंह व्याघ्र		तिरहुत
११	अवच्छेदक तन्त्रोक्ति		बर्दवान
१२	व्याप्ति ग्रहोपाय		बर्दवान तिरहुत
१३	समयलक्षण		बर्दवान
१४	पाक्षत		

१५	परामर्श	
१६	सामान्य निरुक्ति	
१७	तारक	
१८	अनुमिति	
१९	सत्प्रतिपक्ष	
२०	विशेष व्याप्ति	
२१	हेत्वाभास	वर्दवान तिरहुत
२२	शब्दशक्ति प्रकाशिका	बर्दवान
२३	शक्तिबाधा	वर्दवान तिरहुत
२४	मुक्तिबाधा	बर्दवान
२५	बौद्ध धिक्कार	बर्दवान
२६	प्रामाण्य वाद	
२७	लीलावती	
२८	कुसुमाञ्जलि	
२९	भाषा परिच्छेद	दक्षिण बिहार
३०	सिद्धान्त मुक्तावलि	
३१	प्रत्यक्ष खण्ड	तिरहुत
	पुराण	
१	भागवत पुराण	मुर्शिदाबाद वीरभूम तिरहुत
२	भगवद् गीता	मुर्शिदाबाद बर्दवान
३	रामायण	बर्दवान
४	हरिवंश	दक्षिण बिहार
५	सप्तशती	दक्षिण बिहार
	आयुर्विज्ञान	
१	निदान	वीरभूमि
२	शार्ङ्गधर संहिता	बर्दवान
३	चरक	बर्दवान
४	व्याख्या मधुकोश	बर्दवान दक्षिण बिहार
५	चक्रपाणि	बर्दवान

ज्योतिष

१	सम्य प्रदीप	वीरभूम
२	दीपिका	
३	ज्योतिषसार	दक्षिण बिहार
४	मुहूर्त चिन्तामणि	
५	मुहूर्त कल्पद्रुम	
६	लीलावती	
७	शीघ्र बोध	
८	मुहूर्त मार्तण्ड	तिरहुत
९	नीलकण्ठीय जातक	
१०	लघुजातक	
११	विजयघण्टा	
१२	ग्रह लग्न	
१३	सिद्धान्त शिरोमणि	तिरहुत
१४	श्रीपति पद्धति	
१५	सर्वसंग्रह	
१६	सूर्य सिद्धान्त	
१७	रत्नसागर	
१८	ब्रह्मसिद्धान्त	
१९	बालबोध	

यह सूची एडमके रिपोर्ट की लॉग आवृत्ति से ली गई है। विशेष जानकारी के लिए पृ १८१ (मुर्शिदाबाद) १८५ (वीरभूम) १९० ९१ (बर्दवान) १९३ ९४ (दक्षिण बिहार) एवं १९५ (तिरहुत)

(क) पर्शियन एवं अरबी संस्थाएँ एडम के रिपोर्ट अनुसार

	मुर्शिदाबाद		वीरभूम		बर्दवान		दक्षिण बिहार		तिरहुत	
	छात्र	अध्यापक	छात्र	अध्यापक	छात्र	अध्यापक	छात्र	अध्यापक	छात्र	अध्यापक
१ पर्शियन विद्यालय	१७	१७	७१	७३	९३	९३	२७९	२७९	२३४	२३६
२ एरैबिक विद्यालय	२	२	२	२	८	१२	१२	१२	४	४
३ कुरान विद्यालय	-	-	-	-	३	३		-	-	-
४ पर्शियन विद्यालय										
(I) मुस्लिम अध्यापक	-	१७		६६	-	८६	-	२७८		२३५
(II) ब्राह्मण अध्यापक	-	-	-	३	-	२	-	-		-
(III) कायस्थ अध्यापक	-	-	-	१	-	४		१	-	१
(IV) दैवज्ञ अध्यापक		-	-	१	-	-				
(V) गन्धबनिक अध्यापक		-	-	-	-	१	-		-	-
५ अध्यापकों की औसत आयु	६५ ५ वर्ष		३६ ३ वर्ष		३९ ५ वर्ष		३४ १ वर्ष		३३ ९ वर्ष	
६ कुल छात्र	१०९		४९०		९७१		१ ४८६		५९८	
मुस्लिम	४७		२४५		५१९		५९९+६०(अ)*		१२६+२७(अ)	
हिन्दु	(६२)		(२४५)		(४५२)		(८६७)		(४७०)	
ब्राह्मण	२७		१११		१५३		११		३०+१(अ)*	

	मुर्शिदाबाद	वीरभूम	बर्दवान	दक्षिण बिहार	तिरहुत
कायस्थ	१५	८३	१७२+१(अ)*	७११+१२(अ)*	३४९+१(अ)
अगुरी	४	१	४२+२(अ)*		१
सद्गोप		६	५०		
कैरी	-		-	९०	
मगध		-	-	५५	२०
राजपूत	-	-	१	३०	२२
क्षत्रिय	-		-	१३	६
स्वर्णबनिक	२	८	८	-	५
कैवर्त	४	११	२		-
वैद्य		१०	४		-
कुर्मी			-	-	
गन्धबनिक	-	४	२	११	१
कमार		४		१	-
सुनरी	-	२	३	२	-
स्वर्णकार	-	१	२	४	१
तेली		-	१ + १*	४	-
नापित	१			१	
कसेरा/कंसार		-	-	२	१४

	मुर्शिदाबाद	वीरभूम	वर्दवान	दक्षिण बिहार	सिरहत
वैष्णव	-	२	-		-
ग्वाला	-	२	-	-	-
कलाल	-	-	-	-	४
छत्री	-	-	३	-	-
माहुरी	-	-		३	-
बुन्देला	-		-	३	
माली	१			-	-
सुथार	१			-	-
कुर्मी	-	-	-	१	-
माथरा			१	-	-
कुमार		-	२		
सन्ती			१		
अम्पियर (?)				१	

* (अ) एरेस्टिक्स्टेक घमत्र दर्शाता है ।

बंगाल एवं बिहार के कुछ जिलों में पढ़ाई जानेवाली पर्शियन एवं अरबी पुस्तकें

क्रम	नाम	वर्णन	जिला
१	पण्डनामा		मुर्शिदाबाद
२	गुलिस्तां		
३	बोस्तां		
४	पायन्दे बेग	पत्राचार	
५	ईन्शा ए मतलब	पत्राचार एवं ठेकापात्र	
६	जोसेफ और झुलेखा		
७	आसफी	अव्यक्तिकाव्य	
८	सिकन्दरनामा		
९	बहार-ए-दानिश	कहानी	
१०	अलामी	अकबरशाह के पत्र	
११	अमदनामा	क्रियारूप	बीरभूम
१२	तूतीनामा	तोते की कहानी	
१३	रुकात ए आलमगीर	आलमगीर के पत्र	
१४	इसा ए युसुफी	पत्राचार	
१५	मुन्तखब	लेखनशैली	
१६	सोध्या	कश्मीर का वर्णन	
१७	झहीर	कविता	
१८	नासीरअली		
१९	सायेब		
२०	तीस सख्ती	वर्तनी पुस्तक	बर्दवान
२१	फारसीनामा/सिराब	शब्दकोश	
२२	ढोका		
२३	इन्शा-ए-हारकेन	पात्राचार के नमूने	
२४	नलदामन	संस्कृतसे	
२५	उरफी	कवित	
२६	हीफीस		
२७	वहसारि		
२८	धानी		
२९	बदर		
३०	एवाकनी	कविता	बर्दवान

३१	वकाया नयामा खान	औरंगज़ेब के आक्रमणों का निरूपण	बर्दवान
३२	अली		
३३	हदीकत अल बालाघाट	अलंकारशास्त्र	
३४	शाहनामा	फीरोदोसी	
३५	कुलियात-ए-खुशरो	खुशरो	
३६	मामकीमा	प्राथमिक वाचनमाला	दक्षिण बिहार
३७	निसाब-असमुवियान	शब्दकोश	
३८	सवाल-जवाब	वार्तालाप	
३९	भगवानदास	व्याकरण	
४०	इन्शा ए माधारोम	पत्राचार के नमूने	
४१	इन्शा-ए-मुसल्लास		
४२	मुख्यसाल अल दूबारत		
४३	इन्शा ए खुर्द		
४४	मुफीद-अल-इन्शा		
४५	इन्शा ए ब्राह्मण		
४६	इन्शा-ए-ब्राह्मण		
४७	मुराद ए हासिल		
४८	अलकाबनामा	सम्बोधनकी पद्धति	
४९	हिलाली	कविता	
५०	कलीम		
५१	ज़ुहरी	दक्षिण के राजाओं के वर्णन	
५२	कुथेशनामा	कहानी	
५३	किसे सुलतान		
५४	नाम-ए हक	ईश्वर के नाम एवं विशेषण	
५५	गौहर ए-मुराद	इस्लाम के सिद्धान्त	
५६	किरनस सदीन	खुसरो की कविता	
५७	मिज़ान-अत-तीब	वैद्यक की पुस्तक	
५८	तिबा ए-अकबर		
५९	महमूदनामा	पाठमाला	तिरहुत
६०	कुशाल ए-अस सुबयान	शब्दकोश	तिरहुत
६१	निसाब ए-मुसलमान		
६२	महजाहब-अल-हरुफ	व्याकरण	तिरहुत

६३ जवाहर ईल-तरकीब		तिरहुत
६४ दस्तूर अल-मुसतावी		
६५ मुफीद-अल इन्शा	पत्राचार के नमूने	
६६ फैयाजवख		
६७ मुबारकनामा		
६८ अमुनाहुसेन		
६९ फराहमी		
७० रुकात ए अबुलफज़ल	अबुलफज़ल के पत्र	

अरबी पुस्तकें

१ मिज़ान	व्याकरण	मुर्शिदाबाद
२ तशरीफ		
३ ज़ुबदा		
४ शर ए मियातआमील	वाक्यरचना	वीरभूम
५ कुरान		वीरभूम
६ मुन्साब	सज्ञारुप	
७ सर्फमीर	व्युत्पत्ति	बर्दवान
८ हिदायत-अस सराफ		
९ मियात आमील	अरबी वाक्यरचना	
१० पुम्मुल		
११ ताराम		
१२ हिदायत-अन-नाफ़वा		
१३ मिसबा		
१४ जामा		
१५ काफिया		
१६ शारा ए-मुल्ला		
१७ मिज़ान-ए-मण्टीक	तर्क	
१८ तहज़ीब		
१९ मीर ज़ाहिर		
२० कुतबी		
२१ मीर		
२२ मुल्ला पलास		

२३ सारा-ए-वक़	इस्लाम की घटनायें	बर्दवान
२४ नुरूल अनवर	इस्लाम की मूल बातें	
२५ सिराजीय	कानून संग्रह	
२६ हिदाया	वीरासत का कानून	
२७ मिस्कत अल मिसबीव	मुस्लिम आचार	
२८ शम्स ए बाझीगा	प्रकृति तत्त्वज्ञान	
२९ सदरा		
३० शारा ए शाघानी	खगोल संग्रह (टोलेमी पद्धति)	
३१ ताज्री	गूढ़वाद (संग्रह)	
३२ तलवी		
३३ फरघ		
३४ फझल अकबरी	क्रियारम्भ	दक्षिण बिहार
३५ नाथा-ए मीर	वाक्यरचना	
३६ झाहिरी		
३७ शारा ए तहज्रीब	तर्कसंग्रह	
३८ मुख्तसार-अल मानी	अलंकार शास्त्र	
३९ मारुबादी	प्राकृतिक तत्त्वज्ञान	
४० युक्लिड	तत्त्व	
४१ शारा ए-ताज्रकिया	खगोल	
४२ शाराकिया	विरासत का कानून	
४३ दादूर	इस्लाम के सिद्धान्त	
४४ अलमिजास्ती	टोलेमी का खगोलशास्त्र	
४५ मीर झाहिद रिसाला	तर्कशास्त्र	तिरहुत
४६ अकाइदे निसफी	इस्लाम के सिद्धान्त	
४७ कान्झ अद-डाकाईक	मोहम्मद के वचन	
४८ कलमुल्ला मजीद	कुरान	

अध्ययन के विषय एवं जिलाश अध्ययन की अवधि (एडम के रिपोर्टस)

विषय	जिला	छात्रसंख्या	अध्ययन प्रारम्भ करने की आयु	एडम के सर्वेक्षणके समय आयुज	अध्ययम पूर्व करनेकी सम्भवित आयु	टिप्पणी
व्याकरण	मुर्शिदाबाद (नगर)	२३	११९	१५.२	१८८	
	वीरभूम	२७४	-			
	बर्दवान	६४४	११४	१६२	२०७	२०७
	दक्षिण बिहार	३५६	११५	१७३	२४४	
	तिरहुत	१२७	९०	१६६	२४३	
	योग	१४२४				
शब्दशास्त्र	मुर्शिदाबाद (नगर)	४	८	११२	२०२	
	वीरभूम	२				
	बर्दवान	३१	१५७	१६४	१७८	
	दक्षिण बिहार	८	१५५	११६	२३८	
	तिरहुत	३	२०६	२०५	२२६	
	योग	४८				
साहित्य	मुर्शिदाबाद (नगर)	२	१६	२५	२६५	
	वीरभूम	८				
	बर्दवान	९०	१८६	२१४	२४९	
	दक्षिण बिहार	१६	१६६	१८	२३४	
	तिरहुत	४	२०२	२१	२५.५	
	योग	१२०				
कानून (विधि)	मुर्शिदाबाद	६४	२३६	२८७	३३२	
	वीरभूम	२४				
	बर्दवान	२३८	२३२	२७५	३३५	
	दक्षिण बिहार	२	१८५	२१	२६५	
	तिरहुत	८	२१८	२५२	३१२	
	योग	३३६				

अध्ययन के विषय एवं जिलाश अध्ययन की अवधि (एडम के रिपोर्टस)

विषय	जिला	छात्रसंख्या	अध्ययन प्रारम्भ करने की आयु	एडम के सर्वेक्षणके समय आयुज	अध्ययन पूर्ण करनेकी सम्भवित आयु	टिप्पणी
तर्कशास्त्र	मुर्शिदाबाद (नगर)	५२	२१	२६ ५	३४ ६	
	बीरभूम	२७				
	बर्दवान	२२७	१७ ८	२२ २	२९	
	दक्षिण बिहार	६	२२ १	२४ १	२८ ५	
	तिरहत	१६	१७ ५	२६ २	३५ ५	
	योग	३७८				
पुराण	मुर्शिदाबाद (नगर)	८	२९ १	३११	३३ ६	
	बीरभूम	८				
	बर्दवान	४३	२४ ६	२७ ७	३१ ६	
	दक्षिण बिहार	२२	१९ ६	२१ ९	२६ ८	
	तिरहत	१	२०	२०	२४	
	योग	८२				
साहित्य	मुर्शिदाबाद (नगर)	९				
	बीरभूम	८	२३ ६	२३ ८	२७ १	
	बर्दवान	२	२०	२२	२४	
	दक्षिण बिहार					
	तिरहत					
	योग	१९				
कानून (विधि)	मुर्शिदाबाद	३				
	बीरभूम	३	२४ ३	३१ ३	३४ ६	
	बर्दवान	५	१३ २	१३ ८	१६ ६	
	दक्षिण बिहार	२	१५	१५	२१	
	तिरहत					
	योग	१३				

अध्ययन के विषय एवं जिलाश अध्ययन की अवधि (एडम के रिपोर्टस)

विषय	जिला	छात्रसंख्या	अध्ययन प्रारम्भ करने की आयु	एडम के सर्वेक्षणके समय आयुज	अध्ययन पूर्व करनेकी सम्भवित आयु	टिप्पणी
मीमांसा	मुर्शिदाबाद (नगर)					
	वीरभूम			-		
	बर्दवान					
	दक्षिण बिहार	२	२२ ५	२४ ५	२८ ५	
	तिरहुत					
	योग	२				
सांख्य	मुर्शिदाबाद (नगर)	१	२१	२३	२८	
	वीरभूम					
	बर्दवान					
	दक्षिण बिहार	-		-		
	तिरहुत					
	योग	१				
आयुर्विज्ञान	मुर्शिदाबाद (नगर)	१			-	
	वीरभूम	१५	१६ २	२० ५	२४ २	
	बर्दवान	२	१८	२५	२९	
	दक्षिण बिहार					
	तिरहुत			-		
	योग	१८				
ज्योतिष	मुर्शिदाबाद					
	वीरभूम	५				
	बर्दवान	७	२३ ४	२६ ७	३० ५	
	दक्षिण बिहार	१३	१७	१९ ८	२० १	
	तिरहुत	५३	१२ ३	१८ ४	२६ २	
	योग	७८				

अध्ययन के विषय एवं जिलाश· अध्ययन की अवधि (एडम के रिपोर्टस)

विषय	जिला	छात्रसंख्या	अध्ययन प्रारम्भ करने की आयु	एडम्स के सर्वेक्षणके समय आयु	अध्ययन पूर्ण करनेकी सम्भवित आयु	टिप्पणी
सन्त्र	मुर्शिदाबाद (मगर)					
	बीरभूम					
	बर्दवान	२	२७ ५	३ २	३२ ५	
	दक्षिण बिहार	२	२६ ५	२७ ५	३ ३	
	तिरहत					
	योग	४				
पर्शियन	मुर्शिदाबाद (नगर)	१०२	९ ५	१३ ५	२० ८	
	बीरभूम	४८५				
	बर्दवान	८९९	१० ३	१५ ६	२६ ५	
	दक्षिण बिहार	१ ४२४	७ ८	११ १	२१ ५	१३ ५
	तिरहत	५६९	६ ८	१० ८	१९ ३	
	योग	३ ४७९				
एरेबिक	मुर्शिदाबाद (नगर)	७	११ ०	१७ ४	२१ १	
	बीरभूम	५				
	बर्दवान	५५	१६ ३	२१ २	२८ १	
	दक्षिण बिहार	१७	८ ७	१० ४	१३ २	१८ ४
	तिरहत	६२	१२ ३	१६ ०	२४ २	
	योग	२९	१२ १	१७ ५	२५ ४	
सामान्य छात्र	मुर्शिदाबाद	१ ०८०	६ ०३	१० १	१६ ५	
	बीरभूम	६ ३८३		१० ०५		
	बर्दवान	१३ ११०	५ ७	९ ९	१६ ६	
	दक्षिण बिहार	३ ०९०	७ ९	९ ३	१५ ७	
	तिरहत	५०७	५ ०३	९ २	१३ १	
	योग	२४ २५०				

७ जी डबल्यू लिटनर

पजाब की शिक्षा के सदर्भ में

१८८२

सामान्य

एशिया की संस्कृति के साथ यूरोप के सपर्क का इतिहास यहाँ निष्पक्ष (तटस्थ) रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अन्य प्रान्तों में जिन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त हुआ ऐसे श्रेष्ठ अधिकारियों के प्रामाणिक और सद्भावना युक्त प्रयासों और सरकार के उदार प्रयासों के बावजूद पजाब की वास्तविक शिक्षा कुचल गई विकास रुक गया और अततः वह नष्ट हो गई। उसके विकास और पुनरुद्धार की तमाम सभावनायें होने के बावजूद उसकी उपेक्षा की गई और उसे सड़ने दिया गया। किसी एक व्यक्ति को इसके लिये दोषी नहीं माना जा सकता। सपूर्ण सरकार दोषी है। इसे विफलता भी नहीं कहा जा सकता। जो प्रजा सदैव वफादार रही जो कोई शिकायत नहीं करती उसे भी निराश करनेवाले इस अपराध का निराकरण हो सकता है या नहीं नष्टप्राय शिक्षा को फिर विकसित किया जा सकता है कि नहीं इन प्रश्नों का उत्तर आगे देने का प्रयत्न किया गया है। फिर भी स्थानीय स्वायत्त प्रशासन' सूत्र को हम किस हद तक अपनाते हैं इस बात पर सारा आधार रहेगा। ऐसा करने से उसका अमल सुनिश्चित होगा और उससे राजनैतिक लाभ भी मिलेगा।

पूर्व की खास वृत्ति ज्ञान के प्रति आग्रह' रही है। पजाब भी इससे भिन्न नहीं है। आक्रमणों और युद्धों से निरतर ग्रस्त रहने के बावजूद पजाब ने शिक्षा की सुरक्षा ही नहीं की उसका विकास भी किया है। कितना ही उग्र अधिकारी हो लोभी साहूकार हो लुटेरा हो या छोटा जमींदार हो सभी विद्वानों को आदर और विद्यालय की स्थापना कर शाति अनुभव करते हैं। एक भी मदिर मस्जिद या धर्मशाला बिना विद्यालय के नहीं है। इन विद्यालयों में छात्र बड़ी सख्या मे धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। शायद ही कोई सपन्न व्यक्ति होगा जो अपने और अपने आश्रितों सबधियों और सुहृदों के बच्चों को पढाने के

लिये मौलवी पडित या गुरु को नहीं बुलाता। ऐसी दैनदिन उपयोग की विद्या की अनेक शालायें थी जिनमें हिन्दू, मुसलमान और सिखों के बच्चे फारसी या अन्य कोई भाषा सीखते थे। ऐसे अनेक शिक्षित लोग थे जो समय आने पर अपने साथियो को इश्वरीय लीला मानकर पढाते थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो शिक्षक को कुछ न कुछ देकर गौरवान्वित न होता हो। प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवारों में पति पत्नी को पढाता और पत्नी बच्चो को पढाती थी। सिख भी पढने-पढाने के मामले मे पीछे नहीं थे। विद्यार्थियों की सख्या कम से कम गणनानुसार ३ ३० ००० थी जो आज १ ९० ००० रह गई है। इन विद्यार्थियों को शाला में लिखना पढना और गिनना सिखाया जाता था। अरबी और सस्कृत महाविद्यालयों में हजारों विद्यार्थी थे जहाँ पौर्वात्य साहित्य कानून तर्कशास्त्र दर्शन फारसी वैद्यक आदि विषय पढाये जाते थे और उनका स्तर काफी ऊँचा था। हजारों की सख्या में वे फारसी पढते थे। आज सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में ये विषय शायद ही पढाये जाते हैं। सारे वातावरण में शिक्षा के प्रति बडा पवित्र भाव था चरित्र और धर्माचरण में वह उपयोगी थी। अपनी आजीविका के लिये लोग आवश्यकतानुसार पढते थे। वैश्य भी उनके पुरोहितों के आगे अत्यत विनम्र होते क्योंकि उन्होंने ही प्राथमिक विद्यालय में उन्हें लिखना पढना सिखाया होता था।

हमने यह सब बदल डाला है। सरकारीकरण ने सारी मान श्रद्धा और पवित्रता की भावना को नष्ट कर दिया है। जिस तरह अच्छे से अच्छा अग्रेज भी विदेशी विजेता की खुशामद नहीं कर सकता उसी तरह इन लोगों ने हमलावरों से महान प्रयत्नों द्वारा अपनी जिस शिक्षा को बचा रखा था उसे हमने नष्ट कर दिया है।

देसी शालाओं का विभाजन

१ सिख

१ गुरुमुखी शालाएँ

२ मुस्लिम

२ मकतब

३ मदरसा - धार्मिक और भौतिक

४ कुरान - शालाएँ

३ हिन्दू

५ घटशाला (व्यापारी वर्ग के लिए)

६ पाठशाला (धार्मिक)

७ पाठशाला (अर्ध धार्मिक)

८ विभिन्न प्रकार की और विविध कक्षा की दुन्यवी शालाएँ

४ मिश्र

९ पर्शियन शालाएँ

१० वर्नाक्युलर शालाएँ

११ एग्लो वर्नाक्युलर शालाएँ

५ बालिका शिक्षा

१२ (अ) सिखों के लिए बालिका शालाए

(ब) मुसलमानों के लिए बालिका शालाएँ

(क) हिन्दू बालिकाओं के घर पर पढ़ाने की सुविधा

इससे विशेष विभाजन करना चाहें तो ऐसा होगा -

१ मक्तबा अथवा मदरसा

१ अरबी शाला और कॉलेज (विभिन्न कक्षा और विशेषताओं के साथ)

२ पर्शो अरबी शाला और कॉलेज (विभिन्न कक्षा और विशेषताओं के साथ)

३ कुरान शालाएँ (जहाँ केवल कुरान का पठन - अध्ययन करवाया जाता है)

४ पर्शो - कुरान शालाएँ

५ कुरान - अरबी शालाएँ

६ पर्शो - कुरान - अरबी

७ पर्शियन शालाऐं

८ पर्शियन उर्दू शालाएँ

९ पर्शियन - उर्दू अरबी शालाएँ

१० अरबी चिकित्सा शालाएँ

११ पर्शो - अरबी - चिकित्सा शालाएँ

१२ गुरुमुखी शालाएँ

१३ गुरुमुखी और लाडे (Lande) शालाएँ

३ महाजनी शालाएँ

१४ विभिन्न प्रकार की लाडे शालाएँ (घट शालाएँ)

१५. नागरी लाडे शालाएँ (चट शालाएँ)

१६ पर्शो - लाडे शालाएँ

४ पाठशालाएँ

१७ नागरी संस्कृत शालाएँ

१८ संस्कृत धार्मिक शालाएँ

१९ संस्कृत व्यावहारिक साहित्य की शालाएँ (विभिन्न शाखाओं की शिक्षा)

२० संस्कृत अर्धधार्मिक शालाएँ (विभिन्न शाखाओं की शिक्षा)

२१ संस्कृत वैदकशास्त्र की शालाएँ (प्रमुख रूप से)

२२ हिन्दी - संस्कृत शालाएँ

२३ संस्कृत - ज्योतिष और खगोलशास्त्र की शालाएँ (प्रमुख रूप से)

५ बालिका शालाएँ
(उपर्युक्त विभाजनों के मुताबिक)

संस्कृत पुस्तकों की सूचि

बालबोध | अक्षरदीपिका

१ व्याकरण

सारस्वत	मनोरमा
चन्द्रिका	भाष्य
लघुकौमुदी	पाणिनीय व्याकरण
कौमुदी	सिद्धान्त कौमुदी
शेखर	प्राकृत प्रकाश

२ शब्दकोश

अमरकोश	मालिनी कोश
हलायुध	

३ काव्य नाटक धर्म का इतिहास

रघुवंश	महाभारत
मेघदूत	वेणीसंहार

	माघ	शाकुन्तल	
	किरातार्जुन	नैषधचरित	
	रामायण	मृच्छकटिक	
	श्रीमद् भागवत और अन्य पुराण	कुमारसभवम्	
४	अलकार शास्त्र		
	काव्यदीपिका	काव्य प्रकाश	
	साहित्य दर्पण	दशरूपक	
	कुवलयानद		
५	गणित खगोल और ज्योतिष		
	सिद्धात शरोमणी	शीघ्रबोध	नीलकण्ठी
			पाराशरीय
	मुहूर्त चिंतामणि	गर्भलग्न	बृहद्जातक
६	वैदकशास्त्र		
	शामराज	माधवनिदान	भाष्य परिच्छेद
	सुश्रुत	निघटु	वाग्भट
		चरक	शारगधर
७	तर्क		
	न्यायसूत्र वृत्ति	तर्कसग्रह	तर्कालंकार
	व्युत्पत्तिवाद	गदाधारी	कारिकावली
८	वेदान्त		
	आत्मबोध शारीरक		
	पचदशी		
९	विधि (कानून)		
	मनुस्मृति_	मिताक्षरा	
	याज्ञवल्क्य गौतम	पराशर स्मृति	
१०	तत्त्वज्ञान		
	सांख्य तत्त्व कौमुदी	पतञ्जलि सूत्र	
		वृत्तिसूत्र भाष्य के साथ	

साख्य प्रवचन भाष्य	वेदात सार
योगसूत्र	मीमासा
मुक्तावली सूत्र भाष्य के साथ	

११ गद्य रचना

सूत्र बोध
वृत्तिरत्नाकर

१२ गद्य साहित्य

हितोपदेश	वासवदत्ता
दशकुमार चरित्	

१३ धर्म

ऋग्वेद सहिता (कभी ही)	समावेद मत्र भाग
यजुर्वेद सहिता (शुक्ल)	छादस अर्चित (कभी ही)
वाजसनेयी सहिता	

८ महात्मा गाधी और सर फिलिप हार्टोग का पत्राचार

स्वदेशी शिक्षा के विषय पर महात्मा गाधी

उससे चित्र पूरा नहीं होता। हमारे सम्मुख भविष्य की शिक्षा है। मैं आकडों का प्रमाण देकर कह सकता हू कि पचास या सौ वर्ष पूर्व था उसकी तुलना में भारत आज अधिक निरक्षर है। मेरे आकडों को कोई गलत सिद्ध करेगा इसका मुझे लेशमात्र भय नहीं है। बर्मा की भी वही स्थिति है। ब्रिटिश प्रशासक जब भारत में आये तब उन्होंने यहा की स्थिति को यथावत् स्वीकार करने के स्थान पर उसका उन्मूलन करना शुरू किया। उन्होंने मिट्टी कुरेदी जडों को कुरेद कर बाहर निकाला और फिर उन्हें खुला ही छोड दिया। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा का वह रमणीय वृक्ष नष्ट हो गया। ब्रिटिश प्रशासक को गाव का विद्यालय अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने अपनी योजना बनाई। हर विद्यालय के पास इतनी साधन सामग्री होनी चाहिए भवन होना चाहिए आदि। इस प्रकार के विद्यालय तो भारत में नहीं थे। ब्रिटिश प्रशासकों ने आकडे दिये हैं जो दर्शाते हैं कि उन्होंने जो सर्वेक्षण किया था उसमें पुराने विद्यालय तो उपेक्षित हो गये क्यों कि उनके पास (शासकीय) मान्यता नहीं थी और यूरोपीय पद्धति के विद्यालय बहुत खर्चीले थे लोग इतना धन उसमें लगा नहीं सकते थे। परिणामत उनके लिए स्पर्धा में टिकना और आगे निकलना सम्भव नहीं हुआ। जो भी कोई पूरे देश के लिए इस प्रकारकी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का दावा करता है उसका दावा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। वह एक शतक में भी इसे पूरा नहीं कर सकता। मेरा यह गरीब देश इस प्रकार की महगी शिक्षा को चला नहीं सकता। हमारा राज्य पुराने ग्रामीण स्कूल अध्यापक को पुनर्जीवित करेगा और हम प्रत्येक गाव में बालक और बालिका दोनों के लिए विद्यालय चलाएँगे।

फिलिप हार्टोग का प्रश्न : गत पचास वर्षो में भारत में शिक्षा का ह्रास हुआ है इस प्रकार के अपने कथन के लिए श्री गाधी कोई प्रमाण देंगे ?

श्री गाधीने उत्तर में कहा कि पजाब प्रशासकीय अहवाल (*Punjab*

Administration Report) उनका प्रमाण था। उन्होंने कहा कि पजाब के शिक्षा विषयक आकडे उन्होंने 'यग इण्डिया (Young India) में प्रकाशित किए हैं।

सर फिलिप हार्टोग क्या श्री गाधी खुलासा करेंगे कि साक्षरता की मात्रा पुरुषों में १४ प्रतिशत और महिलाओं में दो प्रतिशत क्यों है ? ब्रिटिश इण्डिया की तुलना में कश्मीर और हैदराबाद में निरक्षरता अधिक क्यों है ?

श्री गाधीने उत्तर दिया कि महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई थी जो कि पुरुषों के लिए लज्जा की बात है। कश्मीर के आकडों के विषय में उनका अनुमान था कि निरक्षरता का कारण शासक के द्वारा बरती गई लापरवाही थी। उसका भी कारण यह था कि वहा अधिकाश जनसख्या मुस्लिम थी। परन्तु उन्होंने कहा कि वास्तव में बात तो एक ही थी।

(लन्दन के चेथम हाउस में रॉयल इन्स्टीट्यूट ऑव् इन्टरनेशनल अफेअर्स के तत्त्वावधान में आयोजित आन्तरराष्ट्रीय मामले International Affair में २० अक्टूबर १९३१ के गाधीजी के लम्बे प्रवचन का अश। इस बैठक में सारे इग्लैण्ड के प्रभावी अग्रेज स्त्री पुरुष उपस्थित थे। भारत विषयक गोलमेज परिषद के ब्रिटिश अध्यक्ष लॉर्ड लोधिअन इस बैठक के अध्यक्ष थे।

✲ ✲ ✲

५ इन्वरनेस गार्डन्स
डब्ल्यू, ८
२१ अक्टूबर १९३१

एम के गाधी एस्क
गोलमेज परिषद
सेण्ट जेम्स पेलेस
एस डब्ल्यू, १

प्रिय श्री गाधी

मैं समझता हू आपने गत रात्रि में रॉयल इन्स्टीट्यूट ऑव इन्टरनेशनल अफेअर्स में कहा था कि आप ब्रिटिश अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाणों के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं कि विगत पचास या सौ वर्षों में भारत में शिक्षा का ह्रास हुआ है। मैंने आपको प्रमाण देने के लिए निवेदन किया तब आपने पजाब प्रशासकीय अहवाल (Punjab Administration Report) का उल्लेख किया था (यद्यपि आपने दिनाक नहीं बताया था) और कहा था कि जो पजाब में हुआ है वही सारे देशमें हुआ होगा।

आपने 'यग इण्डिया' के लेख का भी उल्लेख किया परन्तु उसका भी दिनाक नहीं बताया। मैंने इस विषय में गत वर्षो में बहुत रुचि ली है इसलिए आपने जिनके आधार पर अपने कथन दिये उस मुद्रित सामग्री के जो सन्दर्भ दिये हैं उनके विषय में निश्चित रूप से बताने का कष्ट करें जिससे मैं भी उन्हें देखू।

आप मुझे यह बताने के लिए क्षमा करें कि आपने जो कहा है कि जो पजाब में हुआ है वही पूरे देशमें भी हुआ होगा ऐसा कहना गलत है। यह तो लगभग सर्वमान्य है कि गत १० - १५ वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पजाब में अधिक विकास हुआ है।

भारत में सबसे बड़े दो राज्य काश्मीर और हैदराबाद में शिक्षा का स्तर इतना नीचा क्यों है यह मैंने जब पूछा तब आपने बताया कि वहा मुस्लिम जनसख्या अधिक है यह इसका कारण हो सकता है। अब हैदराबाद में शासक मुस्लिम है और प्रजा हिन्दू है जब कि काश्मीर में प्रजा मुस्लिम है और शासक हिन्दू है। आपने एक प्रान्त के विषय में तो बताया परन्तु दूसरे प्रान्त के विषय में मेरा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। मुझे लगता है आप को ठीक जानकारी नहीं दी गई है।

यदि ब्रिटिश भारत में शिक्षा और साक्षरता का ह्रास हुआ है यह निष्कर्ष ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं है ऐसा आपके ध्यान में आता है तो आप अपने कथन में अवश्य सुधार करेंगे ऐसा मैं मानता हू।

विनीत
फिलिप हार्टोग

श्री एम के गाधी
गोलमेज परिषद
सेण्ट जेम्स पेलेस
एस डब्ल्यू, १

✿ ✿ ✿

८८ नाईट्सब्रिज
लन्दन ५
२३ अक्टूबर १९३१

प्रिय मित्र

बिना कोई आशय से ही आप पत्र में हस्ताक्षर करना भूल गये हैं। परन्तु पता पूरा होने के कारण मुझे लगता है कि यह पत्र आप को अवश्य मिलेगा।

आप समझ सकते हैं कि मैं आपको बिना सोचविचार किए तुरन्त ही सन्दर्भ नहीं दे सकता हू। परन्तु आप उसका अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं इसलिए मैं 'यग इण्डिया' का अक ढूढ निकालूगा और आपको सन्दर्भ भेजूगा। मैंने पजाब के विषय में जो निष्कर्ष निकाले हैं उनके अलावा अन्य प्रान्तों से सम्बन्धित सन्दर्भ भी यथासम्भव ढूढ निकालूगा। फिर भी पजाब और बर्मा के उदाहरण से अन्य प्रान्तों के विषय में निष्कर्ष तक पहुचना मुझे कठिन नहीं लगता है। गत पाच दस वर्षों में पजाब ने जो कुछ भी प्रगति की होगी वह मेरे तर्क को प्रभावित नहीं कर सकती।

कश्मीर के सम्बन्ध में मेरा अनुमान ही था परन्तु आपकी उसमें इतनी अधिक रुचि है इसलिए कश्मीर में शिक्षा की स्थिति के विषय में मैं तथ्य खोजने के प्रयास करूगा।

मेरे निष्कर्ष में यदि जरा सी भी गलती मुझे लगती है तो मैं तुरन्त उसे स्वीकार कर अपने कथन में सुधार करूगा इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं मेरे कथनों को प्रमाणित करने के प्रयास कर रहा हू तब आप को भी ऐसी कोई सामग्री मिलती है तो मुझे देने की कृपा अवश्य करें। इसी से सत्य समझ में आएगा।

विनीत
एम के गाधी
पी एम सी

* * *

५ इन्वरनेस गार्डन्स डब्ल्यू. ८
२७ अक्टूबर १९३१

प्रिय श्री गाधी

आप के २३ अक्टूबर के मित्रतापूर्ण पत्र के लिए धन्यवाद। मैं हस्ताक्षर करना भूल गया इस लिए क्षमाप्रार्थी हू। मैंने मूल पत्र के स्थान पर प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर किये होंगे ऐसा लगता है।

आप के 'यग इण्डिया' के सन्दर्भ प्राप्त कर मैं आभारी बनूगा। मैं उनका अध्ययन करके आपके अभिप्राय को सत्यापित करूगा और मेरा अभिप्राय दूगा।

आपने मेरे पास अगर कोई जानकारी है तो देने के लिए कहा है। भारत में शिक्षा के इतिहास विषयक जानकारी के लिए कोलकाता युनिवर्सिटी आयोग (जिसका मैं अध्यक्ष था) के वृत्त और विशेष रूप से साइमन अहवाल के खण्ड १ पृ ३८२ पर उद्धृत जनसख्या अहवाल के अन्तर्गत दिए हुए साक्षरता के आकड़ों को आप देखें

ऐसा मैं कहूगा। ये आकडे इस प्रकार हैं -

प्रान्त	५ वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुष साक्षरों का प्रतिशत	५ वर्ष से ऊपर की आयु की महिला साक्षरों का प्रतिशत
त्रावणकोर	३८ ००	१७ ३
कोचीन	३१ ००	११ ५
वडोदरा	२४ ००	४ ७
ब्रिटिश इण्डिया	१४ ००	२ ०
समग्र भारत	१३ ००	२ १
मैसूर	१४ ३	२ २
हैदराबाद	५ ७	० ८
राजपूताना	६ ८	० ५
कश्मीर	४ ६	० ३

निष्कर्ष इस प्रकार हैं -

१९११ मे ब्रिटिश इण्डिया का प्रतिशत १२ था १८८१ में ८। हमने हमेशा स्मरण में रखना चाहिए कि भारत में २० ००० ००० आदिवासी हैं और शिक्षा की दृष्टि से पिछडे इस से भी बडी सख्या में अस्पृश्य' हैं जिनका साक्षरता के प्रतिशत पर विपरीत प्रभाव पडता है।

आप ध्यान देंगे कि ब्रिटिश इण्डिया में पुरुष साक्षरता १८८१ में (५० वर्ष पूर्व) ८ प्रतिशत १९११ में १२ प्रतिशत और १९२१ में १४ ४ प्रतिशत थी। मैं इसे अत्यधिक वृद्धि नहीं मानता फिर भी वह वृद्धि तो है ही।

त्रावणकोर और कोचीन में बडी सख्या में भारतीय ईसाई हैं। वडोदरा में १८९३ से ब्रिटिश पद्धति के नमूने पर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रवर्तमान है। आप देख सकते हैं कि जनसख्या के आकडे ५० वर्षो में ब्रिटिश इण्डिया में शिक्षा का ह्रास हुआ है ऐसे आप के कथन से पूर्णतः विपरीत हैं।

हैदराबाद (प्रमुख रूप से हिन्दू प्रजा और मुस्लिम शासक) और कश्मीर (प्रमुख रूप से मुस्लिम प्रजा और हिन्दू शासक) के आकडे देखकर आप नहीं कह सकते कि ब्रिटिश प्रशासन के कारण से साक्षरता में कमी आई है।

मैं चाहता हू कि आप 'मोडर्न इण्डिया (Modern India) में प्रकाशित मेरा

लेख पढें। साथ ही वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक चिन्तक स्वर्गस्थ लाला लाजपत राय का ग्रन्थ (नेशनल एज्यूकेशन इन इण्डिया National Education In India) भी पढें। आपके और उनके विचारों में बहुत अन्तर होने के बाद भी आप को वे रोचक लगेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी जानकारी और आप का अभिमत गलत सिद्ध होगा। और जैसे ही आप को विश्वास हो जाएगा आप तुरन्त अपने कथन में सुधार करेंगे। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हू।

विश्वासपात्र

आपका

फिलिप हार्टोग

✲ ✲ ✲

५ इन्वरनेस गार्डन्स डब्ल्यू, ८

१३ नवम्बर १९३१

श्री एम के गाधी

८८ नाईट्सब्रिज डब्ल्यू

प्रिय श्री गाधी

आप के २३ अक्टूबर के पत्र के उत्तर में मैंने २७ अक्टूबर को आपको एक पत्र भेजा है परन्तु आपने जिन सन्दर्भो के विषय में मुझे बताया था (पजाब प्रशासन अहवाल और यग इण्डिया के लेख) और गत ५० वर्ष में ब्रिटिश भारत में शिक्षा और साक्षरता का ह्रास हुआ है ऐसे आपके कथन का जो आधार है वह मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

हो सकता है कि मेरा पत्र आपको न मिला हो यह समझकर मैं उसकी नकल पजीकृत डाक से फिर से भेज रहा हू।

आपका

फिलिप हार्टोग

एम के गाधी

८८ नाईट्सब्रिज डब्ल्यू

✲ ✲ ✲

८८ नाईट्सब्रिज एस डब्ल्यू १
(डाक मुहर १४ नवम्बर १९३१)

(प्रति सर फिलिप हार्टोग लन्दन)

प्रिय मित्र

श्री गाधी को आप का २७ अक्टूबर का पत्र प्राप्त हुआ है १९२० की 'यग इण्डिया' की प्रतियां भी अब मिली हैं जो उनकी सूचना से मैं आपको भेज रहा हू।

आपका
महादेव देसाई

'यग इण्डिया' के लेख की प्रतिलिपि

८ डिसम्बर १९२०

भारत में जनसामान्य की शिक्षा की अवनति

लेखक दौलत राम गुप्ता एम ए

यह आम धारणा बनी हुई है कि सन् १८५४ के ससद के निर्णय के तहत अग्रेज सरकारने भारत के लोगों की शिक्षा का कार्य अपने जिम्मे लिया है तब से विद्यालयों की सख्या की दृष्टि से छात्रों की सख्या की दृष्टि से और शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से लक्षणीय प्रगति हुई है। परन्तु मैं सिद्ध कर सकता हू कि ऐसी किंचित् भी प्रगति नहीं हुई है। कुछ लोगों को यह बात चौंकानेवाली लगेगी और कुछ लोगों को निर्भ्रान्त करनेवाली परन्तु सत्य यह है कि जब से भारत ब्रिटिश आधिपत्य में गया है तब से जनसामान्य की शिक्षा की तो भारी अवनति हुई है।

ब्रिटिश सत्ता के आगमन के साथ ही उन्होंने देखा कि भारत में प्राचीन काल से मूल्यवान शिक्षा पद्धति हिन्दू और मुसलमान दोनों में प्रचलित है और उसका घनिष्ठ सबध उनके धार्मिक केन्द्रों से है। भारत में एक भी मन्दिर मस्जिद धर्मशाला नहीं थी जिस में विद्यालय न हो। अध्ययन और अध्यापन यहा एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। उच्च जातियों की बस्तियों में ज्ञान के ऐसे केन्द्र होते थे जहा पण्डित लोग संस्कृत व्याकरण तर्कशास्त्र दर्शन और विधि (कानून) पढाते थे।

प्रजा के निम्न (या सामान्य) वर्ग के लिए ग्रामशालाएँ पूरे देशभर में *व्याप्त थीं* जिनमें कारीगरों कृषकों और जमीनदारों के बच्चों को अच्छी प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक द्विज परिवार में प्रत्येक जाति के प्रत्येक व्यवसाय में प्रत्येक प्रतिष्ठित

गांव में अपना एक पुरोहित होता था और एक ओर तो वह धार्मिक विषयों को देखता था परन्तु दूसरी ओर वह अध्यापन भी करता था। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमें यह मानने के लिए बाध्य करती है कि लोगों के जीवन में शिक्षा कितनी एकरस बनी हुई थी।

मुसलमानों की उच्च शिक्षा विद्वज्जनों के हाथ में थी। मस्जिद और दरगाहों के साथ विद्यालय जुड़े हुए थे और राज्य की ओर से या निजी उदारता की ओर से भूमि या धन के रूप में उन्हें अनुदान प्राप्त होता था। मुस्लिम मदरसों के अध्ययन क्रम में व्याकरण अलंकारशास्त्र तर्कशास्त्र साहित्य विधि (कानून) और विज्ञान का समावेश होता था।

सन् १८२६ में सर टॉमस मनरो ने मद्रास में जो सर्वेक्षण करवाया था उसमें दर्ज था कि सन् १८२६ में मद्रास (चैन्नई) में ११ ७५८ देशी विद्यालय और ७४० महाविद्यालय थे जिनमें १ ५७ ६६४ छात्र और ४ ०२३ छात्राएँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। (मद्रास प्रोविन्सिअल कमिटि की १८८४ की एज्यूकेशन कमिशन की रीपोर्ट के अनुसार)। इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि उस समय की कुल जनसंख्या (१ २३ ५० ९४१) का विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि विद्यालय में जाने योग्य आयु के बच्चों की कुल संख्या के एक चतुर्थांश बच्चे विद्यालय में जाते थे। और एक अनुमान यह भी था कि १००० की जनसंख्या पर एक विद्यालय था। 'परन्तु विद्यालय जानेवाली लड़कियों की संख्या न के बराबर थी इसलिए कह सकते हैं कि ५०० की जनसंख्या पर एक विद्यालय था।

श्री मनरो (उस समय वे 'सर' नहीं थे) शिक्षा के प्रसार विषयक इस अंदाज की पुष्टि में इस प्रकार जोड़ते हैं

'मुझे विद्यालय जानेवाले लड़कों का हिस्सा एक चतुर्थांश नहीं अपितु एक तृतीयांश लगता है क्यों कि हमें घरों में ही पढ़नेवाले लड़कों की संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

ब्रिटिश प्रभाव से युक्त भारत की शुद्ध देशी शिक्षा की स्थिति १८२६ में ऐसी थी जो एक शतक से भी अधिक समय तक ब्रिटिश शासन में होने के कारण से उसकी पुरानी संस्थाएँ बिखराव की स्थिति में थीं और वह नई संस्थाओं को अपना रही थीं।

श्री डब्ल्यू. एडम ने इसी प्रकार का सर्वेक्षण बंगाल में करवाया था और उसके आधार पर उसे जानकारी मिली कि सन् १८३५ में बंगाल में देशी प्राथमिक विद्यालयों का जाल बिछा हुआ था। उसका अंदाज था कि इन विद्यालयों की संख्या

मन्दिर मस्जिद या धर्मशाला ऐसी नहीं थी जिसके साथ विद्यालय जुडा हुआ न हो और बच्चे जहा धर्म की शिक्षा के लिये जाते न हों। कदाचित् ही कोई धनिक होंगे जो मौलवी पण्डित या गुरु को अपने बच्चों को पढाने के लिये बुलाते न हों। इन धनिकों के बच्चों के साथ उनके मित्रों और आश्रितों के बच्चे भी पढते थे। अन्य हजारों लौकिक *विद्यालय भी थे जो हिन्दू, मुस्लिम सिख आदि ने बनवाये थे और उनमें पर्शियन* और हिन्दी पढाई जाती थी। ऐसे सैंकडों विद्वान थे जो अपने धर्मबान्धवों को या जो भी आता था उन सब को भगवान का कार्य भगवान की लीला मानकर नि शुल्क पढाते थे। एक भी गाव ऐसा नहीं था जो अपने उत्पन्न में से सम्माननीय शिक्षक के लिये हिस्सा निकालने में गौरव का अनुभव न करता हो। अभिजात मुस्लिम घरों में पति पत्नी को पढाना था और पत्नी बच्चों को पढाती थी। सिख भी छात्रों और शिष्यों' का नाम धारण करने के लायक न हों ऐसा कभी नहीं होता था। पढने लिखने और गिनने की क्षमता रखनेवालों की न्यूनतम सख्या भी ३ ३० ००० जितनी मिलती है जो विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढनेवाले छात्रों की है। हजारों छात्र एरेबिक और सस्कृत महाविद्यालयों में पढते थे जहां पौर्वात्य साहित्य पौर्वात्य कानून तर्कशास्त्र तत्त्वज्ञान और औषधिशास्त्र पढाया जाता था और वह भी ऊचे दर्जे का। हजारों छात्रों को पर्शियन में प्रभुत्व प्राप्त था। आज सरकारी और अनुदानित विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्शियन है ही नहीं। विद्यालयों में शिक्षा के लिये समर्पण भाव दिखाई देता था क्यों कि शिक्षा स्वय एक पवित्र वस्तु थी और उसीसे व्यक्ति के चरित्र का गठन होता था और धर्म - सस्कृति सुदृढ बनती थी। केवल आजीविका प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त करनेवाले बनिया लोग भी उन्हें लिखना पढना सिखानेवाले पण्डाओं के प्रति भक्तिभाव पूर्ण आदर दर्शाते थे।

पजाब में शिक्षा के प्रति कितना आदर था इसका वर्णन डा लिटनर करते हैं। वे लिखते हैं

पजाब श्रेष्ठ भूमि है। केवल सतलज और यमुना के मध्य में स्थित प्रदेश ही नहीं है अपितु सारा प्रदेश उदात्त स्मृतियों से ओतप्रोत है। उसकी सस्कृति का इतिहास हमें शुद्ध भक्तिभाव की अपने सरदार के प्रति वीरतापूर्ण समर्पण के साथ ही उत्साहपूर्ण प्रजातन्त्रीय भावनाओं की स्वशासन की अतुलनीय क्षमता की और सब से बढकर ज्ञान के लिए आत्यन्तिक आदर की तथा सार्वत्रिक शिक्षा की कथाएँ बताता है। यहां पुरोहित एक अध्यापक भी था कवि भी था और शिक्षा एक धार्मिक सामाजिक एवं व्यावसायिक कर्तव्य था।

इसलिए प्रमाणभूत ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंग्रेज शासन से पूर्व पंजाब के एक एक गांव में उसका अपना विद्यालय था।

भारत के प्रत्येक गांवमें जहां उसका अपना कुछ भी बचा था वहां प्रारम्भिक शिक्षा अवश्य दी जाती थी। निष्कासितों (जो किसी भी जाति का हिस्सा नहीं थे) को छोड़ वहां एक भी बालक ऐसा नहीं था जो लिखना पढ़ना और गिनना न जानता हो बल्कि गिनने में तो वे अत्यन्त माहिर थे। (लुड्लो द्वारा लिखित 'ब्रिटिश इण्डिया' से)

डा. लिटनर का अनुमान था कि १८३४ -३५ में पंजाब में ३० हजार विद्यालय थे और यदि एक विद्यालय में कम से कम १३ छात्र पढ़ते थे यह माना जाए तो कुल छात्र संख्या ४ लाख जितनी होगी। डा. लिटनर लिखते हैं

ग्राम विद्यालयों में तीन लाख छात्र संख्या होगी परन्तु इससे अधिक का अनुमान भी किया जा सकता है।

होशियारपुर जैसे पिछड़े जिले में भी १८५२ के सेटलमेंट रिपोर्ट' के अनुसार १९६५ पुरुषों की जनसंख्या पर एक विद्यालय था जब कि आज ९,०२८ जनसंख्या पर एक सरकारी अथवा सरकारी अनुदान युक्त विद्यालय है और २,८१८७ की जनसंख्या पर एक विद्यालय है जिस में पूरे प्रदेश के देशी विद्यालयों का भी समावेश होता है। १८४९ में जब जब पंजाब ब्रिटिश आधिपत्य में गया तब युद्ध और अराजक का जो वातावरण बना उसके परिणामस्वरूप भी १,७८३ की जनसंख्या पर एक विद्यालय तो पंजाब के पिछड़े हिस्सों में भी थे। १८४९ और १८५२ का यह परस्पर विरोधी चित्र लक्षणीय है।

सन् १८८२ में यह स्थिति थी परन्तु यंग इण्डिया' मे जो आंकड़े प्रसिद्ध हुए हैं उन्हें देखने पर यह विरोध और भी चौंकानेवाला होगा।

इस वृत्तान्त पर एक दृष्टिपात करते ही समझ में आता है कि देशी शिक्षा का कितना ह्रास हुआ है और सन् १८८२ से १९१८-१९ तक कैसा ठहराव आ गया है। इन ३७ वर्षों में सरकार ने जनसमाज की शिक्षा के लिये कुछ नहीं किया है। इससे भी कम समय में इंग्लैण्ड में पूरे के पूरे जनसमाज के लिये शिक्षा की व्यवस्था हुई इससे बहुत कम समय में संस्कृति और ज्ञान की कोई पार्श्वभूमि न होने पर भी अमेरिका में पूरे जनसमाज के लिये शिक्षा की व्यवस्था हुई जपान अपना भाग्यविधाता बन सका। परन्तु भारत में काम करने का तरीका कुछ ऐसा रहा कि इस पूरे समय में विद्यालय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिक्षा के व्यय के एक स्रोत से दूसरे स्रोत

मे और दायित्व के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानान्तरण को छोड और कुछ नहीं हुआ है। बस स्थानान्तरण अधिक से अधिक हुआ है।

भारत में शिक्षा की अवनति का यह सक्षिप्त इतिहास है। पजाब में शिक्षा का नाश कैसे हुआ यह आगामी लेख में बताया जाएगा।

✫ ✫ ✫

'यग इण्डिया' में २९ डिसम्बर १९२० को प्रकाशित लेख की प्रतिलिपि
पंजाब में शिक्षा का नाश कैसे हुआ
१८४९-१८८६

अग्रेजों के सीधे आधिपत्य में जानेवाला अतिम प्रान्त था पजाब। दो सौ वर्षो में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कन्याकुमारी से यमुना तक अपना प्रभाव (शासन) जमाया था परन्तु उसके प्रशासकों ने मोगल दरबार को लाघकर उत्तर में आगे जाने का विचार नहीं किया था। मोगल काबुल को अभी भी अपना पुश्तैनी वतन मानते थे इसलिये काबुल की ओर जानेवाले रास्ते पर अर्थात् अपने उत्तर के प्रदेशों में घूसखोरी उन्हें बिलकुल पसद नहीं थी।

औरगझेब के वशजों ने जब इस प्रान्त में उथलपुथल शुरू की तब उत्तर से आक्रमणकारियों ने और प्रदेश में आन्तरिक उपद्रवियोंने पूरे प्रदेश को अनवस्था और अराजक की स्थिति में डाल दिया। इस स्थिति में सिखों को अपना महत्त्व और अपना व्यक्तिगत वैशिष्टय समझ में आने लगा। उसके बाद सन् १८४९ तक सिखों ने व्यास नदी के तटों को राजकीय और सैनिकी हमलों से बचा कर रखा। अपना बेढब शासन भी उन्हें पराये सुव्यवस्थित शासन से अधिक प्रिय था क्यों कि पराये शासन में उनकी स्वसत्रता और धर्म पर सकट आता था। हिन्दुओं की तरह सिख भी भक्तिभाव पूर्ण होता है। इस भक्तिभाव से प्रेरित होकर वह अपनी प्राचीन परम्पराओं और संस्थाओं के प्रति अत्यन्त आदरपूर्ण होता है। इस अर्थ में वह रूढिवादी होता है।

अत जब शासन और अधिकार सिखों के पास गया राजकीय समझ और आवश्यकताओं के अभाव में उन्होंने गावों की सभी व्यवस्थाओं को अनछुआ रखा। भारत के अन्य प्रान्तों में ब्रिटिश शासन पुरानी पद्धतियों और व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर उन्हें अपनी सकल्पनाओं के अनुकूल बना रही थी परन्तु पजाब में सिख सरदार को केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाला राजस्व जब तक मिलता था कहीं किसी को छेडने की इच्छा नहीं थी। उसके परिणाम स्वरूप हजारों वर्षो से पूरे भारत

में ग्रामविद्यालयों का जो जाल बिछा हुआ था यह पजाब में वैसा का वैसा सुरक्षित रहा। बदल अगर हुआ तो इतना ही कि अब तक पण्डित और मौलवी होते थे उनके साथ अब ग्रथी अथवा भाई जुड गये। अब तक गावों मे दो पारपरिक शिक्षक थे अब तीन हो गये।

ग्रामीण शिक्षा ग्रामीण प्रशासन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा थी। गाव के खर्च में इसके लिये प्रावधान होता था। गाव की पजी से 'शिक्षक का खेत' और 'रक्षक का खेत' कभी मिटता नहीं था। पजाब के प्रत्येक गाव में किसी न किसी प्रकार का विद्यालय था और उसमें एक एक बालक को व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकताओं को पूर्ण करनेवाली प्रारम्भिक शिक्षा या तो नि शुल्क या अत्यन्त अल्प मासिक शुल्क पर दी जाती थी। इन विद्यालयों के साथ साथ वहा विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्तर के कॉलेज भी थे जहा ज्ञान के प्राचीन आदर्श सुरक्षित रूप से जीवन्त थे। अध्यात्मविद्या खगोलशास्त्र गणित व्याकरण तत्त्वज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्रगत शिक्षा के केन्द्र भी थे।

देशी शिक्षा के कटु आलोचक भी इतना तो मान्य करते ही थे कि इन देशी विद्यालयों और महाविद्यालयों ने सम्पूर्ण समाज का बहुत भला किया था। प्रौढ आयु और बुद्धिवाले छात्रों को जहा एरेबिक और सस्कृत में शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी ऐसे महाविद्यालयों से लेकर प्राथमिक महाजनी शराफी और लाण्डे विद्यालयों तक विविध प्रकार की विविध स्तर की शास्त्रीय और तान्त्रिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षकों को हमेशा प्रत्येक छात्र की और जीवन में वे जो व्यवसाय करनेवाले हैं उन व्यवसायों की आवश्यकताओं का ध्यान रहता था।

आज जिस प्रकार सब की बुद्धि को एक स्तर पर लाया जाता है और कम बुद्धिवाले की खातिर बुद्धिमान को नीचे लाया जाता है वैसा करने के लिये बाध्य करनेवाली समूहशिक्षा उस समय नहीं चलती थी। सस्कृत के पाठ और विद्यालय पूरा होने के समय समूह में किया जानेवाला पुनरावर्तन सामूहिकता का वातावरण निर्माण करते थे जब कि एक छात्र को व्यक्तिगत शिक्षा और वह जो पढता था उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और अपनी जिम्मेदारी पर पढने की व्यवस्था से उसे चिन्तन और स्वाध्याय की प्रेरणा मिलती थी। आज के छात्रों में इन दोनों बातों का अभाव है। छात्र जब बडा होता था तब वह दर्शन पढने के लिये एक गुरु के पास जाता था तो विधि (कानून) पढने के लिये दूसरे। यह वैसा ही था जैसे जर्मनी में छात्र आन्तरराष्ट्रीय कानून पढने के लिये हाइडलबर्ग जाता है और रोमन कानून पढने के लिये बर्लिन।

यह जानना भी रोचक रहेगा कि प्रारम्भिक कक्षा के पाठों से लेकर उच्च शिक्षा में हिन्दू अध्यात्मविद्या और विभिन्न शास्त्रों की शिक्षा तक उच्च प्रकार की समझ अनुस्यूत थी। किण्डर गार्टेन' पद्धति के भी सूत्र कहीं कहीं मिल जाते हैं। सीखने में ध्यान आकर्षित करने की और केन्द्रित करने की विभिन्न और सादी प्रयुक्तिया अपनाई जाती थीं और विभिन्न पार्श्वभूमि से आनेवाले बच्चों की नैतिक (मानसिक) और बौद्धिक क्षमताओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता था। सर्व प्रकार की शिक्षामें हिन्दू जीवनपद्धति के आदर्शो एव व्यवहारों की ओर ध्यान रहता था।

यह कथन बिना आधार का नहीं है यह दर्शाने के लिये मैं ३ जून १८१४ के कोर्ट ऑव् डायरेक्टर्स के शिक्षा विषयक प्रथम आदेश से इस प्रकार उद्धरण दूगा। डायरेक्टर्स निर्देश करते हैं

'देशी ग्रामविद्यालय ग्रामजीवन का एक अभिन्न अग है और इग्लैण्ड के लिये भी उन्होंने एक नमूना पेश किया है। वे आगे कहते हैं हिन्दुओं की इस उदात्त और प्रशसनीय सस्थाने विद्रोहों के अनेक आघात सहे हैं। इस पद्धति में देशी जन की सामान्य बौद्धिकता परिलक्षित होती है।

सन् १८४८ में पजाब का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में गया। पजाब के प्रथम प्रशासन बोर्डने शिक्षा की इस समृद्ध परपरा जो उन्हें ह्रासग्रस्त और बिखरे हुए सिख सविधान से प्राप्त हुई थी उसे मान्यता दी। देशी शिक्षा के प्रसार और उसकी परम्परा को जीवित रखने की आवश्यकता की ओर ध्यान देते हुए सर ज्होन और सर हेनरी लॉरेन्सने अपनी प्रथम शिक्षा नीति का निरूपण इन शब्दों में किया -

'हम हर ग्रामसमूहमें और सम्भव हुआ तो हर गाव में विद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं जिससे पूरे प्रदेश में हर बच्चे को किसी न किसी रूप में प्रारम्भिक शिक्षा मिले।

इस नीति का क्रियान्वयन कितना हुआ इस विषय का निरूपण अगले लेख मे किया जाएगा।

✿ ✿ ✿

५ इन्वरनेस गार्डन्स डब्ल्यू, ८
१७ नवम्बर १९३१

प्रिय श्री गाधी

आपकी ओर से श्री देसाई का बिना दिनाक का पत्र १४ नवम्बर को प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। पत्र के साथ ८ डिसम्बर १९२० और २९ डिसम्बर १९२० के 'यग

इण्डिया' में भारत की शिक्षा विषयक दौलतराम गुप्ता के दो लेखों की टंकित नकल भी भेजी है।

मैं समझता हू कि उस लेख में पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के अनुसार जो तथ्य दिये हैं उसी का आधार लेकर आपने अपना कथन दिया है कि गत पचास वर्षों में ब्रिटिश इण्डिया में शिक्षा का ह्रास हुआ है। आप इसे ही प्रमाण मानते थे परन्तु आपने मुझे यह सन्दर्भ नहीं दिया था।

मैंने लेख को ध्यान से पढा है परन्तु आपके कथन को प्रमाणित करनेवाला उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें शिक्षा विषयक कोई आकडे नहीं हैं। आप का प्रमुख उद्धरण डा लिटनर का पंजाब में देशी शिक्षा का इतिहास' है। मैं निश्चित रूप से मानता हू कि आपने जब इस पुस्तक को अपना आधार बनाया तब आपको मालूम नहीं होगा कि यह पुस्तक पचास वर्ष पूर्व सन् १८८२ में लिखी गई है। श्री दौलत राम गुप्ता इस तथ्य को नहीं बताते हैं। वे यह भी नहीं बताते हैं कि डा लिटनर पंजाब प्रान्त की शिक्षा की तुलना मध्य प्रान्त और बंगाल की शिक्षा के साथ कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि गत दस पन्द्रह वर्षों में ही पंजाब में प्राथमिक शिक्षा का विकास हुआ है। मैंने मेरे २१ अक्टूबर के पत्र में इसी बात का उल्लेख किया था।

आपने दिये हुए पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के सन्दर्भ की अभी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हू। मैं ने हाल ही के पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट देखे हैं परन्तु उसमें ब्रिटिश इण्डिया के शिक्षा विषय क कोई उल्लेख नहीं हैं। और बहुत स्वाभाविक है कि पंजाब रिपोर्ट इस विषय की चर्चा नहीं करेगा। अब यदि आपको लगता है कि आपने गलत सदर्भ दिया था तो आपने दिये हुए वचन के अनुसार आप अपना वक्तव्य वापस लें यही मेरा सुझाव होगा।

विनीत

फिलिप हार्टोग

पुनश्च क्या मैं पूछ सकता हू कि दौलत राम गुप्ताने सर शकरन नायर के असहमति का स्वर' का उल्लेख किस रिपोर्टसे किया है ? लेख में कोई सन्दर्भ नहीं दिया गया है।

फि हा

✲ ✲ ✲

एम के गाधी एस्क
८८ नाईट्सब्रिज डब्ल्यू.
१९ नवम्बर १९३१

सर फिलिप हार्टोग के बी ई
५ इन्वरनेस गार्डन्स डब्ल्यू. ८
प्रिय श्री फिलिप

आप के दि १७ के पत्र के लिये धन्यवाद।

चैथम हाउस में दिये हुए वक्तव्य को वापस लेने का अभी तो मेरा कोई विचार नहीं है। आप अभी जो सन्दर्भ माग रहे हैं उसे ढूढने के लिये मेरे पास अभी समय नहीं है। परन्तु मैं वचन देता हू कि मैं इसे भूल नहीं जाऊगा और चैथम हाउस में मैंने जो कहा था वह गलत था ऐसा जब मुझे विश्वास हो जाएगा तो मैं न केवल मेरा कथन वापस लूगा अपितु उस वक्तव्य को प्रसिद्धि प्राप्त हुई उससे भी अधिक प्रसिद्धि इस वापस लेनेवाले वक्तव्य को मिले यह देखूगा।

अभी मैं आपको अपेक्षित सन्दर्भ ढूढने के प्रयास कर रहा हू।

विनीत
एम के गाधी

सर फिलिप हार्टोग के ई बी
५ इन्वरनेस गार्डन्स डब्ल्यू. ८

✿ ✿ ✿

५ इन्वरनेस गार्डन्स डब्ल्यू. ८
२० नवम्बर १९३१

प्रिय श्री गाधी

कल के आप के पत्र के लिये धन्यवाद।

अगर आप के अमूल्य समय से कुछ क्षण मेरे लिये आप देंगे तो इस मामले को सुलझाने में बहुत सहायता होगी। आप निश्चित समय और दिन बतायेंगे तो मैं आपकी भेंट करना चाहता हू।

विनीत
फिलिप हार्टोग

एम के गांधी एस्क
८८ नाईट्सब्रिज डब्ल्यू.

✿ ✿ ✿

५ इन्वरनेस गार्डन्स डब्ल्यू, ८
२२ नवम्बर १९३१

प्रिय श्रीमती नायडू

आप के सुझाव के अनुरूप श्री गाधी को भेजे मेरे २७ अक्टूबर और १७ नवम्बर के पत्रों की प्रतिलिपि इसके साथ भेज रहा हू। मेरे अन्य पत्रों में विशेष कोई जानकारी नहीं है। आपकी सुविधानुसार आप इन्हें वापस भेजने की कृपा करेंगे ?

सादर

आपका
फिलिप हार्टोग

श्रीमती सरोजिनी नायडू
७ पार्क प्लेस
से जेम्स एस डब्ल्यू, आई

* * *

स्कार टॉप
बोर्स हिल ऑक्सफर्ड
२३ नवम्बर १९३१

प्रिय सर फिलिप हार्टोग

मैं शायद भारतीय शिक्षा की देशी पद्धति का मूल्य कम ऑंक रहा हू, मैंने उसे इतना महत्त्व कभी नहीं दिया है। मेरा कथन राष्ट्रीयता का प्रचलित अत्युक्तिपूर्ण दावा नहीं है वह बहुत सौम्य प्रकार का है।

फिर भी आपको एफ ई की के ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस द्वारा १९१८ में प्रकाशित एन्शयण्ट इण्डियन एज्युकेशन Ancient Indian Education के पृ ५१ ५७ १०७ पर

डा लिटनर के हिस्ट्री ऑव् इण्डिजीनस एज्यूकेशन इन पजाब History of Indigenous Education in Punjab) के पृ १४ और २१

१८८२ के पजाब सरकार के रिपोर्ट में

ए. पी होवेल के 'एज्यूकेशन इन ब्रिटिश इण्डिया प्रायर टु १८५४ : Education in British India Prior to 1854 में और

लुड्लो के ब्रिटिश इण्डिया : British India' में प्रमाण मिलेंगे। १८२२-२६ में मद्रास प्रेसीडेन्सी ने सर्वेक्षण करवाया था। उस समय का निष्कर्ष यह था कि

विद्यालय जाने योग्य आयु के कुल बच्चों के एक षष्ठाश से भी कम बच्चों को किसी प्रकार की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होती है। १८२३-८ के दौरान मुम्बई प्रेसीडेन्सी के सर्वेक्षण में यह अदाज एक अष्टमाश का है बगाल में १३ २ प्रतिशत का है (एडम का सर्वेक्षण-१८३५) । विलियम वॉर्डने मान लिया कि बगाल की प ु रु प जनसख्या का एक पचमाश हिस्सा मानना चाहिये।

मैं कठिनाई समझता हूँ। परतु मुझे अधिकाधिक मात्रा में प्रतीति हो रही है कि जहा तक सामान्य शिक्षा का प्रश्न है हमने इन दस बारह वर्ष में अपने आप को बधाई दे सकें ऐसा शायद ही कुछ किया है। आप मुझसे सहमत हैं ? कोलकत्ता युनिवर्सिटी तो एकदम बेकार थी। और स्थानीय मिडल स्कूल -

आपका

एडवर्ड थोम्पसन

पुनश्च मैं नहीं मानता कि हमने द्वेषभावना से प्रेरित होकर देशी शिक्षा और देशी उद्योगों को नष्ट किया है। (यही अमेरिका और भारत में कहा जाता है।) यह अनिवार्य था।

❁ ❁ ❁

श्री गांधी के साथे मुलाकात २ दिसम्बर १९३१

२० अक्टूबर १९३१ को लन्दन के चैथम हाऊस में इण्टरनेशनल अफेअर्स में श्री गाधीने कहा था कि विगत ५० से १०० वर्षों में भारत में शिक्षा की बहुत अवनति हुई है। (देखें इण्टरनेशनल अफेअर्स की जर्नल नवम्बर १९६१ पृ ७२७ ७२८ ७३४ ७३५) उस सन्दर्भ में मैंने श्री गाधी की मुलाकात करने के लिये पत्र लिखा था। मुझे उसका लिखित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था परन्तु श्रीमती सरोजिनी नायडू जिनसे मैंने उस विषय में बात की थी ने आज टेलीफोन कर के मुलाकात की व्यवस्था कर दी। तदनुरूप मैं अपराह्न ४ बजे ८८ नाईट्सब्रिज में उनसे भेंट करने गया और ५ बजे तक वहा रुका। अग्नि के निकट एक सोफा पर शाल लपेटे वे लेटे हुए थे। वे थके हुए लग रहे थे तो भी मैं जब गया और वापस लौटा तब दोनों समय वे मेरे सम्मान में खडे हुए। उन्होंने मुझे कहा कि वे मानते थे कि वे पूर्ण स्वस्थ हैं परन्तु उस समय वे बोझ का अनुभव कर रहे थे। मैंने कहा कि वे इतने थके हुए थे कि चर्चा नहीं कर पायेंगे परन्तु उन्होंने कहा कि उन्हें मुझे मिलकर खुशी हुई है। उन्होंने स्वय मुलाकात के लिये पत्र न लिखने के लिए मेरी याचना की।

उन्होंने तत्काल स्वीकार किया कि उनके कथन की पुष्टि के लिये उनके पास कुछ नहीं था। मैंने उनसे जो कहा था कि ८ और २९ दिसम्बर के 'यग इण्डिया' में प्रकाशित दौलत राम गुप्ता के लेखो में साक्षरता के आकडे नहीं थे डॉ लिटनर की पुस्तक हिस्ट्री ऑव् इन्डिजीनस एज्यूकेशन इन पजाब' १८८२ में लिखी गई थी इसलिये ५० वर्षों में पजाब की शिक्षा की प्रगति या अवनति के विषय में कोई जानकारी उसमें प्राप्त नहीं हो सकती थी। परन्तु मेरी इन बातों का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि श्री महादेव देसाई ब्रिटिश म्यूझीयम मे जाच कर रहे हैं। श्री देसाई ने कहा कि अब तक तो उन्हें म्यूझीयम से कुछ नहीं मिला है। श्री गाधीने कहा कि वे 'यग इण्डिया' के लेख के लेखक को पूछेंगे और जब वे भारत वापस लौटेंगे तो उन्हें उस विषय की जाच करने के लिये और भी सक्षम मित्र मिल जायेंगे और उसका क्या परिणाम निकलता है इसकी सूचना केबलग्राम से देंगे। उन्होंने कहा कि वे मुझे विश्वास दिलायेंगे कि उनकी बात सही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे सच नहीं निकलते हैं तो क्षमा मागेंगे और उस क्षमाप्रार्थना को अपने मूल वक्तव्य से भी अधिक प्रसिद्धि दिलायेंगे।

मैंने उन्हें लिटनर की पुस्तक दिखाई और पृ ३ पर जो लिखा था वह बताया। वहा लिटनर ने लिखा था कि पजाब मध्य प्रान्त और बगाल से जनसख्या के अनुपात में छात्रों की सख्या के विषय में पीछे नहीं था। मैंने दिखाया की श्री गुप्ताने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है उन्होंने पृ २ पर होशियारपुर की सख्या का उल्लेख अवश्य किया था। मैंने श्री गाधी को कहा कि १८८२ में ब्रिटिश इण्डिया की जनसख्या लगभग २१ करोड थी और १९३१ में बढकर वह २७ करोड हुई थी अर्थात् ३० प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इस समय में ब्रिटिश इण्डिया में विद्यालय जानेवाले बच्चों की सख्या २५ लाख से बढकर ११० लाख हुई थी अर्थात् उसमें ४ गुना वृद्धि हुई थी। इसके बाद भी कोई कहता है कि शिक्षा की अवनति हुई थी तो वह बहुत बडा आश्चर्य होगा।

मैंने यह भी कहा कि विद्यालय जानेवाले बच्चों की सख्या से शिक्षा की स्थिति के विषय में निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। होवेल ने अपनी पुस्तक एज्युकेशन इन ब्रिटिश इण्डिया'में कहा है कि विद्यालय जाने वाले बच्चों को इतनी छोटी आयु में विद्यालय से उठा लिया जाता है कि उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर आना निरर्थक होगा। मैंने यह भी कहा कि उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर आना निरर्थक होगा। मैंने यह भी कहा कि १९१७ से १९२७ के दशक में बगाल में

विद्यालय जानेवाले बच्चों की संख्या बढ़कर ३ ०० ००० हो गई थी (सही अंक तो ३ ७० ००० है) परन्तु कक्षा ४ में पहुंचते ३० ००० जितनी संख्या कम हो गई थी। ये बच्चे तो प्रथम बार ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

मैंने श्री गांधी को १८३५-३८ के विलियम एडम के 'रिपोर्ट ऑन वर्नाक्युलर एज्यूकेशन' के आंकड़े भी बताये और १९२१ के जनगणना के आंकड़ों के साथ उनकी तुलना करके दिखाई (खण्ड ५ पृ ३०२)। इसी खण्ड के पृ २८५ से सन् १९११ और १९०१ के जनगणना के आंकड़े भी बताये जो बर्मा बंगाल और मद्रास में शिक्षा में वृद्धि दर्शाते थे और उसी समय पंजाब बिहार मुम्बई और संयुक्त प्रान्त में थोड़ी ही प्रगति हुई थी। श्री गांधी ने क्षमायाचना के स्वर में कहा 'मैं इन विषयों में कुछ नहीं जानता हूं। मैंने कहा कि उन्हें और बहुत सी बातों में ध्यान देना होता है।

मुलाकात के अन्तिम चरण में मैंने कहा कि अब वे शान्ति चाहेंगे। उन्होंने कहा कि विगत दिन उन्होंने जो कहा था ठीक वैसा ही वे करेंगे अर्थात् प्रधान मंत्री की घोषणा को वे फिर से पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के परामर्श का उन्होंने अवलम्बन लिया परन्तु उसकी पूर्ण जिम्मेदारी तो उनकी ही है। उन्होंने कहा कि सेम्युअल होरे की भेंट करने के लिये उन्होंने वापस जाना निलंबित किया था। वे होरे को शुक्रवार को मिलनेवाले थे क्यों कि होरे ने कहा था कि संसद में चर्चा के दौरान (बुधवार और गुरुवार को) उन्हें समय नहीं मिलेगा। मैंने कहा 'मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि अब आपको विश्वास हो गया है कि वर्तमान में अंग्रेज भारत को जितना सम्भव है उतना सब कुछ देने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा 'हां लेकिन एक बात ऐसी है जो अंग्रेज इमानदारी से मानते हैं परन्तु मेरी समझ में नहीं आती। वे मानते हैं कि हम कुशल तज्ञों की सहायता से भी अपना मामला खुद नहीं सम्हाल सकते। जब मैं युवा था और मेरे पिताजी एक देशी राज्य के महाअमात्य थे मैं एक दूसरे राज्य (जूनागढ) के महाअमात्य को जानता था जो स्वयं अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे परन्तु वे बहुत विशिष्ट व्यक्ति थे और राज्य का कारोबार उत्तम पद्धति से चलाते थे। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि किससे परामर्श प्राप्त करना चाहिये और उसी से परामर्श लेते भी थे। मैंने जब आप के प्रधानमंत्री से रूपये के विनिमय मूल्य के बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि इस विषय में वे कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि सारी बातें प्रधानमंत्री के नाम से की जाती हैं परन्तु उन्हें तज्ञों पर निर्भर करना पड़ता है। हमें प्रशासन चलाने का पूर्वानुभव भी है और आज भी हम यह कर सकते हैं।

मैंने इस राजकीय चर्चा को आगे बढ़ाना या ब्रिटिश जब भारत में आये तब राजकीय क्षेत्र में कितनी अराजकता थी उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना उचित नहीं समझा क्यों कि मेरा मुख्य उद्देश श्री गांधी से चैथम हाऊस का अपना वक्तव्य वापस लिवाना था। मुलाकात का अन्त करते हुए मैंने कहा कि मैं तो शान्ति का चाहक हूं। मैंने उन्हें भारत की वापसी यात्रा के लिये शुभ कामनायें दी। मैंने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि आप को मैंने थका नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझे मिलकर सही में बडी खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि वे मेरे सम्पर्क में रहेंगे।

हमारे वार्तालाप के दौरान श्री देसाई करके एक ऊँचे युवा उपस्थित थे परन्तु मैं उनका नाम नहीं जानता। कु स्लेड भी उपस्थित थीं। उनसे मेरा परिचय करवाया गया परन्तु वे पूरा समय पीछे की ओर बैठी रहीं। और भी एक अंग्रेज महिला उपस्थित थीं जिन्होंने श्री गांधी को मुलाकात के अन्त में फल दिये। वार्तालाप में किसीने बीच में कुछ नहीं कहा। केवल श्री गांधी ने एक या दो बार किसी जानकारी के लिये श्री देसाई को पूछा। ऐसा लगा कि श्री गांधी ने श्री देसाई को ब्रिटिश म्यूझीयम से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा था परन्तु उन्हें चाहिये थीं वे पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई थीं और श्री गांधी के कथन के समर्थन में कुछ कहने के लिये उनके पास कुछ नहीं था। श्री देसाई मेरे साथ नीचे तक आये और ब्रिटिश म्यूझीयम की एक १८५९ की एक १८६७-८ की और एक विल्मोट को 'द इण्डिजीनस सिस्टम ऑव् एज्यूकेशन इन इण्डिया' पुस्तक की चिट बताई।

मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण कथन छूट गया है। श्री गांधीने कहा कि उन्होंने देशी शिक्षा को नष्ट करने का आरोप ब्रिटिश सरकार पर नहीं लगाया है। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि उन्होंने उसकी उपेक्षा कर के उसे नष्ट हो जाने दिया है। मैंने कहा कि संभवत इसलिये उन्होंने उसे नष्ट होने दिया कि वह इतनी खराब हो गई थी कि उसको बचाए रखने का कोई अर्थ नहीं था। संयुक्त प्रान्त में एक मुसलमान साथी ने मेरी कमिटि को कहा था कि सरकार द्वारा संचालित नहीं होनेवाले मुस्लिम विद्यालय मुसलमानों की सहायता के लिये नहीं अपितु उनकी प्रगति में अवरोध रूप हैं। देश के अन्य भागों में स्थित अनेक निजी विद्यालयों के बारे में यही कहा जा सकता है। मैंने श्री गांधी को कहा कि प्राथमिक शिक्षा में मेरी रूचि कोई नई बात नहीं है। १९१८ में सेड्लर कमिशन के सदस्य के रूप में मै जब श्री मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड को मिला था तब मैंने कहा था कि युनिवर्सिटी सुधार अवश्य ही तत्काल रूप से जरूरी होंगे तो

भी भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्या उससे भी अधिक मूलभूत है। मैं इस विषय में उस समय कोई परामर्श नहीं दे सका था। मैंने कहा था कि भारत ने अभी कृषक मजदूर को शिक्षा देने की समस्या का हल नहीं ढूँढा है। जिससे वह अच्छी तरह खेती कर सके और क्लर्क बनना न चाहे परन्तु पजाब ने सर ज्योर्ज एण्डरसनने जिनका कार्य आगे बढाया ऐसे स्वर्गस्थ श्री रिचि की प्रेरणा से गत दस पन्द्रह वर्ष में बहुत प्रगति हासिल की है। मैंने पजाब में अपनाई गई पद्धति का वर्णन किया और श्री गाधीने कहा कि पजाब में हाल ही में हुई प्रगति के विषय में उन्होंने सुना है। मैंने कहा कि मुबई में डा पराजपे द्वारा निर्मित पद्धति से बहुत सक्षम प्रयोग हो रहा है परन्तु उसके उनके अनुगामी ने स्थानीय सचालन के तहत स्थानातरण कर देने के कारण यह प्रयोग विफल हो गया क्यों कि बहुत सारे जिला बोर्ड शिक्षा में नहीं परन्तु राजनीति में रुचि रखते थे शिक्षा के विषय में तो कुछ जानते ही नहीं थे।

मैंने श्री गाधी को कहा कि मैं उनका यह सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता कि सार्वत्रिक प्रारम्भिक शिक्षा आवश्यक रूप से बहुत हल्की होनी चाहिये और यह भी कि मेरी कमिटि ने जो १९ करोड रुपये अतिरिक्त आवर्ती खर्च का प्रावधान किया था उससे लगभग ८० प्रतिशत बालक बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आ जायेंगे। श्री गाधीने मुझे पूछा कि बच्चे यदि मिडल स्कूल में नहीं जाते हैं तब भी प्राथमिक शिक्षा की कोई उपयोगिता रहेगी क्या। मैंने कहा कि वह अगला चरण होगा और मैं स्थानीय मिडल स्कूल की योजना को प्रोत्साहन देना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानता हूँ, केवल छात्रों के लिये ही नहीं तो इसलिये भी कि उसीसे शिक्षक भी तैयार होते हैं। मैंने कहा कि मुझे खेद है कि बगाली स्थानीय मिडल स्कूल के स्थान पर अंग्रेजी मिडल स्कूल ही अधिक पसद करता है।

हमने फिर बालिका शिक्षा के विषय में बात की। मैंने अपनी कमिटि का अभिप्राय बताया कि बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये। श्री गाधीने कहा कि वे पूर्ण रूप से सहमत हैं परन्तु उन्होंने पूछा कि क्या प्राथमिक शिक्षा बालिकाओं को अच्छी माता बनायेगी। श्री गाधीने कहा कि उन्होंने मेरी कमिटि की रिपोर्ट नहीं पढी है। मैंने उनसे पूछा कि आप वापस यात्रा में उसे पढना चाहेंगे क्या। उन्होंने कहा हा मैंने उन्हें उसकी प्रति भेजने का वचन दिया।

(यह टिप्पणी २ दिसम्बर और ४ दिसम्बर को तैयार की गई।)

❖ ❖ ❖

५ इन्वरनेस गार्डन्स डब्ल्यू, ८
२ दिसम्बर १९३१

प्रिय श्री थोम्पसन

आपके ससन्दर्भ २३ नवम्बर के कृपा पत्र की प्राप्ति की सूचना मैंने नहीं भेजी इसलिये मैं क्षमाप्रार्थी हू। मुझे विलियम एडम और लिटनर के रिपोर्ट ज्ञात हैं। होवेल को मैं उद्धरणों से जानता हू। मैंने की देखा है परन्तु उसने मुझे प्रभावित नहीं किया है। मैं एफ डब्ल्यू, थॉमस को पूछूगा कि उसका अभिप्राय क्या है। परन्तु यह सब मुझे गौण लगता है।

आपके सन्दर्भ मैंने देखे। उसके बाद भी मुझे लगता है कि 'रीकन्स्ट्रक्शन ऑव् इण्डिया Reconstruction of India के पृ २५५ का कथन विगत दस वर्षों तक कुछ निम्नप्रकार की अधिक साक्षरता थी' सुसगत लगता है। आपने मुम्बई और बगाल के विद्यालयों के आकड़े दिये हैं। परन्तु भारतीय विद्यालयों का मेरा अनुभव मुझे कहता है कि उपस्थिति और साक्षरता में बहुत अन्तर है।

१९१७-१९२७ के दस वर्षों में बगाल में छात्रसख्या बढ़कर ३ ७० ००० हुई है परन्तु चौथी कक्षा में जहा साक्षरता स्थिर होती है ३० ००० सख्या कम हो गई। (देखें साईमन कमिशन की एज्यू, रिपोर्ट पृ ५९ सारिणी ३४)

देशी शिक्षा के पक्षधर एडम होवेल और लिटनर को पढ़कर मुझे लगता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है।

एडम के लॉंग के सस्करण में पृ २६८ पर आपने २५ अक्टूबर १८१९ का मॉस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन के रिपोर्ट का उद्धरण देखा होगा जिसमें वह कहता है यहा (दक्षिण) में प्रत्येक गाव और नगर में पहले से ही विद्यालय हैं परन्तु लिखना और पढ़ना ब्राह्मणों बनिया और अन्य ऐसे लोगों तक ही सीमित है जिन्हें हिसाब करना होता है।

एडम के १८३५ में बगाल में १ ०० ००० विद्यालय होने के अनुमान का उल्लेख करते हुए होवेल पृ ७ पर मद्रास और बगाल के लिये भी इसी प्रकार का अनुमान करता है और कहता है 'यद्यपि सारे अधिकारी इस बात पर सहमत हैं कि इन विद्यालयों की अवस्थिति ही शिक्षा की चाह का सकेत है वे इस बात पर भी एक थे कि उसमें जो पढ़ाया जाता था वह बिलकुल बेकार था क्यों कि इन विद्यालयों में सक्षम शिक्षक नहीं थे उनके पास पुस्तकें या अन्य सामग्री नहीं थी और बहुत छोटी आयु में बच्चे विद्यालय छोड़ देते थे।

भी भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्या उससे भी अधिक मूलभूत है। मैं इस विषय में उस समय कोई परामर्श नहीं दे सका था। मैंने कहा था कि भारत ने अभी कृषक मजदूर को शिक्षा देने की समस्या का हल नहीं ढूँढा है। जिससे वह अच्छी तरह खेती कर सके और क्लर्क बनना न चाहे परन्तु पंजाब ने सर ज्योर्ज एण्डरसनने जिनका कार्य आगे बढाया ऐसे स्वर्गस्थ श्री रिचि की प्रेरणा से गत दस पन्द्रह वर्ष में बहुत प्रगति हासिल की है। मैंने पंजाब में अपनाई गई पद्धति का वर्णन किया और श्री गांधीने कहा कि पंजाब में हाल ही में हुई प्रगति के विषय में उन्होंने सुना है। मैंने कहा कि मुंबई में डा. परांजपे द्वारा निर्मित पद्धति से बहुत सक्षम प्रयोग हो रहा है परन्तु उसके उनके अनुगामी ने स्थानीय संचालन के तहत स्थानांतरण कर देने के कारण वह प्रयोग विफल हो गया क्यों कि बहुत सारे जिला बोर्ड शिक्षा में नहीं परन्तु राजनीति में रुचि रखते थे शिक्षा के विषय में तो कुछ जानते ही नहीं थे।

मैंने श्री गांधी को कहा कि मैं उनका यह सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता कि सार्वत्रिक प्रारम्भिक शिक्षा आवश्यक रूप से बहुत हल्की होनी चाहिये और यह भी कि मेरी कमिटि ने जो १९ करोड रुपये अतिरिक्त आवर्ती खर्च का प्रावधान किया था उससे लगभग ८० प्रतिशत बालक बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आ जायेंगे। श्री गांधीने मुझे पूछा कि बच्चे यदि मिड्ल स्कूल में नहीं जाते हैं तब भी प्राथमिक शिक्षा की कोई उपयोगिता रहेगी क्या। मैंने कहा कि वह अगला चरण होगा और मैं स्थानीय मिड्ल स्कूल की योजना को प्रोत्साहन देना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानता हूँ, केवल छात्रों के लिये ही नहीं तो इसलिये भी कि उसीसे शिक्षक भी तैयार होते हैं। मैंने कहा कि मुझे खेद है कि बंगाली स्थानीय मिड्ल स्कूल के स्थान पर अंग्रेजी मिड्ल स्कूल ही अधिक पसंद करता है।

हमने फिर बालिका शिक्षा के विषय में बात की। मैंने अपनी कमिटि का अभिप्राय बताया कि बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये। श्री गांधीने कहा कि वे पूर्ण रूप से सहमत हैं परन्तु उन्होंने पूछा कि क्या प्राथमिक शिक्षा बालिकाओं को अच्छी माता बनायेगी। श्री गांधीने कहा कि उन्होंने मेरी कमिटि की रिपोर्ट नहीं पढी है। मैंने उनसे पूछा कि आप वापस यात्रा में उसे पढना चाहेंगे क्या। उन्होंने कहा हां मैंने उन्हें उसकी प्रति भेजने का वचन दिया।

(यह टिप्पणी २ दिसम्बर और ४ दिसम्बर को तैयार की गई।)

✲ ✲ ✲

५ इन्वरनेस गार्डन्स डब्ल्यू, ८
२ दिसम्बर १९३१

प्रिय श्री थोम्पसन

आपके ससन्दर्भ २३ नवम्बर के कृपा पत्र की प्राप्ति की सूचना मैंने नहीं भेजी इसलिये मैं क्षमाप्रार्थी हू। मुझे विलियम एडम और लिटनर के रिपोर्ट ज्ञात हैं। होवेल को मैं उद्धरणों से जानता हू। मैंने की देखा है परन्तु उसने मुझे प्रभावित नहीं किया है। मैं एफ डब्ल्यू, थॉमस को पूछूगा कि उसका अभिप्राय क्या है। परन्तु वह सब मुझे गौण लगता है।

आपके सन्दर्भ मैंने देखे। उसके बाद भी मुझे लगता है कि रीकन्स्ट्रक्शन ऑव् इण्डिया Reconstruction of India के पृ २५५ का कथन विगत दस वर्षों तक कुछ निम्नप्रकार की अधिक साक्षरता थीं' सुसगत लगता है। आपने मुम्बई और बगाल के विद्यालयों के आकडे दिये हैं। परन्तु भारतीय विद्यालयों का मेरा अनुभव मुझे कहता है कि उपस्थिति और साक्षरता में बहुत अन्तर है।

१९१७-१९२७ के दस वर्षों में बगाल में छात्रसख्या बढकर ३ ७० ००० हुई है परन्तु चौथी कक्षा में जहा साक्षरता स्थिर होती है ३० ००० सख्या कम हो गई। (देखें साईमन कमिशन की एज्यु, रिपोर्ट पृ ५९ सारिणी ३४)

देशी शिक्षा के पक्षधर एडम होवेल और लिटनर को पढकर मुझे लगता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है।

एडम के लॉग के सस्करण में पृ २६८ पर आपने २५ अक्टूबर १८१९ का मॉस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन के रिपोर्ट का उद्धरण देखा होगा जिसमें वह कहता है यहा (दक्षिण) में प्रत्येक गाव और नगर में पहले से ही विद्यालय हैं परन्तु लिखना और पढना ब्राह्मणों बनिया और अन्य ऐसे लोगों तक ही सीमित है जिन्हें हिसाब करना होता है।

एडम के १८३५ में बगाल में १ ०० ००० विद्यालय होने के अनुमान का उल्लेख करते हुए होवेल पृ ७ पर मद्रास और बगाल के लिये भी इसी प्रकार का अनुमान करता है और कहता है यद्यपि सारे अधिकारी इस बात पर सहमत हैं कि इन विद्यालयों की अवस्थिति ही शिक्षा की चाह का सकेत है वे इस बात पर भी एक थे कि उसमें जो पढाया जाता था वह बिलकुल बेकार था क्यो कि इन विद्यालयों में सक्षम शिक्षक नहीं थे उनके पास पुस्तकें या अन्य सामग्री नहीं थी और बहुत छोटी आयु में बच्चे विद्यालय छोड देते थे।

जिन के भी मैंने उद्धरण दिये है वे सब चाहते थे कि सरकार ने इन ग्राम विद्यालयों के आधार पर एक पद्धति निर्माण करनी चाहिये।

एडम साक्षरता के जो आकड़े देता है उसका विस्तृत विश्लेषण होना आवश्यक है। जिन जिलों के विषय में एडम ने आकड़े दिये हैं उनको जनगणना रिपोर्ट के आधार पर मैं देखूगा।

आपका

पी जे हार्टोग

✲ ✲ ✲

स्कार टॉप
बोर्स हिल ओक्सफर्ड
५ दिसम्बर १९३९

प्रिय सर फिलिप हार्टोग

किस विषय पर हमारा विवाद चल रहा है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कथन पर्याप्त सौम्य है सन्तुलित है और मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। जो दावे मुझे सर्वथा गलत लग रहे हैं उनके प्रति मैं सत्य की सीमा में रहकर उदारता बरत रहा हू। विवाद को आगे चलाने का यही एक मार्ग है। चाहे ब्रिटिश साम्राज्यवादी हो या भारतीय राष्ट्रवादी मेरे विरोधी की किसी भी बात पर उसे नीचा दिखाने की पद्धति मुझे ठीक नहीं लगती। सदर्भो से स्पष्ट है कि मैं भारतीय विद्यालयों को बहुत महत्त्व नहीं देता हू। मैंने वह अनुच्छेद लिखा तब मेरे मन में क्या था वह मुझे अभी भी ठीक याद है। विगत बारह वर्षों की बात ही बार बार दुहराते रहने की प्रवृत्ति से मेरी सहमति नहीं है। तात्पर्य केवल इतना ही है कि ये बारह वर्ष पूर्व के दशकों की तुलना में अधिक प्रगति कारक थे।

बात ठीक है कि साक्षरता और विद्यालय में उपस्थिति एक ही बात नहीं है। आज भी दोनों एक नहीं है। परन्तु वह विषय इतना विचार और विवाद के योग्य नहीं है। अगर बात खींच ही जाती है तो मैं केवल साक्षरता को भी कम ही महत्त्वपूर्ण मानता हू। मुझे लगता है हमने किसी प्रकार की शिष्टता बचाने के लिये दस वर्ष तक बहुत ही प्रयास किये हैं। मैं शायद बहुत ही हताश हो गया हू। परन्तु मैंने देखा जो अमेरिका के शिक्षित लोग उनकी शिक्षा के परिणाम स्वरूप पढते हैं। इस देश में आकर मैं देखता हू कि साप्ताहिक पत्र तो मृत प्राय हो गये हैं। डेईली मेल डेईली एक्सप्रैस और

कुख्यात सण्डे पेपर ही केवल पढे जाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे लोकप्रिय पत्र है कम्पीटीशन्स जो पाठकों के बहुत बडे वर्ग को शब्दचौकोर भरना सिखाता है। शिक्षितों का बौद्धिक आनद केवल इतने तक ही सीमित है। दूसरी ओर अकबर को अशिक्षित' माना जाता है।

भारत में ऐसे कई गरीब लोग हैं जो कभी किसी विद्यालय में नहीं गये फिर भी पढ सकते हैं। यद्यपि उनकी सख्या कम है। वे नाम मात्र का शुल्क देकर किसी छात्र से पढते हैं। स्थानीय भाषा पढने तक की बात में तो विद्यालय दर्शाते हैं उससे बहुत अधिक सख्या में लोग पढ सकते हैं। यदि यह सत्य नहीं है तो बगाल के बाजारों में भयकर चित्रोंवाले परन्तु सस्ते रामप्रसाद चडीदास कृतिवास रामायण कैसे बिकते हैं ? (दिनेश सेन के अनुसार युद्ध से पूर्व प्रति वर्ष उसकी दो लाख प्रतिया बिकती थीं।) यही नहीं तो केवल दो विभागों में ही गाये जाने वाले भादों गीत भी बिकते हैं। शरत चैटरजी मुझे कहते थे कि १९२१ में उनके उपन्यास के बारह आनेवाले सस्करण से उन्हें बारह हजार रुपए रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुए थे जिसका अर्थ है कि उसकी दो लाख प्रतियों की बिक्री हुई थी। अर्ध धार्मिक कृतियों का ऐसा ही होता है। विद्यालयों की सख्या से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैं अगली वसन्त ऋतु में भारत जानेवाला हूँ। तभी इस विषय को देखूँगा। परन्तु मेरी धारणा जो गहरी होती गई है वह यह है कि हमारी इस दिशा में या अनेक बातों में ठोस प्रगति १९१७ में शुरू हुई। आपको शायद कल्पना में भी नहीं उतरेगा कि युद्ध से पूर्व सारे अधिकारी कितने निष्क्रिय थे। जब मैंने बगाल में शिक्षा में कार्य शुरू किया हमारी मिडल वर्नाक्यूलर स्कूल की चौथी कक्षा में बहुत अधिक सख्या थी। ये सब शिक्षित थे। परन्तु मुझे लगता है कि इतनी अधिक सख्या न होती तो अच्छा था। शिक्षा विभाग तो भयकर था। कार्यकारी लैफ्टेनन्ट गवर्नर अत्यत अकार्यक्षम और ढीला था और शिक्षा निदेशक कुचलकर महा आलसी था। मैं नहीं मानता कि एक शतक पूर्व साक्षरता व्यापक रूप में थी। मैं यह भी नहीं मानता कि १९१७ से पूर्व शिक्षा विषयक हमने जो कुछ भी किया उससे कोई विशेष बदल या सुधार हुआ हो। हम अपने आप को अनुचित शाबाशी देते रहते हैं। परन्तु मैं कहूगा कि अन्यायपूर्ण ढग से कुख्यात मॉटेग्यू चैन्सफर्ड सुधार के बाद ही हमने कुछ ठोस कार्य किया है।

सन् १९१७ से पूर्व के साक्षरता के आकडे क्या हैं ? जनसख्या के चार या पाच प्रतिशत ? मुझे लगता है एक शतक पूर्व वे इससे ज्यादा थे। इसे प्रमाणित करने

के लिए उस समय की छोटी जनसंख्या में भी पुस्तकों की बिक्री होती थी उसका पता लगाना चाहिए। (यद्यपि जनगणना १८७१ में प्रारम्भ हुई।)

आपका

एडवर्ड थोम्पसन

(इस टंकित पत्र के बाद हाथ से लिखा गया पत्र)

पुनश्च ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अभिलेखों में 'बनिया' को सामान्य रूप में बनयान' लिखा जाता है।

मैं ने आपका पत्र फिर से ध्यान देकर पढ़ा। लगता है कि हम एक ही बात कर रहे हैं। स्पष्ट है कि हम दोनों मानते हैं कि -

(क) एक शतक पूर्व साक्षरता इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसके गीत गाए जाएँ।

(ख) युद्ध से पूर्व के सर्वसामान्य विद्यालय तो एक नाटक ही था।

हमें गाँवों तक मिडल वर्नाक्यूलर विद्यालय ले जाने के लिए आग्रहपूर्वक कहा जाता था। उन विद्यालयों के मुख्य शिक्षक इण्टर आर्ट्स अनुत्तीर्ण या मैट्रिक भी अनुत्तीर्ण होते थे। उनके छात्र तो भयंकर होते थे। हमारे स्वयं के हाईस्कूल के छात्र भी बहुत कमजोर होते थे परंतु, परंतु बात कुछ ऐसी है। युद्धपूर्व का भारत का प्रशासन अनेक दृष्टि से भयंकर आघात पहुंचानेवाला ही था। मैं कठिनाई भी जानता हूं। परन्तु भारतीय प्रशासन में इतनी समस्या क्या है ? मैं विद्रोह से पूर्व के रेसिडेन्टों का दफ्तर पढ़ रहा हूँ। वह ऐसी जानकारी से भरा पड़ा है कि भगवान करे वह इन कॉंग्रेसवालों के हाथ न लग जाए। ऑक्सफर्ड में तो पूर्व आई सी एस (इण्डियन सिविल सर्विस) की भीड़ हो गई है। मैं उन लोगों का आदर करता हूं। परन्तु आई सी एस बनने से पूर्व उनकी पढाई में जो उनकी विलक्षण बुद्धि उनके परीक्षा परिणामों में झलकती थी उसका आई सी एस बनने के बाद क्या हुआ ? मुझे वह सब निरर्थक और निराशाजनक लगता है... भारत में काम करना हमारे ऊपर अत्याचार था। हमने एक अंग्रेज ने करना चाहिये ऐसा कुछ नहीं किया।

मैंने पत्र को छोटा रखने के लिये बहुत बातें घसीट दी हैं। मैं २४ दिसम्बर को जा रहा हूं। तब तक मैं अत्यधिक व्यस्त हूं।

* * *

इण्टरनेशनल अफेअर्स' के तत्री के प्रति

महाशय

गत २० अक्टूबर की अत्यधिक उपस्थितिवाली चैथम हाऊस की सभा में श्री गाधीने कहा था

मैं आकडों का प्रमाण देकर कह सकता हू कि पचास या सौ वर्ष पूर्व था उसकी तुलना में भारत आज अधिक निरक्षर है। मेरे आकडों को कोई गलत सिद्ध करेगा इसका मुझे लेशमात्र भय नहीं है। बर्मा की भी वही स्थिति है। ब्रिटिश प्रशासक जब भारत में आये तब उन्होंने यहा की स्थिति को यथावत् स्वीकार करने के स्थान पर उसका उन्मूलन करना शुरू किया।

उस सभा के वृत्त से ही समझ में आता है कि श्री गाधीने उस समय इस तथ्य को प्रमाणित करनेवाले आकडे नहीं दिये थे। इसलिये मैंने उनसे पूछा था कि गत पचास वर्षों में भारत में शिक्षा का ह्रास हुआ है यह जो आप कहते हैं उसके लिये कोई प्रमाण देंगे ? उन्होंने कहा पजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट और 'यग इण्डिया' में प्रकाशित लेख उनके प्रमाण हैं।

मैंने तुरन्त ही उन्हें निश्चित सदर्भ देने के लिए लिखा। उन्होंने तुरन्त ही मुझे 'जनसामान्य की शिक्षा का ह्रास' विषयक दौलत राम गुप्ता के ८ दिसम्बर और २९ दिसम्बर के 'यग इण्डिया' में प्रकाशित दो लेखों की टकित प्रतिलिपि भेज दी। परन्तु इन लेखों में पजाब बर्मा या पूरे भारत की शिक्षा या साक्षरता विषयक किसी भी प्रकार की सख्यात्मक जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं तो पजाब एडमिनस्ट्रेटीव रिपोर्ट' का उल्लेख तक नहीं है। उसमें पजाब के शिक्षाधिकारी डा जी डब्ल्यू लिटनर के हिस्ट्री ओव् इडिजीनस एज्यूकेशन इन द पजाब' का सदर्भ अवश्य है जो पूर्वोक्त रिपोर्ट का उल्लेख करता है। परन्तु डा लिटनर की रिपोर्ट ४९ वर्ष पूर्व १८८२ में प्रकाशित हुई थी। उसमें भी साक्षरता के प्रतिशत का कोई उल्लेख नहीं है।

मैंने इस तथ्य की ओर श्री गाधी का ध्यान आकर्षित किया है। अभी स्थिति यह है कि श्री गाधी उनके वक्तव्य की सत्यता सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दे सके हैं। मुझे यह भी कहना है कि इस बीच हमारा मैत्री पूर्ण पत्राचार हुआ है उसमें और २ दिसम्बर को हमारी प्रत्यक्ष भेंट हुई उसमें उन्होंने वादा किया है कि यदि वे प्रमाण नहीं देते हैं तो अपना वक्तव्य वापस लेंगे। अत जब तक उनसे निश्चित कुछ

आता नहीं तब तक इस विषय पर आगे कुछ टिप्पणी करना मुलतवी रखना ही ठीक होगा।

आपका विश्वसनीय
पी जे हार्टोग

५ इन्वरनेस गार्डन्स
विकारेज गेट डबल्यू, ८
१४ दिसम्बर १९३१

* * *

श्री एम के गांधी का सर फिलिप हार्टोग को पत्र
(प्रतिलिपि)

प्रिय मित्र

ब्रिटिश पूर्व भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति विषयक मेरे वक्तव्य के सम्बन्ध में मैंने आपको जो वादा किया था उसे मैं पूरा नहीं कर पाया हू इसलिये क्षमाप्रार्थी हू। परन्तु स्थिति मेरे नियत्रण में नहीं थी। जैसे ही मैं भारत आया यह काम मैंने श्री मुनशी और अन्य दो शिक्षाविद साथियों को दिया। श्री मुनशी बॉम्बे युनिवर्सिटी सेनेट के सदस्य हैं। परन्तु उनकी भी मेरे ही साथ नागरिक प्रतिरोध के तहत गिरफ्तारी हुई। मैंने श्री मुनशी को आपके साथ सीधा सपर्क स्थापित करने के लिए कहा था। परन्तु मेरे बाद वे इतनी जल्दी गिरफ्तार किए गए कि आपके साथ पत्राचार करना उनके लिए कठिन हो गया। अब मैंने प्रा शाह को मेरे वक्तव्य की सत्यता जाचने का और जांचका निष्कर्ष आप के पास पहुचाने का काम दिया है। मैं आपको सत्य का खोजी मानता हू इसलिये या तो मेरे वक्तव्य की सत्यता के प्रमाण देकर और नहीं तो मेरा वक्तव्य वापस लेकर और उसे प्रसिद्धि देकर आपको सन्तुष्ट करने के लिये उत्सुक हू। मैंने इसके लिये जो प्रयास किये हैं उसकी जानकारी आपको देना चाहता था।

मेरे पास आपका निजी पता नहीं है इसलिये यह पत्र मैं इण्डिया ऑफिस के पते पर भेज रहा हू।

यरवडा केन्द्रीय कारावास
पूणे

विनीत
एम के गाधी
१५ फरवरी १९३२

४५ चौपाटी रोड मुबई ७
२० फरवरी १९३२

प्रिय श्री फिलिप

मुझे महात्मा गाधी से जानकारी मिली है कि वे जब लन्दन में थे तब एक सभा में भाषण में भारत में ब्रिटिशरों के आगमन से पूर्व की शिक्षा की स्थिति के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि शिक्षा का प्रसार वर्तमान में है उससे पूर्व में अधिक था। उन्होंने कहा कि आपने इस वक्तव्य की सत्यता पर आपत्ति उठाई थी और प्रमाण मागे थे। महात्माजी ने यग इण्डिया' के दो लेख आपको भेजे थे परन्तु आपको वह पर्याप्त नहीं लगता है। इसलिए उन्होंने मुझे कुछ स्वीकारयोग्य प्रमाण यदि मिलते हैं तो ढूढकर आपको भेजने के लिए कहा है। इसलिये मुझे जो भी सामग्री मिली है उसके आधार पर आपको कुछ प्रमाण भेजने का प्रयास कर रहा हू। आप यदि इसका उत्तर महात्माजी को भेजते हैं तो उसकी प्रतिलिपि मुझे भी भेजने का कष्ट करें।

पहली बात तो यह है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय के लिए पूरे विश्व के किसी भी देश में आज की तरह निश्चित अधिकृत आकडों के रूप में जानकारी मिल ही नहीं सकती है। समय समय पर यदि इस प्रकार की जानकारी इकट्ठी करने का प्रचलन होता भी हो तो भी भारत में उस समय स्थिति इतनी अराजकतापूर्ण थी कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करना असभव था। महान अकबर के मत्री के अथक प्रयासों से उनके शासन में भारत का जो हिस्सा था उसकी ऐसी 'सूची' बनाई गई थी जिसे आईने अकबरी नाम से जाना जाता है। परन्तु वह ब्रिटिशों के आगमन से इतनी पहले बनी हुई थी कि उसका उल्लेख करने में मैं सकोच का अनुभव कर रहा हू। उसका उल्लेख न करने का दूसरा कारण यह है कि अधिकृत अहवालों में अतिशय चिकित्सक बुद्धिवाले पाठकों को हमेशा दोष दिखाई देते हैं। इसलिये इस प्रकार के मामलों में इस समय प्रमाणों के रूप में लोगों के मानस पर जो छाप अकित होती है उसका विचक्षण बुद्धि से निरीक्षण करनेवाले और उसके आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से निष्कर्षतक पहुचने वाले लोगों के अवलोकनों का ही स्वीकार करना पडता है। जो अच्छी स्थिति में नहीं हैं या जिनकी क्षमता नहीं है ऐसे निरीक्षकों के अभिप्राय विश्वसनीय नहीं हो सकते। कम्पनी के चार्टर के १७९३ १८१३ १८३३ और १८५३ के पुनर्नवीकरण के तहत समय समय पर जो ससदीय जाच की गई थी और इस विषय में जो सर्वेक्षण किये गये थे वे भी कुछ जानकारी दे सकते हैं परन्तु उसमें भी अपने ही प्रकार के कुछ दोष हैं जो मैं आगे बताऊँगा। अन्य आधिकारिक जाच अहवाल अथवा मान्य

अधिकारियों के अवलोकनों का उद्देश्य इस चर्चा से सम्बन्धित नहीं था इसलिये उनके शिक्षा विषयक चर्चा या अवलोकनों को प्रासंगिक ही मानना चाहिये। उनका उद्देश्य और प्रयोजन अलग ही थे इसलिये उन्होंने शिक्षा के सम्बन्धमे जो कुछ कहा होगा उसमें सहज रूप से ही दोष देंगे।

इस पत्र का तत्काल प्रयोजन दूसरा है। जिन प्रदेशों में ब्रिटिश शासन लागू हुआ उस समय प्रारम्भ में ही कुछ जांच की गई। क्या मैं उसका सन्दर्भ दे सकता हू ? कीर हार्डी के भारत विषयक ग्रन्थ में जिनका उल्लेख है ऐसे दो महानुभाव मैक्समूलर और इतिहासकार लुड्लो का प्रमाण के रूप में उल्लेख करना चाहूगा। ब्रिटिशरों के आगमन के पूर्व के बगाल की शिक्षा की स्थिति के विषय में सरकारी अभिलेख और मिशनरियों के अहवाल का आधार लेकर मैक्समूलर कहते हैं कि बगाल में उस समय ८० ००० विद्यालय थे या ४०० की जनसख्या पर एक विद्यालय था। 'ब्रिटिश भारत का इतिहास' में लुड्लो ने कहा है अपना पूर्व स्वरूप जिसने बनाए रखा है ऐसे प्रत्येक गाव में मुझे विश्वास है कि हर बालक लिखना पढना और गिनना जानता है परन्तु जहा हमने गाव की व्यवस्था को खदेड दिया है वहा गाव का विद्यालय भी अदृश्य हो गया है। (बासु, एज्यूकेशन इन इण्डिया अण्डर द ईस्ट इण्डिया कम्पनी पृ १८)

सन् १८१८ में पेशवाओं का पतन हुआ और मुम्बई ब्रिटिश आधिपत्य में गया। १८१९ *की बॉम्बे एज्यूकेशन* सोसाइटी *की* रिपोर्ट *कहती है 'यूरोपीय देशों की तरह ही* यहां सभी को पढना लिखना और हिसाब करना आता है। बाद के ही वर्ष का रिपोर्ट कहता है 'देशी लोगों के लिये विद्यालय होना सहज है ये विद्यालय सर्वत्र हैं। अप्रैल १८२१ में मुबई सरकार की एक्झीक्यूटीव काउन्सिल के सदस्य श्री प्रेण्डरगास्ट थाना या पनवेल तेहसील के दो अंग्रेजी विद्यालयो के आवेदन विषयक टिप्पणी में लिखते हैं

इस प्रातीय सभा का प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि इस प्रान्त में कहीं भी ऐसा छोटा *या बड़ा गाँव नहीं होगा जहाँ एक भी पाठशाला न हो। बल्कि बड़े गाँवों* में तो एक से अधिक पाठशालाएँ हैं और बड़े शहरों में तो प्रत्येक इलाके में पाठशालाएँ हैं। इन पाठशालाओं में वहाँ के निवासियों के बच्चों को लेखन पठन तथा अंकगणित की शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा पद्धति भी इतनी सस्ती है कि प्रत्येक माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने शिक्षक को प्रतिमास थोडा अनाज या एक आध रुपया देकर अपने बच्चे को अध्ययन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं यह शिक्षापद्धति इतनी अधिक आसान और प्रभावी है कि यहाँ का कोई भी किसान या छोटा व्यापारी ऐसा नहीं है जो अपना हिसाब ठीक से चौकसाई पूर्वक न लिख सकता

हो। ये लोग तो हमारे देश के इस स्तर के लोगों की अपेक्षा और भी अच्छी तरह से अपने हिसाब रख सकते हैं। जब कि यहाँ के बड़े व्यापारी और सराफ तो हमारे अंग्रेज व्यापारियों की तरह और भी सतर्कता से व चौकसाई से अपने हिसाब रखते हैं।

मैं मद्रास (चैन्नई) की बात बाद में करूंगा और उसके बाद आकड़े दूगा। यहा मैं सरकारी कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ लिटनर के पजाब की देशी शिक्षा पद्धति के रिपोर्ट की बात करूंगा। उनकी रिपोर्ट उन्होंने करवाये सर्वेक्षण पर आधारित है। १८८२ में इण्डियन एज्यूकेशन कमिटि को सरकार के शिक्षा निदेशक ने जो आकडे दिये थे और देशी विद्यालयों में पढे हुए लोगों की जो सख्या थी उनमें आश्चर्यकारक अन्तर था। इसलिये डॉ लिटनर ने सर्वेक्षण करवाया था। रिपोर्ट की प्रस्तावना में डॉ लिटनर लिखते हैं

विद्यार्थियों की सख्या कम से कम गणनानुसार ३ ३० ००० थी जो आज १ ९० ००० रह गई है। इन विद्यार्थियों को शाला में लिखना पढना और गणना सिखाया जाता था। अरबी और सस्कृत महाविद्यालयों में हजारों विद्यार्थी थे जहाँ पौर्वात्य साहित्य कानून तर्कशास्त्र दर्शन फारसी वैद्यक आदि विषय पढाये जाते थे और उनका स्तर काफी ऊँचा था।

मैं अब आपका ध्यान एक उत्कृष्ट अभिलेख की ओर आकर्षित करना चाहता हू। यह एक ६५० फोलिओ पृष्ठों का अभिलेख है। कमिटि की रिपोर्ट के लिये इण्डियन एज्यूकेशन कमिटि के अध्यक्ष डॉ सर विलियम हण्टर ने विशेष वृत्त तैयार किया है। उसमें उन्होंने दर्ज किया है कि डॉ लिटनर ने दिया हुआ १ २० ००० पजाब की छात्र सख्या का अनुमान कम है। उसमे १५ ००० और जोड़ने की आवश्यकता है। परन्तु सरकारी शिक्षाविभाग ने जो आकड़ा दिया है वह सही आकडे से ८० ००० कम है। यह इस बात का प्रमाण है कि उन दिनों की आकडे विषयक सरकारी जानकारी कितनी अधूरी अनिश्चित और अनधिकृत होती थी। लोग इस प्रकार की जानकारी को सहज अविश्वास से ही लेते थे और जहा और जिस प्रकार सभव होता था सही जानकारी देने के लिये प्रस्तुत ही नहीं होते थे। मैं आकडाकीय पुरावों का मूल्य कम नहीं आकता हू परन्तु मैं कहने को विवश हू कि ये केवल निरुपयोगी ही नहीं तो अनर्थक भी हैं। ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक दौर में जानकारी इकट्ठी करनेवाले अधिकारियों की समीझ और तालीम देखते हुए और उस समय की स्थिति का स्मरण करते हुए मुझे यही कहना पड़ता है।

अब मैं मद्रास (चैन्नई) की बात करूंगा। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना

हुई तब और आज भी साम्राज्य में बैम्बई सब से अधिक शिक्षित प्रान्त माना जाता है। १० मार्च १८२६ के (कॉमन्स रिपोर्ट १८३२ पृ ५०६) वृत्त में सर टॉमस मनरो दर्ज करते हैं कि जनसख्या का पुरुषों का ही हिस्सा और ५ से १० वर्ष की आयु के बच्चों को ही गणना में लिया जाए तो (कुल जनसख्या का एक नवमाश हिस्सा) विद्यालय में पढनेवाले बच्चों की सख्या ७ १३ ००० थी। मान्य विद्यालयों की वास्तविक छात्रसख्या १ ८४ १७० थी जो विद्यालय जानेवाली कुल छात्रसख्या की एक चौथाई से कुछ अधिक बैठती थी। सर टॉमस मनरो का अभिप्राय था कि सही अनुपात एक तृतीयाश होगा क्यों कि एक बहुत बडा हिस्सा घरों में निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त करता था जिसे गिनती में समाविष्ट नहीं किया गया था।

बगाल में (एडम का रिपोर्ट १९३८) ५ से १४ वर्ष आयु के बच्चों की सख्या ८७ ६२९ थी। इनमें ६ ७८६ मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढते थे जिनका प्रतिशत ७ ७ था। इनमें पुरुष स्त्री बालक बालिका सभी का समावेश होता है जब कि बैम्बई में केवल पुरुषों की सख्या ही मानी गई थी। उस आधार पर यह प्रतिशत आसानी से १५ तक बढेगा। इस गिनती को मानना चाहिये क्यों कि उस समय की स्थिति देखने पर ध्यान में आता है कि मान्यताप्राप्त सार्वजिक विद्यालयों में बालिकाएँ पढने के लिये नहीं जा सकती थीं। इसके अलावा विद्यालय जाने योग्य आयु के हिसाब से गिनने पर यह प्रतिशत और भी अधिक होगा। इसका कारण यह है कि उस समय अस्पृश्यों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अस्पृश्यों की सख्या भी कुल जनसख्या का बडा हिस्सा थी। अत उनको भी छोडने पर प्रतिशत बढना स्वाभाविक है।

सन् १८२६ में मुबई प्रेसीडेन्सी में कुल जनसख्या ४६ ८९ ७३५ दर्ज हुई थी। विद्यालयों की कुल छात्रसख्या ३५ १५३ थी। सर टॉमस मनरो के हिसाब से यदि एक नवमाश विद्यालय जाने योग्य बच्चों की सख्या मानी जाए तो वह ५ २० १९० होगी। यह ७ प्रतिशत हुआ। यदि केवल पुरुषों की गणना की जाय तो वह १४ प्रतिशत होगा। सन् १८४१ की प्रेसीडेन्सी के केवल नौ चयनित जिलों के रिपोर्ट में दर्ज सख्या से यह अनुपात बडा है।

वर्तमान और एक शतक पूर्व के तुलनात्मक आकडे उपयोगी रहेंगे। १९२१ में और १०० वर्ष पूर्व के विद्यालय जाने योग्य जनसख्या के प्रतिशत

	१०० वर्ष पूर्व	१९२१
मद्रास	४२ ५	३३
मुम्बई	४५ १	१४ (कुछ हिस्सों में अधिक २८)
कोलकता	३७ २	१६ (३२)

मैंने पहले ही कहा है कि इतने समय पूर्व के आकडे विश्वसनीय नहीं होते हैं क्यों कि (१) निजी तौर पर पढनेवाले छात्रों की सख्या उपलब्ध नहीं है (२) लोगों को जो अन्यायपूर्ण लगता था ऐसा कुछ भी उद्घाटित करना उन्हें ठीक नहीं लगता था (३) इस प्रकार की जानकारी एकत्रित करनेवाले लोग बहुत बुद्धिमान या क्षमतावान नहीं थे (४) जनसख्या का एक बडा हिस्सा इस गिनती से बाहर ही रखा गया था इसलिये केवल प्रतिशत कोई उपयोग के नहीं हैं। इस प्रकार की डॉ लिटनर द्वारा प्राप्त की गई जानकारी अधिक विश्वसनीय है और इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों की धारणा भी ऐसी ही है। ये लोग भी वे जहा काम करते थे वहा शिक्षा की स्थिति कैसी है उसकी जानकारी इसी प्रकार से भू राजस्व इकट्ठा करते समय प्राप्त करते थे। उनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा विषयक जानकारी प्राप्त करना नहीं होता था उससे सर्वथा भिन्न होता था। अत उनकी जानकारी भी उस समय की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकती थी।

विनीत
के टी शाह

* * *

५ इन्वरनेस गार्डन्स
विकारेज गेट लन्दन डब्ल्यू ८
९ मार्च १९३२

अेम के गाधी एस्क
यरवडा केन्द्रीय कारावास
पूणे भारत

प्रिय श्री गाधी

आपका १५ फरवरी का पत्र मुझे कल प्राप्त हुआ। धन्यवाद। आपका वादा निभाना आपके लिये कितना कठिन है मै समझ सकता हू। आपके पत्र के साथ ही मुझे प्रा के टी शाह का २० फरवरी का लम्बा पत्र भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह पत्र आपको ही भेजा होगा (और आपने मुझे)। उनके पत्र में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे कोई यह निश्चित कर सके कि विगत पचास वर्षो में शिक्षा की स्थिति प्रगति की ओर थी या अवनति की ओर। उसमे साक्षरता का कोई प्रतिशत नहीं है। मैं अभी दूसरे कामों में बहुत व्यस्त हू, परन्तु विगत सौ वर्षो में बगाल की शिक्षा की स्थिति के विषय में तीन लेखों की सामग्री मैंने सकलित की है। जब ये लेख तैयार हो जायेंगे तब

मैं उनकी प्रति आपको और प्रा के टी शाह को भेज दूगा। आज भी स्थिति यहीं पर स्थिर है कि आपने गत २० अक्टूबर को चैथम हाऊस में जो कहा था उसको प्रमाणित करने के लिये आपके पास कुछ नहीं है। मेरे लेखों में मैंने जो तथ्य दिये हैं वे आपको विश्वसनीय लगेंगे। प्रा शाह के पत्र के बाद भी उनमें कोई बदल नहीं हुआ है। प्रा शाह को मैंने उत्तर भेजा है उसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हू। साथ ही रॉयल ईन्स्टीटयूट के जर्नल के जनवरी के अक मे प्रकाशित १४ दिसम्बर के मेरे लेख की प्रति भी भेज रहा हूं।

शुभेच्छाओं के साथ।

आपका
फिलिप हार्टोग

* * *

५ इन्वरनेस गार्डन्स
लन्दन डब्ल्यू ८
१० मार्च १९३२

प्रा के टी शाह
४५ चौपाटी रोड
मुम्बई (७)

प्रिय प्रा शाह

आपके २० फरवरी के पत्र और आपने इस विषय में जो परिश्रम किया है उसके लिये धन्यवाद। उसी डाक में मुझे १५ फरवरी का महात्मा गाधी का पत्र भी मिला है और आपको लिखे इस पत्र की प्रतिलिपि मैं उनको भी भेज रहा हू। उनको लिखे पत्र की प्रतिलिपि और जनवरी १४ के 'इण्टरनेशनल अफेअर्स' (रॉयल इन्स्टीटयूट ऑव् इण्टरनेशनल अफेअर्स का जर्नल) के जनवरी के अक में प्रकाशित मेरे लेख की प्रति भी आपको भेज रहा हू।

आप जब ये अभिलेख पढ़ेंगे तब आपके ध्यान में आयेगा कि आप के पत्र में मैंने महात्मा गाधी को पूछे हुए प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें पूछा था कि गत पचास वर्षों में शिक्षा का ह्रास हुआ है ऐसा कहने के लिये उनके पास क्या प्रमाण हैं ? आप जिन प्रमाणों को उद्धृत कर रहे हैं वे हैं लिटनर परन्तु उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑव् इण्डिजीनस एज्यूकेशन इन पंजाब' १८८२ में प्रकाशित हुई थी अर्थात् ५० वर्ष पूर्व। और फिर आप के पत्र में प्रतिशत का तो कहीं पता ही नहीं है।

दूसरी ओर आपको लगता है कि विद्यालयों की सख्या प्रतिशत के लिये मार्गदर्शक सख्या है। मैं इसे स्वाभाविक मानता हू। परन्तु दूसरी ओर जनगणना के अनुसार भारत के विद्यालयों की सख्या साक्षरता की निदर्शक नहीं है। अभी अभी मैं जिसका अध्यक्ष था वह इण्डियन स्टेच्यूटरी कमिशन (भारतीय विधि आयोग) ने निर्देश दिया है कि १९१७ से १७२७ के दस वर्षों में बगाल में प्राथमिक विद्यालयों की सख्या में ११ ००० की वृद्धि हुई थी और छात्रसख्या ३ ७० ००० जितनी बढी थी जब कि चौथी कक्षा में वह ३० ००० जितनी कम हुई थी। अत आपके निष्कर्षों का मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्यों कि गत १०० वर्षों की बगाल की शिक्षा की स्थिति के विषय में अभी कोई चर्चा हुई नहीं है।

आप के पत्र का यह केवल प्राथमिक स्वरूप का उत्तर है। मैं आपको और महात्मा गाधी को आगे भी लिखने का विचार कर रहा हू।

विनीत

पी जे हार्टोग

* * *

२० मार्च १९३९

प्रिय श्री गाधी

आपको स्मरण होगा कि सात से भी अधिक वर्ष पूर्व आप जब इग्लैण्ड में गोल मेज परिषद के लिये आये थे तब भारत की शिक्षा की स्थिति के विषय में हमारी मैत्रीपूर्ण चर्चा हुई थी। चर्चा का कारण यह था कि आपने रोयल इन्स्टीटयूट की सभा में कहा था कि गत ५० या १०० वर्षों में भारत में शिक्षा का ह्रास हुआ था। आपको यह भी स्मरण होगा कि दिसम्बर १९३९ में आपके नाईट्सब्रिज के निवासस्थान पर मैंने आपकी भेंट की थी। आपने मुझसे वादा किया था कि यदि आपको विश्वास हो जाएगा कि आपके कथन के लिये कोई प्रमाण नहीं है तो आप उसे सार्वजनिक रूप में वापस लेंगे। आपने बाद में यरवडा जेल से भी मुझे इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था। मैं हमारे पूर्ण पत्रव्यवहार की फाईल की नकल आप को भेज रहा हू ताकि आपकी जानकारी हो जाए कि आप के अन्तिम १५ फरवरी १९३२ के पत्र और मेरे द्वारा ९ मार्च १९३२ को भेजे गये उसके उत्तर के बाद स्थिति क्या है।

मैं अन्य अति आवश्यक काम में पड गया था इसलिये मुझे समय नहीं था। परन्तु आपने तथा प्रा शाह ने जिन जिन अधिकारियों के प्रमाण प्रस्तुत किये थे उन सभी के ग्रन्थों का अध्ययन मैंने अभी अभी पूर्ण किया है और उसके निष्कर्ष तीन

लेखों में शब्दबद्ध किये हैं। उन लेखो को मेरी पुस्तक सम आस्पेक्ट्स ऑव् इण्डियन एज्यूकेशन पास्ट एण्ड प्रेझन्ट (Some Aspects of Indian Education Past and Present) में समाविष्ट किया गया है। मैं उसकी प्रति आपकी स्वीकृति की अपेक्षा से आपको भेज रहा हू। आप देखेंगे कि उसकी प्रस्तावना में मैंने हमारे विवाद का तो उल्लेख किया ही है साथ में आपकी वर्धा योजना का भी किया है क्यों कि मेरी उसमें गहरी रुचि है। आप यदि सारे लेख पढेंगे तो आपके ध्यान में आयेगा कि तथ्यों का पूरा पूरा विश्लेषण करने पर ऐसा कोई पुरावा नहीं मिलता है जो आपके कथन को प्रमाणित कर सके। इसलिये आपको २० अक्टूबर १९३१ का आपका वक्तव्य वापस लेने में अनौचित्य नहीं लगेगा। आपके १५ फरवरी १९३२ के पत्र मे आपने संकेत किया था कि आप और मैं दोनों ही सत्यान्वेषी हैं। मैं मेरी ओर से जोडना चाहूगा कि इसी के साथ हम दोनों भारतीय और ब्रिटिश लोगों के बीच सौहार्द स्थापित करने के मार्ग के अवरोध भी दूर करना चाहते हैं।

शुभेच्छाओं सहित

महात्मा गाधी आपका आज्ञाकित
आश्रम पी हार्टोग
वर्धा
मध्य प्रान्त भारत

पुनश्च मैं प्रा के टी शाह को भी मेरी पुस्तक की प्रति भेजना चाहता था परन्तु मेरे पास अभी उनका वर्तमान पता नहीं है। आप मुझे उनके विषय में बताने की कृपा करेंगे ?

पी जे एच

✿ ✿ ✿

प्राध्यापक के टी शाह २ मई १९३९
४५ चौपाटी रोड
मुबई (७)

प्रिय प्राध्यापक शाह

कुछ सप्ताह पूर्व मैंने ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तक सम आस्पेक्ट्स ऑव् इण्डियन एज्यूकेशन पास्ट एण्ड प्रेझण्ट (Some Aspects of Indian Education Past and Present) की प्रति भेजी थी। वह आपको

प्राप्त हुई होगी। उसी समय मैं आपको पत्र भी लिखना चाहता था परन्तु आत्यन्तिक व्यस्तता के कारण नहीं लिख सका।

आप देखेंगे कि पुस्तक में इन्स्टीटयूट ऑव् एज्यूकेशन में दिये गये पेईन लेक्चर्स नाम से तीन भाषण हैं। उसमें भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक और वास्तविक सामान्य समस्याओं की चर्चा की गई है। साथ ही चैथम हाऊस में महात्मा गाधीने विगत पचास या सौ वर्ष में भारत में शिक्षा की अवनति हुई है ऐसा कहा था उसको प्रमाणित करने के लिये महात्मा गाधी की सूचना से आपने जो पत्र भेजा था और जो तर्क और तथ्य प्रस्तुत किये थे उसकी विस्तार से चर्चा करनेवाले तीन आलेख भी हैं।

आपको स्मरण होगा कि आपके पत्र के मेरे १० मार्च १९३२ के उत्तर में मैंने लिखा था कि आपके पत्र में आपने विगत पचास वर्ष के प्रश्न को स्पर्श नहीं किया था इसलिये मैं आपके बगाल की शिक्षा के गत सौ वर्षों के इतिहास विषयक निष्कर्षों का स्वीकार नहीं कर सकता क्यों कि उसके विषय में तो बहुत कुछ कहना शेष है।

मैंने आपको आगे भी लिखने का वादा किया था परन्तु अन्य कामों के बोज के कारण मैं ऐतिहासिक तथ्यों की छानबीन करने के लिये समय ही नहीं निकाल सका इसलिये आपको पत्र नहीं लिख सका। वह सारी सामग्री इतनी अधिक थी कि उसके निष्कर्षों का समावेश पत्र में नहीं हो सकता था इसलिये अब उसे पुस्तक में निरूपित किया गया है।

विनीत

फिलिप हार्टोग

✲ ✲ ✲

गोपनीय

सर फिलिप हार्टोग को महात्मा गाधी के पत्र की प्रतिलिपि (१६ अगस्त १९३९ की डाक की मुहरवाले लिफाफे में भेजी हुई पत्र में लिखा दिनाक पढा नहीं जाता।)

प्रिय श्री फिलिप सेगाव वर्धा

ब्रिटिश पूर्व भारत के गावों की शिक्षा के विषय की छानबीन के प्रयास मैंने छोड नहीं दिये है। मैं कुछ शिक्षाविदो के साथ पत्रव्यवहार कर रहा हू। जिन्होंने भी मुझे उत्तर भेजे हैं वे मेरे अभिप्राय का समर्थन करते हैं परन्तु आप स्वीकार कर सकें ऐसे प्रमाण नहीं दे सकते हैं। आप उसे मेरा पूर्वाग्रह मानें या पूर्वज्ञान मैं अभी भी मेरे चैथम हाऊस के वक्तव्य पर टिका हुआ हू। मैं हरिजन' में हिचकिचाहट के साथ नहीं

लिखना चाहता। आप मुझसे केवल इतना ही लिखवाना नहीं चाहेंगे कि मेरे मानस में जो *प्रमाण था उसे आपने चुनौती दी थी। मैं आपको मोर्डन रिव्यू के* इससे सम्बन्धित एक लेख की प्रति भेज रहा हू। आपके पास समय है तो मैं आपके प्रतिभाव जानना चाहूगा।

विनीत

एम के गाधी

(टिप्पणी श्री गाधी द्वारा भेजी गई लेख की प्रति का मेरे अभिप्राय में पी जे एच के लिये कोई मूल्य नहीं था।)

* * *

महात्मा गाधी १० सितम्बर १९३९

सेगाव वर्धा

मध्य प्रान्त भारत

प्रिय श्री गाधी

आपके पत्र और मेरी पुस्तक विषयक टिप्पणी के लिये धन्यवाद।

मेरा काम का बोझ कुछ हल्का होते ही मैं इस विषय पर आपको लिखूगा। परन्तु 'टाईम्स' में प्रकाशित आपकी वायसरॉय के साथ भेंट में आपने इस युद्ध के विषय में जो अभिगम प्रदर्शित किया है उसके लिये आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित किये बिना नहीं रह सकता। मुझे विश्वास है कि इस कार्य में पूरे विश्वभर में अवस्थित मेरे सारे देशवासी भी मेरे साथ ही हैं।

मैं जानता हू कि युद्ध के लिये किसी भी रूप में सम्मति प्रदर्शित करनेवाला अभिप्राय देना आपको कितना कठिन लगा होगा। आपके जितना ही मैं भी युद्ध को धिक्कारता हू, परतु एक गुण्डे के हाथ से एक बालक को बचाने के लिये एक पुलिस हिंसा का आश्रय लेता है तो उसे उचित ही मानना पडेगा। पोलेण्ड की सहायता के लिये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स का युद्ध में शामिल होना मैं इसी प्रकार का कार्य मानता हू।

शुभेच्छाओं के साथ

आपका आज्ञाकारी

फिलिप हार्टोग

९ राजस्व से अनुदान प्राप्त तंजावुर के मंदिरों की सूची

क्रमांक ६ फसूली १२२२ में तंजावुर के मंदिरों को प्राप्त वार्षिक अनुदान

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि			क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
१	कुम्भेश्वर स्वामी	कुम्भकोणम्	१३४१	४	८	१९	हनुमत स्वामी	सम्कोटा	१३८	५	१६
२	नागेश्वर स्वामी		६६६	६	१६	२०	बाणपुरेश्वर स्वामी	कर्मतोराई	३३	५	१६
३	सोमेश्वर स्वामी		१००	६	१६	२१	त्रिपुरान्तक स्वामी	त्रिपुरम्	४८	३	६
४	कैलाहिठेश्वर स्वामी		१०	६	१६	२२	मर्चीश्वर स्वामी	दानकपुरम्	२४०	३	६
५	विश्वनाथ स्वामी		२२	२	२४	२३	साक्षकेश्वर स्वामी	साक्षित्तम्मकपुरम्	१५७५	३	६
६	गौतमेश्वर स्वामी		२२	५	२४	२४	महालिंग स्वामी	मुर्दअजनम्	३०००	३	६
७	पोक्करसिंग स्वामी		१८	५	२४	२५	बाणपुरेश्वर स्वामी	गोविन्दपुरम्	२४०	३	६
८	काशी विश्वनाथ स्वामी		१२५	५	२४	२६	वैंकटाचलपति स्वामी	गोविन्दपुरम्	१२०	३	६
९	अविमुक्तेश्वर स्वामी		१८	५	२४	२७	मान्नकनाथ स्वामी	त्रिनालपुरी	२४०	३	६
१०	सारनपाणि स्वामी		११२०	२	२४	२८	सज्जनेश्वर स्वामी	करावलि	१८	३	६
११	चक्रपाणि स्वामी		७६६	६	२०	२९	चम्पाहारेश्वर स्वामी	त्रिपुरम्	१०००	३	६
१२	रामस्वामी		६६६	६	२०	३०	नागानन्द स्वामी	ओप्पिलियप्पन	२९१	६	२०
१३	श्री नारायण पेरुमाल		२४०	६	२०	३१	वैंकटाचलपति स्वामी		१४४	९	२०
१४	कृष्ण स्वामी		३६	६	२०	३२	यदुअर्कनाथ स्वामी	कुतुरोईनुम्बूर	१८	९	२०
१५	हनुमत स्वामी		५०	६	२०	३३	सोमनाथ स्वामी	पुण्डरीकपुरम्	६	९	२०
१६	अमृतमटेश्वर स्वामी	तिरुकलस, नमोर	७७	८	२८	३४	राजगोपाल स्वामी		९	९	२०
१७	नन्दनाथ स्वामी	नन्दनम्	७७	८	२८	३५	राम स्वामी	अदुम्बार	५४	९	२०
१८	सबलनाथ स्वामी	किरपुरी	३६	५	१६	३६	वीलनाथ स्वामी	तिरुवलीनल्लूर	२२६	८	१४

लिखना चाहता। आप मुझसे केवल इतना ही लिखवाना नहीं चाहेंगे कि मेरे मानस में जो प्रमाण था उसे आपने चुनौती दी थी। मैं आपको मोर्डन रिव्यू के इससे सम्बन्धित एक लेख की प्रति भेज रहा हू। आपके पास समय है तो मैं आपके प्रतिभाव जानना चाहूगा।

विनीत

एम के गाधी

(टिप्पणी श्री गाधी द्वारा भेजी गई लेख की प्रति का मेरे अभिप्राय में पी जे एच के लिये कोई मूल्य नहीं था।)

* * *

महात्मा गाधी १० सितम्बर १९३९

सेगाव वर्धा

मध्य प्रान्त भारत

प्रिय श्री गाधी

आपके पत्र और मेरी पुस्तक विषयक टिप्पणी के लिये धन्यवाद।

मेरा काम का बोझ कुछ हल्का होते ही मैं इस विषय पर आपको लिखूंगा। परन्तु 'टाईम्स' में प्रकाशित आपकी वायसरॉय के साथ भेंट में आपने इस युद्ध के विषय मे जो अभिगम प्रदर्शित किया है उसके लिये आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित किये बिना नहीं रह सकता। मुझे विश्वास है कि इस कार्य में पूरे विश्वभर में अवस्थित मेरे सारे देशवासी भी मेरे साथ ही हैं।

मैं जानता हू कि युद्ध के लिये किसी भी रूप में सम्मति प्रदर्शित करनेवाला अभिप्राय देना आपको कितना कठिन लगा होगा। आपके जितना ही मैं भी युद्ध को धिक्कारता हू, परतु एक गुण्डे के हाथ से एक बालक को बचाने के लिये एक पुलिस हिंसा का आश्रय लेता है तो उसे उचित ही मानना पड़ेगा। पोलेण्ड की सहायता के लिये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स का युद्ध में शामिल होना मैं इसी प्रकार का कार्य मानता हू।

शुभेच्छाओं के साथ

आपका आज्ञाकारी

फिलिप हार्टोग

९ राजस्व से अनुदान प्राप्त तंजावुर के मंदिरों की सूची

क्रमांक ६ फसली १२२२ में तंजावुर के मंदिरों को प्राप्त वार्षिक अनुदान

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
१	कुम्भेश्वर स्वामी	कुम्भकोणम्	१३४९	४	८
२	नागेश्वर स्वामी		६६६	६	१६
३	सोमेश्वर स्वामी		१००	६	१६
४	कैलासेश्वर स्वामी		९०	६	१६
५	विश्वनाथ स्वामी		२२	२	२४
६	गौतमेश्वर स्वामी		२२	५	२४
७	पोन्नवर्लिंग स्वामी		१८	५	२४
८	काशी विश्वनाथ स्वामी		१२५	५	२४
९	अविमुक्तेश्वर स्वामी		१८	५	२४
१०	सारंगपाणि स्वामी		११२०	२	२४
११	चक्रपाणि स्वामी		७६६	६	२०
१२	रामस्वामी		६६६	६	२०
१३	श्री नारायण पेरुमाल		२७०	६	२०
१४	कृष्ण स्वामी		३६	६	२०
१५	हनुमन्त स्वामी		५०	६	२०
१६	वर्मुलिंगेश्वर स्वामी	तिरुवलम नागोर	७७	८	२८
१७	मन्दनाथ स्वामी	नन्दवनम्	७७	८	२८
१८	रत्नसनाथ स्वामी	तिरुपुर्वी	३६	५	१६
१९	हनुमन्त स्वामी	साकोटा	१३८	५	१६
२०	रामपुरेश्वर स्वामी	वर्मतोराई	३३	५	१६
२१	शिवगुरुनाथ स्वामी	शिवपुरम्	४८	३	६
२२	पक्षीश्वर स्वामी	दानकपुरम्	२४०	३	६
२३	साक्षकेश्वर स्वामी	साक्षिवरम्बकपुरम्	१५७५	३	६
२४	महालिंग स्वामी	मुर्दअजनम्	३०००	३	६
२५	रामपुरेश्वर स्वामी	गोविन्दपुरम्	२४०	३	६
२६	वैंकटाचलपति स्वामी	गोविन्दपुरम्	१२०	३	६
२७	मानकनाथ स्वामी	त्रिनालमुखी	२४०	३	६
२८	सन्नानेश्वर स्वामी	कारावति	१८	३	६
२९	कम्पहरेश्वर स्वामी	त्रिभुवनम्	१०००	३	६
३०	नागानन्द स्वामी	ओप्पिलियप्पन	२९१	६	२०
३१	वैंकटाचलपति स्वामी		१९४	९	२०
३२	मद्दुतार्जीनाथ स्वामी	कुतुरोईनम्बूर	१८	९	२०
३३	सोमनाथ स्वामी	पुण्डरीकपुरम्	६	९	२०
३४	राजगोपाल स्वामी		९	९	२०
३५	राम स्वामी	अदुम्बार	५४	९	२०
३६	वैलनाथ स्वामी	तिरुमलीनल्लूर	२२६	८	१४

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
३७	तृणपतेश्वर स्वामी	त्रिपासूरम	३८	५	१४
३८	पुष्पनाथ स्वामी	तिससारपुदी	२	५	१४
३९	अपयसेश्वर स्वामी	तुक्काची	३६	५	१४
४०	कोदण्डराम स्वामी		१८	५	१४
४१	मनोहर स्वामी	कुम्बासल	३६	५	१६
४२	कुदरसीदेश्वर स्वामी	कुवालम्	४६६	६	२०
४३	घोलेश्वर स्वामी		२४०	६	२०
४४	कंकालेश्वर स्वामी		१२	६	२०
४५	पुष्पपुर स्वामी		६	६	२०
४६	समरथेश्वर स्वामी		१	५	२०
४७	काशी विश्वनाथेश्वर स्वामी		४	२	२०
४८	आदिकेश्वर पेरुमाल	"	२५	५	२०
४९	सोमनाथ स्वामी	तिरुमंगचारनी	१८	५	२०
५०	वरदराज पेरुमाल		२८	१	१६
५१	विश्वनाथ स्वामी	सारपुदी	१८	१	१६
५२	तिरुमूलनाथ स्वामी	पोसारपुम	१५	१	१६
५३	सुन्देश्वर स्वामी	नाईकोप्पन पादी	१५	१	१६
५४	वैंकटाचलपति स्वामी	"	७	५	१६
५५	ब्रह्मपुरेश्वर स्वामी	आयप्पपुरम्	३०	५	१६
५६	चम्पकेश्वर स्वामी	पोलनीलपम्	७	५	१६
५७	वरदराज पेरुमाल	कुम्बनलपुदी	७५	५	१६
५८	सुन्दरेश्वर स्वामी	"	७३	५	१६
५९	सिंगारवेलुल पिल्लियार	कारकसन पुदी	९	५	१६
६०	कूलनपुरेश्वर स्वामी	मुनेमाडी	३०	५	१६
६१	नागनाथ स्वामी	तिरुचित्रकूटलम्	९	९	२५
६२	सन्नायेश्वर स्वामी	विरुवापुपुर	७५	९	२४
६३	विश्वनाथ स्वामी	विरुदोणनेपोर	१८	९	२४
६४	वरदराज पेरुमाल	पूपापुडी	१८	९	२४
६५	विश्वनाथ स्वामी	सारलपुडी	१	५	२४
६६	नीलकंठेश्वर स्वामी	कोविलडी	७५	५	२४
६७	कैलासनाथ स्वामी	पुरुमंगलम्	१२	५	२४
६८	जम्बूनाथ स्वामी	वायेल	५	४	२४
६९	उमामहेश्वर स्वामी	त्रिनालम्	३७	३	१२
७०	वीरतम्बेश्वर स्वामी	वीरटकम्	१८	३	१२
७१	पशुपतेश्वर स्वामी	पन्दानल्लूर	६६६	६	२०
७२	आदिकेश्वर पेरुमाल		१४४	६	२०
७३	हनुमन्त स्वामी		१८	६	२०
७४	पिल्लियार		१८	६	२०
७५	विश्वनाथ स्वामी		७	५	२०
७६	ब्रह्मपुरेश्वर स्वामी	वारासोट्टी	३५	६	१६
७७	वैंकटाचलपति स्वामी	कामनूर	३	६	१६
७८	कुलसेश्वर स्वामी	कमनूर	२	६	१६
७९	सुन्दरेश्वर स्वामी	त्रिलोकी	१३	५	१६
८०	वीरम्दनारायण पेरुमाल		२०	५	१६

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
८१	पसनाथ स्वामी	तिरुवायाडी	१४९	८	१६
८२	कोदण्डराम स्वामी	कोरोवी	६२	१	१६
८३	अमृतघटेश्वर स्वामी		५	१	१६
८४	वसलामपेश्वर स्वामी	कोरुक्कादूर	५	१	१६
८५	कोरुक्कादूर पेरुमाल		५	१	१६
८६	अगस्तीश्वर स्वामी	मेलकदूर	१०	१	१६
८७	वेंकटाचलपति पेरुमल		११०	१	१६
८८	धर्मपुरेश्वर स्वामी	धर्मपुरम्	६०	१	१६
८९	सुब्रह्मण्य स्वामी	गोविन्दनाथ चेरी	३	१	१६
९०	वेंकटाचलपति स्वामी	तिरुवमनेमोर	१२	५	१६
९१	अरुणजटेश्वर स्वामी	तिरुपनेन्दाल	५३३	३	८
९२	सामप्रिस्प्रिय स्वामी	सैमानामूर	१४	३	८
९३	पंचवर्णेश्वर स्वामी	मानेकुडी	३०	३	८
९४	प्रणवादपनाथ स्वामी	प्रणवदनलम्	२२०	३	८
९५	वायुपुरेश्वर स्वामी	त्रिकालतुरा	९	३	८
९६	आत्मयनाथ स्वामी	त्रिमाण्डेरो	१०	३	८
९७	स्वर्णनारायण स्वामी	सुरिनरकोविल	२२८	६	२०
९८	यदनकोटेश्वर स्वामी		९	६	२०
९९	त्रिपुरम्भ पेरुमाल	त्रिपुरम्भ पेरुमाल कोविल	३	९	२०
१००	कर्मादेश्वर स्वामी	कर्मदारपुर	३०	९	२०
१०१	कैलासनाथेश्वर स्वामी	असूर	५०	९	२०
१०२	वरदराज पेरुमाल		५८	९	२०
१०३	आत्रेश्वर स्वामी	कुंजनूर	२१६	९	२०
१०४	कोदण्डराम स्वामी		९०	९	२०
१०५	विश्वनाथ स्वामी		१८	९	२०
१०६	त्रिकालेश्वर स्वामी	त्रिकुटकोमल	४७	५	२०
१०७	सुन्दरेश्वर स्वामी	नाममगलम्	१२	५	२०
१०८	भद्रकाली	कान्देयूर	१८	५	२०
१०९	विश्वनाथ स्वामी	वालूर	७	२	२०
११०	वाजयोलेश्वर स्वामी	कुवनूर	४	६	२०
१११	कैलासनाथ स्वामी	कोश्रियालम्	२	४	२०
११२	ब्रह्मपूरेश्वर स्वामी	नाकवाडी	६	७	१६
११३	कैलासनाथ स्वामी		२	१	२४
११४	विश्वनाथ स्वामी	अम्माकुडी	१०७	५	२४
११५	गोपुरेश्वर स्वामी	तिरुकोलम्बीयम्	२	१	२४
११६	कामस्वामी	रामेश्वरपुरम्	४८०	५	२४
११७	बुद्धेश्वर स्वामी	दारुमी	१९	१	२४
११८	तोटकेश्वर स्वामी	नैनासील	१	१	२४
११९	सुन्दरेश्वर स्वामी	देवस्थान पापुपुर	२६६	५	२४
१२०	वेंकटाचलपति स्वामी		१८	५	२४
१२१	कैलासनाथ स्वामी	सोलवनम्	९७	५	२४
१२२	वेंकटाचलपति स्वामी		१३	५	२४
१२३	नामनाथेश्वर स्वामी	मानमवाडी	९	५	२४
१२४	सुन्दरराज पेरुमल	कादयमाराडी	१०६	६	२०

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
१२५	रामस्वामी	कलंम्	४८	६	२०
१२६	चन्द्रशेखर स्वामी	चन्द्रशेखरपुरम्	३६	६	२०
१२७	कृष्णस्वामी	त्रिचिर	२४	६	२०
१२८	सारनाथ स्वामी		३००	५	२०
१२९	वैद्यनाथ स्वामी	तिरुमाविपुरम्	३६	५	२०
१३०	वरदराज पेरुमल	"	३३	२	१६
१३१	कैलासनाथ स्वामी	कैलासनाथ कुडी	८	५	१६
१३२	कल्याणम पेरुमल	नुकियामर कोविल	३७	६	२८
१३३	आपत्सम स्वामी	आलनकुडी	३३	२	८
१३४	कुडुमेश्वर स्वामी	सिम्मापुरम्	४	५	८
१३५	कैलासनाथ स्वामी	चोम	१४	५	४
१३६	जम्बुनाथ स्वामी	कूडूर	१४	६	१२
१३७	बिल्वनाथ स्वामी	तिरुक्कुनुर	३६	६	१२
१३८	पराशलेश्वर स्वामी	कल्मार मंगलम्	३३	६	१२
१३९	वरदराज पेरुमल		४	६	२८
१४०	पारकोटेश्वर स्वामी	आरापूर	१८	६	२८
१४१	शक्तिनन्दी स्वामी	मधुपुर	९	६	२४
१४२	परमेश्वर स्वामी	नल्लूर	१८	६	२४
१४३	पुष्पेश्वर स्वामी	तिरुमंगलम्	३३	२	४
१४४	जम्बुनाथ स्वामी	जम्बन कोविल	५६	६	८
१४५	मायावरनाथ स्वामी	मायावरम्	१७२५	६	८
१४६	सुब्रह्मण्य स्वामी		५२५	६	८
१४७	पाठोरा विश्वनाथ स्वामी	मायावरम्	१८	९	८
१४८	टोरायकुरुमूर	वलनापुर	१००	९	८
१४९	वरदराज पेरुमल	"	४०	९	८
१५०	सौम्यनाथ स्वामी	सौम्यपरम् कोविल	१४	३	१६
१५१	अग्नीश्वर स्वामी	कैलवनूर	४०	३	१६
१५२	सौम्यनाथ स्वामी	सौम्यवसन देयार	४	३	१६
१५३	विराटेश्वर स्वामी	वसूर	१५०	३	१६
१५४	मार्कण्डेय ईश्वर	मधुनूर	३६	३	१६
१५५	आपन ईश्वर	आलनकूट	४	३	१६
१५६	सुब्रह्मण्य	पचमूर	७५	३	१६
१५७	कन्दीश्वर	देवस्थान परैनारी	३०	३	१६
१५८	रामस्वामी	तिरुवासनकुडी	७५	३	१६
१५९	चोलेश्वर		१८	३	१६
१६०	गोपालकृष्ण स्वामी	विवासन कुडी	१८	३	१६
१६१	सोमसुन्दरनाथ पुरेश्वर	कोसेयम पेठ	२	७	१६
१६२	वरदराज पेरुमल	"	७	४	१६
१६३	रत्नाम स्वामी	तिरुकुन्दूर	८३३	३	२०
१६४	राम स्वामी		२४०	३	२०
१६५	रामलीश्वर पेरुमाल	"	२९	२	१६
१६६	सुन्दरेश्वर	पालारेमीमीढ़	११	५	४
१६७	सोमनाथेश्वर	मीमूर	३२	५	४
१६८	सुन्दरेश्वर	मनकोडी	१०	८	४

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
१६९	सप्तपुरीश्वर	कोरेम कम्पडुन पाट्य	२२	५	४
१७०	वाल्नेश्वर	कमार कोविल	२५०	५	४
१७१	कैलासनाथेश्वर	सोरसापक्कन्नेमूर	२	७	१६
१७२	नामनाथेश्वर	पेमाकोडी	१७	२	१६
१७३	कैलासनाथेश्वर	कन्दनम्म	१२०	२	१६
१७४	भूलोकनाथेश्वर	त्रिमंगलम् कोविल पट्ट	२१	४	२२
१७५	सोम त्रिलोकनाथेश्वर	मनकोडी	५	९	२४
१७६	ताम्मनेश्वर	सोलमपाद	१२	५	२४
१७७	अतसिनाथेश्वर		१८	५	२४
१७८	श्रीनिवास पेरुमल		४	५	२४
१७९	तुलनेश्वर स्वामी	तिरुमंगल कोविलपुट	३४	५	१४
१८०	मुल्लनेश्वर स्वामी	तिरुमंगल	१२	५	१४
१८१	मानसालेश्वर	तिरुवासकोडी	९०	५	१४
१८२	कैलासनाथेश्वर	मुलन मुडी	२	९	८
१८३	वरदराज पेरुमल		२	९	८
१८४	विरटेश्वर	कुलम कोविलपुट	९०	९	८
१८५	मुकेश्वर	करम्बे	९५	९	८
१८६	अयप्पमा ईश्वर	अभेपुर	६०	९	८
१८७	कुट्टमुलम ईश्वर	तसनावर	६०	९	८
१८८	कैलासनाथेश्वर	पसवान्नवार	७	२	२८
१८९	वैकटाचलपति स्वामी		७	२	२८
१९०	पसुपतनाथ स्वामी	तिरुवापुमुर	१८०	२	२८
१९१	नामानन्द स्वामी	नागमम्मन कोविलपुट	१	२	२८
१९२	पेलम्मा देवी	मुलिकम नामूर	२३	७	२४
१९३	सूरपारेश्वर	सेम्बार कोविलपुट	३३	७	२४
१९४	कुमारस्वामी	महाराजपुरम्	३	७	२४
१९५	विरटेश्वर	पारसेमुर	४७	५	३०
१९६	अग्नीश्वर	नुभाम	३८	५	१६
१९७	मुरनेश्वर	एलपयोर	२	५	१६
१९८	कस्तूरी कंन पेरुमाल	पेरुमाल कोविलपुर	२६	२	२८
१९९	सोमनाथ स्वामी	कुलुनमोल कुडी	३	२	८
२००	अमूर्तमटेश्वर	त्रिकाइयूर	११५७	८	१५
२०१	अमूर्तनारायण पेरुमाल		३८	८	२४
२०२	स्वयम्भुनाथ स्वामी	प्रालकुट्टसी	४५०	८	२४
२०३	वरदराज पेरुमाल	कुट्टन मुडी	१	९	२८
२०४	विश्वनाथेश्वर	अलमोपिपिनिमपट्ट	१	९	२८
२०५	पर्वतेश्वर	अवनमुडी	६०	१	२२
२०६	केसव पेरुमास		४	५	२२
२०७	त्रिमक नाथेश्वर	त्रिसरपूर	२९६	५	२२
२०८	अमरेश्वर स्वामी		२७	९	३०
२०९	मामलीश्वर	मानमुडी कुडी	९	९	३०
२१०	शिवपुरनाथेश्वर	कीलमूर	२४०	९	३०
२११	श्रीपाराममुद्र पेरुमाल	सारापोलियूर	१८८	७	३०
२१२	पासवरदेश्वर		१	९	२८

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
२१३	कैलासनाथेश्वर	कैलासनाथ कळक्कुडी	१५	९	२८
२१४	नीलमणालेश्वर	नूतनोमम्	७	५	२८
२१५	फणीश्वर	त्रिकोडरम्	१५	५	२८
२१६	सुब्रमणेश्वर	कोविल कन्दनकुडी	२४	९	३०
२१७	नागनाथेश्वर	मरामुडी	१५	४	२८
२१८	अमृतकेश्वर	वारवेडी	१	८	३०
२१९	त्रिपुरलोकनाथेश्वर	कुडुमाडी	११	८	४
२२०	आदित्येश्वर	पासेमूर	७	८	४
२२१	ब्रह्मपुरेश्वर	पोसमुडीकोविल	२	५	४
२२२	विपुरव्य पेरुमाल	कील वदनीन मुडी	१५	५	४
२२३	ब्रह्मपुरेश्वर	अम्पूत	११०	५	४
२२४	विपुरव्य पेरुमाल	"	१८	५	४
२२५	मामलेश्वर	कोविलसरोमासम्	२४०	५	४
२२६	हौसिराज पेरुमाल	त्रिविनमपुरम्	११२५	५	४
२२७	अग्नीश्वर स्वामी	तिपुरुनूर	१०२०	५	४
२२८	उत्तरापति ईश्वर	विनिकेन कटेन मुडी	५३३	३	८
२२९	रामनाथ स्वामी	रामनाथ मुडी	२०	३	८
२३०	त्रिलपुसुन्दर ईश्वर	वामनमुडी	४	५	८
२३१	सोमनाथेश्वर	कन्तरायम	३	६	८
२३२	सप्तपुरेश्वर	तिरुमानकम	१३३	३	१४
२३३	सुवर्णपुरेश्वर	तिरुवल्ला	३०	३	१४
२३४	ज्ञानन्देश्वर	अनन्तपोर	२	५	१४
२३५	कल्याणेश्वर	कन्दुमपासुपोर	२०	५	१४
२३६	वरदसुन्दर पेरुमाल		३	५	१४
२३७	पानसामेर ईश्वर	कोणवमा	८	२	१४
२३८	रामस्वामी		४	८	१४
२३९	अमनाथेश्वर	कोन्डापुम	९	८	१४
२४०	सोमकुटेश्वर	तिरुपातु तुरी	४१६	६	२८
२४१	विश्वनाथ स्वामी	सुरव कुम्बम	२५	६	४
२४२	वासरेश्वर	तिरुवासुगाड	८२	५	४
२४३	स्वयम्भुनाथेश्वर	नरसिंहमठ	९	५	४
२४४	पशुपतेश्वर	मनापुर	२०	५	४
२४५	वटपुरेश्वर	तत्तुन्दर ईस्त कोविलपुट	१०	५	४
२४६	आर्नव पेरुमाल	पाळ्मल कोविल पुट	८५	५	४
२४७	गोविन्दराज पेरुमाल	तरवन्केट	१८	५	४
२४८	मनेश्वर	तिरुमननम	३६	५	४
२४९	शिवासेश्वर	मरतमुडी	१०	५	४
२५०	फणीश्वर		३६	५	४
२५१	अमनाथेश्वर	नगरतनपुरम्	३६	२	४
२५२	सदुनाथेश्वर	वैसाय	११५३	१	८
२५३	नागेश्वर	सम्बनमुडी	१	१	८
२५४	वसावदे नागेश्वर	तिरुमारानापुर	१	१	८
२५५	वागेश्वर	वैसीनपदंमम	२	५	८
२५६	लक्ष्मीनारायण पेरुमाल	सेतुरामपुरम्	३	७	८

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
२५७	तेनल कोटेश्वर	तेन्नल कुडी	२	५	८
२५८	कैलासनाथेश्वर	कवीश्वरवेश्वर पिल्ले कुडी	६	५	८
२५९	मनुतासीश्वर	नन्नासंमार	१	५	८
२६०	विश्वनाथेश्वर	वारसुर	१	५	८
२६१	लक्ष्मीनारायण पेरुमाल		२	५	८
२६२	कैलासनाथेश्वर	सिखिया कुडी	२	४	८
२६३	वरदराज पेरुमाल	सिखिया कुडी	१	६	८
२६४	सुन्दरेश्वर स्वामी	त्रिमालंकी	२२५	६	८
२६५	अपसहाय ईश्वर	सौम्यन	३	६	८
२६६	तिरुवालमुडियार ईश्वर	पुटके	५०	६	८
२६७	वटपुरेश्वर	वटमन्दन कुडी	१	८	८
२६८	मक्कर पालेश्वर	केम्टनायार कोविल पुट	३	८	८
२६९	वासपुरेश्वर	कोविल त्रिकोणक	७	५	८
२७०	वासमदनाथेश्वर	कोम्मासोरा कोरमांगुर	९	५	८
२७१	ठेंये रामस्वामी	रामरसोविल	२२०	५	८
२७२	रामस्वामी		८०	५	८
२७३	अगस्त्येश्वर	आलन्जरी	९	५	८
२७४	कुम्भलिंगयेश्वर	माल त्रिकोलक	९	८	८
२७५	मादलेश्वर	मादलयसूर	१८	८	८
२७६	रघुनाथ स्वामी	पादरम्	११२	५	८
२७७	पम्प परमेश्वर	आपर कोविल	९	८	८
२७८	विश्वलोकनाथेश्वर	तिरपुर	१२५	८	८
२७९	तिरुमेनियसपुर	मानेपलम	५	८	८
२८०	मिथुनारदनाथ स्वामी	वसूर	४०५०	८	८
२८१	पारम्डेश्वर	पाकुसूला	४	८	८
२८२	एकनाथ स्वामी	योगेश्वरम्	६	५	८
२८३	ब्रह्मपुरेश्वर	कुन्दुर	३	५	८
२८४	सप्तमीश्वर	प्रेमनाथ्येर	१५	५	८
२८५	कन्नारमुडियार ईश्वर	कोरोयान कुडी	४	५	८
२८६	कृष्णस्वामी	मोरदूर	३	५	८
२८७	लक्ष्मीनारायण पेरुमाल	कवनागुर	२	५	८
२८८	कमुनारदेश्वर	कीसागुर	१८	५	८
२८९	पोससेश्वर		१	५	८
२९०	स्वगुरुम्प स्वामी	त्रैवेनकाद	१६२८	६	१६
२९१	अरुणेश्वर स्वामी	तिरुवकडुपाली	५	९	१६
२९२	रामस्वामी		६	१	१६
२९३	गोपालस्वामी	कमलम वाडी	२१	२	१६
२९४	पारतस्वरद पेरुमल	प्रार्थमपाली	१२	५	१६
२९५	नरसिंह पेरुमाल	मवमदम	३५	५	१६
२९६	पर्वतेश्वर	परितोटम	१२	५	१६
२९७	आदिकेशव पेरुमाल	परेसोटोकुम	७	५	१६
२९८	छायवामेश्वर पेरुमाल	छयावनम्	५०	५	१६
२९९	पाक्वनेश्वर	मसपूर	१२	५	१६
३००	कुमारस्वामी		४	५	१६

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
३०१	त्रिविक्रमपुम स्वामी	मतमूर	४	५	१६
३०२	पुधि अय्यर स्वामी		२	५	१६
३०३	राजनारायण पेरुमाल		६	५	१६
३०४	रामन्द पेरुमाल	"	३	५	१६
३०५	अगस्तीश्वर	कीलमूर	३	५	१६
३०६	वासवनेश्वर	"	२	५	१६
३०७	लक्ष्मीनारायण पेरुमाल	"	१	५	१६
३०८	श्री कामेश्वर	मूरथनम् कोविलपुर	१७	५	१६
३०९	विरनाथ पेरुमाल	कन्दाम ग्राम	२५	५	१६
३१०	मनीश्वर	पुन्डा	१५	५	१६
३११	नारायण स्वामी	कीलनापुर	१२	५	१६
३१२	पुरुषोत्तम स्वामी	"	१६२	५	१६
३१३	पल्लीकोंड पेरुमाल	"	७५	५	१६
३१४	अविरुन्दनाथ स्वामी		२४	५	१६
३१५	सम्पत नारायण पेरुमाल		२५	५	१६
३१६	वरदराज पेरुमाल	"	१०	५	१६
३१७	पुरुष कुहर पेरुमाल		३७	५	१६
३१८	मनीश्वर	"	८	५	१६
३१९	भवन पिनियार	"	३	५	१६
३२०	कुम्भस्वामी	मतलापुर	६	२	१६
३२१	मानमाथ स्वामी	सम्परकनाथ पेतुन पाडी	१८	२	१६
३२२	अय्य पेरुमाल	मतलाम्ब	७८	५	१६
३२३	माधव पेरुमाल	कीलअसा	१३०	५	१६
३२४	तिरुमेप्पकरर	त्रिनेरी	३३७	५	१६
३२५	नरसिंह पेरुमाल	सेकलीमैस पाडी	२	५	१६
३२६	कम्बरनाथ स्वामी	बिजुपुलम	२	५	१६
३२७	नरसिंह पेरुमाल	कोरकुतुर	२	५	१६
३२८	मार्कंडेश्वर	मूरमले	५	७	४
३२९	ब्रह्मपुरेश्वर	तिरुमनलोक	४७	५	३०
३३०	अमुकेश्वर	पिनापेरुमनमूर	३	५	३०
३३१	कोटरपटेश्वर	वालम पानेसुर	२	५	३०
३३२	राजगोपाल स्वामि	"	७०	५	३०
३३३	आमेश्वर	पामालवी	२	५	३०
३३४	सुब्रह्मण्य स्वामी	तिरुमारे कोरुत्ती	१२५	५	३०
३३५	वरदराज पेरुमाल		१८	५	३०
३३६	धर्मेश्वर	मूरलूर	३	५	३०
३३७	तांम्नेश्वर	आमूर	२१	४	६
३३८	राजगोपाल स्वामी		४०	४	१७
३३९	नागनाथ स्वामी	प्रकासपर्वी	४५	४	१७
३४०	निष्पेपुमार स्वामी	साकूर	२५	४	१७
३४१	दर्पनेश्वर	त्रिनासम्	११००	४	१७
३४२	मलनारायण पेरुमाल		१७	४	१७
३४३	त्रिलोकनाथ स्वामी	कुमन्नूर	१६	४	१७
३४४	अगस्तीश्वर	वेसूर	१७	४	१७

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
३४५	कक्कोश्वर	कक्कोमती	३	६	१७
३४६	वीसनाथ स्वामी	वलुदेपोर	१२	६	१७
३४७	पुण्डरीक पेरुमल		८	४	१७
३४८	ताम्नेश्वर	नसुमसुम	२४	४	१७
३४९	चोहरेश्वर	तैनानगुधी	२०	४	१७
३५०	मार्गेश्वर	मारियार	२८	४	१७
३५१	स्कसुन्दरेश्वर	कोथिमपुरसतूर	३६	४	१७
३५२	मास्नाथ स्वामी	यलयनगुधी	१६	४	१७
३५३	सिद्धेश्वर	सैपूर	१२०	४	१७
३५४	राजगोपाल स्वामी		६०	४	१७
३५५	ताम्नेश्वर	नाम्नतोड	३६	४	१७
३५६	कैलासनाथ स्वामी	पोरम्पालुम	१८	४	१७
३५७	व्यास्येश्वर	परम्बागराम	६०	४	१७
३५८	नागनाथ स्वामी	कसुगुडी	३६	४	१७
३५९	वरदराज पेरुमाल	वराहगुडी	१२	४	१७
३६०	शिव मनेश्वर	विल्वगुडी	३६	४	१७
३६१	सीतानाथ स्वामी	पोक्म	६	४	१७
३६२	मूलनाथ स्वामी	त्रिमारवासल	१२५	४	१७
३६३	वरदराज पेरुमाल		१०	४	१७
३६४	राजगोपाल स्वामी	मन्नार गुडी	३३१३	३	१०
३६५	तुलसेश्वर वडियार		४	८	१०
३६६	नीलकंठेश्वर		४	८	१०
३६७	पाकनाथ स्वामी	मन्नार गुडी	५	१	१०
३६८	जयमकोंडनाथ स्वामी	सिंगनार कोविल	१२०	१	१०
३६९	नागनाथ स्वामी	पामनी	१२०	१	१०
३७०	कैलासनाथ स्वामी	कैलासनाथ कोविल	३५	१	१०
३७१	सोमनाथ स्वामी	सापोलम	१	२	१०
३७२	सप्ततेपोरवार स्वामी	त्रिचिरमुपुम	६	२	१०
३७३	अभाम्लनाथ स्वामी	अभाम्लनाथ कोविल	३०	२	१०
३७४	वेपेश्वर उर्दैयार	सर्पमलम्	५	२	१०
३७५	मधुरम मनमूरेश्वर	पुवमूर	१४०	२	१
३७६	वरदराज पेरुमाल		१०४	२	१
३७७	करपन सिर्मैयार	नरसिंगमगलम्	१	८	१
३७८	रामनाथ स्वामी	ठोगी	६	८	१
३७९	अमस्तीश्वर	कोय्यावारी	३	८	१
३८०	कैलासनाथ स्वामी	कीलपूर	२	२	१६
३८१	विश्वनाथ स्वामी		३	७	१६
३८२	वरदराज स्वामी	केयेमूर	३	१	८
३८३	चन्द्रनाथ स्वामी	तिरुमकोटनमूर	१८	१	८
३८४	अमरव्येश्वर स्वामी	कुड्याल	१५	१	८
३८५	रामस्वामी	रामनाथपुरम्	६	२	१६
३८६	सम्पुरेश्वर स्वामी	नटसंग गुडी	५	७	१६
३८७	वालमुनाथ स्वामी	असगीनाथ कोविल	७	७	१६
३८८	अमस्तीश्वर स्वामी	असमनन्दन कोविल	५	७	१६

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	पत्ति		
३८९	सत्यनारायण स्वामी	अलवान्दन कोविल	५	७	१६
३९०	विश्वनाथ स्वामी	अळवोपे	७	५	१६
३९१	लक्ष्मीनारायण पेरुमाल	मुकुन्द	९	५	१६
३९२	वरदराज पेरुमाल	सीकूवेरी	३	५	१६
३९३	त्रिनेश्वर स्वामी	सुन्दरकुडी	२	२	१६
३९४	मधुकेन्द्रेश्वर स्वामी	कोविलकुड	६	२	१६
३९५	विश्वनाथ स्वामी	विश्वनाथ कोविल	५	२	१६
३९६	सोमनेश्वर स्वामी	पुष्पसर	२	५	१६
३९७	पोक्कय स्वामी	सीतामपुर	३०	५	१६
३९८	रंगनाथ स्वामी		११	५	१६
३९९	एकम गोवत्सेश्वर स्वामी	पेरुमकुम	३६०	५	१६
४००	वेंकटाचलपति स्वामी	पेरुमकुम	३६०	५	१६
४०१	कैलासनाथ स्वामी	चेय्यर	७	५	१६
४०२	कैलासनाथ स्वामी	एलापुर मुंडी	१८	५	१६
४०३	त्यागराज स्वामी	त्रिवारर	५०५०	५	१६
४०४	कन्दरम		२६	७	१६
४०५	परिकृषकहीश्वर		१८	७	१६
४०६	वीरवर्धन ईश्वर		३०	७	१६
४०७	कर्पूर कुटि ईश्वर	"	६	७	१६
४०८	तिरुपतिकुडी	"	२०	७	१६
४०९	कमलाक्ष अम्मन		१७	५	१६
४१०	मन्दकमार ईश्वर	"	९	५	१६
४११	विश्वनाथ स्वामी	त्रिवारर	३	५	१६
४१२	वगीश्वर स्वामी		१८	५	१६
४१३	विश्वनाथ स्वामी	"	१८	५	१६
४१४	विश्वनाथ स्वामी	तेंकरा	१८	५	१६
४१५	सुब्रह्मण्य स्वामी	"	६	५	१६
४१६	विश्वनाथ स्वामी		९	५	१६
४१७	वेलिय पिल्लैयार	तेंकरा	३	५	१६
४१८	तुकेनार स्वामी		२७	५	१६
४१९	विरुपाक्षेश्वर स्वामी		३	२	१६
४२०	प्रताप विश्वनाथ स्वामी		१८०	२	१६
४२१	तारकी कैलासनाथ स्वामी		३	२	१६
४२२	विश्वनाथ स्वामी	रामनाथ	२८८	२	१६
४२३	रामस्वामी	रामनाथ	२५२	२	१६
४२४	अमकुकेश्वर स्वामी	मस्दन पदा	१२	२	१६
४२५	रन्नाबाई	विजयपुरम्	१८०	२	१६
४२६	तिरुमानसारी स्वामी		६	२	१६
४२७	आनन्द पिल्लैयार		१	५	१६
४२८	कपालेश्वर	"	१	५	१६
४२९	त्रिनेश्वर	पिमलरपु	६	५	१६
४३०	कैलासनाथेश्वर स्वामी	पलवन कोडी	१२	५	१६
४३१	लक्ष्मीनारायण पेरुमाल	रघुनाथ पुरम	६	५	१६
४३२	कल्वीरनाथ स्वामी	कल्वीस	५४	५	१६

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
४३३	अमस्तीश्वर स्वामी	मामकुडी	१२	५	१६
४३४	कैलासनाथ स्वामी	मुगकुडी	९	५	१६
४३५	वरदराज पेरुमाल		९	५	१६
४३६	रामनाथ स्वामी	रामलिंग कोविल	१८	५	१६
४३७	वेणुगोपाल स्वामी	मदनपुरम्	१८०	५	१६
४३८	रामस्वामी		२७	५	१६
४३९	रुद्रकोटीश्वर स्वामी	रुद्रकोटि	१८०	५	१६
४४०	पादनचेश्री व्याघ्रपुरेश्वर	वडमल	३६	५	१६
४४१	विश्वनाथ स्वामी	कलेसरा	३६	५	१६
४४२	ब्रह्मपुरेश्वर स्वामी	पवित्रमानम्	३६	७	१६
४४३	विश्वनाथ स्वामी	सातमंगलम्	१२	७	१६
४४४	सुब्रह्मण्य स्वामी	दानापुरम्	४	५	१६
४४५	कैलासनाथ स्वामी	माले मक्षम्	६	५	१६
४४६	कैलासनाथ स्वामी	पुष्पेश्वर स्वामी	६	५	१६
४४७	ओलकोक	चन्दमलस्वामी	६	५	१६
४४८	चाकेनाथ स्वामी	वारकोडी	६	५	१६
४४९	पोत्रामीश्वर स्वामी	पोदोवपूर	८	५	१६
४५०	वरदराज पेरुमाल		९	५	१६
४५१	अलमेकेश्वर स्वामी	त्रिमव्यपुरम्	९	५	१६
४५२	सौन्दर्य स्वामी	मरुयोर	६	५	१६
४५३	विश्वनाथ स्वामी	कुप्यार	३	५	१६
४५४	सोमनाथ स्वामी	नकुपाडी	१५	५	१६

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
४५५	नागेश्वर स्वामी	कारदनेमोर	३	५	१६
४५६	सारनाथ स्वामी	सारनाथम् कोविल	१	५	१६
४५७	कैलासनाथ स्वामी	पुसलन मुडी	१	७	१६
४५८	मायमुरेश्वर स्वामी	पुनवासेल	२४	७	१६
४५९	विश्वनाथ स्वामी	पनुवेयर	१८	७	१६
४६०	सुन्दरेश्वर स्वामी	त्रिपनपल्ल	१२	७	१६
४६१	सुन्दरेश्वर स्वामी	वैद्पुरम्	३	७	१६
४६२	रुद्रकेतुश्वर स्वामी	वलेकुडी	६	७	१६
४६३	राजगोपाल स्वामी		६	७	१६
४६४	लक्ष्मीनारायण पेरुमाल	पूलन मुडी	३	७	१६
४६५	लक्ष्मीनारायण पेरुमाल	कन्नलपुरम्	३	७	१६
४६६	कलाहस्तेश्वर स्वामी	वाधुकुडी	२३	७	१६
४६७	पोंचकनाद स्वामी	करिवन्नूर	३	७	१६
४६८	कोटीश्वर	सुब्रियमगलम्	१८	७	१६
४६९	सुब्रह्मण्य स्वामी	एमकम	५०	७	१६
४७०	वृन्दावेला स्वामी	मासतिटेमद कोशुन	१	२	१६
४७१	नागनाथ स्वामी	कीलापुलियोर	१८	२	१६
४७२	ब्रह्मपुरेश्वर स्वामी	तम्बाली	१८	६	१६
४७३	नागेश्वर स्वामी	पारान्दर कुडी	१८	६	१६
४७४	वैंकटाचेला स्वामी	अम्मैपापन	१८	६	१६
४७५	कैलासनाथ स्वामी	कीलमोचन्द नेमोर	१८	६	१६
४७६	भक्तवत्सल स्वामी	तिरुवकम्	४८४	२	८

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	पणी		
४७७	सुन्दरेश्वर स्वामी	कूडू	१८	२	८
४७८	धर्मपुर स्वामी	करुणाकरम्	१०	२	८
४७९	वरदराज स्वामी	यसाकुलु मेमोर	६	२	८
४८०	अनुकेश्वर स्वामी	पेम्पाटा	९	२	८
४८१	वैकुंठ नारायण पेरुमाल	"	३	२	८
४८२	अगस्तीश्वर	मनकल	३	२	८
४८३	नजपुरेश्वर	रामेश्वरम्	३	२	८
४८४	अगस्तीश्वर	दीवनमुखी	३	६	८
४८५	कैलासनाथ स्वामी	परमन्योर	१०	५	८
४८६	पेरिमालनाथ स्वामी	"	१	५	८
४८७	मर्तनपुरेश्वर स्वामी	कुलयासन मङ्गु	६	५	८
४८८	नीलमेघ पेरुमाल	मलयोर	९	५	८
४८९	सुन्दरेश्वर	नागरेवन मगलम्	९	५	८
४९०	सोमनाथ स्वामी	अर्पकल मगलम्	१२	५	८
४९१	वांचीनाथ स्वामी	श्रीवाञ्चियम्	६६०	६	२०
४९२	वरदराज पेरुमाल	श्रीवाञ्चियम्	१८	५	२०
४९३	आदिपुरेश्वर स्वामी	कीरानूर	३	५	२०
४९४	सुन्दरेश्वर	सौरनदूर	६	५	२०
४९५	कैलासनाथ स्वामी	मदनकारी	५	५	२०
४९६	कैलासनाथ स्वामी	कोविलमूर	३	५	२०
४९७	कैलासनाथ स्वामी	अन्दियोर	६	५	२०
४९८	सोमनाथ स्वामी	संकन्नूर	६	५	२०

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	पणी		
४९९	सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी	पैन्ना मेरलूर	४	५	२०
५००	पशुपतेश्वर स्वामी	त्रिकण्डस्वरम्	१८०	५	२०
५०१	कुटुम्बनाथ स्वामी	कोयम्पत्तिनरूपूर	१८	५	२०
५०२	सुन्दरेश्वर स्वामी	त्रिपाम्बिवर	१८	५	२०
५०३	रामस्वामी	मुक्किकोम्बयन	२५	९	२०
५०४	अपाद्येश्वर स्वामी	रुद्रकनक	१८	५	२०
५०५	वरदराज पेरुमाल	पन्तोट्टम	४	५	२०
५०६	अगस्तीश्वर स्वामी		४	५	२०
५०७	वटपुरेश्वर स्वामी	मित्र मंगलम्	३	५	२०
५०८	मधुवनेश्वर स्वामी	नमिलम् कोविलपत्तु	६	५	२०
५०९	कैलासनाथ स्वामी	नापिल कुप्पम्	३	५	२०
५१०	शम्भुनाथ स्वामी	वयपुर	६	५	२०
५११	श्रीरंग पेरुमाल		६	५	२०
५१२	अगस्तीश्वर	मेलनमुन काङ्गनमुखी	१२	५	२०
५१३	विश्वनाथ स्वामी	वटपाडी	१२	५	२०
५१४	त्रिकामकुटेश्वर स्वामी	त्रिमानुप पोत्रा	६	५	२०
५१५	त्रिपुटेश्वर स्वामी	त्रिशूली	१८	५	२०
५१६	कलाहस्तीश्वर स्वामी	पेरियकाम मंगलम्	३	५	२०
५१७	कलाहस्तीश्वर	पोरावत कुप्पी	४	५	२०
५१८	अगस्तीश्वर	कीलसुरलूर	४	५	२०
५१९	नागनाथ स्वामी	वैयाकन कोविल	६	५	२०
५२०	श्रीरंग पेरुमाल	"	६	५	२०

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
५२१	त्रिपुरनाथ स्वामी	त्रिपुरन्तन कुडी	१	५	२०
५२२	वरदराज पेरुमाल	कडम्बन कुडी	३	५	२०
५२३	त्रिलोकनाथ स्वामी	त्रिवदार मंगलम्	६	५	२०
५२४	परवा ईश्वर	कटचेन	११०	५	२०
५२५	वरदराज पेरुमाल		१८	५	२०
५२६	सुन्दरेश्वर स्वामी	कोलपाक	१८	५	२०
५२७	अगस्तीश्वर स्वामी	पित्तरयनकुडी	३६	५	२०
५२८	नागनाथ स्वामी	पमोलम्बकुन्नूर	३	५	२०
५२९	सुन्दरेश्वर स्वामी	पांगल	२	५	२०
५३०	कलाहस्तीश्वर स्वामी	कुलम्बैयूर	२	४	२०
५३१	वरदराज पेरुमाल	पानमल	२	४	२०
५३२	अरुणाचलेश्वर	कीलैयूर	६०	४	२०
५३३	कैलासनाथ स्वामी		१२	४	२०
५३४	रंगनाथ स्वामी		१४३	४	२०
५३५	चोक्कनाथ स्वामी	वासकर	६०	४	२०
५३६	त्यागराज स्वामी	त्रिकोहल	२५०	४	२०
५३७	वरदराज स्वामी		१८	४	२०
५३८	त्यागराज स्वामी	त्रियमपूर	१००	४	२०
५३९	करवीश्वर स्वामी	मझूर	६	४	२०
५४०	अमरपतेश्वर	चन्दन तेरी	३	४	२०
५४१	नागनाथ स्वामी	मारापुरी	१	२	२०
५४२	कनकसभापतेश्वर स्वामी	पनतानू	४०	२	२०

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
५४३	कलहस्तीश्वर	सेम्बयम्लूर	१	२	२०
५४४	सुन्दरेश्वर	नीलमोला	१	२	२०
५४५	अरुणाचलेश्वर स्वामी	मननेदकम्बम	१	२	२०
५४६	महालिंगेश्वर स्वामी	त्रिविडैमरुदूर	१	२	२०
५४७	वर्तमानेश्वर स्वामी	सापुल	५८	७	१६
५४८	रत्नाथ स्वामी	आदिरंगम	२५	७	१६
५४९	अलमनाथ स्वामी	टीमम्बपटनम	३	७	१६
५५०	करजोडेश्वर स्वामी	मकपुरम	१	२	१६
५५१	सम्पुरत स्वामी	यलनायकली	६	२	१६
५५२	सामनाथ की अम्मान	सापुल	३६	२	१६
५५३	आदिसिद्धेश्वर स्वामी	त्रितुरैपूण्डी	२२०	२	१६
५५४	नर्तननाथ स्वामी	तम्पलचेरी	२४	२	१६
५५५	कलाहस्तीश्वर स्वामी	पाम्नी	५	५	१६
५५६	कैलासनाथ स्वामी		५	५	१६
५५७	चौक्कनाथ स्वामी		५	५	१६
५५८	एकाम्बरेश्वर स्वामी		५	५	१६
५५९	सुवर्णगिरीश्वर स्वामी	वलूर	३	५	१६
५६०	ताम्बनेश्वर स्वामी	पुतुनकोपिल	३	५	१६
५६१	त्रिलोकनाथ स्वामी	कोमलन गलम्बी	३	५	१६
५६२	पुष्पवाम्बेश्वर स्वामी	पेरियसीन गलम्बी	३	५	१६
५६३	वरदराज पेरुमाल		३	५	१६
५६४	विश्वनाथ स्वामी	वेदुकुडी	३	५	१६

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
५६५	कलहस्तीश्वर	कुडुर	१३५	५	१६
५६६	संकमस्नाथ स्वामी		१८	५	१६
५६७	वैंकटाचलपति स्वामी		१८	५	१६
५६८	पारिजातवनेश्वर	तिरुक्लूर	७५	५	१६
५६९	रंगनाथ स्वामी	वलकोटी	१८	५	१६
५७०	नागनाथ स्वामी	तोलापटी	३	५	१६
५७१	मधुरेश्वर स्वामी	तिरुमलतोळेले	२४	५	१६
५७२	सप्तरिषीश्वर	एलमूर	४५	५	१६
५७३	विश्वनाथ स्वामी	पनमकोड्ड मंगलम्	१०	५	१६
५७४	लक्ष्मीनारायण स्वामी		३६	५	१६
५७५	रत्नेश्वर स्वामी	तिरुवंगुर	१०	५	१६
५७६	अंजेश्वर स्वामी	तिरुकोसलम	३०	५	६
५७७	सुन्दरेश्वर स्वामी	अरनूर	३	५	१६
५७८	वरदराज स्वामी	अलपेतुल	३	५	१६
५७९	कैलासनाथ स्वामी	कोलम्बरी	३	५	१६
५८०	अरुणाचलेश्वर स्वामी	अलवेतुल	३	४	१६
५८१	मनरेश्वर स्वामी	तिरुनेल्लिक्कविल	३	५	१६
५८२	त्रिभुवन सुन्दरेश्वर स्वामी	पुरलूर	६०	५	१६
५८३	रामनाथ स्वामी	पुदुर	३	५	१६
५८४	वैंकटाचलपति	"	३	५	१६
५८५	पुलस्तेश्वर स्वामी	तम्बीर कलम	३	५	१६
५८६	रामनाथ स्वामी	तिरु रामेश्वरम	३	५	१६
५८७	मधूनाथ स्वामी	करपेन्द्रपुरम	१५	५	१६
५८८	अमरनीश्वर स्वामी	तिरुकरवासी	६	५	१६
५८९	अरुणाचलेश्वर स्वामी	मन्नूर	३	५	१६
५९०	सुन्दरेश्वर स्वामी	कोपुर	३	५	१६
५९१	अम्बलनाथ स्वामी	वलनायेर	६०	५	१६
५९२	परमनेश पेरुमल		३०	५	१६
५९३	मारकण्डेश्वर	त्रिकरम्	६०	५	१६
५९४	अम्बलेश्वर	मानकुडी	१८	५	१६
५९५	विश्वनाथ स्वामी	वानमनपाडी	६	२	१६
५९६	त्रिलोकनाथ स्वामी	वल्लुडी	३	२	१६
५९७	वल्मीकिनाथ स्वामी	वल्मीकिनाथ नल्लूर	३	२	१६
५९८	वरदेश्वर पत्रिकार	कुम्बलपाडी	७	५	१६
५९९	वरदराज स्वामी	गोपनाथपुरम्	१०	५	१६
६००	कैलासनाथ स्वामी		१०	५	१६
६०१	आपत्सहायेश्वर स्वामी	परसीमल	३	५	१६
६०२	अगस्तीश्वर स्वामी	कनकेनाडु	३	५	१६
६०३	सत्यपेश्वर स्वामी	पदमवनम	३७	५	१६
६०४	सर्पनाथ स्वामी	सर्पनार कोविल	१८	५	१६
६०५	अगस्तीश्वर स्वामी	तिरुपूण्डी	१५०	५	१६
६०६	कमलनाथ स्वामी	"	१५	५	१६
६०७	कमलेश्वर पत्रिकार		७	५	१६
६०८	स्कन्दस्थनेश्वर स्वामी	पुष्पवनम्	६५	५	१६

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
६०९	कलहस्तीश्वर स्वामी	पदम्पी	१०	५	१६
६१०	अनयलक्ष्मण पेरुमाल	कोविलुर	२२	५	१६
६११	अमरेश्वर	नाल्वेलप्पु	७	५	१६
६१२	यायम्मेरेश्वरे	वसुम्बलुम	७	५	१६
६१३	अमस्तीश्वर	प्रताप रामपद पट्टनम	७	५	१६
६१४	त्रिलोकनाथ स्वामी	वडमरयरम्पु	७	५	१६
६१५	अतस्नाथ स्वामी	मवाफलपुल	१८	५	१६
६१६	आनकात पेरुमाल		१२	५	१६
६१७	कैलासनाथपुरम्	कलितोबोलीमास	१२	५	१६
६१८	मंगमारेश्वर	पाम्दी	६	५	१६
६१९	वनोपान स्वामी		३	५	१६
६२०	एकाम्ब स्वामी	अमनेयोर	३	५	१६
६२१	विराटेश्वर स्वामी	सुरसा	२०	४	१६
६२२	तिरुविरुम्द पेरुमाल		९	४	१६
६२३	पशुपतीश्वर स्वामी	आयामूर	९	४	१६
६२४	आरमनाद	तलकाबु	७२	४	१६
६२५	सुब्रह्मण्यनाथ स्वामी		६	४	१६
६२६	वेंकटाचलपति		१२	४	१६
६२७	सोमनाथ स्वामी	वीराटी	९	४	१६
६२८	ब्रह्मपुरेश्वर स्वामी	तिम्मय कोटा	१२	४	१६
६२९	रंगनाथ स्वामी		६	४	१६
६३०	मन्पुरेश्वर	कोविलकोटा	४४	२	१६६

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
६३१	पाटय ईश्वर	कप्पसयादा फलूर	१२	२	१६
६३२	अलस्नाथ स्वामी	आयकारम्पलम	६	२	१६
६३३	येकमेश्वर वझियार		९	२	१६
६३४	दक्षिकाशी विश्वनाथ	पधान्दीकोलम	६	२	१६
६३५	सुब्रह्मण्य स्वामी		९	२	१६
६३६	वटपुरेश्वर स्वामी	शूलिमोडु	६	२	१६
६३७	पैरुनाथ स्वामी	तमुलूर	१८	२	१६
६३८	वरदराज पेरुमाल		६	२	१६
६३९	वेदण्णेश्वर	वेदारण्यिम्	३४१	२	२२
६४०	अमस्तीश्वर		९०	२	२२
६४१	वरदराज स्वामी		११९	९	२६
६४२	अमृतघटेश्वर स्वामी		९०	९	२६
६४३	सोमनाथ स्वामी		५	६	८
६४४	विश्वनाथ स्वामी	त्रिवलूर	५४	६	८
६४५	सूर्यनारायण स्वामी		५४	६	८
६४६	हनुमन्त स्वामी	मनागुडी	३६	६	८
६४७	वेंकटाचलपति	सरमलुम	९०	६	८
६४८	येलमदेवी	महादेवपट्टनम	१८	६	८
६४९	वेल्लै पिल्लैयार		९	६	८
६५०	हनुमन्त स्वामी		९	६	८
६५१	शम्भु महादेव स्वामी		५४	६	८
६५२	मेलपाट विश्वनाथ स्वामी		३६	६	८

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	पंक्ति		
६५३	कीलस्वामी शिवनाथ स्वामी	महादेवपट्टनम	३६	६	८
६५४	मेलस्वामी शिवनाथ स्वामी	"	१८	६	८
६५५	मिलस्वामी अम्मन	"	४२०	६	८
६५६	वेदवीरम स्वामी	तिरुपरंथलि	७७३	३	१०
६५७	सत्यीश्वरम स्वामी	तिरुवोरी	४३	७	१६
६५८	जगस्वामी स्वामी	आस्थोरी	१२	५	१६
६५९	सुन्देश्वर स्वामी	अदम्पूर	४	५	१६
६६०	रत्नाथ स्वामी	"	९	५	१६
६६१	रामस्वामी	शिवमदन पुथी	६२	५	१६
६६२	रामलिंग स्वामी	"	१	५	१६
६६३	वासेश्वर	मारपन मैमोर	१	९	१६
६६४	रंगनाथ स्वामी	अलमार कोविल	९	९	१६
६६५	अंबिकानाथ स्वामी	तिरुकम्पमेल	५२५	९	१६
६६६	शिवनाथ स्वामी	तिरुकम्पमेल	१५	९	१६
६६७	विश्वनाथ स्वामी	शिवायपूर	३०	९	१६
६६८	स्वामीनाथ स्वामी	स्वामीमलै	२५०	७	१६
६६९	विश्वनाथ स्वामी	पत्तमकद	४	५	१६
६७०	मलसिंहनाथ स्वामी	वामराजपुरम्	४	५	१६
६७१	कैलासनाथ स्वामी	शिवपूर	२०	५	१६
६७२	वरदराज पेरुमाल		२	५	१६
६७३	सुन्दरराज पेरुमाल	पत्त कोलीपूर	३७	५	२६
६७४	व्याघ्रपुरेश्वर	"	३५	५	१६
६७५	पुष्पुरेश्वर	विसारसनम्	३६	५	१६
६७६	ब्रह्मपुरेश्वर	परम्पूर	३	५	१६
६७७	पिलम ब्रह्मपुरेश्वर	पिलमगलम	३६	५	१६
६७८	पशुपतेश्वर	पशुपतपुथी	१२	५	१६
६७९	मरडेश्वर स्वामी	मायूर	९	५	१६
६८०	पत्तनसुन्दर स्वामी	मयूर	२४०	५	१६
६८१	सुन्दरराज पेरुमाल	चन्द्रमेनमाल पुथी	१०२	५	१६
६८२	सत्यमेय पेरुमाल	सोमपट्टु वडु	९	५	१६
६८३	पशुपतेश्वर	आम्पूर	७५	५	१६
६८४	धनपुरेश्वर	पट्टीवसम्	१९५	५	१६
६८५	शिवनाथ स्वामी	मीलमोर	६	५	१६
६८६	पारसनाथ स्वामी		१८	५	१६
६८७	रामनाथ स्वामी	रामानाथन कोविल	४	५	१६
६८८	कैलासनाथ स्वामी	कैलासनाथन कोविल	३	५	१६
६८९	भोमनाथ स्वामी	भोमनाथन कोविल	९	५	१६
६९०	सोमनाथ स्वामी	कीलपेसोवर	१२	५	१६
६९१	तिरुमलिंग कैलासनाथ स्वामी	तिरुमललिंग	५	५	१६
६९२	धर्मपुरेश्वर स्वामी	पेनाथन कोविल	४	५	१६
६९३	हरचन्द्रेश्वर स्वामी	हरिचन्द्र पुरम्	१	५	१६
६९४	जगन्नाथ स्वामी	नाथन कोविल	४५	५	१६
६९५	त्रिलोकनाथेश्वर स्वामी	तिरिपुरमेहम	४७	५	१६
६९६	श्रीनिवास पेरुमाल	पास्पालम	३०५	५	१६

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
६९७	कृष्णस्वामी	कैंबारमपाक्ष	१८	५	१६
६९८	रामलिंग स्वामी	मूलरामेश्वरम्	१००	५	१६
६९९	महापुरेश्वर स्वामी	कोविल देवरायम्पाक्ष	१२	५	१६
७००	नवनीत कृष्णस्वामी	वाम्बरोमबाी	१६६	६	२४
७०१	मूलनाथ स्वामी	तिरुवाट कस्तूर	२७०	६	२४
७०२	मलयरवल्ल सुन्दर स्वामी	माङकुल	१०	६	२४
७०३	विजकृष्ण स्वामी	शिव	९०	६	२४
७०४	वसिष्ठेश्वर स्वामी		१२	५	२४
७०५	कैलासनाथ स्वामी	सोलमलिया	४	५	२४
७०६	वनिताभज पेरुमाल	नाथेन मुडी	४	५	२४
७०७	श्रीनिवास स्वामी	तिरुनमूर	६६६	६	२४
७०८	सिद्धनाथ स्वामी		१३३	३	८
७०९	रामनाथ स्वामी	अय्यम्प के दिल	७५	३	८
७१०	अभ्यमर मास	अतनदेपुर	२	३	८
७११	सुवर्णपुरेश्वर स्वामी	तेनकर कोमूर	१८	३	८
७१२	अत्रपालेश्वर स्वामी	अमूर्वरम	१८	३	८
७१३	अयमुक स्वामी	पुकलोव	९०	३	८
७१४	योमकनाथ स्वामी	परसतन मुडी	२७०	३	८
७१५	वसिष्ठेश्वर स्वामी	नाचट्टी	१५७	५	८
७१६	भक्तवत्सलेश्वर स्वामी	वटमबी	३०	५	८
७१७	वेंकटेश स्वामी	कीलनेम्मेली	५४	५	८
७१८	मामनाथ स्वामी	मेलनेम्मेली	१२	५	८

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
७१९	वरदराज पेरुमाल	वटमूर	३६	५	८
७२०	कोदण्डराम स्वामी	नेलितोपु	३३३	३	१२
७२१	ब्रह्मपुरेश्वर स्वामी		९०	३	१२
७२२	पशुपतीश्वर स्वामी	पूण्डी	१२	५	१२
७२३	कजपुरेश्वर स्वामी	अरविन्देपोरम्	१२	५	१२
७२४	वेदनाथ स्वामी	अय्यार कोविल	३	५	१२
७२५	वटपुरेश्वर स्वामी	त्रिरुटीगुडी	१५	५	१
७२६	रत्नाथ स्वामी	त्रिभुवनम्	१२	५	१२
७२७	कलहस्तीश्वर स्वामी	छत्रनाट्म	९	९	३०
७२८	कलहस्तीश्वर स्वामी	सालमकलम्	१५	९	३०
७२९	ब्रह्मपुरेश्वर स्वामी	आलनगुडी	१४४	९	३०
७३०	अरविन्देश्वर स्वामी	मध्य कोविल	१५	९	३०
७३१	मुद्धेश्वर स्वामी	मारतूर	५४	९	३०
७३२	वरदराज पेरुमाल		१८	९	३०
७३३	वसिष्ठेश्वर स्वामी		३६	९	३०
७३४	कलिंगमर्दन कृष्ण स्वामी	कुट्टकुप्पम्	१०८	९	३०
७३५	लक्ष्मीनारायण पेरुमाल		३६	९	३०
७३६	कीर्तिवटेश्वर स्वामी	सोलमगलम्	५४	९	३०
७३७	वरदराज पेरुमाल		३६	९	३०
७३८	वरदराज पेरुमाल	त्रिकलूर	५४	९	३०
७३९	राजगोपाल स्वामी	नगिथेरी	५४	९	३०
७४०	वीज वटेश्वर स्वामी	अभियार	२०	९	३०

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
७४१	मीनाटेश्वर स्वामी	नम्मम्	१८	९	३०
७४२	शरम्भेश्वर स्वामी	त्रिभुर	१८	९	३०
७४३	सुन्दरेश्वर स्वामी	सेन्दालम	२४०	९	३०
७४४	अनन्तपद्मनाभ स्वामी	"	३७	५	३०
७४५	कैलासनाथ स्वामी	वैकटेशपुरम	२५	५	३०
७४६	अगीश्वर स्वामी	तिरुपमङ्गोपम्मी	११०	५	३०
७४७	वीर हनुमन्त स्वामी	"	३६	५	३०
७४८	वट्टूरेश्वर स्वामी	तिरुमालम्पाली	१८	५	३०
७४९	कैलासनाथ	पसूर	५४	५	३०
७५०	वरदराज पेरुमाल	"	४५	५	३०
७५१	एकाम्बरेश्वर स्वामी	वेल्लमपुरम्पूर	३६	५	३०
७५२	शालिमंगलेश्वर स्वामी	सालमंगलम्	१८	५	३०
७५३	मिल्लनाथ स्वामी	पिल्लयुर्वी	२७	५	३०
७५४	मापपुरयेश्वर स्वामी	पूरूर	१०८	५	३०
७५५	रामस्वामी	"	३६	५	३०
७५६	पंचवर्णेश्वर स्वामी	अमूर	१८	५	३०
७५७	सुब्रमण्येश्वर स्वामी	सेलपमपट	१८	५	३०
७५८	गणेशस्वामी	पिलियार पट्टी	५	५	३०
७५९	मधेश्वर कण्टेश्वर स्वामी	कम्पूर	३७	५	३०
७६०	हरेश पद्मलोचन पेरुमाल	"	२५	५	३०
७६१	पुष्पवनेश्वर स्वामी	तिरुपन्दुरी	८७	५	३०
७६२	वरदराज पेरुमाल	"	१८	५	३०
७६३	अपाल रंगनाथ स्वामी	कोवेलसडी	१८०	५	३०
७६४	देवनेश्वर स्वामी	कोवेलसडी	१८	५	३०
७६५	प्रतापवीर हनुमन्त	कसर्पी	७२	५	३०
७६६	जम्बूकेश्वर स्वामी	कासनाथ	९०	५	३०
७६७	भास्करेश्वर स्वामी	कीलर्वेगनाथ	९३	५	३०
७६८	सुन्दरेश्वर स्वामी	सुन्दरम	३६	५	३०
७६९	अरुणजटेश्वर स्वामी	पापनाथ	१८	५	३०
७७०	कामेश्वर स्वामी	ओरथनाड	३४	५	२४
७७१	अखिलाण्डेश्वरी अम्मान	जम्बूकेश्वरम्	३६	६	२४
७७२	बृहदीश्वर स्वामी	तंजावुर किला	५५५०	६	२४
७७३	बृहदीश्वर स्वामी		१६९४	८	२८
७७४	प्रसन्न वेंकटेश्वर	"	७८०	८	२४
७७५	कामाक्षीदेवी		७२	८	२८
७७६	किलसिंह पेरुमाल		१२०	८	२८
७७७	सत्तार नारायण		३२२	८	२८
७७८	तैलेश्वर स्वामी		९०	८	२८
७७९	शिवगणा पिलियार		३	७	१६
७८०	वामन पिलियार		३	७	१६
७८१	नागनाथ पिलियार	"	७	२	१२
७८२	सामी सुन्दर सन्तान पिलियार		९०	०	०
७८३	सुब्रमण्यम स्वामी		३८	०	०
७८४	भद्रकाली		१७	२	१६

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
७८५	काशी विश्वनाथ स्वामी	तंजाउर किला	१०	२	१६
७८६	नटनाथ सुन्दर पिल्लैयार		५४	२	१६
७८७	अर्कमूल पिल्लैयार		३	७	१६
७८८	सिपसमुकि पिल्लैयार		७	२	१२
७८९	येल्लम्मा देवी		१२६	२	१२
७९०	वीरभद्र		९	२	१२
७९१	कुमार स्वामी		१८	२	१२
७९२	तर्कवीदि विश्वनाथ स्वामी		३	७	१६
७९३	आनन्द पिल्लैयार		३	७	१६
७९४	कर्पूर पिल्लैयार		३	७	१६
७९५	विश्वनाथ		४५	७	१६
७९६	विजय रामचन्द्र स्वामी		२९४	७	२८
७९७	नवनीत कृष्ण स्वामी		९०	७	२८
७९८	मदनगोपाल स्वामी		१७	४	२४
७९९	लक्ष्मीदेवी		३	७	१६
८००	प्रताप वीर हनुमन्तर		६४०	७	१६
८०१	रामस्वामी		१८०	७	१६
८०२	चोल हम्न वेंकटाचल पेरुमाल		९०	७	१६
८०३	गोरनाथ स्वामी		३	७	१६
८०४	गोविन्दराज स्वामी		६०	७	१६
८०५	बालक कृष्ण स्वामी		१३	५	१६
८०६	अमूर्त वेंकटेश्वर		३	७	१६
८०७	चतुर्मुख वरदराज स्वामी	तंजाउर किला	३	७	१६
८०८	संजीवीश्वर		३	७	१६
८०९	कोदण्डराम स्वामी		३	७	१६
८१०	पोरोकास संजीव पेरुमाल		७	२	१२
८११	आदिकेशव पेरुमाल		१७	४	२४
८१२	वरदराज स्वामी		१८	४	२४
८१३	पट्टाभिराम स्वामी		९	४	२४
८१४	जनार्दन स्वामी		६	८	८
८१५	पटमर्दसंकभिरोश्वर		३	७	१६
८१६	दक्षिण संकरेश्वर		३	७	१६
८१७	रंगनाथ स्वामी		३	७	१६
८१८	तीर्थसंज पेरुमाल		३	७	१६
८१९	नद्दालु पेरुमाल		६	८	८
८२०	आनन्द स्वामी		९५८	२	२८
८२१	काशीनाथ स्वामी		१०२	९	२८
८२२	सिद्धवेधुव स्वामी		९०	९	२८
८२३	सोदरेश्वर		५४	९	२८
८२४	कल्हस्तीश्वर		१७	४	२४
८२५	सुन्दरेश्वर		३६	४	२४
८२६	कोदयम्मा		१७	४	२४
८२७	शखनाथ स्वामी		७	२	२४
८२८	मल्लसिंह पेरुमाल		८००	२	२४

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	खीत		
८२९	मैलम्मन स्वामी	तंजापुर जिला	४९५	४	२४
८३०	माणिक्य पेरुमाल		१६३	४	१२
८३१	तोट्टम हनुमन्तर	"	९०	४	१२
८३२	कुन्नम वेंकटाट स्वामी		७२	४	१२
८३३	पटवारी वेंकटेश स्वामी	"	३	७	१६
८३४	कोदण्डराम स्वामी		३६०	७	१६
८३५	मारियम्मा देवी		२५०	७	१६
८३६	चन्द्रशेखर स्वामी	"	५४	७	१६
८३७	काशी विश्वनाथ स्वामी	"	१८	७	१६
८३८	कैलासनाथ स्वामी	पट्टुकोटा	१६	५	१६
८३९	अनन्त कृष्ण पेरुमाल	"	३६	५	१६
८४०	नाडी अम्मान	"	५२	५	१६
८४१	मलमारी अम्मान		१	५	१६
८४२	मरडेश्वर स्वामी	मेरवे	१०	६	२८
८४३	मारियम्मन		१०	५	८
८४४	वारिवनीश्वर	"	५	२	१६
८४५	रामलिंग स्वामी	"	३३०	२	१६
८४६	विश्वनाथ स्वामी	"	१३	५	१६
८४७	तिरुपानेश्वर पुलियर	मनरसु	१३	५	१६
८४८	मुत्तुमारियम्मा	"	२	२	१६
८४९	काशी विश्वनाथर		१६०	२	१६
८५०	वीर मसकानी	सीमुक्कोटा	१३५	२	१६

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	खीत		
८५१	सुन्दरराज पेरुमाल	आरवंती	६५	१	१६
८५२	बाल हनुमन्त		६	३	१६
८५३	वीर हनुमन्त		१२	१	१६
८५४	पोन्नम्मा बलरामर		५०	४	१६
८५५	मरदम्मा		३	१	१६
८५६	कोट्टु पिळ्ळैयार	आरंवाली	३	१	१६
८५७	पवेन्द्र पीलेश्वर		१	४	१६
८५८	पोन वासलेश्वर	पुष्पनसोल	२४	४	१६
८५९	पिल मारियम्मा		२४	५	८
		योग	८५१४९	६	२७
		स्टार पैगोडा में	३५,४७९	२	३९
८६०	कैदारेश्वर स्वामी	कैदारेमुम संकल्पित	१८४८	५	८
		नमक पात्र के लिये			
		स्टार पैगोडाकी कुल	३७३२७	२	९
		तायदा			
		तंजाबुर सूबा के धान्य रूप में गोहिन			
८६१	वम्पटुवर स्वामी	त्रिमुक्ती	६९	३२८	८
८६२	कोदण्डराम स्वामी	मारीअम्मन कोविल	६९	३२८	८
८६३	मनीवार भगवन	त्रिमल्लार	१२	३५६	६
८६४	सत्यनारायण पेरुमाल	"	१२	११९	५

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
८६५	निरुत्तवारी स्वामी	नैनावारी	१२	७९	६
८६६	पत्था पिडियार	पत्ता	१२	७९	६
८६७	कीलमान पिडियार	कीलमान	१२	३९	७
८६८	पोरुपोन्नमूर पिडियार	पोरु पोन्नमत	१२	३९	७
८६९	मुप्पथेश्वर	मुप्पुसुनगुडी	१२	३९	७
८७०	तरुनगुडी पिडियार	करुगुनगुडी	११	१९	७¹/₂
८७१	वलम्मन्त पिडियार	वलमंगलम्	११	१९	७¹/₂
८७२	सुवरयपुरम पिडियार	सुब्रयपुरम्	११	१९	७¹/₂
८७३	मन्नगुण्डेश्वर	मानवम्बुर	११	७९	६
८७४	अम्मामत्यपूर ईश्वर	अम्मनपूर	११	७९	६
८७५	कमपुरेश्वर	कम्मपुरम्	११	१९	७¹/₂
८७६	पुट्टोगुवर	पुट्टगुडी	११	७९	६¹/₂
८७७	दनुम्भुरेश्वर	दम्भरपुरम्	९	४९	६¹/₂
८७८	सुरकोटेश्वर	सोरगुडी	११	७९	६
८७९	कसगुडी पिडियार	कसगुडी	११	१९	७¹/₂
८८०	कुट्टगुडी पिडियार	कोट्टगुडी	११	१९	७¹/₂
८८१	करम्बकम पिडियार	करम्बकम्	११	३९	७
८८२		पुट्टनरम	११	३९	७
८८३	कोवित पुट्टेश्वर	कोविलपुर	११	३९	७
८८४	मुपसुवेश्वर	मपालगुडी	११	३९	७
८८५	कीलयेमूरेश्वर	कीलयेमूर	११	३९	७
८८६	पम्पतेश्वर	पम्पाडी	११	७९	६

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
८८७	पाटमोटेश्वर	पटमोट्टम	११	३९	७
८८८	अविरोधेश्वर	अविरोधकुट्टी	११	७९	६
८८९	कोटपारेश्वर	कोसकुडी	११	३९	७
८९०	कोटपारेश्वर	कोटवारी	११	९९	५¹/₂
८९१	त्रिलोकनाथ स्वामी	त्रिकलूर	११	९९	५¹/₂
८९२	सत्यस्तेश्वर स्वामी	सवपूर	११	१९९	३¹/₂
८९३	कामकेश्वर	कमकमोली	११	५९	६¹/₂
८९४	वेसनाथ	वलस्थान	११	१७९	३¹/₄
८९५	तम्भनेश्वर स्वामी	नेलम्बलुम	११	१७९	३¹/₂
८९६	सुन्दरेश्वर स्वामी	तनेनगुडी	११	१५८	४¹/₂
८९७	माता कोविल	निन्नार	९	३९	७
८९८	मुत्तु मारियम्मा	वेट्टुन कोटा	९	९	५¹/₂
८९९	नेयवली मारियम्मा	नेयवेली	९	२	३¹/₂
९००	जयामार		९	१९	१
९०१	तन्जावुर मरियम्मान	तन्जावुर	९	३	३¹/₂
९०२	वलगोल मरियम्मान	वलगोलम	९	१	२¹/₂
	धान्य का कुल अनुदान		१६७	२००	४
	प्रति मानी		१९	१४	८४
	स्टार पेगोडा		३२३८	३३	२९
	पीछे से लिया		३७३२७	२	३९
	तन्जुर में रुपए एवं धान्य का योग		४०५६५	३५	६८

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान		पोधे	
	पूरोपीय स्वामित्व का मकन्द मोहिन				
१०३	नमनाथ स्वामी	मम्मेर	३६०	१	२¹/₂
१०४	प्रतम वैंकटेश पेरुमाल	"	३६०	१	२¹/₂
१०५	मथनाथ स्वामी	कीमतोर	४९१	२	१४
१०६	परिमोर विश्वनाथ स्वामी	"	३	२	१४
१०७	अनन्तेश्वर स्वामी	"	३	६	१४
१०८	आमनंतेश्वर		५	४	१४
१०९	वैंकटाचल पेरुमाल		४०	४	१४
११०	धर्मपुरेश्वर	पुतूर	७	२	१४
१११	वल्पुरेश्वर	कोविल दक्कनवी	५	२	१४
११२	पिरम्बरेश्वर	अभिमसनीमूर	१३	६	१४
११३	मनमाथ स्वामी	मीलमद	३	२	१४
११४	सल्पेपुरेश्वर	कोपर कोटि	१६	२	१४
११५	मगस्तीश्वर	आपूर	१	८	१४
११६	विश्वनाथ स्वामी	वेरेयनोबरि	१	२	१४
११७	वल्पुरेश्वर स्वामी	कल्यपुरम्	१९	६	१४
११८	पोलनगुडेश्वर	फुलानगुडी	१	२	१४
११९	ब्रह्मपुरेश्वर	तोपर कोटि	२	२	१४
१२०	मनीश्वर	सिरोल	२०३	२	२८
१२१	वामन पेरुमाल	"	२८	२	२८
१२२	विश्वनाथ स्वामी	वल्लूर	१६	२	२८
१२३	वरद पेरुमाल	"	१२	२	२८

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान		पोधे	
१२४	मटनेश्वर	पुडुचेरी	२४	२	२८
१२५	अनन्तनारायण पेरुमाल	मलयरलेदवी	२८	२	२८
१२६	आलनगुडीश्वर	आलनगुडी	१२	२	२८
१२७	कालहस्तेश्वर	तिरुनगुडी	२४	२	२८
१२८	दामोदर नारायण पेरुमाल		८८	२	२८
१२९	कोमारेश्वर	कोमूर	१६	२	२८
१३०	नानूलनन्याकर	परिय मगुन्नूर	१२	२	२८
१३१	दम्पुरेश्वर	तम्पूर	२३३	८	२४
१३२	पसुपतेश्वर	कोविलपूर	१५	२	२४
१३३	वायुरेश्वर	गन्धस्वामी	१४	२	२४
१३४	दसनारायण पेरुमाल	"	१७	६	२४
१३५	एलमपूरेश्वर	एलेम्पूर	१२	६	२४
१३६	पेरुमाल कोविल		१२	६	२४
१३७	सुकनेश्वर	सोपनम	२	४	२४
१३८	पोलदसूडीश्वर	पोलनकुडी	२	४	२४
१३९	सहस्रमलेश्वर	पहु मंगलम्	२	५	२४
१४०	वलमसपुरेश्वर	वलमसपूर	१३	६	२४
१४१	वलमलपुरेश्वर		१	६	२४
१४२	तिरुमलपुरेश्वर	वैयलापुर	४	६	२४
१४३	पदमलतेश्वर	पदमंगलम्	१	२	२४
१४४	येसकेश्वर	एसक	२४	८	२४
१४५	कीलमेपमनेश्वर	कीलमेपमणि	१	२	२४
१४६	मनकोडीश्वर	मनकुडी	१	४	२४

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
१४७	मोत्तनूतेश्वर	मोत्तुपुकुरस	१	२	२४
१४८	पशुपतेश्वर	अभिर्वकामलम्	१०	६	२४
१४९	वेंकटाचल पेरुमाल	"	४	६	२४
१५०	विश्वनाथ स्वामी		४०	८	२४
१५१	नटनेश्वर	नाककुडी	६	४	२४
१५२	पोत्तारेश्वर	पेमुधारि	४	४	२४
१५३	कम्पूरेश्वर	कम्पूर	२	४	२४
१५४	सामन्त पेरुमाल	समनलम्	४	४	२४
१५५	केदन्तनाथ स्वामी	वैकलुप	२६३	४	२४
१५६	एकपक्ष पेरुमाल		६	४	२४
१५७	कलपुड़ी पेरुमाल	कलपुड़ी	१	२	२४
१५८	त्यागराज स्वामी	त्रिकलियासमल	७२०	२	२४
१५९	कोविल कन्नेश्वर	कोविल कन्नपुरम्	७२	२	२४
१६०	मानेश्वर	मानलूर	२	२	२४
१६१	कीलकुडेश्वर	कीलकुडी	२३	८	४
१६२	कीलकुडि पेरुमाल		४	६	४
१६३	वेदुंकुलोरेश्वर	वेदंकुलुर	३६	६	४
१६४	वटपुरेश्वर	सत्तकुडी	५५	६	४
१६५	मानलूरेश्वर	मनलूर	३	६	४
१६६	मानलूर पेरुमाल		३	६	४
१६७	कीलकमलकूडेश्वर	कीलकमलकुडी	३६	६	४
१६८	कैलासनाथ स्वामी	सेम्बयमहादेवी	१६६	३	४
१६९	राजगोपाल पेरुमाल	राजगोपाल पुरम्	१७	५	४
१७०	तिरुमलेश्वर	ओयक्नेवोर	३६	५	४
१७१	विश्वनाथ स्वामी	चित्र तुम्बूर	१६	५	४
१७२	सिंहमंगलेश्वर	सिंहमंगलम्	३०	५	२४
१७३	वटनूरेश्वर	वटनूर	१२	५	२४
१७४	वटनूर पेरुमाल		१२	५	२४
१७५	एरुन्मूरेश्वर	एरुन्मूर	२	४	२४
१७६	मानालेश्वर स्वामी	मानासी	२१	३	२४
१७७	मानालय पेरुमाल		६	२	२४
१७८	चिन्तामणीश्वर	चिन्तामणी	१	२	२४
१७९	करपतकेश्वर	करपताका	४	२	२४
१८०	मदुपुरम् पेरुमाल	मदुपुरम्	१	२	२४
१८१	अन्दपुर पिल्लियार	अन्दपुरम्	१	७	२४
१८२	कन्दूरीश्वर	कोन्दियूर	२	८	२४
			३८३३		१०
			१५८८	३३	११
			४०५६५	३५	६८
			४२१५३	६८	७१
		नेगापट्टम नकद मोहिम			
१८३	नीलायताक्षी अम्मा	नेगापट्टम	३१४	१	११
१८४	त्यागराज स्वामी		८१	२	११
१८५	पट्टोर विश्वनाथ		१०	८	१४

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
९८६	कटिकापर	नेल्लूम	६	८	१४
९८७	कुमारस्वामी		७७	८	१६
९८८	समीर सुन्दरेश्वर		११	८	१४
९८९	वीरभद्र स्वामी	"	६	८	१४
९९०	अमरनाथेश्वर	"	३१	८	१०
९९१	हेमद्रीश्वर	"	६	८	१४
९९२	मटनाथ स्वामी		१४	८	२०
९९३	सेरवार	"	३२	८	२४
९९४	सुन्दरम पेरुमाल		४५	२	२०
९९५	अगस्तीश्वर	"	१०९	१	२१
९९६	कृष्णस्वामी	"	७	५	२१
९९७	कैलासनाथ कोविल	"	४५	४	२४
९९८	उपरेश्वर	"	९	२	२४
९९९	कैलासनाथ स्वामी		३	१	२४
१०००	गोरखनाथ	"	४	९	२४
१००१	कोमलनाथ स्वामी	"	४	९	२४
१००२	भावीश्वर पिलैयार	"	७	२	२४
१००३	रघुनाथ स्वामी	"	१२	९	२४
१००४	वलमुरेश्वर स्वामी	"	२	६	२४
१००५	मनुगवी पिलैयार	"	३	६	२४
१००६	रामेश्वर	"	१	२	२४

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		
१००७	अभामलनाथ स्वामी	नेल्लूम	१	३	२४
			१७९	१	२४
		स्टार पेगोडा में	४०७	४०	२०
		आगे लाये गये	४२१५३	६८	७९
			४२५६१	८	११
		दीवकोटा नकद मोहिन			
१००८	तिरुलोकचोपुर	आयेपुरम्	१२		
		स्टार पेगोडामें	५		
		आगे लाये गये	४२५६१	०८	११
			४२५६६	०८	११
		धान्य मोहिन	गार्सी	म.	म.
१००९	तिरुलोक चोपुर	आश्यपुरम्	१५	२६२	३
१०१०	कोदण्डराम स्वामी	नेल्लोर	३	७४	५
१०११	त्रिपुरमलेश्वर	महेन्द्रपल्ली	२	२९५	४
१०१२	कोदण्डराम स्वामी	दीवकोटा	२	१२१	७
१०१३	समापती	दीवकोटा	२	१७३	५
		योग	२४	११८	५
		स्टार पेगोडा में	४७१	२०	४०
		आगे लाये गये	४२५६६	०८	११
		योग	४३०३७	२९	३९

तंजापुर समाहर्ता कचहरी
१४ अप्रैल १८१३

पहोम वालेस
समाहर्ता

क्रम	नाम	पैतृक	वेतन	वृत्ति
९५	सुब्रह्मण्य वेंकटेश शर्मा	१	११	२०
९६	लक्ष्मण नरसिंह शर्मा	५	११	२०
९७	अनन्तोजी आचार्य	५	११	२०
९८	मधुस्वामी वेंकट शर्मा	२	२२	४०
९९	अनन्त तीर्थ शर्मा	५	२२	४०
१००	सुन्दर नरसिंह भट	२	२२	४०
१०१	गोविन्द शर्मा	२	२२	४०
१०२	राम शर्मा	३	३३	६०
१०३	अनन्त शर्मा	३	३३	६०
१०४	लक्ष्मण शर्मा	५	३३	६०
१०५	अनन्त भट	७	२२	४०
१०६	भक्त वत्सल सत्यदेव शर्मा	१	११	२०
१०७	नरसुब्रह्मण्य कृष्ण शर्मा	१	११	२०
१०८	मल्लवीर राम भट	२	२२	४०
१०९	रंगनाथ शर्मा	५	२२	४०
११०	वेंकटराम श्रीनिवास शर्मा	५	२२	४०
१११	राम शर्मा	५	२२	४०
११२	कृष्ण रघुपति अय्यंगर	२	२२	४०
११३	क्षेम शर्मा	२	२२	४०
११४	शंकर रंग आयंगर	२	२२	४०
११५	अरविन्द अय्यंगर	१	११	२०
११६	श्रीनिवास आयंगर	२	२२	४०
११७	जोशी कृष्ण अय्यंगर	५	२२	४०
११८	वैद्य रघुपति आयंगर	२	२२	४०
११९	सुब्बालक्ष्मी	५	२२	४०
१२०	जोशी वेंकटपति अय्यंगर	२	२२	४०
१२१	सदाशिव भास्कर	१	११	२०
१२२	सर्वसिद्धिसुत् वेंकटाद्रीश	५	११	२०
१२३	कृष्ण शास्त्री	५	११	२०
१२४	वसुन्धीर तिम्मय्य भट	२	२२	४०
१२५	गुरुपति शास्त्री	३	३३	६०
१२६	नारायण भट	२	२२	४०
१२७	कमलेश्वर मल्लोजी गंगाधर	२	२२	४०
१२८	भास्कर भट	६	११	२०
१२९	सदाशिव भट	५	०	०
१३०	गणपति दिवाकर	५	०	०
१३१	कृष्ण दिवाकर	१	११	२०
१३२	पद्मनाभ शास्त्री	५	११	२०
१३३	कवीश अनन्तसत् लक्ष्मण मिश्र	३	३३	६०
१३४	कृष्ण भट	७	२२	४०
१३५	बालकृष्ण शास्त्री	७	२२	४०
१३६	कृष्णस्वामी	७	२२	४०
१३७	राम भट	७	२२	४०
१३८	तिरुमल शास्त्री	७		४०
१३९	अप्पा शास्त्री	३	३३	६०
१४०	नारायण शास्त्री	२	२२	४०
१४१	चिन्तामणि भट	२	२२	४०
१४२	राम दीक्षित	२	२२	४०
१४३	अनन्त जोशी	५	२२	४०
१४४	वेंकटराम जोशी	५	२२	४०

क्रम	नाम	पैगोडा	फैनम	कुली
१९५	सीतम रामशास्त्री	११	४४	५
१९६	त्रिरुपाड रामशास्त्री	११	२४	३०
१९७	अनन्त नारायण अनन्त भट	१२	९	३०
१९८	मन्नुपी लक्ष्मण नारायण शास्त्री	८	१५	३०
१९९	हरेनपुल्ल् नरसिंह शर्मा	१३	९	३०
२००	तालसरी के लिये धन्वन्तरी	१३	३३	६०
२०१	वेंकु कावेरी ब्राह्मणी	२०	३७	४०
२०२	त्रिवेन्दूर स्वामुरस्विन् श्रीनिवास शर्मा	१	११	२०
२०३	कन्नुपुर लक्ष्मण शर्मा	२	१६	७०
२०४	अरसुर कृष्ण भट	२	३०	३८
२०५	महोदयके गोडुकी मल्लक	८	४०	२५
२०६	मलोड वेंकट शर्मा	२१	३९	३०
२०७	लक्ष्मण शर्मा	३	४०	२५
२०८	मलोडी अनन्त भट	२	३०	३८
२०९	सरस्वती बीबी	२	८	३५
२१०	कृष्ण बीबी	१	३८	३०
२११	त्रिवन्नोपुर कृष्ण भट	१	३०	३०
२१२	वेंकु नारायण दशनीकर	१	२४	४५
२१३	श्री मूर्ति कावेरी शर्मा	२	४	४५
२१४	कमलम् राम शास्त्री	२	३	६०
२१५	कमलम् राम शास्त्री	३	४३	१०
२१६	कन्नी नरसिंह भट	३	३७	४०
२१७	अनन्तकुमार भट्ट	३	२५	६०
२१८	तिरुनेलवेलि कृष्ण भट	३	७	४०
२१९	तिरुविकरुम् कृष्ण भट	६	३४	५५

क्रम	नाम	पैगोडा	फैनम	कुली
२२०	फुन्नुपी वेंकटराम शास्त्री	३	५	५०
२२१	तिरिसिदुपुर ब्रह्मेश्वर शास्त्री	३	१८	६०
२२२	फुल्लपुरम विठ्ठल शर्मा	२	२४	३०
२२३	दुर्गी शंकर शास्त्री	६	११	२०
२२४	कुलशेखरपुर सुब्रह्मण्य शास्त्री	१	७	४०
२२५	कलोटि शंकर शास्त्री	५	१९	५५
२२६	अपोलस्नुपी सीताराम तिरुमल अग्निहोत्री	३	२६	२०
२२७	मलोरि कृष्ण शास्त्री	२	८	३५
२२८	कुरली कृष्ण भट	२	८	३५
२२९	पद्मस्वामि श्रीनिवास शर्मा	७	३०	३५
२३०	कर्पूर राम भट	१	३४	५५
२३१	कन्नपुर मल्लार अय्यर	१	४१	२०
२३२	आलनुपी राम भट	१	२५	२५
२३३	पैतलनुपी राम शास्त्री	१	१५	२५
२३४	सेलमप्पा अरिप्पुर श्रीनिवास भट	१	११	२०
२३५	कर्पूर राम	१	८	३५
२३६	कैलास भट	१	१	७०
२३७	गाविन्दो रामशास्त्री	१	१	७०
२३८	त्रिमणपरी ओंकार अय्यर	१	१६	३
२३९	त्रिमणपरी कृष्ण अय्यर	१	४१	२०
२४०	त्रिमणपरी रामस्वामि वेंकटपति	१	१५	७५
२४१	त्रिमणपरी वेंकट अय्यर	१	३७	४०
२४२	त्रिमणपरी वेंकन्न	१	३	६०
२४३	त्रिमणपरी रामगोपाल अय्यर	१	३०	६०
२४४	त्रिमणपरी रामनाथ शास्त्री	४	२८	४८

तंजावुर
धान्य के रूप में निवृत्ति वेतन

क्रम	नाम	पेगोडा	फेनम	चुली	गाडी	म	म
१	रामेश्वरम के यात्री हेतु त्रिवलूर के अन्नदान क्षेत्र को	३०८	१८	३४	१५	३८०	०
२	रामेश्वर के यात्री हेतु रामेश्वरम् द्वीप स्थित छत्रम् को	२१९	३४	४६	११	१४६	२१/२
३	त्यागराजपुरम् छत्रम् को	११९	११	६६	६	६७	२
४	नाचियरगुडी के श्रीपादस्वामी चर्च को	१४१	२७	५३	७	१२९	४१/२
५	पकपेश का शास्त्री को	११	११	२०	०	२३२	६
६	रामशास्त्री को	५	१९	७४	०	३८७	७
७	त्र्यम्बकेश्वर पचाय ब्राह्मण को	१८	३३	६०	०	३८७	७
८	मृत्युंजय जोशी को	१८	३३	६०	०	३८७	७
९	गोपाल जोशी को	१८	३३	६०	०	३८७	७
१०	वेंकट जोशी को	१८	३३	६०	०	३८७	७
११	चन्द्राकर जोशी को	१२	२२	४०	०	२५८	४१/२
१२	बालकृष्ण जोशी को	१२	२२	४०	०	२५८	४१/२
१३	सुब्बा जोशी को	१२	२२	४०	०	२५८	४१/२
१४	जयियगर जोशी को	१२	२२	४०	०	२५८	४१/२
१५	आनयरोवन परम्परियेन	२	१५	५३	०	४८	४
	तंजावुर का कुल धान्य रूप निवृत्ति वेतन				९३३	४	२६
	तंजावुर का कुल निवृत्ति वेतन				५९२९	४२	२६

तंजावुर समाहर्ता कचहरि
१४ अप्रैल १८१३

ज्होन वालेस
समाहर्ता

लेखक परिचय

श्री धर्मपालजी का जन्म सन् १९२२ में उत्तर प्रदेश के मुझफ्फरनगरमें हुआ था। उनकी शिक्षा डी ए वी कालेज लाहौर में हुई। १९३० में ८ वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार गांधीजी को देखा। उसके एक ही वर्ष बाद सरदार भगतसिंह एवं उनके साथियों को फाँसी दी गई। १९३० में ही वे अपने पिताजी के साथ लाहौर में काँग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में गये थे। उस समय से लेकर आजन्म वे गांधीभक्त एवं गांधीमार्गी रहे।

१९४० में १८ वर्ष की आयु में उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। चरखे पर सूत कातना भी शुरू किया। १९४२ में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लिया। १९४४ में उनका परिचय मीराबहन के साथ हुआ। उनके साथ मिलकर रुड़की एवं हरिद्वार के बीच सामुदायिक गाँव के निर्माण का प्रयास किया। उस सामुदायिक गाँव का नाम था 'बापूग्राम'। आज भी बापूग्राम अस्तित्व में है। १९४९ में भारत का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में जो शरणार्थी आये उनके पुनर्वसन के कार्य में भी उन्होंने भाग लिया। १९४९ में वे इंग्लैण्ड इस्रायल और अन्य देशों की यात्रा पर गये। इस्रायल जाकर वे वहाँ के सामुदायिक ग्राम के प्रयोग को जानना समझना चाहते थे। १९५० में वे भारत वापस आये। १९६४ तक दिल्ली में रहे। इस समयावधि में वे Association of Voluntary Agencies for Rural Development (AVARD) के मन्त्री के रूप में कार्यरत रहे। अवार्ड की संस्थापक अध्यक्षा श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय थीं परंतु कुछ ही समय में श्री जयप्रकाश नारायण उसके अध्यक्ष बने और १९७५ तक बने रहे। १९६४-६५ में श्री धर्मपालजी आल इण्डिया पंचायत परिषद के शोध विभाग के निदेशक रहे। १९६६ में लन्दन गये। १९८२ तक लन्दन में रहे। इन अठारह वर्षों में भारत आते जाते रहे। १९८२ से १९८७ सेवाग्राम (वर्धा महाराष्ट्र) में रहे। उस दौरान मैसूर आते जाते रहे। १९८७ के बाद फिर लन्दन गये। १९९३ से जीवन के अन्त तक सेवाग्राम वर्धा में रहे।

१९४९ में उनका विवाह अंग्रेज युवति फिलिस से हुआ। फिलिस लन्दन में

बापूग्राम में दिल्ली में सेवाग्राम में उनके साथ रहीं। १९८६ में उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी स्मृति में वाराणसी में मानव सेवा केन्द्र के तत्वावधान में बालिकाओं के समग्र विकास का केन्द्र चल रहा है। धर्मपालजी एव फिलिस के एक पुत्र एव दो पुत्रिया हैं। पुत्र डेविड लन्दन में व्यवसायी है पुत्री रोझविता लन्दन में अध्यापक है और दूसरी पुत्री गीता धर्मपाल हाईडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में इतिहास विषय की अध्यापक है।

धर्मपालजी अध्ययनशील थे चिन्तक थे बुद्धि प्रामाण्यवादी थे। परिश्रमी शोधकर्ता थे। अभिलेख प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन बारह चौदह घण्टे लिखकर लन्दन तथा भारत के अन्यान्य महानगरों के अभिलेखागारों में बैठकर नकल उतारने का कार्य उन्होंने किया। उस सामग्री का संकलन किया निष्कर्ष निकाले। १८ वीं एव १९ वीं शताब्दी के भारत के विषय में अनुसन्धान कर के लेख लिखे भाषण किये पुस्तकें लिखीं।

उनका यह अध्ययन चिन्तन अनुसन्धान विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने के लिये या विद्वत्ता के लिये प्रतिष्ठा पद या धन प्राप्त करने के लिये नहीं था। भारत की जीवन दृष्टि जीवन शैली जीवन कौशल जीवन रचना का परिचय प्राप्त करने के लिये भारत को ठीक से समझने के लिये समृद्ध सुसंस्कृत भारत को अंग्रेजों ने कैसे तोडा उसकी प्रक्रिया जानने के लिये भारत कैसे गुलाम बन गया इसका विश्लेषण करने के लिये और अब उस गुलामी से मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढने के लिये यह अध्ययन था। जितना मूल्य अध्ययन का है उससे भी कहीं अधिक मूल्य उसके उद्देश्य का है।

श्री जयप्रकाश नारायण श्री राम मनोहर लोहिया श्री कमलादेवी चट्टोपाध्याय श्री मीराबहन उनके मित्र एवं मार्गदर्शक हैं। गाधीजी उनकी दृष्टि में अवतार पुरुष हैं। वे अन्तर्बाह्य गाधीभक्त हैं फिर भी जाग्रत एव विवेकपूर्ण विश्लेषक एवं आलोचक भी हैं। वे गाधीभक्त होने पर भी गांधीवादियों की आलोचना भी कर सकते हैं।

इस ग्रन्थश्रेणी में प्रकाशित पुस्तकें १९७१ से २००३ तक की समयावधि में लिखी गई हैं। विद्वज्जगत में उनका यथेष्ट स्वागत हुआ है। उससे व्यापक प्रभाव भी निर्माण हुआ है।

मूल पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। अभी वे हिन्दी में प्रकाशित हो रही हैं। भारत की अन्यान्य भाषाओं में जब उनका अनुवाद होगा तब बौद्धिक जगत में बडी भारी हलचल पैदा होगी।

२४ अक्टूबर २००६ को सेवाग्राम में ही ८४ वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ।